खुदरा
विद्युत–आपूर्ति
दर–निर्धारण (टैरिफ)
आदेश

वित्तीय वर्ष 2022–23
दिनांक 31 मार्च, 2022
(हिन्दी अनुवाद)

मध्यप्रदेश
विद्युत नियामक
आयोग

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा विद्युत–आपूर्ति–दर निर्धारण (टैरिफ) आदेश

याचिका क्रमांक 04 / 2022

उपस्थित :

एस. पी. एस. परिहार, अध्यक्ष
मुकुल धारीवाल, सदस्य
गोपाल श्रीवास्तव, सदस्य (विधि)

विषयः–विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की गई याचिकाओं के आधार पर नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा विद्युत–आपूर्ति–दर (टैरिफ) दर का अवधारण।

विषय–सूची

ए 1	आदेश	13
ए 2	याचिकाकर्ताओं हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	23
	विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान	23
	ऊर्जा संतुलन	23
	ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन	29
	विद्युत क्रय लागत का आकलन	35
	नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध	74
	अधिशेष ऊर्जा का प्रबन्धन	117
	अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	121
	राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	125
	मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) लागतें : विवरण तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन	126
	विद्युत क्रय लागत की संक्षेपिका	128
	पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	131
	संचालन तथा संधारण व्यय	134
	अवमूल्यन या अवक्षयण	140
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	150
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	157
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	165
	पूंजी पर प्रतिलाभ	172
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	172
	अन्य आय	178
	विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर	179
	विद्यमान तथा स्वीकृत विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति एवं अंतर/अधिशेष	182
ए 3	चक्रण प्रभार, प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार	193
	चक्रण लागत का अवधारण	198
	प्रतिराज्यानुदान अधिभार का अवधारण	198
	अतिरिक्त अधिभार का अवधारण	201
ए 4	हरित ऊर्जा विद्युत–दर	205
ए 5	ईंधन लागत समायोजन प्रभार	208
ए 6	खुदरा विद्युत–दर रूपांकन	214
	कानूनी स्थिति	218
	विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग का दृष्टिकोण	218
	विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता	218
ए 7	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश में जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन	224
ए 8	सार्वजनिक सुझाव तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां	242
	परिशिष्ट–1 हितधारकों की सूची	297
	परिशिष्ट–2 निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	303
	परिशिष्ट–3 उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	330

तालिका–सूची

संख्या क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
तालिका 1:	समाचार पत्रों की सूची – याचिकर्ताओं द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना	13
तालिका 2:	याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक के लिये प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का परिदृश्य	14
तालिका 3:	याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत दर प्रस्ताव की संक्षेपिका	14
तालिका 4:	अमीटरीकृत घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं की मीटरीकरण संबंधी अद्यतन स्थिति	15
तालिका 5:	अमीटरीकृत कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरीकरण संबंधी अद्यतन स्थिति	16
तालिका 6:	विनियमों में निर्दिष्ट किया गया विद्युत वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेप वक्र	17
तालिका 7:	वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वास्तविक विद्युतवितरण हानि	17
तालिका 8:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (राज्य)	18
तालिका 9:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा अनुमोदित विद्युत–दर पर राजस्व की गणना	20
तालिका 10:	राज्य हेतु नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय	24
तालिका 11:	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय	24
तालिका 12:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय	25
तालिका 13:	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय	25
तालिका 14:	राज्य हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकार किये गये श्रेणीवार विक्रय	27
तालिका 15:	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत श्रेणीवार विक्रय	28
तालिका 16:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत श्रेणीवार विक्रय	28
तालिका 17:	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत श्रेणीवार विक्रय	29
तालिका 18:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता	30
तालिका 19:	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता	31
तालिका 20:	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता	31
तालिका 21:	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता	31
तालिका 22:	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता	32
तालिका 23:	विनियमों के अनुसार हानि लक्ष्य	32
तालिका 24:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता	33
तालिका 25:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता	33
तालिका 26:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता	34
तालिका 27:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता	34

तालिका 28:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता	34
तालिका 29:	भविष्यगामी विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा तकनीकी मापदण्ड	37
तालिका 30:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों की सूची	38
तालिका 31:	विद्युत केन्द्रों की सूची जिन्हें आंशिक/पूर्ण समर्पण हेतु माना गया है	43
तालिका 32:	याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तुत की गई ऊर्जा की कुल उपलब्धता	52
तालिका 33:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आयोग द्वारा सुविचारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों का आवंटन	53
तालिका 34:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण	60
तालिका 35:	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण	63
तालिका 36:	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण	65
तालिका 37:	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण	69
तालिका 38:	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण	72
तालिका 39:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी को आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों के स्थाई लागत तथा ऊर्जा प्रभार संबंधी विवरण	74
तालिका 40:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण	86
तालिका 41:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई स्थाई लागत तथा ऊर्जा लागत	91
तालिका 42:	पिछले पांच वर्षों में ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि	95
तालिका 43:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों का आधार	98
तालिका 44:	नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु सुयोग्यता क्रम प्रेषण	110
तालिका 45:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों के स्वीकृत किये गये स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार	113
तालिका 46:	याचिकाकर्ताओं द्वारा नियंत्रण अवधि हेतु प्रस्तुत नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध तथा लागत	117
तालिका 47:	नियंत्रण अवधि हेतु आयोग द्वारा नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध तथा लागत की गणना	119
तालिका 48:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय लागत	121
तालिका 49:	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अधिशेष ऊर्जा का प्रबन्धन	122
तालिका 50:	अधिशेष ऊर्जा के विक्रय के माध्यम से विद्युत क्रय लागत में बचत संबंधी विवरण	124
तालिका 51:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	125
तालिका 52:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	126
तालिका 53:	याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार	126
तालिका 54:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	127
तालिका 55:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा की गई एमपीपीएमसीएल लागत	128

तालिका 56:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई एमपीपीएमसीएल लागतें / आय	130
तालिका 57:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई विद्युत क्रय की लागत	131
तालिका 58:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार की गई सकल विद्युत क्रय की लागत	132
तालिका 59:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु समेकित विद्युत क्रय की लागत	133
तालिका 60:	पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अन्तर्गत प्रस्तावित परिव्यय	137
तालिका 61:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूंजी निवेश योजना	138
तालिका 62:	विद्युत वितरण कम्पनीवार प्रस्तावित पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन	139
तालिका 63:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सुविचारित प्रक्षेपित परिसम्पत्ति / आस्ति पूंजीकरण	140
तालिका 64:	नियंत्रण अवधि हेतु वृद्धि दर (%)	141
तालिका 65:	सुविचारित मंहगाई भत्ता (%)	142
तालिका 66:	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	144
तालिका 67:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	144
तालिका 68:	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	144
तालिका 69:	राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	144
तालिका 70:	नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकार की गई वृद्धि दर (%)	146
तालिका 71:	नियन्त्रण अवधि हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	148
तालिका 72:	नियन्त्रण अवधि हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	149
तालिका 73:	नियन्त्रण अवधि हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	149
तालिका 74:	नियन्त्रण अवधि हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिए स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	150
तालिका 75:	वित्तीय वर्ष 2022–23से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावा की गई अवमूल्यन / अवक्षयण राशि	151
तालिका 76:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावा की गई अवमूल्यन / अवक्षयण राशि	151
तालिका 77:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावा की गई अवमूल्यन / अवक्षयण राशि	152
तालिका 78:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण राज्य हेतु दावा की गई अवमूल्यन / अवक्षयण राशि	152
तालिका 79:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन	155
तालिका 80:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन	156
तालिका 81:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण	156

	कम्पनी हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन	
तालिका 82:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन	156
तालिका 83:	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि	157
तालिका 84:	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि	158
तालिका 85:	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि	159
तालिका 86:	सम्पूर्ण राज्य हेतु परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि	159
तालिका 87:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	163
तालिका 88:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	164
तालिका 89:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	164
तालिका 90:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	165
तालिका 91:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावाकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज राशि	165
तालिका 92:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावाकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज राशि	166
तालिका 93:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावाकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज राशि	167
तालिका 94:	आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनीवार स्वीकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	170
तालिका 95:	सम्पूर्ण राज्य हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यकारी पूंजी	170
तालिका 96:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	172
तालिका 97:	विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की राशि	172
तालिका 98:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए दावाकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	173
तालिका 99:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए दावाकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	173
तालिका 100:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए दावाकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	174
तालिका 101:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	176
तालिका 102:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	177
तालिका 103:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	177
तालिका 104:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ	178
तालिका 105:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	178

तालिका 106:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का विवरण	180
तालिका 107:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का विवरण	180
तालिका 108:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का विवरण	181
तालिका 109:	सत्यापन आदेशों के अनुसार कुल वास्तविक अन्य आय	182
तालिका 110:	वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार की गई अन्य आय	182
तालिका 111:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर (डीबीएसटी)	184
तालिका 112:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर (डीबीएसटी)	185
तालिका 113:	नियन्त्रण अवधि हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	187
तालिका 114:	नियन्त्रण अवधि हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	188
तालिका 115:	नियन्त्रण अवधि हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	189
तालिका 116:	नियन्त्रण अवधि हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	190
तालिका 117:	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए चक्रण व्यवसाय हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	191
तालिका 118:	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर)	192
तालिका 119:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विद्यमान तथा प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार राजस्व की प्राप्ति	194
तालिका 120:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तर/अधिशेष	195
तालिका 121:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान तथा स्वीकृत विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति, छूट/प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए	195
तालिका 122:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान विद्युत–दरों के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व की प्राप्ति	197
तालिका 123:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत विद्युत–दरों के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व की प्राप्ति	197
तालिका 124:	उप–पारेषण तथा वितरण तन्तुपथों (लाइनों) का वोल्टेजवार लागत संविभाजन	199
तालिका 125:	ट्रांसफार्मर की कुल वोल्टेज स्तरवार लागत	199
तालिका 126:	वोल्टेज के प्रत्येक स्तर पर तन्त्र (नेटवर्क) के मूल्यांकन का चिन्हांकन	199
तालिका 127:	वोल्टेज के विभिन्न स्तरों पर तन्त्र (नेटवर्क) के व्ययों (चक्रण लागत) की कुल लागत का चिन्हांकन	200
तालिका 128:	33 केवी पर वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन	200
तालिका 129:	चक्रण प्रभार	200
तालिका 130:	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय की भारित औसत लागत, नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति को सम्मिलित करते हुए	202
तालिका 131:	वोल्टेजवार हानियां	202
तालिका 132:	पारेषण प्रभार	202
तालिका 133:	अनुमोदित विद्युत–दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु औसत बिलिंग दर (एबीआर)	203

तालिका 134:	उपरोक्त उदाहरण के अनुसार लागत की गणना	204
तालिका 135:	उपरोक्त उदाहरण के अनुसार श्रेणीवार प्रति राज्यानुदान अधिभार	204
तालिका 136:	याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अतिरिक्त अधिभार की संगणना	205
तालिका 137:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अतिरिक्त अधिभार का अवधारण	207
तालिका 138:	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की ग्रंई हरित ऊर्जा विद्युत–दर	211
तालिका 139:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमोदित हरित ऊर्जा विद्युत–दर	213
तालिका 140:	मानदण्डीय हानियां–पीजीसीआईएल प्रणाली एमपीपीटीसीएल प्रणाली तथा वितरण हानियों के संबंध में	217
तालिका 141:	राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए विद्युत प्रदाय लागत की वोल्टेजवार संगणना	220
तालिका 142:	सम्पूर्ण राज्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वोल्टेजवार लागत पर आधारित प्रतिराज्यानुदान (क्रॉस सब्सिडी)	221
तालिका 143:	विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन	222
तालिका 144:	समाचार–पत्रों की सूची : याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाशित की गई सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में	242
तालिका 145:	प्राप्त की गई आपत्तियों / सुझावों / टिप्पणियों की संख्या	243

संक्षेपाक्षरों की सूची (List of Abbreviations)

A&G	Administrative and General Expenses (प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय)
AB Cable	Aerial Bunched Cable (केबल वायवीय गुच्छ)
APTEL	Appellate Tribunal for Electricity (एप्टेल) (विद्युत अपीलीय अधिकरण)
ARR	Aggregate Revenue Requirement (सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता)
AS	Additional Surcharge (अतिरिक्त अधिभार)
AT&C	Aggregate Technical and Commercial (सम्पूर्ण तकनीकी एवं वाणिज्यिक)
ATPS	Amarkantak Thermal Power Station (अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र) (एटीपीएस)
BPSA	Bulk Power Supply Agreement (थोकविद्युत प्रदाय अनुबंध)
CAGR	Compounded Annual Growth Rate (संयुक्त वार्षिक विकास दर)
CEA	Central Electricity Authority (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)
CERC	Central Electricity Regulatory Commission (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग)
CFA	Cash Financial Assistance (नगद वित्तीय सहायता)
CGS	Central Generating Station (केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र)
CHPS	Chambal Hydro Power Scheme (चम्बल जलविद्युत स्कीम)
COD	Commercial Date of Operation (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि)
CPP	Captive Power Plants{आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र}
CSD	Consumer Security Deposit (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप/उपभोक्ता सुरक्षा निधि)
CSS	Cross Subsidy Surcharge (प्रति राज्यानुदान अधिभार)
CTPS	Chandrapur Thermal Power Station (चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र) (सीटीपीएस)
CWIP	Capital Works in Progress (निर्माणाधीन कार्य)
DA	Dearness Allowance (मंहगाई भत्ता)
DBST	Differential Bulk Supply Tariff (विभेदक विपुल आपूर्ति विद्युत–दर)
Discom	Distribution Company (विद्युत वितरण कम्पनी)
DSM	Demand Side Management (मांग परक प्रबन्धन)
DTR	Distribution Transformer (विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर)
DVC	Damodar Valley Corporation (दामोदर घाटी निगम)
EA 2003	Electricity Act, 2003 (विद्युत अधिनियम, 2003)
EHT	Extra High Tension (अतिरिक्त उच्च दाब)
ER	Eastern Region (पूर्वी क्षेत्र)
FCA	Fuel Charge Adjustment (ईंधन लागत समायोजन)
FY	Financial Year (वित्तीय वर्ष)
GAAP	Generally Accepted Accounting Principles (सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धान्त)
GC	Group Captive {समूह आबद्ध (केप्टिव)}
GFA	Gross Fixed Asset (सकल स्थाई परिसम्पत्ति)
GoI	Government of India (भारत सरकार)
GoMP	Government of Madhya Pradesh (मध्यप्रदेश शासन/मध्यप्रदेश सरकार)
GPP	Gas Power Plant (गैस विद्युत उत्पादन संयन्त्र)
GST	Goods and Service Tax (वस्तु एवं सेवा कर)
GTIS	Group Term Insurance Scheme (समूह टर्म बीमा योजना)
HP	Horse Power (अश्वशक्ति)
HPS	Hydro Power Station (जल विद्युत केन्द्र)

HT	High Tension (उच्च दाब)
IDC	Interest During Construction (निर्माण के दौरान देय ब्याज राशि)
IEX	Indian Energy Exchange (इण्डियन इनर्जी एक्सचेंज) (भारतीय ऊर्जा विनिमय केन्द्र)
IND-AS	Indian Accounting Standards (भारतीय लेखा मानक)
ISPS	Indira Sagar Power Station (इन्दिरा सागर विद्युत केन्द्र)
IPDS	Integrated Power Development Scheme (एकीकृत विद्युत विकास योजना)
IPP	Independent Power Producer (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक)
KAPS	Kakrapar Atomic Power Station (काकरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र)
kV	kilo Volt (किलो वोल्ट)
kVA	kilo Volt Ampere (किलो वोल्ट एम्पीयर)
kVAh	kilo Volt Ampere hour (किलो वोल्ट एम्पीयर ऑवर)
kW	kilo Watt (किलोवाट)
kWh	kilo Watt hour (किलोवाट ऑवर)
LED	Light Emitting Diode (प्रकाश उत्सर्जक डायोड)
LT	Low Tension (निम्न दाब)
MD	Maximum Demand (उच्चतम मांग)
MOD	Merit Order Despatch (सुयोग्यता क्रम प्रेषण)
MP	Madhya Pradesh (मध्यप्रदेश)
MPERC	Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग या मप्रविनिआ)
MPPGCL MP GENCO	Madhya Pradesh Power Generation Company Limited (मध्यप्रदेश पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड)
MPPMCL	MP Power Management Company Limited (मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड)
MPPTCL	Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited (मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड)
MPSEB	Madhya Pradesh State Electricity Board (मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल)
MTPS	Mejia Thermal Power Station (मेजिया ताप विद्युत केन्द्र)
MU	Million Unit (मिलियन यूनिट)
MVA	Mega Volt Ampere (मेगा वोल्ट एम्पीयर)
MW	Mega Watt (मेगा वाट)
MYT	Multi-Year Tariff (बहु–वर्षीय विद्युत–दर)
NHDC	Narmada Hydroelectric Development Corporation (नर्मदा हायड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन) (एचएचडीसी)
NPS	New Pension Scheme (नवीन पेंशन योजना)
NTPC	NTPC Limited (एनटीपीसी लिमिटेड)
O&M	Operation & Maintenance (संचालन एवं संधारण)
OA	Open Access {(निर्बाध (खुली) पहुंच}
OHP	Omkareshwar Hydro Project (ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना)
PAF	Plant Availability Factor (संयन्त्र उपलब्धता कारक)
PF	Provident Fund (भविष्य निधि)
PGCIL	Power Grid Corporation of India Ltd. (पावर ग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड)

PLF	Plant Load Factor (संयन्त्र भार कारक)
PoC	Point of Connection (संयोजन बिन्दु)
PPA	Power Purchase Agreement (विद्युत क्रय अनुबन्ध)
PPCA	Power Purchase Cost Adjustment (विद्युत क्रय लागत समायोजन)
PTR	Power Transformer (पावर ट्रांसफार्मर)
PWW	Public Water Works (सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य)
PXIL	Power Exchange India Limited (पावर एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड)
R&M	Repair & Maintenance (मरम्मत एवं अनुरक्षण)
RBI	Reserve Bank of India (भारतीय रिजर्व बैंक)
RGGVY	Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना)
RoE	Return on Equity (पूंजी पर प्रतिलाभ)
RPO	Renewable Purchase Obligation (नवकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध)
SAC	State Advisory Committee (राज्य सलाहकार समिति)
SBI	State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक)
SEZ	Special Economic Zone (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र)
SGTPS	Sanjay Gandhi Thermal Power Station (संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र) (एसजीटीपीएस)
SLDC	State Load Dispatch Centre (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)
SSP	Sardar Sarovar Project (सरदार सरोवर परियोजना)
STPS	Super Thermal Power Station (सुपर ताप विद्युत केन्द्र) (एसटीपीएस)
TP	Tariff Policy (टैरिफ नीति)
TAPS	Tarapur Atomic Power Station (तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र) (टीएपीएस)
TBT	Terminal Benefit Trust (सेवान्त प्रलाभ न्यास अथवा टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट)
ToD	Time of Day (समयानुपाती)
TPS	Thermal Power Station (ताप विद्युत केन्द्र)
UDAY	Ujwal Discom Assurance Yojana (उज्जवल डिस्कॉम एश्यारेंस योजना)
UMPP	Ultra Mega Power Plant (अल्ट्रा मेगा–पावर प्लांट) (यूएमपीपी)
VAT	Value Added Tax (मूल्य वर्धित कर अथवा वैट)
WR	Western Region (पश्चिमी क्षेत्र)
WRPC	Western Regional Power Committee (पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति)

ए 1: आदेश

(आज दिनांक 31 मार्च, 2022 को पारित किया गया)

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल (जिन्हें एतद् पश्चात वैयक्तिक रूप से क्रमशः पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी एवं सामूहिक रूप से ''विद्युत वितरण कंपनियां'' या ''विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' या ''अनुज्ञप्तिधारी'' या ''याचिकाकर्ता'' संबोधित किया गया है), तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (जिसे एतद् पश्चात् एमपीपीएमसीएल अथवा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ याचिकाकर्ता संबोधित किया गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात ''मप्रविनिआ'' या ''आयोग'' संबोधित किया गया है) के समक्ष दाखिल की गई याचिका क्रमांक 04, वर्ष 2022 से संबंधित है। यह याचिका मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 {आरजी–35(III), वर्ष 2021} {जिन्हें एतद् पश्चात् बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 या विनियम संदर्भित किया गया है}, के अनुसार दाखिल की गई है।

1.2 याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2022, को संयुक्त रूप से एक याचिका जिसे याचिका क्रमांक 4, वर्ष 2022 क्रमांकित किया गया है, दिनांक 7 फरवरी, 2022 को दाखिल की गई। याचिका के संबंध में समावेदन सुनवाई (motion hearing) दिनांक 9 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई जिसके माध्यम से आयोग द्वारा याचिका स्वीकार कर ली गई तथा याचिकाकर्ताओं को प्रारूप सार्वजनिक सूचना आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये।

1.3 तत्पश्चात, आयोग ने पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2022 द्वारा याचिकाकर्ताओं को विषयवस्तु याचिका (याचिका क्रमांक 4, वर्ष 2022) पर हितधारकों की आपत्तियां/टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना हिन्दी तथा अंग्रेजी में 4 मार्च, 2022 तक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के निर्देश दिये। तद्नुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 को निम्न तालिका में दर्शाये गये प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की :

तालिका 1: समाचार पत्रों की सूची – याचिकर्ताओं द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

समाचार–पत्र	भाषा
फ्री प्रेस जनरल, इन्दौर	अंग्रेजी
नई दुनिया, इन्दौर	हिन्दी
द् हितवाद, जबलपुर	अंग्रेजी
दैनिक भास्कर, जबलपुर	हिन्दी
दैनिक भास्कर, सागर	हिन्दी
जबलपुर एक्सप्रेस, छिन्दवाड़ा	हिन्दी
देश बन्धु, सतना	हिन्दी
प्रदेश टुडे, रीवा	हिन्दी
नवभारत, भोपाल	हिन्दी
सेंन्ट्रल क्रॉनिकल, भोपाल	अंग्रेजी
पीपुल्स समाचार, ग्वालियर	हिन्दी

1.4 सार्वजनिक सूचना की प्रतिक्रिया में आयोग ने विभिन्न हितधारकों से 73 टिप्पणियां (पूक्षेविविकं : 17, पक्षेविविकं : 37, मक्षेविवकं : 19) प्राप्त कीं। आयोग ने विडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से पूर्व क्षेविविकं हेतु दिनांक 8 मार्च, 2022, पश्चिम क्षेविविकं हेतु

दिनांक 9 मार्च, 2022 तथा मध्य क्षेविविकं हेतु दिनांक 10 मार्च, 2022 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की तथा हितधारकों की आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की सुनवाई की।

1.5 याचिकाकर्ताओं से प्राप्त की गई आपत्तियों/सुझावों/टिप्पणियोंके विवरण, याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया तथा आयोग का दृष्टिकोण इस आदेश के अध्याय ''ए–8 : सार्वजनिक सुझाव तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां'' में दिये गये हैं।

याचिका का परिदृश्य (Snap shots of Petitions) :

1.6 वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर प्रस्ताव (Tariff proposal) प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं :

तालिका 2: याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक के लिये प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का परिदृश्य (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)	**48,874**	**50,595**	**54,761**	**58,475**	**61,818**

1.7 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू. 3,916 करोड़ के राजस्व अन्तर का अनुमोदन तथा इसकी वसूली 8.71% विद्युत–दर वृद्धि (Tariff hike) द्वारा करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विद्युत–दर प्रस्ताव निम्नानुसार है :

तालिका 3 : याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर प्रस्ताव (Tariff-Proposal) की संक्षेपिका (करोड़ रूपये)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	14,207	19,428	15,239	48,874
विद्यमान विद्युत–दर के अनुसार विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	13,066	17,866	14,026	44,957
वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु राजस्व अन्तर	**1,141**	**1,562**	**1,213**	**3,916**

1.8 याचिका के सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर आयोग ने अपने पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2022 के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों से याचिका के बारे में स्पष्टीकरण/जानकारी/आंकड़े चाहे गये। एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड तथा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने पत्र दिनांक 7 तथा 17 मार्च, 2022 द्वारा आंकड़ों में विसंगतियों/स्पष्टीकरण/जानकारी/सूचना आदि के बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की।

राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) :

1.9 आयोग द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 17 फरवरी, 2022 को राज्य सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई। राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा वर्तमान खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका के बारे में अनेक बहुमूल्य सुझाव प्रदान किये गये जिनमें विद्युत विक्रय के बारे में प्रक्षेपण, अधिशेष ऊर्जा का संव्यवहार, हरित ऊर्जा विद्युत–दर की अवधारणा, विद्युत–दर की निबन्धन तथा शर्तें, आदि शामिल हैं। राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों ने कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं की दशा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। आयोग ने वित्तीय

वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर का अवधारण करते समय इन विषयों को संज्ञान में लिया है।

ऊर्जा लेखांकन, मापन व्यवस्था तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी की जाना (Energy Accounting & Meterisation and Technical Commercial Loss Reduction) :

1.10 आयोग समय–समय पर पृथक से तथा अपने पूर्व के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के माध्यम से भी ऊर्जा लेखांकन तथा मापन व्यवस्था (मीटरीकरण) के महत्व पर जोर देता चला आ रहा है। इन आदेशों में विद्युत वितरण कम्पनियों के विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि विद्युत उपकेन्द्रों, विद्युत वितरण संभरकों एवं विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ–साथ उपभोक्ता छोर पर ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा अंकेक्षण बाबत वितरण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के वास्तविक स्तर के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की गई थी। विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि कम किये जाने संबंधी समुचित रणनीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने संबंधी निर्देश भी प्रसारित किये गये थे। विद्युत वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों, जैसे कि संभरक (feeder)/वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरीकरण के अन्तर्गत उच्च हानि के क्षेत्रों को चिन्हांकित करना एवं हानियों की रोकथाम के संबंध में कार्यवाही किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में घरेलू संयोजनों हेतु शत प्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है जबकि अवशेष क्षेत्र, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में संभरक तथा वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) मीटरीकरण का कार्य सन्तोषजनक होना नहीं पाया गया है। जबकि संभरक मीटरीकरण कार्यक्रम में कुछ प्रगति अवश्य दृष्टिगोचर हुई है, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में वैयक्तिक अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के मीटरीकरण कार्य की अभी भी उपेक्षा जारी है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों का संबंध है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मीटरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है जबकि पूर्व तथा पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उक्त स्तर क्रमशः 8.77 प्रतिशत तथा 12.66 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका है। पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु, आयोग ने इस श्रेणी में मीटरीकरण की असन्तोषजनक प्रगति के बारे में इसे गम्भीरतापूर्वक लिया है तथा उसका मत है कि समस्त प्रक्रमों पर ऊर्जा के लेखांकन के बारे में सुसंगठित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जिनमें ग्रामीण घरेलू संयोजन (कनेक्शन) भी सम्मिलित हैं। इस हेतु प्रथम कदम समस्त अवशेष ग्रामीण घरेलू संयोजनों का मीटरीकरण करना होगा। ऊर्जा का लेखांकन भी नियमित आधार पर प्रणाली प्रेरित दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा यह भी पाया गया है कि विद्यमान संभरक मापयंत्र दोषपूर्ण स्थिति में उपेक्षित पड़े हुए हैं जिन्हें त्वरित बदले जाने की आवश्यकता है। माह दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत नियतकालिक प्रतिवेदनों के अनुसार ग्रामीण अमीटरीकृत संयोजनों, कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उच्च दाब संभरकों की मीटरीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 4: अमीटरीकृत घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं की मीटरीकरण संबंधी अद्यतन स्थिति

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	घरेलू ग्रामीण		
	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत (%)
पूर्व	36,76,330	3,22,268	8.77%
पश्चिम	23,25,999	29,726	1.28%
मध्य	23,90,293	3,02,610	12.66%
सम्पूर्ण राज्य	**83,92,622**	**6,54,604**	**7.80%**

तालिका 5 : अमीटरीकृत कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरीकरण संबंधी अद्यतन स्थिति

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	कृषि वितरण ट्रांसफार्मर		
	कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं	वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत (%) जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं
पूर्व	1,10,018	11,898	10.81%
पश्चिम	1,82,679	32,296	17.68%
मध्य	2,78,054	62,492	22.47%
सम्पूर्ण राज्य	**5,70,751**	**1,06,686**	**18.69%**

1.11 आयोग यहां इस बात पर बल देना चाहता है कि जब तक कृषि संयोजनों पर वैयक्तिक संयोजन प्रदान नहीं कर दिये जाते, कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों (agricultural predominant DTRs) को मीटरीकृत करने संबंधी दिशा–निर्देश एक अन्तरिम व्यवस्था है। आयोग का यह सुदृढ़ मत है कि समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को वैयक्तिक रूप से मीटरीकृत किया जाना ही चाहिए। घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के बारे में बिलिंग की वर्तमान मानदण्डीय खपत पद्धति उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है, ऐसे में वास्तविक हानियों का लेखांकन किया जाना असंभव हो जाता है। आयोग ने यह संज्ञान में लिया है कि कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण की दर अत्यधिक धीमी है तथा मीटरीकरण की दर में तीव्र गति लाये जाने की आवश्यकता है। जब तक उचित रूप से मापन प्रणाली की स्थापना न कर दी जाए, कृषि उपभोक्ताओं की मांग का आकलन करना तथा ऊर्जा अंकेक्षण का निष्पादन करना संभव नहीं है। अतएव, आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों को प्राथमिकता के आधार पर संभरक मीटरीकरण (feeder meterisation) के साथ–साथ दोषपूर्ण मापयंत्र बदलने तथा विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण (DTR meterization) कार्य की गति में वृद्धि किये जाने हेतु निर्देशित किया। तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को भी पृथक्कृत किये जाने की आवश्यकता है।

1.12. कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयन्त्र प्रदान करने का प्रयोजन समान दर (flat rate) कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत खपत का आकलन करना तथा ऊर्जा अंकेक्षण का निष्पादन करना है ताकि वितरण हानियों का उचित आंकड़ा प्राप्त किया जा सके। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि जहां मापयंत्रों की पूर्व में ही स्थापना की जा चुकी हो वहां विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों पर ऊर्जा अंकेक्षण का निष्पादन किया जाना चाहिए।

1.13 जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का संबंध है आयोग द्वारा यह पाया गया है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

1.14 अपने पूर्व टैरिफ आदेशों के माध्यम से आयोग ने याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेप–वक्र (loss trajectory) से संरेखित विद्युत वितरण हानियां कम किये जाने बाबत सुसंगठित प्रयास करने के निर्देश दिये थे। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों को इसके कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त समय दिया है तथा यह प्रतिपादित भी किया है कि उसके द्वारा विद्युत वितरण हानि कम किये जाने वाले प्रक्षेप वक्र के लक्ष्य निष्पाद्य (achievable) हैं। बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेप वक्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 6 : विनियमों में निर्दिष्ट किया गया विद्युत वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेप वक्र

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2019—20	वित्तीय वर्ष 2020—21	वित्तीय वर्ष 2021—22	वित्तीय वर्ष 2022—23	वित्तीय वर्ष 2023—24	वित्तीय वर्ष 2024—25	वित्तीय वर्ष 2025—26	वित्तीय वर्ष 2026—27
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	16%	16%	16%	15.75%	15.50%	15.25%	15.00%	14.75%
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	15%	15%	14%	14.75%	14.50%	14.25%	14.00%	13.75%
मध्य क्षेविवि कम्पनी	17%	17%	17%	16.75%	16.50%	16.25%	16.00%	15.75%

1.15 उपरोक्त उल्लेखित लक्ष्यों के विरूद्ध विद्युत वितरण कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु वास्तविक हानि स्तर निम्नानुसार प्रतिवेदित किया है :

तालिका 7 : वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु वास्तविक विद्युत वितरण हानि

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2020—21
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	29.19%
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	12.71%
मध्य क्षेविवि कम्पनी	28.69%

1.16 आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये प्रक्षेपवक्र (trajectory) से कम वितरण हानियां प्राप्त करने बाबत आयोग पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन की सराहना करता है जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्षेपवक्र हानि (trajectory loss) से बढ़कर प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, यह पाया गया है कि अन्य दो विद्युत वितरण कम्पनियों के हानि स्तर विनिर्दिष्ट प्रक्षेपवक्र हानि से काफी अधिक हैं। अतएव, इसके लिये तात्कालिक दोष निवारक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। हितधारकों ने भी अपनी आपत्तियों में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के उच्च हानि स्तर के बारे में अपनी चिन्ता जतलाई है। यह निवेदन किया गया है कि उच्च हानि स्तर विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ—साथ उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवाओं के बारे में वित्तीय व्यवहार्यता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। आयोग ने विद्युत—दर (टैरिफ) आदेश में केवल मानदण्डीय हानियों को ही अनुज्ञेय किया है ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अदक्षताओं के कारण पड़ने वाले बोझ को उपभोक्ताओं पर न डाला जाए।

1.17 उच्च ऋण से छुटकारा दिलाने तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की आर्थिक दशा में सुधार लाने की दृष्टि से भी भारत सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) लागू की गई है। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भी कथित उदय योजना में सहभागिता की गई है तथा समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों (AT&C losses) को समयबद्ध तथा लक्ष्यबद्ध रीति द्वारा कम करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। तथापि, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित हानि स्तर से प्रकट होता है कि मध्य तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियां समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां कम करने में कसौटी पर खरी नहीं उतरीं हैं।

1.18 विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के लिये आयोग ने पूर्व वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये पूंजीगत निवेश योजनाओं (Capital Investment Schemes) को अनुमोदित किया है। भारत सरकार भी शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण कम्पनियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता तथा प्रौद्योगिक सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में मध्य क्षेत्र तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रयासों में कमी परिलक्षित हो रही है जिसका परिणाम वांछित स्तरों पर वितरण हानियों में कमी की जाना विफलता के रूप में प्रकट हो रहा है।

1.19 उच्च स्तरीय हानियों के संबंध में अनेक कारणों में से एक अमीटरीकृत संयोजन (unmetered connections) तथा अनुपयुक्त ऊर्जा लेखांकन है। अमीटरीकृत संयोजनों की विशाल संख्या के साथ–साथ रूके हुए/दोषपूर्ण मापयन्त्र मय इनके बदले जाने की धीमी गति का परिणाम निम्न स्तर की बिलिंग दक्षता के रूप में परिलक्षित हो रहा है। संभरक (फीडर) के साथ–साथ वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर अपर्याप्त ऊर्जा अंकेक्षण प्रणाली उत्तरदायित्व (accountability) निर्धारित किया जाना अनुज्ञेय नहीं कर रही है। ऐसे में प्रणाली का संचालन बदस्तूर पूर्व की भांति जारी है। पूर्व के विद्युत–दर आदेश के माध्यम से आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों को शेष अमीटरीकृत कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों पर उचित ऊर्जा लेखांकन के क्रियान्वयन तथा कृषि पम्पों की विद्युत खपत के अभिलेखन हेतु मापयन्त्र स्थापित किये जाने संबंधी निर्देश दिये थे। तथापि, इस संबंध में प्रगति अभी भी अत्यन्त असन्तोषजनक स्तर पर है। पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को भी अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने की आवश्यकता है। आयोग इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेगा तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को समय सीमा के भीतर एक लक्ष्यबद्ध हानि स्तर की प्राप्ति द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम (viable) बनाये जाने हेतु एक ठोस कार्यक्रम बनाये जाने के बारे में आवश्यकता प्रतिपादित करता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement of Discoms)

1.20 आयोग ने इस आदेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (Retail Supply Tariff) का अवधारण किया है।

1.21 विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान विद्युत–दर की दर से स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान विद्युत–दर राजस्व अन्तर (Revenue Gap)/अधिशेष (Surplus) निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 8 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (राज्य) (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया
विद्युत क्रय लागत, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए (Power Purchase Cost including Inter State Transmission Charges)	33,759.57	32,510.99	36,468.97	35,347.97	39,039.14	37,674.53	41,633.49	40,125.88	44,077.09	43,240.23
राज्यान्तरिक प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार सम्मिलित करते हुए (Intra-State Transmission Charges including SLDC Charges)	4,256.41	4,250.24	4,338.73	4,332.00	4,512.28	4,415.33	4,692.77	4,500.28	4,880.49	4,586.86
संचालन तथा संधारण प्रभार (O&M Expenses)	5,497.35	5,131.80	6,117.96	5,677.81	7,080.55	6,563.49	7,695.84	7,089.51	8,281.81	7,602.73
अवक्षयण/अवमूल्यन (Depreciation)	1,921.03	727.36	2,154.99	820.78	2,508.00	939.78	2,851.28	1,039.37	3,055.49	1,099.41
ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)										
परियोजना ऋणों पर (On Project Loans)	948.82	968.31	1,042.48	1,149.13	1,184.69	1,406.70	1,243.88	1,601.36	1,167.89	1,670.65
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर (On Working Capital Loans)	138.57	151.61	131.34	131.05	147.36	148.80	158.54	158.75	171.27	169.40
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर (On Consumer Security Deposit)	211.65	161.44	232.40	178.28	254.09	195.90	276.78	214.32	300.51	233.59
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	793.61	821.12	845.92	874.17	891.48	920.14	928.19	957.24	958.94	988.30
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad & Doubtful Debts)	450.33	0.00	488.71	0.00	526.68	0.00	562.06	0.00	597.23	0.00
कुल स्वीकृत व्यय (Total Expenses	**47,977.33**	**44,722.88**	**51,821.50**	**48,511.19**	**56,144.26**	**52,264.67**	**60,042.83**	**55,686.70**	**63,490.71**	**59,591.17**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया	दावा किया गया	स्वीकार किया गया
Admitted)										
घटायें : अन्य आय+गैर टेरिफ आय (Less: Other income and Non -Tariff Income)	1,134.63	585.70	1,226.12	585.70	1,383.53	585.70	1,567.69	585.70	1,673.11	585.70
कुल स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता(Total ARR Admitted)	**46,842.70**	**44,137.17**	**50,595.38**	**47,925.49**	**54,760.72**	**51,678.97**	**58,475.14**	**55,101.00**	**61,817.60**	**59,005.46**
वर्तमान विद्युत–दर (टैरिफ) पर राजस्व की प्राप्ति (Revenue at Existing Tariff)	**44,957.44**	**44,789.92**	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान विद्युत–दर (टैरिफ) पर राजस्व अन्तर/अधिशेष) {Revenue Gap/ (Surplus) at Existing Tariff}	**1,885.26**	**(652.75)**	-	-	-	-	-	-	-	-

1.22 उपरोक्त तालिका से यह संज्ञान में लिया जा सकता है कि आयोग ने याचिकाकर्ता के वर्ष 2022–23 हेतु रू. 46.842.70 करोड़ के विरूद्ध एकल रूप से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Stand alone ARR) (पूर्व वर्षों के सत्यापन को छोड़कर) रू. 44,137.17 करोड़ स्वीकार की है। आयोग ने सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करते समय याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति की विस्तृत समीक्षा की है तथा उसके द्वारा बहुवर्षीय विद्युत–दर विनियम, 2021 (MYT Regulations, 2021) के प्रावधान के अनुसार केवल युक्तिसंगत व्ययों का ही अनुमोदन किया है। वास्तविक हानि पर विचार करने के बजाय, आयोग ने सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डीय हानि स्तर को ही स्वीकृति प्रदान की है ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अदक्षता (inefficiency) उपभोक्ता को अन्तरित न की जाए। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान विद्युत–दर के अनुसार राजस्व की राशि रू. 44,789.92 करोड़ है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु एकल आधार पर (Standalone basis) विद्युत वितरण कम्पनियों की राजस्व अधिशेष (revenue surplus) राशि रू. 652.75 करोड़ है जिसका परिणाम विद्युत–दर (टैरिफ) में कमी के रूप में परिलक्षित होता। तथापि, चूंकि विद्युत–दर (टैरिफ) तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) का अनुमोदन अनेक नियंत्रणीय (controllable) तथा अनियंत्रणीय (uncontrollable) कारकों पर निर्भर करता है, अतएव इसका विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन वास्तविक आधार पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होता है। आयोग ने हाल ही में मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन आदेश निम्नानुसार अनुमोदित किये हैं :

(i) विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत रू. 5341.13 करोड़ के दावे के विरूद्ध आदेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रू. 2030.92 करोड़ के राजस्व अंतर (Revenue Gap) का अनुमोदन।

(ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत रू. 35.32 करोड़ के दावे के विरूद्ध आदेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रू. 34.21 करोड़ के राजस्व अन्तर (Revenue Gap) का अनुमोदन।

(iii) विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत रू. 4981.94 करोड़ के दावे के विरूद्ध आदेश दिनांक 23 मार्च, 2022 के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रू. 225.75 करोड़ के राजस्व अंतर (Revenue Gap) का अनुमोदन।

(iv) मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रू. 453.38 करोड़ के दावे के विरूद्ध आदेश दिनांक 24 मार्च, 2022 के माध्यम से मप्र जनको का वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रू. 457.12 करोड़ के राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) का अनुमोदन।

1.23 तद्नुसार, चूंकि आयोग द्वारा उपरोक्त व्यय सम्यक रूप से तत्परतापूर्वक (due diligence) स्वीकार किये गये हैं, अतएव इस पर सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर का अनुमोदन करते समय विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस राशि की वसूली की जा सके। अतएव, उपरोक्त सत्यापन राशियों पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु, विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व अन्तर की गणना रू. 1181.01 करोड़ के रूप में की गई है। उपरोक्त राशि की वसूली करने के प्रयोजन हेतु, आयोग ने इस आदेश के अन्तर्गत याचिकाकर्ताओं के 8. 71% के दावे के विरूद्ध मात्र 2.64% की ही विद्युत–दर वृद्धि (tariff hike) स्वीकार की है।

1.24 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु, विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR), विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) और प्रस्तावित/स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 9 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा अनुमोदित विद्युत–दर पर राजस्व की गणना (राशि करोड़ रूपये)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
	दावा किये गये अनुसार	स्वीकृत	दावा किये गये अनुसार	स्वीकृत	दावा किये गये अनुसार	स्वीकृत	दावा किये किये अनुसार	स्वीकृत
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**12,946.51**	**11,788.09**	**19,909.68**	**18,419.29**	**13,986.51**	**13,929.80**	**46,842.70**	**44,137.17**
मप्र ट्रांसको का राजस्व अन्तर वित्तीय वर्ष 2019–20 का सत्यापन	-	10.05	-	12.34	-	11.82	-	34.21
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का राजस्व अन्तर वित्तीय वर्ष 2019–20 का सत्यापन	1,260.38	1,260.38	(482.17)	(482.17)	1,252.72	1,252.72	2,030.92	2,030.92
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का राजस्व अन्तर वित्तीय वर्ष 2020–21 का सत्यापन	-	63.91	-	87.45	-	74.39	-	225.75
मप्र जनको का राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष 2019–20 का सत्यापन	-	(130.60)	-	(164.47)	-	(162.05)	-	(457.12)
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (सत्यापन राशि को सम्मिलित करते हुए)	**14,206.89**	**12,991.83**	**19,427.51**	**17,872.43**	**15,239.23**	**15,106.68**	**48,873.63**	**45,970.94**
विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की गणना	13,065.70	12,657.10	17,865.65	17,414.16	14,026.09	14,718.66	44,957.44	44,789.92
विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व का अन्तर	**1,141.19**	**334.73**	**1,561.86**	**458.27**	**1,213.14**	**388.01**	**3,916.19**	**1,181.01**
प्रस्तावित विद्युत–दर पर राजस्व की गणना	14,206.89	12,992.03	19,427.51	17,872.71	15,239.23	15,106.91	48,873.63	45,971.64
प्रस्तावित विद्युत–दर पर राजस्व अन्तर/(अधिशेष)	**0.00**	**(0.20)**	**0.00**	**(0.28)**	**0.00**	**(0.23)**	**0.00**	**(0.71)**

1.25 आयोग यहां विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहता है कि आयोग ने सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR), खुदरा विद्युत–दर (Retail Tariff) का अनुमोदन करते समय भरसक सावधानी बरती है ताकि विद्युत वितरण कम्पनियों की अदक्षता राज्य के उपभोक्ताओं को अन्तरित न होने पाये। यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन में याचिकाकर्ता ने रू 4981.93 करोड़ के राजस्व अन्तर का दावा प्रस्तुत किया था। तथापि,

आयोग ने सम्यक रूप से युक्तिसंगता बरतते हुए तथा हितधारकों की टिप्पणियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तद्नुसार विद्युत वितरण कम्पनियों की अदक्षता के प्रति व्ययों को अस्वीकार करते हुए रू 225.75 करोड़[1] की राशि का राजस्व अन्तर ही स्वीकार किया है।

1.26 अतएव, अनुज्ञप्तिधारियों को सुसंबद्ध विनियमों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखने तथा निष्पादन मापदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। उन्हें मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्ययों तथा पूंजी पर प्रतिलाभ (Return of Equity) के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ अर्जित करने हेतु भी बढ़ावा दिया जाता है जो उपभोक्ताआ सेवाओं में सुधार हेतु बेहतर निष्पादन हेतु उपलब्ध है।

1.27 उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर सहायतानुदान (Tariff Subsidy) के प्रकरण में योग्य कार्यवाही जैसा कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में अधिदेशित है, का अनुपालन सभी संबंधितों को सुनिश्चित करना होगा तथा ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग तद्नुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जाएगी।

1.28 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार ईंधन लागत समायोजन (FCA) की त्रैमासिक आधार पर वसूली हेतु निर्दिष्ट क्रियाविधि को जारी रखा गया है ताकि इन्हें टैरिफ नीति की भावना के अनुरूप परिवर्तनीय प्रभारों में विषमताओं के कारण अनियन्त्रणीय लागतों को समयबद्ध रूप से समायोजित किया जा सके। आयोग ने नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Renewal Purchase Obligation-RPO) की पूर्ति बाबत सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपयुक्त प्रावधान भी किये हैं। याचिकाकर्ताओं को तद्नुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्रय आबंधों को परिपूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

1.29 माननीय एप्टेल (APTEL) द्वारा दिये गये निर्णय में प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये औसत बिलिंग दर (average billing rate) तथा विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अनुपात का अवधारण किया है। उल्लेखनीय है कि विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना हेतु लागत आंकड़ों/जानकारी को और आगे वैधीकरण किये जाने की आवश्यकता है ताकि एक युक्तियुक्त तथा सही वस्तुस्थिति ज्ञात की जा सके। इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत वांछित आकड़ों के अभाव में विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना मात्र निर्देशात्मक (indicative) प्रकृति की है।

आदेश का क्रियान्वयन (Implementation of the order)

1.30 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इस आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतानयोग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार–पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत–दरें तब तक प्रभावशील रहेंगी जब तक आयोग द्वारा किसी अन्य आदेश के माध्यम से इनमें संशोधन, विस्तार अथवा सुधार न कर दिया जाए।

---

[1] रू 1184 करोड़ की अनुपूरक विद्युत क्रय लागत को छोड़कर, जिस पर युक्तिसंगत परीक्षण के पश्चात् विचार किया जाएगा हेतु याचिकाकर्ता को पृथक याचिका दाखिल करनी होगी तथा जिस के संबंध में दावे को न्यायसंगत ठहराने हेतु उसे पर्याप्त विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

1.31 विस्तृत आदेश के अन्तर्गत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आधार तथा कारणों का प्रावधान किया गया है, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है एवं इसके अन्तर्गत एक अध्याय को भी सम्मिलित किया गया है जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्ताव पर हितधारकों से प्राप्त किये गये सुझावों/आपत्तियों/टिप्पणियों पर आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ–साथ विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रियाओं का संव्यवहार आयोग की अभ्युक्तियों को सम्मिलित करते हुए करता है। आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तों के साथ–साथ संलग्न अनुसूचियों के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त, इन आदेशों के माध्यम से विद्युत वितरण कम्पनियों को इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश तथा प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत–देयक (बिल) जारी किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
(गोपाल श्रीवास्तव)	**(मुकुल धारीवाल)**	**(एस.पी.एस. परिहार)**
सदस्य (विधि)	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

दिनांक : 31 मार्च, 2022
स्थान : भोपाल

ए 2 : याचिकाकर्ताओं हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement For Petitioners)

विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान (Sales Forecast)

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान (Sales Forecast as submitted by the Petitioners)

2.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये विक्रयों के प्रक्षेपण हेतु वार्षिक R-15 विवरण पत्रों के अनुसार पिछले चार वर्षों, वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के साथ–साथ माह अगस्त, 2021 तक के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित पुनरीक्षित प्राक्कलन के विक्रय के श्रेणीवार तथा खण्डवार (Slabwise) वास्तविक आंकडों, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित/संविदा भार, आदि के आंकड़ों पर भी विचार किया गया है।

2.2 पूर्व वर्ष में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु की गई प्रस्तुति (filing) में उनके द्वारा विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2019–20 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान तथा पूर्व में की गई प्रस्तुतियों के दौरान आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये आंकड़ों में वास्तविक विक्रय में भिन्नता थी। अतएव, याचिकाकर्ता यह महसूस करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु विद्युत विक्रय पूर्वानुमान को पुनरीक्षित करना तथा तत्पश्चात् नियन्त्रण अवधि हेतु विद्युत विक्रय को प्रक्षेपित किया जाना उचित होगा।

2.3 अनुसरण की जाने वाली पद्धति इस प्रकार है कि तृवर्षीय तथा द्विवर्षीय संयुक्त वार्षिक विकास दरों (Compound Annual Growth Rates) का एवं शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में प्रत्येक श्रेणी तथा उसकी उपश्रेणी हेतु वर्ष–दर–वर्ष का पृथक–पृथक विश्लेषण किया जाए। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण के बाद, श्रेणी उपश्रेणी संबंधी पूर्व संयुक्त विकास दरों (CAGRs) से भविष्यगामी उपभोक्ता पूर्वानुमानों हेतु उपयुक्त/युक्तियुक्त विकास दरें मानी गई हैं। विक्रय प्रति उपभोक्ता/विक्रय प्रति किलोवाट तथा संयोजित संयुक्त वार्षिक विकास दर का अनुप्रयोग प्रत्येक श्रेणी/उपश्रेणी में संयोजित भार तथा विक्रय का पूर्वानुमान करते समय किया गया है। विशिष्ट खपत का उपयोग अर्थात् खपत प्रति उपभोक्ता और/या प्रति यूनिट भार खपत एक आधारभूत पूर्वानुमान परिवर्ती (variable) है तथा इसका उपयोग व्यापक तौर पर भार तथा ऊर्जा विक्रय पूर्वानुमान के लिये किया जाता है। इस मॉडल के उपयोग में मूलभूत आशय यह है कि प्रति उपभोक्ता विशिष्ट खपत और/या प्रति यूनिट भार खपत एक वृद्धि चक्र (growth cycle) पर विद्युत के उपयोग में रूझानों तथा विषमताओं को निश्चित रूप से अभिग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस विधि की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी अनुशंसा की गई है।

2.4 इसके अतिरिक्त भी, याचिकाकर्ताओं ने इटारसी तथा कटनी के मध्य वर्तमान में अल्पविकसित गलियारे (Corridor) हेतु मांग–अनुसार (on-demand) विद्युत आपूर्ति हेतु रेलवे के साथ एक अनुबन्ध (contract) निष्पादित किया है। इटारसी–पिपरिया–बनखेड़ी–गाडरवारा के मध्य रेलवे लाईन का विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न हो जाने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु एक नवीन संयोजन का क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, गाडरवारा–करेली–कटनी के मध्य रेलवे लाईन का विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न हो जाने पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु एक नवीन विद्युत संयोजन का क्रियान्वयन किया जाना प्रत्याशित है। तद्नुसार, पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23, वित्तीय वर्ष 2023–24, वित्तीय वर्ष 2024–25, वित्तीय वर्ष 2025–26,

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु इस श्रेणी के अन्तर्गत लगभग प्रत्येक 55 मिलियन यूनिट विद्युत का विक्रय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है।

2.5 श्रेणीवार विद्युत विक्रय के विवरण, जैसा कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये हैं, निम्न तालिकाओं में दर्शाये गये हैं :

तालिका 10: राज्य हेतु नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	19,074	20,903	22,653	24,370	25,881
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	3,776	4,150	4,606	5,118	5,685
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	1,451	1,595	1,745	1,906	2,067
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	1,537	1,705	1,894	2,113	2,351
एलवी 5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	27,665	29,563	31,191	32,861	34,349
एलवी 6 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	3	3	3	3	4
निम्न दाब योग	**53,506**	**57,919**	**62,093**	**66,371**	**70,337**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	111	111	111	110	110
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	554	592	632	676	722
एचवी–3.1 : औद्योगिक	10,532	11,415	12,316	13,158	13,994
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	1,166	1,309	1,455	1,614	1,773
एचवी–4 : मौसमी तथा गैर–मौसमी	25	27	29	31	33
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	1584	1718	1871	2041	2236
एचवी–6 : थोक आवासीय उपभोक्ता	457	483	513	545	580
एचवी–7 : समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत	22	24	27	30	32
एचवी–8 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	6	7	7	8	8
उच्च दाब योग	**14,457**	**15,687**	**16,960**	**18,213**	**19,488**
सम्पूर्ण राज्य हेतु कुल विक्रय	**67,963**	**73,606**	**79,053**	**84,584**	**89,825**

तालिका 11 : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियन्त्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	6,405	7,057	7,616	8,191	8,590
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	1,417	1,598	1,801	2,030	2,288
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	421	451	484	515	549
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	498	572	656	754	867
एलवी 5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	7,185	7,544	7,921	8,317	8,733
एलवी 6 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	0	0	0	0	0
निम्न दाब योग	**15,926**	**17,222**	**18,478**	**19,808**	**21,028**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	55	55	55	55	55
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	527	564	603	645	690
एचवी–3.1 : औद्योगिक	2,716	2,947	3,157	3,304	3,458
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	264	309	348	391	441
एचवी–4 : मौसमी तथा गैर–मौसमी	12	14	16	18	20
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	189	213	242	275	313

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एचवी–6 : थोक आवासीय उपभोक्ता	275	298	323	351	381
एचवी–7 : समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत	1	1	1	1	1
एचवी–8 : ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	2	2	2	2	2
उच्च दाब योग	**4,041**	**4,403**	**4,746**	**5,042**	**5,362**
पूर्व क्षेत्र विविकं हेतु योग	**19,966**	**21,625**	**23,224**	**24,850**	**26,390**

तालिका 12 : पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियन्त्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	6,605	7,139	7,637	8,076	8,495
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	1,330	1,419	1,536	1,666	1,803
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	599	689	783	888	988
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	734	806	887	983	1,080
एलवी 5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	11,326	12,146	12,814	13,521	14,145
एलवी 6 : ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	1	1	1	1	1
निम्न दाब योग	**20,596**	**22,201**	**23,658**	**25,135**	**26,513**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	-	-	-	-	-
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	-	-	-	-	-
एचवी–3.1 : औद्योगिक	4,708	5,186	5,716	6,243	6,748
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	510	570	636	706	765
एचवी–4 : मौसमी तथा गैर–मौसमी	10	11	11	11	11
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	1105	1197	1301	1420	1555
एचवी–6 : थोक आवासीय उपभोक्ता	27	28	30	31	33
एचवी–7 : समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत	16	18	20	23	25
एचवी–8 : ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	1	1	1	2	2
उच्च दाब योग	**6,378**	**7,012**	**7,716**	**8,435**	**9,138**
पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु योग	**26,973**	**29,213**	**31,375**	**33,570**	**35,651**

तालिका 13 : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियन्त्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	6,064	6,707	7,401	8,103	8,796
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	1,029	1,133	1,270	1,422	1,594
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	431	455	478	503	530
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	305	327	351	376	404
एलवी 5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	9,154	9,871	10,456	11,023	11,471
एलवी 6 : ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	2	2	2	2	3
निम्न दाब योग	**16,985**	**18,496**	**19,957**	**21,431**	**22,798**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	55	55	55	55	55
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	27	28	29	31	32

विवरण		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एचवी–3.1 :	औद्योगिक	3,108	3,283	3,443	3,611	3,788
एचवी 3.2 :	गैर–औद्योगिक	392	430	471	517	567
एचवी–4 :	मौसमी तथा गैर–मौसमी	2	2	2	2	2
एचवी–5 :	सिंचाई, सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	290	308	327	346	368
एचवी–6 :	थोक आवासीय उपभोक्ता	155	157	160	163	166
एचवी–7 :	समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत	5	5	5	6	6
एचवी–8 :	ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	3	3	4	4	4
उच्च दाब योग		**4,038**	**4,272**	**4,497**	**4,736**	**4,991**
मध्य क्षेत्र विविकं हेतु योग		**21,024**	**22,769**	**24,454**	**26,166**	**27,788**

विक्रय पूर्वानुमान पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Sales Forecast)

2.6 आयोग ने यह पाया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नियन्त्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु) उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा विक्रय के प्रक्षेपण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह अगस्त तक) से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर निर्भर किया गया है। नियन्त्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा विक्रय के प्रक्षेपण हेतु आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह अगस्त तक) के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को उपयुक्त माना है। पूर्व के पांच वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आयोग ने संयोजित भार तथा प्रति यूनिट भार (किलोवाट) विक्रय और/या मांग (केवीए) तथा प्रति उपभोक्ता विक्रय के प्रक्षेपण हेतु प्रति उपभोक्ता वास्तविक संयोजित भार की गणना भी की है। कथित आंकड़ों के आधार पर विक्रय, संयोजित भार तथा उपभोक्ताओं की संख्या के प्रक्षेपण हेतु आयोग ने श्रेणीवार, उप–श्रेणीवार 4–वर्षीय संयुक्त वार्षिक विकास दर (CAGR), 3–वर्षीय संयुक्त वार्षिक विकास दर, 2–वर्षीय संयुक्त विकास दर तथा वर्ष–दर–वर्ष विकास दर का विश्लेषण किया है तथा इसकी तुलना प्रक्षेपणों हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा सुविचारित विकास दरों के साथ की है।

2.7 उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा विक्रय के प्रक्षेपण के बारे में आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण निम्नानुसार है :

- नियन्त्रण अवधि हेतु उपभोक्ताओं की संख्या का प्रक्षेपण विश्लेषित संयुक्त वार्षिक विकास दर (CAGR), के आधार पर किया गया है।
- संयोजित भार/संविदा मांग का प्रक्षेपण, संयोजित भार/संविदा मांग के विकास (growth) तथा नियन्त्रण अवधि हेतु प्रक्षेपित किये गये नवीन उपभोक्ताओं हेतु संयोजित भार/संविदा मांग में प्रत्याशित विकास पर विचार करते हुए किया गया है।
- विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु विक्रय का प्रक्षेपण, यथास्थिति, प्रति उपभोक्ता विक्रय में वृद्धि तथा प्रति संयोजित भार/संविदा मांग विक्रय पर विचार करते हुए तथा नियन्त्रण अवधि हेतु प्रक्षेपित किये गये नवीन उपभोक्ताओं हेतु प्रति उपभोक्ता विक्रय तथा प्रति संयोजित भार/संविदा मांग में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर किया गया है।
- एलवी–2, एलवी–4, एचवी–3 जैसी श्रेणियों में जिनके विक्रय वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के प्रकोप के कारण प्रभावित हुए थे, विकास दर, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आंकड़ों को छोड़कर, पर विचार किया गया है।
- अस्थाई संयोजनों जैसी उपश्रेणियों हेतु जहां विकास दरों में कोई विशेष रूझान नहीं देखा गया है, वहां याचिकाकर्ता के प्रक्षेपण अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा विक्रय पर विचार किया गया है।

- इस आदेश में अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये विक्रय की गणना आयोग द्वारा स्थाई अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं तथा अस्थाई अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु अनुमोदित मानदण्डों पर विचार करते हुए की गई है।
- श्रेणियों एलवी–6 तथा एचवी–8 (विद्युत वाहन एवं प्रभारण केन्द्र) हेतु चूंकि पूर्व वर्ष तक इस हेतु कोई उपभोक्ता उपलब्ध नहीं पाया गया है, ऐसे में उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा विक्रय को याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार प्रक्षेपित किया गया है।
- रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) की एचवी–1 श्रेणी हेतु संयोजनों की संख्या, संयोजित भार तथा विक्रय को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार माना गया है।
- पूर्व क्षेत्र विविकं के लिये कोयला खदानों की एचवी–2 श्रेणी हेतु विकास दर को याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार माना गया है जो विकासोत्तर आवंटन के अधीन भावी कोयला खदानों तथा विद्यमान कोयला खदानों हेतु संयोजित भार में वृद्धि पर आधारित है।
  याचिकाकर्ताओं के निवेदन के अनुसार कथित श्रेणी में मध्य क्षेविविकं हेतु उपभोक्ताओं की संख्या तथा संयोजित भार में वृद्धि प्रक्षेपित नहीं की गई है।
- एचवी–7 श्रेणी जो ग्रिड हेतु विद्युत उत्पादन समकालन से संबद्ध है, वृद्धि को याचिकाकर्ता के निवेदन के अनुसार माना गया है क्योंकि पूर्व वर्षों में कोई विशेष रूझान नहीं पाया गया है।

2.8 उपरोक्त दृष्टिकोण पर आधारित वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की नियन्त्रण अवधि हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत विक्रय निम्नानुसार है :

तालिका 14 : राज्य हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकार किये गये श्रेणीवार विक्रय (मिलियन यूनिट)

उपभोक्ता श्रेणियां		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 :	घरेलू	19,222.05	20,853.07	22,494.85	24,293.03	26,264.49
एलवी–2 :	गैर–घरेलू	3,886.05	4,266.28	4,692.94	5,172.74	5,713.49
एलवी–3 :	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	1,361.68	1,456.91	1,565.00	1,688.06	1,828.34
एलवी–4 :	निम्न दाब उद्योग	1,564.36	1,653.65	1,767.91	1,883.79	2,009.77
एलवी 5 :	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	28,395.22	29,834.58	31,361.30	32,978.18	34,688.64
एलवी 6 :	ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	2.62	2.98	3.38	3.84	4.36
निम्न दाब योग		**54,431.99**	**58,067.47**	**61,885.37**	**66,019.63**	**70,509.08**
एचवी–1 :	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	110.64	110.64	110.64	110.64	110.64
एचवी–2 :	कोयला खदानें (कोल माइन्स)	554.46	591.96	632.07	675.23	721.68
	एचवी–3.1 : औद्योगिक	8,540.21	9,258.47	10,056.37	10,867.18	11,695.11
	एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	907.79	981.75	1,062.11	1,150.44	1,233.09
	एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल	106.03	117.24	129.48	142.99	155.40
	एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग (पॉवर इन्सेंटिव इण्डस्ट्रीज)	2,065.42	2,244.10	2,427.72	2,613.31	2,799.37
एचवी–3 :	उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल	11,619.45	12,601.56	13,675.69	14,773.94	15,882.96
एचवी–4 :	मौसमी (सीजनल) तथा गैर–मौसमी (नॉन–सीजनल)	24.65	26.52	28.63	31.02	33.74
एचवी–5 :	सिंचाई, सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	1,605.57	1,754.72	1,921.21	2,107.29	2,315.54
एचवी–6 :	थोक आवासीय उपभोक्ता	426.50	429.17	431.98	434.94	438.07
एचवी–7 :	समकालन / प्रारंभिक विद्युत	22.11	24.39	26.75	29.38	32.33

उपभोक्ता श्रेणियां	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एचवी–8 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	6.26	6.82	7.44	8.13	8.90
उच्च दाब योग	**14,369.65**	**15,545.79**	**16,834.41**	**18,170.57**	**19,543.87**
राज्य (निम्न दाब+उच्च दाब) हेतु कुल विक्रय	**68,801.64**	**73,613.25**	**78,719.78**	**84,190.20**	**90,052.95**

तालिका 15 : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत श्रेणीवार विक्रय (मिलियन यूनिट)

उपभोक्ता श्रेणियां	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 : घरेलू	5,950.51	6,368.88	6,819.42	7,304.67	7,827.38
एलवी–2 : गैर–घरेलू	1,351.71	1,514.15	1,697.89	1,907.12	2,145.70
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	405.75	427.78	451.43	476.85	504.18
एलवी–4 : निम्न दाब उद्योग	460.43	495.51	535.57	580.26	630.14
एलवी 5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	7,397.28	7,842.08	8,313.94	8,814.57	9,345.80
एलवी 6 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08
निम्न दाब योग	**15,565.72**	**16,648.45**	**17,818.31**	**19,083.54**	**20,453.28**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	55.32	55.32	55.32	55.32	55.32
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	527.23	563.67	602.67	644.68	689.95
एचवी–3.1 : औद्योगिक	2,545.56	2,760.85	2,996.65	3,233.61	3,493.15
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	216.13	226.94	238.29	250.20	262.71
एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल	3.48	3.65	3.84	4.03	4.23
एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग (पॉवर इन्सेंटिव इण्डस्ट्रीज)	135.55	148.19	162.01	177.12	193.64
एचवी–3 : उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल	2,900.73	3,139.63	3,400.78	3,664.96	3,953.73
एचवी–4 : मौसमी तथा गैर–मौसमी	12.21	13.82	15.67	17.79	20.22
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	185.13	208.41	234.69	264.37	297.91
एचवी–6 : थोक आवासीय उपभोक्ता	247.99	249.27	250.60	251.98	253.41
एचवी–7 : समकालन/प्रारंभिक विद्युत	0.99	1.04	1.09	1.15	1.20
एचवी–8 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	2.10	2.18	2.28	2.38	2.49
उच्च दाब योग	**3,931.69**	**4,233.35**	**4,563.11**	**4,902.63**	**5,274.24**
पूर्व क्षेविविकं (निम्न दाब+उच्च दाब) हेतु योग	**19,497.42**	**20,881.80**	**22,381.42**	**23,986.17**	**25,727.52**

तालिका 16 : पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत श्रेणीवार विक्रय (मिलियन यूनिट)

उपभोक्ता श्रेणियां	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	6,637.93	7,225.31	7,756.43	8,332.61	8,958.00
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	1,416.71	1,521.97	1,636.28	1,760.53	1,895.71
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	524.95	574.12	631.79	699.59	779.22
एलवी–4 : निम्न दाब उद्योग	742.06	779.26	818.63	860.20	904.09
एलवी 5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	11,367.49	11,920.76	12,501.39	13,110.74	13,750.23
एलवी 6 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	0.94	1.04	1.16	1.28	1.42
निम्न दाब योग	**20,690.08**	**22,022.46**	**23,345.68**	**24,764.95**	**26,288.66**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एचवी–3.1 : औद्योगिक	3,213.89	3,545.16	3,924.96	4,305.25	4,668.11
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	417.65	457.00	499.90	547.65	586.34

उपभोक्ता श्रेणियां		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
	एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल	54.75	61.15	68.13	75.85	81.91
	एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग (पॉवर इन्सेंटिव इण्डस्ट्रीज)	1,493.40	1,643.38	1,796.11	1,948.47	2,098.75
एचवी–3 :	उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल	5,179.69	5,706.69	6,289.10	6,877.23	7,435.10
एचवी–4 :	मौसमी तथा गैर–मौसमी	10.39	10.56	10.74	10.92	11.10
एचवी–5 :	सिंचाई, सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	1,105.39	1,198.39	1,302.07	1,417.84	1,547.37
एचवी–6 :	थोक आवासीय उपभोक्ता	25.37	25.70	26.06	26.48	26.94
एचवी–7 :	समकालन / प्रारंभिक विद्युत	16.26	18.10	20.17	22.50	25.13
एचवी–8 :	ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	1.12	1.28	1.48	1.70	1.95
उच्च दाब योग		**6,338.21**	**6,960.72**	**7,649.62**	**8,356.67**	**9,047.59**
पश्चिम क्षेविविकं (निम्न दाब+उच्च दाब) हेतु योग		**27,028.30**	**28,983.18**	**30,995.30**	**33,121.61**	**35,336.25**

तालिका 17 : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत श्रेणीवार विक्रय (मिलियन यूनिट)

उपभोक्ता श्रेणियां		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एलवी–1 :	घरेलू	6,633.61	7,258.88	7,919.00	8,655.75	9,479.11
एलवी–2 :	गैर–घरेलू	1,117.64	1,230.16	1,358.77	1,505.09	1,672.08
एलवी–3 :	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	430.98	455.01	481.77	511.62	544.94
एलवी–4 :	निम्न दाब उद्योग	361.87	378.88	413.70	443.33	475.54
एलवी 5 :	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	9,630.45	10,071.75	10,545.97	11,052.87	11,592.61
एलवी 6 :	ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	1.63	1.88	2.16	2.48	2.86
निम्न दाब योग		**18,176.18**	**19,396.56**	**20,721.38**	**22,171.14**	**23,767.14**
एचवी–1 :	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	55.32	55.32	55.32	55.32	55.32
एचवी–2 :	कोयला खदानें (कोल माईन्स)	27.23	28.29	29.40	30.54	31.73
	एचवी–3.1 : औद्योगिक	2,780.76	2,952.46	3,134.76	3,328.33	3,533.86
	एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	274.01	297.81	323.93	352.59	384.04
	एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल	47.80	52.43	57.52	63.11	69.26
	एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग (पॉवर इन्सेंटिव इण्डस्ट्रीज)	436.47	452.54	469.60	487.72	506.97
एचवी–3 :	उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल	3,539.04	3,755.24	3,985.81	4,231.75	4,494.13
एचवी–4 :	मौसमी तथा गैर–मौसमी	2.05	2.14	2.23	2.32	2.42
एचवी–5 :	सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग	315.05	347.92	384.45	425.07	470.27
एचवी–6 :	थोक आवासीय उपभोक्ता	153.15	154.20	155.31	156.49	157.72
एचवी–7 :	समकालन / तथा प्रारंभिक विद्युत	4.86	5.25	5.49	5.73	5.99
एचवी–8 :	ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	3.04	3.35	3.68	4.05	4.46
उच्च दाब योग		**4,099.75**	**4,351.71**	**4,621.68**	**4,911.27**	**5,222.04**
मध्य क्षेविविकं. (निम्न दाब+उच्च दाब) हेतु योग		**22,275.93**	**23,748.27**	**25,343.06**	**27,082.41**	**28,989.17**

ऊर्जा सन्तुलन (Energy Balance)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.9 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की नियन्त्रण अवधि हेतु ऊर्जा की आवश्यकता के प्रक्षेपण हेतु वार्षिक विक्रय को पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, वित्तीय वर्ष 2020–21 को सम्मिलित करते हुए वास्तविक रूप से पायी

गयी विक्रय रूपरेखा (profile) के उपयोग द्वारा मासिक विक्रय में परिवर्तित कर दिया गया है।

2.10 इसके अतिरिक्त, आयोग ने बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 (MYT Regulations, 2021) में वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मानदण्डीय वितरण हानि स्तर (normative distribution loss level) निर्दिष्ट किया है। पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु वास्तविक हानियां क्रमशः 29.19%, 12.71% तथा 28.69% पाई गई हैं। तथापि, वर्तमान याचिका हेतु याचिकाकर्ताओं ने ऊर्जा की आवश्यकता की गणना हेतु मानदण्डीय वितरण हानियां बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार मानी हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान संचयी (Cumulative) वार्षिक हानियों से मासिक हानियों के मानक विचलन (Standard Deviation) के आधार पर वार्षिक वितरण हानि प्रक्षेपवक्र (trajectory) को मासिक हानि प्रक्षेपवक्र में परिवर्तित कर दिया गया है। इस विधि में विद्युत वितरण कम्पनियों के पूर्व वर्षों का वास्तविक मासिक हानि स्तर तथा संचयी वार्षिक हानियां प्राप्त की गई हैं तथा प्रत्येक माह हेतु संचयी वार्षिक औसत से हानि स्तरों के मानक विचलन की गणना की गई है। तत्पश्चात्, मासिक विचलनों का उपयोग वार्षिक मप्रविनिआ हानि स्तर प्रक्षेप वक्र के प्रयोग द्वारा मासिक हानि स्तरों की गणना हेतु किया गया है।

2.11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नियन्त्रण अवधि हेतु राज्यान्तरिक पारेषण हानियों का स्तर वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 2.59% माना गया है जैसा कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की नियन्त्रण अवधि के लिये अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु तथा अन्तिम 52 सप्ताह गतिशील (moving) औसत हानियों (दिनांक 1 नवम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक) की वास्तविक हानियों पर विचार करते हुए की गई है।

2.12 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियन्त्रण अवधि हेतु ऊर्जा की आवश्यकता का प्रक्षेपण मानदण्डीय वितरण हानियों तथा प्रक्षेपित पारेषण हानियों द्वारा प्रक्षेपित विक्रय को सकलबद्ध करते हुए किया गया है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 18 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)

विवरण	यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविंक	सम्पूर्ण राज्य
निम्न दाब	मिलियन यूनिट	15,926	20,596	16,985	53,506
उच्च दाब	मिलियन यूनिट	4,041	6,378	4,038	14,457
विक्रय	**मिलियन यूनिट**	**19,966**	**26,973**	**21,024**	**67,963**
वितरण हानि	%	15.75%	14.75%	16.75%	16.10%
वितरण हानि	मिलियन यूनिट	3,703	5,070	4,264	13,037
विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	23,669	32,044	25,287	81,000
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	मिलियन यूनिट	629	852	672	2,154
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	24,299	32,896	25,959	83,154
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%
उत्तरी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.29%	3.29%	3.29%	3.29%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.43%	3.43%	3.43%	3.43%
बाह्य हानियां	मिलियन यूनिट	447	603	475	1,525
एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता	**मिलियन यूनिट**	**24,746**	**33,498**	**26,435**	**84,679**

तालिका 19 : वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)

विवरण	यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविंक	सम्पूर्ण राज्य
निम्न दाब	मिलियन यूनिट	17,221	22,201	18,496	57,919
उच्च दाब	मिलियन यूनिट	4,403	7,012	4,272	15,687
विक्रय	**मिलियन यूनिट**	**21,625**	**29,213**	**22,769**	**73,606**
वितरण हानि	%	15.50%	14.50%	16.50%	15.84%
वितरण हानि	मिलियन यूनिट	3,933	5,387	4,535	13,855
विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	25,558	34,600	27,303	87,461
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	मिलियन यूनिट	680	920	726	2,325
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	26,237	35,520	28,029	89,787
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%
उत्तरी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.29%	3.29%	3.29%	3.29%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.43%	3.43%	3.43%	3.43%
बाह्य हानियां	मिलियन यूनिट	465	627	494	1,587
एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता	**मिलियन यूनिट**	**26,702**	**36,147**	**28,524**	**91,373**

तालिका 20 : वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)

विवरण	यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविंक	सम्पूर्ण राज्य
निम्न दाब	मिलियन यूनिट	18,478	23,658	19,957	62,093
उच्च दाब	मिलियन यूनिट	4,746	7,716	4,497	16,960
विक्रय	**मिलियन यूनिट**	**23,224**	**31,375**	**24,454**	**79,053**
वितरण हानि	%	15.25%	14.25%	16.25%	15.59%
वितरण हानि	मिलियन यूनिट	4,144	5,675	4,782	14,601
विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	27,368	37,050	29,236	93,654
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	मिलियन यूनिट	728	985	777	2,490
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	28,096	38,035	30,013	96,144
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%
उत्तरी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.29%	3.29%	3.29%	3.29%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.43%	3.43%	3.43%	3.43%
बाह्य हानियां	मिलियन यूनिट	490	658	521	1,669
एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता	**मिलियन यूनिट**	**28,586**	**38,693**	**30,534**	**97,813**

तालिका 21 : वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)

विवरण	यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविंक	सम्पूर्ण राज्य
निम्न दाब	मिलियन यूनिट	19,808	25,135	21,431	66,373
उच्च दाब	मिलियन यूनिट	5,042	8,435	4,736	18,213
विक्रय	**मिलियन यूनिट**	**24,850**	**33,570**	**26,166**	**84,587**
वितरण हानि	%	15.00%	14.00%	16.00%	15.34%
वितरण हानि	मिलियन यूनिट	4,347	5,955	5,022	15,325
विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	29,197	39,526	31,189	99,912

विवरण	यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	मिलियन यूनिट	776	1,051	829	2,657
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	29,974	40,577	32,018	1,02,568
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%
उत्तरी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.29%	3.29%	3.29%	3.29%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.43%	3.43%	3.43%	3.43%
बाह्य हानियां	मिलियन यूनिट	512	688	545	1,745
एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता	**मिलियन यूनिट**	**30,485**	**41,265**	**32,563**	**1,04,313**

तालिका 22 : वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)

विवरण	यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
निम्न दाब	मिलियन यूनिट	21,028	26,513	22,798	70,339
उच्च दाब	मिलियन यूनिट	5,362	9,138	4,991	19,491
विक्रय	**मिलियन यूनिट**	**26,390**	**35,651**	**27,788**	**89,830**
वितरण हानि	%	14.75%	13.75%	15.75%	15.09%
वितरण हानि	मिलियन यूनिट	4,526	6,201	5,235	15,962
विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	30,916	41,852	33,024	1,05,792
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	%	2.59%	2.59%	2.59%	2.59%
राज्यान्तरिक पारेषण हानियां	मिलियन यूनिट	822	1,113	878	2,813
राज्य की सीमा पर ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	31,738	42,965	33,902	1,08,605
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%
उत्तरी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.29%	3.29%	3.29%	3.29%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां	%	3.43%	3.43%	3.43%	3.43%
बाह्य हानियां	मिलियन यूनिट	537	722	572	1,830
एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता	**मिलियन यूनिट**	**32,276**	**43,686**	**34,473**	**1,10,435**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.13 ऊर्जा को आवश्यकता की कुल मात्रा की प्राप्ति हेतु आयोग ने वार्षिक विक्रय द्वारा अनुवर्ती अनुच्छेदों (paragraphs)/तालिकाओं में दर्शाई गई गणनाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट हानि स्तरों द्वारा वास्तविक हानियों की सकलबद्धता पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, नियन्त्रण अवधि हेतु मासिक ऊर्जा आवश्यकता की गणना हेतु मासिक विक्रय रूपरेखा को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण के समान माना गया है जो पिछले पांच वर्षों की वास्तविक विक्रय रूपरेखा पर आधारित है।

2.14 बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट वितरण हानि स्तर प्रक्षेपवक्र निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 23 : विनियमों के अनुसार हानि लक्ष्य (प्रतिशत में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	15.75%	15.50%	15.25%	15.00%	14.75%
पश्चिम	14.75%	14.50%	14.25%	14.00%	13.75%
मध्य	16.75%	16.50%	16.25%	16.00%	15.75%

2.15 आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु ऊर्जा की आवश्यकता के प्रक्षेपण हेतु बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट वितरण हानियों पर विचार किया है। आयोग ने

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार मासिक हानियों में किसी विचलन पर विचार नहीं किया वरन् बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय हानियों पर विचार किया है।

2.16 इसके अतिरिक्त, आयोग ने अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों पर अखिल भारतीय औसत आधार पर माह अप्रैल, 2021 से माह मार्च, 2022 (52 सप्ताह के आंकड़े) की अवधि पर विचार करते हुए मासिक वास्तविक पीजीसीआईएल हानियों के अनुसार किया है।

2.17 राज्यान्तरिक पारेषण हानियां वित्तीय वर्ष 2020–21 की वास्तविक हानियों के अनुसार मानी गई हैं, अर्थात् 2.62% जैसा कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु विनियामक अनुपालन (regulatory compliance) के वार्षिक प्रतिवेदन में इसे प्रस्तुत किया है।

2.18 नियन्त्रण अवधि हेतु ऊर्जा सन्तुलन/ऊर्जा आवश्यकता की गणना स्वीकृत विक्रय तथा मानदण्डीय हानियों के आधार पर की गई है जैसा कि इसे निम्न तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 24 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)	19,497.42	27,028.30	22,275.93	68,801.64
वितरण हानि (प्रतिशत)	15.75%	14.75%	16.75%	15.69%
वितरण हानि (मिलियन यूनिट)	3,644.92	4,676.45	4,481.94	12,803.31
पारेषण–वितरण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	23,142.34	31,704.75	26,757.87	81,604.96
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (प्रतिशत)	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (मिलियन यूनिट)	622.64	853.01	719.92	2,195.57
उत्पादन–पारेषण अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	23,764.98	32,557.76	27,477.79	83,800.53
अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (मिलियन यूनिट)	537.20	744.69	613.75	1,895.65
वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत क्रय आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	**24,302.18**	**33,302.46**	**28,091.54**	**85,696.18**

तालिका 25 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)	20,881.80	28,983.18	23,748.27	73,613.25
वितरण हानि (प्रतिशत)	15.50%	14.50%	16.50%	15.44%
वितरण हानि (मिलियन यूनिट)	3,830.39	4,915.28	4,692.77	13,438.44
पारेषण–वितरण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	24,712.19	33,898.46	28,441.04	87,051.69
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (प्रतिशत)	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (मिलियन यूनिट)	664.88	912.03	765.20	2,342.12
उत्पादन–पारेषण अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	25,377.07	34,810.49	29,206.24	89,393.81
अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (मिलियन यूनिट)	644.79	894.95	733.31	2,273.05
वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विद्युत क्रय आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	**26,021.87**	**35,705.45**	**29,939.55**	**91,666.86**

तालिका 26 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)	22,381.42	30,995.30	25,343.06	78,719.78
वितरण हानि (प्रतिशत)	15.25%	14.25%	16.25%	15.19%
वितरण हानि (मिलियन यूनिट)	4,027.33	5,150.82	4,917.31	14,095.47
पारेषण–वितरण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	26,408.75	36,146.12	30,260.37	92,815.25
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (प्रतिशत)	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (मिलियन यूनिट)	710.53	972.51	814.15	2,497.19
उत्पादन–पारेषण अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	27,119.28	37,118.63	31,074.52	95,312.44
अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (मिलियन यूनिट)	666.90	925.64	758.45	2,350.99
वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विद्युत क्रय आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	**27,786.18**	**38,044.27**	**31,832.97**	**97,663.42**

तालिका 27 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)	23,986.17	33,121.61	27,082.41	84,190.20
वितरण हानि (प्रतिशत)	15.00%	14.00%	16.00%	14.94%
वितरण हानि (मिलियन यूनिट)	4,232.85	5,391.89	5,158.55	14,783.30
पारेषण–वितरण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	28,219.03	38,513.51	32,240.96	98,973.50
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (प्रतिशत)	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (मिलियन यूनिट)	759.23	1,036.20	867.44	2,662.87
उत्पादन–पारेषण अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	28,978.26	39,549.71	33,108.40	1,01,636.37
अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (मिलियन यूनिट)	680.69	944.77	774.13	2,399.60
वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु विद्युत क्रय आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	**29,658.95**	**40,494.48**	**33,882.53**	**1,04,035.97**

तालिका 28 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत ऊर्जा की आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट)	25,727.52	35,336.25	28,989.17	90,052.95
वितरण हानि (प्रतिशत)	14.75%	13.75%	15.75%	14.69%
वितरण हानि (मिलियन यूनिट)	4,451.39	5,633.32	5,419.34	15,504.05
पारेषण–वितरण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	30,178.91	40,969.57	34,408.52	1,05,556.9
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (प्रतिशत)	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%
राज्यान्तरिक पारेषण हानि (मिलियन यूनिट)	811.96	1,102.28	925.76	2,840.00
उत्पादन–पारेषण अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) पर आहरित यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	30,990.87	42,071.85	35,334.27	1,08,396.9
अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (मिलियन यूनिट)	983.13	1,364.55	1,118.08	3,465.76
वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत क्रय आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	**31,973.99**	**43,436.40**	**36,452.36**	**1,11,862.7**

ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन (Assessment of Energy Availablilty)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.19 याचिकाकर्ताओं ने राज्य हेतु ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन निम्न कारकों के आधार पर किया है :

(क) मध्यप्रदेश राज्य की विद्यमान चालू दीर्घकालीन आवंटित विद्युत उत्पादन क्षमता

(ख) नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 के दौरान मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी, केन्द्रीय क्षेत्र, संयुक्त उपक्रम तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन द्वारा निजी क्षेत्र के उद्यमियों के माध्यम से जुड़ने वाली नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताएं

(ग) पश्चिमी क्षेत्र (WR), पूर्वी क्षेत्र (ER) तथा उत्तरी क्षेत्र (NR) की उत्पादन क्षमता के आवंटन का प्रभाव

2.20 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने आंकड़ा अन्तर (data gaps) से संबंधित पृच्छा के प्रत्युत्तर में ऊर्जा उपलब्धता के पूर्वानुमान हेतु निम्न दृष्टिकोण पर विचार किया है :–

(क) वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की नियंत्रण अवधि के दौरान नवीन विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धियों पर विद्युत क्रय अनुबन्धों के अनुसार।

(ख) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से मध्यप्रदेश राज्य को विद्युत का आवंटन क्षेत्रीय विद्युत समितियों (Regional Power Committees) तथा संबद्ध कार्यालय के साथ धारित सम्प्रेषण के अनुसार है।

(ग) विभिन्न संयन्त्रों हेतु चयनित संयन्त्र उपलब्धता कारक (Plant Availability Factor-PAF) तथा क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity utilization Factor-CUF) निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :–

(i) मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी के ताप विद्युत संयन्त्रों (Thermal plants) के संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAF) पर पूर्व रूझान के अनुसार।

(ii) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों के संयन्त्र उपलब्धता कारक कोयला आधारित ताप विद्युत संयन्त्रों हेतु 85% तथा गैस आधारित विद्युत संयन्त्रों हेतु 60% माने गये हैं।

(iii) स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) हेतु सयंन्त्र उपलब्धता कारक (PAF) 85% माने गये हैं, केवल बीएलए पावर को छोड़कर जिसे 75% माना गया है।

(iv) सौर विद्युत संयन्त्रों हेतु क्षमता उपयोगिता कारक (CUF) 21% माना गया है तथा गैर–सौर विद्युत संयन्त्रों हेतु 21.50% माना गया है।

(v) समस्त नवीन ताप विद्युत उत्पादन संयन्त्रों हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAF) 85% माना गया है।

(vi) जल विद्युत की उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन है जो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है। तद्नुसार रूपांकन ऊर्जा हेतु असामान्य विषमताओं की अवहेलना करते हुए उपयुक्त गुणन कारक (multiplying factor) पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के अनुसार माना गया है।

(vii) नवीकरणीय विद्युत–क्रय आबन्ध (RPO) को मप्रविनिआ के विनियमों के अनुसार माना गया है।

(viii) नवीन ताप विद्युत इकाईयों की क्रियाशील होने की तिथि (COD) सम्बद्ध विकासकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार मानी गयी है।

2.21 केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों (सेन्ट्रल सेक्टर स्टेशनों) से मध्यप्रदेश राज्य को विद्युत का आवंटन पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (WRPC) द्वारा उनके पत्र क्रमांक WRPC/Comml-I/6/Alloc /2020/9876 दिनांक 6 नवम्बर, 2020 तथा पूर्वी क्षेत्र एनटीपीसी कहलगांव–2 से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5/31/2006 दिनांक 21 फरवरी, 2007 के अनुसार तथा उत्तरी क्षेत्र से उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (NRPC) के पत्र क्रमांक NRPC/OPR/103/02/2020/6084/6111 दिनांक 25 जून 2020 तथा उनके संबद्ध कार्यालय द्वारा धारित सम्प्रेषण के अनुसार किया गया है।

2.22 मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी ने पूर्व ही से दामोदर घाटी परियोजना (दाघाप) के मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (MTPS) तथा चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र (CTPS) से 400 मेगावाट तथा 100 मेगावाट, दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र (DTPS) संबंधी विद्युत क्रय अनुबन्ध को क्रमशः एक मार्च, 2018 तथा 15 मई, 2017 से निरस्त करने का निर्णय लिया है। अतएव कथित दिनांक के पश्चात् इन केन्द्रों से किसी भी विद्युत मात्रा को अनुसूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय ऐसे संयन्त्रों की लागत के बारे में विचार नहीं किया गया है। तथापि, यदि दाघाप के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPAs) वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि के दौरान प्रभावशील रहते हैं तो मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी को इन केन्द्रों के लिये स्थाई प्रभारों का भुगतान करने की बाध्यताभी होगी।

2.23 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सुयोग्यता क्रम प्रेषण (MOD) के अनुपालन उपरान्त एस्सार, बीएलए तथा सुजेन टोरेंट के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत–दर की प्राप्ति की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 के विद्युत–दर आदेश में इन संयन्त्रों से विद्युत की उपलब्धता तथा लागत पर विचार नहीं किया गया था। इन संयन्त्रों से किये गये विद्युत क्रय व्यय को वित्तीय वर्ष 2021–22 के सत्यापन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु इन संयन्त्रों से विद्युत की उपलब्धता पर विचार किया गया है क्योंकि इन संयन्त्रों के साथ निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्ध अभी भी प्रभावशील हैं।

2.24 नवीन केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत उत्पादन केन्द्र जो वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने जा रहे हैं, की सूची निम्नानुसार है :

तालिका 29 : भविष्यगामी विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा तकनीकी मापदण्ड

सरल क्रमांक	विवरण	क्षमता (मेगावाट)	मध्यप्रदेश राज्य अंशदान		ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	क्रियाशील होने की तिथि (COD)
			(%)	(मेगावाट)		
1	एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई 1	1x250	5%	13	73	जून, 2023
2	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–III	1x800	8%	64	361	सितम्बर,2024
3	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–IV	1x800	8%	64	361	मार्च,2025
4	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–V	1x800	8%	64	440	दिसम्बर,2025
5	डीबी पावर एसटीपीएस–इकाई–I	1x660	38%	248	320	अक्टूबर, 2022
6	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई–I	1x660	100%	660	889	दिसम्बर, 2026
7	**योग**	**3,970**		**1,112**		

2.25 निम्न तालिका आवंटित विद्यमान विद्युत केन्द्रों (Stations) के साथ–साथ नवीन क्षमता परिवर्धन की सूची, जिनका नियन्त्रण अवधि के दौरान परिचालित हो जाना अपेक्षित है, दर्शाती है :

तालिका 30 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों की सूची

सरल क्रमांक	स्त्रोत	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
			मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)
1	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	210	100%	210	100%	210	100%	210	100%	210	100%	210
2	सतपुड़ा टीपीएस फेज–II तथा III	840	99%	830	99%	830	99%	830	99%	830	99%	830
3	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500
4	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	840	100%	840	100%	840	100%	840	100%	840	100%	840
5	एसजीटीपीएस फेज–III	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500
6	श्रीसिंगाजी एसटीपीएस फेज–I	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200
7	श्रीसिंगाजी एसटीपीएस फेज–II	1320	100%	1320	100%	1320	100%	1320	100%	1320	100%	1320
A	**योग (मप्र जनको ताप–मप्र राज्य का अंशदान)**	**5410**	**100%**	**5400**	**100%**	**5400**	**100%**	**5400**	**100%**	**5400**	**100%**	**5400**
8	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90
9	बाणसागर फेज–I एचपीएस (टोंस)	315	100%	315	100%	315	100%	315	100%	315	100%	315
10	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30
11	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60
12	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20
13	बिरसिंहपुर एचपीएस	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20
14	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60
15	राजघाट एचपीएस	45	50%	23	50%	23	50%	23	50%	23	50%	23
16	गांधीसागर एचपीएस	115	50%	58	50%	58	50%	58	50%	58	50%	58
17	राणाप्रताप सागर एचपीएस	172	50%	86	50%	86	50%	86	50%	86	50%	86
18	जवाहर सागर एचपीएस	99	50%	50	50%	50	50%	50	50%	50	50%	50
19	पेंच एचपीएस	160	67%	107	67%	107	67%	107	67%	107	67%	107
B	**योग (मप्र जनको जल विद्युत)**	**1186**	**77%**	**917**	**77%**	**917**	**77%**	**917**	**77%**	**917**	**77%**	**917**
20	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000	100%	1000
21	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	520	100%	520	100%	520	100%	520	100%	520	100%	520

सरल क्रमांक	स्त्रोत	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
			मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)
22	नधाविप्रा सरदार सरोवर एचपीएस	1450	57%	827	57%	827	57%	827	57%	827	57%	827
23	रिहन्द एचपीएस	300	15%	45	15%	45	15%	45	15%	45	15%	45
24	माताटीला एचपीएस	31	33%	10	33%	10	33%	10	33%	10	33%	10
25	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	412	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
26	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	1500	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
27	टेहरी एचपीएस	1000	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
28	कोटेश्वर एचपीपी	400	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
29	एनएचपीसी पार्बती III	520	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
30	एनएचपीसी चमेरा II	300	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
31	एनएचपीसी चमेरा III	231	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
32	एनएचपीसी दुलहस्ती	390	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
33	एनएचपीसी धौलीगंगा	280	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
34	एनएचपीसी सेवा II	120	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
35	एनएचपीसी उरी II	240	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
36	एनएचपीसी किशनगंगा	330	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
37	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	800	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
38	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	8	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
39	एनएचपीसी–निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–I	250	5%	13	5%	13	5%	13	5%	13	5%	13
C	**योग (संयुक्त उपक्रम जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत)**	**10082**	**24%**	**2427**	**24%**	**2427**	**24%**	**2427**	**24%**	**2427**	**24%**	**2427**
40	एनटीपीसी कोरबा	2100	23%	473	23%	473	23%	473	23%	473	23%	473
41	एनटीपीसी कोरबा III	500	14%	72	14%	72	14%	72	14%	72	14%	72
42	एनटीपीसी विंध्याचल I	1260	35%	435	35%	435	35%	435	35%	435	35%	435
43	एनटीपीसी विंध्याचल II	1000	31%	312	31%	312	31%	312	31%	312	31%	312
44	एनटीपीसी विंध्याचल III	1000	24%	239	24%	239	24%	239	24%	239	24%	239

सरल क्रमांक	स्त्रोत	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
			मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)
45	एनटीपीसी विंध्याचल। V	1000	28%	275	28%	275	28%	275	28%	275	28%	275
46	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई–I	500	27%	137	27%	137	27%	137	27%	137	27%	137
47	एनटीपीसी सीपत I	1980	16%	320	16%	320	16%	320	16%	320	16%	320
48	एनटीपीसी सीपत II	1000	18%	181	18%	181	18%	181	18%	181	18%	181
49	एनटीपीसी मौदा I	1000	2%	19	2%	19	2%	19	2%	19	2%	19
50	एनटीपीसी मौदा II इकाई I	1320	2%	24	2%	24	2%	24	2%	24	2%	24
51	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस	1320	24%	321	24%	321	24%	321	24%	321	24%	321
52	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	800	52%	415	52%	415	52%	415	52%	415	52%	415
53	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–I	800	11%	89	11%	89	10%	76	8%	64	8%	64
54	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I तथा II	1320	52%	685	52%	685	52%	685	52%	685	52%	685
55	एनटीपीसी कवास जीपीपी	656	21%	140	21%	140	21%	140	21%	140	21%	140
56	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	657	18%	117	18%	117	18%	117	18%	117	18%	117
57	केएपीपी काकरापार	440	25%	111	25%	111	25%	111	25%	111	25%	111
58	टीएपीपी तारापुर	1080	21%	231	21%	231	21%	231	21%	231	21%	231
59	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई 2	800	52%	415	52%	415	52%	415	52%	415	52%	415
60	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई II	800	11%	89	11%	89	10%	76	8%	64	8%	64
61	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई III	800	0%		0%	0	10%	76	8%	64	8%	64
62	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई IV	800	0%		0%	0	10%	76	8%	64	8%	64
63	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई V	800	0%		0%	0	0%		8%	64	8%	64
D	**योग पश्चिमी क्षेत्र (WR)**	**23,733**	**21%**	**5,100.56**	**21%**	**5,100.51**	**22%**	**5,228.16**	**22%**	**5,242**	**22%**	**5,242.02**
64	एनटीपीसी कहलगांव II	1500	5%	74	5%	74	5%	74	5%	74	5%	74
E	**योग पूर्वी क्षेत्र (ER)**	**1500.00**	**5%**	**74.00**	**5%**	**74.00**	**5%**	**74.00**	**5%**	**74.00**	**5%**	**74.00**
65	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	663	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
66	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	830	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2

सरल क्रमांक	स्त्रोत	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
			मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)
67	एनटीपीसी अंता जीपीपी	419	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
68	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	420	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
69	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	420	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
70	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	210	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
71	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	500	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
72	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस I	1000	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
73	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस II	1000	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
74	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस III	1000	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
75	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	980	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
76	एनटीपीसी सिंगरौली	2000	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
77	एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	1500	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2
78	मेजा ऊर्जा निगम	660	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
79	एनटीपीसी टाण्डा	660	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
80	एनटीपीसी बदरपुर	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
81	राजस्थान (एनपीसीआईएल)	440	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
82	नरोरा (एनपीसीआईएल)	440	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1
F	**योग उत्तरी क्षेत्र (NR)**	**13142**	**0%**	**27**	**0%**	**27**	**0%**	**27**	**0%**	**27**	**0%**	**27**
83	टोरेंट पावर	1148	4%	50	4%	50	4%	50	4%	50	4%	50
84	बीएलए पावर, इकाई–I तथा II	90	35%	32	35%	32	35%	32	35%	32	35%	32
85	जेपी बीना पावर	500	70%	350	70%	350	70%	350	70%	350	70%	350
86	लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई I	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300
87	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	3960	38%	1485	38%	1485	38%	1485	38%	1485	38%	1485
88	एस्सार पावर एसटीपीएस	1200	5%	60	5%	60	5%	60	5%	60	5%	60
89	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	1320	38%	495	38%	495	38%	495	38%	495	38%	495

सरल क्रमांक	स्त्रोत	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
			मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)	मप्र राज्य का अंशदान मेगावाट (%)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट)
90	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–I	600	35%	210	35%	210	35%	210	35%	210	35%	210
91	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–II	600	35%	210	35%	210	35%	210	35%	210	35%	210
92	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	600	35%	210	35%	210	35%	210	35%	210	35%	210
93	डीबी पावर एसटीपीएस, इकाई–I	660	38%	248	38%	248	38%	248	38%	248	38%	248
94	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई–I											660
G	**योग (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक)**	**10978**	**33%**	**3649**	**33%**	**3649**	**33%**	**3649**	**33%**	**3649**	**39%**	**4309**
95	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर)	3438	100%	3438	100%	3578	100%	3578	100%	3578	100%	3578
96	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा से अन्य)	2542	100%	2542	100%	2548	100%	2548	100%	2548	100%	2541
H	**कुल नवीकरणीय ऊर्जा**	**5980**	**100%**	**5980**	**100%**	**6126**	**100%**	**6126**	**100%**	**6126**	**100%**	**6119**
I	**महायोग**	**72,011**	**33%**	**23,575**	**33%**	**23,721**	**33%**	**23,848**	**33%**	**23,862**	**34%**	**24,515**

2.26 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि राज्य तथा पावर एक्सचेंज (Power Exchange) की विद्युत विक्रय की मांग की पूर्ति के बावजूद उन्हें अपने संयंत्रों से विद्युत आपूर्ति का आंशिक समर्पण करना होगा जिससे व्यय की जा रही परिवर्तनीय लागतों की बचत होगी। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये माहवार सुयोग्यता क्रम प्रेषण (month-wise merit order despatch) सिद्धान्त का अनुप्रयोग तत्पश्चात् एमपीपीएमसीएल को आवंटित समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर विचार करते हुए परिवर्तनीय लागतों के आधार पर किया है।

2.27 याचिकाकर्ताओं ने इकाईयों/विद्युत उत्पादन केन्द्रों के आंशिक समर्पण करने संबंधी प्रक्षेपण किया है जो पिछले 36 माह के दौरान सुयोग्यता क्रम प्रेषण (MOD) में उच्च स्तर पर हैं जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारतीय ऊर्जा विनिमय केन्द्रों (IEX) पर ऊर्जा विक्रय की औसत दर पर अर्थात् रू. 3.45/किलोवाट की दर से विद्युत का विक्रय किया जा सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में जब विद्युत उत्पादन केन्द्रों की परिवर्तनीय लागत ऐसी अवधि के दौरान संचालन हेतु उक्त अवधि के दौरान मांग की पूर्ति किया जाना आवश्यक नहीं होता तथा बाजार दरें भी उनके संचालन को उचित नहीं ठहरातीं। यह विधि मांग की घटत–बढ़त (demand fluctuations) का निराकरण करती है तथा सुनिश्चित करती है कि सस्ते स्त्रोतों से अधिप्राप्ति को खर्चीले विद्युत स्त्रोतों से बचाती है। घटी विद्युत अधिप्राप्ति अथवा उच्चतर दर पर विद्युत के विक्रय के परिणामी लाभ को, प्रकरण भले जो भी हो, बदले में उपभोक्ताओं को अन्तरित कर दिया जाता है।

2.28 निम्न तालिका ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों (stations) की सूची दर्शाती है जिन पर विद्युत आपूर्ति के आंशिक/पूर्ण समर्पण (Partial/full back down) हेतु विचार किया गया है :

तालिका 31 : विद्युत उत्पादन केन्द्रों की सूची जिन्हें आंशिक/पूर्ण समर्पण हेतु माना गया है (मिलियन यूनिट)

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2022–23			वित्तीय 2023–24			वित्तीय 2024–25		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण
1	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	1540	1540	0	1544	1544	0	1540	1540	0
2	सतपुड़ा टीपीएस फेज–II तथा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	3388	3388	0	3397	3397	0	3388	3388	0
4	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	4754	4754	0	4768	4768	0	4754	4754	0
5	एसजीटीपीएस फेज–III	3468	3468	0	3477	3477	0	3468	3468	0
6	श्रीसिंगाजी एसटीपीएस फेज–I	8421	3026	5396	8445	4613	3832	8421	6127	2294
7	श्रीसिंगाजी एसटीपीएस फेज–II	9141	0	9141	9166	0	9166	9141	1644	7497
A	**योग (मप्र जनको ताप–मप्र राज्य का अंशदान)**	**30712**	**16176**	**14536**	**30797**	**17800**	**12998**	**30712**	**20921**	**9791**
8	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	380	380	0	380	380	0	380	380	0
9	बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	898	898	0	898	898	0	898	898	0
10	बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	92	92	0	92	92	0	92	92	0
11	बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	107	107	0	107	107	0	107	107	0
12	बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	76	76	0	76	76	0	76	76	0
13	बिरसिंहपुर एचपीएस	36	36	0	36	36	0	36	36	0
14	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	110	110	0	110	110	0	110	110	0
15	राजघाट एचपीएस	37	37	0	37	37	0	37	37	0
16	गांधीसागर एचपीएस	125	125	0	167	167	0	167	167	0
17	राणाप्रताप सागर एचपीएस	201	201	0	201	201	0	201	201	0
18	जवाहर सागर एचपीएस	147	147	0	147	147	0	147	147	0
19	पेंच एचपीएस	199	199	0	199	199	0	199	199	0
B	**योग (मप्र जनको जल विद्युत)**	**2409**	**2409**	**0**	**2450**	**2450**	**0**	**2450**	**2450**	**0**
20	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	2359	2359	0	2359	2359	0	2359	2359	0
21	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	1043	1043	0	1043	1043	0	1043	1043	0
22	नधाविप्रा सरदार सरोवर एचपीएस	1696	1696	0	1696	1696	0	1696	1696	0
23	रिहन्द एचपीएस	82	82	0	82	82	0	82	82	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2022–23			वित्तीय 2023–24			वित्तीय 2024–25		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण
24	माताटीला एचपीएस	29	29	0	29	29	0	29	29	0
25	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	2	2	0	2	2	0	2	2	0
26	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	9	9	0	9	9	0	9	9	0
27	टेहरी एचपीएस	6	6	0	6	6	0	6	6	0
28	कोटेश्वर एचपीपी	3	3	0	3	3	0	3	3	0
29	एनएचपीसी पार्बती III	5	5	0	5	5	0	5	5	0
30	एनएचपीसी चमेरा II	3	3	0	3	3	0	3	3	0
31	एनएचपीसी चमेरा III	2	2	0	2	2	0	2	2	0
32	एनएचपीसी दुलहस्ती	4	0	4	4	0	4	4	1	3
33	एनएचपीसी धौलीगंगा	3	3	0	3	3	0	3	3	0
34	एनएचपीसी सेवा II	1	0	1	1	0	1	1	0	1
35	एनएचपीसी उरी II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	एनएचपीसी किशनगंगा	3	3	0	3	3	0	3	3	0
37	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	4	4	0	4	4	0	4	4	0
38	एनएचपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	एनटीपीसी–निचनी सुबनसिरी एचईपी इकाई–I	0	0	0	73	73	0	267	267	0
C	**योग (संयुक्त उपक्रम जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत)**	**5254**	**5249**	**5**	**5327**	**5322**	**5**	**5520**	**5517**	**4**
40	एनटीपीसी कोरबा	3286	3286	0	3295	3295	0	3286	3286	0
41	एनटीपीसी कोरबा III	505	505	0	506	506	0	505	505	0
42	एनटीपीसी विंध्याचल I	2947	2947	0	2955	2955	0	2947	2947	0
43	एनटीपीसी विंध्याचल II	2190	2190	0	2196	2196	0	2190	2190	0
44	एनटीपीसी विंध्याचल III	1677	1677	0	1682	1682	0	1677	1677	0
45	एनटीपीसी विंध्याचल IV	1931	1931	0	1937	1937	0	1931	1931	0
46	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	963	963	0	966	966	0	963	963	0
47	एनटीपीसी सीपत I	2247	2247	0	2253	2253	0	2247	2247	0
48	एनटीपीसी सीपत II	1273	1273	0	1276	1276	0	1273	1273	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2022–23			वित्तीय 2023–24			वित्तीय 2024–25		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण
49	एनटीपीसी मौदा I	135	90	44	135	98	37	135	110	25
50	एनटीपीसी मौदा II इकाई I	171	30	141	172	78	94	171	61	110
51	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस	2250	396	1854	2257	813	1444	2250	806	1444
52	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	2913	2673	239	2921	2921	0	2913	2913	0
53	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–I	622	622	0	624	624	0	361	361	0
54	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I तथा II	4806	3594	1211	4819	3608	1211	4806	4411	395
55	एनटीपीसी कवास जीपीपी	718	412	306	720	540	180	718	601	117
56	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	601	549	51	602	602	0	601	601	0
57	केएपीपी काकरापार	728	728	0	730	730	0	728	728	0
58	टीएपीपी तारापुर	1513	1513	0	1518	1518	0	1513	1513	0
59	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	2913	2178	734	2921	2434	487	2913	2673	239
60	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई II	622	622	0	624	624	0	361	361	0
61	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई III	0	0	0	0	0	0	361	361	0
62	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई IV	0	0	0	0	0	0	361	361	0
63	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**योग पश्चिमी क्षेत्र (WR)**	**35011**	**30429**	**4582**	**35106**	**31654**	**3453**	**35211**	**32882**	**2330**
64	एनटीपीसी कहलगांव II	519	519	0	521	521	0	519	519	0
E	**योग पूर्वी क्षेत्र (ER)**	**519**	**519**	**0**	**521**	**521**	**0**	**519**	**519**	**0**
65	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	12	11	1	12	12	0	12	12	0
66	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	15	15	0	15	15	0	15	15	0
67	एनटीपीसी अंता जीपीपी	7	2	5	7	6	2	7	6	2
68	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	2	0	2	2	1	1	2	1	2
69	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	7	0	7	7	0	7	7	2	5
70	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	4	1	3	4	2	2	4	1	2
71	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	9	3	6	9	7	2	9	7	2
72	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–I	15	15	0	15	15	0	15	15	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2022–23			वित्तीय 2023–24			वित्तीय 2024–25		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण
73	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–II	16	16	0	16	16	0	16	16	0
74	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–III	17	17	0	17	17	0	17	17	0
75	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	16	3	13	16	7	9	16	5	11
76	एनटीपीसी सिंगरौली	28	28	0	28	28	0	28	28	0
77	एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	14	0	14	14	0	14	14	0	14
78	मेजा ऊर्जा निगम	6	2	4	6	5	2	6	5	2
79	एनटीपीसी टाण्डा	8	5	3	8	6	2	8	7	1
80	एनटीपीसी बदरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	राजस्थान (एनपीसीआईएल)	8	8	0	8	8	0	8	8	0
82	नरोरा (एनपीसीआईएल)	7	7	0	7	7	0	7	7	0
F	**योग उत्तरी क्षेत्र (NR)**	**191**	**133**	**58**	**191**	**150**	**42**	**191**	**150**	**40**
83	टोरेंट पावर	256	0	256	257	0	257	256	0	256
84	बीएलए पावर, इकाई I तथा II	188	32	156	189	82	106	188	65	123
85	जेपी बीना पावर	2372	0	2372	2378	640	1738	2372	844	1528
86	लैंको अमरकंटक, टीपीएस इकाई I	2033	2033	0	2038	2038	0	2033	2033	0
87	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	10422	10422	0	10450	10450	0	10422	10422	0
88	एस्सार पावर एसटीपीएस	421	0	421	422	0	422	421	0	421
89	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	3474	3474	0	3483	3483	0	3474	3474	0
90	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–I	1474	1474	0	1478	1478	0	1474	1474	0
91	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–II	1474	1474	0	1478	1478	0	1474	1474	0
92	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	1474	1474	0	1478	1478	0	1474	1474	0
93	डीबी पावर एसटीपीएस, इकाई–I	616	616	0	1723	1723	0	1718	1718	0
94	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई–I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	**योग (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक)**	**24202**	**20997**	**3205**	**25374**	**22850**	**2524**	**25305**	**22977**	**2328**
95	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर)	7555	7555	0	9764	9764	0	10501	10501	0
96	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा से अन्य)	4515	4515	0	4534	4534	0	4534	4534	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2022–23			वित्तीय 2023–24			वित्तीय 2024–25		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण
H	**योग नवीकरणीय ऊर्जा**	**12070**	**12070**	**0**	**14299**	**14299**	**0**	**15035**	**15035**	**0**
I	**महायोग**	**110368**	**87982**	**22386**	**114066**	**95045**	**19021**	**114944**	**100451**	**14493**

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2025–26			वित्तीय 2026–27		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसचित ऊर्जा	समर्पण
1	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	1540	1540	0	1540	1540	0
2	सतपुड़ा टीपीएस फेज–II तथा III	0	0	0	0	0	0
3	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	3388	3388	0	3388	3388	0
4	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	4754	4754	0	4754	4754	0
5	एसजीटीपीएस फेज–III	3468	3468	0	3468	3468	0
6	श्रीसिंगाजी एसटीपीएस फेज–I	8421	8421	0	8421	8421	0
7	श्रीसिंगाजी एसटीपीएस फेज–II	9141	1486	7655	9141	3263	5878
A	**योग (मप्र जनको ताप–मप्र राज्य का अंशदान)**	**30712**	**23057**	**7655**	**30712**	**24834**	**5878**
8	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	380	380	0	380	380	0
9	बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	898	898	0	898	898	0
10	बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	92	92	0	92	92	0
11	बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	107	107	0	107	107	0
12	बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	76	76	0	76	76	0
13	बिरसिंहपुर एचपीएस	36	36	0	36	36	0
14	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	110	110	0	110	110	0
15	राजघाट एचपीएस	37	37	0	37	37	0
16	गांधीसागर एचपीएस	167	167	0	167	167	0
17	राणाप्रताप सागर एचपीएस	201	201	0	201	201	0
18	जवाहर सागर एचपीएस	147	147	0	147	147	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2025–26			वित्तीय 2026–27		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसचित ऊर्जा	समर्पण
19	पेंच एचपीएस	199	199	0	199	199	0
B	**योग (मप्र जनको जल विद्युत)**	**2450**	**2450**	**0**	**2450**	**2450**	**0**
20	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	2359	2359	0	2359	2359	0
21	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	1043	1043	0	1043	1043	0
22	नधाविप्रा सरदार सरोवर एचपीएस	1696	1696	0	1696	1696	0
23	रिहन्द एचपीएस	82	82	0	82	82	0
24	माताटीला एचपीएस	29	29	0	29	29	0
25	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	2	2	0	2	2	0
26	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	9	9	0	9	9	0
27	टेहरी एचपीएस	6	6	0	6	6	0
28	कोटेश्वर एचपीपी	3	3	0	3	3	0
29	एनएचपीसी पार्बती III	5	5	0	5	5	0
30	एनएचपीसी चमेरा II	3	3	0	3	3	0
31	एनएचपीसी चमेरा III	2	2	0	2	2	0
32	एनएचपीसी दुलहस्ती	4	1	2	4	2	1
33	एनएचपीसी धौलीगंगा	3	3	0	3	3	0
34	एनएचपीसी सेवा II	1	0	1	1	0	1
35	एनएचपीसी उरी II	0	0	0	0	0	0
36	एनएचपीसी किशनगंगा	3	3	0	3	3	0
37	एनटीपीसी कोल्डम एचपीपी I	4	4	0	4	4	0
38	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0	0	0	0	0	0
39	एनएचपीसी–निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–I	387	387	0	387	387	0
C	**योग (संयुक्त उपक्रम जल विद्युत एवं अन्य जल विद्युत)**	**5641**	**5637**	**3**	**5641**	**5638**	**3**
40	एनटीपीसी कोरबा	3286	3286	0	3286	3286	0
41	एनटीपीसी कोरबा III	505	505	0	505	505	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2025–26			वित्तीय 2026–27		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसचित ऊर्जा	समर्पण
42	एनटीपीसी विंध्याचल I	2947	2947	0	2947	2947	0
43	एनटीपीसी विंध्याचल II	2190	2190	0	2190	2190	0
44	एनटीपीसी विंध्याचल III	1677	1677	0	1677	1677	0
45	एनटीपीसी विंध्याचल IV	1931	1931	0	1931	1931	0
46	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई–I	963	963	0	963	963	0
47	एनटीपीसी सीपत I	2247	2247	0	2247	2247	0
48	एनटीपीसी सीपत II	1273	1273	0	1273	1273	0
49	एनटीपीसी मौदा I	135	135	0	1162	1162	0
50	एनटीपीसी मौदा II इकाई I	171	171	0	1620	1257	363
51	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस	2250	1639	611	2250	1639	611
52	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	2913	2913	0	2913	2913	0
53	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–I	440	440	0	518	518	0
54	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I तथा II	4806	4806	0	4806	4806	0
55	एनटीपीसी कवास जीपीपी	718	718	0	718	718	0
56	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	601	601	0	601	601	0
57	केएपीपी काकरापार	728	728	0	728	728	0
58	टीएपीपी तारापुर	1513	1513	0	1513	1513	0
59	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	2913	2913	0	2913	2913	0
60	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई II	440	440	0	518	518	0
61	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई III	440	440	0	518	518	0
62	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई IV	440	440	0	518	518	0
63	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई V	440	440	0	518	518	0
D	**योग पश्चिमी क्षेत्र (WR)**	**35968**	**35357**	**611**	**38830**	**37856**	**974**
64	एनटीपीसी कहलगांव II	519	519	0	519	519	0
E	**योग पूर्वी क्षेत्र (ER)**	**519**	**519**	**0**	**519**	**519**	**0**
65	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	12	12	0	12	12	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2025–26			वित्तीय 2026–27		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसचित ऊर्जा	समर्पण
66	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	15	15	0	15	15	0
67	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	7	7	0	7	7	0
68	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	2	2	1	2	2	1
69	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	7	3	4	7	5	2
70	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	4	2	1	4	2	1
71	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	9	9	0	9	9	0
72	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–I	15	15	0	15	15	0
73	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–II	16	16	0	16	16	0
74	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–III	17	17	0	17	17	0
75	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी–I	16	16	0	16	16	0
76	एनटीपीसी सिंगरौली	28	28	0	28	28	0
77	एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	14	0	14	14	0	14
78	मेजा ऊर्जा निगम	6	6	0	6	6	0
79	एनटीपीसी टाण्डा	8	8	0	8	8	0
80	एनटीपीसी बदरपुर	0	0	0	0	0	0
81	राजस्थान (एनपीसीआईएल)	8	8	0	8	8	0
82	नरोरा (एनपीसीआईएल)	7	7	0	7	7	0
F	**योग उत्तरी क्षेत्र (NR)**	**191**	**171**	**20**	**191**	**173**	**18**
83	टोरेंट पावर	256	0	256	256	0	256
84	बीएलए पावर, इकाई–I तथा II	188	188	0	188	188	0
85	जेपी बीना पावर	2372	1361	1011	2372	1579	792
86	लैंको अमरकंटक, टीपीएस इकाई–I	2033	2033	0	2033	2033	0
87	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	10422	10422	0	10422	10422	0
88	एस्सार पावर एसटीपीएस	421	0	421	421	0	421
89	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस निगरी	3474	3474	0	3474	3474	0
90	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–I	1474	1474	0	1474	1474	0

सरल क्रमांक	स्त्रोत	वित्तीय 2025–26			वित्तीय 2026–27		
		ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसूचित ऊर्जा	समर्पण	ऊर्जा की उपलब्धता	अनुसचित ऊर्जा	समर्पण
91	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–II	1474	1474	0	1474	1474	0
92	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	1474	1474	0	1474	1474	0
93	डीबी पावर एसटीपीएस, इकाई–I	1718	1718	0	1718	1718	0
94	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई–I	0	0	0	889	889	0
G	**योग (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक)**	**25305**	**23617**	**1688**	**26194**	**24724**	**1470**
95	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर)	10501	10501	0	10501	10501	0
96	नवीकरणीय ऊर्जा(सौर ऊर्जा से अन्य)	4534	4534	0	4531	4531	0
H	**योग नवीकरणीय ऊर्जा**	**15035**	**15035**	**0**	**15032**	**15032**	**0**
I	**महायोग**	**115821**	**105844**	**9977**	**119570**	**111228**	**8342**

2.29 निम्न तालिका वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुसार सुयोग्यता क्रम प्रेषण के अनुप्रयोग तथा समर्पण उपरांत समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों की समग्र उपलब्धता प्रदर्शित करती है :

तालिका 32 : याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तुत की गई ऊर्जा की कुल उपलब्धता (मिलियन यूनिट)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023.24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–.27
एक्स–बस उपलब्धता	1,10,368	1,14,066	1,14,944	1,15,821	1,19,570
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक्स–बस ऊर्जा की आवश्यकता	84,679	91,373	97,813	104,313	110,435
विद्युत का समर्पण, अधिशेष विद्युत के विक्रय को सम्मिलित करते हुए	25,689	22,693	17,132	11,508	9,134
समर्पण	22,386	19,021	14,493	9,977	8,342
विक्रय हेतु उपलब्ध अधिशेष यूनिटों की संख्या	3,303	3,672	2,638	1,531	792

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.30 आयोग द्वारा यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम तथा उत्तरी क्षेत्र से आवंटन को क्षेत्रीय विद्युत समिति (Regional Power Committee) द्वारा विनिर्दिष्ट नवीनतम आवंटन के अनुसार नहीं माना है। तद्नुसार आयोग ने याचिकाकर्ताओं को पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों से नवीनतम आवंटन प्रस्तुत करने के दिशा–निर्देश दिये जिसे याचिकाकर्ताओं ने चाहे गये अनुरूप प्रस्तुत किया।

2.31 तद्नुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों (CGS) के आवंटन के संबंध में पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (Western Region Power Committee) के पत्र क्रमांक WRPC/Comml-I/6/Alloc/2021/3294 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 तथा पूर्वी क्षेत्र एनटीपीसी कहलगांव–2 हेतु भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय के पत्र क्रमांक 5/31/2006 दिनांक 21 फरवरी, 2007 तथा उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के पत्र क्रमांक NRPC/OPR/103/02/2021/9347/74 दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 में किये गये प्रावधानों के अनुसार माना है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अवशेष विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु आवंटन को मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2211/एफ–3–13/2016/तेरह दिनांक 21 मार्च, 2016 के अनुसार माना है।

2.32 आयोग ने नियन्त्रण अवधि के दौरान एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के विद्यमान केन्द्रों (Stations) तथा नवीन क्षमता परिवर्धनों (additions) को निम्न तालिका में दर्शाये गये अनुसार माना है :

तालिका 33 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आयोग द्वारा सुविचारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों का आवंटन

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	क्षेत्र	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
				आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)
I	**केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (CGS)**		**39,696**		**5,193**		**5,193**		**5,193**		**5,193**		**5,193**
1	एनटीपीसी कोरबा	पश्चिमी	2,100	22.49%	472	22.49%	472	22.49%	472	22.49%	472	22.49%	472
2	एनटीपीसी कोरबा III	पश्चिमी	500	14.33%	72	14.33%	72	14.33%	72	14.33%	72	14.33%	72
3	एनटीपीसी विंध्याचल I	पश्चिमी	1,260	34.48%	434	34.48%	434	34.48%	434	34.48%	434	34.48%	434
4	एनटीपीसी विंध्याचल II	पश्चिमी	1,000	31.16%	312	31.16%	312	31.16%	312	31.16%	312	31.16%	312
5	एनटीपीसी विंध्याचल III	पश्चिमी	1,000	23.86%	239	23.86%	239	23.86%	239	23.86%	239	23.86%	239
6	एनटीपीसी विंध्याचल IV	पश्चिमी	1,000	27.47%	275	27.47%	275	27.47%	275	27.47%	275	27.47%	275
7	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	पश्चिमी	500	27.40%	137	27.40%	137	27.40%	137	27.40%	137	27.40%	137
8	एनटीपीसी सीपत I	पश्चिमी	1,980	16.12%	319	16.12%	319	16.12%	319	16.12%	319	16.12%	319
9	एनटीपीसी सीपत II	पश्चिमी	1,000	18.10%	181	18.10%	181	18.10%	181	18.10%	181	18.10%	181
10	एनटीपीसी मौदा I	पश्चिमी	1,000	1.86%	19	1.86%	19	1.86%	19	1.86%	19	1.86%	19
11	एनटीपीसी मौदा II इकाई–1	पश्चिमी	1,320	1.78%	24	1.78%	24	1.78%	24	1.78%	24	1.78%	24
12	एनटीपीसी कवास जीपीपी	पश्चिमी	656	21.36%	140	21.36%	140	21.36%	140	21.36%	140	21.36%	140
13	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	पश्चिमी	657	17.83%	117	17.83%	117	17.83%	117	17.83%	117	17.83%	117
14	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	उत्तरी	663	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2
15	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	उत्तरी	830	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2
16	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	उत्तरी	419	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
17	एनटीपीसी कहलगांव 2	पूर्वी	1,500	4.93%	74	4.93%	74	4.93%	74	4.93%	74	4.93%	74
18	केएपीपी काकरापार	पश्चिमी	440	25.22%	111	25.22%	111	25.22%	111	25.22%	111	25.22%	111
19	टीएपीपी तारापुर	पश्चिमी	1,080	21.34%	230	21.34%	230	21.34%	230	21.34%	230	21.34%	230
20	आरएपीपी रावतभाटा	उत्तरी	440	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
21	एनएपीपी नरोरा	उत्तरी	440	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
22	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस फेज–1	उत्तरी	1,320	24.24%	320	24.24%	320	24.24%	320	24.24%	320	24.24%	320
23	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–1	पश्चिमी	800	51.83%	415	51.83%	415	51.83%	415	51.83%	415	51.83%	415
24	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	पश्चिमी	800	51.83%	415	51.83%	415	51.83%	415	51.83%	415	51.83%	415

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	क्षेत्र	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
				आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)
25	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई I	पश्चिमी	800	11.02%	88	11.02%	88	11.02%	88	11.02%	88	11.02%	88
26	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई II	पश्चिमी	800	11.02%	88	11.02%	88	11.02%	88	11.02%	88	11.02%	88
27	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई III	पश्चिमी	800	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0
28	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई IV	पश्चिमी	800	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0
29	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई V	पश्चिमी	800	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0	8.00%	0
30	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार–I	उत्तरी	420	0.08%	0	0.08%	0	0.08%	0	0.08%	0	0.08%	0
31	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार–II	उत्तरी	420	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
32	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार–III	उत्तरी	210	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
33	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार–IV	उत्तरी	500	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
34	एनटीपीसी रिहंद–I	उत्तरी	1,000	0.20%	2	0.20%	2	0.20%	2	0.20%	2	0.20%	2
35	एनटीपीसी रिहंद–II	उत्तरी	1,000	0.22%	2	0.22%	2	0.22%	2	0.22%	2	0.22%	2
36	एनटीपीसी रिहंद–III	उत्तरी	1,000	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2	0.24%	2
37	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी–II	उत्तरी	980	0.23%	2	0.23%	2	0.23%	2	0.23%	2	0.23%	2
38	एनटीपीसी सिंगरौली	उत्तरी	2,000	0.21%	4	0.21%	4	0.21%	4	0.21%	4	0.21%	4
39	एनटीपीसी आईजीपीएस–I झज्जर	उत्तरी	1,500	0.12%	2	0.12%	2	0.12%	2	0.12%	2	0.12%	2
40	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	पश्चिमी	660	51.83%	342	51.83%	342	51.83%	342	51.83%	342	51.83%	342
41	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	पश्चिमी	660	51.83%	342	51.83%	342	51.83%	342	51.83%	342	51.83%	342
42	एनटीपीसी मेजा ऊर्जा निगम	उत्तरी	1,320	0.12%	2	0.12%	2	0.12%	2	0.12%	2	0.12%	2
43	एनटीपीसी टाण्डा	उत्तरी	1,320	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2
II	**मप्र जनरेशन कम्पनी विद्युत केन्द्र (ताप तथा जल विद्युत)**		**6,596**		**6,327**		**6,327**		**6,327**		**6,327**		**6,327**
44	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	राज्य	210	100.00%	210	100.00%	210	100.00%	210	100.00%	210	100.00%	210
45	सतपुड़ा टीपीएस फेज–III	राज्य	840	100.00%	840	100.00%	840	100.00%	840	100.00%	840	100.00%	840
46	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	राज्य	500	100.00%	500	100.00%	500	100.00%	500	100.00%	500	100.00%	500
47	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	राज्य	840	100.00%	840	100.00%	840	100.00%	840	100.00%	840	100.00%	840
48	एसजीटीपीएस फेज–III	राज्य	500	100.00%	500	100.00%	500	100.00%	500	100.00%	500	100.00%	500
49	श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–1	राज्य	1,200	100.00%	1,200	100.00%	1,200	100.00%	1,200	100.00%	1,200	100.00%	1,200
50	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेज–2	राज्य	1,320	100.00%	1,320	100.00%	1,320	100.00%	1,320	100.00%	1,320	100.00%	1,320

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	क्षेत्र	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
				आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)
51	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	राज्य	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%	90	100.00%	90
52	बाणसागर फेज–I एचपीएस (टोंस)	राज्य	315	100.00%	315	100.00%	315	100.00%	315	100.00%	315	100.00%	315
53	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	राज्य	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30	100.00%	30
54	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	राज्य	60	100.00%	60	100.00%	60	100.00%	60	100.00%	60	100.00%	60
55	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	राज्य	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20
56	बिरसिंहपुर एचपीएस	राज्य	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20	100.00%	20
57	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	राज्य	60	100.00%	60	100.00%	60	100.00%	60	100.00%	60	100.00%	60
58	राजघाट एचपीएस	राज्य	45	50.00%	23	50.00%	23	50.00%	23	50.00%	23	50.00%	23
59	गांधीसागर एचपीएस	राज्य	115	50.00%	58	50.00%	58	50.00%	58	50.00%	58	50.00%	58
60	राणाप्रताप सागर एवं जवाहर सागर एचपीएस	राज्य	271	50.00%	136	50.00%	136	50.00%	136	50.00%	136	50.00%	136
61	पेंच एचपीएस	राज्य	160	66.69%	107	66.69%	107	66.69%	107	66.69%	107	66.69%	107
III	**संयुक्त उपक्रम जल विद्युत तथा अन्य जल विद्युत**		**10,082**		**2,413**		**2,426**		**2,426**		**2,426**		**2,426**
62	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	राज्य	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000	100.00%	1,000
63	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	राज्य	520	100.00%	520	100.00%	520	100.00%	520	100.00%	520	100.00%	520
64	सरदार सरोवर एचपीएस	पश्चिमी	1,450	57.00%	827	57.00%	827	57.00%	827	57.00%	827	57.00%	827
65	रिहन्द एचपीएस	उत्तरी	300	15.00%	45	15.00%	45	15.00%	45	15.00%	45	15.00%	45
66	माताटीला एचपीएस	उत्तरी	31	32.68%	10	32.68%	10	32.68%	10	32.68%	10	32.68%	10
67	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	उत्तरी	412	0.15%	1	0.15%	1	0.15%	1	0.15%	1	0.15%	1
68	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	उत्तरी	1,500	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2
69	टेहरी एचपीएस	उत्तरी	1,000	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2	0.16%	2
70	कोटेश्वर एचपीपी	उत्तरी	400	0.16%	1	0.16%	1	0.16%	1	0.16%	1	0.16%	1
71	एनएचपीसी पारबती III	उत्तरी	520	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
72	एनएचपीसी चमेरा II	उत्तरी	300	0.29%	1	0.29%	1	0.29%	1	0.29%	1	0.29%	1
73	एनएचपीसी चमेरा III	उत्तरी	231	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
74	एनएचपीसी दुलहस्ती	उत्तरी	390	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
75	एनएचपीसी धौलीगंगा	उत्तरी	280	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
76	एनएचपीसी सेवा II	उत्तरी	120	0.25%	0	0.25%	0	0.25%	0	0.25%	0	0.25%	0

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	क्षेत्र	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
				आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)	आवंटन (%)	आवंटन (मेगावाट)
77	एनएचपीसी उरी ॥	उत्तरी	240	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
78	एनएचपीसी किशनगंगा	उत्तरी	330	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1	0.24%	1
79	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी ।	उत्तरी	800	0.12%	1	0.12%	1	0.12%	1	0.12%	1	0.12%	1
80	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	उत्तरी	8	0.24%	0	0.24%	0	0.24%	0	0.24%	0	0.24%	0
81	एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई ।	पूर्वोत्तर	250	5.25%	0	5.25%	13	5.25%	13	5.25%	13	5.25%	13
IV	**स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPPs)**		**11,638**		**3,402**		**3,402**		**3,402**		**4,062**		
82	टोरेन्ट पावर	पश्चिमी	1,148	4.36%	50	4.36%	50	4.36%	50	4.36%	50	4.36%	50
83	बीएलए पावर	राज्य	90	35.00%	32	35.00%	32	35.00%	32	35.00%	32	35.00%	32
84	जेपी बीना पावर	राज्य	500	70.00%	350	70.00%	350	70.00%	350	70.00%	350	70.00%	350
85	लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई ।	पश्चिमी	300	100.00%	300	100.00%	300	100.00%	300	100.00%	300	100.00%	300
86	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	पश्चिमी	3,960	37.50%	1,485	37.50%	1,485	37.50%	1,485	37.50%	1,485	37.50%	1,485
87	एस्सार पावर एसटीपीएस	पश्चिमी	1,200	5.00%	60	5.00%	60	5.00%	60	5.00%	60	5.00%	60
88	जयप्रकाश पावर, एसटीपीएस, निगरी	पश्चिमी	1,320	37.50%	495	37.50%	495	37.50%	495	37.50%	495	37.50%	495
89	एमबी पावर एसटीपीएस	पश्चिमी	1,200	35.00%	420	35.00%	420	35.00%	420	35.00%	420	35.00%	420
90	झाबुआ पावर एसटीपीएस इकाई–।	पश्चिमी	600	35.00%	210	35.00%	210	35.00%	210	35.00%	210	35.00%	210
91	डीबी पावर एसटीपीएस इकाई–।	पश्चिमी	660	37.58%	0	37.58%	0	37.58%	0	37.58%	0	37.58%	0
92	पेंच थर्मल इनर्जी इकाई–।	पश्चिमी	660	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	660
V	**नवीकरणीय (Renewables)**				**5,980**		**6,126**		**6,126**		**6,126**		**6,119**
93	सौर ऊर्जा			100.00%	3,438	100.00%	3,578	100.00%	3,578	100.00%	3,578	100.00%	3,578
94	सौर ऊर्जा से अन्य			100.00%	2,542	100.00%	2,548	100.00%	2,548	100.00%	2,548	100.00%	2,541

2.33 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ऊर्जा की उपलब्धता के प्रक्षेपण हेतु आयोग ने निम्न पहलुओं का विश्लेषण किया है :

(i) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक) हेतु राज्य ऊर्जा लेखा (State Energy Accounts) के अनुसार वास्तविक औसत अनुसूचित ऊर्जा (actual average scheduled energy) ;

(ii) वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय 2020–21 के क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों (Central Generating Stations) की वास्तविक उपलब्धता ;

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु राज्य/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के अनुसार स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (IPPs), मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, एनएचडीसी तथा नधाविप्रा की वास्तविक उपलब्धता;

(iv) वित्तीय वर्ष 2022–23से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु एनएचडीसी, नधाविप्रा तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किये गये प्रक्षेपण ; और

(v) नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) के अनुपालन हेतु विद्यमान विद्युत क्रय अनुबन्ध से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की वास्तविक उपलब्धता।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा नाभिकीय विद्युत संयन्त्रों से ऊर्जा की उपलब्धता (Energy Availability from Central Generating Stations & Nuclear Power Plants)

2.34 केन्द्रीय ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की उपलब्धता के बारे में आयोग द्वारा यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वास्तविक ऊर्जा उपलब्धता पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचीबद्ध ऊर्जा एवं याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण से संरेखित हैं। तद्नुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु इन विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपलब्धता को वास्तविक संयंत्र की उपलब्धता के अनुसार मानकर प्रक्षेपित किया है।

2.35 इसके अतिरिक्त, आयोग ने केन्द्रीय जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की उपलब्धता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा प्रकाशित 'Hydro Performance Review 2018–19' में पूर्व में दी गई वास्तविक उपलब्धता के अनुसार प्रक्षेपित किया है।

2.36 न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा संचालित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु आयोग ने ऊर्जा की उपलब्धता को राज्य ऊर्जा लेखा के अनुसार पिछले तीन वर्षों हेतु अनुसूचित वास्तविक ऊर्जा के औसत अनुसार माना है।

मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नधाविप्रा तथा एनएचडीसी विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की उपलब्धता (Energy Availability from MPPGCL, NVDA & NHDC Generating Stations)

2.37 आयोग द्वारा यह पाया गया कि मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) ने नियन्त्रण अवधि हेतु अपने विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपलब्धता का प्रक्षेपण नियन्त्रण अवधि के दौरान अपने विभिन्न उत्पादन केन्द्रों से प्रक्षेपित अनुरक्षण कार्यक्रम (maintenance schedule) पर विचार करते हुए किया है। तद्नुसार, आयोग ने एमपीपीजीसीएल ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की उपलब्धता का प्रक्षेपण एमपीपीजीसीएल द्वारा प्रस्तुत प्रक्षेपण के अनुसार किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता तथा एमपीपीजीसीएल ने यह निवेदन भी किया है कि सतपुड़ा चरण–तीन के संयन्त्रों को अक्रियाशील (decommissioning) करने हेतु प्रस्ताव एमपीपीजीसीएल द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है तथा वर्तमान में इस केन्द्र से विद्युत को अनुसूचीबद्ध (शेड्यूल) नहीं किया जा रहा है। तद्नुसार, आयोग ने

नियन्त्रण अवधि हेतु कथित विद्युत उत्पादन केन्द्र से उपलब्धता के बारे में विचार नहीं किया है।

2.38 इसी प्रकार, नियंत्रण अवधि हेतु ऊर्जा उपलब्धता के प्रक्षेपण के बारे में जैसा कि वे इन्दिरा सागर विद्युत उत्पादन केन्द्र (ISPS), ओंकारेश्वर परियोजना (OSP) हेतु एचएचडीसी द्वारा तथा सरदार सरोवर परियोजना (SSP) हेतु नधाविप्रा द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, पर आयोग द्वारा विचार किया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की उपलब्धता (Energy Availability from Renewable Energy Generating Stations)

2.39 याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण के अनुसार सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता पर विचार विद्यमान विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति हेतु किसी कमी के लिये, यदि कोई हो, जैसा कि इस मप्रविनिआ (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के संबंध में यह माना गया है कि इसकी पूर्ति नियन्त्रण अवधि के दौरान अतिरिक्त अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाएगी। विद्यमान विद्युत क्रय अनुबन्धों से उपलब्धता के विवरण तथा नियन्त्रण अवधि हेतु प्रक्षेपित नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु अतिरिक्त अधिप्राप्ति को इस आदेश के अनुवर्ती भाग में निर्दिष्ट किया गया है।

नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की उपलब्धता (Energy Availability from New Generating Stations)

2.40 नवीन एनटीपीसी विद्युत उत्पादन केन्द्रों, अर्थात्, एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई क्रमांक III, IV तथा V ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु, आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं से संयन्त्रों की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी चाही गई। प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया कि एनटीपीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार संयन्त्र 52 माह के भीतर क्रियाशील हो जाना प्रत्याशित है। चूंकि इन इकाईयों से नियन्त्रण अवधि के अन्त में क्रियाशील होने की अपेक्षा की जाती है, अतएव आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु इसकी इकाईयों से उपलब्धता के बारे में विचार नहीं किया है।

2.41 इसी प्रकार, डीबी पावर एसटीपीएस इकाई–I की भी नियन्त्रण अवधि के दौरान क्रियाशील होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तद्नुसार, नियन्त्रण अवधि हेतु इस इकाई से भी किसी उपलब्धता पर विचार नहीं किया गया है।

2.42 एनएचपीसी निचली निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–I के संबंध में एनएचपीसी ने सूचित किया है कि इस विद्युत उत्पादन केन्द्र से माह अगस्त 2023 के दौरान क्रियाशील हो जाने की अपेक्षा की जाती है। अतएव, इस विद्युत उत्पादन केन्द्र से याचिकाकर्ता के निवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के पश्चात् ऊर्जा की उपलब्धता पर विचार किया गया है।

2.43 पेंच ताप विद्युत ऊर्जा उत्पादन केन्द्र इकाई–I के बारे में अपेक्षा की जाती है कि यह केन्द्र याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में आयोग द्वारा दिनांक 19.05.2021 को अनुमोदित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान क्रियाशील हो जाएगा। तद्नुसार, इस केन्द्र से मानदण्डीय उपलब्धता वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान प्रथम 90 दिवस के दौरान 65% की दर से तथा तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवशेष अवधि हेतु 85% की दर से प्राप्ति पर विचार किया गया है।

2.44 आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 16/2014 तथा 36/2015 में अपने आदेश क्रमशः 22 मई, 2015 तथा 25 जुलाई, 2015 में मेसर्स बीएलए पावर की इकाई क्रमांक 1 से विद्युत की उपलब्धता तथा विद्युत की लागत को अस्वीकार किया गया था। अपील क्रमांक 201, वर्ष

2017 में, माननीय एप्टेल (APTEL) द्वारा आदेश दिनांक 19.4.2018 में मामले को वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बीएलए पावर प्लांट की इकाई क्रमांक 1 हेतु विद्युत–दर के अवधारण के लिये वापस भेजा गया था। उपरोक्त आदेश को आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील क्रमांक 5733, वर्ष 2018 के अन्तर्गत चुनौती दी गई है तथा इसे सुनवाई हेतु स्वीकार किया जा चुका है तथा प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मेसर्स बीएलए पावर प्लाट इकाई क्रमांक 1 द्वारा दाखिल की गई उपलब्धता तथा विद्युत उत्पादन लागत पर इस आदेश के अन्तर्गत विचार नहीं किया गया है।

2.45 आयोग ने आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा याचिका क्रमांक 17, वर्ष 2018 में बीएलए इकाई क्रमांक 2 हेतु विद्युत–दर का अनुमोदन किया है। तद्नुसार आयोग ने उपलब्धता का प्रक्षेपण किया है तथा बीएलए पावर यूनिट क्र 2 की स्थाई लागत (fixed cost) पर कथित आदेश के अनुसार विचार किया है।

2.46 इसके अतिरिक्त, याचिका के अन्तर्गत दाखिल की गई एस्सार पावर से छूट प्राप्त ऊर्जा (concession energy) के रूप में उपलब्धता आयोग द्वारा एसएमपी क्रमांक 51 वर्ष, 2015 में जारी आदेश दिनांक 4 मई, 2016 के अनुसार नहीं है। अतएव, इन से संबंधित उपलब्धता, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नियंत्रण अवधि हेतु प्रस्तावित किया गया है, पर इस याचिका में विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस पर, उपलब्धता तथा लागत के बारे में, जहां तक इसका संबंध सुजेन टोरेंट विद्युत उत्पादन केन्द्र से है, वित्तीय वर्ष 2016–17 से आगे आयोग द्वारा जारी खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेशों के अनुसार आयोग द्वारा पूर्व में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुरूप चूंकि याचिकाकर्ता आयोग द्वारा विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) के बारे में की गई पृच्छाओं के उत्तर पृथक सम्प्रेषण के माध्यम से सन्तोषजनक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाये, विचार नहीं किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ता इस बारे में पृथक याचिका के माध्यम से आयोग से सम्पर्क करने हेतु स्वतंत्र है।

2.47 उपरोक्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में माहवार तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रक्षेपित उपलब्धता के विद्युत उत्पादन केन्द्रवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये है :

तालिका 34 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट)

विवरण	अप्रैल 22	मई 22	जून 22	जुलाई 22	अगस्त 22	सितम्बर 22	अक्टूबर 22	नवम्बर 22	दिसम्बर 22	जनवरी 23	फरवरी 23	मार्च 23	योग
एनटीपीसी कोरबा	330	329	309	328	309	309	283	300	301	307	293	291	3,689
एनटीपीसी कोरबा III	52	52	52	48	46	41	51	51	52	52	50	52	599
एनटीपीसी विंध्याचल I	269	270	241	294	246	254	233	231	277	276	270	280	3,140
एनटीपीसी विंध्याचल II	236	229	191	144	159	217	182	207	188	209	216	233	2,410
एनटीपीसी विंध्याचल III	162	177	160	181	148	147	174	171	173	163	148	147	1,951
एनटीपीसी विंध्याचल IV	189	179	171	188	181	177	160	180	160	139	116	152	1,992
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	89	97	92	105	93	93	92	88	99	84	68	92	1,092
एनटीपीसी सीपत I	208	230	216	217	230	167	152	183	207	228	213	230	2,482
एनटीपीसी सीपत II	124	125	121	120	127	115	108	92	105	110	85	115	1,346
एनटीपीसी मौदा I	21	14	22	43	28	20	15	20	30	46	31	34	322
एनटीपीसी मौदा II इकाई I	20	18	31	47	29	10	12	26	29	43	36	50	352
एनटीपीसी कवास जीपीपी	200	208	131	74	82	113	68	57	33	57	49	69	1,143
एनटीपीसी गंधार जीपीपी	85	107	42	145	103	80	0	6	14	24	86	246	938
एनटीपीसी औरैया जीपीपी	3	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	1	13
एनटीपीसी दादरी जीपीपी	3	1	2	3	0	1	1	0	1	0	1	2	16
एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	0	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	8
एनटीपीसी कहलगांव 2	45	35	30	48	30	31	29	31	39	37	42	48	444
केएपीपी काकरापारा	48	53	59	67	68	64	72	70	64	68	65	69	765
टीएपीपी तारापुर	148	147	153	147	152	127	122	140	127	88	98	127	1,576
आरएपीपी रावतभाटा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
एनएपीपी नरोरा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–I	103	0	56	360	190	223	219	290	386	204	244	264	2,538
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	237	51	0	395	396	375	372	278	215	167	227	456	3,169
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	268	58	0	340	355	350	420	314	243	186	216	420	3,169
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–I	52	36	37	50	58	45	44	89	103	35	63	98	711
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–II	63	45	45	62	72	55	54	93	88	28	40	66	711
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	8

विवरण	अप्रैल 22	मई 22	जून 22	जुलाई 22	अगस्त 22	सितम्बर 22	अक्टूबर 22	नवम्बर 22	दिसम्बर 22	जनवरी 23	फरवरी 23	मार्च 23	योग
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	9
एनटीपीसी रिहन्द I	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	1	14
एनटीपीसी रिहन्द II	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	18
एनटीपीसी रिहन्द III	1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	19
एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	1	0	0	8	4	1	1	1	0	0	2	0	19
एनटीपीसी सिंगरौली	2	3	2	4	3	5	3	3	2	1	1	2	29
एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	0	0	1	6	3	2	1	1	0	0	0	0	15
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	269	84	1	167	190	166	217	314	311	314	197	276	2,506
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	269	84	1	167	190	166	217	314	311	314	197	276	2,506
मेजा ऊर्जा निगम	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	11
एनटीपीसी टाण्डा, चरण II	1	0	0	2	2	1	1	8	2	0	0	0	16
अमरकंटक टीपीएस, फेज–III	133	138	133	68	0	131	140	136	140	140	126	140	1,425
सतपुड़ा टीपीएस, फेज–IV	296	306	296	150	251	291	312	302	312	312	282	312	3,425
एसजीटीपीएस फेज I तथा II	388	320	325	315	294	300	339	438	452	452	408	452	4,482
एसजीटीपीएस फेज–III	309	319	309	311	311	301	320	309	320	320	289	320	3,736
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–I	647	669	647	325	542	315	703	681	703	703	635	703	7,275
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–2	708	731	472	711	533	630	751	727	751	751	678	751	8,194
रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	37	35	24	29	41	45	50	25	35	35	35	35	425
बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	49	54	64	99	99	109	99	99	79	79	79	79	993
बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	7	6	8	9	9	10	10	10	8	8	8	8	99
बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	0	0	0	12	20	25	30	10	0	0	0	0	97
बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	8	6	4	4	3	7	9	9	9	9	9	9	86
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	10	11	10	10	5	5	5	0	0	57
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0	0	2	10	23	14	20	15	11	10	5	5	113
राजघाट एचपीएस	0	0	0	4	7	6	10	6	6	3	3	3	47
गांधीसागर एचपीएस	6	6	6	6	10	10	10	20	25	20	15	15	147
राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	0	0	1	3	14	8	20	40	41	33	29	18	205
पेंच एचपीएस	4	6	12	12	18	42	40	16	17	10	10	10	199

विवरण	अप्रैल 22	मई 22	जून 22	जुलाई 22	अगस्त 22	सितम्बर 22	अक्टूबर 22	नवम्बर 22	दिसम्बर 22	जनवरी 23	फरवरी 23	मार्च 23	योग
एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	116	120	116	120	120	116	120	116	120	120	108	120	1,409
एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	71	73	71	73	73	71	73	71	73	73	66	73	862
सरदार सरोवर एचपीएस	121	120	162	57	112	288	188	149	136	150	120	105	1,706
रिहंद एचपीएस	5	5	12	3	3	19	15	11	9	11	10	9	111
माताटीला एचपीएस	2	2	3	3	4	4	4	2	3	5	4	3	40
एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	10
टेहरी एचपीएस	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
कोटेश्वर एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी पारबती III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनएचपीसी चमेरा II	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी चमेरा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी दुलहस्ती	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी धौलीगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी सेवा II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एनएचपीसी किशनगंगा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बीएलए पावर इकाई क्रमांक–2	0	4	25	33	46	21	9	5	11	6	7	10	179
जेपी बीना पावर	162	66	250	302	176	211	217	336	241	192	222	268	2,642
लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई I	190	134	196	177	115	108	158	187	194	190	172	210	2,033
रिलायंस यूएमपीपी, सासन	983	1,001	985	955	903	865	994	977	972	983	949	1,012	11,580
जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	274	298	314	315	247	256	299	327	322	323	254	246	3,474
एमबी पावर एसटीपीएस	249	220	226	320	266	253	208	215	270	234	267	219	2,947
झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	106	108	111	171	146	101	75	132	126	106	126	166	1,474
सौर ऊर्जा	621	642	621	642	642	621	642	621	642	642	580	642	7,555
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	581	601	581	601	601	581	601	581	601	601	542	601	7,070
योग	**9,582**	**8,633**	**8,162**	**9,635**	**9,151**	**9,143**	**9,789**	**10,144**	**10,204**	**9,711**	**9,104**	**10,647**	**1,13,903**

तालिका 35 : वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट)

विवरण	अप्रैल 23	मई 23	जून 23	जुलाई 23	अगस्त 23	सितम्बर 23	अक्टूबर 23	नवम्बर 23	दिसम्बर 23	जनवरी 24	फरवरी 24	मार्च 24	योग
एनटीपीसी कोरबा	331	330	310	329	310	309	284	301	302	308	294	292	3,699
एनटीपीसी कोरबा III	52	52	52	48	46	41	51	52	53	53	50	52	600
एनटीपीसी विंध्याचल I	270	271	241	295	247	254	234	231	278	276	271	281	3,148
एनटीपीसी विंध्याचल II	237	229	191	144	159	218	182	208	189	209	216	233	2,417
एनटीपीसी विंध्याचल III	163	177	160	181	148	147	175	171	174	164	149	148	1,957
एनटीपीसी विंध्याचल IV	190	180	171	189	182	177	160	181	160	139	116	152	1,997
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	89	97	92	105	94	93	92	88	99	85	68	93	1,095
एनटीपीसी सीपत I	208	231	217	218	231	167	153	184	208	229	214	230	2,489
एनटीपीसी सीपत II	125	125	121	120	127	115	108	92	106	110	85	116	1,350
एनटीपीसी मौदा I	21	14	22	43	28	20	15	20	30	46	31	34	322
एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	20	18	31	47	29	10	12	26	29	43	36	50	352
एनटीपीसी कवास जीपीपी	201	209	132	75	83	114	68	58	34	57	49	69	1,146
एनटीपीसी गंधार जीपीपी	85	108	42	145	103	81	0	6	14	24	86	246	940
एनटीपीसी औरैया जीपीपी	3	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	1	13
एनटीपीसी दादरी जीपीपी	3	1	2	3	0	1	1	0	1	0	1	2	16
एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	0	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	8
एनटीपीसी कहलगांव 2	45	36	30	48	30	31	29	31	39	37	42	48	445
केएपीपी काकरापारा	48	53	59	67	68	64	72	70	64	68	65	69	765
टीएपीपी तारापुर	148	147	153	147	152	127	122	140	127	88	98	127	1,576
आरएपीपी रावतभाटा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
एनएपीपी नरोरा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–I	104	0	56	361	190	223	219	291	387	205	245	265	2,545
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	238	51	0	396	397	376	373	279	215	167	228	457	3,177
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	269	58	0	341	356	351	421	315	243	186	217	421	3,177
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–I	52	37	37	50	59	45	44	89	104	35	63	99	713
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–II	63	45	45	62	72	55	54	93	89	28	40	66	713
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	8

विवरण	अप्रैल 23	मई 23	जून 23	जुलाई 23	अगस्त 23	सितम्बर 23	अक्टूबर 23	नवम्बर 23	दिसम्बर 23	जनवरी 24	फरवरी 24	मार्च 24	योग
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	9
एनटीपीसी रिहन्द I	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	1	14
एनटीपीसी रिहन्द II	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	18
एनटीपीसी रिहन्द III	1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	19
एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	1	0	0	8	4	1	1	1	0	0	2	0	19
एनटीपीसी सिंगरौली	2	3	2	4	3	5	3	3	2	1	1	2	30
एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	0	0	1	6	3	2	1	1	0	0	0	0	15
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	270	84	1	167	190	166	218	315	312	314	198	277	2,513
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	270	84	1	167	190	166	218	315	312	314	198	277	2,513
मेजा ऊर्जा निगम	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	11
एनटीपीसी टाण्डा, चरण– II	1	0	0	2	2	1	1	8	2	0	0	0	16
अमरकंटक टीपीएस फेज–III	128	132	128	126	126	122	133	128	133	133	124	133	1,546
सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	301	311	301	231	154	298	316	306	316	316	295	316	3,461
एसजीटीपीएस फेज I तथा II	449	464	337	333	332	250	471	456	471	471	441	471	4,946
एसजीटीपीएस फेज–III	326	337	326	0	219	318	337	326	337	337	315	337	3,515
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–I	643	665	643	478	478	625	674	652	674	674	631	674	7,511
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–2	717	741	717	724	533	330	756	731	756	756	707	756	8,224
रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	37	35	24	29	41	45	50	25	35	35	35	35	425
बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	49	54	64	99	99	109	99	99	79	79	79	79	993
बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	7	6	8	9	9	10	10	10	8	8	8	8	99
बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	0	0	0	12	20	25	30	10	0	0	0	0	98
बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	8	6	4	4	3	7	9	9	9	9	9	9	86
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	10	11	10	10	5	5	5	0	0	57
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0	0	2	10	23	14	20	15	11	10	5	5	113
राजघाट एचपीएस	0	0	0	4	7	6	10	6	6	3	3	3	47
गांधीसागर एचपीएस	4	5	5	5	10	10	10	20	25	20	15	15	142
राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	3	0	1	3	14	8	25	47	48	40	34	18	241
पेंच एचपीएस	4	6	12	12	18	42	40	16	17	10	10	10	199

विवरण	अप्रैल 23	मई 23	जून 23	जुलाई 23	अगस्त 23	सितम्बर 23	अक्टूबर 23	नवम्बर 23	दिसम्बर 23	जनवरी 24	फरवरी 24	मार्च 24	योग
एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	116	120	116	120	120	116	120	116	120	120	108	120	1,409
एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	71	73	71	73	73	71	73	71	73	73	66	73	862
सरदार सरोवर एचपीएस	121	120	162	57	112	288	188	149	136	150	120	105	1,706
रिहंद एचपीएस	5	5	12	3	3	19	15	11	9	11	10	9	111
माताटीला एचपीएस	2	2	3	3	4	4	4	2	3	5	4	3	40
एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	10
टेहरी एचपीएस	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
कोटेश्वर एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी पारबती III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनएचपीसी चमेरा II	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी चमेरा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी दुलहस्ती	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी धौलीगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी सेवा II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एनएचपीसी किशनगंगा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचपीपी	11	8	12	11	8	0	0	0	1	2	9	12	73
बीएलए पावर इकाई क्रमांक–2	0	4	25	33	46	21	9	5	11	6	7	10	179
जेपी बीना पावर	163	66	250	303	176	211	218	337	242	193	222	269	2,649
लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई I	191	134	197	177	115	109	158	188	195	191	173	211	2,038
रिलायंस यूएमपीपी, सासन	986	1,004	988	957	905	868	997	980	975	986	951	1,015	11,612
जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	275	298	315	316	247	257	300	328	323	323	255	246	3,483
एमबी पावर एसटीपीएस	250	221	226	321	267	253	209	216	271	235	268	219	2,956
झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	106	109	111	172	146	101	75	132	126	106	126	166	1,478
सौर ऊर्जा	803	829	803	829	829	803	829	803	829	829	749	829	9,764
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	615	635	615	635	635	615	635	615	635	635	574	635	7,478
योग	**9,906**	**9,042**	**8,668**	**9,896**	**9,308**	**9,346**	**10,151**	**10,388**	**10,458**	**9,964**	**9,425**	**10,905**	**1,17,457**

तालिका 36 : वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट)

विवरण	अप्रैल 24	मई 24	जून 24	जुलाई 24	अगस्त 24	सितम्बर 24	अक्टूबर 24	नवम्बर 24	दिसम्बर 24	जनवरी 25	फरवरी 25	मार्च 25	योग
एनटीपीसी कोरबा	330	329	309	328	309	309	283	300	301	307	293	291	3,689
एनटीपीसी कोरबा III	52	52	52	48	46	41	51	51	52	52	50	52	599
एनटीपीसी विंध्याचल I	269	270	241	294	246	254	233	231	277	276	270	280	3,140
एनटीपीसी विंध्याचल II	236	229	191	144	159	217	182	207	188	209	216	233	2,410
एनटीपीसी विंध्याचल III	162	177	160	181	148	147	174	171	173	163	148	147	1,951
एनटीपीसी विंध्याचल IV	189	179	171	188	181	177	160	180	160	139	116	152	1,992
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	89	97	92	105	93	93	92	88	99	84	68	92	1,092
एनटीपीसी सीपत I	208	230	216	217	230	167	152	183	207	228	213	230	2,482
एनटीपीसी सीपत II	124	125	121	120	127	115	108	92	105	110	85	115	1,346
एनटीपीसी मौदा I	21	14	22	43	28	20	15	20	30	46	31	34	322
एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	20	18	31	47	29	10	12	26	29	43	36	50	352
एनटीपीसी कवास जीपीपी	200	208	131	74	82	113	68	57	33	57	49	69	1,143
एनटीपीसी गंधार जीपीपी	85	107	42	145	103	80	0	6	14	24	86	246	938
एनटीपीसी औरैया जीपीपी	3	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	1	13
एनटीपीसी दादरी जीपीपी	3	1	2	3	0	1	1	0	1	0	1	2	16
एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	0	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	8
एनटीपीसी कहलगांव 2	45	35	30	48	30	31	29	31	39	37	42	48	444
केएपीपी काकरापारा	48	53	59	67	68	64	72	70	64	68	65	69	765
टीएपीपी तारापुर	148	147	153	147	152	127	122	140	127	88	98	127	1,576
आरएपीपी रावतभाटा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
एनएपीपी नरोरा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज—I	103	0	56	360	190	223	219	290	386	204	244	264	2,538
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई—I	237	51	0	395	396	375	372	278	215	167	227	456	3,169
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई—2	268	58	0	340	355	350	420	314	243	186	216	420	3,169
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई—I	52	36	37	50	58	45	44	89	103	35	63	98	711
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई—II	63	45	45	62	72	55	54	93	88	28	40	66	711
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	8
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4

विवरण	अप्रैल 24	मई 24	जून 24	जुलाई 24	अगस्त 24	सितम्बर 24	अक्टूबर 24	नवम्बर 24	दिसम्बर 24	जनवरी 25	फरवरी 25	मार्च 25	योग
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	9
एनटीपीसी रिहन्द I	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	1	14
एनटीपीसी रिहन्द II	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	18
एनटीपीसी रिहन्द III	1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	19
एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	1	0	0	8	4	1	1	1	0	0	2	0	19
एनटीपीसी सिंगरौली	2	3	2	4	3	5	3	3	2	1	1	2	29
एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	0	0	1	6	3	2	1	1	0	0	0	0	15
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	269	84	1	167	190	166	217	314	311	314	197	276	2,506
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	269	84	1	167	190	166	217	314	311	314	197	276	2,506
मेजा ऊर्जा निगम	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	11
एनटीपीसी टाण्डा, चरण II	1	0	0	2	2	1	1	8	2	0	0	0	16
अमरकंटक टीपीएस फेज–III	131	135	131	64	64	125	136	131	136	136	123	136	1,448
सतपुड़ा टीपीएस फेज–III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	301	311	301	149	308	298	316	306	316	316	285	316	3,523
एसजीटीपीएस फेज I तथा II	449	464	337	388	332	250	471	456	471	471	425	471	4,985
एसजीटीपीएस फेज–III	307	317	307	309	309	299	318	308	318	318	287	318	3,715
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–I	643	665	643	310	646	625	674	652	674	674	609	674	7,489
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–2	711	735	340	715	715	692	747	723	747	747	674	747	8,293
रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	37	35	24	29	41	45	50	25	35	35	35	35	424
बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	64	64	89	104	110	124	99	99	79	79	79	79	1,074
बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	7	6	8	9	9	10	10	10	8	8	8	8	100
बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	0	0	0	12	20	25	30	10	0	0	0	0	98
बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	8	6	4	4	3	7	9	9	9	9	9	9	86
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	10	11	10	10	5	5	5	0	0	57
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0	0	2	10	23	14	20	15	11	10	5	5	113
राजघाट एचपीएस	0	0	0	4	7	6	10	6	6	3	3	3	47
गांधीसागर एचपीएस	2	2	3	5	10	8	10	20	25	20	15	15	133
राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	3	0	1	3	14	8	32	57	58	50	39	20	286
पेंच एचपीएस	4	6	12	12	18	42	40	16	17	10	10	10	199
एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	116	120	116	120	120	116	120	116	120	120	108	120	1,409

विवरण	अप्रैल 24	मई 24	जून 24	जुलाई 24	अगस्त 24	सितम्बर 24	अक्टूबर 24	नवम्बर 24	दिसम्बर 24	जनवरी 25	फरवरी 25	मार्च 25	योग
एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	71	73	71	73	73	71	73	71	73	73	66	73	862
सरदार सरोवर एचपीएस	121	120	162	57	112	288	188	149	136	150	120	105	1,706
रिहंद एचपीएस	5	5	12	3	3	19	15	11	9	11	10	9	111
माताटीला एचपीएस	2	2	3	3	4	4	4	2	3	5	4	3	40
एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	10
टेहरी एचपीएस	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
कोटेश्वर एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी पारबती III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनएचपीसी चमेरा II	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी चमेरा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी दुलहस्ती	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी धौलीगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी सेवा II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एनएचपी उरी II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी किशनगंगा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी यूनिट–1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–I	38	31	44	39	28	1	0	0	5	6	32	42	267
बीएलए पावर इकाई क्रमांक–2	0	4	25	33	46	21	9	5	11	6	7	10	179
जेपी बीना पावर	162	66	250	302	176	211	217	336	241	192	222	268	2,642
लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई I	190	134	196	177	115	108	158	187	194	190	172	210	2,033
रिलायंस यूएमपीपी, सासन	983	1,001	985	955	903	865	994	977	972	983	949	1,012	11,580
एस्सार पावर एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	274	298	314	315	247	256	299	327	322	323	254	246	3,474
एमबी पावर एसटीपीएस	249	220	226	320	266	253	208	215	270	234	267	219	2,947
झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	106	108	111	171	146	101	75	132	126	106	126	166	1,474
सौर ऊर्जा	863	892	863	892	892	863	892	863	892	892	806	892	10,501
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	738	763	738	763	763	738	763	738	763	763	689	763	8,980
योग	**10,094**	**9,227**	**8,502**	**10,146**	**10,047**	**9,876**	**10,310**	**10,544**	**10,621**	**10,130**	**9,502**	**11,087**	**1,20,087**

तालिका 37: वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट)

विवरण	अप्रैल 25	मई 25	जून 25	जुलाई 25	अगस्त 25	सितम्बर 25	अक्टूबर 25	नवम्बर 25	दिसम्बर 25	जनवरी 26	फरवरी 26	मार्च 26	योग
एनटीपीसी कोरबा	330	329	309	328	309	309	283	300	301	307	293	291	3,689
एनटीपीसी कोरबा III	52	52	52	48	46	41	51	51	52	52	50	52	599
एनटीपीसी विंध्याचल I	269	270	241	294	246	254	233	231	277	276	270	280	3,140
एनटीपीसी विंध्याचल II	236	229	191	144	159	217	182	207	188	209	216	233	2,410
एनटीपीसी विंध्याचल III	162	177	160	181	148	147	174	171	173	163	148	147	1,951
एनटीपीसी विंध्याचल IV	189	179	171	188	181	177	160	180	160	139	116	152	1,992
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	89	97	92	105	93	93	92	88	99	84	68	92	1,092
एनटीपीसी सीपत I	208	230	216	217	230	167	152	183	207	228	213	230	2,482
एनटीपीसी सीपत II	124	125	121	120	127	115	108	92	105	110	85	115	1,346
एनटीपीसी मौदा I	21	14	22	43	28	20	15	20	30	46	31	34	322
एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	20	18	31	47	29	10	12	26	29	43	36	50	352
एनटीपीसी कवास जीपीपी	200	208	131	74	82	113	68	57	33	57	49	69	1,143
एनटीपीसी गंधार जीपीपी	85	107	42	145	103	80	0	6	14	24	86	246	938
एनटीपीसी औरैया जीपीपी	3	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	1	13
एनटीपीसी दादरी जीपीपी	3	1	2	3	0	1	1	0	1	0	1	2	16
एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	0	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	8
एनटीपीसी कहलगांव 2	45	35	30	48	30	31	29	31	39	37	42	48	444
केएपीपी काकरापारा	48	53	59	67	68	64	72	70	64	68	65	69	765
टीएपीपी तारापुर	148	147	153	147	152	127	122	140	127	88	98	127	1,576
आरएपीपी रावतभाटा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
एनएपीपी नरोरा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–I	103	0	56	360	190	223	219	290	386	204	244	264	2,538
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	237	51	0	395	396	375	372	278	215	167	227	456	3,169
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	268	58	0	340	355	350	420	314	243	186	216	420	3,169
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–I	52	36	37	50	58	45	44	89	103	35	63	98	711
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–II	63	45	45	62	72	55	54	93	88	28	40	66	711
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	8
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4

विवरण	अप्रैल 25	मई 25	जून 25	जुलाई 25	अगस्त 25	सितम्बर 25	अक्टूबर 25	नवम्बर 25	दिसम्बर 25	जनवरी 26	फरवरी 26	मार्च 26	योग
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	9
एनटीपीसी रिहन्द I	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	1	14
एनटीपीसी रिहन्द II	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	18
एनटीपीसी रिहन्द III	1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	19
एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	1	0	0	8	4	1	1	1	0	0	2	0	19
एनटीपीसी सिंगरौली	2	3	2	4	3	5	3	3	2	1	1	2	29
एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	0	0	1	6	3	2	1	1	0	0	0	0	15
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	269	84	1	167	190	166	217	314	311	314	197	276	2,506
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	269	84	1	167	190	166	217	314	311	314	197	276	2,506
मेजा ऊर्जा निगम	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	11
एनटीपीसी टाण्डा चरण–II	1	0	0	2	2	1	1	8	2	0	0	0	16
अमरकंटक टीपीएस फेज–III	126	131	126	124	124	120	131	127	131	131	119	131	1,521
सतपुड़ा टीपीएस फेज–III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	300	310	300	306	154	296	314	304	314	314	284	314	3,510
एसजीटीपीएस फेज I तथा II	448	462	336	331	331	321	470	454	470	470	424	470	4,987
एसजीटीपीएस फेज–III	326	337	326	0	329	318	337	326	337	337	305	337	3,615
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–I	656	677	656	435	435	637	687	665	687	687	621	687	7,530
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–2	739	764	363	616	742	718	774	749	774	774	699	774	8,486
रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	37	35	24	29	41	45	50	25	35	35	35	35	425
बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	64	64	94	104	110	124	99	99	84	84	84	79	1,094
बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	7	6	8	9	9	10	10	10	8	8	8	8	99
बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	0	0	0	12	20	25	30	10	0	0	0	0	98
बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	8	6	4	4	3	7	9	9	9	9	9	9	86
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	10	11	10	10	5	5	5	0	0	57
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0	0	2	10	23	14	20	15	11	10	5	5	113
राजघाट एचपीएस	0	0	0	4	7	6	10	6	6	3	3	3	47
गांधीसागर एचपीएस	5	6	6	6	12	12	12	20	25	20	15	15	152
राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	3	2	2	4	15	10	32	57	58	50	39	20	293
पेंच एचपीएस	4	6	12	12	18	42	40	16	17	10	10	10	199
एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	116	120	116	120	120	116	120	116	120	120	108	120	1,409

विवरण	अप्रैल 25	मई 25	जून 25	जुलाई 25	अगस्त 25	सितम्बर 25	अक्टूबर 25	नवम्बर 25	दिसम्बर 25	जनवरी 26	फरवरी 26	मार्च 26	योग
एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	71	73	71	73	73	71	73	71	73	73	66	73	862
सरदार सरोवर एचपीएस	121	120	162	57	112	288	188	149	136	150	120	105	1,706
रिहंद एचपीएस	5	5	12	3	3	19	15	11	9	11	10	9	111
माताटीला एचपीएस	2	2	3	3	4	4	4	2	3	5	4	3	40
एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	10
टेहरी एचपीएस	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
कोटेश्वर एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी पारबती ।।।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनएचपीसी चमेरा ।।	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी चमेरा ।।।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी दुलहस्ती	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी धौलीगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी सेवा ।।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एनएचपी उरी ।।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी किशनगंगा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी कोलडम एचपीपी ।	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी सिंगरौली निचली एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–।	55	45	63	57	41	1	0	0	7	9	47	61	387
बीएलए पावर इकाई क्रमांक–2	0	4	25	33	46	21	9	5	11	6	7	10	179
जेपी बीना पावर	162	66	250	302	176	211	217	336	241	192	222	268	2,642
लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई ।	190	134	196	177	115	108	158	187	194	190	172	210	2,033
रिलायंस यूएमपीपी, सासन	983	1,001	985	955	903	865	994	977	972	983	949	1,012	11,580
एस्सार पावर एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	274	298	314	315	247	256	299	327	322	323	254	246	3,474
एमबी पावर एसटीपीएस	249	220	226	320	266	253	208	215	270	234	267	219	2,947
झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–।	106	108	111	171	146	101	75	132	126	106	126	166	1,474
सौर ऊर्जा	955	987	955	987	987	955	987	955	951	951	962	987	11,618
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	875	904	875	904	904	875	904	875	904	904	817	904	10,650
योग	**10,397**	**9,537**	**8,808**	**10,280**	**10,041**	**10,233**	**10,600**	**10,822**	**10,881**	**10,390**	**9,855**	**11,394**	**1,23,237**

तालिका 38 : वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु माहवार ऊर्जा उपलब्धता प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट में)

विवरण	अप्रैल 26	मई 26	जून 26	जुलाई 26	अगस्त 26	सितम्बर 26	अक्टूबर 26	नवम्बर 26	दिसम्बर 26	जनवरी 27	फरवरी 27	मार्च 27	योग
एनटीपीसी कोरबा	330	329	309	328	309	309	283	300	301	307	293	291	3,689
एनटीपीसी कोरबा III	52	52	52	48	46	41	51	51	52	52	50	52	599
एनटीपीसी विंध्याचल I	269	270	241	294	246	254	233	231	277	276	270	280	3,140
एनटीपीसी विंध्याचल II	236	229	191	144	159	217	182	207	188	209	216	233	2,410
एनटीपीसी विंध्याचल III	162	177	160	181	148	147	174	171	173	163	148	147	1,951
एनटीपीसी विंध्याचल IV	189	179	171	188	181	177	160	180	160	139	116	152	1,992
एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	89	97	92	105	93	93	92	88	99	84	68	92	1,092
एनटीपीसी सीपत I	208	230	216	217	230	167	152	183	207	228	213	230	2,482
एनटीपीसी सीपत II	124	125	121	120	127	115	108	92	105	110	85	115	1,346
एनटीपीसी मौदा I	21	14	22	43	28	20	15	20	30	46	31	34	322
एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	20	18	31	47	29	10	12	26	29	43	36	50	352
एनटीपीसी कवास जीपीपी	200	208	131	74	82	113	68	57	33	57	49	69	1,143
एनटीपीसी गंधार जीपीपी	85	107	42	145	103	80	0	6	14	24	86	246	938
एनटीपीसी औरैया जीपीपी	3	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	1	13
एनटीपीसी दादरी जीपीपी	3	1	2	3	0	1	1	0	1	0	1	2	16
एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	0	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	8
एनटीपीसी कहलगांव 2	45	35	30	48	30	31	29	31	39	37	42	48	444
केएपीपी काकरापारा	48	53	59	67	68	64	72	70	64	68	65	69	765
टीएपीपी तारापुर	148	147	153	147	152	127	122	140	127	88	98	127	1,576
आरएपीपी रावतभाटा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
एनएपीपी नरोरा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–I	103	0	56	360	190	223	219	290	386	204	244	264	2,538
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–I	260	269	260	269	269	260	269	260	269	269	243	269	3,169
एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	260	269	260	269	269	260	269	260	269	269	243	269	3,169
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–I	52	36	37	50	58	45	44	89	103	35	63	98	711
एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–II	63	45	45	62	72	55	54	93	88	28	40	66	711
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	8
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4

विवरण	अप्रैल 26	मई 26	जून 26	जुलाई 26	अगस्त 26	सितम्बर 26	अक्टूबर 26	नवम्बर 26	दिसम्बर 26	जनवरी 27	फरवरी 27	मार्च 27	योग
एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	9
एनटीपीसी रिहन्द I	1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	1	1	14
एनटीपीसी रिहन्द II	1	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	18
एनटीपीसी रिहन्द III	1	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	19
एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	1	0	0	8	4	1	1	1	0	0	2	0	19
एनटीपीसी सिंगरौली	2	3	2	4	3	5	3	3	2	1	1	2	29
एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	0	0	1	6	3	2	1	1	0	0	0	0	15
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस इकाई–I	206	213	206	213	213	206	213	206	213	213	192	213	2,506
एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस इकाई–II	206	213	206	213	213	206	213	206	213	213	192	213	2,506
मेजा ऊर्जा निगम	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	11
एनटीपीसी टाण्डा चरण–II	1	0	0	2	2	1	1	8	2	0	0	0	16
अमरकंटक टीपीएस फेज–III	126	131	126	124	0	120	131	127	131	131	119	131	1,397
सतपुड़ा टीपीएस फेज–III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	300	310	300	306	152	296	314	304	314	314	284	314	3,508
एसजीटीपीएस फेज I तथा II	448	462	336	331	331	321	470	454	470	470	424	470	4,987
एसजीटीपीएस फेज–III	326	337	326	329	329	318	337	326	337	337	305	337	3,944
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–I	656	677	656	443	443	637	687	665	687	687	621	687	7,546
श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–2	730	754	376	615	733	710	765	740	765	765	691	765	8,409
रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	37	35	24	29	41	45	50	25	35	35	35	35	425
बाणसागर फेज I एचपीएस (टोंस)	85	65	90	105	110	125	100	100	80	80	80	80	1,097
बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	7	6	8	8	9	10	10	10	8	8	8	8	98
बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)	0	0	0	14	20	25	30	15	0	0	0	0	104
बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	8	6	4	4	3	7	9	9	9	9	9	9	84
बिरसिंहपुर एचपीएस	0	0	1	10	11	10	10	5	5	5	0	0	56
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0	0	2	10	23	14	20	15	12	10	5	5	114
राजघाट एचपीएस	0	0	0	4	7	6	10	6	6	3	3	3	47
गांधीसागर एचपीएस	2	2	5	6	15	15	15	25	25	20	15	15	158
राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	3	0	1	5	15	10	35	57	58	50	39	25	299
पेंच एचपीएस	4	6	12	12	20	42	42	17	18	12	12	12	208
एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	116	120	116	120	120	116	120	116	120	120	108	120	1,409

विवरण	अप्रैल 26	मई 26	जून 26	जुलाई 26	अगस्त 26	सितम्बर 26	अक्टूबर 26	नवम्बर 26	दिसम्बर 26	जनवरी 27	फरवरी 27	मार्च 27	योग
एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	71	73	71	73	73	71	73	71	73	73	66	73	862
सरदार सरोवर एचपीएस	121	120	162	57	112	288	188	149	136	150	120	105	1,706
रिहंद एचपीएस	5	5	12	3	3	19	15	11	9	11	10	9	111
माताटीला एचपीएस	2	2	3	3	4	4	4	2	3	5	4	3	40
एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	10
टेहरी एचपीएस	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
कोटेश्वर एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी पारबती III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
एनएचपीसी चमेरा II	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी चमेरा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी दुलहस्ती	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
एनएचपीसी धौलीगंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एनएचपीसी सेवा II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एनएचपी उरी II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी किशनगंगा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी यूनिट–1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएचपीसी निचली सुबनसरी एचईपी इकाई–I	55	45	63	57	41	1	0	0	7	9	47	61	387
बीएलए पावर इकाई–क्रमांक 2	0	4	25	33	46	21	9	5	11	6	7	10	179
जेपी बीना पावर	162	66	250	302	176	211	217	336	241	192	222	268	2,642
लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई I	190	134	196	177	115	108	158	187	194	190	172	210	2,033
रिलायंस यूएमपीपी, सासन	983	1,001	985	955	903	865	994	977	972	983	949	1,012	11,580
एस्सार पावर एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	274	298	314	315	247	256	299	327	322	323	254	246	3,474
एमबी पावर एसटीपीएस	249	220	226	320	266	253	208	215	270	234	267	219	2,947
झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	106	108	111	171	146	101	75	132	126	106	126	166	1,474
सौर ऊर्जा	1,118	1,155	1,118	1,155	1,155	1,118	1,155	1,118	1,155	1,114	1,085	1,155	13,600
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	989	1,022	989	1,022	1,022	989	1,022	989	889	1,022	1,056	1,022	12,031
योग	**10,571**	**10,494**	**10,021**	**10,799**	**10,037**	**10,379**	**10,622**	**10,814**	**11,266**	**10,966**	**10,532**	**11,539**	**1,28,040**

विद्युत क्रय लागत का आकलन (Assessment of Power Purchase Cost)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.48 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी को आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थाई लागत तथा ऊर्जा प्रभारों के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 39 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी को आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों के स्थाई लागत तथा ऊर्जा प्रभार संबंधी विवरण

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
1	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	136	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.28	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
2	सतपुड़ा टीपीएस फेज–II तथा III	0	संयन्त्र के अक्रियाशील किये जाने के कारण शून्य	0.00	संयन्त्र के अक्रियाशील किये जाने के कारण शून्य
3	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	674	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.29	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
4	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	398	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.39	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
5	एसजीटीपीएस फेज–III	335	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.92	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
6	श्री सिंगाजी एसटीपीएस–I	1211	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	3.12	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
7	श्री सिंगाजी एसटीपीएस–II	361	सिंगाजी एसटीपीएस फेज–I के अनुरूप माना गया है	3.57	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
A	**योग (एमपी जनको ताप–मप्र राज्य का अंशदान)**	**3116**			
8	रानी अवन्तिबाई सागर, बरगी एचपीएस	8	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.02	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
9	बाणसागर फेज–I एचपीएस (टोंस)	43	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	0.75	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
10	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	6	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	0.60	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
11	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	12	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	.0.95	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
12	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	8	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	0.93	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
13	बिरसिंहपुर एचपीएस	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	0.76	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
14	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	15	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.81	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
15	राजघाट एचपीएस	4	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.09	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
16	गांधीसागर एचपीएस	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.23	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
17	राणाप्रताप सागर एचपीएस	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.51	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
18	जवाहर सागर एचपीएस	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.51	राणाप्रताप सागर के अनुरूप माना गया है
19	पेंच एसपीएस	7	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	0.48	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
B	**योग (मप्र जनको जल विद्युत)**	**105**			
20	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	274	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.71	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
21	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	189	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.00	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
22	नधाविप्रा सरदार सरोवर एचपीएस	178	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	0.82	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
23	रिहन्द एचपीएस	0	शून्य	0.40	वित्तीय वर्ष 2021—22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
24	माताटीला एचपीएस	0	शून्य	0.40	वित्तीय वर्ष 2021—22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
25	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	1	पूर्व महीनों की आपूर्ति के अभाव में ऊर्जा प्रभार पिछले 12 माह (सितम्बर 15 से अगस्त 16) के औसत अनुसार	2.50	पूर्व महीनों की आपूर्ति के अभाव में ऊर्जा प्रभार पिछले 12 माह (सितम्बर 15 से अगस्त 16) के औसत अनुसार
26	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	1	पूर्व महीनो की आपूर्ति के अभाव में ऊर्जा प्रभार पिछले 12 माह (सितम्बर 15 से अगस्त 16) के औसत अनुसार	1.14	पूर्व महीनों की आपूर्ति के अभाव में ऊर्जा प्रभार पिछले 12 माह (सितम्बर 15 से अगस्त 16) के औसत अनुसार
27	टेहरी एचपीएस	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.19	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
28	कोटेश्वर एचपीपी	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.47	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
29	एनएचपीसी पारबती III	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.57	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
30	एनएचपीसी चमेरा II	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.17	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
31	एनएचपीसी चमेरा III	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.03	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
32	एनएचपीसी दुलहस्ती	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत	3.43	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू / किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
			के अनुसार		
33	एनएचपीसी धौलीगंगा	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.85	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
34	एनएचपीसी सेवा ॥	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	5.01	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
35	एनएचपीसी उरी ॥	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	3.19	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
36	एनएचपीसी किशनगंगा	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.29	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
37	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी ।	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.43	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
38	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	9.32	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
39	एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–.1	0	शून्य	0.00	ऊर्जा प्रभार सिंगरौली लघु एचईपी के अनुरूप माने गये हैं
C	**योग (संयुक्त उपक्रम जल विद्युत तथा अन्य जल विद्युत)**	**651**			
40	एनटीपीसी कोरबा	238	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत	1.56	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
			के अनुसार		
41	एनटीपीसी कोरबा III	74	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.47	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
42	एनटीपीसी विंध्याचल I	253	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.93	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
43	एनटीपीसी विंध्याचल II	146	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.78	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
44	एनटीपीसी विंध्याचल III	181	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.75	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
45	एनटीपीसी विंध्याचल IV	306	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.74	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
46	एनटीपीसी विंध्याचल V तथा इकाई I	151	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.80	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
47	एनटीपीसी सीपत I	303	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.54	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
48	एनटीपीसी सीपत II	159	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	1.59	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
49	एनटीपीसी मौदा ।	25	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	2.90	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
50	एनटीपीसी मौदा ॥ इकाई ।	26	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.20	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
51	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस	533	स्थाई प्रभार वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार	3.26	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
52	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई 1	570	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश तथा मेगावाट आवंटन अनुपात के अनुसार	2.83	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
53	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–1	119		2.28	
54	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस इकाई–1 तथा ॥	853	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ आदेश में स्वीकृत स्थाई लागत के अनुसार	2.89	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ आदेश में स्वीकृत स्थाई लागत के अनुसार
55	एनटीपीसी कवास जीपीपी	85	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	3.05	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
56	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	86	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार	2.80	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
57	केएपीपी काकरपारा	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	2.29	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
58	टीएपीपी तारापुर	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.38	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
59	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–.2	570	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश तथा मेगावाट आवंटन अनुपात के अनुसार	2.83	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
60	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–II	119	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार	2.28	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
61	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़,इकाई–III	0	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार	0.00	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
62	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–IV	0	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार	0.00	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
63	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–V	0	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार	0.00	वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार
D	**योग पश्चिमी क्षेत्र (WR)**	**4796**			
64	एनटीपीसी कहलगांव II	51	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	2.20	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
65	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	2.77	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
66	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	2.57	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
67	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.09	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
68	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत	3.25	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
			तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार		
69	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.31	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
70	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.23	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
71	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.11	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
72	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–I	1	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	1.51	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
73	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस II	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	1.52	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
74	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस III	3	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	1.58	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
75	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	3	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.18	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
76	एनटीपीसी सिंगरौली	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	1.59	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
77	एनटीपीसी आईजीपीएस । झज्जर	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.96	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
78	मेजा ऊर्जा निगम	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.08	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
79	एनटीपीसी टाण्डा	2	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.02	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
80	एनटीपीसी बदरपुर	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	0.00	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
81	राजस्थान (एनपीसीआईएल)	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.97	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
82	नरोरा (एनपीसीआईएल)	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.02	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
83	टोरेंट पॉवर	31	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	4.62	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
84	बीएलए पॉवर, इकाई । तथा ॥	17	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	3.15	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
85	जेपी बीना पावर	461	स्थाई प्रभार याचिका क्रमांक 44/2020	3.29	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
			दिनांक 30.04.2021 में मप्रविनिआ के आदेशानुसार		2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
86	लैंको अमकंटक टीपीएस इकाई ।	224	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	1.91	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
87	रिलायंस यूएसपीपी सासन	174	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	1.36	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
88	एस्सार पावर एसटीपीएस	0	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	4.56	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
89	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	633	स्थाई प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत तथा प्रतिशत आवंटन के अनुसार	0.70	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
90	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई ।	271	स्थाई प्रभार याचिका क्रमांक 46/2020 में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 01.05.2021 के अनुसार	2.43	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
91	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई ॥	271	स्थाई प्रभार याचिका क्रमांक 46/2020 में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 01.05.2021 के अनुसार	2.59	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
92	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई ।	280	स्थाई प्रभार याचिका क्रमांक 47/2020 में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 8.5.2021 के अनुसार	2.65	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
93	डीबी पावर एसटीपीएस, इकाई ।	320	चूंकि कोई टैरिफ आदेश उपलब्ध नहीं है अतएव एमबी पावर तथा ऊर्जा लागत के	2.43	चूंकि कोई टैरिफ आदेश उपलब्ध नहीं है अतएव एमबी पावर तथा ऊर्जा लागत के संबंध में एमबी

स.क्रं	स्त्रोत	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	स्थाई प्रभारों हेतु आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/ किलोवाट ऑवर में)	ऊर्जा प्रभारों हेतु आधार
			संबंध में एमबी पावर के अनुसार स्थाई प्रभारों के मेगावाट अनुपातों के अनुसार विचार किया गया		पावर के अनुसार स्थाई प्रभारों के मेगावाट अनुपातों के अनुसार विचार किया गया
94	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई ।	0	स्थाई प्रभार याचिका क्रमांक 28/2020 में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26 मई, 2020 के अनुसार रू 2.898 प्रति यूनिट की दर से	0.00	स्थाई प्रभार याचिका क्रमांक 28/2020 में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26 मई, 2020 के अनुसार रू 1.982 प्रति यूनिट की दर से
95	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर)	.		3.46	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार
96	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर के अतिरिक्त)	.		5.50	ऊर्जा प्रभार पूर्व 12 माह (सितम्बर 20 से अगस्त 2021) के देयकों के भारित औसत के अनुसार

2.49 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने नियन्त्रण अवधि हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charge) तथा स्थाई प्रभार (Fixed Charge) में 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रक्षेपित की है। नियन्त्रण अवधि हेतु प्रक्षेपित ऊर्जा प्रभारों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण (Merit Order Dispatch-MOD) का अनुपयुक्त पुंज (Stack) जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 40 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण

सरल क्रमांक	सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)
1	केएपीपी काकरापारा	229	728	234	730	238	728	243	728	248	728
2	टीएपीपी तारापुर	338	1,513	345	1,518	352	1,513	359	1,513	366	1,513
3	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–III	0	0	0	0	228	361	233	440	237	518

सरल क्रमांक	सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)
4	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–IV	0	0	0	0	228	361	233	440	237	518
5	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–V	0	0	0	0	0	0	228	440	233	518
6	राजस्थान (एनपीसीआईएल)	397	8	405	8	413	8	421	8	429	8
7	नरोरा (एनपीसीआईएल)	302	7	308	7	315	7	321	7	327	7
8	सतपुड़ा टीपीएस फेज–II तथा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–I	0	0	951	73	970	267	990	387	1,009	387
10	पेंच थर्मल एनर्जी इकाई–I	0	0	0	0	0	0	0	0	189	889
11	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर)	346	7,555	322	9,764	316	10,501	316	10,501	316	10,501
12	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर से अतिरिक्त)	550	4,515	550	4,534	550	4,534	549	4,534	549	4,531
13	रिहन्द एचपीएस	40	82	41	82	42	82	42	82	43	82
14	माताटीला एचपीएस	40	29	41	29	42	29	42	29	43	29
15	पेंच एचपीएस	48	199	49	199	50	199	51	199	52	199
16	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	60	92	61	92	62	92	64	92	65	92
17	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	70	3,474	72	3,483	73	3,474	75	3,474	76	3,474
18	बाणसागर फेज–I एचपीएस (टोंस)	75	898	77	898	78	898	80	898	81	898
19	बिरसिंहपुर एचपीएस	76	36	77	36	79	36	80	36	82	36
20	नधाविप्रा सरदार सरोवर एचपीएस	82	1,696	84	1,696	85	1,696	87	1,696	89	1,696
21	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	93	76	95	76	97	76	99	76	101	76
22	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	95	107	97	107	99	107	101	107	103	107
23	रानी अवन्ती बाई सागर, बरगी एचपीएस	102	380	104	380	106	380	108	380	110	380
24	राजघाट एचपीएस	109	37	111	37	113	37	115	37	118	37
25	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	114	9	116	9	118	9	121	9	123	9
26	एनएचपीसी चमेरा II	117	3	120	3	122	3	125	3	127	3
27	टेहरी एचपीएस	119	6	121	6	124	6	126	6	129	6
28	गांधीसागर एचपीएस	123	125	125	167	128	167	130	167	133	167
29	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	128	1,540	130	1,544	133	1,540	135	1,540	138	1,540

सरल क्रमांक	सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)
30	रिलांयस यूएमपीपी, सासन	136	10,422	138	10,450	141	10,422	144	10,422	147	10,422
31	एनटीपीसी कोरबा–III	147	505	150	506	153	505	156	505	159	505
32	कोटेश्वर एचपीपी	147	3	150	3	153	3	156	3	159	3
33	राणाप्रताप सागर एचपीएस	151	201	154	201	157	201	160	201	163	201
34	जवाहर सागर एचपीएस	151	147	154	147	157	147	160	147	163	147
35	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–I	151	15	154	15	158	15	161	15	164	15
36	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–II	152	16	155	16	158	16	161	16	164	16
37	एनटीपीसी सीपत I	154	2,247	157	2,253	160	2,247	163	2,247	166	2,247
38	एनटीपीसी कोरबा	156	3,286	159	3,295	162	3,286	165	3,286	169	3,286
39	एनएचपीसी पारबती–III	157	5	160	5	163	5	166	5	169	5
40	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–III	158	17	161	17	165	17	168	17	171	17
41	एनटीपीसी सीपत II	159	1,273	162	1,276	165	1,273	168	1,273	172	1,273
42	एनटीपीसी सिंगरौली	159	28	162	28	165	28	168	28	172	28
43	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	171	2,359	174	2,359	178	2,359	182	2,359	185	2,359
44	एनटीपीसी विन्ध्याचल IV	174	1,931	178	1,937	181	1,931	185	1,931	188	1,931
45	एनटीपीसी विन्ध्याचल III	175	1,677	178	1,682	182	1,677	186	1,677	189	1,677
46	एनटीपीसी विन्ध्याचल II	178	2,190	182	2,196	186	2,190	189	2,190	193	2,190
47	एनटीपीसी विन्ध्याचल V इकाई I	180	963	184	966	187	963	191	963	195	963
48	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	181	110	184	110	188	110	192	110	196	110
49	एनएचपीसी धौलीगंगा	185	3	188	3	192	3	196	3	200	3
50	लैंको अमरकंटकटीपीएस इकाई I	191	2,033	195	2,038	199	2,033	203	2,033	207	2,033
51	एसजीटीपीएस फेज–III	192	3,468	196	3,477	199	3,468	203	3,468	207	3,468
52	एनटीपीसी विन्ध्याचल I	193	2,947	196	2,955	200	2,947	204	2,947	208	2,947
53	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	200	1,043	204	1,043	208	1,043	213	1,043	217	1,043
54	एनएचपीसी चमेरा III	203	2	207	2	212	2	216	2	220	2
55	एनटीपीसी कहलगांव II	220	519	224	521	229	519	233	519	238	519

सरल क्रमांक	सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)
56	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई ।	228	622	233	624	237	361	242	440	247	518
57	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई ॥	228	622	233	624	237	361	242	440	247	518
58	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	229	3,388	233	3,397	238	3,388	243	3,388	248	3,388
59	एनएचपीसी किशनगंगा	229	3	233	3	238	3	243	3	248	3
60	एसजीटीपीएस फेज । तथा ॥	239	4,754	244	4,768	248	4,754	253	4,754	258	4,754
61	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–।	243	1,474	248	1,478	253	1,474	258	1,474	263	1,474
62	डीबी पावर एसटीपीएस इकाई–।	243	616	248	1,723	253	1,718	258	1,718	263	1,718
63	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी ।	243	4	248	4	253	4	258	4	263	4
64	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	250	2	255	2	261	2	266	2	271	2
65	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	257	15	262	15	267	15	272	15	278	15
66	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–॥	259	1,474	265	1,478	270	1,474	275	1,474	281	1,474
67	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–।	265	1,474	270	1,478	275	1,474	281	1,474	286	1,474
68	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	277	12	282	12	288	12	294	12	299	12
69	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	280	601	285	602	291	601	297	601	303	601
70	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–1	283	2,913	289	2,921	295	2,913	301	2,913	307	2,913
71	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	283	2,913	289	2,921	295	2,913	301	2,913	307	2,913
72	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–। तथा ॥	289	4,806	295	4,819	301	4,806	307	4,806	313	4,806
73	एनटीपीसी मौदा ।	290	135	295	135	301	135	307	135	313	1,162
74	एनटीपीसी टाण्डा	302	8	308	8	314	8	321	8	327	8
75	एनटीपीसी कवास जीपीपी	305	718	311	720	318	718	324	718	331	718
76	मेजा ऊर्जा निगम	308	6	314	6	320	6	327	6	333	6
77	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	309	7	315	7	322	7	328	7	335	7
78	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	311	9	318	9	324	9	331	9	337	9
79	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेज–।	312	8,421	318	8,445	325	8,421	331	8,421	338	8,421
80	बीएलए पावर, इकाई । तथा ॥	315	188	321	189	328	188	334	188	341	188
81	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी ॥	318	16	325	16	331	16	338	16	344	16

सरल क्रमांक	सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)
82	एनएचपीसी उरी II	319	0	325	0	331	0	338	0	345	0
83	एनटीपीसी मौदा II इकाई I	320	171	326	172	333	171	339	171	346	1,620
84	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	323	4	329	4	336	4	343	4	350	4
85	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	325	2	331	2	338	2	345	2	352	2
86	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस	326	2,250	333	2,257	340	2,250	346	2,250	353	2,250
87	जेपी बीना पावर	329	2,372	336	2,378	343	2,372	350	2,372	357	2,372
88	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	331	7	337	7	344	7	351	7	358	7
89	एनटीपीसी दुलहस्ती	343	4	350	4	357	4	364	4	371	4
90	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेज–II	357	9,141	364	9,166	371	9,141	378	9,141	386	9,141
91	एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	396	14	404	14	412	14	420	14	428	14
92	एस्सार पावर एसटीपीएस	456	421	465	422	474	421	484	421	494	421
93	टोरेंट पावर	462	256	471	257	481	256	490	256	500	256
94	एनएचपीसी सेवा II	501	1	511	1	522	1	532	1	543	1
95	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	932	0	951	0	970	0	990	0	1,009	0
	योग		**110,368**		**114,066**		**114,944**		**115,821**		**119,570**

2.50 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्रवार, स्थाई लागतों तथा ऊर्जा लागतों के विवरण जैसा कि इन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 41 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई स्थाई लागत तथा ऊर्जा लागत (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
1	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	136	196	332	139	201	340	142	204	346	144	208	353	147	213	360
2	सतपुड़ा टीपीएस फेज II तथा III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	674	775	1,449	688	792	1,480	702	806	1,508	716	822	1,538	730	839	1,569
4	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	398	1,128	1,526	406	1,161	1,567	414	1,181	1,595	422	1,205	1,627	430	1,229	1,659
5	एसजीटीपीएस फेज–III	335	665	1,000	342	680	1,022	349	691	1,040	356	705	1,061	363	719	1,083
6	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेज–I	1,211	808	2,020	1,235	1,043	2,279	1,260	1,366	2,626	1,285	2,448	3,733	1,311	2,615	3,926
7	श्री सिंगाजी एसटीपीस फेज–II	361	0	361	368	0	368	375	645	1,020	383	807	1,190	391	1,375	1,765
A	**योग (मध्यप्रदेश जनको–ताप विद्युत मध्यप्रदेश अंशदान)**	**3,116**	**3,573**	**6,688**	**3,178**	**3,877**	**7,055**	**3,241**	**4,894**	**8,136**	**3,306**	**6,195**	**9,501**	**3,372**	**6,989**	**10,362**
8	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	8	39	46	8	39	47	8	40	48	8	41	49	8	42	50
9	बाणसागर फेज–I एचपीएस (टोन्स)	43	67	110	44	69	112	44	70	114	45	71	117	46	73	119
10	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	6	6	11	6	6	11	6	6	12	6	6	12	6	6	12
11	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	12	10	22	13	10	23	13	11	23	13	11	24	13	11	24
12	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	8	7	15	8	7	15	8	7	15	8	7	16	8	8	16
13	बिरसिंहपुर एचपीएस	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5
14	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	15	20	35	15	20	35	15	21	36	15	21	37	16	22	37
15	राजघाट एचपीएस	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8
16	गांधीसागर एचपीएस	2	15	17	2	21	23	2	21	23	2	22	23	2	22	24
17	राणाप्रताप सागर एचपीएस	0	30	30	0	31	31	0	32	32	0	32	32	0	33	33
18	जवाहर सागर एचपीएस	0	22	22	0	23	23	0	23	23	0	24	24	0	24	24
19	पेंच एचपीएस	7	10	17	8	10	17	8	10	18	8	10	18	8	10	19
B	**योग (मध्यप्रदेश जनको जल विद्युत)**	**105**	**233**	**338**	**107**	**243**	**350**	**110**	**248**	**357**	**112**	**253**	**365**	**114**	**258**	**372**
20	एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	274	404	677	279	412	691	285	420	705	291	428	719	296	437	733
21	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	189	209	398	193	213	406	197	217	414	201	222	423	205	226	431
22	नघाविप्रा सरदार सरोवर एचपीएस	178	139	317	181	142	323	185	145	330	189	148	336	193	151	343

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
23	रिहन्द एचपीएस	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	4	4
24	माताटीला एचपीएस	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
25	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
26	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	1	1	2	1	1	2	1	1	3	2	1	3	2	1	3
27	टेहरी एचपीएस	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
28	कोटेश्वर एचपीपी	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
29	एनएचपीसी पारबती–III	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
30	एनएचपीसी चमेरा–II	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
31	एनएचपीसी चमेरा–III	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
32	एनएचपीसी दुलहस्ती	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	1	3
33	एनएचपीसी धौलीगंगा	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
34	एनएचपीसी सेवा II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	एनएचपीसी उरी II	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
36	एनएचपीसी किशनगंगा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
37	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
38	एनएचपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	**योग (संयुक्त उपक्रम जल विद्युत तथा अन्य जल विद्युत)**	**651**	**762**	**1,413**	**664**	**778**	**1,442**	**678**	**794**	**1,471**	**691**	**809**	**1,501**	**705**	**826**	**1,531**
40	एनटीपीसी कोरबा	238	512	750	243	524	766	248	532	780	253	543	796	258	554	812
41	एनटीपीसी कोरबा III	74	74	148	75	76	151	77	77	154	78	79	157	80	80	160
42	एनटीपीसी विंध्याचल I	253	567	820	258	580	838	263	590	854	269	602	871	274	614	888
43	एनटीपीसी विंध्याचल II	146	391	537	149	400	549	152	407	558	155	415	569	158	423	581
44	एनटीपीसी विंध्याचल III	181	293	474	184	300	484	188	305	493	192	311	503	196	318	513
45	एनटीपीसी विंध्याचल IV	306	336	642	312	344	656	318	350	668	325	357	681	331	364	695
46	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई I	151	173	325	154	177	332	158	180	338	161	184	345	164	188	352
47	एनटीपीसी सीपत I	303	345	648	309	353	662	315	359	674	321	366	687	327	374	701
48	एनटीपीसी सीपत II	159	202	361	163	207	369	166	210	376	169	214	383	173	219	391

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
49	एनटीपीसी मौदा I	25	14	39	26	19	44	26	30	56	27	38	64	27	364	391
50	एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	26	5	30	26	20	46	27	20	47	27	45	72	28	435	463
51	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस	533	20	552	543	206	749	554	274	828	565	522	1,087	577	579	1,156
52	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–1	570	686	1,255	581	760	1,341	593	820	1,412	605	876	1,480	617	893	1,510
53	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई I	119	142	261	122	145	267	124	86	210	127	107	233	129	128	257
54	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–Iतथा II	853	617	1,471	870	762	1,632	888	1,228	2,116	906	1,415	2,321	924	1,505	2,428
55	एनटीपीसी कवास जीपीपी	85	70	155	87	111	197	88	167	255	90	213	303	92	237	329
56	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	86	154	239	87	157	245	89	175	264	91	178	269	93	182	275
57	केएपीपी काकरापार	0	167	167	0	171	171	0	174	174	0	177	177	0	181	181
58	टीएपीपी तारापुर	0	512	512	0	524	524	0	533	533	0	544	544	0	554	554
59	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	570	560	1,130	581	674	1,255	593	788	1,381	605	876	1,480	617	893	1,510
60	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई II	119	142	261	122	145	267	124	86	210	127	107	233	129	128	257
61	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई III	0	0	0	0	0	0	86	82	168	86	102	188	86	123	209
62	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई IV	0	0	0	0	0	0	86	82	168	86	102	188	86	123	209
63	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	100	186	86	120	206
D	**योग पश्चिमी क्षेत्र**	**4,796**	**5,981**	**10,777**	**4,892**	**6,653**	**11,545**	**5,161**	**7,556**	**12,717**	**5,347**	**8,473**	**13,820**	**5,449**	**9,578**	**15,027**
64	एनटीपीसी कहलगांव I	51	114	165	52	117	169	53	119	172	54	121	175	55	124	179
E	**योग पूर्वी क्षेत्र**	**51**	**114**	**165**	**52**	**117**	**169**	**53**	**119**	**172**	**54**	**121**	**175**	**55**	**124**	**179**
65	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4
66	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	1	3	4	1	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5
67	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	2	3
68	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	2
69	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	1	0	1	2	0	2	2	1	2	2	1	3	2	2	3
70	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	2	1	1	2
71	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	2	1	3	2	1	4	2	2	4	2	3	5	2	3	5
72	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–I	1	2	4	1	2	4	1	2	4	2	2	4	2	2	4
73	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–II	2	2	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
74	एनटीपीसी रिहन्द टीपीएस–III	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6
75	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	3	0	3	3	2	5	3	2	5	3	4	7	3	5	8
76	एनटीपीसी सिंगरौली	2	4	6	2	5	6	2	5	7	2	5	7	2	5	7
77	एनटीपीसी आईजीपीएस । झज्जर	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	3	0	3
78	मेजा ऊर्जा निगम	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	2	4	2	2	4
79	एनटीपीसी टाण्डा	2	1	2	2	1	3	2	2	4	2	2	4	2	3	4
80	एनटीपीसी बदरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	राजस्थान (एनपीसीआईएल)	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
82	नरोरा (एनपीसीआईएल)	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
F	**योग उत्तरी क्षेत्र**	**25**	**27**	**52**	**25**	**32**	**57**	**26**	**35**	**61**	**26**	**41**	**68**	**27**	**44**	**71**
83	टोरेन्ट पावर	31	0	31	31	0	31	32	0	32	33	0	33	33	0	33
84	बीएलए पावर, इकाई–1 एवं 2	17	5	22	18	21	39	18	21	39	19	50	68	19	55	74
85	जेपी बीना पावर	461	0	461	470	172	642	479	289	768	489	379	867	498	563	1,061
86	लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई–1	224	389	612	228	397	626	233	404	637	238	412	650	242	421	663
87	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	174	1,412	1,587	178	1,445	1,623	181	1,469	1,651	185	1,499	1,684	189	1,529	1,718
88	एस्सार पावर एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	633	244	877	646	250	896	659	254	913	672	259	931	686	264	950
90	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–1	271	334	605	277	366	643	282	372	654	288	380	667	294	387	681
91	एमबी पावर एसटीपीएस, इकाई–2	271	357	628	277	371	647	282	398	680	288	406	693	294	414	707
92	झाबुआ पावर एसटीपीएस इकाई–1	280	355	635	286	364	649	291	406	697	297	414	711	303	422	725
93	डीबी पावर एसटीपीएस इकाई–1	320	149	470	327	427	753	333	434	767	340	443	783	347	451	798
94	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई–1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	168	426
G	**स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPPs)**	**2,683**	**3,246**	**5,929**	**2,737**	**3,812**	**6,549**	**2,791**	**4,048**	**6,839**	**2,847**	**4,240**	**7,087**	**3,162**	**4,675**	**7,836**
95	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर)	0	2,613	2,613	0	3,146	3,146	0	3,323	3,323	0	3,323	3,323	0	3,323	3,323
96	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर से अतिरिक्त)	0	2,483	2,483	0	2,493	2,493	0	2,492	2,492	0	2,491	2,491	0	2,489	2,489
H	**नवीकरणीय ऊर्जा का योग**	**0**	**5,096**	**5,096**	**0**	**5,639**	**5,639**	**0**	**5,815**	**5,815**	**0**	**5,814**	**5,814**	**0**	**5,812**	**5,812**
I	**महायोग**	**11,427**	**19,032**	**30,459**	**11,656**	**21,150**	**32,806**	**12,060**	**23,508**	**35,568**	**12,384**	**25,946**	**38,330**	**12,884**	**28,305**	**41,190**

आयोग का विश्लेषण (Commision's Analysis)

2.51 आयोग द्वारा यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत क्रय लागत के दावे के लिये माह सितम्बर 2020 से माह अगस्त 2021 तक की अवधि हेतु देयकों के अनुसार वास्तविक स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अनुवर्ती वर्षों के लिये विद्युत क्रय लागत के प्रक्षेपण हेतु प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों में 2% की वार्षिक वृद्धि भी प्रक्षेपित की है।

2.52 आयोग ने नियन्त्रण अवधि के लिये विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों के अवधारण में निम्न दृष्टिकोण अपनाया है :–

ऊर्जा की लागत का अवधारण (Determination of Energy Cost)

केन्द्रीय, राज्य तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र (Central, State and IPPs Thermal Generating Stations)

2.53 आयोग ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्दों (CGS), मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (MPPGCL) तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) हेतु पिछले पांच वर्षों के वास्तविक ऊर्जा प्रभारों का विश्लेषण किया है जिसके अन्तर्गत यह पाया गया है कि इन विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभारों में समग्र रूप से निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तालिका 42 : पिछले पांच वर्षों में ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि (%)

विवरण	वृद्धि (प्रतिशत)
केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (CGS)	3.27%
राज्य विद्युत उत्पादन केन्द्र (MPPGCL)	1.36%
स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (IPPs)	0.37%

2.54 तद्नुसार, आयोग ने ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभार, माह सितम्बर, 2020 से माह अगस्त 2021 की अवधि के दौरान वास्तविक आंकड़ों के अनुसार माने हैं जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने इन्हें वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के आगे आयोग ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) के ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वृद्धि को उपरोक्त दर्शायी गयी ''तालिका 42 : पिछले पांच वर्षों में ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि (%)" के अनुसार विचार किया है।

केन्द्रीय तथा राज्य जल विद्युत उत्पादन केन्द्र (Central and State Hydro Generating Stations)

2.55 जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु आयोग ने ऊर्जा प्रभारों की गणना केविविआ/मप्रविनिआ विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई क्रियाविधि पर विचार करते हुए की है।

न्यूक्लियर पावर जनरेशन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्र (NPCIL Generating Stations)

2.56 नाभिकीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों (Nuclear Power Generating Stations) हेतु यह पाया गया है कि इन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि 0.44 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक विकास दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 2.93/किलोवाट ऑवर (KWh) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू 2.98/किलोवाट ऑवर हो गई है। तद्नुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष

2023–24 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रत्येक वर्ष के दौरान नाभिकीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि को 0.44% की वृद्धि दर के अनुसार माना है।

नवीकरणीय स्त्रोत (Renewable Sources)

2.57 आयोग ने विद्यमान सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय की दर को विद्युत क्रय अनुबन्धों के अनुसार भारित औसत क्रय दर माना है। तथापि, सौर नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Solar RPO) की पूर्ति हेतु अतिरिक्त विद्युत अधिप्राप्ति को रू. 2.62/किलोवाट ऑवर की दर से, अर्थात् अन्तिम हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबन्ध की दर से माना गया है। गैर–सौर विद्युत क्रय आबन्ध में कमी की पूर्ति हेतु, अतिरिक्त गैर–सौर विद्युत आपूर्ति को रू. 2.77/किलोवाट की दर से माना गया है, अर्थात् भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) की नवीनतम प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में पाई गई दर, जिनके माध्यम से मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति की जाना प्रस्तावित किया गया है।

नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र (New Generating Stations)

2.58 आयोग ने सुबनसिरी एचईपी हेतु ऊर्जा प्रभार, आंकड़ा संबंधी विसंगतियों (data gaps) के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा की गई पृच्छा के संदर्भ में माना है, अर्थात् रू. 5.39 प्रति किलोवाट ऑवर जबकि पेंच थर्मल पावर स्टेशन हेतु ऊर्जा प्रभार याचिका क्रमांक 28, वर्ष 2020 के संबंध में आयोग के आदेश दिनांक 26.05.2020 के अनुसार रू. 1.892/किलोवाट ऑवर माना है।

स्थाई लागत का अवधारण (Determination of Fixed Cost)

केन्द्रीय, राज्य तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों के उत्पादन केन्द्र (Central, State and IPPs Generating Stations)

2.59 केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों (ताप तथा जल विद्युत) हेतु आयोग ने वैयक्तिक विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी अन्तिम उपलब्ध विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों में किये गये प्रावधानों को माना है।

2.60 एमपीपीजीसीएल विद्युत उत्पादन केन्द्रों (ताप तथा जल विद्युत) हेतु स्थाई प्रभार आयोग द्वारा जारी किये गये अन्तिम उपलब्ध बहुवर्षीय टैरिफ आदेशों के माध्यम से अवधारित विद्युत–दर के अनुसार माने गये हैं।

2.61 आयोग ने ऐसे स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) की स्थाई लागतों पर विचार अन्तिम उपलब्ध बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के आधार पर किया है जिनकी विद्युत–दर आयोग द्वारा अवधारित की जाती है।

2.62 इसके अतिरिक्त, आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु स्थाई प्रभारों में किसी वृद्धि पर विचार नहीं किया है।

2.63 नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु जिनकी विद्युत–दर (टैरिफ) का समुचित आयोग द्वारा अवधारित/स्वीकार किया जाना अभी भी शेष है वहां स्थाई प्रभारों पर विचार पूर्व एक वर्ष के वास्तविक देयकों के आधार पर किया गया है।

आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों से विद्युत क्रय (Power Purchase from Captive Power Plants (CPP)}

2.64 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारंपरिक ईंधन आधारित केप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 दिनांक 31 जनवरी, 2009 के विनियम 3.2 में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है :

"3.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी केप्टिव विद्युत संयंत्र धारक से विद्युत क्रय की अधिकतम दर वह होगी जैसा कि इसे आयोग द्वारा समय–समय पर जारी उसके टैरिफ आदेश द्वारा अवधारित किया जावेगा। तथापि, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास किसी केप्टिव विद्युत संयंत्र धारक से इस संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये दिशा–निर्देशानुसार लघु–कालीन (short-term)/दीर्घ–कालीन (long-term) विद्युत उपाप्ति का विकल्प विद्यमान होगा परन्तु यह दर आयोग द्वारा अवधारित दरों से अधिक न होगी। ऐसी परिस्थिति में आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा निर्णित दर अपनाई जावेगी। ऐसा समस्त प्रकरणों में, मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा।"

2.65 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा नियंत्रण अवधि हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों से किसी भी विद्युत उपलब्धता को दर्शाया नहीं गया है। तद्नुसार, आयोग ने आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों (CPPs) से उपलब्धता के बारे में विचार नहीं किया है। उपरोक्त विनियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों से विद्युत का क्रय कर सकता है जिसकी विद्युत–दर (टैरिफ) का निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (competitive bidding) के माध्यम से किया जाकर आयोग के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु पृथक याचिका दाखिल की जा सकती है। इस प्रक्रिया के आधार पर आयोग विद्युत संयंत्र से वास्तविक क्रय की गई विद्युत की लागत पर सत्यापन के समय विचार कर सकता है।

नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र (New Generating Stations)

2.66 आंकड़ों में विसंगतियों (data gaps) {अर्थात् समानीकृत विद्युत–दर (levelized tariff)} के बारे में पृच्छा किये जाने पर याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर में अवगत कराया है कि विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थाई लागत के विवरण के अभाव में सुबनसिरी एचईपी हेतु किसी स्थाई प्रभार पर विचार नहीं किया गया है। पेंच थर्मल पावर स्टेशन की स्थाई लागत की गणना याचिका क्रमांक 28, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ के आदेश दिनांक 26.05.2020 के अनुसार रू. 2,898/किलोवाट ऑवर मानी गयी है।

2.67 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नियन्त्रण अवधि हेतु स्थाई तथा ऊर्जा प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 43 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों का आधार

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
1	एनटीपीसी कोरबा	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	याचिका क्रं 323/GT/2014 में केविविआ आदेश दिनांक 24.02.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31–3–2019 हेतु	1.56	1.61	1.66	1.72	1.77	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
2	एनटीपीसी कोरबा III	489	489	489	489	489	याचिका क्रं 340/GT/2014 में केविविआ आदेश दिनांक 3.3.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	1.47	1.52	1.57	1.62	1.67	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
3	एनटीपीसी विंध्याचल I	765	783	783	783	783	याचिका क्रं 401/GT/2022 में केविविआ आदेश दि. 31.01.2022 द्वारा अवधि 1.4.2019 से 31.3.2024 हेतु	1.93	1.99	2.05	2.12	2.19	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
4	एनटीपीसी विंध्याचल II	488	488	488	488	488	याचिका क्रं 327/GT/2014 में केविविआ आदेश दिनांक 6.2.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31–3–2019 हेतु	1.78	1.84	1.90	1.97	2.03	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
5	एनटीपीसी विंध्याचल III	736	736	736	736	736	याचिका क्रं 342/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 24.2.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	1.75	1.81	1.87	1.93	1.99	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
6	एनटीपीसी विंध्याचल IV	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	याचिका क्रं 339/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 10.3.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	1.74	1.80	1.86	1.92	1.98	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
7	एनटीपीसी विंध्याचल V	583	583	583	583	583	याचिका क्रं 234/GT/	1.80	1.86	1.92	1.98	2.05	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
	इकाई–1						2015 में केविविआ आदेश दि. 31.08.2016 द्वारा अवधि 30.10.2015 से 31..3.2019 हेतु						यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
8	एनटीपीसी सीपत I	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	याचिका क्रं 337/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 29.3.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	1.54	1.59	1.64	1.69	1.75	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
9	एनटीपीसी सीपत II	874	874	874	874	874	याचिका क्रं 322/GT/2014 तथा 28/RP/2017 में केविविआ आदेश दि. 21.3.2017 तथा 15.12.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.03.2019 हेतु	1.59	1.64	1.69	1.75	1.80	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
10	एनटीपीसी मौदा I	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	याचिका क्रं 328/GT/2014 में केविविआ आदेश दिनांक 1.2.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	2.90	2.99	3.09	3.19	3.29	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
11	एनटीपीसी मौदा II इकाई–1	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	याचिका क्रं 142/GT/2016 में केविविआ आदेश दिनांक 5.4.2019 द्वारा अवधि क्रियाशील होने की तिथि (CoD) से 31.3.2019 हेतु	3.20	3.30	3.41	3.52	3.64	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
12	एनटीपीसी कवास जीपीपी	407	407	407	407	407	याचिका क्रं 341/GT/2017 में केविविआ आदेश दि. 24.3.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	3.05	3.15	3.26	3.36	3.47	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
13	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	516	516	516	516	516	याचिका क्रं 325/GT/2014 तथा याचिका क्रं 32/RP/2017 में	2.80	2.89	2.98	3.08	3.18	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							केविविआ आदेश दिनांक 10.4.2017 तथा 19.2. 2019 द्वारा अवधि 1.4. 2014 से 31.3.19 हेतु						तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
14	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	309	309	309	309	309	याचिका क्रं 285/GT/ 2014 में केविविआ आदेश दि. 18.4.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31–3–2019 हेतु	2.77	2.86	2.95	3.05	3.15	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
15	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	309	318	318	318	318	याचिका क्रं 400/GT/ 2020 में केविविआ द्वारा आदेश दि. 13.11.2021 द्वारा अवधि 1.4.2019 से 31.3.2024 हेतु	2.57	2.65	2.74	2.83	2.92	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
16	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	218	218	218	218	218	याचिका क्रं 287/GT/ 2014 में केविविआ आदेश दि. 19.9.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	3.09	3.19	3.30	3.41	3.52	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
17	एनटीपीसी कहलगांव 2	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	याचिका क्रं 283/GT/ 2014 में केविविआ आदेश दि. 21.01.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 हेतु	2.20	2.27	2.34	2.42	2.50	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
18	केएपीपी काकरापार	-	-	-	-	-	—	2.29	2.30	2.31	2.32	2.33	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
19	टीएपीपी तारापुर	-	-	-	-	-	—	3.38	3.40	3.41	3.43	3.44	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
20	आरएपीपी रावतभाटा	-	-	-	-	-	—	3.97	3.98	4.00	4.02	4.04	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
													यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
21	एनएपीपी नरोरा	-	-	-	-	-	—	3.02	3.04	3.05	3.06	3.08	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
22	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–1	2,011	2,011	2,011	2,011	2,011	याचिका क्रं 178/GT/2017 में केविविआ आदेश दि. 06.01.2020	3.26	3.37	3.48	3.59	3.71	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
23	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–1	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	माह जनवरी 2020 से माह दिसम्बर 2020 की अवधि हेतु वास्तविक देयकों पर आधारित आनुपातिक स्थाई प्रभार	2.83	2.93	3.02	3.12	3.22	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
24	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	गाडरवारा इकाई–I हेतु स्थाई प्रभारों के समकक्ष	2.83	2.93	3.02	3.12	3.22	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
25	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–I	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	माह जनवरी 2020 से माह दिसम्बर 2020 की अवधि हेतु वास्तविक देयकों पर आधारित आनुपातिक स्थाई प्रभार	2.28	2.35	2.43	2.51	2.59	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
26	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–II	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	लारा इकाई–1 हेतु स्थाई प्रभारों के समकक्ष	2.28	2.35	2.43	2.51	2.59	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
27	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–III	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
28	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–IV	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
29	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़, इकाई–V	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
30	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	309	316	316	316	316	याचिका क्रं 438/GT/2020 में केविविआ आदेश दिनांक 12.12.2021 द्वारा	3.25	3.35	3.46	3.58	3.69	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
31	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	291	291	291	291	291	याचिका क्रं 300/GT/2020 में केविविआ आदेश दि. 02.8.2020 द्वारा	3.31	3.42	3.53	3.64	3.76	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
32	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	179	179	179	179	179	याचिका क्रं 373/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 19.04.2017 द्वारा	3.23	3.34	3.44	3.56	3.67	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
33	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	551	551	551	551	551	याचिका क्रं 197/GT/2017 में केविविआ आदेश दि. 06.12.2019 द्वारा	3.11	3.22	3.32	3.43	3.54	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
34	एनटीपीसी रिहन्द I	586	586	586	586	586	याचिका क्रं 291/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 23.08.2016 द्वारा	1.51	1.56	1.62	1.67	1.72	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
35	एनटीपीसी रिहन्द II	497	497	497	497	497	याचिका क्रं 318/GT/	1.52	1.57	1.62	1.67	1.73	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							2014 में केविविनिआ आदेश 01.12.2016 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.19 हेतु						यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
36	एनटीपीसी रिहन्द III	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	याचिका क्रं 372/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 06.02.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.19 हेतु	1.58	1.63	1.69	1.74	1.80	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
37	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	925	925	925	925	925	याचिका क्रं 324/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 02.05.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.19 हेतु	3.18	3.29	3.39	3.50	3.62	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
38	एनटीपीसी सिंगरौली	907	907	907	907	907	याचिका क्रं 290/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 28.07.2016 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.19 हेतु	1.59	1.64	1.69	1.75	1.80	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
39	एनटीपीसी आईजीपीएस–I झज्जर	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	याचिका क्रं 266/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 09.03.2017 द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.19 हेतु	3.96	4.09	4.22	4.36	4.50	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
40	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	822	822	822	822	822	माह अप्रैल 2020 से माह मार्च 2021 की अवधि हेतु वास्तविक देयकों पर आधारित आनुपातिक स्थाई प्रभार	2.89	2.99	3.08	3.19	3.29	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
41	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	822	822	822	822	822	माह अप्रैल 2020 से माह मार्च 2021 की अवधि हेतु वास्तविक देयकों पर आधारित आनुपातिक स्थाई प्रभार	2.89	2.99	3.08	3.19	3.29	वित्तीयवर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
42	मेजा ऊर्जा निगम	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	यचिकाकर्ता के	3.08	3.18	3.28	3.39	3.50	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							प्रस्तुतिकरण के अनुसार आनुपातिक स्थाई प्रभार						यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
43	एनटीपीसी टाण्डा चरण–II	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण के अनुसार आनुपातिक स्थाई प्रभार	3.02	3.12	3.22	3.33	3.44	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
44	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	164	164	164	164	164	याचिका क्रमांक 53 वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	1.28	1.29	1.31	1.33	1.35	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
45	सतपुड़ा टीपीएस फेज–III	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
46	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	615	604	604	604	604	याचिका क्रमांक 53 वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	2.29	2.32	2.35	2.38	2.41	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
47	एसजीटीपीएस फेज–I तथा II	464	457	457	457	457	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	2.39	2.42	2.45	2.49	2.52	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
48	एसजीटीपीएस फेज–III	311	309	309	309	309	याचिका क्रमांक 53 वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	1.92	1.94	1.97	2.00	2.02	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर माना गया है
49	श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–I	1,277	1,247	1,247	1,247	1,247	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	3.12	3.16	3.20	3.25	3.29	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
													वृद्धि दर मानी गयी है
50	श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–2	1,340	1,314	1,314	1,314	1,314	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	3.57	3.61	3.66	3.71	3.76	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
51	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	18	18	18	18	18	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
52	बाणसागर फेज I एचपीएस (टोन्स)						याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.73	0.74	0.79	0.80	0.80	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
53	बाणसागर फेज II एचपीएस (सिलपारा)	154	156	156	156	156	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.73	0.74	0.79	0.80	0.80	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
54	बाणसागर फेज III एचपीएस (देवलोंद)						याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.73	0.74	0.79	0.80	0.80	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
55	बाणसागर फेज IV एचपीएस (झिन्ना)	10	10	10	10	10	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
56	बिरसिंहपुर एचपीएस	6	6	6	6	6	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.65	0.66	0.66	0.66	0.65	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
57	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	19	19	19	19	19	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	1.72	1.71	1.71	1.71	1.72	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
58	राजघाट एचपीएस	15	15	15	15	15	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
59	गांधीसागर एचपीएस	16	16	16	16	16	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2021 द्वारा	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
60	राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	0	0	0	0	0	याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
61	पेंच एचपीएस	28	28	28	28	28	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 19.5.2020 द्वारा	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
62	एनएचडीसी इंदिरा सागर एचपीएस	535	559	559	559	559	याचिका क्रं 106/GT/2020 में केविविआ आदेश दि. 06.01.2022 द्वारा	1.91	1.99	1.99	1.99	1.99	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
63	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	398	398	398	398	398	याचिका क्रं 264/GT/2014 में केविविआ आदेश दि. 26.05.2016 द्वारा	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
64	सरदार सरोवर एचपीएस	356	356	356	356	356	याचिका क्रं 18/2013 में केविविआ आदेश दिनांक 06.08.2013 द्वारा	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
65	रिहन्द एचपीएस	0	0	0	0	0	यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
66	माताटीला एचपीएस	0	0	0	0	0	यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
67	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	674	673	673	673	673	याचिका क्रं 28/GT/2020 में केविविआ आदेश दि. 24.01.2022	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							द्वारा						
68	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	याचिका क्रं 314 /GT /2018 में वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 हेतु केविविआ आदेश दिनांक 19..6.2019 द्वारा	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
69	टेहरी एचपीएस	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	याचिका क्रं 178/GT/2015 में केंविविआ आदेश दि. 29.03.2017 द्वारा अवधि वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
70	कोटेश्वर एचपीएस	466	466	466	466	466	याचिका क्रं 117/GT/2018 में आरपी क्रमांक 47/RP/2018 पर जारी केविविआ आदेश दिनांक 04.06.2019 द्वारा	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
71	एनएचपीसी पारबती III	519.52	519.52	519.52	519.52	519.52	याचिका क्रं 6/GT/2017 में केविविआ आदेश दिनांक 23.04. 2019 द्वारा	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
72	एनएचपीसी चमेरा II	262	262	262	262	262	याचिका क्रं 233/GT/2014 में केविविआ आदेश दिनांक 17..06.. 2016 द्वारा	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
73	एनएचपीसी चमेरा III	375	375	375	375	375	याचिका क्रं 321/GT/2018 में केविविआ आदेश दिनांक 29.01.. 2020 द्वारा	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
74	एनएचपीसी दुलहस्ती	912	912	912	912	912	याचिका क्रं 231/GT/2014 में केविविआ आदेश दिनांक 30.08. 2016 द्वारा	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
75	एनएचपीसी धौलीगंगा	240	240	240	240	240	याचिका क्रं 230/GT/2014 में केविविआ	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							आदेश दि. 26.04.2016 द्वारा						पर आधारित
76	एनएचपीसी सेवा II	243	243	243	243	243	याचिका क्रं 322/GT/2018 में केविविआ आदेश दिनांक 05.02.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
77	एनएचपीसी उरी II	-	-	-	-	-	आवंटन नहीं किया गया	-	-	-	-	-	आवंटन नहीं किया गया
78	एनएचपीसी किशनगंगा	498	498	498	498	498	याचिका क्रमांक 43/GT/2018 में केविविआ आदेश दि. 28.10.2019 द्वारा	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
79	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	याचिका क्रं 107/GT/2015 में केविविआ के आदेश दिनांक 5.4.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 तक	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
80	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	-	-	-	-	-	याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार	9.32	9.32	9.32	9.32	9.32	टैरिफ आदेशानुसार परिकलित रूपांकन ऊर्जा पर आधारित
81	एनएचपीसी सुबनसिरी एचईपी इकाई–1	-	-	-	-	-	याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार	0.00	5.39	5.39	5.39	5.39	आंकड़ों में विसंगति (data gaps)के बारे में की गई पृच्छा में याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार
82	टोरेन्ट पावर	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
83	बीएलए पावर इकाई क्रमांक–2	64	64	64	64	64	याचिका क्रमांक 17, वर्ष 2018 में मप्रविनिआ आदेश दि. 25.10.2021 द्वारा	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
84	जेपी बीना पावर	647	636	636	636	636	याचिका क्रमांक 44, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ	3.29	3.31	3.32	3.33	3.34	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							आदेश दि. 30.04.2021 द्वारा						प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
85	लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई–1	264	264	264	264	264	याचिका क्रमांक 60, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 24.08.2021 द्वारा	1.91	1.92	1.93	1.93	1.94	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
86	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	444	444	444	444	444	याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार	1.36	1.36	1.37	1.37	1.38	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
87	एस्सार पावर एसटीपीएस	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
88	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	1,647	1,605	1,605	1,605	1,605	याचिका क्रमांक 43, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 03.05.2021 द्वारा	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
89	एमबी पावर एसटीपीएस	1,508	1,467	1,467	1,467	1,467	याचिका क्रमांक 46, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 01.05.2021 द्वारा	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथातत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
90	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–I	776	752	752	752	752	याचिका क्रमांक 47, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 08.05.2021	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण अनुसार तथा तत्पश्चात् स्वीकृत वृद्धि दर मानी गयी है
91	डीबी पावर एसटीपीएस इकाई–1	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	विचार नहीं किया गया
92	पेंच थर्मल इनर्जी इकाई–1	-	-	-	-	368	याचिका क्रमांक 28, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दि. 26.05.2020	-	-	-	-	1.892	याचिका क्रमांक 28, वर्ष 2020 में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26.05.

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये)					आधार	ऊर्जा प्रभार (रू/किलोवाट ऑवर)					आधार
		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27		वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	
							द्वारा						2020 द्वारा
93	सौर ऊर्जा	-	-	-	-	-	.	3.46	3.22	3.16	3.11	3.04	विद्यमान स्त्रोतों तथा नवीन क्षमता परिवर्धन से भारित औसत क्रय दर
94	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	-	-	-	-	-	.	4.86	5.50	5.04	4.69	4.47	विद्यमान स्त्रोतों तथा नवीन क्षमता परिवर्धन से भारित औसत क्रय दर

2.68 विद्युत क्रय व्ययों के अवधारण हेतु आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु ऊर्जा दरों (energy rates) के आधार पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण (Merit order Dispatch) के सिद्धान्त का अनुप्रयोग किया है। आगे, आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि नियंत्रण अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी की विद्युत आपूर्ति को अनुचित ढंग से प्रतिबंधित न किया जाए।

2.69 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रयोज्य सुयोग्यता क्रम प्रेषण (Merit order Dispatch) का आवंटन निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 44 : नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 के लिये आवंटित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु सुयोग्यता क्रम प्रेषण

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	प्रेषण प्रकार (Disptatch Type)(अनिवार्य चालन–1, अन्य – शून्य)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)				
			वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	केएपीपी काकरापार	1	229	230	231	232	233
2	टीएपीपी तारापुर	1	338	340	341	343	344
3	आरएपीपी रावतभाटा	1	397	398	400	402	404
4	एनएपीपी नरोरा	1	302	304	305	306	308
5	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी एचपीएस	1	18	18	18	18	18
6	बाणसागर फेज–I एचपीएस (टोंस)	1	73	74	79	80	80
7	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	1	73	74	79	80	80
8	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	1	73	74	79	80	80
9	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	1	64	65	65	65	64
10	बिरसिंहपुर एचपीएस	1	65	66	66	66	65
11	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	1	172	171	171	171	172

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	प्रेषण प्रकार (Disptatch Type)(अनिवार्य चालन–1, अन्य – शून्य)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)				
			वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
12	राजघाट एचपीएस	1	93	95	95	95	95
13	गांधीसागर एचपीएस	1	19	19	19	19	19
14	राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	1	151	151	151	151	151
15	पेंच एचपीएस	1	44	45	45	45	45
16	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीएस	1	932	932	932	932	932
17	सौर ऊर्जा	1	346	322	316	311	304
18	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	1*	486	550	504	469	447
19	एनटीपीसी कोरबा	0	156	161	166	172	177
20	एनटीपीसी कोरबा III	0	147	152	157	162	167
21	एनटीपीसी विंध्याचल I	0	193	199	205	212	219
22	एनटीपीसी विंध्याचल II	0	178	184	190	197	203
23	एनटीपीसी विंध्याचल III	0	175	181	187	193	199
24	एनटीपीसी विंध्याचल IV	0	174	180	186	192	198
25	एनटीपीसी विंध्याचल V तथा इकाई 1	0	180	186	192	198	205
26	एनटीपीसी सिपत I	0	154	159	164	169	175
27	एनटीपीसी सिपत II	0	159	164	169	175	180
28	एनटीपीसी मौदा I	0	290	299	309	319	329
29	एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	0	320	330	341	352	364
30	एनटीपीसी कवास जीपीपी	0	305	315	326	336	347
31	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	0	280	289	298	308	318
32	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	0	277	286	295	305	315
33	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	0	257	265	274	283	292
34	एनटीपीसी अंता जीपीपी	0	309	319	330	341	352
35	एनटीपीसी कहलगांव 2	0	220	227	234	242	250
36	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–1	0	326	337	348	359	371
37	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–1	0	283	293	302	312	322
38	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	0	283	293	302	312	322
39	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–I	0	228	235	243	251	259
40	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई–II	0	228	235	243	251	259
41	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0	325	335	346	358	369
42	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0	331	342	353	364	376

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	प्रेषण प्रकार (Disptatch Type)(अनिवार्य चालन–1, अन्य – शून्य)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)				
			वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
43	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0	323	334	344	356	367
44	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार IV	0	311	322	332	343	354
45	एनटीपीसी रिहन्द I	0	151	156	162	167	172
46	एनटीपीसी रिहन्द II	0	152	157	162	167	173
47	एनटीपीसी रिहन्द III	0	158	163	169	174	180
48	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	0	318	329	339	350	362
49	एनटीपीसी सिंगरौली	0	159	164	169	175	180
50	एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	0	396	409	422	436	450
51	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	0	289	299	308	319	329
52	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	0	289	299	308	319	329
53	मेजा ऊर्जा निगम	0	308	318	328	339	350
54	एनटीपीसी टांडा चरण–II	0	302	312	322	333	344
55	अमरकंटक टीपीएस फेज–III	0	128	129	131	133	135
56	सतपुड़ा टीपीएस फेज–IV	0	229	232	235	238	241
57	एसजीटीपीसी फेज–I तथा II	0	239	242	245	249	252
58	एसजीटीपीसी फेज–III	0	192	194	197	200	202
59	श्री सिंगाजी, एसटीपीएस, फेज–I	0	312	316	320	325	329
60	श्री सिंगाजी, एसटीपीएस, फेज–II	0	357	361	366	371	376
61	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	0	191	199	199	199	199
62	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	0	265	265	265	265	265
63	सरदार सरोवर एचपीएस	0	105	105	105	105	105
64	रिहन्द एचपीएस	0	40	40	40	40	40
65	माताटीला एचपीएस	0	40	40	40	40	40
66	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0	218	218	218	218	218
67	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस	0	129	129	129	129	129
68	टेहरी एचपीएस	0	275	275	275	275	275
69	कोटेश्वर एचपीपी	0	238	238	238	238	238
70	एनएचपीसी पारबती III	0	152	152	152	152	152
71	एनएचपीसी चमेरा II	0	108	108	108	108	108
72	एनएचपीसी चमेरा III	0	199	199	199	199	199
73	एनएचपीसी दुलहस्ती	0	278	278	278	278	278

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	प्रेषण प्रकार (Disptatch Type)(अनिवार्य चालन–1, अन्य – शून्य)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)				
			वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
74	एनएचपीसी धौलीगंगा	0	125	125	125	125	125
75	एनएचपीसी सेवा II	0	273	273	273	273	273
76	एनएचपीसी किशनगंगा	0	166	166	166	166	166
77	एनटीपीसी कोलडम एचपीपी I	0	258	258	258	258	258
78	एनएचपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई I	0	0	539	539	539	539
79	बीएलए पावर इकाई क्रमांक. 2	0	315	316	317	318	319
80	जेपी बीना पावर	0	329	331	332	333	334
81	लैंको अमरकंटक टीपीएस इकाई 1	0	191	192	193	193	194
82	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	0	136	136	137	137	138
83	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	0	70	71	71	71	71
84	एमबी पावर एसटीपीएस	0	259	260	261	262	263
85	झाबुआ पावर एसटीपीएस, इकाई–1	0	265	266	267	268	269
86	पेंच थर्मल इनर्जी, इकाई–1	0	0	0	0	0	189

** मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–दो), विनियम 2021 के अनुसार*

स्थाई तथा ऊर्जा प्रभार (Fixed and Energy Charges)

2.70 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग द्वारा स्वीकृत मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की आवंटित क्षमताओं हेतु स्थाई तथा ऊर्जा प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 45 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों के स्वीकृत किये गये स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
1	केएपीपी काकरापार	0.00	175.31	175.31	0.00	176.08	176.08	0.00	176.85	176.85	0.00	177.63	177.63	0.00	178.41	178.41
2	टीएपीपी तारापुर	0.00	533.26	533.26	0.00	535.61	535.61	0.00	537.96	537.96	0.00	540.33	540.33	0.00	542.71	542.71
3	आरएपीपी रावतभाटा	0.00	4.07	4.07	0.00	4.09	4.09	0.00	4.11	4.11	0.00	4.13	4.13	0.00	4.14	4.14
4	एनएपीपी नरोरा	0.00	2.33	2.33	0.00	2.34	2.34	0.00	2.35	2.35	0.00	2.36	2.36	0.00	2.37	2.37
5	रानी अवन्ति बाई सागर, बरगी	7.94	7.53	15.47	8.12	7.71	15.82	8.12	7.68	15.80	8.12	7.71	15.82	8.12	7.71	15.82

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
	एचपीएस															
6	बाणसागर फेज–। एचपीएस (टोंस)	18.08	72.64	90.71	18.29	73.51	91.81	21.34	84.35	105.69	21.34	87.05	108.39	21.34	87.46	108.80
7	बाणसागर फेज–II एचपीएस (सिलपारा)	25.61	7.25	32.86	25.92	7.34	33.26	25.92	7.84	33.76	25.92	7.90	33.81	25.92	7.78	33.70
8	बाणसागर फेज–III एचपीएस (देवलोंद)	25.61	7.12	32.73	25.92	7.24	33.15	25.92	7.68	33.60	25.92	7.78	33.70	25.92	8.26	34.18
9	बाणसागर फेज–IV एचपीएस (झिन्ना)	4.77	5.56	10.33	4.82	5.61	10.43	4.82	5.61	10.43	4.82	5.61	10.43	4.82	5.39	10.21
10	बिरसिंहपुर एचपीएस	2.16	3.66	5.82	2.19	3.72	5.91	2.19	3.72	5.91	2.19	3.72	5.91	2.19	3.67	5.86
11	मढ़ीखेड़ा एचपीएस	9.53	19.40	28.92	9.47	19.31	28.78	9.47	19.31	28.78	9.47	19.31	28.78	9.47	19.56	29.03
12	राजघाट एचपीएस	2.66	4.35	7.01	2.70	4.41	7.11	2.70	4.41	7.11	2.70	4.41	7.11	2.70	4.41	7.11
13	गांधीसागर एचपीएस	1.64	2.76	4.39	1.69	2.75	4.44	1.89	2.58	4.47	2.15	2.94	5.09	3.34	3.06	6.40
14	राणाप्रताप सागर तथा जवाहर सागर एचपीएस	0.00	30.96	30.96	0.00	36.34	36.34	0.00	43.18	43.18	0.00	44.23	44.23	0.00	45.08	45.08
15	पेंच एचपीएस	9.26	8.78	18.04	9.50	9.01	18.51	9.50	9.01	18.51	9.50	9.01	18.51	9.50	9.42	18.92
16	एनएचपीसी उरी II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	एनटीपीसी सिंगरौली लघु एचपीपी	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11
18	एनटीपीसी निचली सुबनसिरी एचईपी इकाई–1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14	25.14	0.00	25.14	25.14
19	पेंच थर्मल इनर्जी इकाई 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.47	240.56	609.03
20	सौर ऊर्जा	0.00	2,614.02	2,614.02	0.00	3,144.16	3,144.16	0.00	3,318.31	3,318.31	0.00	3,610.94	3,610.94	0.00	4,130.27	4,130.27
21	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	0.00	3,437.08	3,437.08	0.00	4,112.90	4,112.90	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00	4,991.47	4,991.47	0.00	5,374.03	5,374.03
22	रिहन्द एचपीएस	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44
23	माताटीला एचपीएस	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61
24	जयप्रकाश पावर एसटीपीएस, निगरी	535.16	244.18	779.34	521.57	245.75	767.32	521.57	245.99	767.56	521.57	246.90	768.47	521.57	247.81	769.38
25	सरदार सरोवर एचपीएस	101.45	178.85	280.30	101.45	178.85	280.30	101.45	178.85	280.30	101.45	178.85	280.30	101.45	178.85	280.30
26	एनएचपीसी चमेरां II	0.38	0.44	0.82	0.38	0.44	0.82	0.38	0.44	0.82	0.38	0.44	0.82	0.38	0.44	0.82
27	एनएचपीसी धौलीगंगा	0.29	0.30	0.59	0.29	0.30	0.59	0.29	0.30	0.59	0.29	0.30	0.59	0.29	0.30	0.59
28	अमरकंटक टीपीएस फेज III	164.21	181.71	345.92	163.59	199.81	363.40	163.59	189.69	353.28	163.59	201.97	365.56	162.11	188.02	350.14
29	एसजेवीएन झाकरी एचपीएस,	1.08	1.31	2.39	1.08	1.31	2.39	1.08	1.31	2.39	1.08	1.31	2.39	1.08	1.31	2.39
30	रिलायंस यूएमपीपी, सासन	166.58	1,569.38	1,735.96	166.58	1,579.51	1,746.08	166.58	1,581.02	1,747.60	166.58	1,586.87	1,753.45	166.58	1,592.74	1,759.32
31	एनटीपीसी कोरबा III	70.08	88.00	158.08	70.08	91.13	161.21	70.08	93.85	163.93	70.08	96.92	167.00	70.08	100.09	170.17
32	एनटीपीसी रिहन्द I	1.16	2.11	3.27	1.16	2.18	3.35	1.16	2.25	3.41	1.16	2.32	3.49	1.16	2.40	3.56
33	एनटीपीसी रिहन्द II	1.09	2.68	3.78	1.09	2.78	3.87	1.09	2.86	3.96	1.09	2.96	4.05	1.09	3.05	4.15
34	एनएचपीसी पारबती III	0.62	0.49	1.11	0.62	0.49	1.11	1.25	0.49	1.74	0.62	0.49	1.11	0.62	0.49	1.11
35	एनटीपीसी सीपत I	294.02	381.26	675.29	294.02	394.81	688.83	294.02	406.60	700.63	294.02	419.90	713.92	294.02	433.63	727.65

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2022—23			वित्तीय वर्ष 2023—24			वित्तीय वर्ष 2024—25			वित्तीय वर्ष 2025—26			वित्तीय वर्ष 2026—27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
36	एनटीपीसी कोरबा	225.38	574.58	799.96	225.38	594.99	820.37	225.38	612.77	838.15	225.38	632.81	858.19	225.38	653.50	878.88
37	एनटीपीसी रिहन्द III	2.45	2.95	5.39	2.45	3.05	5.50	2.45	3.14	5.59	2.45	3.25	5.69	2.45	3.35	5.80
38	एनटीपीसी सीपत II	158.27	213.58	371.85	158.27	221.17	379.44	158.27	227.78	386.05	158.27	235.23	393.50	158.27	242.92	401.19
39	एनटीपीसी सिंगरौली	1.90	4.67	6.57	1.90	4.84	6.74	0.95	4.98	5.93	1.90	5.14	7.04	1.90	5.31	7.21
40	एनएचपीसी किशनगंगा	0.49	0.47	0.95	0.49	0.47	0.95	0.97	0.47	1.44	0.49	0.47	0.95	0.49	0.47	0.95
41	एनटीपीसी विंध्याचल IV	303.52	346.71	650.23	303.52	359.03	662.55	303.52	369.76	673.27	303.52	381.85	685.36	303.52	394.33	697.85
42	एनटीपीसी विंध्याचल III	175.71	341.36	517.07	175.71	353.48	529.19	175.71	364.05	539.76	175.71	375.95	551.66	175.71	388.24	563.95
43	एनटीपीसी विंध्याचल II	152.14	430.13	582.26	152.14	445.41	597.55	152.14	458.72	610.85	152.14	473.72	625.85	152.14	489.21	641.34
44	एनटीपीसी विंध्याचल V इकाई 1	159.85	196.47	356.31	159.85	203.45	363.29	159.85	209.53	369.37	159.85	216.38	376.22	159.85	223.45	383.30
45	एनएचडीसी इन्दिरा सागर एचपीएस	267.72	268.61	536.33	279.46	280.37	559.82	279.46	280.37	559.82	279.46	280.37	559.82	279.46	280.37	559.82
46	लैंकों अमरकंटक टीपीएस इकाई 1	264.22	388.51	652.73	264.22	391.02	655.24	264.22	391.39	655.61	264.22	392.84	657.06	264.22	394.30	658.52
47	एसजीटीपीएस फेज—III	311.19	716.15	1,027.34	309.32	682.88	992.20	309.32	731.55	1,040.87	309.32	721.54	1,030.86	309.32	797.91	1,107.23
48	एनटीपीसी विंध्याचल I	263.78	604.52	868.30	269.99	626.00	895.99	269.99	644.70	914.69	269.99	665.78	935.78	269.99	687.55	957.55
49	एनएचपीसी चमेरा III	0.45	0.48	0.93	0.45	0.48	0.93	0.45	0.48	0.93	0.45	0.48	0.93	0.45	0.48	0.93
50	एसजेवीएन रामपुर एचपीएस	0.51	0.60	1.10	0.50	0.60	1.10	0.50	0.60	1.10	0.50	0.60	1.10	0.50	0.60	1.10
51	एनटीपीसी कहलगांव 2	56.71	97.67	154.38	56.71	101.14	157.85	56.71	104.16	160.87	56.71	107.57	164.28	56.71	111.09	167.80
52	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई I	138.17	162.12	300.29	138.17	167.88	306.05	138.17	172.89	311.06	138.17	178.55	316.72	138.17	184.38	322.55
53	एनटीपीसी लारा एसटीपीएस, रायगढ़ इकाई II	138.17	162.12	300.29	138.17	167.88	306.05	138.17	172.89	311.06	138.17	178.55	316.72	138.17	184.38	322.55
54	सतपुड़ा टीपीएस फेज IV	615.41	783.29	1,398.70	603.99	802.19	1,406.18	603.99	827.67	1,431.66	603.99	835.83	1,439.82	603.99	846.71	1,450.70
55	कोटेश्वर एचपीपी	0.37	0.40	0.77	0.37	0.40	0.77	0.37	0.40	0.77	0.37	0.40	0.77	0.37	0.40	0.77
56	एसजीटीपीएस फेज—I तथा II	405.11	987.59	1,392.70	425.47	1,134.80	1,560.26	429.46	1,216.28	1,645.74	430.16	1,239.96	1,670.12	432.08	1,256.82	1,688.90
57	एनटीपीसी दादरी जीपीपी	0.74	3.32	4.06	0.76	3.44	4.20	0.38	3.54	3.92	0.76	3.65	4.42	0.76	3.77	4.54
58	एनटीपीसी कोलडम एचीपीपी I	0.79	0.86	1.65	0.79	0.86	1.65	0.79	0.86	1.65	0.79	0.92	1.71	0.79	0.92	1.71
59	एमबी पावर एसटीपीएस	452.42	688.00	1,140.42	440.06	704.35	1,144.40	440.06	705.02	1,145.08	440.06	748.52	1,188.57	440.06	775.83	1,215.88
60	झाबुआ पावर एसटीपीएस इकाई—1	232.67	284.55	517.21	225.45	335.43	560.88	225.45	364.61	590.06	225.45	365.96	591.41	225.45	389.67	615.12
61	एनएचडीसी ओंकारेश्वर एचपीएस	199.22	134.23	333.44	189.25	204.96	394.21	199.22	209.79	409.00	199.22	209.79	409.00	199.22	228.57	427.79
62	एनएचपीसी सेवा II	0.30	0.14	0.44	0.30	0.31	0.61	0.30	0.34	0.64	0.30	0.34	0.64	0.30	0.34	0.64
63	टेहरी एचपीएस	1.03	0.42	1.45	1.03	1.02	2.05	1.03	1.12	2.15	1.03	1.12	2.15	1.03	1.12	2.15
64	एनटीपीसी औरैया जीपीपी	0.74	1.01	1.75	0.74	2.70	3.44	0.74	2.94	3.68	0.74	3.03	3.77	0.74	3.13	3.87
65	एनएचपीसी दुलहस्ती	1.09	0.41	1.50	1.09	0.92	2.01	1.09	1.06	2.16	1.09	1.06	2.16	1.09	1.06	2.16
66	एनटीपीसी गंधार जीपीपी	92.06	116.70	208.76	92.06	197.74	289.80	92.06	254.47	346.53	92.06	262.79	354.85	92.06	271.38	363.44

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
67	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–1	570.18	485.60	1,055.78	570.18	530.42	1,100.60	570.18	652.68	1,222.86	570.18	906.52	1,476.70	570.18	937.21	1,507.39
68	एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीएस, इकाई–2	570.18	509.45	1,079.63	570.18	527.55	1,097.73	570.18	543.31	1,113.49	570.18	609.41	1,179.59	570.18	891.03	1,461.21
69	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–I	425.77	433.91	859.67	425.77	488.50	914.26	425.77	503.09	928.86	425.77	546.28	972.05	425.77	587.56	1,013.32
70	एनटीपीसी खरगोन एसटीपीएस, इकाई–II	425.77	375.09	800.85	425.77	454.23	880.00	425.77	503.09	928.86	425.77	536.10	961.87	425.77	486.46	912.23
71	एनटीपीसी मौदा I	24.39	31.16	55.55	24.39	48.61	73.00	24.39	60.60	84.99	24.39	62.58	86.97	24.39	57.25	81.64
72	एनटीपीसी टाण्डा चरण–II	1.71	0.00	1.71	1.71	3.37	5.08	1.71	0.00	1.71	1.71	3.58	5.29	1.71	3.82	5.53
73	एनटीपीसी कवास जीपीपी	86.91	32.31	119.22	86.91	125.08	211.99	86.91	34.45	121.36	86.91	46.82	133.73	86.91	115.72	202.63
74	मेजा ऊर्जा निगम	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.30	2.34	2.04	1.56	3.60
75	एनटीपीसी अन्ता जीपीपी	0.52	0.26	0.78	0.52	0.27	0.79	0.52	0.28	0.80	0.52	0.30	0.82	0.52	0.54	1.06
76	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार–IV	1.32	0.28	1.60	1.32	0.29	1.61	1.32	0.30	1.62	1.32	0.44	1.76	1.32	1.07	2.39
77	श्री सिंगाजी एसटीपीएस फेज–I	1,277.13	331.01	1,608.14	1,246.84	556.42	1,803.26	1,246.84	1,192.29	2,439.13	1,246.84	1,495.34	2,742.18	1,246.84	1,363.92	2,610.76
78	बीएलए पावर यूनिट क्रमांक 2	16.09	2.30	18.38	16.09	20.31	36.40	16.09	23.58	39.67	16.09	24.82	40.91	16.09	57.10	73.18
79	एनटीपीसी एनसीटीपी दादरी II	2.13	0.55	2.67	2.13	0.70	2.83	2.13	0.72	2.85	2.13	0.85	2.98	2.13	1.67	3.79
80	एनटीपीसी मौदा II इकाई 1	24.73	11.62	36.35	24.73	26.11	50.84	24.73	26.96	51.69	24.73	38.23	62.96	24.73	71.38	96.12
81	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार III	0.43	0.12	0.55	0.43	0.12	0.55	0.43	0.16	0.59	0.43	0.21	0.64	0.43	0.35	0.78
82	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार I	0.25	0.12	0.36	0.25	0.12	0.37	0.25	0.15	0.40	0.25	0.21	0.46	0.25	0.29	0.55
83	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीएस, फेज–1	487.44	59.81	547.25	487.44	82.47	569.91	487.44	156.06	643.50	487.44	161.83	649.27	487.44	519.84	1,007.28
84	जेपी बीना पावर	420.60	0.00	420.60	413.65	81.00	494.65	413.65	137.26	550.91	413.65	373.13	786.78	413.65	493.46	907.11
85	एनटीपीसी फिरोज गांधी ऊंचाहार II	0.70	0.00	0.70	0.70	0.24	0.94	0.70	0.31	1.01	0.70	0.32	1.02	0.70	0.50	1.19
86	श्री सिंगाजी एसटीपीएस, फेज–.2	1,156.17	0.00	1,156.17	1,314.19	7.57	1,321.76	1,314.19	191.97	1,506.16	1,314.19	413.01	1,727.20	1,314.19	705.21	2,019.40
87	एनटीपीसी आईजीपीएस I झज्जर	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	2.05	2.05	0.14	2.19	2.05	0.15	2.20
88	**महायोग**	**11,562.43**	**19,379.14**	**30,941.56**	**11,665.86**	**21,802.25**	**33,468.11**	**11,682.84**	**23,839.37**	**35,522.21**	**11,684.02**	**26,041.89**	**37,725.91**	**12,054.13**	**28,572.40**	**40,626.53**

नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Renewable Purchase Obligation -RPO)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.71 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021 में विनिर्दिष्ट किये गये नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध लक्ष्यों तथा टैरिफ नीति, 2016 को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विद्युत क्रय अनुबन्धों के अन्तर्गत इसके अनुपालन हेतु व्यवस्थाएं की है। इसके फलस्वरूप, सौर ऊर्जा से अधिशेष (surplus) उपलब्धता को वित्तीय वर्ष 2024–2025 तक तथा कमी (deficit) को तदोपरान्त प्रक्षेपित किया गया है। तथापि, गैर–सौर स्त्रोतों हेतु उपलब्धता में कमी को नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) के लक्ष्यों के अनुपालन हेतु नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रक्षेपित किया गया है।

2.72 तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं ने नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध आवश्यकता (जिसे पूर्व में ही विद्युत क्रय लागत में सम्मिलित किया जा चुका है) की गणना की है जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 46 : याचिकाकर्ताओं द्वारा नियन्त्रण अवधि हेतु प्रस्तुत नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध तथा लागत

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
A	**नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति (%)**	**18.50%**	**20.00%**	**21.50%**	**23.00%**	**24.50%**
1	सौर ऊर्जा	9.00%	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	9.50%	10.00%	10.50%	11.00%	11.50%
B	**सुयोग्यताक्रम प्रेषण (MoD) पर आधारित एक्सबस नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध आवश्यकता (मिलियन यूनिट), जल विद्युत को छोड़कर**	**14,249.10**	**16,734.71**	**19,374.12**	**22,220.80**	**25,169.76**
1	सौर ऊर्जा	6,932.00	8,367.35	9,912.34	11,593.46	13,355.38
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	7,317.11	8,367.35	9,461.78	10,627.34	11,814.38
C	**विद्यमान स्त्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा (मिलियन यूनिट)**	**12,070.46**	**14,298.57**	**15,035.07**	**15,035.07**	**15,032.32**
1	सौर ऊर्जा	7,554.97	9,764.47	10,500.97	10,500.97	10,500.97
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	4,515.49	4,534.10	4,534.10	4,534.10	4,531.35
D	**कमी (Short fall) (मिलियन यूनिट)**	**2,801.62**	**3,833.25**	**4,927.68**	**7,185.73**	**10,137.44**
1	सौर ऊर्जा	-	-	-	1,092.49	2,854.42
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	2,801.62	3,833.25	4,927.68	6,093.23	7,283.02
E	**नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति पश्चात् विक्रय हेतु उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत जिसे विक्रय किये जाने की आवश्यकता है (मिलियन यूनिट)**	**622.97**	**1,397.11**	**588.63**	**-**	**-**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	सौर ऊर्जा	622.97	1,397.11	588.63	-	-
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	-	-	-	-	-
F	**नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दर (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)**					
1	सौर ऊर्जा	345.85	322.15	316.47	316.47	316.47
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	549.83	549.91	549.65	549.37	549.29
G	**विद्यमान स्त्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा क्रय (करोड़ रूपये)**	**5,095.67**	**5,638.96**	**5,815.37**	**5,814.11**	**5,812.24**
1	सौर ऊर्जा	2,612.89	3,145.63	3,323.21	3,323.21	3,323.21
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	2,482.77	2,493.33	2,492.16	2,490.90	2,489.03
H	**अपर्याप्त विद्युत (Shortage Power) हेतु नवीकरणीय ऊर्जा क्रय (करोड़ रूपये)**	**1,540.43**	**2,107.93**	**2,708.48**	**3,693.18**	**4,903.83**
1	सौर ऊर्जा	-	-	-	345.74	903.33
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	1,540.43	2,107.93	2,708.48	3,347.44	4,000.50
I	**नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति हेतु कुल नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय (करोड़ रूपये)**	**6,636.09**	**7,746.89**	**8,523.85**	**9,507.30**	**10,716.08**
1	सौर ऊर्जा	2,612.89	3,145.63	3,323.21	3,668.95	4,226.54
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	4,023.20	4,601.26	5,200.64	5,838.35	6,489.54
J	**अधिशेष विद्युत (surplus power) हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विक्रय दर (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)**					
1	सौर ऊर्जा	345.27	345.27	345.27	345.27	345.27
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	345.27	345.27	345.27	345.27	345.27
K	**अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)**	**967.33**	**1,323.52**	**1,701.40**	**2,481.05**	**3,500.20**
1	सौर ऊर्जा	-	-	-	377.21	985.56
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	967.33	1,323.52	1,701.40	2,103.84	2,514.64
L	**नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की कमी के कारण वहन किये जाने वाली शुद्ध अतिरिक्त लागत (करोड़ रूपये में)**	**573.10**	**784.40**	**1,007.08**	**1,212.13**	**1,403.63**
1	सौर ऊर्जा	-	-	-	(31.47)	(82.23)
2	सौर ऊर्जा के अतिरिक्त	573.10	784.40	1,007.08	1,243.61	1,485.86

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.73 आयोग ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2021 दिनांक 12 नवम्बर 2021 को अधिसूचित किया था। कथित विनियमों में आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि हेतु सौर तथा गैर–सौर स्त्रोतों हेतु नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) को विनिर्दिष्ट किया है।

2.74 तद्नुसार, आयोग ने निम्न तालिका में दर्शायेनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकार की गई कुल ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर सौर तथा गैर–सौर विद्युत क्रय आवश्यकता की मांग की मात्रा की गणना की है जिसमें विद्युत के जल विद्युत स्त्रोत के माध्यम से पूर्ति की जाने वाली आवश्यकता सम्मिलित नहीं है।

तालिका 47 : नियन्त्रण अवधि हेतु आयोग द्वारा नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध (RPO) तथा लागत की गणना

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
सौर ऊर्जा (%)	9.00%	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त (%)	9.50%	10.00%	10.50%	11.00%	11.50%
योग (%)	**18.50%**	**20.00%**	**21.50%**	**23.00%**	**24.50%**
नवकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की गणना हेतु ऊर्जा की आवश्यकता					
ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	85,696.18	91,666.86	97,663.42	1,04,035.97	1,11,862.75
जल विद्युत स्त्रोतों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति (Procurement) (मिलियन यूनिट)	6,639.86	6,744.25	7,053.49	7,220.25	7,246.89
ऊर्जा की आवश्यकता जल विद्युत को छोड़कर (मिलियन यूनिट)	**79,056.32**	**84,922.62**	**90,609.93**	**96,815.72**	**1,04,615.87**
नवकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति हेतु विद्युत का क्रय					
सौर ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	7,115.07	8,492.26	9,967.09	11,617.89	13,600.06
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त (मिलियन यूनिट)	7,510.35	8,492.26	9,514.04	10,649.73	12,030.82
योग (मिलियन यूनिट)	**14,625.42**	**16,984.52**	**19,481.13**	**22,267.62**	**25,630.89**
विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों (RE Plants) से उपलब्ध ऊर्जा					
सौर ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	7,554.97	9,764.47	10,500.97	10,500.97	10,500.97
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त (मिलियन यूनिट)*	5,416.00	7,478.00	7,478.00	7,478.00	7,478.00
योग (मिलियन यूनिट)	**12,970.97**	**17,242.47**	**17,978.97**	**17,978.97**	**17,978.97**
कमी / (अधिशेष) {Shortfall / (Surplus)}					
सौर ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	(439.90)	(1,272.21)	(533.87)	1,116.92	3,099.10
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त (मिलियन यूनिट)	2,094.35	1,014.26	2,036.04	3,171.73	4,552.82
योग (मिलियन यूनिट)	**1,654.45**	**(257.94)**	**1,502.17**	**4,288.65**	**7,651.92**

** आयोग द्वारा आंकड़ों में विसंगतियों के बारे में की गई पृच्छा के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विद्यमान बन्धित स्त्रोतों से पुनरीक्षित उपलब्धता संबंधी जानकारी*

2.75 उपरोक्त जानकारी से यह संज्ञान में लिया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के पास वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक अधिशेष (Surplus) सौर ऊर्जा उपलब्ध रहेगी जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान सौर नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (Solar RPO) के अनुपालन हेतु उपलब्धता में कमी परिलक्षित होगी। इसके अतिरिक्त भी नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर–सौर नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) के अनुपालन हेतु उपलब्धता में कमी पाई जाएगी। आयोग ने चाही गई अतिरिक्त जानकारी के माध्यम से नियन्त्रण अवधि के दौरान अपेक्षित नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध कमी की पूर्ति हेतु याचिकाकर्ताओं की तैयारी जानने की भी इच्छा व्यक्त की। प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा लघु जल विद्युत संयन्त्रों (Small Hydro Power Plants), नगरपालिक ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयन्त्रों (Municipal Solid Waste based power plants) के संचालन हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये हैं जिनकी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान क्रियाशील हो जाने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) से 1200 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMS) के माध्यम से संयुक्त (Hybrid) विद्युत केन्द्र (सौर + पवन) से 750 मेगावाट ऊर्जा क्रय करने पर भी विचार किया जा रहा है।

2.76 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग ने यह विचार किया है कि याचिकाकर्ता नियन्त्रण अवधि हेतु अपने निर्दिष्ट नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति करने में सक्षम होंगे तथा तद्नुसार आयोग ने विद्युत क्रय लागत में RPO में कमी के अनुपालन हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय की लागत पर भी विचार किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपरोक्त तालिका से संज्ञान में लिया जा सकता है याचिकाकर्ता के पास सौर ऊर्जा स्त्रोतों से अधिशेष ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान गैर–सौर ऊर्जा स्त्रोतों से उपलब्धता में कमी रहेगी। तद्नुसार, याचिकाकर्ता के गैर–सौर RPO के अनुपालन हेतु याचिकाकर्ता के निवेदन पर विचार करते हुए, आयोग ने यह माना है कि याचिकाकर्ता गैर–सौर RPO लक्ष्य के कम से कम 85% अंश की प्राप्ति में सक्षम होंगे। तद्नुसार, आयोग ने मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 के विनियम 3.1 के प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु गैर–सौर RPO कमी की पूर्ति हेतु सौर RPO से अधिशेष (surplus) को गैर–सौर अधिप्राप्ति में कमी (short fall) के साथ समायोजित किया है।

2.77 समायोजन के पश्चात्, कमी यदि कोई हो, को अतिरिक्त अधिप्राप्तियों के माध्यम से क्रय किये जाने पर विचार किया गया है। सौर RPO में कमी की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा अधिप्राप्ति पर रू 2.62/किलोवाट ऑवर की दर से; अर्थात् अन्तिम हस्ताक्षरित विद्युत क्रय आबन्ध पर विचार किया गया है। गैर–सौर RPO में कमी की पूर्ति हेतु गैर–सौर विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु रू 2.77 प्रति किलोवाट ऑवर की दर पर अर्थात् भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) की अन्तिम प्रतिस्पर्धात्मक बोली में प्राप्त की गई दर जिसके अनुसार मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति प्रस्तावित की गई है, पर विचार किया गया है।

2.78 उपरोक्त जानकारी के आधार पर नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) के अनुपालन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय की लागत की गणना की गई है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 48 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय लागत

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO)की पूर्ति हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय की आवश्यकता					
सौर ऊर्जा **(मिलियन यूनिट)**	0.00	0.00	0.00	1,116.92	3,099.10
गैर–सौर ऊर्जा **(मिलियन यूनिट)**	1,654.45	0.00	1,502.17	3,171.73	4,552.82
योग (मिलियन यूनिट)	**1,654.45**	**0.00**	**1,502.17**	**4,288.65**	**7,651.92**
अतिरिक्त विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दरें					
सौर ऊर्जा (विद्यमान नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु) **(रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)**	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त **(रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)**	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
नवीकरणीय विद्युत–क्रय आबंध (RPO) में कमी की पूर्ति हेतु विद्युत क्रय लागत					
सौर ऊर्जा **(करोड़ रूपये)**	0.00	0.00	0.00	292.63	811.96
गैर–सौर ऊर्जा **(करोड़ रूपये)**	458.28	0.00	416.10	878.57	1,261.13
योग (करोड़ रूपये)	**458.28**	**0.00**	**416.10**	**1,171.20**	**2,073.10**
विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दरें					
सौर ऊर्जा (विद्यमान नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु) **(रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)**	3.46	3.22	3.16	3.16	3.16
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त **(रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)**	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
विद्यमान केन्द्रों से विद्युत क्रय लागत					
सौर ऊर्जा **(करोड़ रूपये)**	2,614	3,144	3,318	3,318	3,318
गैर–सौर ऊर्जा **(करोड़ रूपये)**	2,979	4,113	4,113	4,113	4,113
योग (करोड़ रूपये)	**5,593**	**7,257**	**7,431**	**7,431**	**7,431**
RPO अनुपालन हेतु कुल विद्युत क्रय लागत					
सौर ऊर्जा **(करोड़ रूपये)**	2,614	3,144	3,318	3,611	4,130
गैर–सौर ऊर्जा **(करोड़ रूपये)**	3,437	4,113	4,529	4,991	5,374
योग (करोड़ रूपये)	**6,051**	**7,257**	**7,847**	**8,602**	**9,504**
नवीकरणीय ऊर्जा हेतु भारित औसत ऊर्जा क्रय दरें					
सौर ऊर्जा (विद्यमान नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु) (रूपये/किलोवाट ऑवर)	**3.46**	**3.22**	**3.16**	**3.11**	**3.04**
सौर ऊर्जा के अतिरिक्त (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)	**4.86**	**5.50**	**5.04**	**4.69**	**4.47**

2.79 सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय की लागत पर इस आदेश की तालिका 45 में दर्शाई गई विद्युत क्रय लागत पर विचार किया गया है।

अधिशेष ऊर्जा का प्रबन्धन (Management of Surplus Energy)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.80 विद्युत प्रदाय की स्थिति के अनुसार नियन्त्रण अवधि के अधिकांश महीनों के दौरान राज्य द्वारा अधिशेष ऊर्जा धारित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में एमपीपीएमसीएल अपनी

अधिशेष ऊर्जा का विक्रय भारतीय पावर एक्सचेंज (IEX) के माध्यम से प्रचलित दरों पर करता है। एमपीपीएमसीएल अधिशेष ऊर्जा का विक्रय ऐसी लागत पर विक्रय करने का प्रयास करता है जिसका निर्धारण तत्समय प्रचलित विपणन परिस्थितियां निर्धारित करती हैं।

2.81 पिछले छत्तीस महीनों (माह जून 2019 से माह मई 2021 तक) के दौरान औसत भारतीय पावर एक्सचेंज दर (IEX rate) रू 3.45 प्रति यूनिट रही। अतएव, अधिशेष ऊर्जा से राजस्व की गणना के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु औसत दर रू 3.45 पैसे प्रति यूनिट मानी गई है।

2.82 विद्युत वितरण कम्पनियों के ऊर्जा अधिशेष बनाम समग्र ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा की आवश्यकता के साथ–साथ ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की अनुमानित प्राप्ति संबंधी विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों की कुल विद्युत क्रय लागतों की गणना करते समय राजस्व को परिवर्तनीय विद्युत क्रय की लागतों (Variable Power Purchase Costs) में से घटाया गया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने अधिशेष ऊर्जा पर परिवर्तनीय लागत के कारण होने वाले शुद्ध प्रलाभ पर भी विचार किया है।

तालिका 49 : याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अधिशेष ऊर्जा का प्रबन्धन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
एक्स बस उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	110,368	114,066	114,944	115,821	119,570
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता	84,679	91,373	97,813	104,313	110,435
विद्युत का समर्पण (back down), विद्युत के अधिशेष विक्रय को सम्मिलित करते हुए	25,689	22,693	17,132	11,508	9,134
समर्पण (मिलियन यूनिट)	22,386	19,021	14,493	9,977	8,342
विक्रय हेतु उपलब्ध अधिशेष यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट)	3,303	3,672	2,638	1,531	792
भारतीय पावर एक्सचेंज दर (IEX Rate) (पैसे/किलोवाट ऑवर)	345	345	345	345	345
अधिशेष ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)	1,140	1,268	911	529	274
अधिशेष ऊर्जा की क्रय लागत–परिवर्तनीय (करोड़ रूपये)	967	1,124	841	470	268
अधिशेष ऊर्जा के विक्रय से अधिशेष ऊर्जा की परिवर्तनीय लागत में बचत (करोड़ रूपये)	**174**	**144**	**70**	**59**	**6**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.83 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि ऊर्जा की आवश्यकता तथा उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कतिपय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपलब्धता बिना उपयोग के रह जाएगी। अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ताओं को दी गई विभिन्न छूटें उन्हें कुछ अधिशेष विद्युत को उपयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करेंगी।

2.84 इसके अतिरिक्त, आयोग ने माह फरवरी 2021 से माह जनवरी 2022 हेतु प्राप्त की गई भारतीय पावर एक्सचेंज (IEX) में विद्युत दर पर विचार किया है जिनमें वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियन्त्रण अवधि हेतु IEX/PXIL/द्विपक्षीय

व्यवस्थाएं/बोली प्रक्रिया (बिडिंग) के माध्यम से अधिशेष ऊर्जा के विक्रय हेतु रू सदंर्भ दर, अर्थात् रू 3.33/प्रति किलोवाट ऑवर है, जिनमें असामान्य माह (अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर) सम्मिलित नहीं हैं।

2.85 चूंकि अधिशेष ऊर्जा का विक्रय रू. 3.33 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से किया जाना माना गया है ऐसे में वे विद्युत उत्पादन केन्द्र (स्टेशन) जहां दर रू 3.33 से अधिक है, को समर्पित (back down) किया जाना माना गया है। आगे राजस्व राशि में अधिकतम वृद्धि किये जाने के प्रयोजन से आयोग याचिकाकर्ताओं को उक्त अवशेष अधिशेष ऊर्जा को पावर एक्सचेंजों, द्विपक्षीय व्यवस्थाओं या फिर बोली प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किये जाने बाबत निर्देशित करता है।

2.86 इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा यह भी पाया गया है कि एमपीपीएमसीएल ने मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीआईडीसी) (तत्कालीन मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम) के साथ 60 मेगावाट विद्युत आपूर्ति का थोक विद्युत आपूर्ति (बल्क पावर सप्लाई) अनुबन्ध निष्पादित किया है। आगे यह भी कि एमपीआईडीसी अपनी विद्युत संबंधी अवशेष आवश्यकता की पूर्ति केवल एमपीपीएमसीएल के माध्यम से ही विद्युत क्रय द्वारा करता चला आ रहा है। चूंकि एमपीआईडीसी की प्रक्षेपित आवश्यकता का वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु एमपीआईडीसी द्वारा याचिका की विलम्बित प्रस्तुति के कारण अनुमोदन नही किया गया है, ऐसे में आयोग ने एमपीआईडीसी की ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 542 मिलियन यूनिट (MU), वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 577 मिलियन यूनिट (MU), वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 614 मिलियन यूनिट (MU), वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 653 मिलियन यूनिट (MU), तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 695 मिलियन यूनिट (MU) की आवश्यकता पर जैसा कि एमपीआईडीसी ने इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा विद्युत–दर अवधारण की याचिका में प्रस्तुत किया है तथा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा आदेश में एमपीआईडीसी हेतु अनुमोदित रू. 3.78 प्रति किलोवाट ऑवर की औसत दर से विद्युत क्रय करने का विचार किया है। किसी भी प्रकार की कम/अधिक वसूली का समायोजन वित्तीय वर्ष 2022–23 में वित्तीय वर्ष 2026–27 के सत्यापन के दौरान किया जाएगा।

2.87 तद्नुसार, उपरोक्त चर्चा के आधार पर नियंत्रण अवधि हेतु अधिशेष ऊर्जा के विक्रय के माध्यम से विद्युत क्रय लागत में बचत के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 50 : अधिशेष ऊर्जा के विक्रय के माध्यम से विद्युत क्रय लागत में बचत संबंधी विवरण

सरल क्रमांक	विवरण	संदर्भ	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	ऊर्जा की कुल उपलब्धता, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) अनुपालन के क्रय के कारण अतिरिक्त उपलब्धता को सम्मिलित करते हुए (मिलियन यूनिट)	A	1,13,903.47	1,17,456.69	1,20,087.30	1,23,236.53	1,28,039.91
2	ऊर्जा की कुल आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	B	85,696.18	91,666.86	97,663.42	1,04,035.97	1,11,862.75
3	कुल अधिशेष ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	C=A-B	28,207.29	25,789.83	22,423.88	19,200.56	16,177.16
4	ऊर्जा का समर्पण (backdown) (मिलियन यूनिट)	D	8,208.84	10,605.14	10,442.48	12,639.08	10,208.97
5	विद्युत के अधिशेष विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	E=C-D	19,998.45	15,184.69	11,981.40	6,561.48	5,968.19
6	एमपीआईडीसी को विद्युत का विक्रय (मिलियन यूनिट)	F	541.70	576.50	613.70	653.20	695.30
7	वित्तीय वर्ष 2021–22 के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार एमपीआईडीसी की औसत विद्युत क्रय लागत (रूपये/किलोवाट ऑवर)	G	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
8	एमपीआईडीसी को विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)	H=F*G/10	204.76	217.92	231.98	246.91	262.82
9	पावर एक्सचेंज में विद्युत के विक्रय हेतु उपलब्ध शुद्ध अधिशेष ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	I=E-F	19,456.75	14,608.19	11,367.70	5,908.28	5,272.89
10	एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत के विक्रय की प्रति यूनिट लागत (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	J	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
11	एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत के विक्रय से कुल राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)	K=I*J/10	6,479.10	4,864.53	3,785.44	1,967.46	1,755.87
12	भारतीय पावर एक्सचेंज (IEX) तथा एमपीआईडीसी में अधिशेष ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)	L=H+K	6,683.86	5,082.44	4,017.42	2,214.37	2,018.69
13	अधिशेष ऊर्जा का ऊर्जा प्रभार (करोड़ रूपये)	M	6,085.09	4,683.51	3,775.79	2,100.42	1,993.53
14	**अधिशेष ऊर्जा के विक्रय द्वारा विद्युत क्रय लागत में कुल बचत**	**N=L-M**	**598.77**	**398.93**	**241.64**	**113.94**	**25.17**

2.88 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण तथा हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए आयोग ने विद्युत–दर रूपांकन (tarrif design) में अनेक छूटों को सम्मिलित किया है जिससे विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत विक्रय में वृद्धि के साथ–साथ अधिशेष विद्युत ऊर्जा की मात्रा में कमी परिलक्षित होगी।

अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter-State Transmission Charges)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submissions)

2.89 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में पश्चिमी क्षेत्र (WR), उत्तरी क्षेत्र (NR) तथा पूर्वी क्षेत्र (ER) की पारेषण प्रणाली के प्रभार सम्मिलित हैं। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार, विद्युत क्रय विवरण–पत्र से प्राप्त किये गये वास्तविक आंकड़ों के अनुसार माने हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रत्येक वर्ष हेतु इनमें 4% की वार्षिक वृद्धि की गई है।

2.90 याचिकाकर्ताओं ने आगे निवेदन किया है कि अन्तर्राज्यीय पारेषण लागतों को तत्पश्चात् केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा एक्स–बस ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है जो निम्नानुसार हैं :

तालिका 51 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
राज्य	2,627.36	2,732.45	2,841.75	2,955.42	3,073.64

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.91 अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों को पारेषण प्रणालियों हेतु देय प्रभार सम्मिलित हैं। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में संयुक्त वार्षिक विकास दर (CAGR) में 5.75 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। तथापि वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में 44.80% की दर से वृद्धि हुई जो पूर्व वर्षों में वृद्धि से संरेखित नहीं है। तद्नुसार, इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में 4% की सामान्य वृद्धि का दावा किया है जो पूर्व वर्षों में पाई गई वृद्धि से अपेक्षाकृत कम है, आयोग ने नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में 4% की वृद्धि दर पर विचार किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वास्तविक अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में दो बार 4% की दर से वृद्धि हुई है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की प्राप्ति की गई है। तत्पश्चात्, नियत्रण अवधि के अनुवर्ती वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि करते हुए अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की प्राप्ति की गई है।

2.92 नियंत्रण अवधि हेतु स्वीकृत किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 52 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
राज्य	**2,627.36**	**2,732.45**	**2,841.75**	**2,955.42**	**3,073.64**

राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (Intra-State Transmission and SLDC Charges)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.93 याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की नियंत्रण अवधि हेतु पारेषण टैरिफ आदेश के अनुसार माने गये हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रत्येक वर्ष हेतु वृद्धि दर 4 प्रतिशत मानी गई है।

2.94 याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वास्तविक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार माने हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रत्येक वर्ष हेतु वृद्धि 4 प्रतिशत मानी है।

2.95 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए एक्स–बस ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार आवंटित किये हैं जिन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 53 : याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभार (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	पारेषण प्रभार	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,258.16	1,286.14	1,337.59	1,391.09	1,446.73
2	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,482.02	1,499.32	1,559.29	1,621.66	1,686.53
3	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,502.08	1,538.56	1,600.10	1,664.11	1,730.67
4	**सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य**	**4,242.26**	**4,324.02**	**4,496.98**	**4,676.86**	**4,863.93**
सरल क्रमांक	**राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार**	**वित्तीय वर्ष 2022–23**	**वित्तीय वर्ष 2023–24**	**वित्तीय वर्ष 2024–25**	**वित्तीय वर्ष 2025–26**	**वित्तीय वर्ष 2026–27**
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	4.23	4.40	4.57	4.76	4.95
2	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	4.50	4.68	4.87	5.06	5.27
3	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	5.42	5.63	5.86	6.09	6.34
4	**सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य**	**14.15**	**14.71**	**15.30**	**15.91**	**16.55**
सरल क्रमांक	**पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए**	**वित्तीय वर्ष 2022–23**	**वित्तीय वर्ष 2023–24**	**वित्तीय वर्ष 2024–25**	**वित्तीय वर्ष 2025–26**	**वित्तीय वर्ष 2026–27**
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,262.39	1,290.54	1,342.16	1,395.85	1,451.68
2	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,486.52	1,504.00	1,564.16	1,626.73	1,691.80
3	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,507.50	1,544.19	1,605.96	1,670.20	1,737.01
4	**सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य**	**4,256.41**	**4,338.73**	**4,512.28**	**4,692.77**	**4,880.49**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.96 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार याचिका क्रमांक 45/2020 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19 मई, 2021 के अनुसार अवधारित किये हैं। तद्नुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023–24 तक राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार उपरोक्त बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अनुसार माने हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आयोग ने वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों के अनुसार 1.92 प्रतिशत मानी है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के पारेषण प्रभारों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुमोदित पारेषण प्रभारों में वृद्धि के अनुसार है।

2.97 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC Charges) याचिका क्रमांक 46/2019 के अन्तर्गत टैरिफ आदेश दिनांक 23.11.2020 के अनुसार स्वीकार किये हैं। तद्नुसार, इस पर सामान्य रूप से नियंत्रण अवधि हेतु बिना किसी वृद्धि के विचार किया गया है क्योंकि पूर्व वर्षों के दौरान राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों में घटता हुआ रूझान (reducing trend) पाया गया है।

2.98 तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार स्वीकार किये गये हैं :

तालिका 54 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,258.16	1,286.14	1,310.93	1,336.19	1,361.94
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,502.08	1,538.56	1,568.21	1,598.44	1,629.24
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,482.02	1,499.32	1,528.22	1,557.67	1,587.69
4	**सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य**	**4,242.26**	**4,324.02**	**4,407.36**	**4,492.30**	**4,578.88**
सरल क्रमांक	**राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार**	**वित्तीय वर्ष 2022–23**	**वित्तीय वर्ष 2023–24**	**वित्तीय वर्ष 2024–25**	**वित्तीय वर्ष 2025–26**	**वित्तीय वर्ष 2026–27**
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
4	**सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य**	**7.98**	**7.98**	**7.98**	**7.98**	**7.98**
सरल क्रमांक	**पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए**	**वित्तीय वर्ष 2022–23**	**वित्तीय वर्ष 2023–24**	**वित्तीय वर्ष 2024–25**	**वित्तीय वर्ष 2025–26**	**वित्तीय वर्ष 2026–27**
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,260.51	1,288.49	1,313.28	1,338.55	1,364.30
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,504.90	1,541.38	1,571.04	1,601.26	1,632.07
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,484.82	1,502.12	1,531.02	1,560.47	1,590.49
4	**सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य**	**4,250.24**	**4,332.00**	**4,415.33**	**4,500.28**	**4,586.86**

2.99 आयोग ने मध्यप्रदेश ट्रांसको को देय सेवान्त प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय ''उपयोगानुसार भुगतान करो (pay as you go)'' सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार किये हैं। सेवान्त प्रसुविधाओं की वास्तविक राशि पर आयोग द्वारा विचार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा दाखिल की जाने वाली सत्यापन याचिका के युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् किया जाएगा।

मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) लागतें : विवरण तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन (MPPMCL Costs : Details and Discom wise Allocation)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.100 राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2260—F—3—24—2009—तेरह दिनांक 19 मार्च, 2013 की मद 8(ii) के अनुसार अपने स्वयं के व्ययों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएससीएल) विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत प्रदाय आयोग द्वारा अवधारित/स्वीकृत की गई विद्युत—दर (टैरिफ) पर तथा इसके स्वयं के व्यय वास्तविक आधार पर तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आहरित की जा रही ऊर्जा के समानुपात में करता चला आ रहा है।

2.101 इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) का संचालन ''न लाभ न हानि (No Profit No Loss)" आधार पर किया जा रहा है। अतएव, अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष का समापन होने पर एमपीपीएमसीएल द्वारा प्राप्त किये गये समस्त आकलन (क्रेडिट) जो एमपीपीएमसीएल की आय के भाग का गठन करते हैं, को उनकी विद्युत क्रय लागतों के भाग के रूप में तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके द्वारा किये जा रहे ऊर्जा आहरण के समानुपात में अन्तरित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022—23 से वित्तीय वर्ष 2026—27 की नियंत्रण अवधि हेतु एमपीपीएमसीएल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के मुख्य घटकों का उल्लेख निम्न तालिका में किया गया है :

तालिका 55 : वित्तीय वर्ष 2022—23 से वित्तीय वर्ष 2026—27 हेतु दावा की गई एमपीपीएमसीएल लागत (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022—23	वित्तीय वर्ष 2023—24	वित्तीय वर्ष 2024—25	वित्तीय वर्ष 2025—26	वित्तीय वर्ष 2026—27
I.	परिचालन (Operations) से राजस्व की प्राप्ति {राजस्व राज्यानुदान (सब्सिडी) को सम्मिलित करते हुए}	-	-	-	-	-
II.	अन्य आय	187.74	206.52	227.17	249.88	274.87
III.	अनुज्ञप्तिप्राप्त व्यवसाय से अन्य आवंटित व्यवसाय से प्राप्त की गई आय					
IV	**कुल राजस्व की प्राप्ति (I+II+III)**	**187.74**	**206.52**	**227.17**	**249.88**	**274.87**
V	व्यय (Expenses) :					
	एमपी जनको से विद्युत का क्रय	-	-	-	-	-
	अन्य स्त्रोतों से विद्युत का क्रय	36.60	35.26	33.78	32.16	30.38
	अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	47.37	52.11	57.32	63.05	69.36
	राज्यान्तरिक पारेषण (एमपी ट्रांसको) प्रभार	-	-	-	-	-
	राज्य प्रेषण केन्द्र प्रभार	-	-	-	-	-
	अवमूल्यन/अवक्षयण तथा प्रत्युत्सर्जन (amortization) प्रभार	7.57	7.77	7.97	8.17	8.37
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	262.95	289.24	318.17	349.99	384.98

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
	मरम्मत तथा अनुरक्षण	3.56	3.91	4.30	4.73	5.21
	कर्मचारी लागतें	70.31	72.41	74.59	76.82	79.13
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	28.25	31.07	34.18	37.60	41.36
	शुद्ध पूर्व अवधि आकलन (क्रेडिट) प्रभार	-	-	-	-	-
	अन्य विकलन (Debits), बट्टा–खाता राशियां	4.78	5.26	5.78	6.36	7.00
	पट्टा भाड़ा राशि (Lease Rental)	-	-	-	-	-
	कुल व्यय (Expenses)	**461.38**	**497.04**	**536.10**	**578.89**	**625.79**
VI	आपवादिक तथा असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ (IV-V)	(273.6)	(290.5)	(308.9)	(329.0)	(350.9)
VII	आपवादिक मदें	-	-	-	-	-
VIII	**असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ (VI-VII)**	**(273.6)**	**(290.5)**	**(308.9)**	**(329.0)**	**(350.9)**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.102 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि एमपीपीएमसीएल लागत में सम्मिलित किये गये अधिकांश व्यय विद्युत क्रय से संबद्ध हैं। आयोग ने अपने पूर्व के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों में याचिकाकर्ता को एमपीपीएमसीएल लागत के अंतर्गत बुक किये गये विद्युत क्रय व्ययों को विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत क्रय व्यय में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विद्युत वितरण कम्पनी सम्बंधी विद्युत क्रय व्यय देयकों के भुगतान बाबत मुख्य लागत जिसे विद्युत वितरण कम्पनी को अन्तरित नहीं किया जा सकता था मासिक देयकों, विद्युत ऊर्जा के अधिकोषण हेतु भुगतान किये गये निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभारों एवं लघु अवधि विद्युत क्रय तथा विक्रय के माध्यम से हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के पश्चात् समस्त देयक विद्युत वितरण कम्पनियों को मासिक देयकों के माध्यम से अन्तरित किये जाने की संभावना है, अतएव इन पर विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

2.103 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि एमपीपीएमसीएल ऊर्जा का विनिमय (exchange)/ अधिकोषण (banking) मध्यप्रदेश राज्य से बाहर तृतीय पक्षों के साथ करती चली आ रही है जिसके अनुसार राज्य में अधिशेष (surplus) ऊर्जा की उपलब्धता के दौरान इसे ऐसे पक्षों को प्रदाय किया जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है तथा यदि राज्य में ऊर्जा की स्थिति घाटे में है तो कम्पनी द्वारा अधिकोषित विद्युत को वापस प्राप्त कर लिया जाता है। यह भी पाया गया है कि आहरित की गई ऊर्जा को एमपीपीएमसीएल के लिये अधिकोष की गई ऊर्जा को उसी वर्ष में लौटाना संभव नहीं हो पाया है, ऐसे में वित्तीय शब्दावली में यदि कहा जाए तो वह इसे अधिकोष (banking) के विरूद्ध देनदारी के रूप में करता चला आ रहा है। आयोग का यह मत है कि इस प्रकार के लेन–देन (संव्यवहार) में कोई भी व्यय किया जाना सन्निहित नहीं होता, केवल निर्बाध (खुली) पहुंच (open access) प्रभारों को छोड़कर। पूर्व टैरिफ आदेशों के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन व्ययों को तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत क्रय (power purchase) के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना अपेक्षित होता है। अतएव, आयोग ने विद्युत क्रय व्यय को एमपीपीएमसीएल लागत शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है।

2.104 इसके अतिरिक्त, आयोग ने संचालन तथा संधारण (Operation and Maintenance) व्ययों तथा अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation) हेतु केवल एमपीपीएमसीएल के व्ययों को ही स्वीकार किया है। ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन सत्यापन के समय विचार किया जाएगा।

2.105 आगे, आयोग ने नियंत्रण अवधि हेतु एमपीपीएमसीएल की अन्य आय पर अन्तिम तीन वर्षों की वास्तविक आय के औसत के अनुसार विचार किया है क्योंकि अन्य आय के मुख्य घटक छूट (रिबेट) तथा देयकों के समयबद्ध भुगतान पर प्राप्त ब्याज के कारण हैं। तद्नुसार इस आदेश में स्वीकार की गई शुद्ध एमपीपीएमसीएल लागत नियंत्रण अवधि हेतु अधिशेष आय (surplus income) है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्रय से संबंधित व्यय, यदि कोई हों जो एमपीपीएमसीएल द्वारा वहन किये गये हों, पर उचित प्रकार से वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सत्यापन के समय, युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् विचार किया जाएगा।

2.106 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 स्वीकार की गई एमपीपीएमसीएल लागत/आय निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई एमपीपीएमसीएल लागतें/आय (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	अवमूल्यन तथा प्रत्युत्सर्जन (Depreciation and Amortization)	7.57	7.77	7.97	8.17	8.37
2	कर्मचारी लागत	70.31	72.41	74.59	76.82	79.13
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	3.56	3.91	4.30	4.73	5.21
4	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	28.25	31.07	34.18	37.60	41.36
5	**कुल व्यय**	**109.68**	**115.17**	**121.04**	**127.33**	**134.07**
6	अन्य आय	568.84	568.84	568.84	568.84	568.84
7	**शुद्ध एमपीपीएमसीएल लागत/ (आय)**	**(459.15)**	**(453.66)**	**(447.79)**	**(441.51)**	**(434.77)**

विद्युत क्रय लागत की संक्षेपिका (Summary of Power Purchase Cost)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.107 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये कुल विद्युत क्रय लागत के विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 57 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई विद्युत क्रय की लागत (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
		स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	योग
1	सकल विद्युत क्रय लागत	11,427	19,032	30,459	11,656	21,150	32,806	12,060	23,508	35,568	12,384	25,946	38,330	12,884	28,305	41,190
2	घटायें : अधिशेष ऊर्जा के विक्रय से अधिशेष ऊर्जा की परिवर्तनीय लागत में से बचत को		174	174		144	144		70	70		59	59		6	6
3	परिवर्तनीय लागत में बचत के पश्चात् सकल विद्युत क्रय की लागत	11,427	18,858	30,285	11,656	21,006	32,662	12,060	23,438	35,498	12,384	25,887	38,271	12,884	28,300	41,184
4	जोडें : एमपीपीएमसीएल लागत	274		274	291		291	309		309	329		329	351		351
5	जोड़ें : नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) के कारण लागत		573	573		784	784		1,007	1,007		1,212	1,212		1,404	1,404
6	**शुद्ध विद्युत क्रय लागत**	**11,701**	**19,432**	**31,132**	**11,946**	**21,790**	**33,737**	**12,369**	**24,445**	**36,814**	**12,713**	**27,099**	**39,812**	**13,235**	**29,703**	**42,938**
7	अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	2,627		2,627	2,732		2,732	2,842		2,842	2,955		2,955	3,074		3,074
8	एमपीपीटीसीएल प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	4,256		4,256	4,339		4,339	4,512		4,512	4,693		4,693	4,880		4,880
9	**कुल विद्युत क्रय लागत**	**18,584**	**19,432**	**38,016**	**19,017**	**21,790**	**40,808**	**19,723**	**24,445**	**44,168**	**20,361**	**27,099**	**47,461**	**21,189**	**29,703**	**50,892**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.108 कुल विद्युत क्रय लागत जैसा कि आयोग द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियंत्रण अवधि हेतु स्वीकार किया गया है, को निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 58 :वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार की गई सकल विद्युत क्रय की लागत

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
A	स्थाई प्रभार	करोड़ रूपये	11,562.43	11,665.86	11,682.84	11,684.02	12,054.13
B	ऊर्जा प्रभार, नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की अतिरिक्त लागत को सम्मिलित करते हुए	करोड़ रूपये	19,379.14	21,802.25	23,839.37	26,041.89	28,572.40
C	एमपीपीएमसीएल लागत/(आय)	करोड़ रूपये	(459.15)	(453.66)	(447.79)	(441.51)	(434.77)
D	घटायें : अधिशेष ऊर्जा के विक्रय से बचत को	करोड़ रूपये	(598.77)	(398.93)	(241.64)	(113.94)	(25.17)
E	**विद्युत क्रय लागत**	करोड़ रूपये	**29,883.64**	**32,615.52**	**34,832.78**	**37,170.46**	**40,166.59**
F	अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (पीजीसीआईएल)	करोड़ रूपये	2,627.36	2,732.45	2,841.75	2,955.42	3,073.64
G	राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	करोड़ रूपये	4,250.24	4,332.00	4,415.33	4,500.28	4,586.86
H	**शुद्ध विद्युत क्रय लागत, पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए**	करोड़ रूपये	**36,761.23**	**39,679.97**	**42,089.86**	**44,626.16**	**47,827.08**
I	एक्स–बस ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	85,696.18	91,666.86	97,663.42	1,04,035.97	1,11,862.75
J	**एक्स–बस पर विद्युत क्रय दर (J=E/I* 10)**	**रूपये प्रति यूनिट**	**3.49**	**3.56**	**3.57**	**3.57**	**3.59**
K	उत्पादन–पारेषण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरण	मिलियन यूनिट	83,800.53	89,393.81	95,312.44	1,01,636.37	1,08,396.99
L	**राज्य की परिधि पर विद्युत क्रय दर {L=(E+F)/K* 10}**	**रूपये प्रति यूनिट**	**3.88**	**3.95**	**3.95**	**3.95**	**3.99**
M	पारेषण–वितरण अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) पर आहरण	मिलियन यूनिट	81,604.96	87,051.69	92,815.25	98,973.50	1,05,556.99
N	**विद्युत वितरण कम्पनियों की परिधि पर विद्युत क्रय दर {N=H/M* 10}**	**रूपये/यूनिट**	**4.50**	**4.56**	**4.53**	**4.51**	**4.53**
O	कुल विक्रय	मिलियन यूनिट	68,801.64	73,613.25	78,719.78	84,190.20	90,052.95
P	**प्रति यूनिट विक्रय विद्युत क्रय लागत (P=H/0* 10)**	**रूपये/यूनिट**	**5.34**	**5.39**	**5.35**	**5.30**	**5.31**

समेकित विद्युत क्रय की लागत (Pooled Power Purchase Cost)

2.109 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र को अधिमान्यता प्रदान करने तथा जारी करने के संबंध में निबन्धन तथा शर्तों से संबंधित विनियम, यथा 'Central Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulation, 2010'में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (Renewable Energy Certificates) के न्यूनतम तथा नियन्त्रण मूल्य (Floor and Forbearance Price) की गणना के प्रयोजन से विद्युत क्रय की समेकित लागत के अवधारण हेतु शर्तों के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। विनियम में किये गये सुसंबद्ध उपबन्ध को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

'5 पात्रता और प्रमाण पत्रों का पंजीकरण

(1)
:
:
ग. *वह उत्पादित विद्युत को या तो (1) पात्र अस्तित्व के अवस्थान के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूल्ड लागत से अनधिक कीमत पर बेचता है, या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को या खुली पहुंच उपभोक्ता को परस्पर सहमत कीमत पर या बाजार अवधारित कीमत पर विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से बेचता है।*

स्पष्टीकरण :– इन विनियमों के प्रयोजन के लिए ''क्रय की पूल्ड लागत'' से ऐसी भारित औसत पूल्ड कीमत अभिप्रेत है, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत क्रय की है, जिसमें, यथास्थिति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक सभी ऊर्जा प्रदायकर्ताओं से पूर्व वर्ष में स्वउत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है किन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित प्रदायकर्ता सम्मिलित नहीं है।''

2.110 तद्नुसार,समेकित विद्युत क्रय लागत की गणना, एक्स–बस विद्युत क्रय पर विचार करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर, निम्न तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार की गई है :

तालिका 59 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु समेकित विद्युत क्रय की लागत

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
A	एक्स–बस विद्युत क्रय की आवश्यकता, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर	मिलियन यूनिट	71,070.76	74,682.34	78,182.29	81,768.35	86,231.87
B	कुल विद्युत क्रय लागत, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर	करोड़ रूपये	23,832.54	25,358.46	26,985.47	28,568.05	30,662.29
C	**समेकित विद्युत क्रय की लागत (C= B /A*10)**	**रूपये प्रति यूनिट**	**3.35**	**3.40**	**3.45**	**3.49**	**3.56**

पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Capital Expenditure Plans/ Capitalization of Assets)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

पूंजी निवेश (Investments)

2.111 विद्युत वितरण कम्पनियां आने वाले वर्षों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण (system strengthening) तथा वितरण हानियों में कमी लाये जाने हेतु विभिन्न परियोजनाएं हाथ में ले रही हैं। उनके द्वारा अपना सम्पूर्ण ध्यान नवीन 33/11 केवी उपकेन्द्रों, अतिभारित 33 केवी संभरकों के द्विभाजन, 11केवी स्तर पर कृषि संभरकों के द्विभाजन, पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या में वृद्धि/आवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना, अनावृत्त निम्न दाब तन्तुपथों (bare LT lines) को एबी केबलों में बदलने, सेवा तन्तुपथों के प्रतिस्थापन, आदि पर केन्द्रित किया जा रहा है।

2.112 प्रणाली की समग्र वितरण हानि तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों का योग है। तकनीकी हानियां मुख्य रूप से अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण हैं जिसके सुदृढ़ीकरण, तन्तुपथों (lines), उपकेन्द्रों तथा संबद्ध अधोसंरचनाओं की क्षमता का नवीनीकरण तथा उन्नयन किये जाने की आवश्यकता है। वाणिज्यिक हानियां मुख्य रूप में विद्युत की चोरी, प्रणाली में रूके तथा दोषपूर्ण मापयन्त्रों की उल्लेखनीय संख्या होने के कारण है जिन्हें काफी हद तक प्रणाली के पुनर्गठन (reengineering) द्वारा कम किया जा सकता है जिसके लिये पूंजी निवेश तथा समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। विद्युत वितरण कम्पनियां वर्तमान में दोनों समस्याओं पर कार्य कर रही हैं तथा वितरण हानियां काफी हद तक कम भी हुई हैं, परन्तु ऐसा मानदण्डीय हानि स्तरों तक नहीं हो पाया है।

2.113 इसके अतिरिक्त, चौबीसों घंटे अबाधित (uninterrupted) गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय तथा वहनीय (affordable) विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Districtuion Sector Scheme) दिनांक 20 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण कम्पनियों की सहायता हेतु समयबद्ध ढंग से सुधार कार्यों का उत्तरदायित्व हाथ में लेना तथा निष्पादन में सुधार लाना है। पुनरूत्थान सुधार–आधारित तथा परिणाम–उन्मुख वितरण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए परिचालन दक्षताओं (operational effciencies)तथा वित्तीय संवहनीयता में सुधार किया जाना चाहा गया है। किये जा रहे सुधारों हेतु सहायता कार्यक्रम कतिपय शर्तों से युक्त है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनरूत्थान वितरण योजना को निम्न भागों में विभाजित किया गया है :

भाग क– मापन तथा वितरण अधोसंरचना कार्य (Metering & Distrbution Infrastructure Works):

2.114 विद्युत क्षेत्र (पावर सेक्टर) तथा एकीकृत बिलिंग तथा संग्रहण प्रणाली हेतु समस्त उपभोक्ताओं के लिये अग्रिम भुगतान स्मार्ट मापयन्त्रों (Smart Prepaid Meters) की स्थापना करना, मय संबद्ध उन्नत मापन अधोसंरचना (AMI), वितरण ट्रांसफार्मरों (DTs) तथा संभरकों (फीडर्स) हेतु प्रेषणीय मापयंत्र (Communicable Meters),सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), मशीन लर्निंग (Machine Learning) आदि आधारित समाधानों को सम्मिलित करते हुए।

2.115 वितरण अधोसंरचना कार्य जैसा कि वे प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण के साथ–साथ हानि में कमी लाने संबंधी उपायों हेतु आवश्यक हैं। अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्यों में कृषि संभरकों (फीड्र्स) के पृथक्करण को सम्मिलित किया जाएगा ताकि कुसुम योजना (KUSUM Scheme) का क्रियान्वयन वायवीय गुच्छ केबल (Aerial Bunch Cables) तथा हानि कम करने हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS), आवश्यकतानुसार उच्च दाब/निम्न दाब लाइनों को बदलना, नवीन/समुन्नत उपकेन्द्रों स्काडा (SCADA) वितरण प्रबंधन प्रणाली (DMS) आदि का निर्माण किया जा सके। प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार एक योजना तैयार करेंगे जिसका अन्तिम लक्ष्य हानियों को कम करना तथा चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी तथा सहायक गतिविधियां (Training and Capacity Building and other Enabling & Supporting Activities) :

2.116 सहायक तथा समर्थकारी घटक, जैसे कि समन्वयन अभिकरण शुल्क (Nodal Agency Fee), भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय के समर्थकारी घटक {संचार योजना (Communication Plan), प्रचार–प्रसार (Publicity), उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता सर्वेक्षण तथा अन्य संबद्ध उपाय, जैसे कि तृतीय–पक्ष मूल्यांकन, आदि}, स्मार्ट ग्रिड ज्ञान केन्द्र का उन्नयन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, पुरस्कार (awards) तथा मान्यताएं प्रदान करना (recognitions), आदि।

2.117 योजना के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान (pre paid) स्मार्ट मापन व्यवस्था हेतु, कुल लागत का 15% अंश भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा माह दिसम्बर, 2023 तक प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्धारित समयसीमा के भीतर अग्रिम भुगतान स्मार्ट मापन व्यवस्था संबंधी लक्ष्य प्राप्त होने पर 7.5% की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। बिलिंग मॉडयूल, डाटा प्रबन्धन, डाटा विश्लेषण तथा अन्य कार्यों पर होने वाले व्यय का शत प्रतिशत निधीयन (funding) भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। वितरण हानियों में कमी लाने संबंधी कार्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित कार्यों तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण से संबंधित आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण तथा विकास हेतु भारत सरकार द्वारा 60% अनुदान प्रदान किया जाएगा। अवशेष राशि की व्यवस्था विद्युत वितरण कम्पनियों को स्वयं करनी होगी।

2.118 योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों से समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी)/विद्युत मन्त्रालय के परामर्श अनुसार कार्य योजना (Action Plan) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। कार्य योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) का विस्तृत परीक्षण समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा किया जाएगा तथा इसका अनुमोदन निगरानी समिति (Monitoring Committee) {जिसका गठन भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/03/2021–UR&SI-II (E-258311) दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया है} द्वारा ऐसे संशोधनों/सुधारों के साथ जैसा कि वे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक हों, किया जाएगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा इन्हें वितरण सुधार समिति (Distribution Reforms Committee) की अनुशंसानुसार राज्य मन्त्रीमण्डल के अनुमोदनानुसार 31 दिसम्बर, 2021 की समयसीमा के भीतर समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) को प्रस्तुत किया जा चुका है। निगरानी समिति की बैठक माह फरवरी, 2022 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसके पश्चात् प्रस्तावों की अन्तिम प्रस्तुति राज्य शासन के अनुमोदनानुसार निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावित किये गये संशोधनों/सुधारों को यथोचित सम्मिलित करते हुए की जाएगी। चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियां उपरोक्त योजना में भाग ले रही हैं, अतएव आगामी वर्षों में इनके द्वारा ही पूंजीगत व्यय किया जाएगा। अतएव, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय (capex)

पर विचार किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि नियन्त्रण अवधि के दौरान सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर पर यथार्थपूर्ण प्रभाव प्राप्त किया जा सके।

2.119 याचिकाकर्ताओं ने आगे निवेदन किया है कि यह बात उनके संज्ञान में है कि विद्युत वितरण कम्पनियों को मप्रविनिआ {वितरण अनुज्ञप्ति (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की शर्तें} विनियम, 2004 के विनियम 10.3 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों को अपने पूंजीगत व्यय हेतु उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विद्युत वितरण कम्पनियों को विभिन्न योजनाओं के विरूद्ध विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त प्रबन्ध योजना (financing plan), भौतिक लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए, प्रस्तुत करने होंगे। यह जबकि विद्यमान पूंजीगत व्यय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के अग्रिम चरण में है। भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अन्तर्विभागीय वितरण सुधार समिति (Distribution Reforms Committee) का गठन योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा करने और विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य मन्त्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु किया गया था। समेकित प्रस्ताव वितरण सुधार समिति के समक्ष दिनांक 8 नवम्बर, 2021 को राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये जिस पर समिति ने आगे राज्य मन्त्रीमण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की जा चुकी है। तथापि दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को योजना के बारे में पुनरीक्षित परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात् याचिकाकर्ताओं के पास कार्य योजना को पुनरीक्षित करने तथा आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अत्यन्त सीमित समय बचा क्योंकि याचिकाकर्ताओं के लिये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) 30 नवम्बर 2021 तक दाखिल किया जाना अनिवार्य था। अतएव, ऐसी परिस्थितियों में विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में पूंजीगत निवेश तथा पूंजीकरण जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा परियोजनाओं हेतु आगामी नियन्त्रण अवधि हेतु हाथ में लिया जाना अपेक्षित है, को आयोग के समक्ष इस याचिका में प्रक्षेपित किया गया है, भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय को प्रस्तुत किया जाना तथा उनके द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी भी शेष है।

2.120 इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियामक तन्त्र लागू करने का प्रयोजन हितधारकों के मध्य निश्चितता तथा भविष्यवचनीयता (predictability) लाना है। मूल आधार यह है कि जब तक आकस्मिक परिस्थितियां (force majeure conditions) न हों विद्युत–दरों (tariffs) में एक निश्चित सीमा से अधिक उतार–चढ़ाव नहीं होना चाहिए। बहुवर्षीय टैरिफ तन्त्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के लिये आने वाले वर्षों हेतु विद्युत–दर के बारे में एक अग्रिम सूचना उनके समक्ष व्याप्त होगी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को भी अपने व्यवसाय का नियोजन नियन्त्रण अवधि हेतु संभावित खुदरा विद्युत–दर की जानकारी के आधार पर करना सुलभ होगा। अतएव, ऐसे पूंजीगत व्यय के बारे में गैर–विचार (non-consideration) जो निकट भविष्य में होना अवश्यंभावी है, का परिणाम आने वाले वर्षों में सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) में अत्यधिक विषमता के रूप में सामने आएगा। ऐसे में बहुवर्षीय टैरिफ तन्त्र को लागू करने का प्रयोजन निरर्थक सिद्ध होगा। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियां आयोग को इस योजना के अन्तर्गत जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित किया गया है पूंजीगत व्यय बाबत इस योजना के सम्बंध में विचार करने का अनुरोध करती है।

2.121 आगे, याचिकाकर्ताओं ने पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अन्तर्गत रू 28,119 करोड़ का कुल व्यय प्राविधिक रूप से किया जाना प्राक्कलित किया है। इसमें से रू

14,886 करोड़ की राशि स्मार्ट मीटरीकरण हेतु तथा रू 13,233 करोड़ की राशि विद्युत हानि कम करने तथा एसएसटीडी तथा आधुनिकीकरण कार्यों हेतु प्राक्कलित की गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हानियों के मूल कारणों को चिन्हांकित करने तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण से संबंधित अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्यों हेतु आवश्यकता के आकलन हेतु वृत्तवार/जिलावार सर्वेक्षण संचालित किये गये थे। कार्य विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में प्रस्तावित किये गये हैं जहां हानियां निम्न स्तर पर हैं तथा हानि का स्तर कम करने हेतु प्राथमिकता ऐसे क्षेत्रों को दी गई है जहां हानियां उच्च स्तर पर हैं। समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों तथा संबंधित वृत्तों हेतु आकलन में समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऊर्जा विभाग, मप्र शासन द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को दिनांक 19 नवम्बर, 2021 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। तद्नुसार, प्रत्येक वृत्त द्वारा तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी को प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिन्हें विद्युत वितरण कम्पनी स्तर पर समेकित किया गया। समेकित प्रस्ताव वितरण सुधार समिति (Distribution Reforms Committee) को दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा राज्य मन्त्रीमण्डल के समक्ष कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने हेतु सहमति व्यक्त करने के पश्चात् राज्य सरकार ने कार्य योजनाएं समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपना अनुमोदन 28 दिसम्बर, 2021 को प्रदान किया। तद्नुसार, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) को कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गईं। निगरानी समिति (Monitoring Committee) की बैठक माह फरवरी, 2022 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसके पश्चात् राज्य शासन के अनुमोदनानुसार निगरानी समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार सुधार/संशोधन सम्मिलित करते हुए प्रस्तावों की अन्तिम प्रस्तुति की जाएगी।

2.122 पुनरूत्थान योजना (Revamped Scheme) हेतु कुल पूंजीगत लागत निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैः

तालिका 60 : पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अन्तर्गत प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	योग
स्मार्ट मापन व्यवस्था (Smart Metering)	5,737	4,686	4,463	14,886
हानि में कमी करना	2579	2326	1800	6,706
एसएसटीडी तथा आधुनिकीकरण	2710	2034	1784	6,527
कुल परिव्यय	**11,026**	**9,046**	**8,047**	**28,119**

2.123 इसके अतिरिक्त, पुनरूत्थान योजना हेतु उपरोक्त उल्लेखित पूंजीगत व्यय (CAPEX) के विरूद्ध निधीयन प्रतिमान (funding pattern) पर विचार भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी पुनरीक्षित परिचालन दिशा–निर्देशों (revised operational guidelines) से संरेखित किया गया है जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

सरल क्रमांक	मदों का विवरण	जीबीएस (GBS)% (अधिकतम)
A-1	अग्रिम भुगतान स्मार्ट मापन समाधान, उपभोक्ता, वितरण ट्रांसफार्मर तथा संभरक (फीडर) स्तर पर सम्मिलित करते हुए मय विद्यमान अधोसंरचना का एकीकरण	यथास्थिति, 15%/22.5% उपभोक्ता मापन हेतु (क्रमशः रू 900 या रू. 1350 प्रति मीटर तक सीमित)
A-2	अन्य लागतें,समस्त राज्यों हेतु बाधामुक्त मानकीकृत बिलिंग मॉड्यूल, आंकड़ा प्रबन्धन (data management), आंकड़ा	शत प्रतिशत

सरल क्रमांक	मदों का विवरण	जीबीएस (GBS)% (अधिकतम)
	वैश्लेषिकी (data analytics) तथा कार्यान्वयन हेतु सहायता, आदि को सम्मिलित करते हुए	
A-3 toA-6	वितरण अधोसंरचना कार्य, स्काडा, डीएमएस, एबी केबल्स, फीडर पृथक्करण, आदि को सम्मिलित करते हुए	यथास्थिति, 60% या 90%
B1-B4	भाग–B	100%

2.124 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वे विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार के साथ–साथ उनकी परिचालन दक्षता तथा वित्तीय व्यवहार्यता हेतु कड़ा परिश्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त, अग्रिम भुगतान स्मार्ट मीटरीकरण के क्रियान्वयन से बिलिंग दक्षता (billing efficiency) तथा संग्रहण दक्षता (collection efficiency) में सुधार होगा। इस उद्देश्य के साथ विद्युत वितरण कम्पनियां आशावादी हैं कि उनके द्वारा निष्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा तथा वे कथित योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता ग्रहण कर लेंगी। अतएव विद्युत वितरण कम्पनियों ने कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय (CAPEX) के 60% भाग को हानि में कमी लाने तथा SSTD के लिये माना है तथा आधुनिकीकरण का निधीयन अनुदानों के माध्यम से किया जाएगा तथा इस प्रकार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रलाभ अन्तरित कर दिये जाएंगे। अवशेष भाग, अर्थात् पूंजीगत व्यय के 40% भाग का उपयोग हानि में कमी करने तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिये किया जाएगा तथा आधुनिकीकरण से संबद्ध अधोसंरचना कार्यों का निधीयन ऋण के माध्यम से किया जाएगा। जहां तक भाग–A, पुनरूत्थान योजना का मीटरीकरण जिसका निष्पादन 'TOTEX MODE' में किया जाना प्रस्तावित है, विद्युत वितरण कम्पनियों ने पूंजीगत व्यय (Capex) भाग जिसकी कुल राशि रू 8,448,.47 करोड़ है, को अपनी वर्तमान पूंजीगत व्यय योजना में माना है। अवशेष भाग, अर्थात् 'OPEX' भाग का दावा संचालन एवं संधारण (O&M) भाग के अन्तर्गत किया गया है जो वार्षिक समीकृत (equated) किश्तों पर मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्ययों के अतिरिक्त है।

2.125 इसके अतिरिक्त, पूंजीगत व्यय चरणबद्धता (capex phasing) जैसा कि इसे पुनरूत्थान योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, विद्युत वितरण कम्पनियों की सर्वोत्तम धारणा के अनुसार प्रावधिक आधार (provisional basis) पर है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग से अनुरोध किया कि भारत सरकार द्वारा उनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के अनुमोदन पश्चात् उन्हें अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाए तथा प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अधीन अनुमोदित तथा स्वीकृत निधियों (funds) पर आधारित अनुवर्ती परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रस्ताव के विरूद्ध किसी परिवर्तन को तत्संबंधी वर्षों के अन्तिम सत्यापन के समय समायोजित किया जा सकता है।

2.126 नियन्त्रण अवधि हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दाखिल की गई विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजीगत व्यय योजनाओं के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 61 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूंजी निवेश योजना (करोड़ रुपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	2,493	2,391	4,244	558	0
पश्चिम	1,579	2,200	2,409	1,012	935
मध्य	1,148	1,969	2,916	996	462
सम्पूर्ण राज्य हेतु	**5,220**	**6,560**	**9,569**	**2,566**	**1,397**

पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (Capitalization and CWIP)

2.127 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजीकरण योजना तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (Capital Works in Progress-CWIP) की अद्यतन स्थिति, जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किया गया है, को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 62 : विद्युत वितरण कम्पनीवार प्रस्तावित पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन (करोड़ रुपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	1685.16	2592.22	2695.97	4399.44	3023.35
	वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	2493.45	2391.06	4243.60	557.71	0.00
	वर्ष के दौरान किया गया कुल पूंजीकरण	1586.39	2287.30	2540.14	1933.79	1235.04
	निर्माण कार्य प्रगति पर का अन्तिम शेष	**2592.22**	**2695.97**	**4399.44**	**3023.35**	**1788.31**
मध्य	निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	1962.60	2028.68	2002.21	2469.88	1510.59
	वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	1147.74	1969.45	2915.67	995.59	462.23
	वर्ष के दौरान किया गया कुल पूंजीकरण	1081.65	1995.92	2448.00	1954.88	863.03
	निर्माण कार्य प्रगति पर का (CWIP) अन्तिम शेष	**2028.68**	**2002.21**	**2469.88**	**1510.59**	**1109.79**
पश्चिम	निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	2403.81	2677.31	2982.34	3091.48	2289.80
	वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	1579.09	2200.28	2408.59	1012.19	935.25
	वर्ष के दौरान किया गया कुल पूंजीकरण	1305.59	1895.25	2299.46	1813.86	1578.44
	निर्माण कार्य प्रगति पर का (CWIP) अन्तिम शेष	**2677.31**	**2982.34**	**3091.48**	**2289.80**	**1646.61**

परिसम्पत्ति/आस्ति के पूंजीकरण पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Asset Capitalization)

2.128 विद्युत वितरण कम्पनियों को मप्रविनिआ {वितरण अनुज्ञप्ति (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की शर्तें} विनियम, 2004 के विनियम 10.3 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समयबद्ध प्रस्तुति द्वारा विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय प्रबंध योजना,भार में वृद्धि की पूर्ति के संबंध में वित्तीय लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए, वितरण हानियों में कमी की जाने, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण, आदि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके पूंजीगत व्यय हेतु समुचित अनुमोदन प्राप्त करने होंगे।

2.129 पूंजीगत निवेश योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ–साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) भी जो टैरिफ नियंत्रण अवधि के दौरान प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ नियन्त्रण अवधि के भीतर तथा तत्पश्चात् पूर्ण की जाएगी, दर्शाई जानी चाहिए। आयोग कार्यकुशलतापूर्वक नेटवर्क के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त पूंजीगत व्यय का महत्व आयोग के संज्ञान में है।

2.130 यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने पूंजीकरण को विद्यमान तथा नवीन योजनाओं (पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना) से प्रक्षेपित किया है तथा यह भी पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं का पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS Scheme) के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अभी भी विचाराधीन है जिसके कारण याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त उल्लेखित विनियमों के अनुसार पूंजीगत निवेश योजना को अनुमोदन हेतु दाखिल नहीं किया है। बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) तन्त्र के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को आगामी विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सुनिश्चितता (certainty) प्रदान की जाए। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) पर प्रस्तावित पूंजीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया है तथा यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) पर इसका प्रभाव अत्यन्त साधारण है। अतएव, आयोग याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पूंजीकरण योजना पर प्रावधिक आधार (provisional basis) पर विचार करना उचित समझता है जो कि आयोग द्वारा अन्तिम पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन के अध्यधीन तथा सत्यापन के समय वास्तविक पूंजीकरण हेतु तत्संबंधी योजनाओं में आयोग द्वारा अनुमोदित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन होगा। तद्नुसार, आयोग द्वारा नियन्त्रण अवधि हेतु प्रावधिक रूप से विचार की गई पूंजीकरण योजना को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 63 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सुविचारित प्रक्षेपित परिसम्पत्ति/आस्ति पूंजीकरण(करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	1,586.39	2,287.30	2,540.14	1,933.79	1,235.04
पश्चिम	1,305.59	1,895.25	2,299.46	1,813.86	1,578.44
मध्य	1,081.65	1,995.92	2,448.00	1,954.88	863.03
सम्पूर्ण राज्य हेतु	**3,973.63**	**6,178.47**	**7,287.59**	**5,702.54**	**3,676.51**

संचालन एवं संधारण व्यय (Operations and Maintenance Expenses)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.131 नियन्त्रण अवधि हेतु संचालन तथा संधारण (O&M) व्ययों की गणना मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 36 के अनुसार की गई है।

2.132 कर्मचारी व्ययों (Employee Expenses) तथा सामान्य व्ययों (A&G Expenses) के प्रक्षेपण हेतु 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष को, नियन्त्रण अवधि के प्रयोजन से, आगामी वर्षों के लिये आधार वर्ष माना गया है। आधार वर्ष हेतु मानदण्डीय कर्मचारी व्ययों और प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंकेक्षित व्ययों (audited expenses) के आधार पर, असामान्य (abnormal) व्ययों को छोड़कर, यदि कोई हों, की गई है। पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित व्ययों के औसत की गणना की गई है जिसे 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु मानदण्डीय कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय माना गया है। तत्पश्चात्, ऐसे व्ययों के औसत में दो बार वृद्धि की गई है जिसके अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले आधार वर्ष हेतु मानदण्डीय व्ययों की राशि प्राप्त की गई है। इस प्रकार आधार वर्ष हेतु परिकलित व्ययों में तत्पश्चात् वृद्धि की गई है जिसके अनुसार नियन्त्रण अवधि के अनुवर्ती वर्षों हेतु मानदण्डीय कर्मचारी व्यय (Employee Expenses) और प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A & G Expenses) प्राप्त किये गये हैं।

2.133 इसके अतिरिक्त, प्रक्षेपणों (projections) हेतु वृद्धि दर को आयोग द्वारा विनियमों में निर्दिष्ट की गई क्रियाविधि से संरेखित माना गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मानदण्डीय व्ययों की गणना हेतु वृद्धि दर को पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक मुद्रास्फीति के आधार पर व्युत्पन्न (प्राप्त) किया गया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु थोक मूल्य सूचकांक (WPI) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में क्रमशः 30% तथा 70% भारिता (weightage) के साथ। तथापि, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह पाया गया हे कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मुख्यतः वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक ऋणात्मक(negative) (3.65%) प्राप्त किया गया है, जो असामान्य है। अतएव, याचिकाकर्ताओं ने अपनी गणना में इसे सम्मिलित नहीं किया है तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वृद्धि दर 4.41% प्राप्त की गई है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वृद्धि दर की गणना 4.24% की गई है।

तालिका 64 : नियन्त्रण अवधि हेतु वृद्धि दर (%)

वर्ष	वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (Yearly WPI)	थोक मूल्य सूचकांक मुद्रस्फीति (WPI Inflation)	वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Yearly CPI)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रस्फीति (CPI Inflation)
वित्तीय वर्ष 2015–16	109.72	-3.65%	265.00	5.65%
वित्तीय वर्ष 2016–17	111.62	1.73%	275.92	4.12%
वित्तीय वर्ष 2017–18	114.88	2.92%	284.42	3.08%
वित्तीय वर्ष 2018–19	119.79	4.28%	299.92	5.45%
वित्तीय वर्ष 2019–20	121.80	1.68%	322.50	7.53%
वित्तीय वर्ष 2020–21	123.38	1.29%	338.69	5.02%
वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्राप्त औसत		2.65%*		0.0517
वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्राप्त औसत		2.38%		5.04%
भारिता (weightage)		30%		70%
वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वृद्धि दर (2.65%*30%+5.17%*70%)				**4.41%**
वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वृद्धि दर (2.38%*30%+5.04%*70%)				**4.24%**

कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)

2.134 कर्मचारी लागत के अन्तर्गत केवल मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) को छोड़कर विभिन्न शीर्षों में वृद्धि उपरोक्त उल्लेखित वृद्धि दर के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती वर्षों की गणना हेतु उनके मानदण्डीय कर्मचारी व्ययों के बारे में याचिकाकर्ताओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवान्त प्रसुविधा (Terminal Benefit) हेतु किन्हीं भी प्रावधानों पर विचार नहीं किया है।

जहां तक मंहगाई भत्ते (DA) का संबंध है, जो कि कर्मचारियों के मूल वेतन से संयोजित है, याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु इसकी अन्तिम वास्तविक उपलब्ध दर को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश तथा परिपत्र से संरेखित माना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से आगे की अवधि के लिये याचिकाकर्ताओं ने वृद्धि पूर्व त्रैमास के मंहगाई भत्ते की दर पर 3% की दर से अल्प (marginal) त्रैमासिक किये जाने पर विचार किया है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 65 : सुविचारित मंहगाई भत्ता (%)

विवरण (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2022—23	वित्तीय वर्ष 2023—24	वित्तीय वर्ष 2024—25	वित्तीय वर्ष 2025—26	वित्तीय वर्ष 2026—27
प्रथम त्रैमास हेतु—माह अप्रैल से जून तक, मंहगाई भत्ता प्रतिशत के रूप में	31%	37%	43%	49%	55%
द्वितीय तथा तृतीय त्रैमास हेतु—माह जुलाई से दिसम्बर तक, मंहगाई भत्ता प्रतिशत के रूप में	34%	40%	46%	52%	58%
चतुर्थ त्रैमास हेतु—माह जनवरी से मार्च तक, मंहगाई भत्ता प्रतिशत के रूप में	37%	43%	49%	55%	61%

2.135 पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018—19 से वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की वास्तविक बकाया राशि (Arrears) का भुगतान किया है जिसे तत्संबंधी वर्षों के अंकेक्षित लेखे में दर्शाया नहीं गया है क्योंकि राशियों के भुगतान वित्तीय वर्ष 2017—18 में लेखांकित किये गये प्रावधान में से किये गये थे। अतएव, अनुवर्ती वर्षों के मानदण्डीय व्ययों में सातवें वेतन आयोग के पुनरीक्षण के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने हेतु याचिकाकर्ताओं ने अपनी गणना में सातवें वेतन आयोग के विरूद्ध किये गये वास्तविक भुगतान को माना है।

2.136 उपरोक्त चर्चा के आधार पर नियंत्रण अवधि के अनुवर्ती वर्षों हेतु कर्मचारी व्यय की गणना की गई है। इसके अतिरिक्त, मानदण्डीय कर्मचारी व्ययों के विरूद्ध किसी अन्तर को जैसा कि इसकी गणना ऊपर की गई है, तत्संबंधी अवधि हेतु वास्तविक राशि का दावा तत्संबंधी वर्ष के अन्तिम सत्यापन में किया जाएगा।

प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)

2.137 प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 से संरेखित प्रक्षेपित किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों के अन्तर्गत मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fee) के भुगतान को मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण—1) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010 से संरेखित वितरण प्रणाली में प्रत्येक 10 लाख यूनिट ऊर्जा आहरण पर रू 200 की राशि के भुगतान के आधार पर प्रक्षेपित किया है।

मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repair & Maintenance Expenses)

2.138 याचिकाकर्ताओं ने निवदेन किया है कि उन्होंने मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों (Repair & Maintenance Expenses) को नियन्त्रण अवधि के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल खण्ड परिसम्पत्तियों (Gross Block Assets) के 2.30% की दर के अनुप्रयोग द्वारा प्रक्षेपित किया है। इसके अतिरिक्त, मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 36.4 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता प्रयोज्य विनियमों में परिभाषित विनिर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों की पात्रता होगी। इस संबंध में यह संज्ञान में लेना महत्वपूर्ण होगा कि याचिकाकर्ताओं ने सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के समस्त घटकों का प्रक्षेपण आयोग द्वारा उसके विनियमों से विनिर्दिष्ट निष्पादन लक्ष्यों के आधार पर किया है। अतएव, याचिकाकर्ता उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में ऐसे एक प्रतिशत अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों (Repair & Maintenance Expenses) का दावा करने की पात्रता रखते हैं। तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा समकक्ष राशि को उनके कुल मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रक्षेपणों हेतु माना गया है।

अतिरिक्त परिचालन व्यय (ओपेक्स) लागत {Additional Operational Expenditure (OPEX) Cost}

2.139 पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) के भाग 'A' के अन्तर्गत उपभोक्ताओं हेतु संभरक वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर अग्रिम भुगतान स्मार्ट मापन व्यवस्था (Prepaid Smart Metering) संचारण विशिष्टियों से युक्त मय संबद्ध समुन्नत मापन अधोसंरचना (Advanced Metering Infrastructure) के, का क्रियान्वयन टोटेक्स पद्धति (Totex Mode) (CAPEX+OPEX) में जन निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से किया जाएगा जिसके अनुसार वितरण हानियां कम करने तथा ऊर्जा प्रवाह के स्वचालित मापन व ऊर्जा लेखांकन के साथ–साथ अंकेक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मापन व्यवस्था हेतु अग्रिम भुगतान कुल लागत के 15% अंश के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा 7.5% अतिरिक्त प्रोत्साहन, अग्रिम भुगतान स्मार्ट मापन व्यवस्था हेतु प्रथम चरण, अर्थात् माह दिसम्बर, 2023 तक की समय सीमा के भीतर इसका क्रियान्वयन किये जाने पर प्रदान किया जाएगा। बिलिंग माडयूल, आंकड़ा प्रबन्धन, आंकड़ा विश्लेषण तथा अन्य कार्यों पर किये गये व्यय का शत प्रतिशत निधीयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। पुनरूत्थान योजनाओं हेतु भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को निधीयन उसी दशा में उपलब्ध कराया जाएगा जब योजना को टोटेक्स पद्धति (TOTEX Mode) के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा हो।

2.140 तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटरीकरण को जन–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से टोटेक्स पद्धति (TOTEX Mode) में कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत केवल आंशिक पूंजीगत व्यय का भुगतान ही विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अग्रिम रूप से (upfront) किया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान वार्षिकी (annuity) के माध्यम से अगले दस वर्षों के दौरान परिचालन अवधि के दौरान 'OPEX' के अन्तर्गत किया जाएगा। ओपेक्स (OPEX) के भुगतान का निधीयन बिलिंग तथा संग्रहण व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप प्राप्त की गई बढ़ी हुई राजस्व राशि के माध्यम से किया जाएगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा योजना के मीटरीकरण भाग हेतु 'टोटेक्स' की आवश्यकता का आकलन किया गया है। कथित योजना हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुमानित कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय (CAPEX) भाग को विद्युत वितरण कम्पनियों के पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत माना गया है। इस प्रकार शेष भाग अर्थात् मीटरीकरण हेतु कुल व्यय के ओपेक्स (OPEX) भाग का दावा 10 वर्ष की परिचालन अवधि के दौरान बराबर वार्षिक किस्तों में संचालन एवं संधारण (O&M) व्ययों के अन्तर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं पर किये गये व्यय को 'OPEX' योजना के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये जाने की आवश्यकता है जो मानदण्डीय संचालन तथा संधारण (O&M) व्यय के अतिरिक्त होगा।

'TOTEX' का प्राक्कलन तथा तद्नुसार याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई 'OPEX' लागत प्राक्कलन तथा विक्रेता (Vendor) के चयन, संविदा के आवंटन (award of contract) तथा अन्य कारकों पर आधारित है। इस प्रकार का व्यय विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण यह तत्संबंधी वर्षों हेतु सत्यापन के अध्यधीन होगा। तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा भाग 'A' पुनरूत्थान योजना (Revamped Scheme) हेतु अतिरिक्त OPEX लागत का दावा प्रस्तुत किया गया है।

2.141 याचिकाकर्ताओं के संचालन तथा संधारण व्ययों संबंधी दावों को निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 66 : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	कर्मचारी व्यय(Employee Expenses)(बकाया राशि, मंहगाई भत्ता तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए)	1323.25	1455.80	1573.55	1698.62	1831.42
2	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	126.17	131.54	137.13	142.97	149.04
3	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	456.01	508.36	583.84	667.66	731.48
4	अतिरिक्त ओपेक्स व्यय	49.81	85.68	253.78	253.78	253.78
5	**संचालन एवं संधारण व्ययों का योग**	**1955.23**	**2181.38**	**2548.30**	**2763.02**	**2965.71**

तालिका 67 : पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)(बकाया राशि, मंहगाई भत्ता तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए)	1224.98	1334.98	1452.11	1576.78	1709.43
2	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	138.87	144.79	150.95	157.37	164.06
3	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	328.99	372.07	434.62	510.50	570.36
4	अतिरिक्त ओपेक्स व्यय	29.98	79.70	198.49	198.49	198.49
5	**संचालन एवं संधारण व्ययों का योग**	**1722.82**	**1931.54**	**2236.16**	**2443.14**	**2642.34**

तालिका 68 : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses) (बकाया राशि, मंहगाई भत्ता तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए)	1204.87	1300.07	1401.13	1508.39	1622.17
2	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	120.14	125.25	130.58	136.13	141.92
3	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	464.32	500.01	565.88	646.66	711.18
4	अतिरिक्त ओपेक्स व्यय	29.98	79.70	198.49	198.49	198.49
5	**संचालन एवं संधारण व्ययों का योग**	**1819.30**	**2005.04**	**2296.08**	**2489.67**	**2673.76**

तालिका 69 : राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)(बकाया राशि, मंहगाई भत्ता तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए)	3753.10	4090.85	4426.79	4783.79	5163.02
2	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	385.17	401.58	418.66	436.47	455.02
3	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	1249.32	1380.45	1584.34	1824.83	2013.01
4	अतिरिक्त ओपेक्स व्यय	109.76	245.09	650.75	650.75	650.75
5	**संचालन एवं संधारण व्ययों का योग**	**5497.35**	**6117.96**	**7080.55**	**7695.84**	**8281.81**

संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on O&M Expenses)

2.142 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 36 में विद्युत वितरण कम्पनियों के संचालन तथा संधारण व्ययो की गणना के बारे में क्रियाविधि (Methodology) निर्दिष्ट की गई है। इन व्ययों में कर्मचारी व्ययों (Employee expenses), मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्ययों एवं प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) व्ययों को सम्मिलित किया गया है। विनियम के सुसंबद्ध भाग को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

''36.2 कर्मचारी व्ययों तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की अवधि हेतु आयोग के युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन वास्तविक व्ययों की औसत के आधार पर प्राप्त किये गये असमान्य व्यय, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं किये जाएंगे :

परन्तु यह कि ऐसे व्ययों की औसत को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु व्यय के रूप में माना जाएगा तथा इसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु तत्संबंधी वृद्धि दर के आधार पर अभिवृद्धि की जाएगी, जिसके अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले आधार वर्ष हेतु व्ययों के आंकड़े प्राप्त किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह और कि वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वृद्धि दर की गणना भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अनुसार तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों हेतु मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित औसत वार्षिक मुद्रास्फीति को 30 प्रतिशत भारित करते हुए मानकर प्राप्त की जाएगी तथा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति को भारित करते हुए मानकर प्राप्त की जाएगी तथा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर 70 प्रतिशत भारिता (वेटेज) को भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के अनुसार, तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों के औद्योगिक कामगारों (अखिल भारतीय) हेतु मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

36.3 अनुवर्ती वर्ष हेतु कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2021–22 के आधार वर्ष व्ययों में मुद्रास्फीति कारक (इन्फ्लेशन फेक्टर) में वृद्धि द्वारा मय 30 प्रतिशत भारिता (वेटेज) के भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अनुसार तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों हेतु मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित किया जाएगा तथा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति पर 70 प्रतिशत भारिता (वेटेज) को भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के अनुसार, तत्संबंधी पूर्व पांच वर्षों के औद्योगिक कामगारों (अखिल भारतीय) हेतु मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

36.4 मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर हेतु 5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट यथासंशोधित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2012 में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हों तो विद्युत वितरण कम्पनियों का अतिरिक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की

0.5 प्रतिशत राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त, यदि अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 26.1 के अनुसार विनिर्दिष्ट वितरण हानि लक्ष्य प्राप्त करता हो तो उसे अतिरिक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय की 0.5 प्रतिशत राशि भी प्राप्त करने की पात्रता होगी या फिर उसे पूर्व वर्ष की तुलना मे हानियों मे न्यूनतम 3 प्रतिशत की कमी प्राप्त करनी होगी।''

2.143 आयोग ने संचालन तथा संधारण (O&M) व्ययों की गणना उपरोक्त कथित विनियम में निर्दिष्ट क्रियाविधि पर विचार करते हुए की है। नियन्त्रण अवधि हेतु कर्मचारी व्ययों के अनुमोदन हेतु निम्न पद्धति अपनाई गई है :

- वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मानदण्डीय कर्मचारी व्ययों की व्युत्पत्ति (प्राप्ति) वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के पिछले तीन वर्षीय वास्तविक अंकेक्षित कर्मचारी व्यय के औसत के आधार पर की गई है।
- आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मानदण्डीय व्ययों की प्राप्ति हेतु ऐसे व्ययों के औसत में दो बार वृद्धि की गई है। इस प्रकार गणना किये गये आधार वर्ष व्ययों में तत्पश्चात् वृद्धि की गई है जिसके अनुसार नियन्त्रण अवधि के अनुवर्ती वर्षों हेतु मानदण्डीय कर्मचारी व्ययों की प्राप्ति की गई है।

2.144 तत्पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2020–21 के मानदण्डीय व्ययों की गणना हेतु सुविचारित वृद्धि दर की व्युत्पत्ति (प्राप्ति) पिछले पांच वर्षों, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की औसत वार्षिक मुद्रास्फीति पर आधारित मय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) हेतु क्रमशः 30% तथा 70% भारिता के अनुसार की गई है। तथापि, यह पाया गया है वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक ऋणात्मक (negative) (अर्थात्–3.65%) है जो एक असामान्य परिस्थिति है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2015–16 के स्थान पर आयोग ने गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 की मुद्रास्फीति दर को माना है। तद्नुसार, इसके आधार पर आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 4.33% की वृद्धि दर प्राप्त की है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वृद्धि दर की गणना 4.24% के रूप में की गई है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

ताालिका 70 : नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकार की गई गई वृद्धि दर (%)

वर्ष	वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (Yearly WPI)	थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (WPI Inflation)	वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Yearly CPI)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (CPI Inflation)
वित्तीय वर्ष 2015–16	113.88	1.26%	-	-
वित्तीय वर्ष 2016–17	109.72	(3.65%)	265.00	5.65%
वित्तीय वर्ष 2017–18	111.62	1.73%	275.92	4.12%
वित्तीय वर्ष 2018–19	114.88	2.92%	284.42	3.08%
वित्तीय वर्ष 2019–20	119.79	4.28%	299.92	5.45%
वित्तीय वर्ष 2020–21	121.80	1.68%	322.50	7.53%
वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्राप्त औसत	123.38	1.29%	338.69	5.02%
वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्राप्त औसत		2.37%		5.17%
भारिता (weightage)		2.38%		5.04%
वित्तीय वर्ष 2015–16		30%		70%
वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वृद्धि दर (2.65%*30%+5.17%*70%)				**4.33%**
वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वृद्धि दर (2.38%*30%+5.04%*70%)				**4.24%**

2.145 मंहगाई भत्ते (DA) के बारे में यह पाया गया है कि छठे वेतन आयोग की अवधि के दौरान औसत मंहगाई भत्ते में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि हुई। अतएव, आयोग का मत है कि मंहगाई भत्ते में औसत प्रति वर्ष 6% की वृद्धि तर्कसंगत है तथा तद्नुसार नियन्त्रण अवधि हेतु मंहगाई भत्ते के प्रक्षेपण हेतु इसे माना गया है।

2.146 सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि (arriears) के संबंध में आयोग ने यह उचित माना है कि इस पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन के समय विचार किया जाए।

2.147 यह संज्ञान में लिया गया है कि विभिन्न हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) निरन्तर मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) के उपबन्ध 3(6) के अनुसार सेवान्त प्रसुविधा (पेंशन, उपादान, अवकाश नगदीकरण) न्यास की निधि हेतु निरन्तर अंशदान की मांग करते चले आ रहे हैं जिसे निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"3(6) उपरोक्त कण्डिका (2) (iii) के संबंध में अंशदान के संबंध में दायित्वों को तत्संबंधी इकाईयों के सुसंबद्ध वर्ष के टैरिफ में स्वीकृति प्रदान की जाएगी .... ।"

2.148 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू 960 करोड़ की राशि पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (Pension and Terminal Benefit Trust Fund) {देयता उपबन्ध (Liability provision)} हेतु अनुमोदित की थी जिसे विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पंजीकृत सेवान्त प्रसुविधा न्यास (Registered Terminal Benefit Trust Fund) के अंशदान हेतु प्रदान किया जाना अपेक्षित था। आगे आयोग द्वारा यह पाया गया है कि कथित मामले में पृथक कार्यवाही के अन्तर्गत आयोग ने याचिकाकर्ताओं को एक निलन्ब खाते (एस्क्रो अकाऊंट) के सृजन हेतु निर्देश दिये हैं तथा अनुज्ञेय की गई राशि को पूर्व वर्षों के दौरान सेवान्त प्रलाभ न्यास (टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट) में जमा करने के निर्देश दिये हैं। आयोग द्वारा इस आदेश के माध्यम से पूर्व आदेशों के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुसरण किये जा रहे दृष्टिकोण से संरेखित रू 210 करोड़ (प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा रू 70 करोड़ के अंशदान के माध्यम से) की राशि पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (देयता उपबन्ध) हेतु विचार किया है जिसका अंशदान नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा जमा किया जाएगा। आयोग ने एमपी ट्रांसको को उपरोक्त कथित आदेश में बीमांकिक (acturial) विश्लेषण करने के निर्देश भी दिये हैं तथा इसके आधार पर नियंत्रण अवधि में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (Pension and Terminal Benefit Trust Fund) हेतु अंशदान में परिवर्तन हो सकता है।

2.149 नियन्त्रण अवधि हेतु कर्मचारी व्ययों के प्रक्षेपण हेतु अपनाई गई क्रियाविधि के आधार पर प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (A&G Expenses), अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुए, को प्रक्षेपित किया गया है। जहां तक मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees) का संबंध है आयोग ने इसे यथासंशोधित मप्रविनिआ (शुल्क अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम संशोधन), विनियम, 2010 के प्रावधान के अनुसार प्रक्षेपित किया है।

2.150 जहां तक मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों (R&M Expenses) का संबंध हैं आयोग ने नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 36.4 के अनुसार प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 2.3% अंश को आधार मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों हेतु माना है। इसके अतिरिक्त, विनियम 36.4 के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को 0.50% अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों की पात्रता होगी यदि वे यथासंशोधित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम 2012 में निर्दिष्ट अनुपालन मानदण्डों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण कम्पनियों को अतिरिक्त 0.50% मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय प्राप्त करने की पात्रता होगी

यदि विद्युत वितरण कम्पनियां पूर्व वर्ष की तुलना में इन विनियमों के विनियम 26.1 में निर्दिष्ट न्यूनतम 3 प्रतिशत की कमी द्वारा वितरण हानि लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। तथापि, अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन अनुज्ञेय हैं, आयोग एक प्रतिशत अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण लक्ष्यों पर विचार सत्यापन के समय कर सकेगा। याचिकाकर्ता तत्संबंधी वर्षों का सत्यापन कराते समय अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों हेतु उनके दावे मय सहायक वितरणों के जिसके आधार पर विनियमों के अनुसार अनुपालन लक्ष्यों की प्राप्ति स्थापित की जा सके, प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

2.151 इसके अतिरिक्त, पुनरूत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के भाग 'A' के अतिरिक्त संचालन एवं संधारण व्यय (Additional O&M expenses) के अनुमोदन के संबंध में आयोग का मत है कि ये व्यय विनियमों के अनुसार नियन्त्रण अवधि के दौरान केवल विद्यमान परिसम्पत्तियों तथा सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों हेतु ही अनुमतियोग्य (allowable) हैं। तथापि, चूंकि 'RDSS' के भाग 'A' का प्रस्तावित व्यय TOTEX (CAPEX+OPEX) पद्धति (mode) में है, ऐसे में व्यय के 'OPEX' भाग को विद्युत वितरण कम्पनियों की सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के भाग के रूप में दर्शाया नहीं जाएगा। अतएव, संचालन तथा संधारण व्ययों (O&M expenses) हेतु कथित व्यय को विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई क्रियाविधि के अनुसार संचालन तथा संधारण व्ययों के अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जाएगा। ऐसे में आयोग ने याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त परिचालन व्यय (OPEX) लागत के प्रति दावे को प्रावधिक तौर पर 'RDSS' के भाग 'A' हेतु माना है जो आयोग द्वारा इसके पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन तथा सत्यापन के समय तत्संबंधी वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

2.152 इसके अतिरिक्त, आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु संचालन तथा संधारण (O&M) व्ययों के पूंजीकरण को नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वास्तविक संचालन तथा संधारण व्यय के पूंजीकरण के वास्तविक संचालन तथा संधारण व्ययों के प्रतिशत के रूप में विचार करते हुए प्रक्षेपित किया है।

2.153 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकृत संचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance expenses) निम्न तालिकाओं में प्रदर्शित किये गये हैं :

तालिका 71 : नियन्त्रण अवधि हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (Opening GFA)	13,263.39	14,849.78	17,137.09	19,677.22	21,611.02
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय, 2.30 प्रतिशत की दर से	**305.06**	**341.55**	**394.15**	**452.58**	**497.05**
मूल वेतन	860.04	896.52	934.56	974.20	1,015.53
मंहगाई भत्ता	292.41	358.61	429.90	506.59	589.01
सेवान्त प्रसुविधाएं	54.34	56.65	59.05	61.55	64.17
कर्मचारी व्यय	**1,206.79**	**1,311.78**	**1,423.50**	**1,542.34**	**1,668.70**
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	**197.86**	**206.26**	**215.01**	**224.13**	**233.64**
अन्य व्यय (दरें तथा कर आदि)	1.99	2.07	2.16	2.25	2.35
मप्रविनिआ शुल्क	0.49	0.52	0.56	0.59	0.64
सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड) हेतु प्रावधान	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूंजीगत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	(46.67)	(49.45)	(52.85)	(56.52)	(59.79)
अतिरिक्त परिचालन व्यय (RDSS)	49.81	85.68	253.78	253.78	253.78
कुल संचालन तथा संधारण व्यय (Total O&M Expenses)	**1,785.33**	**1,968.40**	**2,306.30**	**2,489.15**	**2,666.37**

तालिका 72 : नियन्त्रण अवधि हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिए स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (Opening GFA)	9,500.21	10,805.79	12,701.05	15,000.50	16,814.37
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय, 2.30 प्रतिशत की दर से	**218.50**	**248.53**	**292.12**	**345.01**	**386.73**
मूल वेतन	831.37	866.64	903.41	941.73	981.68
मंहगाई भत्ता	282.67	346.66	415.57	489.70	569.38
सेवान्त प्रसुविधाएं	57.92	60.38	62.94	65.61	68.39
कर्मचारी व्यय	**1,171.96**	**1,273.68**	**1,381.91**	**1,497.04**	**1,619.45**
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	137.44	143.27	149.35	155.69	162.29
अन्य व्यय (दरें तथा कर आदि)	9.78	10.20	10.63	11.08	11.55
मप्रविनिआ शुल्क	0.67	0.71	0.76	0.81	0.87
सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड) हेतु प्रावधान	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
पूंजीगत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	(38.88)	(41.20)	(44.03)	(47.23)	(50.12)
अतिरिक्त परिचालन व्यय (RDSS)	29.98	79.70	198.49	198.49	198.49
कुल संचालन तथा संधारण व्यय (Total O&M Expenses)	**1,599.46**	**1,784.89**	**2,059.23**	**2,230.89**	**2,399.26**

तालिका 73 : नियन्त्रण अवधि हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (Opening GFA)	14,359.01	15,440.66	17,436.58	19,884.57	21,839.45
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय, 2.30 प्रतिशत की दर से	**330.26**	**355.14**	**401.04**	**457.35**	**502.31**
मूल वेतन	756.90	789.01	822.48	857.37	893.74
मंहगाई भत्ता	257.35	315.60	378.34	445.83	518.37
सेवान्त प्रसुविधाएं	65.48	68.26	71.16	74.18	77.32
कर्मचारी व्यय	**1,079.73**	**1,172.87**	**1,271.98**	**1,377.38**	**1,489.43**
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	272.61	284.17	296.23	308.79	321.89
अन्य व्यय (दरें तथा कर आदि)	1.29	1.34	1.40	1.46	1.52
मप्रविनिआ शुल्क	0.56	0.60	0.64	0.68	0.73
सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड) हेतु प्रावधान	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
पूंजीगत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	(37.42)	(39.30)	(41.82)	(44.67)	(47.27)
अतिरिक्त परिचालन व्यय (RDSS)	29.98	79.70	198.49	198.49	198.49
कुल संचालन तथा संधारण व्यय (Total O&M Expenses)	**1,747.01**	**1,924.52**	**2,197.95**	**2,369.47**	**2,537.10**

तालिका 74 : नियन्त्रण अवधि हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये स्वीकृत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय, 2.30 प्रतिशत की दर से	853.82	945.21	1,087.32	1,254.93	1,386.09
मूल वेतन	2,448.31	2,552.17	2,660.44	2,773.30	2,890.95
मंहगाई भत्ता	832.43	1,020.87	1,223.80	1,442.12	1,676.75
सेवान्त प्रसुविधाएं	177.74	185.28	193.14	201.34	209.88
कर्मचारी व्यय	3,458.48	3,758.33	4,077.39	4,416.76	4,777.59
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	607.91	633.70	660.58	688.61	717.82
अन्य व्यय (दरें तथा कर आदि)	13.06	13.61	14.19	14.79	15.42
मप्रविनिआ शुल्क	1.71	1.83	1.95	2.08	2.24
सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड) हेतु प्रावधान	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
पूंजीगत किये गये संचालन तथा संधारण व्यय	(122.96)	(129.96)	(138.71)	(148.42)	(157.18)
अतिरिक्त परिचालन व्यय (RDSS)	109.77	245.08	650.76	650.76	650.76
कुल संचालन तथा संधारण व्यय (Total O&M Expenses)	**5,131.80**	**5,677.81**	**6,563.49**	**7,089.51**	**7,602.73**

अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.154 अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation) की गणना मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 33 के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अवमूल्यन दर को बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में निर्दिष्ट अनुसार माना है।

2.155 याचिकाकर्ताओं ने अवमूल्यन का दावा परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड (Gross Block of Assets)पर उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों को सम्मिलित करते हुए किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उनके उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन के प्रति बुक की गई आय को गैर–टैरिफ आय के अन्तर्गत माना है। ऐसे में दोहरे लेखांकन (double accounting) से बचने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा आयोग को अवमूल्यन परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड पर अवमूल्यन अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया गया। आगे, यदि आयोग अवमूल्यन को परिसम्पत्तियों के शुद्ध खण्ड (Net Block of Assets) पर अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लेता है तो ऐसी दशा में विद्युत वितरण कम्पनियों को तत्संबंधी अवधि के दौरान उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित की गई परिसम्पत्तियों पर लागू गैर–टैरिफ आय/अन्य आय के प्रति दावे को अवमूल्यन के बराबर राशि द्वारा घटाया जाना आवश्यक होगा।

2.156 तद्नुसार, नियंत्रण अवधि के आगामी वर्षों में दावा किया गया विद्युत वितरण कम्पनीवार अवमूल्यन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 75 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावा की गई अवमूल्यन/अवक्षयण राशि (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
भवन निर्माण	2.02	2.21	2.44	2.66	2.81
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य सिविल कार्य	2.99	3.81	4.83	5.77	6.44
संयन्त्र तथा मशीनरी	252.00	269.73	278.78	281.00	281.00
लाइन, केबल नेटवर्क आदि	411.19	431.51	441.52	450.26	455.59
वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	
फर्नीचर तथा जुड़नार (फिक्चर्स)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय उपकरण	23.85	7.10	7.22	7.28	7.31
परिसम्पत्तियां जिन पर कम्पनी का स्वामित्व नहीं है (RGGVY, IPDS, सौभाग्य, DDUGJY, RRRDS)	11.75	69.93	173.81	277.42	353.51
अमूर्त परिसम्पत्तियों का ऋण परिशोधन (Amortization of Intangible Assets)	11.62	1.35	1.36	1.36	1.36
पर्यवेक्षण परिसम्पत्तियां (Supervision Assets)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निर्माण भण्डार तथा कलपुर्जे (Capital Stores & Spares)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**715.41**	**785.65**	**909.95**	**1025.76**	**1108.02**

तालिका 76 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावा की गई अवमूल्यन/अवक्षयण राशि (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
भवन निर्माण	5.72	6.12	6.65	7.16	7.59
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य सिविल कार्य	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
संयन्त्र तथा मशीनरी	145.54	160.08	179.14	197.82	213.23
लाइन, केबल नेटवर्क आदि	295.30	316.78	324.19	331.22	336.24
वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फर्नीचर तथा जुड़नार (फिक्चर्स)	0.29	0.30	0.32	0.34	0.36
कार्यालय उपकरण	16.70	21.50	27.80	33.97	39.06
परिसम्पत्तियां जिन पर कम्पनी का स्वामित्व नहीं है (RGGVY, IPDS, सौभाग्य, DDUGJY)	8.38	48.54	122.16	194.58	255.09
अमूर्त परिसम्पत्तियों का ऋण परिशोधन (Amortization of Intangible Assets)	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64
पर्यवेक्षण परिसम्पत्तियां (Supervision Assets)			0.00	0.00	0.00
निर्माण भण्डार तथा कलपुर्जे (Capital Stores & Spares)	24.24	30.99	39.84	48.51	55.67
योग	**497.67**	**585.83**	**701.59**	**815.12**	**908.75**

तालिका 77 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावा की गई अवमूल्यन/अवक्षयण राशि (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
भवन निर्माण	9.85	11.92	14.92	17.88	19.78
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
अन्य सिविल कार्य	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
संयन्त्र, तथा मशीनरी	158.47	161.23	165.23	169.18	171.72
लाइन केबल नेटवर्क आदि	276.45	303.71	322.01	330.02	337.34
वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फर्नीचर तथा जुड़नार (फिक्चर्स)	0.17	0.18	0.20	0.23	0.24
कार्यालय उपकरण	16.45	17.40	18.79	20.16	7.24
परिसम्पत्तियां जिन पर कम्पनी का स्वामित्व नहीं है (RGGVY, IPDS, सौभाग्य, DDUGJY)	176.38	212.50	292.36	383.62	437.47
अमूर्त परिसम्पत्तियों का ऋण परिशोधन (Amortization of Intengible Assets)	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
पर्यवेक्षण परिसम्पत्तियां (Supervision Assets)	41.43	45.57	49.71	53.85	57.98
निर्माण भण्डार तथा कलपुर्जे (Capital Stores & Spares)	27.67	29.91	32.16	34.40	5.87
योग	**707.95**	**783.52**	**896.45**	**1010.41**	**1038.73**

तालिका 78 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण राज्य हेतु दावा की गई अवमूल्यन/अवक्षयण राशि (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
भवन निर्माण	17.60	20.26	24.00	27.70	30.17
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
अन्य सिविल कार्य	4.07	4.89	5.91	6.86	7.53
संयन्त्र तथा मशीनरी	556.01	591.05	623.15	648.01	665.95
लाइन, केबल नेटवर्क आदि	982.94	1052.01	1087.72	1111.50	1129.17
वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फर्नीचर तथा जुड़नार (फिक्चर्स)	0.45	0.48	0.53	0.57	0.60
कार्यालय उपकरण	56.99	46.01	53.80	61.41	53.62
परिसम्पत्तियां जिन पर कम्पनी का स्वामित्व नहीं है (RGGVY, IPDS, सौभाग्य, DDUGJY)	196.51	330.97	588.32	855.61	1046.07
अमूर्त परिसम्पत्तियों का ऋण परिशोधन (Amortization of Intengible Assets)	12.54	2.28	2.28	2.28	2.28
पर्यवेक्षण परिसम्पत्तियां (Supervision Assets)	41.43	45.57	49.71	53.85	57.98
निर्माण भण्डार तथा कलपुर्जे (Capital Stores & Spares)	51.91	60.91	71.99	82.91	61.54
योग	**1921.03**	**2154.99**	**2508.00**	**2851.28**	**3055.49**

अवमूल्यन/अवक्षयण के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Depreciation)

2.157 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 अवमूल्यन/अवक्षयण (depreciation) की व्युत्पत्ति हेतु क्रियाविधि निर्दिष्ट करते हैं। विनियमों के सुसंबद्ध सार को निम्नानुसार उद्धरित किया गया है :

*"33. **अवमूल्यन/अवक्षयण** :*

33.1 विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

(क) परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत, अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए।

(ख) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन शामिल होगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

(ग) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक ही अवमूल्यन अनुज्ञेय किया जाएगा।

(घ) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नही माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(ङ) अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष "नियत किस्त पद्धति" के आधार पर की जाएगी तथा वितरण प्रणाली की उन परिसम्पत्तियों हेतु जो दिनांक 31.03.2022 के पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाएं, **परिशिष्ट–दो** में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी :*

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 15 वर्षों की अवधि के पश्चात परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु आगे यह कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता के अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को आयोग द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

*(च) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 1.4.2022 की स्थिति में शेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2022 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को जोड़कर, संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को **परिशिष्ट–दो** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच न जाए। तत्पश्चात्, शेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के*

शेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार प्रसारित किया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

(छ) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। यदि परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के एक अंश हेतु हो तो अवमूल्यन को आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा।

34. उपभोक्ता अंशदान, जमा निर्माण कार्य, अनुदान तथा पूंजीगत सहायतानुदान :

34.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित किये गये कार्यों के निम्न श्रेणियों के व्यय विनियम 34.2 में निर्दिष्ट अनुसार माने जाएंगे :

(क) निधि के माध्यम से हाथ में लिये गये कार्य, जिन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है तथा जो जमा निर्माण कार्यों (डिपाजिट वर्क्स) या उपभोक्ता अंशदान कार्यों की श्रेणी में आते हैं ;

(ख) राज्य तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों या पूंजीगत अनुदान के माध्यम से हाथ में लिये पूंजीगत कार्य ;

(ग) हाथ में लिये गये अन्य कार्य जिनका निधीयन बिना किसी अदायगी आबन्ध के तथा बिना किसी ब्याज देयता के किया जाता है।

34.2 ऐसे पूंजीगत कार्यों पर व्ययों का संव्यवहार निम्नानुसार किया जाएगा :

(ङ) विनियम 33 में निर्दिष्ट अवमूल्यन/अवक्षयण से संबंधित प्रावधान इस प्रकार प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू न होंगे।''

2.158 तद्नुसार, आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु आस्तियों में वृद्धि (asset addition) को पूर्व अनुच्छेद में स्वीकार किये गये अनुसार माना है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत आस्तियों के प्रति उपभोक्ता अंशदान, अनुदानों तथा सहायतानुदानों को याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण के अनुसार माना गया है तथा नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति की प्राप्ति हेतु इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति में से घटा दिया गया है। अवमूल्यन की गणना नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की प्रारंभिक तथा अन्तिम शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति पर विचार करते हुए प्रक्षेपित औसत शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति के आधार पर की गई है। विनियमों के प्रावधान के अनुसार आयोग ने उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन को अनुज्ञेय नहीं किया है।

2.159 इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह पाया है कि याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की स्थाई परिसम्पत्तियों की पंजियां प्रस्तुत की हैं। तथापि, ऐसा पूर्ण रूप से आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार नहीं किया गया है। विश्लेषण किये जाने पर यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता स्थाई परिसम्पत्ति पंजियों में वित्तीय वर्ष 2020–21 से पूर्व में इसकी लागत को वैयक्तिक परिसम्पत्ति विवरणों के साथ संयोजित नहीं कर पाये हैं। याचिकाकर्ताओं ने परिसम्पत्तियों के विरूद्ध मात्रा को पृथक से संचयी ढंग (cumulative manner) से प्रस्तुत किया है।

2.160 तकनीकी वैधीकरण सत्र (Technical Validation Session) के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आयोग को सूचित किया कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से आगे वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के अभिलेख पृथक से रखे जा रहे हैं तथा तद्नुसार वे सत्यापन याचिकाओं में स्थाई परिसम्पत्ति पंजियों को वांछित प्ररूप में प्रस्तुत करेंगे। आयोग ने याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में ले लिया गया है। आगे, आयोग याचिकाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023–24 की अगली टैरिफ याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 की सत्यापन याचिका में स्थाई परिसम्पत्ति पंजी को आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। आयोग स्थाई परिसम्पत्ति पंजी को तैयार करने में याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्शाये गये सकारात्मक संकल्प को मान्य करता है, अतएव इस आदेश में आयोग 60% अवमूल्यन राशि को अनुज्ञेय करता है, अवशेष 40% राशि पर विचार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सत्यापन याचिका के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्ररूपों में स्थाई परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

2.161 इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में निर्दिष्ट अवमूल्यन दरें बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2015 में दर्शाई गई दरों से अलग हैं, तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अवमूल्यन की गणना बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार की जाएगी। तथापि, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवमूल्यन की गणना के बारे में नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकार की गई श्रेणीवार सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) की आवश्यकता होगी। चूंकि नियन्त्रण अवधि हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति को प्रावधिक तौर पर समेकित आधार पर स्वीकार किया गया है, अतएव भारित औसत अवमूल्यन दर (अर्थात् 4.95%, 3.78% तथा 4.65% क्रमशः पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु) जिसकी व्युत्पत्ति वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत स्थाई परिसम्पत्ति पंजी के आधार पर की गई है, पर नियन्त्रण अवधि हेतु अवमूल्यन की गणना हेतु विचार किया गया है।

2.162 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार किये गये अवमूल्यन/ अवक्षयण को निम्नानुसार द्वारा तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 79 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक एक अप्रैल की स्थित में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	9,240.07	10,308.92	11,666.06	13,265.76	14,406.20
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	1,586.39	2,287.30	2,540.14	1,933.79	1,235.04
घटायें : वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान/ अनुदान	517.55	930.16	940.44	793.36	551.94
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति	10,308.92	11,666.06	13,265.76	14,406.20	15,089.29
औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति	9,774.50	10,987.49	12,465.91	13,835.98	14,747.74
अवमूल्यन की दर	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%
अवमूल्यन राशि	483.84	543.88	617.06	684.88	730.01
रोका गया अवमूल्यन (40%)	193.54	217.55	246.82	273.95	292.01
स्वीकृत अवमूल्यन	**290.30**	**326.33**	**370.24**	**410.93**	**438.01**

तालिका 80 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक एक अप्रैल की स्थित में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	5,066.70	6,024.39	7,329.54	8,910.46	9,780.77
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	1,305.59	1,895.25	2,299.46	1,813.86	1,578.44
घटायें : वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान/ अनुदान	347.90	590.11	718.54	943.55	915.31
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति	6,024.39	7,329.54	8,910.46	9,780.77	10,443.91
औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति	5,545.55	6,676.97	8,120.00	9,345.62	10,112.34
अवमूल्यन की दर	3.78%	3.78%	3.78%	3.78%	3.78%
अवमूल्यन राशि	209.62	252.39	306.94	353.26	382.25
रोका गया अवमूल्यन (40%)	83.85	100.96	122.77	141.31	152.90
स्वीकृत अवमूल्यन	**125.77**	**151.43**	**184.16**	**211.96**	**229.35**

तालिका 81 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक एक अप्रैल की स्थित में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	10,736.59	11,577.58	13,011.38	14,614.73	15,240.80
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	1,081.65	1,995.92	2,448.00	1,954.88	863.03
घटायें : वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान/ अनुदान	240.66	562.11	844.65	1,328.81	373.26
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति	11,577.58	13,011.38	14,614.73	15,240.80	15,730.57
औसत सकल स्थाई परिसम्पत्ति	11,157.08	12,294.48	13,813.06	14,927.77	15,485.69
अवमूल्यन की दर	4.65%	4.65%	4.65%	4.65%	4.65%
अवमूल्यन राशि	518.80	571.69	642.31	694.14	720.08
रोका गया अवमूल्यन (40%)	207.52	228.68	256.92	277.66	288.03
स्वीकृत अवमूल्यन	**311.28**	**343.02**	**385.38**	**416.48**	**432.05**

तालिका 82 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	290.30	326.33	370.24	410.93	438.01
पश्चिम	125.77	151.43	184.16	211.96	229.35
मध्य	311.28	343.02	385.38	416.48	432.05
सम्पूर्ण राज्य	**727.36**	**820.78**	**939.78**	**1,039.37**	**1,099.41**

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.163 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 का विनियम 32 ऋण पूंजी (Loan Capital) पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना हेतु क्रियाविधि प्रदान करता है।

2.164 ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना आयोग द्वारा उसके पूर्व विद्युत–दर/सत्यापन आदेशों में अपनाई गई क्रियाविधि से संरेखित की गई है। सकल स्थाई सम्पत्ति से संबद्ध प्रारंभिक उधार (debt) को अन्तिम उधार राशि (debt) से संरेखित माना गया है जैसा कि आयोग द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2019–20 के उसके सत्यापन आदेश में स्वीकार किया गया है। सकल स्थाई परिसम्पत्ति में परिसम्पत्ति में वृद्धि उपभोक्ता निक्षेप जमा राशि (consumer deposit) तथा अनुदान और वास्तविक पूंजी अंशदान को याचिका में प्रस्तावित अनुसार पूंजीकरण से संरेखित माना गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की अदायगी को अवमूल्यन के बराबर माना गया है जैसा कि इसे तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया है। अन्तिम उधार राशि (debt) की प्राप्ति शुद्ध सकल स्थाई सम्पत्ति को जोड़कर जैसा कि इसे उधार (debt) के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है तथा इसमें से तत्संबंधी वर्ष हेतु उधार (debt) अदायगी को घटा दिया गया है। नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ऋण पर ब्याज की गणना तत्संबंधी वर्ष हेतु मानदण्डीय औसत ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर के अनुप्रयोग द्वारा किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ब्याज की भारित औसत दर की गणना विनियमों से संरेखित विद्युत वितरण कम्पनियों की वास्तविक ऋण निवेश सीमा (पोर्टफोलिया) के आधार पर की गई है।

2.165 याचिकाकर्ता ने अन्य वित्त प्रभारों, जैसे कि बैंक प्रभारों, वचनबद्धता प्रभारों (Commitment Charges), प्रत्याभूति (गारंटी)/साख–पत्र (letter of credit), आदि पर भी विचार अंकेक्षित लेखों के अनुसार पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक किये गये व्यय के आधार पर किया है।

2.166 ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विद्युत वितरण कम्पनीवार संक्षेपिका के विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 83 : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt) (सत्यापन आदेश के अनुसार)	3582.47	3780.93	4204.28	4784.79	4843.97
2	वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1586.39	2287.30	2540.14	1933.79	1235.04
3	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये उपभोक्ता निक्षेप (जमा राशि) तथा अनुदान	517.55	930.16	940.44	793.36	551.94
4	वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1068.85	1357.14	1599.70	1140.44	683.09
5	पूंजी (इक्विटी) में वृद्धि	154.98	148.14	109.24	55.51	30.56
6	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उधार	913.87	1209.00	1490.46	1084.93	652.53

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
	(debt)के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है					
7	वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी	715.41	785.65	909.95	1025.76	1108.02
8	सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध अन्तिम उधार राशि (debt)	3780.93	4204.28	4784.79	4843.97	4388.48
9	ऋण (loan) से संबद्ध औसत उधार राशि (debt)	3681.70	3992.61	4494.54	4814.38	4616.22
10	समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर (%)	7.72%	7.98%	8.12%	8.17%	8.17%
11	**परियोजना ऋणों पर ब्याज**	**284.26**	**318.77**	**364.85**	**393.53**	**376.95**
12	**अन्य वित्तीय लागत**	**14.10**	**13.04**	**13.57**	**13.30**	**13.43**
13	*बैंक प्रभार*	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
14	*वचनबद्धता (Commitment) प्रभार*	3.31	2.97	3.14	3.05	3.09
15	*प्रत्याभूति (गारंटी)/साख पत्र (LC) प्रभार*	10.68	9.96	10.32	10.14	10.23
16	**याचिका में दावा की गई ब्याज लागत**	**298.35**	**331.81**	**378.42**	**406.83**	**390.39**

तालिका 84 : पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt) (सत्यापन आदेश के अनुसार)	3313.72	3700.26	4340.41	5134.38	5106.01
2	वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1305.59	1895.25	2299.46	1813.86	1578.44
3	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये उपभोक्ता निक्षेप (जमा राशि) तथा अनुदान	347.90	590.11	718.54	943.55	915.31
4	वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	957.69	1305.15	1580.92	870.31	663.14
5	पूंजी (इक्विटी) में वृद्धि	73.47	79.18	85.35	83.57	82.00
6	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उधार (debt) के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है	884.22	1225.97	1495.57	786.74	581.14
7	वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी	497.67	585.83	701.59	815.12	908.75
8	सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध अन्तिम उधार राशि (debt)	3700.26	4340.41	5134.38	5106.01	4778.40
9	ऋण (loan) से संबद्ध औसत उधार राशि (debt)	3506.99	4020.34	4737.40	5120.20	4942.20
10	समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर (%)	7.50%	7.61%	7.68%	7.70%	7.69%
11	**परियोजना ऋणों पर ब्याज**	**262.95**	**305.91**	**363.85**	**394.49**	**380.11**
12	**अन्य वित्तीय लागत**	**11.20**	**11.06**	**11.13**	**11.09**	**11.11**
13	*बैंक प्रभार*	0.20	0.26	0.23	0.24	0.23
14	*वचनबद्धता (Commitment) प्रभार*	11.00	10.80	10.90	10.85	10.88
15	*प्रत्याभूति (गारंटी)/साख पत्र (LC)प्रभार*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	**याचिका में दावा की गई ब्याज लागत**	**274.15**	**316.97**	**374.98**	**405.58**	**391.22**

तालिका 85 : मध्य क्षेत्र विद्युत विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt) (सत्यापन आदेश के अनुसार)	4816.79	4793.56	5308.63	5921.71	5440.38
2	वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1081.65	1995.92	2448.00	1954.88	863.03
3	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये उपभोक्ता निक्षेप (जमा राशि) तथा अनुदान	240.66	562.11	844.65	1328.81	373.26
4	वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	840.99	1433.81	1603.35	626.07	489.77
5	पूंजी (इक्विटी) में वृद्धि	156.27	135.21	93.82	96.99	90.62
6	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उधार (debt) के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है	684.72	1298.60	1509.53	529.08	399.15
7	वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी	707.95	783.52	896.45	1010.41	1038.73
8	सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध अन्तिम उधार राशि (debt)	4793.56	5308.63	5921.71	5440.38	4800.81
9	ऋण (loan) से संबद्ध औसत उधार राशि (debt)	4805.17	5051.09	5615.17	5681.04	5120.59
10	समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर (%)	7.14%	7.13%	7.09%	7.01%	6.89%
11	**परियोजना ऋणों पर ब्याज**	**342.99**	**360.34**	**397.94**	**398.11**	**352.93**
12	**अन्य वित्तीय लागत**	**33.33**	**33.37**	**33.35**	**33.36**	**33.35**
13	*बैंक प्रभार*	1.03	1.06	1.04	1.05	1.05
14	*वचनबद्धता (Commitment) प्रभार*	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11
15	*प्रत्याभूति (गारंटी)/साख पत्र (LC) प्रभार*	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20
16	**याचिका में दावा की गई ब्याज लागत**	**376.31**	**393.70**	**431.29**	**431.47**	**386.28**

तालिका 86 : सम्पूर्ण राज्य हेतु परियोजना ऋण के ब्याज पर दावा की गई राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt) (सत्यापन आदेश के अनुसार)	11712.97	12274.75	13853.32	15840.88	15390.36
2	वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	3973.63	6178.47	7287.59	5702.54	3676.51
3	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये उपभोक्ता निक्षेप (जमा राशि) तथा अनुदान	1106.11	2082.38	2503.62	3065.72	1840.51
4	वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	2867.52	4096.09	4783.97	2636.82	1836.00
5	पूंजी (इक्विटी) में वृद्धि	384.71	362.53	288.41	236.07	203.18
6	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उधार (debt) के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है	2482.81	3733.57	4495.55	2400.75	1632.82
7	वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी	1921.03	2154.99	2508.00	2851.28	3055.49
8	सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध अन्तिम उधार राशि (debt)	12274.75	13853.32	15840.88	15390.36	13967.68

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
9	ऋण (loan) से संबद्ध औसत उधार राशि (debt)	11993.86	13064.04	14847.10	15615.62	14679.02
10	समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	**परियोजना ऋणों पर ब्याज**	**890.20**	**985.02**	**1126.65**	**1186.13**	**1110.00**
12	**अन्य वित्तीय लागत**	**58.62**	**57.46**	**58.04**	**57.75**	**57.90**
13	*बैंक प्रभार*	1.33	1.43	1.38	1.41	1.39
14	*वचनबद्धता (Commitment) प्रभार*	14.41	13.88	14.14	14.01	14.08
15	*प्रत्याभूति (गारंटी)/साख पत्र (LC) प्रभार*	42.88	42.16	42.52	42.34	42.43
16	**याचिका में दावा की गई ब्याज लागत**	**948.82**	**1042.48**	**1184.69**	**1243.88**	**1167.89**

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest and Finance Charges)

2.167 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 का विनियम 22 विद्यमान तथा स्वीकृत पूंजीकरण हेतु उधार राशि (debt) तथा पूंजी की गणना हेतु क्रियाविधि निर्दिष्ट करता है। विनियम के सुसंबद्ध सार को निम्नानुसार उद्धरित किया गया है :

"22. ऋण–पूंजी अनुपात :

22.1 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से पूर्ण रूप से निर्मित की गई परिसम्पत्तियों हेतु कुल लगाई गई पूंजी पर मानदण्डीय ऋण–पूंजी अनुपात उपभोक्ता अंशदानों, निक्षेप कार्य, अनुदान तथा पूंजीगत सहायतानुदानों को घटाने के पश्चात विनियम 22.2 के अध्यधीन 70:30 होगा। इस विनियम के अनुसार मूल्यांकित की गई ऋण–पूंजी राशि का उपयोग ऋण पर ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु किया जाएगा।

22.2 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.04.2022 को अथवा तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया जाए, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत से अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा।

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित की गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो ऐसी परिस्थिति में विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

22.3 यदि विद्युत वितरण प्रणाली को दिनांक 1.4.2022 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो तो आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किये गये ऋण–पूंजी अनुपात को ही मान्य किया जाएगा :

2.168 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 का विनियम 32 ऋण पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना हेतु क्रियाविधि निर्दिष्ट करता है। विनियम के सुसंबद्ध सार को निम्नानुसार उद्धरित किया गया है :

*"32. **ऋण–पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार** :*

32.1 ऋण पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु विनियम 22 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण ही सकल मानदण्डीय ऋण माने जाएंगे।

32.2 दिनांक 1.4.2022 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2022 तक अनुज्ञेय किये गये सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति अदायगी घटाकर की जायेगी।

32.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही किसी भी ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम) का लाभ प्राप्त किया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर होगा।

32.4 ब्याज की दर भारित औसत दर के बराबर होगी जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण की श्रेणी के आधार पर की जाएगी:

परन्तु यह कि सत्यापन के समय ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर होगी जिसकी गणना संबद्ध वर्ष के दौरान वास्तविक ऋण की श्रेणी (पोर्टफोलियो) के आधार पर की जाएगी, को ब्याज दर माना जाएगा :

परंतु आगे यह और कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी लम्बित हो तो अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर लागू की जाएगी :

परंतु यह और भी कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण न हो तथा यदि मानदण्डीय ऋण की अदायगी अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत को ब्याज दर माना जाएगा:

परंतु यह और भी कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध पूर्ण रूप से वास्तविक दीर्घ अवधि ऋण लंबित न हो तो तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक एक अप्रैल की स्थिति में मानदण्डीय ऋण पर ब्याज अनुज्ञेय करने के प्रयोजन से आधार दर को ब्याज दर माना जाएगा।

32.5 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

32.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त पूर्ति (रिफायनेन्स) व्यवस्था हेतु सभी संभव प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल बचतों में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त पूर्ति व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को उपभोक्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

32.7 ऋणों की निबंधनों तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

32.8 अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा किये गये प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभारों को आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गई दर पर मान्य किया जाएगा।"

2.169 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग ने केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज तथा वित्त प्रभारों को अनुज्ञेय किया जाना माना है जिन्हें सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से माना गया हो तथा जिनके माध्यम से संबद्ध पूंजीगत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका हो तथा परिसम्पत्तियों का उपयोग भी प्रारंभ किया जा चुका हो।

2.170 निर्माणाधीन कार्यों हेतु ऋण पर ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) माना गया है जिसे पूंजीकृत किया जाएगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण (asset capitalization) के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा। अतएवं ऐसी ब्याज लागत को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से (pass through) अन्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान किये गये पूंजीगत व्यय के स्थान पर पूंजीकरण पर विचार किये जाने की पृष्ठभूमि के अन्तर्गत अन्तर्निहित सिद्धांत यह है कि उपभोक्ता से केवल उन्हीं परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। परिसम्पत्ति जो निर्माणाधीन अवस्था में है, का उपयोग उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता है। अतएव, परिसम्पत्ति के निर्माण के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन की गई ब्याज लागत, प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) का एक भाग बन जाती है तथा इसे विद्युत–दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

2.171 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 22 में प्रावधान किया गया है कि विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से पूर्ण रूप से निर्मित की गई परिसम्पत्तियों हेतु कुल लगाई गई पूंजी पर ऋण–पूंजी अनुपात 70 : 30 होगा। तथापि, ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक पूंजी (equity) 30% से कम है वहां प्रदत्त की गई वास्तविक पूंजी पर विचार किया जाएगा तथा जहां कहीं भी अन्तःक्षेपित (infused) की गई वास्तविक पूंजी 30% से अधिक हो वहां 30% से आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण (normative loan) माना जाएगा।

2.172 इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम 2021 के विनियम 31 में प्रावधान किया गया है कि केवल चुकाई गई शेयर पूंजी (paid up share cpital) को ही पूंजी के प्रतिलाभ की गणना हेतु माना जाएगा जिसे पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया हो तथा जो अनुमोदित वित्तीय संवेष्टन (पैकेज) का भाग हो। वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ब्याज लागत की गणना हेतु आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण निम्नानुसार है :

क) वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रारंभिक ऋण को वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन में स्वीकार किया गया अन्तिम ऋण माना गया है। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2021–22 में वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ आदेश के अनुसार माना गया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्राप्त किये गये अन्तिम ऋण को वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रारंभिक ऋण माना गया है।

ख) वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की शुद्ध परिसम्पत्ति वृद्धि की गणना तत्संबंधी वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की कुल परिसम्पत्ति वृद्धि में से उपभोक्ता अंशदान/अनुदानों की राशि को घटा कर की गयी है।

ग) वर्ष के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) में 30% शुद्ध परिसम्पत्ति वृद्धि अथवा वास्तविक पूंजी निषेचन (infusion) जैसा कि वह स्वीकार किया हो, इनमें जो भी कम हो, को पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है। सकल स्थाई

परिसम्पत्ति हेतु शुद्ध परिसम्पत्ति वृद्धि के शेष को उधार (debt) के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है तथा इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के कुल उधार (debt) में जोड़ दिया गया है।

घ) तत्पश्चात्, उधारों (debts) की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल उधार राशि में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष हेतु की गई अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन (मूल्यह्रास) के बराबर माना गया है।

ङ) बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार आयोग ने याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण से संरेखित नियंत्रण अवधि के दौरान परिकलित वास्तविक बकाया तथा प्राप्त किये जाने वाले नवीन ऋण के आधार पर भारित औसत ब्याज दर को माना है।

च) नियंत्रण अवधि हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अन्य वित्तीय लागतों को वास्तविक वित्तीय लागत तथा औसत ऋण के अनुपात में वास्तविक प्रतिशत के रूप में स्वीकार किया गया है (अर्थात् पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु क्रमशः 0.27%, 0.91% तथा 0.11% के अनुसार)।

2.173 उपरोक्त चर्चा के आधार पर नियंत्रण अवधि हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 87 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)से संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt)	4,598.49	5,222.06	6,104.73	7,224.95	7,898.96
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1,068.85	1,357.14	1,599.70	1,140.44	683.09
शुद्ध सकल स्थाई सम्पत्ति में वृद्धि जिसे उपभोक्ता अंशदान के बगैर ऋण के माध्यम से निधीयन किये गये के रूप में माना गया है	913.87	1,209.00	1,490.46	1,084.93	652.53
वर्ष के दौरान उधार राशि की अदायगी (debt repayment)	290.30	326.33	370.24	410.93	438.01
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)से संबद्ध अन्तिम उधार राशि	5,222.06	6,104.73	7,224.95	7,898.96	8,113.48
औसत उधार राशि (debt)	4,910.28	5,663.40	6,664.84	7,561.95	8,006.22
याचिकाकर्ता के अनुसार समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर(%)	7.53%	7.44%	7.50%	7.57%	7.60%
परियोजना ऋणों पर ब्याज	369.74	421.36	499.86	572.44	608.47
अन्य वित्तीय लागत	13.34	15.38	18.10	20.54	21.74
परियोजना ऋणों पर स्वीकार की गई ब्याज लागत	**383.08**	**436.74**	**517.96**	**592.98**	**630.22**

तालिका 88 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)से संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt)	1,488.40	2,239.06	3,310.88	4,619.20	5,191.51
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	957.69	1,305.15	1,580.92	870.31	663.14
शुद्ध सकल स्थाई सम्पत्ति में वृद्धि जिसे उपभोक्ता अंशदान के बगैर ऋण के माध्यम से निधीयन किये गये के रूप में माना गया है	876.44	1,223.25	1,492.48	784.27	579.16
वर्ष के दौरान उधार राशि की अदायगी (debt repayment)	125.77	151.43	184.16	211.96	229.35
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)से संबद्ध अन्तिम उधार राशि	2,239.06	3,310.88	4,619.20	5,191.51	5,541.33
औसत उधार राशि (debt)	1,863.73	2,774.97	3,965.04	4,905.36	5,366.42
याचिकाकर्ता के अनुसार समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर(%)	7.50%	7.61%	7.68%	7.70%	7.69%
परियोजना ऋणों पर ब्याज	139.78	211.18	304.52	377.71	412.68
अन्य वित्तीय लागत	16.91	25.18	35.97	44.50	48.69
परियोजना ऋणों पर स्वीकार की गई ब्याज लागत	**156.69**	**236.35**	**340.49**	**422.22**	**461.36**

तालिका 89 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)से संबद्ध प्रारंभिक उधार राशि (debt)	5,726.68	6,100.11	7,055.69	8,179.83	8,292.43
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	840.99	1,433.81	1,603.35	626.07	489.77
शुद्ध सकल स्थाई सम्पत्ति में वृद्धि जिसे उपभोक्ता अंशदान के बगैर ऋण के माध्यम से निधीयन किये गये के रूप में माना गया है	684.72	1,298.60	1,509.53	529.08	399.15
वर्ष के दौरान उधार राशि की अदायगी (debt repayment)	311.28	343.02	385.38	416.48	432.05
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)से संबद्ध अन्तिम उधार राशि	6,100.11	7,055.69	8,179.83	8,292.43	8,259.53
औसत उधार राशि (debt)	5,913.39	6,577.90	7,617.76	8,236.13	8,275.98
याचिकाकर्ता के अनुसार समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर(%)	7.14%	7.13%	7.09%	7.01%	6.89%
परियोजना ऋणों पर ब्याज	422.22	469.00	540.10	577.35	570.22
अन्य वित्तीय लागत	6.33	7.04	8.15	8.81	8.86
परियोजना ऋणों पर स्वीकार की गई ब्याज लागत	**428.54**	**476.04**	**548.25**	**586.17**	**579.07**

तालिका 90 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	383.08	436.74	517.96	592.98	630.22
पश्चिम	156.69	236.35	340.49	422.22	461.36
मध्य	428.54	476.04	548.25	586.17	579.07
सम्पूर्ण राज्य	**968.31**	**1,149.13**	**1,406.70**	**1,601.36**	**1,670.65**

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.174 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एंव प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 23 में कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना की क्रियाविधि प्रदान की गई है जिसके अनुसार कार्यकारी पूंजी में विद्युत प्रदाय गतिविधि (Supply Activity) तथा चक्रण गतिविधि (wheeling activity) के लिये कार्यकारी पूंजी हेतु व्यय सम्मिलित किये जाएंगे। कथित विनियम में उन मापदण्डों (Parameters) का भी प्रतिपादित किया गया है जिन पर चक्रण तथा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी की गणना के लिये विचार किया जाएगा।

2.175 इसके अतिरिक्त, विनियम 38 के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर सुसंबद्ध वर्ष हेतु दिनांक एक अप्रैल की स्थिति में आधार दर (Base Rate) (+) 350 आधार बिन्दु (basis points) के बराबर होगी। आगे यह भी कि आधार दर एक वर्षीय उपान्तिक लागत निधि–आधारित उधार दर {one year marginal cost of funds based Lending Rate - MCLR} होगी, जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस बारे में समय–समय पर घोषित किया जाए। दिनांक एक अप्रैल, 2021 की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक MCLR 7% है। तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं ने कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर 10.50% (SBI MCLR 7% plus 350 bps) मानी है।

2.176 कार्यकारी पूंजी पर दावा किये गये ब्याज की विद्युत वितरण कम्पनीवार संक्षेपिका निम्न तालिकाओं में दर्शाई गई है :

तालिका 91 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावाकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
1	**चक्रण (Wheeling)**					
A)	पूर्व वर्ष की एक प्रतिशत सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	18.42	20.54	23.59	26.98	29.55
B)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M expenses)					
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M expenses)	456.01	508.36	583.84	667.66	731.48
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G expense)	126.17	131.54	137.13	142.97	149.04
	कर्मचारी व्यय (Employee expenses)	1323.25	1455.80	1573.55	1698.62	1831.42
B) i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1905.43	2095.70	2294.52	2509.25	2711.94
B) ii)	उपरोक्त योग का बारहवां (1/12) भाग	158.79	174.64	191.21	209.10	225.99
C)	प्राप्तियां (Receivables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
C) i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) ii)	चक्रण प्रभारों की दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D)	कुल कार्यकारी पूंजी[A) + B) ii) - C) ii)]	177.21	195.18	214.80	236.08	255.55
E)	ब्याज दर	11%	11%	11%	11%	11%
F)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (चक्रण)**	**18.61**	**20.49**	**22.55**	**24.79**	**26.83**
II	**खुदरा आपूर्ति (Retail Supply)**					
A)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	4.61	5.13	5.90	6.74	7.39
B)	प्राप्तियां (Receivables)					
B) i)	विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	13065.70	14120.25	15241.71	16128.41	17219.30
B) ii)	दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	2177.62	2353.38	2540.28	2688.07	2869.88
C)	विद्युत क्रय व्यय	8598.09	10657.53	11409.18	12167.36	12881.85
C) i)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां (1/12) भाग	716.51	888.13	950.77	1013.95	1073.49
D	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	987.71	1040.35	1096.57	1156.62	1220.79
E)	कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C i) - D)	**478.01**	**430.03**	**498.85**	**524.25**	**582.99**
F)	ब्याज दर	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
G)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज {खुदरा आपूर्ति (Retail Supply)}**	**50.19**	**45.15**	**52.38**	**55.05**	**61.21**
	कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (चक्रण + खुदरा आपूर्ति)	**68.80**	**65.65**	**74.93**	**79.83**	**88.05**

तालिका 92 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावाकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
I	**चक्रण (Wheeling)**					
A)	पूर्व वर्ष की एक प्रतिशत सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	13.29	15.03	17.56	20.63	23.04
B)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M expenses)					
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M expenses)	328.99	372.07	434.62	510.50	570.36
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G expense)	138.87	144.79	150.95	157.37	164.06
	कर्मचारी व्यय (Employee expenses)	1224.98	1334.98	1452.11	1576.78	1709.43
B) i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1692.84	1851.84	2037.68	2244.65	2443.85
B) ii)	उपरोक्त योग का बारहवां (1/12) भाग	141.07	154.32	169.81	187.05	203.65
C)	प्राप्तियां(Receivables)					
C) i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	6.45	6.87	6.66	6.77	6.71
C) ii)	चक्रण प्रभारों की दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	1.07	1.15	1.11	1.13	1.12

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
D)	कुल कार्यकारी पूंजी[A) + B) ii) - C) ii)]	155.44	170.50	188.48	208.81	227.82
E)	ब्याज दर	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
F)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (चक्रण)**	**16.32**	**17.90**	**19.79**	**21.92**	**23.92**
II	**खुदरा आपूर्ति (Retail Supply)**					
A)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	3.32	3.76	4.39	5.16	5.76
B)	प्राप्तियां (Receivables)					
B) i)	विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	17865.65	19455.80	20915.95	22373.65	23682.65
B) ii)	दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	2977.61	3242.63	3485.99	3728.94	3947.11
C)	विद्युत क्रय व्यय	15735.32	14426.97	15443.10	16469.61	17436.16
C) i)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां (1/12) भाग	1311.28	1202.25	1286.92	1372.47	1453.01
D	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	1950.24	2198.28	2456.85	2726.39	3007.36
E)	कुल कार्यकारी पूंजी(A+B ii) - C i) - D)	**(280.58)**	**(154.14)**	**(253.40)**	**(364.76)**	**(507.51)**
F)	ब्याज दर	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
G)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज {खुदरा आपूर्ति (Retail Supply)}**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (चक्रण + खुदरा आपूर्ति)	**16.32**	**17.90**	**19.79**	**21.92**	**23.92**

तालिका 93 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दावाकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज राशि (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
I	**चक्रण (Wheeling)**					
A)	पूर्व वर्ष की एक प्रतिशत सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	18.76	20.20	22.86	26.13	28.73
B)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M expenses)					
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M expenses)	464.32	500.01	565.88	646.66	711.18
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G expense)	120.14	125.25	130.58	136.13	141.92
	कर्मचारी व्यय (Employee expenses)	1204.87	1300.07	1401.13	1508.39	1622.17
B) i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1789.33	1925.34	2097.59	2291.19	2475.27
B) ii)	उपरोक्त योग का बारहवां (1/12) भाग	149.11	160.44	174.80	190.93	206.27
C)	प्राप्तियां (Receivables)					
C) i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति					
C) ii)	चक्रण प्रभारों की दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां					
D)	कुल कार्यकारी पूंजी[A) + B) ii) - C) ii)]	167.87	180.65	197.66	217.06	235.01

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
E)	ब्याज दर	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
F)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (चक्रण)**	**17.63**	**18.97**	**20.75**	**22.79**	**24.68**
II	**खुदरा आपूर्ति (Retail Supply)**					
A)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	4.69	5.05	5.72	6.53	7.18
B)	प्राप्तियां (Receivables)					
B) i)	विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	14026.09	15230.18	16455.99	17657.77	18782.13
B) ii)	दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	2337.68	2538.36	2742.67	2942.96	3130.35
C)	विद्युत क्रय व्यय	9426.17	11384.47	12186.86	12996.51	13759.08
C) i)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां (1/12) भाग	785.51	948.71	1015.57	1083.04	1146.59
D	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	1215.69	1320.22	1429.19	1542.79	1661.20
E)	कुल कार्यकारी पूंजी (A+B ii) - C i) - D)	**341.17**	**274.49**	**303.62**	**323.67**	**329.75**
F)	ब्याज दर	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
G)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज {खुदरा आपूर्ति (Retail Supply)}**	**35.82**	**28.82**	**31.88**	**33.98**	**34.62**
	कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (चक्रण + खुदरा आपूर्ति)	**53.45**	**47.79**	**52.63**	**56.78**	**59.30**

कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest on Working Capital)

2.177 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एंव प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनयम, 2021 के विनियम, 23 में कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना की क्रियाविधि विनिर्दिष्ट की गई है। विनियम के सुसंबद्ध सार को निम्नानुसार उद्धरित किया गया है :

"23. कार्यकारी पूंजी :

23.1 अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्न घटक शामिल होंगे :

(एक) औसत बिलिंग के दो माह के बराबर प्राप्य सामग्रियों में से एक माह की विद्युत क्रय लागत तथा कोई उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप राशि तथा अग्रिम भुगतान (प्रिपेड) उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि का योग घटा कर के,

(दो) एक माह के संचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(तीन) पूर्व वर्ष की वार्षिक आवश्यकता पर आधारित दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) {विद्युत प्रदाय गतिविधि में विशेष रूप से मापयंत्र (मीटर), मापयंत्र उपकरण तथा जांच उपकरण, सुसंगत होंगे} जिसे पूर्व वर्ष की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के एक प्रतिशत की दर से माना जाएगा।

23.2 अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्न घटक शामिल होंगे:

(एक) एक माह के संचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(दो) दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) (मापयंत्रों, आदि को छोड़कर जिन्हें विद्युत प्रदाय गतिविधि का भाग माना गया है) जो वार्षिक आवश्यकता पर आधारित होगी तथा जिसे पूर्व वर्ष की सकल स्थायी परिसम्पत्तियों के एक प्रतिशत की दर से माना जाएगा।

23.3 उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्ड नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रयोज्य होंगे।''

''38. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार :

कार्यकारी पूंजी की गणना इन विनियमों के उपबन्धों में किये गये प्रावधान के अनुसार की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर दिनांक 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर + 350 आधार अंकों के बराबर होगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाह्य संस्था से पूंजीगत ऋण प्राप्त किया हो अथवा मानकीकृत आधार पर गणना की गई कार्यकारी पूंजीगत ऋण से अधिक राशि का ऋण प्राप्त किया हो।''

2.178 तद्नुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु आयोग ने नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति (gross fixed asset) को पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु माना है। चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु, सामग्री की आवश्यकता (Inventory Requirement) की गणना हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति के एक प्रतिशत भाग को दो माह के लिये आनुपातिक किया गया है। इसे, तत्पश्चात्, चक्रण तथा खुदरा सामग्री (retail inventory) हेतु, क्रमशः 80:20 के अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसे पिछले विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों में अपनाया गया था। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि हेतु कार्यकारी पूंजी के अन्य घटकों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भागों के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त, चक्रण प्रभारों से प्राप्त वार्षिक राजस्व को वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक मूल्यों पर आधारित माना गया है तथा नियंत्रण अवधि हेतु इसे समकक्ष रखा गया है।

2.179 दिनांक 1 अप्रैल, 2021 की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर (MCLR-7% + 350 basis) 10.50% है। तद्नुसार, विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज दर 10.50% तक ही सीमित रखी जाएगी। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय की संयोजित की गई गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किये गये कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 94 : आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनीवार स्वीकृत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	माह	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
			पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य
चक्रण गतिविधि हेतु																	
A)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (inventry) की वार्षिक आवश्यकता का छठवा (1/6) भाग	6	**15.19**	**11.66**	**16.57**	**17.68**	**12.67**	**19.15**	**19.80**	**14.41**	**20.59**	**22.85**	**16.93**	**23.25**	**26.24**	**20.00**	**26.51**
B) i)	संचालन तथा संधारण व्ययों का योग		1,785.3	1,599.46	1,747.01	1,968.40	1,784.89	1,924.52	2,306.30	2,059.23	2,197.95	2,489.15	2,230.89	2,369.47	2,666.37	2,399.26	2,537.10
B) ii)	कुल संचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां (1/12) भाग (एक माह)		**148.78**	**133.29**	**145.58**	**164.03**	**148.74**	**160.38**	**192.19**	**171.60**	**183.16**	**207.43**	**185.91**	**197.46**	**222.20**	**199.94**	**211.43**
C)	प्राप्तियां (Receivables)																
C) i)	चक्रण प्रभारों से प्राप्य वार्षिक राजस्व		0.65	8.48	1.09	0.65	8.48	1.09	0.65	8.48	1.09	0.65	8.48	1.09	0.65	8.48	1.09
C) ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	6	0.11	1.41	0.18	0.11	1.41	0.18	0.11	1.41	0.18	0.11	1.41	0.18	0.11	1.41	0.18
D)	कुल कार्यकारी पूंजी {A+B(ii) + C (ii)}		**164.08**	**146.36**	**162.34**	**181.83**	**162.82**	**179.70**	**212.10**	**187.42**	**203.93**	**230.39**	**204.26**	**220.89**	**248.54**	**221.35**	**238.12**
E)	ब्याज दर		**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**
F)	**चक्रण गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**		**17.23**	**15.37**	**17.05**	**19.09**	**17.10**	**18.87**	**22.27**	**19.68**	**21.41**	**24.19**	**21.45**	**23.19**	**26.10**	**23.24**	**25.00**
खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु																	
A)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छठवां (1/6) भाग	6.00	**3.80**	**2.92**	**4.14**	**4.42**	**3.17**	**4.79**	**4.95**	**3.60**	**5.15**	**5.71**	**4.23**	**5.81**	**6.56**	**5.00**	**6.63**
B)	प्राप्तियां																
B) i)	विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति		12,991.	17,872.43	15,106.68	14,293.77	17,606.63	16,025.09	15,498.73	18,977.60	17,202.64	16,565.07	20,254.94	18,280.99	17,769.54	21,706.06	19,529.87

सरल क्रमांक	विवरण	माह	वित्तीय वर्ष 2022–23			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2025–26			वित्तीय वर्ष 2026–27		
			पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य
खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु																	
B) ii)	दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां {B(i)/6}		**2,165.30**	**2,978.74**	**2,517.78**	**2,382.29**	**2,934.44**	**2,670.85**	**2,583.12**	**3,162.93**	**2,867.11**	**2,760.84**	**3,375.82**	**3,046.83**	**2,961.59**	**3,617.68**	**3,254.98**
C)	विद्युत क्रय व्यय		7,852.92	14,918.28	9,739.79	10,034.3	13,768.50	11,545.09	10,718.7	14,675.91	12,279.85	11,439.2	15,618.4	13,068.24	12,359.4	16,790.2	14,090.5
C) i)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां (1/12) भाग (C/12)		**654.41**	**1,243.19**	**811.65**	**836.20**	**1,147.37**	**962.09**	**893.23**	**1,222.99**	**1,023.32**	**953.27**	**1,301.53**	**1,089.02**	**1,029.95**	**1,399.18**	**1,174.21**
D	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप		1,050.71	1,771.97	1,169.58	**1,103.36**	**2,020.01**	**1,274.11**	**1,159.57**	**2,278.58**	**1,383.08**	**1,219.62**	**2,548.12**	**1,496.67**	**1,283.79**	**2,829.09**	**1,615.09**
E)	कुल कार्यकारी पूंजी {A+B (ii) - C (i) - D)}		463.98	(33.50)	540.70	**447.16**	**(229.78)**	**439.43**	**535.27**	**(335.04)**	**465.85**	**593.67**	**(469.60)**	**466.95**	**654.40**	**(605.60)**	**472.31**
F)	ब्याज दर		**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**	**10.50%**
G)	**खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**		**48.72**	**(3.52)**	**56.77**	**46.95**	**(24.13)**	**46.14**	**56.20**	**(35.18)**	**48.91**	**62.34**	**(49.31)**	**49.03**	**68.71**	**(63.59)**	**49.59**
	संक्षेपिका																
	चक्रण गतिविधि हेतु		**17.23**	**15.37**	**17.05**	**19.09**	**17.10**	**18.87**	**22.27**	**19.68**	**21.41**	**24.19**	**21.45**	**23.19**	**26.10**	**23.24**	**25.00**
	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु		**48.72**	**(3.52)**	**56.77**	**46.95**	**(24.13)**	**46.14**	**56.20**	**(35.18)**	**48.91**	**62.34**	**(49.31)**	**49.03**	**68.71**	**(63.59)**	**49.59**
	कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज		**65.95**	**11.85**	**73.82**	**66.04**	**(7.03)**	**65.01**	**78.47**	**-15.50**	**70.33**	**86.53**	**(27.86)**	**72.22**	**94.81**	**(40.35)**	**74.59**
	कार्यकारी पूंजी पर स्वीकृत कुल ब्याज राशि		**65.95**	**11.85**	**73.82**	**66.04**	**0.00**	**65.01**	**78.47**	**0.00**	**70.33**	**86.53**	**0.00**	**72.22**	**94.81**	**0.00**	**74.59**

तालिका 95 : सम्पूर्ण राज्य हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यकारी पूंजी (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	65.95	66.04	78.47	86.53	94.81
पश्चिम	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य	73.82	65.01	70.33	72.22	74.59
सम्पूर्ण राज्य	**151.61**	**131.05**	**148.80**	**158.75**	**169.40**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest of Consumer Security Deposit)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petititioners Submission)

2.180 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की राशि मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 तथा यथासंशोधित मप्रविनिआ प्रतिभूति निक्षेप विनियम, 2009 के अनुसार देय है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अंकेक्षित लेखों पर आधारित प्राप्त की गई वास्तविक दर से संरेखित प्रावधिक रूप से उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप दर पर विचार किया है।

2.181 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के बारे में विद्युत वितरण कम्पनीवार संक्षेपिका को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 96 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	50.14	52.79	55.63	58.65	61.89
पश्चिम	90.06	102.01	114.47	127.45	140.99
मध्य	71.45	77.60	84.00	90.68	97.64
सम्पूर्ण राज्य	**211.65**	**232.40**	**254.09**	**276.78**	**300.51**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के बारे में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Consumer Security Deposit)

2.182 आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की गणना बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के मानदण्डों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम 4.25% दर पर की है तथा इसे निम्न तालिका में दर्शायेनुसार स्वीकार किया है :

तालिका 97 : विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की राशि (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	43.61	45.77	48.09	50.56	53.20
पश्चिम	70.25	80.58	91.35	102.57	114.27
मध्य	47.58	51.93	56.47	61.19	66.12
सम्पूर्ण राज्य	**161.44**	**178.28**	**195.90**	**214.32**	**233.59**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity-RoE)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petititioners Submission)

2.183 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अन्तर्गत पूंजी पर प्रतिलिभ को दो भागों में अनुज्ञेय करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात् आधार पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु दर (Rate for base Return on Equity) तथा अतिरिक्त पूंजी पर प्रतिलाभ जो वास्तविक निष्पादन से संयोजित है। आधार पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु दर को 14% रखा गया है तथा 2% के अतिरिक्त प्रतिलाभ को निष्पादन से संयोजित किया गया है जिसे सत्यापन के समय अनुज्ञेय किया जाना अपेक्षित होता है।

2.184 इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने आयोग से आधार पूंजी पर प्रतिलाभ (base RoE) को 16 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया है। तथापि, इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 से संरेखित 14% आधार पूंजी पर प्रतिलाभ माना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पूंजी (equity) से प्रारंभिक शेष (opening balance) को पूंजी के अन्तिम शेष (closing balance of equity) से संरेखित माना गया है जैसा कि आयोग ने इसे अपने सत्यापन आदेश में स्वीकार किया है। नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पूंजी में वृद्धि (addition to equity) को इस याचिका में प्रस्तावित किये गये पूंजीकरण (capitalization) के अनुसार माना गया है। पूंजी के अन्तिम शेष की प्राप्ति तत्संबंधी वर्ष की पूंजी के प्रारंभिक शेष में पूंजी के निषेचन (infusion) को जोड़कर की गई है। तद्नुसार, पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना तत्संबंधी वर्ष के औसत पूंजी शेष (average equity balance) पर की गई है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 98 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये दावाकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
A	**वर्ष के प्रारंभ में सकल स्थाई परिसम्पतियां (GFA) (उपभोक्ता अंशदानों को छोड़कर)**	**9,250.88**	**10,319.73**	**11,676.87**	**13,276.57**	**14,417.01**
A1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति का प्रारंभिक शेष जैसा कि पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया है।	1,999.15	2,154.12	2,302.27	2,411.51	2,467.01
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार प्रस्तावित परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदान को छोड़कर)**	**1,068.85**	**1,357.14**	**1,599.70**	**1,140.44**	**683.09**
B1	पूंजी, आन्तरिक सुरक्षित निधियों (internal reserves) से निधीयन की गई पूंजीकृत परिसम्पत्तियों का समानुपात	154.98	148.14	109.24	55.51	30.56
B2	पूंजीकृत परिसम्पत्तियां जिनका निधीयन परियोजना ऋणों के माध्यम से किया गया है, का अवशेष समानुपात	913.87	1,209.00	1,490.46	1,084.93	652.53
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	320.65	407.14	479.91	342.13	204.93
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त उधार राशि (B का 70%)	748.19	950.00	1,119.79	798.31	478.17
D1	मानदण्डीय से अधिक अतिरिक्त पूंजी से आधिक्य / कमी (B1-C1)	(165.68)	(259.00)	(370.67)	(286.63)	(174.37)
D2	मानदण्डीय से अधिक अतिरिक्त उधार (debt) राशि से आधिक्य / कमी (B2-C2)	165.68	259.00	370.67	286.63	174.37
E	**पूंजी जो प्रतिलाभ की पात्रता धारित करती है, {A1+(C1/2)} अथवा {A1+(B 1/2)} इनमें जो भी कम हो**	**2,076.64**	**2,228.19**	**2,356.89**	**2,439.26**	**2,482.29**
F	**पूंजी पर प्रतिलाभ की दर**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**
G	**पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 14%)**	**290.73**	**311.95**	**329.96**	**341.50**	**347.52**

तालिका 99 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये दावाकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
A	**वर्ष के प्रारंभ में सकल स्थाई परिसम्पतियां (GFA) (उपभोक्ता अंशदानों को छोड़कर)**	**9,224.32**	**10,182.01**	**11,487.16**	**13,068.08**	**13,938.39**
A1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति का प्रारंभिक शेष जैसा कि पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया है।	1,593.10	1,666.57	1,745.74	1,831.10	1,914.67
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार प्रस्तावित परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदान को**	**957.69**	**1,305.15**	**1,580.92**	**870.31**	**663.14**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
	छोड़कर)					
B1	पूंजी, आन्तरिक सुरक्षित निधियों (internal reserves) से निधीयन की गई पूंजीकृत परिसम्पत्तियों का समानुपात	73.47	79.18	85.35	83.57	82.00
B2	पूंजीकृत परिसम्पत्तियां जिनका निधीयन परियोजना ऋणों के माध्यम से किया गया है, का अवशेष समानुपात	884.22	1,225.97	1,495.57	786.74	581.14
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	287.31	391.54	474.28	261.09	198.94
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त उधार राशि (B का 70%)	670.38	913.60	1,106.64	609.22	464.20
D1	मानदण्डीय से अधिक अतिरिक्त पूंजी से आधिक्य / कमी (B1-C1)	(213.84)	(312.37)	(388.92)	(177.52)	(116.94)
D2	मानदण्डीय से अधिक अतिरिक्त उधार (debt) राशि से आधिक्य / कमी (B2-C2)	213.84	312.37	388.92	177.52	116.94
E	**पूंजी जो प्रतिलाभ की पात्रता धारित करती है, {A1+(C1/2)} अथवा {A1+(B 1/2)} इनमें जो भी कम हो**	**1,629.83**	**1,706.15**	**1,788.42**	**1,872.88**	**1,955.67**
F	**पूंजी पर प्रतिलाभ की दर**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**
G	**पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 14%)**	**228.18**	**238.86**	**250.38**	**262.20**	**273.79**

तालिका 100 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये दावाकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
A	**वर्ष के प्रारंभ में सकल स्थाई परिसम्पतियां (GFA) (उपभोक्ता अंशदानों को छोड़कर)**	**10,184.43**	**11,025.41**	**12,459.22**	**14,062.57**	**14,688.64**
A1	सकल स्थाई परिसम्पत्ति का प्रारंभिक शेष जैसा कि पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया है।	1,884.03	2,040.30	2,175.51	2,269.33	2,366.32
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार प्रस्तावित परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदान को छोड़कर)**	**840.99**	**1,433.81**	**1,603.35**	**626.07**	**489.77**
B1	पूंजी, आन्तरिक सुरक्षित निधियों (internal reserves) से निधीयन की गई पूंजीकृत परिसम्पत्तियों का समानुपात	156.27	135.21	93.82	96.99	90.62
B2	पूंजीकृत परिसम्पत्तियां जिनका निधीयन परियोजना ऋणों के माध्यम से किया गया है, का अवशेष समानुपात	684.72	1,298.60	1,509.53	529.08	399.15
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	252.30	430.14	481.00	187.82	146.93
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त उधार राशि (B का 70%)	588.69	1,003.66	1,122.34	438.25	342.84
D1	मानदण्डीय से अधिक अतिरिक्त पूंजी से आधिक्य / कमी (B1-C1)	(96.03)	(294.93)	(387.18)	(90.83)	(56.31)
D2	मानदण्डीय से अधिक अतिरिक्त उधार (debt) राशि से आधिक्य / कमी (B2-C2)	96.03	294.93	387.18	90.83	56.31
E	**पूंजी जो प्रतिलाभ की पात्रता धारित करती है, {A1+(C1/2)} अथवा {A1+(B 1/2)} इनमें जो भी कम हो**	**1,962.16**	**2,107.90**	**2,222.42**	**2,317.82**	**2,411.63**
F	**पूंजी पर प्रतिलाभ की दर**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**
G	**पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 14%)**	**274.70**	**295.11**	**311.14**	**324.50**	**337.63**

पूंजी पर प्रतिलाभ पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Return on Equity)

2.185 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 31 में पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity-RoE) की गणना हेतु क्रियाविधि निर्दिष्ट की गई है। विनियम का सुसंबद्ध सार निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"31. पूंजी पर प्रतिलाभ :

31.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर, रूपयों में, विनियम 22 के अनुसार की जाएगी।

31.2 पूंजी पर प्रतिलाभ को दो भागों में अनुमति प्रदान की जाएगी, अर्थात् आधारभूत (बेस) पूंजी पर प्रतिलाभ तथा पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ जो वास्तविक निष्पादन से संयोजित है।

31.3 आधारभूत (बेस) पूंजी पर आधार प्रतिलाभ को 14% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा।

31.4 पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ के सत्यापन के समय इसे निम्न उपबन्धों के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जाएगा :

क) यदि घरेलू श्रेणियों के अन्तर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं के मीटरीकरण की अवस्थिति निम्न दर्शाये गये मानदण्डों से कम हो तो पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ को 0.75% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा :

वर्ष	**पूर्ण किया गया मीटरीकरण, कुल संयोजनों के प्रतिशत के रूप में**		
	पूर्व क्षेविविकं	**पश्चिम क्षेविविकं**	**मध्य क्षेविविकं**
वित्तीय वर्ष 2022–23	92%	100%	84%
वित्तीय वर्ष 2023–24	94%	100%	88%
वित्तीय वर्ष 2024–25	96%	100%	92%
वित्तीय वर्ष 2025–26	98%	100%	96%
वित्तीय वर्ष 2026–27	100%	100%	100%

ख) यदि किसी वर्ष के दौरान पूंजीगत किये गये पूंजीगत निवेश कार्यों का कुल मूल्य उक्त वर्ष हेतु अनुमोदित कार्यों के प्रति 95% से अधिक हो तो पूंजी पर अतिरिक्त प्रलाभ को 0.75% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा ;

ग) यदि किसी वर्ष के दौरान वास्तविक मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय उक्त वर्ष हेतु अनुमोदित मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों के 95% से अधिक है तो पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ 0.50% की दर से अनुज्ञेय किया जाएगा।

31.5 आयकर के भुगतान पर किये गये व्ययों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापार पर वास्तविक आधार पर अतिरिक्त रूप से अनुज्ञेय किया जाएगा।

31.6 पूंजीगत अंशदान जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उद्ग्रहण किये गये अधिमूल्य (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश, यदि कोई हो, की गणना चुकाई गई पूंजी पर बतौर पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप इस शर्त पर की जाएगी कि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम)राशि एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये जाएंगे तथा अनुमोदित वित्तीय संवेष्टन (पैकेज) का भाग बनेंगे। प्रतिलाभ की गणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से वह विद्युत वितरण व्यापार में उत्पादकता हेतु प्रयोग में लाया गया हो, माना जाएगा।"

2.186 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ दो भागों में अनुज्ञेय है, अर्थात् 14% की दर से, आधार पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु (Base Return on Equity) तथा 2%

की दर से अतिरिक्त पूंजी पर प्रतिलाभ (Additional Return on Equity) हेतु जो लक्ष्य निष्पादन की प्राप्ति के अध्यधीन होगा जिसे सत्यापन के समय युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अनुज्ञेय किया जाएगा। अतएव, आयोग ने इस आदेश की नियंत्रण अवधि के लिये पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु 14% की आधार दर मानी है।

2.187 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 22 में प्रावधान किया गया है कि विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु नियोजित की गई पूंजी पर ऋण–पूंजी का अनुपात 70 : 30 होगा। तथापि, यदि वास्तविक पूंजी 30 प्रतिशत से कम हो तो वास्तविक निषेचित की गई (infused) पूंजी पर विचार किया जाएगा तथा जहां कहीं भी निषेचित की गई पूंजी 30% से अधिक हो वहां 30% से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण (normative loan) माना जाएगा।

2.188 इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में प्रावधान किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु केवल ऐसी चुकता की गई शेयर पूंजी (paid up capital) को मान्य किया जाएगा जिसे वास्तविक रूप से पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया गया हो तथा अनुमोदित वित्तीय संवेष्टन (पैकेज) का भाग हो। तद्नुसार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की नियंत्रण अवधि हेतु अपनाया गया दृष्टिकोण निम्नानुसार है :

क) वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रारंभिक पूंजी (opening equity) को वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन में स्वीकार की गई अन्तिम पूंजी माना गया है। तत्पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पूंजी में वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के अनुसार माना गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्राप्त की गई अन्तिम पूंजी को वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रारंभिक पूंजी माना गया है।

ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध परिसम्पत्ति वृद्धि की प्राप्ति सकल स्थाई परिसम्पत्ति में कुल परिसम्पत्ति वृद्धि में से उपभोक्ता अंशदान/अनुदानों को घटा कर की गयी है।

ग) वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध परिसम्पत्ति में वृद्धि के 30% भाग को अथवा स्वीकार किया गया वास्तविक पूंजी निषेचन (infusion) इनमें से जो भी कम हो, को पूंजी के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है।

घ) प्रत्येक वर्ष हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना वर्ष हेतु औसत पूंजी पर विचार करते हुए तथा विनियम 31 के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ की 14 प्रतिशत दर के अनुसार की गई है।

2.189 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कुल पूंजी जिसे पूंजी पर प्रतिलाभ के साथ चिन्हित तथा स्वीकार किया गया है, को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 101 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) से चिन्हांकित किया गया है	2,109.94	2,264.91	2,413.06	2,522.30	2,577.80
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1,586.39	2,287.30	2,540.14	1,933.79	1,235.04

प्राप्त किये गये उपभोक्ता निक्षेप (consumer deposit) तथा अनुदान राशियां	517.55	930.16	940.44	793.36	551.94
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1,068.85	1,357.14	1,599.70	1,140.44	683.09
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे पूंजी के माध्यम से निधीयन किया माना गया है, उपभोक्ता अंशदान को छोड़कर, का 30%	320.65	407.14	479.91	342.13	204.93
वर्ष के दौरान प्रस्तावित की गई पूंजी में वृद्धि	154.98	148.14	109.24	55.51	30.56
वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पूंजी में वृद्धि	154.98	148.14	109.24	55.51	30.56
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अन्तिम पूंजी (closing equity)	2,264.91	2,413.06	2,522.30	2,577.80	2,608.36
औसत पूंजी (Average Equity)	2,187.43	2,338.98	2,467.68	2,550.05	2,593.08
पूंजी पर प्रतिलाभ, जिसे 14% की दर से स्वीकार किया गया है	**306.24**	**327.46**	**345.47**	**357.01**	**363.03**

तालिका 102 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) से चिन्हांकित किया गया है	1,267.93	1,349.18	1,431.08	1,519.52	1,605.56
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1,305.59	1,895.25	2,299.46	1,813.86	1,578.44
प्राप्त किये गये उपभोक्ता निक्षेप (consumer deposit) तथा अनुदान राशियां	347.90	590.11	718.54	943.55	915.31
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	957.69	1,305.15	1,580.92	870.31	663.14
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे पूंजी के माध्यम से निधीयन किया माना गया है, उपभोक्ता अंशदान को छोड़कर, का 30%	287.31	391.54	474.28	261.09	198.94
वर्ष के दौरान प्रस्तावित की गई पूंजी में वृद्धि	81.25	81.90	88.44	86.04	83.98
वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पूंजी में वृद्धि	81.25	81.90	88.44	86.04	83.98
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अन्तिम पूंजी (closing equity)	1,349.18	1,431.08	1,519.52	1,605.56	1,689.53
औसत पूंजी (Average Equity)	1,308.56	1,390.13	1,475.30	1,562.54	1,647.55
पूंजी पर प्रतिलाभ, जिसे 14% की दर से स्वीकार किया गया है	**183.20**	**194.62**	**206.54**	**218.76**	**230.66**

तालिका 103 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) से चिन्हांकित किया गया है	2,291.06	2,447.32	2,582.53	2,676.36	2,773.34
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	1,081.65	1,995.92	2,448.00	1,954.88	863.03
प्राप्त किये गये उपभोक्ता निक्षेप (consumer deposit) तथा अनुदान राशियां	240.66	562.11	844.65	1,328.81	373.26
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	840.99	1,433.81	1,603.35	626.07	489.77

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे पूंजी के माध्यम से निधीयन किया माना गया है, उपभोक्ता अंशदान को छोड़कर, का 30%	252.30	430.14	481.00	187.82	146.93
वर्ष के दौरान प्रस्तावित की गई पूंजी में वृद्धि	156.27	135.21	93.82	96.99	90.62
वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पूंजी में वृद्धि	156.27	135.21	93.82	96.99	90.62
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अन्तिम पूंजी (closing equity)	2,447.32	2,582.53	2,676.36	2,773.34	2,863.96
औसत पूंजी (Average Equity)	2,369.19	2,514.93	2,629.44	2,724.85	2,818.65
पूंजी पर प्रतिलाभ, जिसे 14% की दर से स्वीकार किया गया है	**331.69**	**352.09**	**368.12**	**381.48**	**394.61**

तालिका 104 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु सम्पूर्ण राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये स्वीकृत पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	306.24	327.46	345.47	357.01	363.03
पश्चिम	183.20	194.62	206.54	218.76	230.66
मध्य	331.69	352.09	368.12	381.48	394.61
सम्पूर्ण राज्य	**821.12**	**874.17**	**920.14**	**957.24**	**988.30**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की अन्य मदें (Other Items of ARR)

2.190 उपरोक्त चर्चित व्ययों के घटकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें शामिल हैं, डूबन्त ऋण तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं :

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and doubtful debts)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.191 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों की गणना हेतु क्रियाविधि प्रदान की गई है जहां इसे राजस्व राशि के अधिकतम एक प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु याचिकाकर्ता ने डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण बाबत अपना दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :

तालिका 105 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	130.66	141.20	152.42	161.28	172.19
पश्चिम	179.41	195.21	209.70	224.20	237.21
मध्य	140.26	152.30	164.56	176.58	187.82

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Bad and Doubtful debts)

2.192 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 37 में डूबन्त तथा तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में क्रियाविधि निर्दिष्ट की गई है। विनियम का सुसंबद्ध सार निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"37. डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण :

इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से तीन माह के भीतर अनुज्ञप्तिधारी डूबन्त् ऋणों के चिन्हांकन हेतु तथा इन्हें बट्टे खाते में डालने हेतु प्रारुप नीति तथा प्रक्रिया आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को जिस सीमा तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में, अन्तिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण पत्र में वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, (आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार) अनुज्ञेय किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उपयुक्त समझा जाए, तथा सुसंबद्ध वर्ष हेतु इनका सत्यापन, प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा तथा वार्षिक राजस्व राशि के एक प्रतिशत के अध्यधीन होगा।"

2.193 आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया है क्योंकि आयोग का यह मत है कि डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में किन्हीं व्ययों पर सत्यापन के समय युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् ही विचार किया जाना चाहिए।

2.194 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को डूबन्त ऋणों के चिन्हांकन तथा इन्हें बट्टे खाते में डालने हेतु प्रारूप नीति तथा प्रक्रिया आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

अन्य आय (Other Income)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.195 गैर–टैरिफ आय के मुख्य घटक चक्रण प्रभार (wheeling charges), पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision charges), रद्दी माल (Scrap) का विक्रय तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त किये जाने वाले विविध प्रभार हैं। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु उनकी अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय के अन्य आय के विभिन्न घटकों को औसतन विधि (averaging method) के आधार पर प्रक्षेपित किया है।

2.196 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने विलम्बित आय (deferred income), अर्थात् अन्य आय के उनके उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित की गई परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन के बारे में बुक की गई आय के अन्तर्गत विचार किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड (gross block of assets) पर अवमूल्यन का दावा प्रस्तुत किया है। आगे, आयोग द्वारा उसके वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन आदेश से संरेखित अपनाई गई क्रियाविधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने एमपीपीटीसीएल द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों पर चक्रण प्रभारों के प्रति देयता हेतु अधित्याग की गई राशि (waived off amount) पर अन्य आय के अन्तर्गत विचार नहीं किया है।

2.197 तद्नुसार, अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय को जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इन्हें दाखिल किया है, नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है :

तालिका 106 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का विवरण (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूंजी निवेश (Investment),सावधिक जमा (fixed deposits, call receipts) राशियों से आय की प्राप्ति	8.01	7.53	7.77	7.65	7.71
कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिम राशियों से ब्याज की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार (ट्रेडिंग)/रद्दी माल (स्क्रेप) के विक्रय से अन्य आय की प्राप्ति	11.69	11.70	11.70	11.70	11.70
सामग्री प्रदायकों (Suppliers)/ठेकेदारों (contractors) को प्रदत्त अग्रिम राशियों से ब्याज की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारी कल्याण गतिविधियों के विरूद्ध प्राप्त की गई आय/ शुल्क/संग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध प्राप्तियां (Miscellaneous receipts)	84.88	81.34	83.11	82.23	82.67
चक्रण प्रभार (wheeling charges)	0.84	0.81	0.83	0.82	0.82
पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges)	17.03	17.41	17.22	17.32	17.27
विद्युतचोरी से की गई वसूली	4.43	4.51	4.47	4.49	4.48
मापयन्त्र भाड़ा (Meter Rent)	39.81	40.78	40.30	40.54	40.42
उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गये अन्य प्रभार	30.24	34.69	32.47	33.58	33.02
विलम्बित आय (deferred income)	226.36	233.44	280.77	325.24	360.03
योग	**423.29**	**432.22**	**478.62**	**523.56**	**558.11**

तालिका 107 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का विवरण (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूंजी निवेश (Investment), सावधिक जमा (fixed deposits, call receipts) राशियों से आय की प्राप्ति	33.92	36.47	35.19	35.83	35.51
कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिम राशियों से ब्याज की प्राप्ति	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
व्यापार (ट्रेडिंग)/रद्दी माल (स्क्रेप) के विक्रय से अन्य आय की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामग्री प्रदायकों (Suppliers)/ठेकेदारों (contractors) को प्रदत्त अग्रिम राशियों से ब्याज की प्राप्ति	0.23	0.33	0.28	0.31	0.29
कर्मचारी कल्याण गतिविधियों के विरूद्ध प्राप्त की गई आय/शुल्क/संग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध प्राप्तियां (Miscellaneous receipts)	53.20	51.34	52.27	51.81	52.04
चक्रण प्रभार (wheeling charges)	6.45	6.87	6.66	6.77	6.71
पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges)	19.37	19.95	19.66	19.80	19.73
विद्युत चोरी से की गई वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
मापयन्त्र भाड़ा (Meter Rent)	1.77	1.87	1.82	1.84	1.83
भण्डार सामग्री के निपटान से शुद्ध लाभ/हानि	6.85	6.99	6.92	6.95	6.94
भाड़े (renting) से प्राप्त की गई आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य विविध आय	59.45	61.44	60.44	60.94	60.69
विलम्बित आय (deferred income)	160.38	209.21	274.81	345.73	412.57
योग	**341.72**	**394.57**	**458.16**	**530.09**	**596.57**

तालिका 108 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का विवरण (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
विविध प्राप्तियां	40.74	41.57	41.16	41.36	41.26
चक्रण प्रभार (wheeling charges)	0.54	0.76	0.65	0.70	0.67
पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges)	18.55	18.28	18.42	18.35	18.38
विद्युत चोरी से वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मापयन्त्र भाड़ा (Meter Rent)	36.43	37.52	36.98	37.25	37.11
उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गये अन्य प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जनोपयोगी सेवा प्रभार (Utility charges)	0.62	0.89	0.75	0.82	0.79
भण्डार सामग्री के निपटान से शुद्ध लाभ/(हानि)	8.36	8.43	8.40	8.42	8.41
भाड़े (Renting) से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य विविध आय	5.81	5.91	5.86	5.88	5.87
विलम्बित आय (deferred Income)	258.57	285.95	334.53	401.25	405.93
योग	**369.61**	**399.31**	**446.73**	**514.03**	**518.42**

अन्य आय के बारे में आयोग का विश्लेषण (Commision's Analysis on Other Income)

2.198 आयोग ने मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) (सप्तम संशोधन) विनियम, 2009 दिनांक 7 सितम्बर 2020 को जारी किया है जिसके अन्तर्गत आयोग ने मीटरीकरण तथा अन्य प्रभार अधिसूचित किये हैं। विनियम के अनुसार, मीटरीकरण से संबंधित प्रभार वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश (Retail Supply Tariff Order) की प्रभावी अवधि हेतु उद्ग्रहण किए जाएंगे तथा तत्पश्चात् मीटरिंग प्रभार आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले खुदरा विद्युत–प्रदाय के अधीन तत्संबंधी प्रावधानों के अनुसार प्रयोज्य होंगे। विनियम का सुसंबद्ध उद्धरण निम्नानुसार है :

"5.0 उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले अन्य प्रभार –

5.11 जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 45 (3) (बी) में उपबंधित किये अनुसार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा प्रदत्त किसी विद्युत मापयंत्र (मीटर) अथवा विद्युत संयंत्र के बारे में उपभोक्ता से भाड़ा तथा अन्य प्रभारों की वसूली कर सकेगा। तदनुसार आयोग इस विनियम के परिशिष्ट–1 में उल्लेख किये गये अनुसार मीटरिंग प्रभारों तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची अधिसूचित करता है। तथापि, इस विनियम के परिशिष्ट–1 में निर्धारित किये गये मीटरिंग प्रभारों की वसूली वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु

खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश की प्रभावी अवधि तक ही की जा सकेगी। तत्पश्चात्, मीटरिंग प्रभार (यदि कोई लागू हों) आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार ही प्रयोज्य होंगे।''

2.199 इस टैरिफ आदेश में आयोग ने उपभोक्ताओं पर मीटरिंग प्रभारों की वसूली न किये जाने का निर्णय लिया है।

2.200 इसके अतिरिक्त, चूंकि आयोग ने उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित सकल स्थाई सम्पत्ति (GFA) के अवमूल्यन को अनुज्ञेय नहीं किया है अतएव उसके द्वारा शीर्ष विलम्बित आय के अन्तर्गत तत्स्थानी आय हेतु अन्य शीर्ष पर विचार नहीं किया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वास्तविक अन्य आय को, मापयन्त्र भाड़ा (Meter Rent) को छोड़कर, को आयोग द्वारा पूर्व वर्षों हेतु जारी सत्यापन आदेश के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 109 : सत्यापन आदेशों के अनुसार कुल वास्तविक अन्य आय (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21
पूर्व	291.53	156.92	151.11
पश्चिम	201.46	134.07	117.83
मध्य	286.41	315.38	102.41

2.201 वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आयोग ने जारी सत्यापन आदेशों के आधार पर नियन्त्रण अवधि हेतु अन्य आय को वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक अन्य आय के औसत के रूप में अनुज्ञेय किया है जिसमें निक्षेपों पर ब्याज, रद्दी माल का विक्रय, अन्य विविध प्राप्तियां, आदि को तो सम्मिलित किया गया है, परन्तु मापयन्त्र भाड़े (Meter Rent) को सम्मिलित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकृत अन्य आय को, मापयन्त्र भाड़े को छोड़कर, निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है जो वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन के अध्यधीन होगा :

तालिका 110 : वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकार की गई अन्य आय (करोड़ रूपये)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27
पूर्व	199.85	199.85	199.85	199.85	199.85
पश्चिम	151.12	151.12	151.12	151.12	151.12
मध्य	234.73	234.73	234.73	234.73	234.73
सम्पूर्ण राज्य	**585.70**	**585.70**	**585.70**	**585.70**	**585.70**

विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर (Differential Bulk Supply Tariff-DBST)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.202 मध्यप्रदेश शासन की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21 मार्च, 2016 के माध्यम से समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी (एमपीपीएमसीएल) को आवंटित किया जा चुका है ताकि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागत के बारे में एक समान आवंटन कायम रखा जा सके। एमपीपीएमसीएल ने लागतों

को तीनों विद्युत कम्पनियों को विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर क्रियाविधि (Differential Bulk Supply Tariff Methodology) के अनुसार आवंटित किया है।

2.203 माह जनवरी, 2020 से प्रभावी 'DBST' क्रियाविधि के क्रियान्वयन से तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को समग्र विद्युत क्रय लागत को विद्युत क्रय हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को उपलब्ध राजस्व के आधार पर तथा उनकी ऊर्जा आवश्यकता के अनुपात में वितरित किया जा रहा है।

2.204 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 'DBST' क्रियाविधि के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित विद्युत क्रय लागत निम्न तालिका में प्रदान की गई है :

तालिका 111 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर (डीबीएसटी) (करोड़ रूपये)

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
A	**विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति**	**करोड़ रूपये**	**13,066**	**17,866**	**14,026**	**44,957**
B	**विद्युत वितरण कम्पनियों की अन्य लागतें (विद्युत क्रय लागत को छोड़कर अन्य व्यय)**	**करोड़ रूपये**	**4,341**	**2,160**	**4,327**	**10,828**
1	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	करोड़ रूपये	506	359	494	1,359
2	कर्मचारी व्यय (Employee expenses)	करोड़ रूपये	1,323	1,225	1,205	3,753
3	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	करोड़ रूपये	126	139	120	385
4	अवमूल्यन तथा संबंधित विकलन (Depreciation and Related Debits)	करोड़ रूपये	715	498	708	1,921
5	ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)	करोड़ रूपये	417	381	501	1,299
6	अन्य विकलन, बट्टे–खाते संबंधी (पूर्व अवधि तथा डूबन्त ऋण) {Other Debits, Write-offs (Prior period and bad debts}	करोड़ रूपये	131	179	140	450
7	पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	करोड़ रूपये	90	90	275	455
8	घटायें : (अन्य आय)	करोड़ रूपये	228	228	370	826
9	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सत्यापन (True up for FY 2019-20)	करोड़ रूपये	1,260	(482)	1,253	2,031
C	**राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राभाप्रेके प्रभार को सम्मिलित करते हुए (Intra-state transmission Charges including SLDC Charges)**	**करोड़ रूपये**	**1,262**	**1,507**	**1,487**	**4,256**
D	विद्युत क्रय हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के पास उपलब्ध समेकित राशि (Aggregated Amount available with DISCOMs for Power purchase) (A-B-C)	करोड़ रूपये	7,462	14,198	8,213	29,874
E	**कुल विद्युत क्रय लागत (Total Power Purchase Cost)**	**करोड़ रूपये**				**33,760**
F	**अधिशेष/अन्तर (Surplus/Gap) (E-D)**	**करोड़ रूपये**				**3,886**
G	एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता (Ex-Bus Energy Requirement)	मिलियन यूनिट	24,746	33,498	26,435	84,679
H	एक्सबस ऊर्जा की आवश्यकता (Ex-Bus Energy Requirement)	%	29%	40%	31%	100%
I	**ऊर्जा की आवश्यकतानुसार अधिशेष/अन्तर का आवंटन (Allocation of surplus/Gap as per the Energy Requirement)**	**करोड़ रूपये**	**1,136**	**1,537**	**1,213**	**3,886**
J	**विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost for DISCOM) (D+I)**	**करोड़ रूपये**	**8,598**	**15,735**	**9,426**	**33,760**
K	**थोक आपूर्ति विद्युत–दर (Bulk Supply Tariff)**	**रू/किलोवाट ऑवर**	**3.47**	**4.70**	**3.57**	**3.99**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.205 आयोग अपने पूर्व के खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों में राज्य हेतु राज्य स्तर पर राजस्व अन्तर (revenue gap) पर विचार करते हुए एक समान विद्युत–दर का अनुमोदन करता चला आ रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागत का आवंटन प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के साथ राजस्व उपलब्धता के अनुपात में कर रहा है। तथापि यह पाया गया है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21 मार्च 2016 के माध्यम से समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों को तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागत को आगे आवंटन हेतु मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) को आदेशित किया जा चुका है। तद्नुसार, एमपीपीएमसीएल द्वारा माह जनवरी, 2020 से 'DBST' क्रियाविधि कार्यान्वित की गई है। 'DBST' के अन्तर्गत तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की समग्र विद्युत क्रय लागत का वितरण विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ विद्युत क्रय हेतु उपलब्ध राजस्व के आधार पर तथा उनकी ऊर्जा की आवश्यकता के समानुपात में किया जा रहा है।

2.206 चूंकि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत क्रय का प्रबन्धन एमपीपीएमसीएल द्वारा किया जाता है, अतएव यह आवश्यक है कि एक समान विधि द्वारा विद्युत क्रय लागत के अनुमोदन हेतु राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य एक समान विद्युत–दर का अनुमोदन किया जाए। तद्नुसार, आयोग ने 'DBST' क्रियाविधि के आधार पर जैसा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागत के आवंटन हेतु प्रस्तावित किया गया है, का अनुमोदन कर दिया गया है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 112 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत विभेदक थोक आपूर्ति विद्युत–दर (डीबीएसटी) (करोड़ रूपये)

विवरण	संदर्भ	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
स्वीकृत विद्युत दर के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)	**A**	**12,992.03**	**17,872.71**	**15,106.91**	**45,971.64**
विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की अन्य लागतें (विद्युत क्रय लागतें को छोड़कर अन्य व्यय) (करोड़ रूपये)	**B**	**3,878.40**	**1,449.25**	**3,882.06**	**9,209.70**
सचालन तथा संधारण व्यय (O&M Expenses)		1,785.33	1,599.46	1,747.01	5,131.80
अवमूल्यन / अवक्षयण (Depreciation)		290.30	125.77	311.28	727.36
ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)					
परियोजना ऋणों पर		383.08	156.69	428.54	968.31
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर		65.95	11.85	73.82	151.61
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर		43.61	70.25	47.58	161.44

विवरण	संदर्भ	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return of Equity)		306.24	183.20	331.69	821.12
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (bad and doubtful debts)		0.00	0.00	0.00	0.00
घटाऐं : अन्य गैर–टैरिफ आय		199.85	151.12	234.73	585.70
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों तथा एमपी ट्रांसको सत्यापन का राजस्व अन्तर (Revenue Gap)		1,203.74	(546.86)	1,176.88	1,833.76
राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राभाप्रेके प्रभारों को सम्मिलित करते हुए (करोड़ रूपये)	**C**	**1,260.51**	**1,504.90**	**1,484.82**	**4,250.24**
विद्युत के क्रय हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के पास उपलब्ध समेकित राशि (करोड़ रूपये)	**D=A-B-C**	**7,853.12**	**14,918.56**	**9,740.03**	**32,511.70**
कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये)	**E**				**32,510.99**
राजस्व अन्तर/(अधिशेष) (करोड़ रूपयें)	**F=E-D**				**(0.71)**
एक्स–बस ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिटं)	**G**	**24,302.18**	**33,302.46**	**28,091.54**	**85,696.18**
एक्स–बस ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार प्रतिशत आवंटन		28%	39%	33%	100%
एक्स–बस ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार राजस्व अन्तर/(अधिशेष) का आवंटन (करोड़ रूपयें)	**H**	**(0.20)**	**(0.28)**	**(0.23)**	**(0.71)**
विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये)	**I=H+D**	**7,852.92**	**14,918.28**	**9,739.79**	**32,510.99**
वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु थोक आपूर्ति विद्युत–दर (Bulk Supply Tariff)		**3.23**	**4.48**	**3.47**	**3.79**

2.207 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नियन्त्रण अवधि हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता **(ARR)** निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 113 : नियन्त्रण अवधि हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई
विद्युत क्रय लागत, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	8,598.09	7,852.92	10,657.53	10,034.38	11,409.18	10,718.76	12,167.36	11,439.23	12,881.85	12,359.46
राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	1,262.39	1,260.51	1,290.54	1,288.49	1,342.16	1,313.28	1,395.85	1,338.55	1,451.68	1,364.30
संचालन तथा संधारण व्यय (O&M Expenses)	1,955.23	1,785.33	2,181.38	1,968.40	2,548.30	2,306.30	2,763.02	2,489.15	2,965.71	2,666.37
अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation)	715.41	290.30	785.65	326.33	909.95	370.24	1,025.76	410.93	1,108.02	438.01
ब्याज तथा वित्त प्रभार										
परियोजना ऋणों पर	298.35	383.08	331.81	436.74	378.42	517.96	406.83	592.98	390.39	630.22
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर	68.80	65.95	65.65	66.04	74.93	78.47	79.83	86.53	88.05	94.81
उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर	50.14	43.61	52.79	45.77	55.63	48.09	58.65	50.56	61.89	53.20
पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE)	290.73	306.24	311.95	327.46	329.96	345.47	341.50	357.01	347.52	363.03
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	130.66	0.00	141.20	0.00	152.42	0.00	161.28	0.00	172.19	0.00
कुल स्वीकार किये गये व्यय	**13,369.79**	**11,987.94**	**15,818.50**	**14,493.62**	**17,200.96**	**15,698.59**	**18,400.08**	**16,764.92**	**19,467.29**	**17,969.39**
घटायें : अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय	423.29	199.85	432.22	199.85	478.62	199.85	523.56	199.85	558.11	199.85
कुल स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**12,946.51**	**11,788.09**	**15,386.28**	**14,293.77**	**16,722.33**	**15,498.73**	**17,876.53**	**16,565.07**	**18,909.18**	**17,769.54**
एमपी ट्रांसको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर (Revenue Gap)	-	10.05	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	1,260.38	1,260.38	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	-	63.91	-	-	-	-	-	-	-	-
एमपी जनको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अधिशेष (Revenue surplus)	-	(130.60)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (सत्यापन को सम्मिलित करते हुए)	**14,206.89**	**12,991.83**	**15,386.28**	**14,293.77**	**16,722.33**	**15,498.73**	**17,876.53**	**16,565.07**	**18,909.18**	**17,769.54**

तालिका 114 : नियन्त्रण अवधि हेतु पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई
विद्युत क्रय लागत, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	15,735.32	14,918.28	14,426.97	13,768.50	15,443.10	14,675.91	16,469.61	15,618.41	17,436.16	16,790.22
राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	1,507.50	1,504.90	1,544.19	1,541.38	1,605.96	1,571.04	1,670.20	1,601.26	1,737.01	1,632.07
संचालन तथा संधारण व्यय (O&M expenses)	1,722.82	1,599.46	1,931.54	1,784.89	2,236.16	2,059.23	2,443.14	2,230.89	2,642.34	2,399.26
अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation)	497.67	125.77	585.83	151.43	701.59	184.16	815.12	211.96	908.75	229.35
ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)										
परियोजना ऋणों पर	274.15	156.69	316.97	236.35	374.98	340.49	405.58	422.22	391.22	461.36
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर	16.32	11.85	17.90	0.00	19.79	0.00	21.92	0.00	23.92	0.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर	90.06	70.25	102.01	80.58	114.47	91.35	127.45	102.57	140.99	114.27
पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE)	228.18	183.20	238.86	194.62	250.38	206.54	262.20	218.76	273.79	230.66
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	179.41	0.00	195.21	0.00	209.70	0.00	224.20	0.00	237.21	0.00
कुल स्वीकार किये गये व्यय	**20,251.42**	**18,570.41**	**19,359.48**	**17,757.75**	**20,956.13**	**19,128.72**	**22,439.43**	**20,406.06**	**23,791.39**	**21,857.18**
घटायें : अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय	341.73	151.12	394.59	151.12	458.18	151.12	530.11	151.12	596.58	151.12
कुल स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**19,909.68**	**18,419.29**	**18,964.89**	**17,606.63**	**20,497.95**	**18,977.60**	**21,909.33**	**20,254.94**	**23,194.80**	**21,706.06**
एमपी ट्रांसको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर (Revenue Gap)	-	12.34	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	(482.17)	(482.17)	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	-	87.45	-	-	-	-	-	-	-	-
एमपी जनको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus)	-	(164.47)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (सत्यापन को सम्मिलित करते हुए)	**19,427.51**	**17,872.43**	**18,964.89**	**17,606.63**	**20,497.95**	**18,977.60**	**21,909.33**	**20,254.94**	**23,194.80**	**21,706.06**

तालिका 115 : नियन्त्रण अवधि हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई
विद्युत क्रय लागत, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	9,426.17	9,739.79	11,384.47	11,545.09	12,186.86	12,279.85	12,996.51	13,068.24	13,759.08	14,090.56
राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	1,486.52	1,484.82	1,504.00	1,502.12	1,564.16	1,531.02	1,626.73	1,560.47	1,691.80	1,590.49
संचालन तथा संधारण व्यय (O&M Expenses)	1,819.30	1,747.01	2,005.04	1,924.52	2,296.08	2,197.95	2,489.67	2,369.47	2,673.76	2,537.10
अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation)	707.95	311.28	783.52	343.02	896.45	385.38	1,010.41	416.48	1,038.73	432.05
ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)										
परियोजना ऋणों पर	376.31	428.54	393.70	476.04	431.29	548.25	431.47	586.17	386.28	579.07
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर	53.45	73.82	47.79	65.01	52.63	70.33	56.78	72.22	59.30	74.59
उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर	71.45	47.58	77.60	51.93	84.00	56.47	90.68	61.19	97.64	66.12
पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE)	274.70	331.69	295.11	352.09	311.14	368.12	324.50	381.48	337.63	394.61
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	140.26	0.00	152.30	0.00	164.56	0.00	176.58	0.00	187.82	0.00
कुल स्वीकार किये गये व्यय	**14,356.12**	**14,164.53**	**16,643.52**	**16,259.82**	**17,987.17**	**17,437.37**	**19,203.32**	**18,515.72**	**20,232.03**	**19,764.60**
घटायें : अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय	369.61	234.73	399.31	234.73	446.73	234.73	514.03	234.73	518.42	234.73
कुल स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**13,986.51**	**13,929.80**	**16,244.21**	**16,025.09**	**17,540.44**	**17,202.64**	**18,689.28**	**18,280.99**	**19,713.61**	**19,529.87**
एमपी ट्रांसको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर (Revenue Gap)	-	11.82	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	1,252.72	1,252.72	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	-	74.39	-	-	-	-	-	-	-	-
एमपी जनको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus)	-	(162.05)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (सत्यापन को सम्मिलित करते हुए)	**15,239.23**	**15,106.68**	**16,244.21**	**16,025.09**	**17,540.44**	**17,202.64**	**18,689.28**	**18,280.99**	**19,713.61**	**19,529.87**

तालिका 116 : नियन्त्रण अवधि हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (करोड़ रूपये)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई	दावा की गई	स्वीकार की गई
विद्युत क्रय लागत, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	33,759.57	32,510.99	36,468.97	35,347.97	39,039.14	37,674.53	41,633.49	40,125.88	44,077.09	43,240.23
राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	4,256.41	4,250.24	4,338.73	4,332.00	4,512.28	4,415.33	4,692.77	4,500.28	4,880.49	4,586.86
संचालन तथा संधारण व्यय (O&M Expenses)	5,497.35	5,131.80	6,117.96	5,677.81	7,080.55	6,563.49	7,695.84	7,089.51	8,281.81	7,602.73
अवमूल्यन / अवक्षयण (Depreciation)	1,921.03	727.36	2,154.99	820.78	2,508.00	939.78	2,851.28	1,039.37	3,055.49	1,099.41
ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)										
परियोजना ऋणों पर	948.82	968.31	1,042.48	1,149.13	1,184.69	1,406.70	1,243.88	1,601.36	1,167.89	1,670.65
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर	138.57	151.61	131.34	131.05	147.36	148.80	158.54	158.75	171.27	169.40
उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर	211.65	161.44	232.40	178.28	254.09	195.90	276.78	214.32	300.51	233.59
पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE)	793.61	821.12	845.92	874.17	891.48	920.14	928.19	957.24	958.94	988.30
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (bad and doubtful debts)	450.33	0.00	488.71	0.00	526.68	0.00	562.06	0.00	597.23	0.00
कुल स्वीकार किये गये व्यय	**47,977.33**	**44,722.88**	**51,821.50**	**48,511.19**	**56,144.26**	**52,264.67**	**60,042.83**	**55,686.70**	**63,490.71**	**59,591.17**
घटायें : अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय	1,134.63	585.70	1,226.12	585.70	1,383.53	585.70	1,567.69	585.70	1,673.11	585.70
कुल स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**46,842.70**	**44,137.17**	**50,595.38**	**47,925.49**	**54,760.72**	**51,678.97**	**58,475.14**	**55,101.00**	**61,817.60**	**59,005.46**
एमपी ट्रांसको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर (Revenue Gap)	-	34.21	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	2,030.93	2,030.92	-	-	-	-	-	-	-	-
मप्र विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय वर्ष 2020–21 के सत्यापन का राजस्व अन्तर	-	225.75	-	-	-	-	-	-	-	-
एमपी जनको का वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus)	-	(457.12)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (सत्यापन को सम्मिलित करते हुए)	**48,873.63**	**45,970.94**	**50,595.38**	**47,925.49**	**54,760.72**	**51,678.97**	**58,475.14**	**55,101.00**	**61,817.60**	**59,005.46**

2.208 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट किया गया है कि जब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के चक्रण (wheeling) तथा विद्युत आपूर्ति व्यवसायों के मध्य सम्पूर्ण लेखांकन पृथक्करण सम्पन्न न हो जाए तब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्ययों को चक्रण तथा आपूर्ति व्यवसायों के मध्य आवंटन आव्यूह (मेट्रिक्स) के अनुसार संविभाजित (apportioned) किया जाएगा। विनियम का सुसंबद्ध सार निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"8.11 जब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत चक्रण तथा आपूर्ति व्यापार के मध्य सम्पूर्ण लेखांकन पृथक्करण सम्पन्न न कर लिया जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबद्ध व्ययों का विभाजन इन विनियमों में निर्धारित आवंटन आव्यूह (मेट्रिक्स) के अनुसार किया जाएगा :

विवरण	***चक्रण प्रभार***	***आपूर्ति व्यापार***
संचालन एवं संधारण व्यय	*70%*	*30%*
अवमूल्यन/अवक्षयण	*95%*	*5%*
ऋण पर ब्याज	*95%*	*5%*
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	*10%*	*90%*
पूंजी पर प्रतिलाभ	*90%*	*10%*
विद्युत क्रय लागत, पारेषण एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	*0%*	*100%*

"

2.209 कुल वितरण व्ययों को चक्रण तथा विद्युत गतिविधियों के मध्य पृथक्करण करने का उद्देश्य ऐसे चक्रण प्रभारों को स्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच क्रेताओं से की जाना अपेक्षित है।

2.210 तद्नुसार, आयोग ने चक्रण विद्युत आपूर्ति गतिविधियों का आवंटन आव्यूह (मेट्रिक्स) के अनुसार किया है। इसी आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को निम्नानुसार पृथक्कृत किया गया है :

तालिका 117 : वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये चक्रण व्यवसाय हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (करोड़ रूपये)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
संचालन तथा संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses)	1,785.33	1,599.46	1,747.01	5,131.80
चक्रण व्यवसाय हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का 70%	1,249.73	1,119.62	1,222.90	3,592.26
अवमूल्यन/अवक्षयण (Depriciation)	290.30	125.77	311.28	727.36
चक्रण व्यवसाय हेतु अवमूल्यन का 95%	275.79	119.48	295.72	690.99
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	383.08	156.69	428.54	968.31

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
चक्रण व्यवसाय हेतु परियोजना ऋणों पर ब्याज का 95%	363.93	148.85	407.12	919.90
चक्रण व्यवसाय हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on working Capital for Wheeling Business)	17.23	15.37	17.05	49.64
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	306.24	183.20	331.69	821.12
चक्रण व्यवसाय हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ का 90%	275.62	164.88	298.52	739.01
घटायें : अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय	199.85	151.12	234.73	585.70
चक्रण व्यवसाय हेतु अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का 10%	19.99	15.11	23.47	58.57
चक्रण व्यवसाय हेतु एमपी ट्रांसको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के पूर्व वर्षों की सत्यापन राशियों का प्रभाव	1,203.74	(546.86)	1,176.88	1,833.76
एमपी ट्रांसको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के पूर्व वर्षों की सत्यापन राशियों के प्रभाव का 10%	120.37	(54.69)	117.69	183.38
चक्रण गतिविधि हेतु कुल राशि	**2,282.68**	**1,498.41**	**2,335.52**	**6,116.61**

तालिका 118 : वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) (करोड़ रूपये)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
विद्युत क्रय लागत, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	9,113.43	16,423.19	11,224.62	36,761.23
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु विद्युत क्रय लागत, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) प्रभारों को सम्मिलित करते हुए का शत–प्रतिशत	9,113.43	16,423.19	11,224.62	36,761.23
संचालन तथा संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses)	1,785.33	1,599.46	1,747.01	5,131.80
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का 30%	535.60	479.84	524.10	1,539.54
अवमूल्यन (Depreciation)	290.30	125.77	311.28	727.36
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु, अवमूल्यन का 5%	14.52	6.29	15.56	36.37
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	383.08	156.69	428.54	968.31
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु, परियोजना ऋणों पर ब्याज का 5%	19.15	7.83	21.43	48.42
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	48.72	(3.52)	56.77	101.97
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on equity)	306.24	183.20	331.69	821.12
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु, पूंजी पर प्रतिलाभ का 10%	30.62	18.32	33.17	82.11
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	43.61	70.25	47.58	161.44
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप का शत–प्रतिशत	43.61	70.25	47.58	161.44

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
घटायें : अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय	199.85	151.12	234.73	585.70
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु अन्य आय तथा गैर–टैरिफ आय का 90%	179.87	136.01	211.26	527.13
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु एमपी ट्रांसको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के पूर्व वर्षों की सत्यापन राशियों का प्रभाव	1,203.74	(546.86)	1,176.88	1,833.76
विद्युत आपूर्ति व्यवसाय हेतु एमपी ट्रांसको तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के पूर्व वर्षों की सत्यापन राशियों के प्रभाव का 90%	1,083.37	(492.17)	1,059.19	1,650.39
विद्युत आपूर्ति हेतु कुल राशि	**10,709.15**	**16,374.02**	**12,771.16**	**39,854.33**

विद्यमान तथा स्वीकृत विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति एवं अन्तर/अधिशेष (Revenue from Existing and Admitted Tariffs and Gap/Surplus)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

2.211 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ऐसी कोई उल्लेखनीय वृद्धि (hike) परिलक्षित नहीं हुई है जिसके कारण विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय स्वास्थ्य (financial health) गंभीर रूप से प्रभावित हुआ हो। वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आयोग द्वारा क्रमशः 8.4%, 9.48%, 0%, 7.00% तथा 2.00% की विद्युत–दर वृद्धि अनुमोदित की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विद्युत–दर में मात्र केवल 0.63% की ही वृद्धि की गई। विद्युत वितरण कम्पनियों को अपना संचालन वर्तमान विद्युत–दर स्तरों पर जारी रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्फीतिकारी दबावों (inflationary pressures) के कारण व्यय में तात्विक वृद्धि एवं ऊर्जा तथा शक्ति संबंधी मांगों में निरन्तर वृद्धि व आयोग द्वारा निर्धारित किये गये महत्वाकांक्षी मानदण्डीय हानि कम करने संबंधी वक्र तथा मानदण्डों और राज्य तथा केन्द्र सरकारों के नीति संबंधी पूर्ण करने वाले दायित्वों के कारण भी तद्नुसार, राजस्व अन्तर की पूर्ति करने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह आवश्यक है कि उसे विद्युत–दर में उपयुक्त वृद्धि का लाभ प्राप्त हो जैसा कि याचिका में दिये गये विवरण के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

2.212 याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 8.71% की वृद्धि प्रस्तावित की है क्योंकि उनके अनुसार इसके बगैर विद्युत वितरण कम्पनियां परिचालन व्यवहार्यता (Operational Viability) कायम नहीं रख पायेंगी।

2.213 विद्यमान तथा प्रस्तावित विद्युत–दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु राजस्व की प्राप्ति निम्नानुसार प्रत्याशित है :

तालिका 119 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विद्यमान तथा प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)

विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी/उपश्रेणी		पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य हेतु	
		विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	प्रस्तावित विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	प्रस्तावित विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	प्रस्तावित विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	प्रस्तावित विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति
LV-1	घरेलू	4,116	4,529	4,543	4,995	4,000	4,398	12,659	13,921
LV-2	गैर–घरेलू	1,218	1,272	1,241	1,297	962	1,005	3,421	3,573
LV-3	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ प्रकाश	270	297	408	449	290	320	968	1,066
LV-4	निम्न दाब उद्योग	444	467	675	708	294	310	1,413	1,485
LV-5	कृषि	4,025	4,448	6,624	7,329	5,484	6,067	16,133	17,844
LV-6	ई–वाहन प्रभारण	0	0	1	1	1	1	2	2
	निम्न दाब योग (Total LT)	**10,073**	**11,013**	**13,492**	**14,778**	**11,031**	**12,101**	**34,596**	**37,891**
HV-1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	41	41	0	0	39	39	80	80
HV-2	कोयला खदानें (कोल माइन्स)	455	479	0	0	27	29	482	507
HV-3.1	औद्योगिक उपयोग	1,443	1,478	2,427	2,437	1,472	1,470	5,342	5,385
HV-3.2	गैर–औद्योगिक	78	118	385	398	318	328	780	844
HV-3.3	शॉपिंग मॉल	27	28	44	46	39	41	111	115
HV-3.4	गहन विद्युत उद्योग	656	731	760	872	763	868	2,179	2,471
HV-4	मौसमी (सीजनल) तथा गैर–मौसमी (नॉन–सीजनल)	8	9	10	10	2	2	20	21
HV-5	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	102	110	708	846	223	239	1,034	1,195
HV-6	थोक आवासीय उपभोक्ता	180	198	20	22	105	115	306	335
HV-7	आरईसी/ग्रिड् से संयोजित जनरेटर का विद्युत समकालन	1	1	18	18	6	6	24	25
HV-8	ई–वाहन प्रभारण	1	1	1	1	2	2	4	4
	उच्च दाब योग (Total HT)	**2,993**	**3,194**	**4,373**	**4,649**	**2,996**	**3,138**	**10,362**	**10,982**
	कुल योग (निम्न दाब+उच्च दाब) {Total (LT+HT)}	**13,066**	**14,207**	**17,866**	**19,427**	**14,026**	**15,239**	**44,957**	**48,873**

2.214 उपरोक्त तालिका के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने प्रक्षेपित पुनरीक्षित राजस्व अन्तर/(अधिशेष) निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :

तालिका 120 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तर/अधिशेष (करोड़ रूपये)

विवरण	इकाई	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)	रू करोड़	14,207	19,427	15,239	48,873
विद्यमान विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति	रू करोड़	13,066	17,866	14,026	44,957
कुल राजस्व अन्तर/(अधिशेष)	रू करोड	1,141	1,562	1,213	3,915
विद्युत प्रदाय की औसत लागत	रू/यूनिट	**7.12**	**7.20**	**7.25**	**7.19**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

2.215 उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व, विद्यमान विद्युत–दर पर छूट/प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमोदित किया गया है, को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 121 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान तथा स्वीकृत विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति, छूट/प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए (करोड़ रूपये)

विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी/उपश्रेणी		पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
		विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति
LV-1	घरेलू	3,562.06	3,686.80	4,093.15	4,227.76	4,181.31	4,320.05	11,836.52	12,234.60
LV-2	गैर–घरेलू	1,156.27	1,160.08	1,322.38	1,323.52	1,064.82	1,066.37	3,543.47	3,549.97
LV-3	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ प्रकाश	261.01	268.18	365.97	379.07	289.34	297.97	916.31	945.23
LV-4	निम्न दाब उद्योग	449.72	449.72	706.17	706.17	353.19	353.19	1,509.08	1,509.08
LV-5	कृषि तथा कृषि संबंधी अन्य गतिविधियां	4,082.34	4,204.93	6,524.63	6,712.84	5,693.24	5,852.62	16,300.20	16,770.40
LV-6	ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र (चाजिंग स्टेशन)	0.03	0.03	0.57	0.57	0.98	0.98	1.58	1.58

विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी/उपश्रेणी		पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
		विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	विद्यमान विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति	स्वीकृत विद्युत–दर पर राजस्व की प्राप्ति
	निम्न दाब योग (Total LT)	**9,511.43**	**9,769.74**	**13,012.86**	**13,349.93**	**11,582.88**	**11,891.19**	**34,107.16**	**35,010.85**
HV-1	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	30.28	30.28	0.00	0.00	27.59	27.59	57.87	57.87
HV-2	कोयला खदानें (कोल माइन्स)	451.71	460.16	0.00	0.00	25.74	26.27	477.45	486.42
HV-3	उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग माल	2,369.02	2,427.01	3,585.74	3,680.86	2,724.68	2,792.46	8,679.44	8,900.34
	एचवी– 3.1 औद्योगिक	2,057.64	2,108.28	2,405.00	2,468.13	2,127.38	2,179.96	6,590.02	6,756.37
	एचवी– 3.2 गैर–औद्योगिक	194.47	198.54	360.87	368.71	268.74	274.99	824.09	842.24
	एचवी– 3.3 शॉपिंग माल	11.26	11.57	43.76	44.56	39.39	40.14	94.40	96.26
	एचवी– 3.4 गहन विद्युत उद्योग	105.65	108.63	776.12	799.46	289.17	297.37	1,170.94	1,205.46
HV-4	मौसमी (सीजनल) तथा गैर–मौसमी (नॉन–सीजनल)	7.50	7.73	8.19	8.43	1.73	1.78	17.43	17.95
HV-5	सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	120.49	125.50	769.34	793.98	243.54	251.75	1,133.38	1,171.23
HV-6	थोक आवासीय उपभोक्ता	164.44	169.32	19.49	20.18	103.78	106.92	287.71	296.43
HV-7	समकालन/प्रारंभिक विद्युत प्रदाय	0.94	0.99	17.67	18.45	6.83	7.06	25.44	26.50
HV 8	ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र (चार्जिंग स्टेशन)	1.30	1.30	0.87	0.87	1.88	1.88	4.05	4.05
	उच्च दाब योग (Total HT)	**3,145.67**	**3,222.28**	**4,401.30**	**4,522.78**	**3,135.79**	**3,215.72**	**10,682.76**	**10,960.79**
	कुल योग (निम्न दाब+उच्च दाब) {Total (LT+HT)}	**12,657.10**	**12,992.03**	**17,414.16**	**17,872.71**	**14,718.66**	**15,106.91**	**44,789.92**	**45,971.64**

2.216 उपरोक्त विवरण के आधार पर, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकार की गई कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा राजस्व आय, विद्यमान विद्युत–दर के अनुसार छूट/प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 122 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्यमान विद्युत–दरों के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, सत्यापन राशि को सम्मिलित करते हुए (ए)	12,991.83	17,872.43	15,106.68	45,970.94
विद्यमान विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (बी)	12,657.10	17,414.16	14,718.66	44,789.92
अपूरित (uncovered) अन्तर/(अधिशेष) (ए–बी=सी)	334.73	458.27	388.01	1,181.01

2.217 रूपये 1,181.01 करोड़ के उपरोक्त कथित राजस्व अन्तर की पूर्ति हेतु आयोग ने विद्युत–दर (टैरिफ) में 2.64% की दर से वृद्धि की है जिसके विवरण इस आदेश के विद्युत–दर रूपांकन (Tariff design) अध्याय में दिये गये हैं। आयोग द्वारा स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा स्वीकृत विद्युत–दर (टैरिफ) पर प्रत्याशित राजस्व की राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 123 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत विद्युत–दरों के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, सत्यापन राशि को सम्मिलित करते हुए (ए)	12,991.83	17,872.43	15,106.68	45,970.94
स्वीकृत विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (बी)	12,992.03	17,872.71	15,106.91	45,971.64
अपूरित (uncovered) अन्तर/(अधिशेष) (ए–बी=सी)	(0.20)	(0.28)	(0.23)	(0.71)

ए 3: चक्रण प्रभार, प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार
(Wheeling Charges, Cross Subsidy Surcharge and Additional Surcharge)

''चक्रण लागत'' का अवधारण (Determination of "Wheeling Cost")

3.1 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 8.11 में विद्युत वितरण कम्पनियों के व्ययों को चक्रण तथा आपूर्ति व्यवसायों के मध्य संविभाजन हेतु आवंटन आव्यूह (allocation matrix) प्रदान किया गया है जो निम्नानुसार है :

विवरण	चक्रण व्यवसाय (Wheeling Business)	विद्युत आपूर्ति व्यवसाय (Supply Business)
संचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance expenses)	70%	30%
अवमूल्यन / अवक्षयण (Depreciation)	95%	5%
ऋण पर ब्याज (Interest on loan)	95%	5%
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on working capital)	10%	90%
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	90%	10%
विद्युत क्रय लागत, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को सम्मिलित करते हुए (Power purchases cost including transmission and SLDC charges)	0%	100%

3.2 उपरोक्त आवंटन आव्यूह (allocation matrix) तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के आधार पर समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु चक्रण व्यवसाय हेतु व्यय की गणना रू. 6,116.61 करोड़ की गई है।

वोल्टेज स्तरों के मध्य लागतों का पृथक्करण (Segregation of Costs among Voltage Levels)

3.3 विद्युत वितरण गतिविधि से संबंधित लागतों को जिन्हें चक्रण गतिविधियों से चिन्हांकित किया गया है, को आगे विद्युत वितरण के दो वोल्टेज स्तरों में संविभाजित किया जा सकता है, अर्थात् 33 केवी तथा 33 केवी से निचले स्तर पर। यद्यपि, अति उच्च दाब उपभोक्ता (अर्थात्, जो 33 केवी से अधिक वोल्टेज से संबद्ध हैं) भी विद्युत वितरण कम्पनियों के उपभोक्ता होते हैं, वे विद्युत वितरण प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से संयोजित नहीं होते। मीटरीकरण, बिलिंग तथा संग्रहण से संबंधित कतिपय लागतों को अति उच्चदाब उपभोक्ताओं से संबद्ध किया जाता है। तथापि, आयोग इस समय प्राथमिक रूप से आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में इन विवरणों के विस्तार में जाने का इच्छुक नहीं है।

3.4 मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में अपनी लागतों से संबंधित लेखे वोल्टेज आधार पर संधारित नहीं करते। भारत के अन्य राज्यों में अधिकांश शासन के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों की भी लगभग यही स्थिति है।

3.5 यह पाया गया है कि मप्र राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान लेखांकन पद्धतियां प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज स्तरों पर सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के पृथक्करण किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं करतीं। अतएव, आयोग 33 / 11 केवी तथा 11 / 0.4 केवी के अन्तरापृष्ठों (interfaces) पर रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) एमवीए (MVA) में अपनाए जाने की पद्धति को यहां पर उचित मानता है।

3.6 इस प्रक्रिया के अन्तर्गत परिसम्पत्ति आधार के मूल्यांकन हेतु उपयोग किये गये आंकड़े निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 124 : उप–पारेषण तथा वितरण तन्तुपथों (लाइनों) का वोल्टेजवार लागत संविभाजन

तन्तुपथों (लाइनों) का वोल्टेज स्तर	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	लाइनों की संचयी लम्बाई (सर्किट किलोमीटर)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/सर्किट किलोमीटर)	तन्तुपथों (लाइनों) की कुल लागत (करोड़ रूपये)
33 केवी	20,494.00	17,959.00	19,701.43	58,154.43	14.10	8,197.38
33 केवी से कम						
(अ) 11 केवी	1,65,121.00	1,37,628.00	1,62,561.55	4,65,310.55	14.03	65,286.05
(ब) निम्न दाब	1,45,800.00	1,74,113.00	1,27,849.33	4,47,762.33	7.39	33,104.01
उप–योग	3,10,921.00	3,11,741.00	2,90,410.88	9,13,072.88		98,390.06
योग	**3,31,415.00**	**3,29,700.00**	**3,10,112.31**	**9,71,227.31**		**1,06,587.44**

तालिका 125 : ट्रांसफार्मर की कुल वोल्टेज स्तरवार लागत

ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर	पूर्व क्षेत्र विविकं. (MVA)	पश्चिम क्षेत्र विविकं (MVA)	मध्य क्षेत्र विविकं (MVA)	सम्पूर्ण राज्य (MVA)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/MVA)	कुल लागत (करोड़ रूपये)
33/11 केवी ट्रांसफार्मर	11,091.00	13,408.05	12,986.00	37,485.05	43.83	16,431.13
11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर	11,114.00	20,166.00	16,510.55	47,790.55	3.24 प्रति 100 केवीए	15,498.81
योग	**22,205.00**	**33,574.05**	**29,496.55**	**85,275.60**		**31,929.94**

3.7 तन्तुपथों (lines) की लम्बाई तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता हेतु आंकड़े जिन्हें वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़ा जाना अपेक्षित है, याचिका में प्रस्तुत किये गये अनुसार माने गये हैं।

3.8 वोल्टेज के भिन्न–भिन्न स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों को चिन्हांकित किये जाने के उद्देश्य से दोनों वोल्टेज स्तरों पर अन्तरापृष्ठ ट्रांसफार्मरों को ''निर्दिष्ट (assign)'' किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आयोग वितरण ट्रांसफार्मरों (11/0.4 केवी) को 11 केवी तन्त्र (नेटवर्क) के एक भाग के रूप में तथा 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मरों को 33 केवी तन्त्र (नेटवर्क) के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना उचित मानता है। इस विधि के आधार पर, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों (asset values) की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 126 : वोल्टेज के प्रत्येक स्तर पर तन्त्र (नेटवर्क) के मूल्यांकन का चिन्हांकन (करोड़ रूपये)

वोल्टेज स्तर	तन्तुपथों (लाइनों) की लागत (करोड़ रूपये)	ट्रांसफार्मेशन की लागत (करोड़ रूपये)	कुल लागत (करोड़ रूपये)
33 केवी	8,197.38	16,431.13	24,628.51
33 केवी से कम	98,390.06	15,498.81	1,13,888.87
योग	**1,06,587.44**	**31,929.94**	**1,38,517.38**

3.9 चक्रण गतिविधि संबंधी व्ययों की गणना परिसम्पत्ति मूल्य अनुपातों (asset value ratios) के उपयोग द्वारा की गई है जैसा कि इसे उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किया गया है तथा निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 127 : वोल्टेज के विभिन्न स्तरों पर तन्त्र (नेटवर्क) के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हांकन

वोल्टेज स्तर	परिसम्पत्ति मूल्य (करोड़ रूपये)	परिसम्पत्ति मूल्य अनुपात (प्रतिशत)	कुल चक्रण लागत (करोड़ रूपये)	चक्रण लागत का आवंटन (करोड़ रूपये)
33 केवी	24,628.51	17.78%	6,116.61	1,087.54
33 केवी से कम स्तर पर	1,13,888.87	82.22%		5,029.07
योग	**1,38,517.38**	**100.00%**		**6,116.61**

चक्रण लागतों का परस्पर सहभाजन (Sharing of Wheeling Costs)

3.10 चक्रण लागत को आगे उचित प्रकार से उपभोक्ताओं को उक्त वोल्टेज स्तरों पर आवंटित किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि 33 केवी नेटवर्क को 33 केवी के साथ–साथ 33 केवी से कम वोल्टेज स्तर पर 11 केवी तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है।

3.11 उपभोक्ताओं के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर चक्रण लागत का यह आवंटन विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के उपयोग (usage) के आधार पर किया जाता है। आयोग ने भिन्न–भिन्न वोल्टेज स्तरों पर ''विक्रित की जाने वाले यूनिटों की संख्या (units to be sold)'' को लागतों के आवंटन हेतु नेटवर्क उपयोग के उपाय के रूप में अपनाए जाने का चयन किया है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 128 : 33 केवी पर वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन

विवरण	संदर्भ	इकाई	राशि
33 केवी पर चक्रण लागत	A	करोड़ रूपये	1,087.54
33 केवी पर विक्रय (मिलियन यूनिट)	B	मिलियन यूनिट	8,021.98
कुल विक्रय (132केवी पर विक्रय को छोड़कर) (मिलियन यूनिट)	C	मिलियन यूनिट	63,217.88
33 केवी पर विक्रय तथा कुल विक्रय का अनुपात	D-B/C*100	प्रतिशत	12.69%
लागत का आवंटन (Cost allocation)			
33 केवी की चक्रण लागत जिसे केवल 33 केवी उपभोक्ताओं को ही आवंटित किया गया है	**E=A*D**	**करोड़ रूपये**	**138.00**

3.12 उपरोक्त आवंटन के आधार पर तथा 33 केवी पर की गई विद्युत खपत पर विचार करते हुए रूपये प्रति यूनिट चक्रण प्रभारों का अवधारण निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 129 : चक्रण प्रभार

वोल्टेज	आवंटित की गई चक्रण लागत (करोड़ रूपये)	विक्रय (मिलियिन यूनिट)	चक्रण प्रभार (रूपये/ किलोवाट ऑवर)
अति उच्च दाब (EHT)	-	-	-
33 केवी	138.00	8,021.98	0.17

3.13 संयोजकता (Connectivity) पर निर्भर, निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु चक्रण प्रभारों की प्रयोज्यता, मप्रविनिआ खुली पहुंच विनियम, 2021 द्वारा नियन्त्रित की जाएगी।

प्रतिराज्यानुदान अधिभार का अवधारण (Determination of Cross subsidy Surcharge)

3.14 भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित टैरिफ नीति के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रतिराज्यानुदान अधिभार के अवधारण हेतु निम्न सूत्र विनिर्दिष्ट किया गया है :

''8.5 निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु प्रति राज्यानुदान *अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार (Cross Subsidy Surcharge and additional Surchage for Open acess)*

8.5.1 ....

....

अधिभार सूत्र (Surcharge formula) :

S =T - [C/(1-L/100) +D+R]

जहां

S = अधिभार है

T= उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा भुगतानयोग्य विद्युत–दर है, जो नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध (Renewable Purchase Obligation) प्रतिबिंबित करता है, को शामिल करते हुए

C= अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति यूनिट विद्युत क्रय की भारित औसत लागत है जिसमें नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध की पूर्ति भी शामिल है

D = सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर को प्रयोज्य पारेषण, वितरण, चक्रण प्रभार का योग है

L = पारेषण, वितरण तथा वाणिज्यिक हानियों का योग है जिसे सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर प्रयोज्य प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है

R = विनियामक परिसम्पत्तियों को वहन करने की प्रति इकाई की लागत है

यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त सूत्र समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू हो, विशेष तौर पर वे जहां विद्युत प्रदाय की कमी है, ऐसे में राज्य नियामक आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्युत अधिनियम के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, उनकी समीक्षा कर सकेंगे तथा उनमें परिवर्तन कर सकेंगे।

परंतु यह कि निर्बाध (खुली)पहुंच के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की राशि प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से बीस प्रतिशत से अधिक न होगी।

परंतु यह और कि समुचित आयोग समुचित शासन से परामर्श द्वारा रेलवे विभाग को प्रति राज्यानुदान प्रभार के उद्ग्रहण से मुक्त रखेगा जैसा कि इसे भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में परिभाषित किया गया है क्योंकि रेलवे विभाग को माने गये अनुज्ञप्तिधारी होने के कारण, अपनी स्वयं के खपत हेतु विद्युत का क्रय करता है।

8.5.4 अधिनियम की धारा 42(4) के अनुसार आपूर्ति के दायित्व हेतु अतिरिक्त अधिभार केवल तभी लागू होना चाहिए जब अंतिम रूप से यह दर्शा दिया जाए कि विद्युत क्रय प्रतिबद्धताओं की दृष्टि से अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंसी) का दायित्व समाप्त हो गया है या हो रहा है या ऐसी संविदा के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई लागतों को वहन करने की अपरिहार्य देयताएं और स्थिति मौजूद हैं। नेटवर्क परिसम्पत्तियों से संबंधित स्थायी लागतों को चक्रण (व्हीलिंग) प्रभारों के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

8.5.5. चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार अंतःराज्यीय पारेषण प्रभारों के लिए निर्धारित किए गए उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए और इसके अलावा इसमें संबंधित स्तर का औसतन हानि क्षतिपूर्ति शामिल होगा।

3.15 तद्नुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता हेतु, विद्युत प्रदाय की लागत की गणना विद्युत क्रय की भारित औसत लागत के आधार पर की जा सकती है जिसमें नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध (c), प्रयोज्य पारेषण तथा वितरण हानियां (L), विद्युत की पारेषण तथा वितरण की लागत (D) की पूर्ति भी शामिल है। आयोग ने अनवुर्ती अनुच्छेद में विद्युत प्रदाय की लागत के घटकों का अवधारण किया है। प्रत्येक उपभोक्ता हेतु विभिन्न प्रभारों की प्रयोज्यता पर निर्भर, जैसा कि इसे खुली पहुंच विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिराज्यानुदान अधिभार की गणना की जाएगी।

3.16 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय की भारित औसत लागत, नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध (c) की पूर्ति को शामिल करते हुए, की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 130 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय की भारित औसत लागत, नवीकरणीय विद्युत क्रय आबंध की पूर्ति को सम्मिलित करते हुए

विद्युत उत्पादन केन्द्र	आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	कुल लागत (करोड़ रूपये)	विद्युत क्रय की भारित औसत दर (रूपये प्रति यूनिट)
प्रेषित (Dispatched)	85,696.18	29,883.64	3.49

3.17 टैरिफ नीति के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तर (पारिभाषिक शब्द 'L' के अनुसार) की गणना पृथक–पृथक की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तरों को निम्नानुसार माना गया है :

तालिका 131 : वोल्टेजवार हानियां

वोल्टेज स्तर	हानि स्तर (L)
अति उच्च दाब (पारेषण प्रणाली), बाह्य हानियों को शामिल करते हुए	4.46%
33 केवी (केवल 33 केवी प्रणाली हेतु)	5.06%

3.18 चूंकि पारेषण नेटवर्क का उपयोग समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, ऐसे में पारेषण की लागत को प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर समस्त उपभोक्ताओं को एक समान रूप से प्रसारित किया जाएगा। अतएव, चक्रण लागतों की ही भांति, वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमोदित पारेषण प्रभारों की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका 132 : पारेषण प्रभार

विवरण	इकाई	योग
पीजीसीआईएल (PGCIL) प्रभार,	(करोड़ रूपये)	2,627.36
एमपीपीटीसीएल (MPPTCL) प्रभार, रा.भा.प्रे.के. प्रभारों (SLDC) को सम्मिलित करते हुए	(करोड़ रूपये)	4,250.24
कुल प्रभार	**(करोड़ रूपये)**	**6,877.60**
संव्यवहार किये जाने वाले यूनिटों की संख्या	मिलियन यूनिट	85,696.18
प्रति यूनिट पारेषण प्रभार	**रू/किलोवाट ऑवर**	**0.80**

3.19 33 केवी तथा 33 केवी से कम वोल्टेज पर संयोजित उपभोक्ताओं के चक्रण प्रभारों का अवधारण पूर्व में दर्शाई गई तालिका 129 : चक्रण प्रभार के अनुसार किया गया है।

3.20 अन्ततः, टैरिफ नीति सूत्र के अन्तिम पारिभाषिक शब्द 'T', अर्थात् प्रत्येक श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (टैरिफ) की गणना वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अपेक्षित राजस्व से प्राप्त की गयी है जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 133 : अनुमोदित विद्युत–दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु औसत बिलिंग दर (ABR)

उपभोक्ताओं की श्रेणी		औसत विद्युत–दर 'T' (रूपये प्रति यूनिट)
एलवी 1 :	घरेलू	6.36
एलवी 2 :	गैर–घरेलू	9.14
एलवी 3 :	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य (PWW)	6.94
एलवी 4 :	निम्न दाब उद्योग	9.65
एलवी 5 :	कृषि तथा कृषि संबंधी अन्य गतिविधियां	5.91
एलवी 6 :	ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र (चार्जिंग स्टेशन)	6.02
एचवी 1 :	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	5.23
एचवी 2 :	कोयला खदानें (कोल माइन्स)	8.77
एचवी 3 :	उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग माल	7.66
	एचवी–3.1 : औद्योगिक	7.91
	एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक	9.28
	एचवी–3.3 : शॉपिंग माल	9.08
	एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग	5.84
एचवी–4 :	मौसमी तथा गैर–मौसमी	7.28
एचवी–5 :	सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	7.29
एचवी–6 :	थोक आवासीय उपभोक्ता	6.95
एचवी–7 :	समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत प्रदाय	11.98
एचवी–8 :	ई–वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र (चार्जिंग स्टेशन)	6.48

3.21 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (खुली पहुंच) विनियम, 2021 के अनुसार एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं को निर्बाध (खुली पहुंच) की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को समय–समय पर यथासंशोधित मप्र विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार 33 केवी या इससे अधिक क्षमता वाली प्रणाली से संयोजित किया जाना अपेक्षित है।

3.22 नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन तथा उपयोगकर्ताओं की क्षमता भले जो भी हो, को अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के नकारात्मक प्रतिबन्ध (No operational constraint) के अध्यधीन, निर्बाध (खुली) पहुंच की पात्रता होगी।

3.23 उपरोक्त तथ्यों के अनुसार कुल लागत (रू / यूनिट) अर्थात् निम्न दाब तथा उच्च दाब की विभिन्न श्रेणियों हेतु *[C/(1-L/100)+D+R]* की गणना प्रयोज्य लागत तथा मप्रविनिआ (खुली पहुंच) विनियम, 2021 के अनुसार पात्रता रखने वाली श्रेणियों हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा की जाएगी। प्रति राज्यानुदान अधिभार उपरोक्त दर्शाई गई तालिका : 133 में निर्दिष्ट औसत विद्युत–दर के अन्तर (T) तथा विशिष्ट वोल्टेज स्तर पर विशिष्ट श्रेणी हेतु कुल लागत (रू / यूनिट) उपरोक्त अवधारित लागत घटक के आधार पर, मप्रविनिआ (खुली पहुंच) विनियम, 2021 के अनुसार प्रयोज्यता पर निर्भर उनका अन्तर होगी। तथापि, निर्बाध (खुली) पहुंच के इच्छुक उपभोक्ताओं की श्रेणी हेतु प्रतिराज्यानुदान अधिभार प्रयोज्य औसत

विद्युत–दर के 20 प्रतिशत से अधिक न होगा। ऐसे प्रकरण में जहां उपरोक्त पद्धति के आधार पर प्रति प्रतिराज्यानुदान अधिभार की गणना ऋणात्मक आती हो, वहां बिलिंग के प्रयोजन से इसे शून्य माना जाएगा।

प्रति राज्यानुदान अधिभार की गणना हेतु उदाहरण (Illustration for computation of Cross Subsidy Surcharge)

उदाहरण : विद्युत उत्पादक पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) (अति उच्च दाब वोल्टेज) से संयोजित है, जबकि उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विवरण नेटवर्क पर 33 केवी पर संयोजित है।

तालिका 134 : उपरोक्त उदाहरण के अनुसार लागत की गणना (रूपये प्रति यूनिट)

सरल क्रमांक	विद्युत क्रय की भारित औसत दर (रूपये प्रति यूनिट)	विद्युत की लागत जिसे पारेषण हानियों (4.46%) की दर हेतु समेकित किया गया है	विद्युत की लागत जिसे वितरण हानियों (5.06%) की दर हेतु समेकित किया गया है	पारेषण प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)	चक्रण प्रभार (रूपये प्रति यूनिट)	कुल प्रभार [C/1-L/100)+D+R]
1	3.49	3.65	3.84	0.80	0.17	4.82

तालिका 135 : उपरोक्त उदाहरण के अनुसार श्रेणीवार प्रति राज्यानुदान अधिभार (रूपये प्रति यूनिट)

उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं की श्रेणी	औसत विद्युत–दर (टैरिफ) 'T'(रूपये प्रति यूनिट)	उच्चतम सीमा (Celling) (20%)(रूपये प्रति यूनिट)	प्रतिराज्यानुदान अधिभार (CSS)(रूपये प्रति यूनिट)	प्रयोज्य प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Applicable CSS)(रूपये प्रति यूनिट)
एचवी–2 : कोयला खदानें (Coal Mines)	8.77	1.75	3.95	1.75
एचवी–3 : उच्च दाब औद्योगिक, गैर–औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल (HT Industrial, Non-Industrial and Shopping Malls)	7.66	1.53	2.84	1.53
एचवी–3.1 : औद्योगिक (Industrial)	7.91	1.58	3.09	1.58
एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक (Non Industrial)	9.28	1.86	4.46	1.86
एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल (Shopping Malls)	9.08	1.82	4.26	1.82
एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)	5.84	1.17	1.02	1.02
एचवी–4 : मौसमी तथा गैर–मौसमी (Seasonal & Non Seasonal)	7.28	1.46	2.46	1.46
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा अन्य कृषि उपयोग (Irrigation, Public Water Works and Other than Agricultural)	7.29	1.46	2.48	1.46
एचवी–6 : थोक आवासीय उपभोक्ता (Bulk Residential Users)	6.95	1.39	2.13	1.39
एचवी–7 : समकालन/प्रारंभिक विद्युत (Synchronization and Start-Up Power)	11.98	2.40	7.17	2.40
एचवी–8 : ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र (E-Vehicle/ E-Rickshaws Charging Stations)	6.48	1.30	1.66	1.30

टीप : 1. निर्बाध (खुली) पहुंच के इच्छुक उपभोक्ताओं की श्रेणी हेतु प्रतिराज्यानुदान अधिभार औसत विद्युत–दर के 20 प्रतिशत से अधिक न होगा।

2. मप्रविनिआ (खुली पहुंच) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट प्रभारों की प्रयोज्यता पर आधारित विद्युत वितरण कम्पनियां अन्य उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रयोज्य प्रतिराज्यानुदान अधिभार (CSS) की गणना करेंगी।

अतिरिक्त अधिभार का अवधारण (Determination of Additional Surcharge)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

3.24 याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि टैरिफ नीति, 2016 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे उपभोक्ता जिन्हें निर्बाध (खुली) पहुंच (open acecess) की सुविधा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है उन पर अधिरोपित किये जाने वाले अतिरिक्त अधिभार (additional surcharge) का अवधारण किया जाए।

3.25 निर्बाध (खुली) पहुंच की पात्रता रखने वाले उपभोक्ता जो इस व्यवस्था हेतु विकल्प प्रदान कर रहे हैं, के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्बाध (खुली) पहुंच प्रणाली हेतु विकल्प प्रदान करने वाले उपभोक्ताओं की मात्रा तथा संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के निर्बाध (खुली) पहुंच प्रणाली में स्थानान्तरण के साथ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तथा इस प्रकार विद्युत वितरण कम्पनियों पर सर्वतोमुखी विद्युत आपूर्ति आबंध (universal supply obligation) के अनुपालन हेतु अप्रयुक्त विद्युत (stranded power) के क्षमता प्रभारों का अतिरिक्त भार भी वहन करना पड़ता है।

3.26 अन्य राज्यों में भी, तत्संबंधी आयोगों द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा स्थानान्तरण के प्रभाव पर विचार करते हुए तथा अन्य आंकड़ों के आधार पर भी विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के बाद अतिरिक्त अधिभारों को अधिरोपित किये जाने हेतु पृथक आदेश पारित किये जा चुके हैं।

3.27 राष्ट्रीय विद्युत नीति की कण्डिका 5.8.3, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(4) के साथ–साथ मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2005 की कण्डिका 13.1 में विहित प्रावधानों के प्रकाश में, याचिकाकर्ताओं द्वारा माह सितम्बर, 2020 से माह अगस्त 2021 से प्राप्त होने वाले पिछले 12 माह के अन्तिम आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016 में विनिर्दिष्ट प्रति राज्यानुदान अधिभार के उद्ग्रहण के अतिरिक्त वार्षिक आधार पर राज्य के निर्बाध (खुली) पहुंच के उपभोक्ताओं हेतु वार्षिक आधार पर अतिरिक्त अधिभार का अवधारण किया गया।

3.28 याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त अधिभार की संगणना समर्पित विद्युत (surrendered power) की भारित औसत मासिक स्थाई दर पर विचार करते हुए की है जो समर्पित विद्युत से संबद्ध विद्युत उत्पादन केन्द्र की दैनिक भारित स्थाई दर पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त अधिभार की गणना निम्न तालिका में दर्शायेनुसार की है :

तालिका 136 : याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अतिरिक्त अधिभार की संगणना

सरल क्रमांक	माह	ऊर्जा की पात्रता (मिलियन यूनिट)	अनुसूचित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	समर्पित की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	अनुप्रयोग की गई प्रभावी स्थाई लागत (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)	निर्बाध (खुली) पहुंच यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	निर्बाध (खुली)पहुंच के कारण समर्पित ऊर्जा की लागत (करोड़ रूपये)
1	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6**	**7**	**8=(7*6)**
1	सितम्बर–20	5,736.50	4,624.32	1,112.19	1.31	44.53	5.81
2	अक्टूबर–20	6,366.91	5,552.34	814.57	1.41	46.57	6.56
3	नवम्बर–20	6,851.43	5,948.10	903.32	1.72	45.32	7.78

सरल क्रमांक	माह	ऊर्जा की पात्रता (मिलियन यूनिट)	अनुसूचित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	समर्पित की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	अनुप्रयोग की गई प्रभावी स्थाई लागत (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)	निर्बाध (खुली) पहुंच यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट)	निर्बाध (खुली)पहुंच के कारण समर्पित ऊर्जा की लागत (करोड़ रूपये)
4	दिसम्बर–20	6,986.84	5,936.68	1,050.17	1.58	66.54	10.36
5	जनवरी–21	7,377.39	6,269.30	1,108.09	1.81	47.98	8.67
6	फरवरी–21	6,027.31	5,501.57	525.74	1.66	33.49	5.57
7	मार्च–21	7,085.87	6,418.67	667.21	1.52	43.26	6.58
8	अप्रैल–21	6,818.41	6,147.33	671.08	1.64	34.03	5.56
9	मई–21	6,025.22	4,982.92	1,042.30	1.23	32.74	4.03
10	जून–21	5,216.93	4,497.27	719.66	1.38	40.37	5.58
11	जुलाई–21	5,952.45	5,420.50	531.95	1.61	41.52	6.68
12	अगस्त–21	5,364.43	4,991.98	372.44	1.54	38.06	5.84
योग		**75,809**	**66,290**	**9,518.72**		**514.40**	**79.04**
निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा देय अतिरिक्त अधिभार (Additional surcharge) (रू प्रति यूनिट) (8)/(7)							**1.54**

3.29 इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा आहरित विद्युत हेतु रू 1.54 पैसे प्रति यूनिट के अतिरिक्त अधिभार का अवधारण करते हुए आयोग द्वारा इसे खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से या इसकी प्रयोज्यता की तिथि से प्रभावशील किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.30 आयोग ने याचिकाकर्ताओं तथा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतिकरण पर विचार राष्ट्रीय विद्युत नीति की कण्डिका 5.8.3, टैरिफ नीति, 2016 की कण्डिका 8.5 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(4) को दृष्टिगत रखते हुए किया है। आयोग द्वारा अवधारित अतिरिक्त अधिभार को उद्ग्रहण टैरिफ नीति, 2016 में विनिर्दिष्ट प्रतिराज्यानुदान अधिभार के अतिरिक्त अधिरोपित किया जाएगा।

3.31 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि अतिरिक्त अधिभार के अवधारण हेतु अपनाई जा रही वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार, आने वाले वर्षों में प्रभारों में उल्लेखनीय अन्तर हो सकता है तथा यह भी कि निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता अनुकूलतम ढंग से अपनी अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) को नियोजित करने में समर्थ न हों। अतएव, विनियामक सुनिश्चितता लाने हेतु आयोग ने अवधारित किये जा रहे अतिरिक्त अधिभार के रूप में अपेक्षाकृत सरल क्रियाविधि अपनाई है।

3.32 नवीन क्रियाविधि के अनुसार आयोग ने अतिरिक्त अधिभार की गणना ताप विद्युत संयंत्रों के औसत प्रति यूनिट स्थाई प्रभार पर विचार करते हुए की है। अतिरिक्त अधिभार की संगणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 137 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अतिरिक्त अधिभार का अवधारण

सरल क्रमांक	विवरण	संदर्भ	यूनिट	राशि
1	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ताप विद्युत उत्पादन स्त्रोतों की स्थाई लागत	A	करोड़ रूपये	10,879.41
2	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपलब्ध कुल मिलियन यूनिट संख्या	B	मिलियन यूनिट	90,278.96
3	**वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की भारित औसत प्रति यूनिट स्थाई लागत (WT Avg per unit FC)**	**C=A/B**	**रूपये प्रति किलोवाट ऑवर**	**1.21**
4	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल प्रक्षेपित बैक डाउन/आरएसडी आयतन	D	मिलियन यूनिट	8,208.84
5	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पूर्व वर्ष के वास्तविक पर आधारित प्रक्षेपित निर्बाध पहुंच आयतन	E	मिलियन यूनिट	514.40
6	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु बैकडाउन/आरएसडी आयतन से संबद्ध स्थाई लागत	F=E*C/10	करोड़ रूपये	61.99
7	**प्रति यूनिट अतिरिक्त अधिभार {निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को लागू}**	**G=F/E**	**रूपये प्रति किलोवाट ऑवर**	**1.21**

3.33 इस प्रकार आयोग ने प्रयोज्य विनियमों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार का अवधारण रू 1.21 प्रति यूनिट की दर से किया है जो इस खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश की प्रयोज्यता की तिथि से लागू होगा।

ए 4 : हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submissions)

4.1 उपभोक्ताओं से शून्य–कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर त्वरित परिवर्तन हेतु मांग में वृद्धि हो रही है। विश्व की 175 से भी अधिक सर्वाधिक प्रभावशाली कम्पनियों द्वारा वैश्विक निगमित नेतृत्व उपक्रमण (global corporate leadership initiative), 'RE100' के माध्यम से ऐसी वचनबद्धता पूर्व ही से की जा चुकी है। इसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की मांग में वृद्धि का अभियान चलाया जा रहा है तथा वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत जीवाश्म ईंधनों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति मांग प्रतिमानों में परिवर्तन का सृजन किया जा रहा है। गूगल तथा आटोडेस्क मात्र कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनके द्वारा अब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है तथा वर्तमान में ये कम्पनियां शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा ऊर्जित की जा रही है। वे अपने हितधारकों को, जिनमें पूंजी निवेशक, ग्राहक तथा नीति निर्धारक भी शामिल हैं, के समक्ष यह प्रमाणित कर रही हैं कि वे भविष्य में ऐसे व्यवसायों में उज्जवल भविष्य का अवलोकन कर रही है जिनमें व्यवसाय नवीकरणीय संसाधनों द्वारा संचालित किये जाते हैं।

4.2 भारत सरकार भी बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है तथा वर्ष 2022 तक उसके द्वारा 175 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय निगमित निकाय (Indian Corporates) भी सरकार के इस आक्रामक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निगमित नागरिकों (Corporate Citizens) के रूप में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं जिस हेतु उनके बारे में अन्य परिणामी प्रलाभ यह भी है कि वे शून्य कार्बन कम्पनियां हैं।

4.3 निगमित उपभोक्ताओं द्वारा निर्बाध पहुंच क्रियाविधि के अधीन जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का विकल्प पूर्व ही से दिया जा चुका है। तथापि, अनेक निगमित निकाय ऐसे भी हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से स्वयं को स्त्रोतबद्ध करने की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि या तो वे चालू विनियामक ढांचे के अधीन निर्बाध (खुली) पहुंच प्राप्ति की पात्रता नहीं रखते हैं या फिर उनके पास इस गतिविधि के संचालन हेतु वांछित संसाधन, विशेषज्ञता तथा सामर्थ्य (बैंड विड्थ) उपलब्ध नहीं है।

4.4 महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों के पास उपलब्ध उपरोक्त कार्यकुशलताओं पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं ने आयोग के अनुमोदनार्थ ऐसे उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत आवश्यकता हेतु जो हरित ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति हेतु विकल्प देने के इच्छुक न हों को सामर्थ्य प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस पद्धति को मध्यप्रदेश राज्य में भी लागू किया जाए।

4.5 अपने उपभोक्ताओं की ऊर्जा मांग की पूर्ति हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न विद्युत उत्पादकों के साथ दीर्घ–अवधि तथा लघु–अवधि आधार पर गठबन्धन किये गये हैं जिनमें पारम्परिक ईंधन आधारित विद्युत उत्पादक, जल विद्युत उत्पादक तथा सौर तथा पवन जैसे नवीकरणीय स्त्रोतों के विभिन्न विद्युत उत्पादक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु चालू गठबन्धनों (tie ups) पर यदि विचार किया जाये तो अधिप्राप्त की जा रही विद्युत का लगभग 9 प्रतिशत भाग याचिकाकर्ताओं द्वारा नवीकरणीय विद्युत उत्पादक स्त्रोतों से अधिप्राप्त किया जा रहा है जिसमें जल–विद्युत स्त्रोत शामिल नहीं हैं।

4.6 अतएव ऐसे उपभोक्ता जो शत प्रतिशत हरित ऊर्जा प्राप्त करने के इच्छुक हों उनके लिये याचिकाकर्ता निम्नानुसार प्रस्तावित करता है :

क) याचिकाकर्ता के पास नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता के अध्यधीन उपभोक्ताओं की मांग की आपूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति की अनुमति।

ख) याचिकाकर्ता के पास नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता के अध्यधीन हरित ऊर्जा विद्युत–दर श्रेणी के अध्यधीन शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ताओं को ''प्रथम आओ–प्रथम पाओ'' आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ग) याचिकाकर्तागण उपभोक्ता को मासिक प्रमाण–पत्र जारी करेंगे जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि उनकी शत प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हरित ऊर्जा के माध्यम से की गई है जिसे नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) लक्ष्य की पूर्ति हेतु मान्य नहीं किया जाएगा।

घ) उपरोक्त प्रस्ताव स्वैच्छिक (Voluntary) प्रकृति का होगा जो उपभोक्ता को हरित ऊर्जा हेतु चयन के लिये विकल्प प्रदान करेगा।

ङ) शत प्रतिशत हरित ऊर्जा की आवश्यकता हेतु सामर्थ्य प्रदान करने संबंधी प्रयासों के लिये याचिकाकर्ता संबद्ध श्रेणी की विद्युत–दर प्रयोज्यता के अतिरिक्त ऐसे उपभोक्ताओं से ''हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff)" अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित करता है।

च) हरित ऊर्जा विद्युत–दर के कारण प्राप्त किये गये अतिरिक्त राजस्व को विद्युत आपूर्ति व्यवसाय की विद्युत–दर आय के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा तद्नुसार इसे पूर्ण रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवसाय की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में कमी करने हेतु लेखांकित किया जाएगा।

4.7 आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि हरित ऊर्जा विद्युत–दर (टैरिफ) के निम्न लाभ होंगेः

i) हरित ऊर्जा विद्युत–दर के पूर्ण रूप से स्वैच्छिक प्रकृति का होने के कारण यह उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा का चयन करने हेतु विकल्प प्रदान करेगा।

ii) इससे नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि किये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

4.8 इसके अतिरिक्त, यहां यह उल्लेख किया जाना भी प्रासंगिक होगा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार की प्रदत्त की जा रही सेवा पूर्व ही से कर्नाटक राज्य में प्रचलित है जहां कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी 'BESCOM' हेतु हरित ऊर्जा विद्युत–दर (green power Tariff) अपने तत्संबंधी विद्युत–दर आदेशों (tariff order) में वित्तीय वर्ष 2011–12 से ही अनुमोदित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये हरित ऊर्जा विद्युत–दर के BESCOM टैरिफ आदेश के अनुमोदन का सुसंबद्ध भाग को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"1) Tariff for Green Power:

....

Commission's Analysis & Decision:

The Commission welcomes the new initiative of BESCOM to promote Green Energy and hence, decides to introduce Green Tariff for HT industries & HT Commercial Consumers with Contract Demand of 1 MVA & above in all the ESCOMs. The above Tariff is optional.

The Commission is of the view that, the Consumers who opt for Green Energy should bear the additional power purchase cost of Renewable Energy sources over and above the normal tariff.

Based on the power purchase cost approved for FY-11, the additional average cost for RE source in the State as a whole is worked out as under:

…

As per the existing Tariff schedule, there is no separate category for EHT & HT supply. As such the HT distribution loss has been considered in addition to transmission loss. Accordingly, the Commission determines Green Tariff at Re.1.00 per unit as the additional tariff over and above the normal tariff to be paid by HT-consumers, who opt for Green Tariff."

4.9 उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (डिस्ट्रीब्यूशन) ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) के समक्ष "हरित ऊर्जा विद्युत–दर Green Energy Tariff)" अधिरोपित करने हेतु एक याचिका दाखिल की है जिसके अनुसार ऐसे उपभोक्ता जो अपनी सम्पूर्ण विद्युत मांग की शत प्रतिशत पूर्ति हरित ऊर्जा के माध्यम से करने के इच्छुक हैं, के लिये नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति हेतु अनुमोदन चाहा गया है। इस याचिका में महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने प्रकरण क्रमांक 134, वर्ष 2020 में अपना आदेश दिनांक 22 मार्च 2021 जारी किया है तथा रू 0.66 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर की दर से हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) अवधारित की है जो टैरिफ आदेश के अनुसार तत्संबंधी श्रेणी की सामान्य श्रेणी की विद्युत–दर से अतिरिक्त है। यह विद्युत–दर ऐसे उपभोक्ताओं के लिये अधिरोपित की गई है जो अपनी विद्युत मांग की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु हरित ऊर्जा के माध्यम से किये जाने संबंधी अपना विकल्प प्रस्तुत करते हैं। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है :

क) रू 0.66 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff)जो टैरिफ आदेशों के अनुसार तत्संबंधी श्रेणी की सामान्य विद्युत–दर से अतिरिक्त हैं, ऐसे उपभोक्ताओं पर अधिरोपित की जाए जो अपनी शत प्रतिशत विद्युत मांग की पूर्ति हरित ऊर्जा के माध्यम से किये जाने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

ख) हरित ऊर्जा विद्युत–दर के माध्यम से अर्जित राजस्व को विद्युत आपूर्ति व्यवसाय (Supply Business) की गैर–टैरिफ आय माना जाएगा तथा तद्नुसार इसे पूर्ण रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवसाय की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में से घटाये जाने हेतु पूर्ण रूप से लेखांकित किया जाएगा।

ग) ऐसे समस्त उपभोक्ता (अर्थात् जो अति उच्च वोल्टेज उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज से संबंद्ध हैं) द्वारा हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) का भुगतान करने पर शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का विकल्प होगा।

घ) आयोग 'MTR Proceedings' के समय योजना की समीक्षा कर सकेगा।

4.10 उपरोक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में इस याचिका के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) अधिरोपित करने का एक पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 22 मार्च, 2021 के माध्यम से अन्तिम की गई गणना क्रियाविधि (computation methodology) के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रक्षेपित विद्युत क्रय लागत के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा देय हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) की गणना की गई है जैसा कि इसे निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका 138 : वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई हरित ऊर्जा विद्युत–दर

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति			वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि हेतु गैर–नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति			नवीकरणीय ऊर्जा तथा गैर–नवीकरणीय ऊर्जा दर का अन्तर
मिलियन यूनिट	करोड़ रूपये	रूपये / यूनिट	मिलियन यूनिट	करोड़ रूपये	रूपये / यूनिट	रूपये / यूनिट
A	B	C	D	E	F	G = (C – F)
12,070	5,096	4.22	72,608	13,936	1.92	2.30

4.11 उपभोक्ताओं की विद्युत–दर प्रयोज्यता के अतिरिक्त शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं से वसूल की गई हरित ऊर्जा विद्युत–दर से विद्युत वितरण व्यवसाय की विद्युत–दर आय में वृद्धि होगी जिसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में कमी करने हेतु पूर्ण तथा लेखांकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस पहल द्वारा भारत सरकार की हरित ऊर्जा शुद्ध पर्यावरण (clean environment) तथा समावेशी विकास लक्ष्यों के प्रति दिये गये वचन को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

4.12 उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में तथा उपरोक्त विचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(ट) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2016 के विनियम 45(1) तथा 45(3) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों के सामर्थ्य में ऐसे उपभोक्ताओं के लिये हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) लागू करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन चाहा गया है जो शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

4.13 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक के साथ–साथ जन सुनवाइयों के दौरान भी कुछ हितधारकों द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं हेतु हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने के इच्छुक हैं। ये उपभोक्ता या तो खुली पहुंच (Open Access) के माध्यम से शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते या फिर इस गतिविधि के संचालन हेतु संसाधन, विशेषज्ञता तथा सामर्थ्य (bandwidth) धारित नहीं करते। यह मानते हुए कि प्रस्तावित व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वैच्छिक (Voluntary) प्रकृति की है, आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करने की इच्छा रखता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर सकती है जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अधिदेशों में से एक है।

4.14 उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विश्लेषण किया है। यहां यह संज्ञान में लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ताओं को 'प्रथम आएं, प्रथम पाएं' आधार पर, नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध रहने तक प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता को प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अतिरिक्त रू. 2.30 प्रति किलोवॉट ऑवर की विद्युत–दर भी प्रस्तावित की है। इसके अलावा भी याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तावित किया है कि उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा को उपभोक्ता के नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध के अनुपालन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तद्नुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में निम्नलिखित विशयों का संव्यवहार किये जाने की आवश्यकता होगी :

i) जब तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उपलब्ध कराई जा सके तब तक उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय व्यवस्था के माध्यम से शत प्रतिशत ऊर्जा की अधिप्राप्ति को अनुज्ञेय करना

ii) उपभोक्ता द्वारा अधिप्राप्त की गई नवीकरणीय ऊर्जा का संव्यवहार

iii) हरित ऊर्जा विद्युत–दर का अवधारण

4.15 आयोग ने उपरोक्त विषयों का संव्यवहार निम्न अनुच्छेद में किया है :

जब तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उपलब्ध कराई जा सके तब तक उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति को अनुज्ञेय करना

4.16 यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा 'प्रथम आएं–प्रथम पाएं' आधार पर तब तक उपलब्ध कराई जाएगी जब तक नवीकरणीय ऊर्जा याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध रहती है। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के उत्तर में निवेदन किया कि यदि विद्यमान बन्धित क्षमता ऐसी विद्युत के प्रदाय हेतु पर्याप्त न हो तो उनके द्वारा अतिरिक्त नवीकरणीय विद्युत की व्यवस्था की जाएगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क उनके द्वारा प्रस्तुत मूल आधार से हटकर है।

4.17 याचिकाकर्ताओं ने उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के आधार पर शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की पूर्ति अधिमूल्य (प्रीमियम) पर किया जाना प्रस्तावित किया है। चूंकि यह एक नवीन प्रस्ताव है जिस हेतु मध्यप्रदेश राज्य के पास किसी प्रकार का पूर्व अनुभव नहीं है, अतएव संभावित विद्युत मांग के बारे में विद्युत की अधिमूल्य पर प्राप्ति की जाने संबंधी अवधारणा करना संभव नहीं है। अतएव इस प्रक्रम पर उपलब्धता से अधिक अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता को निर्धारित (quantify) करना संभव नहीं है। अतएव इस प्रक्रम पर यह युक्तिसंगत होगा कि वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु की गई गणना की सीमा के अनुसार ही अनुज्ञप्तिधारियों के पास नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता को सीमित रखा जाए।

उपभोक्ताओं द्वारा अधिप्राप्त की गई नवीकरणीय ऊर्जा का संव्यवहार

4.18 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं के प्रस्ताव के अनुसार प्रदाय की गई शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा को उपभोक्ता के नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) के प्रति मान्य नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिप्राप्त की गई नवीकरणीय ऊर्जा को वचनबद्ध संस्थाओं (obligated entities) हेतु 'RPO' के अनुपालन हेतु विचार नही किया जा सकता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने उपभोक्ताओं की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु अधिदेशित (mandated) हैं। यह भी एक तथ्य है कि यह आवश्यक नही है कि शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के समस्त उपभोक्ता वचनबद्ध संस्थाएं हों। अतएव, आयोग का यह मत है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई नवीकरणीय ऊर्जा को केवल याचिकाकर्ताओं के 'RPO' अनुपालन के प्रति ही मान्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि उपभोक्ता भी एक वचनबद्ध संस्था/इकाई है तो वह 'RPO' के अनुपालन के प्रति पृथक से अपनी स्वयं की व्यवस्था कर सकता है।

हरित ऊर्जा विद्युत–दर का अवधारण (Determination of Green Energy Tariff)

4.19 जैसा कि अनुच्छेद 4.10 में दर्शाया गया है, याचिकाकर्ताओं ने रू. 2.30 प्रति किलो ऑवर की दर से हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया है जो मूल रूप से नवीकरणीय ऊर्जा अधिप्राप्ति की भारित औसत दर तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा अधिप्राप्ति की भारित ऊर्जा प्रभार दर का अन्तर है। यह पाया

गया है कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव भी अन्य विद्युत नियामक आयोग के दृष्टिकोण से संरेखित है।

4.20 अनुज्ञप्तिधारी से शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धि हेतु प्राप्त विशेष अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किये गये के अनुरूप कुछ अधिमूल्य राशि (प्रीमियम) अधिरोपित की जाए। यह भी संज्ञान में लिया गया हे कि अतिरिक्त राजस्व जो इस व्यवस्था (regime) के माध्यम से प्राप्त होगा, को विद्युत–दर के माध्यम से उपभोक्ताओं को अन्तरित कर दिया जाएगा।

4.21 इसके अतिरिक्त, आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ङ) के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु अधिदेशित है। अतएव आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) को नवीकरणीय ऊर्जा के भारित औसत प्रभार तथा गैर–नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के ऊर्जा प्रभार की भारित औसत दर के अन्तर के 50% के रूप में निर्धारित किया है जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 139 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमोदित हरित ऊर्जा विद्युत–दर

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति			वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि हेतु गैर–नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति			नवीकरणीय ऊर्जा तथा गैर–नवीकरणीय ऊर्जा का अन्तर	अनुमोदित हरित ऊर्जा विद्युत–दर
मिलियन यूनिट	करोड़ रूपये	रूपये / यूनिट	मिलियन यूनिट	करोड़ रूपये	रूपये / यूनिट	रूपये / यूनिट	रू प्रति यूनिट
A	B	C	D	E	F	G = (C – F)	H=G*50%
14,625.42	6,051.10	4.14	71,070.76	13,328.04	1.88	2.26	1.13

4.22 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत के क्रय से अर्जित राजस्व को सत्यापन के समय विद्युत–दर (टैरिफ) आय माना जाएगा। राजस्व राशि के इस प्रकार के संव्यवहार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इसका प्रलाभ(benefit) राज्य के अन्य उपभोक्ताओं को घटी हुई लागत के रूप में अन्तरित किया जाए।

4.23 यहां इस बात को संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि उपरोक्त व्यवस्था ऐच्छिक (optional) / स्वैच्छिक (voluntary) है तथा इसे केवल उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर ही उसे उपलब्ध कराया जा जा सकेगा। हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) केवल उसी दशा में प्रयोज्य होगी जब उपभोक्ता इस व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युत प्राप्त करने का इच्छुक हो। समस्त राज्य में योजना को समान रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आवश्यक रूपात्मकताओं (modalities), दिशा–निर्देशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो, का अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निराकरण तैयार किया जाएगा तथा इस बारे में जानकारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा।

ए 5 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार (Fuel Cost Adjustment Charge)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submission)

5.1 विद्यमान ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment-FCA) की वसूली एक त्रैमासिक क्रियाविधि है जिसके अन्तर्गत एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी (एमपीपीएमसीएल) ईंधन लागत समायोजन (FCA) प्रभारों की गणना त्रैमासिक आधार पर करती है तथा इसकी विस्तृत गणना आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात् आयोग ईंधन लागत समायोजन प्रभारों (FCA Charges) का अनुमोदन करता है जिसे तद्नन्तर अनुज्ञप्तिधारियों के खुदरा उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किया जाना अनुज्ञेय किया जाता है। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि विद्यमान ईंधन लागत समायोजन वसूली क्रियाविधि जिसमें आयोग की पूर्व अनुमति सन्निहित होती है विद्युत क्रय लागत हेतु वहन की गई न्यायसंगत लागतों की वसूली को विलम्बित कर रहा है जिसके फलस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों को उल्लेखनीय तौर पर कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की उच्च राशि वहन करनी होती है।

5.2 आगे, आगामी नियन्त्रण अवधि के अनुवर्ती वर्षों के लिए ईंधन लागत समायोजन प्रभारों की वसूली मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियों तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के विनियम 9 द्वारा नियन्त्रित की जाती है। कथित विनियम के प्रावधान विद्यमान ईंधन लागत समायोजन वसूली क्रियाविधि ही के अनुरूप हैं जिनके अनुसार माना जा सकता है कि 'n' माह के ईंधन लागत समायोजन प्रभारों को 'n+4' माह के दौरान अधिरोपित किया जाना अनुज्ञेय किया जाता है।

5.3 आगे, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विद्युत उत्पादन कम्पनियां अपने देयक मासिक आधार पर प्रस्तुत करती चली आ रही हैं तथा तत्संबंधी विद्युत क्रय अनुबन्धों (PPAs) के अनुशासी (गवर्निंग) प्रावधान के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को इस राशि का भुगतान विद्युत उत्पादकों अथवा ट्रांसमिशन कम्पनियों को निर्धारित अवधि के भीतर करना अनिवार्य है जबकि विद्युत वितरण कम्पनियों के खुदरा उपभोक्ताओं से इस राशि की वसूली सामान्यतः 4 से 5 माह के पश्चात् हो पाती है। इसके विरूद्ध विद्युत वितरण कम्पनियों से केवल दो माह की मानदण्डीय कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताएं ही उसकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के अन्तर्गत अनुज्ञेय की गईं। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के कारण मानदण्डीय समयावधि के पश्चात् ब्याज की वसूली में विलम्ब के कारण अतिरिक्त ब्याज लागत को वहन करना होता है जो अन्ततः विद्युत उपभोक्ता के लिये बढ़ी हुई विद्युत क्रय लागत का कारण बनता है जिसे उसे (उपभोक्ता को) वहन करना होता है।

5.4 आगे, ईंधन लागत समायोजन की गणना निर्दिष्ट सूत्र में सम्पूर्ण विद्युत क्रय लागत का अभिग्रहण (capture) नहीं करती है। इसमें केवल विद्युत क्रय लागतों के परिवर्तनीय प्रभार घटक को ही सम्मिलित किया जाता है। ऐसे में विद्युत वितरण कम्पनियों को प्रत्येक त्रैमास में ईंधन लागत समायोजन (FCA) के माध्यम से कुल विद्युत क्रय लागत में परिवर्तन की वसूली से वंचित किया जा रहा है तथा तत्संबंधी वर्ष की समाप्ति तक विद्युत क्रय लागतों के कारण परिवर्तन (variation) की राशि बढ़ती चली जाती है जब तक लेखों को अन्तिम रूप से अंकेक्षित तथा प्रमाणित नहीं कर दिया जाता जिससे विद्युत वितरण कम्पनियों पर वित्तीय बोझ में वृद्धि होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त, तत्संबंधी लागत के सत्यापन के समय विद्युत वितरण कम्पनियों को इस वसूली से वंचित लागत (uncovered cost) के विरूद्ध ढुलाई लागत (carrying cost) के दावे की अनुमति प्रदान नहीं

की जाती है क्योंकि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में प्रदत्त ढुलाई लागत के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5.5 इसके अतिरिक्त, प्रचलित ईंधन लागत समायोजन सूत्र में धनात्मक विद्युत क्रय लागत (Incremental Power Purchase Cost) की वसूली को शामिल नहीं किया जाता है जिसके अन्तर्गत विद्युत का क्रय ऐसे कारकों के अन्तर्गत किया जाता है जो उनके नियन्त्रण से परे हैं तथा जिनमें शामिल हैं टैरिफ आदेश के अन्तर्गत चिन्हित स्त्रोतों से विद्युत आपूर्ति में कमी जिसके अनुसार उन्हें विद्युत बाजार अथवा अन्य स्त्रोतों से मांग की पूर्ति हेतु विद्युत का क्रय उच्चतर दरों पर करना होता है। विद्युत वितरण कम्पनियां अपनी टैरिफ याचिका में आयोग को निरन्तर उपरोक्त मुद्दों के निराकरण के बारे में नियमित रूप से ईंधन लागत समायोजन सूत्र (FCA formula) में उपयुक्त संशोधन प्रदान करने हेतु अनुरोध करती चली आ रही हैं। आगे, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अपने टैरिफ आदेश में दी गई अपनी व्यवस्था में यह अभिस्वीकृति दी है कि विनियमों में निश्चित तौर पर ईंधन लागत समायोजन को अधिरोपित करने के अलावा धनात्मक (incremental) विद्युत क्रय लागतों को अनुज्ञेय किये जाने संबंधी प्रावधान है। तथापि, आयोग ने किसी अतिरिक्त बोझ को अन्तरित (pass through) न करने बाबत निर्णय लिया है जिसके अनुसार तर्क (rationale) यह दिया गया है कि विद्युत क्रय लागतों में वृद्धि/कमी के कारण इसके उल्लेखनीय भाग का ध्यान ईंधन लागत समायोजन के अधिरोपण (levy) द्वारा रखा जाता है जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया जाता है।

5.6 चूंकि विद्यमान क्रियाविधि एक प्रकार से स्वचालित अन्तरण (automatic pass through) नहीं है, आयोग द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना अभी भी शेष है। विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार ने अपना अनुशंसा पत्र क्रमांक 23/23/2021–R&R दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को जारी किया है जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र की व्यवहार्यता (viability) सुनिश्चित करने हेतु तत्संबंधी राज्य आयोग के टैरिफ में ईंधन तथा विद्युत क्रय लागत के स्वचालित अन्तरण हेतु क्रियाविधि प्रतिपादित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। कथित पत्र के सार का हिन्दी संस्करण निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

> " ....
>
> *7. कुछ राज्यों में ईंधन अधिभार समायोजन हेतु सूत्र पूर्व ही से प्रचलित है जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट ईंधन अधिभार सूत्र की अद्यतन स्थिति संबंधी राज्यवार सूची संलग्न है। यह कार्रवाई APTEL के आदेश के अनुपालन में राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा फोरम ऑफ रेगुलेटर्स को प्रस्तुत सूचना के अनुसार है। तथापि, यह एक स्वचालित अन्तरण (automatic pass through) नहीं है तथा यह भी कि राज्य आयोग द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना अभी भी शेष है। वर्तमान क्रियाविधि का परिणाम विलम्ब के रूप में समक्ष आता है। विधि में परिवर्तन/राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार विद्युत क्रय लागतों के कारण लागतों में विद्युत–दर में परिवर्तन स्वचालित अन्तरण के प्रावधान द्वारा किया जा सकता है। विधि/विद्युत क्रय लागतों के घटित होने पर जब कभी भी लागतों में परिवर्तन होगा तो विद्युत वितरण कम्पनियां कथित सूत्र के अनुसार लागतों में परिवर्तन को अन्तरित कर सकेंगी। जब तक राज्य के आयोगों द्वारा उपयुक्त सूत्र निर्दिष्ट न कर दिया जाए तब तक "Electricity (Timely Recovery of Costs due to change of Law) Rules, 2021"में दिये गये सूत्र को अपनाया जा सकता है। अन्तरण को*

प्रभावशील बनाने के पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सुसंबद्ध पत्रों/गणना पत्रों (calculation sheets) को आयोगों को प्रेषित किया जाएगा जो अन्तरण (pass through) को 60 दिवस के भीतर इसे सत्यापित तथा पुष्टि करेंगे।इसका परिणाम विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपेक्षाकृत कम कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं के रूप में समक्ष आएगा जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता पर विद्युत की लागतों का कम बोझ आएगा।

....

9. राज्य आयोगों से अनुरोध है कि वे तात्कालिक प्रभाव से परिचालन की उपरोक्त क्रियाविधि को संस्थापित करें {प्रभाव को जोड़कर}।''

5.7 उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि वे विद्यमान ईंधन लागत समायोजन (FCA) वसूली क्रियाविधि में वांछित परिवर्तनों को प्रस्तावित करने के लिये एक पृथक याचिका दाखिल करेंगे। आगे, यह भी कि जब तक वांछित परिवर्तन प्रस्तावित तथा अन्तिम न कर दिये जाएं, याचिकाकर्ताओं ने आयोग से अनुरोध किया कि उन्हें ईंधन लागत समायोजन प्रभार प्रचलित विनियमों के अनुसार वसूली करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

5.8 आयोग ने याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया है। सुसंबद्ध विनियमों में ईंधन लागत समायोजन (FCA) के अधिरोपण के अतिरिक्त धनात्मक विद्युत क्रय लागतों को भी अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान भी किया गया है। तथापि, आयोग का सम्प्रति यह मत है कि वर्तमान में केवल ईंधन लागत समायोजन (FCA) की वसूली/समायोजन को ही अनुज्ञेय किया जाए तथा चालू टैरिफ अवधि के दौरान उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जाना उचित न होगा। इस मद के अन्तर्गत, किन्ही भी अतिरिक्त लागतों पर विचार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, विधिवत युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के पश्चात् किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्रय लागतों में वृद्धि/कमी के कारण इसके समुचित भाग को ईंधन लागत समायोजन के अधिरोपण द्वारा ध्यान में रखा गया है। अतएव, आयोग ने केवल त्रैमासिक ईंधन लागत समायोजन प्रभार को ही अनिवार्य रूप से जारी रखे जाने के बारे में निर्णय लिया है।

5.9 बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों, 2021 के विनियम 9 को दृष्टिगत रखते हुए आयोग एतद् द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट अनुसार ईंधन लागत समायोजन सूत्र को मय इससे संबद्ध क्रियाविधि/औपचारिकताओं के विवरणों के साथ जारी रखे जाने का निर्णय लेता है।

5.10 आगे, याचिकाकर्ता द्वारा ईंधन लागत समायोजन की दर तथा कुल राशि उपभोक्ता देयकों में पृथक से दर्शाई जाएगी।

इसे समझने के उद्देश्य से निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है :

यदि ''बिलिंग त्रैमास'' माह ''जुलाई से सितम्बर'' माना जाए तो ''पिछले त्रैमास (preceding quarter)'' का तात्पर्य माह ''फरवरी से अप्रैल'' से होगा और मई तथा जून के महीनों की अवधि को आंकड़ों/विवरणों को एकत्र करने तथा ईंधन लागत समायोजन प्रभार को अंतिम करने हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

5.11 पीजीसीआईएल प्रणाली तथा एमपीपीटीसीएल प्रणाली हेतु मानदण्डीय हानियों से संबंधित विवरण तथा आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार मानदण्डीय हानियों के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 140 : मानदण्डीय हानियां–पीजीसीआईएल प्रणाली, एमपीपीटीसीएल प्रणाली तथा वितरण हानियों के संबंध में

मास / वर्ष	अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां*(%)	राज्यान्तरिक पारेषण हानियां**(%)	वितरण हानियां***(%)
अप्रैल–2021	3.28%	2.62%	15.69%
मई–2021	3.49%	2.62%	15.69%
जून–2021	3.16%	2.62%	15.69%
जुलाई–2021	3.03%	2.62%	15.69%
अगस्त–2021	3.28%	2.62%	15.69%
सितम्बर–2021	3.15%	2.62%	15.69%
अक्टूबर–2021	3.24%	2.62%	15.69%
नवम्बर–2021	3.40%	2.62%	15.69%
दिसम्बर–2021	3.84%	2.62%	15.69%
जनवरी–2022	4.06%	2.62%	15.69%
फरवरी–2022	3.55%	2.62%	15.69%
मार्च–2022	3.49%	2.62%	15.69%

*दिनांक 4 मई 2020 को जारी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 'CERC (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) Regulations,2020 की कण्डिका 10 के अनुसार ISTS हेतु पारेषण हानियों की गणना प्रत्येक सप्ताह हेतु सोमवार से रविवार तक अखिल भारतीय औसत आधार पर की जाएगी।

** पारेषण हानियां मध्यप्रदेश राज्य सीमा पर किये गये विद्युत आहरण (input) पर आधारित है।

*** वितरण हानियां विद्युत वितरण कम्पनियों की सीमा पर विद्युत के आहरण (input) पर आधारित है।

ए 6 : खुदरा विद्युत–दर रूपांकन (Retail Tariff Design)

कानूनी स्थिति (Legal Position)

6.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा धारा 62 द्वारा प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयोग ने याचिकाकर्ताओं की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) का अवधारण वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की नियन्त्रण अवधि हेतु और विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु किया है।आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं, हितधारकों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों/राज्य सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों तथा अन्य समस्त सुसंगत सामग्री (अभिलेखों) पर यथोचित विचार किया गया है। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय, आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003, टैरिफ नीति वर्ष 2016 तथा सुसंगत विनियमों पर भी यथोचित विचार किया है।

विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग का दृष्टिकोण (Commission's Approach to Tariff Design)

6.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 की नियन्त्रण अवधि के लिये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) का अवधारण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट किये गये वितरण हानि स्तर पर प्रक्षेपवक्र (Distribution Loss level trajectory) के आधार पर किया गया है तथा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये एक समान विद्युत–दर (uniform tariff) का अवधारण किया गया।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता (Linkage to Average Cost of Supply)

6.3 माननीय एप्टेल (Appelate Tribunal for Electricity-APTEL)द्वारा अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 तथा आईए क्रमांक 137 तथा 138, वर्ष 2010 के अन्तर्गत पारित निर्णय में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का अवधारण करने संबंधी निर्देश दिये। इस बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय एप्टेल के उपरोक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई है। तथापि, आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने माननीय एप्टेल द्वारा प्रदत्त क्रियाविधि के अनुसार विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना के विवरण भी प्रस्तुत किये हैं।

6.4 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु वोल्टेजवार मानदण्डीय हानियों का पृथक्करण किये जाने का प्रावधान नहीं करते। याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि वोल्टेजवार हानियों का अवधारण किये जाने के लिये विद्युत वितरण तंत्र (disribution network) का विस्तृत तकनीकी अध्ययन किये जाने की आवश्यकता होगी। अतएव, विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की निदर्शी संगणना हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा वोल्टेजवार हानियों की अवधारणा की गई है ; ऐसे में इसके अन्तर्गत आंकड़ों का यथोचित रूप से सत्यापन भी नहीं किया गया है। अतएव, इन पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।

6.5 उपरोक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने प्रतिबन्धों के बावजूद हानियों की वोल्टेजवार लागत के पृथक्करण तथा पूंजीगत व्यय संबंधी लागतों के बारे में विद्युत प्रदाय वोल्टेजवार लागत पर आधारित अनुमानित श्रेणीवार प्रतिराज्यानुदान (Cross Subsidy) की गणना का प्रयास किया है। जैसा कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता है, माननीय एप्टेल का निष्कर्ष है कि टैरिफ नीति का यह अधिदेश प्रतिराज्यानुदान को विद्युत प्रदाय की समग्र लागत के (+/–) 20 प्रतिशत के अन्तर्गत रखा जाए, का अनुप्रयोग श्रेणीवार खुदरा विद्युत–दर के अवधारण हेतु किया जा सकता है। तथापि, विद्युत प्रदाय की

वोल्टेजवार लागत के अवधारण की आवश्यकता आयोग को विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर उसे चालू प्रतिराज्यानुदान का मूल्यांकन करने में समर्थ बनाने में निहित है। ऐसे में, आयोग को विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का मार्गदर्शन उसे विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर शनैः–शनैः प्रतिराज्यानुदान को कम करने हेतु प्राप्त होता है।

वांछित आंकड़ों के अभाव में, माननीय एप्टेल द्वारा यह भी परामर्श दिया गया है कि विद्युत क्रय लागत जो विद्युत वितरण कम्पनियों की लागतों का मुख्य घटक है, को तत्संबंधी वोल्टेज स्तरों पर विक्रय तथा हानियों के अनुपात में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। जहां तक अन्य लागतों, जैसे कि पूंजी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, अवमूल्यन, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा प्रचालन एवं संधारण लागतों का संबंध है, इन लागतों को समेकित (pooled) किया जा सकता है तथा इनका समस्त वोल्टेज स्तरों पर बराबर अनुपात में आनुपातिक विभाजन किया जा सकता है।

6.6 आयोग याचिकाकर्ताओं के इस कथन से सहमत है कि वोल्टेजवार हानियों के अवधारण के लिये वितरण नेटवर्क के विस्तृत तकनीकी अध्ययनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत पर आधारित श्रेणीवार प्रतिसहायतानुदान की गणना हेतु प्रथम कदम के रूप में आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विधि के आधार पर इसके अवधारण का प्रयास किया है। इस प्रकार गणना किये गये श्रेणीवार प्रतिसहायतानुदान प्रकृति से निर्देशात्मक (indicative) है तथा परिशुद्ध (accurate) नहीं है क्योंकि इस हेतु आधार आंकड़ों की यथोचित रूप से वास्तविक आधार पर गणना किये जाने की आवश्यकता होगी। आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण हेतु निम्न क्रियाविधि अपनाई गई है:

(i) विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना केवल 33 केवी से अधिक तथा 33 केवी से कम एवं 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) श्रेणियों के लिये ही की गई है।

(ii) 33 केवी एवं 33 केवी से अधिक तथा 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) श्रेणियों के विद्युत विक्रय के आंकड़े जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, माने गये हैं।

(iii) याचिकाकर्ताओं की समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां वही मानी गई हैं जैसा कि वे वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु यथासंशोधित बहुवर्षीय टैरिफ विनियम 2021 में निर्दिष्ट की गई हैं।

(iv) आयोग द्वारा स्वीकृत की गई समग्र हानियों को उपरोक्त दर्शाये 33 केवी से अधिक, 33 केवी तथा 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) को उसी अनुपात में वोल्टेजवार पृथक्कृत किया गया है जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है।

(v) विद्युत वितरण कम्पनी की सीमा पर उपरोक्त 33 केवी से अधिक, 33 केवी तथा 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) विद्युत क्रय लागतों को वोल्टेजवार आहरित ऊर्जा (input energy) के अनुसार माना गया है। विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य समस्त लागतों को वोल्टेजवार स्तर पर विक्रय के आधार पर आवंटित किया गया है।

(vi) विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना हेतु प्राप्त की गई वोल्टेजवार कुल लागत को वोल्टेजवार विक्रय से विभाजित किया गया है।

6.7 उपरोक्त क्रियाविधि के आधार पर, आयोग ने निर्देशात्मक वोल्टेजवार (indicative voltage wise) विद्युत प्रदाय की लागत तथा समरूप प्रतिराज्यानुदान की गणना की है जिसे निम्न दर्शायेनुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 141 : राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये विद्युत प्रदाय लागत की वोल्टेजवार संगणना

राज्य संबंधी	इकाई	अति उच्च दाब प्रणाली (400 केवी, 220 केवी, 132 केवी तथा 66 केवी)	33 केवी प्रणाली	11 केवी + निम्न दाब प्रणाली	योग
स्वीकृत विक्रय (sales admitted)	मिलियन यूनिट	5,583.76	8,021.98	55,195.91	68,801.64
याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां	प्रतिशत में	4.46%	5.06%	8.92%	19.71%
स्वीकृत की गई आहरित ऊर्जा (Energy input admitted)	मिलियन यूनिट	5,844.42	8,843.96	71,007.79	85,696.18
स्वीकृत की गई ऊर्जा की हानि (33 केवी और 11 केवी तक तकनीकी+निम्न दाब–तकनीकी तथा वाणिज्यिक)	मिलियन यूनिट	260.66	821.99	15,811.88	16,894.53
वाणिज्यिक हानि जिसे 11 केवी हेतु 50% तथा निम्न दाब हेतु समग्र माना गया है	मिलियन यूनिट			7,905.94	
समस्त वोल्टेजों के लिये संविभाजित (apportioned) वाणिज्यिक हानियां, वोल्टेजवार स्वीकृत विक्रय के अनुपात में	मिलियन यूनिट	641.63	921.80	6,342.52	7,905.94
स्वीकृत की गयी शुद्ध ऊर्जा की हानि	मिलियन यूनिट	902.29	1,743.79	14,248.46	16,894.53
विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार गणना हेतु ऊर्जा का शुद्ध आहरण	मिलियन यूनिट	6,486.05	9,765.76	69,444.37	85,696.18
विद्युत क्रय लागतें–वोल्टेजवार शुद्ध ऊर्जा आहरण के आधार पर आवंटित	करोड़ रूपये	2,782.33	4,189.24	29,789.67	36,761.23
अन्य लागतें–वोल्टेजवार विद्युत विक्रय के आधार पर आवंटित	करोड़ रूपये	602.59	907.29	6,451.76	7,961.64
घटायें : अन्य आय–वोल्टेजवार विक्रय के आधार पर आवंटित	करोड़ रूपये	44.33	66.75	474.63	585.70
पूर्व वर्षों की वसूलियां	करोड़ रूपये	138.79	208.97	1,486.00	1,833.76
वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल लागतें (सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी)	**करोड़ रूपये**	**3,479.38**	**5,238.75**	**37,252.80**	**45,970.94**
विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत (VCoS)	**रूपये/यूनिट**	**6.23**	**6.53**	**6.75**	**6.68**

6.8 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत पर आधारित उपभोक्ता श्रेणीवार अनुमानित प्रतिराज्यानुदान (क्रॉस सब्सिडी) की राशि निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

तालिका 142 : सम्पूर्ण राज्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वोल्टेजवार लागत पर आधारित प्रतिराज्यानुदान (क्रास सब्सिडी)

श्रेणी			विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत (रूपये प्रति यूनिट)	औसत बिलिंग दर (रूपये प्रति यूनिट)	औसत बिलिंग दर तथा विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का अनुपात (%)
LV-1	:	घरेलू	6.75	6.36	94%
LV-2	:	गैर–घरेलू	6.75	9.14	135%
LV-3	:	सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ– प्रकाश	6.75	6.94	103%
LV-4	:	निम्न दाब उद्योग	6.75	9.65	143%
LV-5	:	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	6.75	5.91	88%
LV-6	:	विद्युत वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	6.75	6.02	89%
HV-1	:	रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	6.23	5.23	84%
HV-2	:	कोयला खदानें (कोल माइन्स)	6.39	8.77	137%
HV-3-1	:	औद्योगिक	6.42	7.91	123%
HV-3-2	:	गैर–औद्योगिक	6.56	9.28	141%
HV-3-3	:	शॉपिंग मॉल	6.54	9.08	139%
HV-3-4	:	गहन विद्युत उद्योग	6.39	5.84	91%
HV-4	:	मौसमी तथा गैर–मौसमी	6.58	7.28	111%
HV-5	:	सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	6.39	7.29	114%
HV-6	:	थोक आवासीय उपभोक्ता	6.55	6.95	106%
HV-7	:	समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत	6.48	11.98	185%
HV-8	:	विद्युत वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	6.53	6.48	99%
योग			**6.68**	**6.68**	**100%**

6.9 वित्तीय वर्ष 2022–23 की विद्युत दरों के अवधारण में, आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की इस आवश्यकता पर यथोचित विचार किया है कि उपभोक्ता विद्युत–दरों (टैरिफ) में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत रू. 6.60 प्रति यूनिट के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह लागत रू. 6.68 पैसे प्रति यूनिट आती है। निम्न तालिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत समावेशन (Cost coverage) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित लागत समावेशन (औसत वसूली को विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में) प्रदर्शित करती है :

तालिका 143 : विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी / उपश्रेणी	औसत वसूली विद्युत के प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में		औसत बिलिंग दर (ABR) (रूपये / यूनिट)	विद्युत प्रदाय की औसत लागत (ACoS) (रूपये / यूनिट)
	वित्तीय वर्ष 2021–22 (टैरिफ आदेश के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2022–23 (इस टैरिफ के अनुसार उपलब्धि)		
निम्न दाब श्रेणियां (LV- Categories)				
LV-1 : घरेलू	97%	95%	6.36	
LV-2 : गैर–घरेलू	139%	137%	9.14	
LV-3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	101%	104%	6.94	
LV-4 : निम्न दाब उद्योग	139%	144%	9.65	
LV-5 : कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	87%	88%	5.91	
LV-6 : विद्युत वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	91%	90%	6.02	
कुल निम्न दाब	**96%**	**96%**	**6.43**	
उच्च दाब श्रेणियां				
HV-1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	83%	78%	5.23	
HV-2 : कोयला खदानें (कोल माइन्स)	126%	131%	8.77	**6.68**
HV 3-1 : औद्योगिक तथा HV-3-4 : गहन विद्युत उद्योग	111%	112%	7.51	
HV-3-2 : गैर–औद्योगिक तथा HV-3-3 : शॉपिंग मॉल	133%	139%	9.26	
HV-4 : मौसमी तथा गैर–मौसमी	124%	109%	7.28	
HV-5 : सिचाई,सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	105%	109%	7.29	
HV-6 : थोक आवासीय उपभोक्ता	111%	104%	6.95	
HV-8 : विद्युत वाहन / ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र	99%	97%	6.48	
कुल उच्च दाब	**113%**	**114%**	**7.63**	
योग (निम्न दाब + उच्च दाब)	**100%**	**100%**	**6.68**	

6.10 जैसा कि इस आदेश के पूर्व अनुच्छेदों में व्याख्या की गई है, वर्ष के दौरान लागत संरचना में परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त, अपील क्रमांक 134, वर्ष 2015 के मामले में मा. एप्टेल के निर्णय दिनांक 9 जनवरी, 2017 में यह अभ्युक्ति की गई है कि राज्य आयोग को खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश जारी करते समय तथा उपभोक्ताओं को विद्युत–दर आघात (tariff shock) से बचाने के लिये प्रतिराज्यानुदानों में कमी करने हेतु मार्गदर्शिका चिन्हांकित की जानी चाहिए। आयोग पिछले अनेक वर्षों से ध्यानपूर्वक समस्त उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रतिराज्यानुदान (cross Subsidy) स्तरों को कम करने हेतु निरन्तर प्रयास करता चला आ रहा है।

6.11 आपत्तिकर्ताओं के सुझावों / टिप्पणियों पर यथोचित विचार करते हुए तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रूपांकन में कतिपय परिवर्तन किये हैं। विद्युत–दर रूपांकन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

i. **हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff)** :- रू 1.13 प्रति किलोवाट की दर से हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) जो इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की तत्संबंधी श्रेणी की सामान्य विद्युत–दर (normal tariff) से अतिरिक्त होगी, ऐसे उपभोक्ताओं पर अधिरोपित की जाएगी जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

ii. **ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्रों हेतु विद्युत–दर (Tariff for E-Vehicles/E-Rickshaw Charging Stations)** : ई–वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उच्च वोल्टेज ई–वाहनों/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्रों हेतु विद्युत–दर में कोई वृद्धि नही की गई है।

iii. **त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन (Incentive for prompt payment)** : निम्न दाब उपभोक्ता श्रेणी उपभोक्ता हेतु देयक का त्वरित भुगतान करने पर उक्त माह हेतु देयक राशि पर 0.5% की दर से प्रोत्साहन जारी रखा गया है।

iv. **ऑनलाईन भुगतान छूट (Online Payment Rebate) :** एलवी–1 : घरेलू श्रेणी को अधिकतम छूट राशि की, बिना किसी उच्चतम सीमा के, 0.50% छूट की पात्रता होगी। RTGS/NEFT संव्यवहार पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता देयकों के भुगतान पर भी ऑनलाइन देयक भुगतान छूट की पात्रता होगी।

v. **मापयंत्र प्रभार (Metering charges) :** मापयन्त्र प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

vi. **घरेलू उपभोक्ताओं हेतु विद्युत खपत पर आनुपातिक प्रक्रिया जारी रखना (Prorating of consumption for Domestic Consumers) :** आयोग द्वारा ऐसे दिवस हेतु विद्युत खपत को आनुपातिक किये जाने संबंधी प्रावधान जारी रखा गया है जब अभिलेखित की गई विद्युत खपत अवधि माह के तत्संबंधी दिनों से पृथक हो ताकि उपभोक्ताओं को खण्डवार (slabwise) बिलिंग से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

vii. **एलवी–4 (निम्न दाब औद्योगिक) तथा एलवी–6 (ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) और एचवी–1 (रेलवे कर्षण) तथा एचवी–8 (ई–वाहन/ई–रिक्शा प्रभारण केन्द्र) हेतु विद्युत–दर** अपरिवर्तित रखी गई है।

viii **विद्यमान एचवी–3 श्रेणी उपभोक्ताओं हेतु छूट {(Rebate to existing HV3 category consumers (all sub categories)} ;** एचवी–3 श्रेणी के उपभोक्ताओं (औद्योगिक, गैर–औद्योगिक, शॉपिंग मॉल तथा गहन विद्युत (पावर इन्सेंटिव)**}** हेतु छूट को एक रूपये प्रति यूनिट की दर से धनात्मक खपत (incremental consumption) हेतु जारी रखा गया है।

ix. **एचवी–3 श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु अन्य छूटें (Other rebates for HV 3 category Consumers) :** आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र के उपभोक्ताओं, निर्बाध (खुली) पहुंच (open access) उपभोक्ताओं हेतु छूट तथा विद्यमान निम्न दाब औद्योगिक/ गैर–औद्योगिक संयोजन के तत्संबंधी उच्च दाब संयोजन में परिवर्तन हेतु छूट का विस्तार वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कर दिया गया है।

ए 7 : वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन (Compliance of Directives issued in Tariff Order for FY 2021-22)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया तथा आयोग की अभ्युक्तियां/दिशा–निर्देश निम्नानुसार दिये गये हैं :

7.1 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण (Meterization of unmetred Connections)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में लिया है तथा उनसे अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये हैं। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। आयोग आगे विद्युत वितरण कम्पनियों को वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य में गति लाने के निर्देश देता है। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि मात्र मापयंत्र प्रदान करना ही समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं है वरन् विद्युत वितरण कम्पनियों की समग्र ऊर्जा अंकेक्षण किये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा चोरी की निगरानी की जा सके। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य की त्रैमासिक प्रगति का मय ऊर्जा अंकेक्षण के प्रस्तुतिकरण आगे भी जारी रखा जाएगा तथा निर्देश दिये जाते हैं कि 30 जून, 2021 तक एक कार्य योजना प्रस्तुत कर दी जाए।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि इस अभ्यास में निधि (fund) की उपलब्धता मुख्य बाध्यता है। वर्तमान में विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में 1,05,489 कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों में से 11,849 पर ही मापयन्त्रों की स्थापना की गई है। कृषि वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के त्रैमासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से आयोग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि वितरण ट्रांसफार्मर तथा शहरी क्षेत्र के संबद्ध उपभोक्ता जिनका हानि स्तर 40% से अधिक है, को स्मार्ट मीटर स्थापना तथा तत्संबंधी ऊर्जा अंकेक्षण हेतु 'RRRDS Scheme' के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना सुनियोजित किया गया है। माह जून 2021 तक का वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण प्रगति प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 29.10.2021 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 हेतु कृषि–बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण कार्य को पूर्व ही से विद्युत वितरण कम्पनी की पूंजीगत व्यय योजना (capex plan) में सम्मिलित किया जा चुका है। निधि की उपलब्धता पर निर्भर मीटरीकरण कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देशः

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में लिया है तथा उनसे अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये हैं। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। आयोग आगे विद्युत वितरण

कम्पनियों को वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य में गति लाने के निर्देश देता है। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि मात्र मापयंत्र प्रदान करना ही समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं है वरन् विद्युत वितरण कम्पनियों की समग्र ऊर्जा अंकेक्षण किये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा चोरी की निगरानी की जा सके। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य की त्रैमासिक प्रगति का मय ऊर्जा अंकेक्षण के प्रस्तुतिकरण आगे भी जारी रखा जाएगा।कार्य योजना की प्रस्तुति के बारे में आयोग द्वारा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अभी तक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है। अतएव याचिकाकर्ता को यह आदेश जारी होने के 6 माह के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये जाते है।

7.2 छूटों/प्रोत्साहनों/अधिभार का लेखांकन (Accounting of rebates/incentives/Surcharges)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरणों को संज्ञान में लिया है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को शीघ्र एक प्रतिवेदन विकसित करने तथा इसे त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

प्रोत्साहन तथा अधिभार पर छूट संबंधी त्रैमासिक प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता एतद् द्वारा त्रैमासवार प्रोत्साहन तथा अधिभार पर छूट निम्नानुसार प्रस्तुत करता है।

विवरण/वर्ष		वित्तीय वर्ष 2019–20				वित्तीय वर्ष 2020.21		
		अप्रैल 19 से जून 19 तक	जुलाई 19 से सितम्बर 19 तक	अक्टूबर 19 से दिसम्बर 19 तक	जनवरी 20 से मार्च 20 तक	अप्रैल 20 से जून 20 तक	जुलाई 20 से सितम्बर 20 तक	अक्टूबर से 20 दिसम्बर 20 तक
उच्च दाब उपभोक्ताओं से वसूल किया गया अतिरिक्त प्रभार/अधिभार (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा कारक अधिभार (Power Factor Surcharge)	3.47	3.56	3.97	3.96	3.82	3.48	3.64
	विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge)	4.00	4.95	6.13	7.39	8.57	9.22	11.54
	वसूल किया गया अतिरिक्त प्रभार/अधिभार (Total Additional charge/surcharge Recovered)							
उच्च दाब उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट/प्रोत्साहन (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (power Factor Incentive)	(33.04)	(32.61)	(33.67)	(32.37)	(21.05)	(31.90)	(32.63)
	समयानुपाती प्रोत्साहन (Time of day Incentive)	(39.73)	(38.95)	(40.79)	(40.96)	(26.57)	(38.77)	(39.59)
	त्वरित भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Payment Incentive)	(0.25)	(0.00)	(0.00)	(0.48)	(0.21)	(0.30)	(0.40)
	आबद्ध प्रोत्साहन (Captive Incentive)	(2.21)	(7.51)	(10.80)	(9.24)	(7.14)	(5.03)	(5.37)
	निर्बाध (खुली) पहुंच छूट (Open Access Rebate)	-	-	-	-	-	-	-
	हरित क्षेत्र (Green Field) /एनएससी (NSC) छूट	(0.73)	(1.00)	(1.77)	(2.76)	(1.95)	(3.55)	(4.47)
	अग्रिम भुगतान प्रोत्साहन (Advance Payment Incentive)	(0.03)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.06)	(0.06)	(0.01)
	धनात्मक छूट (Incremental Rebate)	(16.07)	(14.00)	(16.47)	(16.61)	(8.63)	(18.90)	(18.41)
	ऑनलाइन भुगतान छूट (Online Payment Rebate)	(0.10)	(0.17)	(0.40)	(0.43)	(0.33)	(0.38)	(0.41)
	कुल छूट	**(92.15)**	**(94.25)**	**(103.91)**	**(102.87)**	**(65.94)**	**(98.89)**	**(101.29)**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 तक (माह अगस्त, 2021 तक) उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहन/अधिभार की संक्षेपिका निम्नानुसार है :

विवरण/वर्ष		वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह अगस्त तक)
उच्च दाब उपभोक्ताओं से वसूल किया गया अतिरिक्त प्रभार/अधिभार (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा कारक अधिभार (Power Factor Surcharge)	20.27	7.91
	विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge)	51.15	25.62
	वसूल किया गया अतिरिक्त प्रभार/अधिभार (Total Additional charge/surcharge Recovered)	71.42	33.54
उच्च दाब उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट/प्रोत्साहन (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (power Factor Insentive)	(157.90)	(72.16)
	समयानुपाती प्रोत्साहन (Time of day Insentive)	(207.54)	(79.49)
	त्वरित भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Payment Incentive)	(1.63)	(0.79)
	आबद्ध प्रोत्साहन (Captive Incentive)	(40.85)	0.00
	निर्बाध (खुली) पहुंच छूट (Open Access Rebate)	0.00	0.00
	हरित क्षेत्र (Green Field)/ एनएससी (NSC) छूट	(96.85)	(46.14)
	अग्रिम भुगतान प्रोत्साहन (Advance Payment Incentive)	(0.09)	(0.07)
	धनात्मक छूट (Incremental Rebate)	(77.89)	(38.40)
	ऑनलाइन भुगतान छूट (Online Payment Rebate)	(2.43)	(0.99)
	कुल छूट	(585.17)	(238.04)
शुद्ध प्रभाव (Net Impact) (करोड़ रूपये में)		**(513.75)**	**(205.51)**

इसके अतिरिक्त, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया गया, विद्युत वितरण कम्पनी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (IT Section) द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों/अधिभारों का टैरिफ श्रेणीवार मासिक विस्तृत R-15 प्रतिवेदन विकसित किया गया। माह सितम्बर 2021 हेतु कथित R-15 की प्रतिलिपि जिसमें प्रोत्साहन अधिभार के श्रेणीवार विवरण सम्मिलित किये गये हैं, को पृथक से सॉफ्ट प्रति में आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश :

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरणों को संज्ञान में लिया है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को शीघ्र एक प्रतिवेदन विकसित करने तथा इसे त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस आदेश में विभिन्न छूटों की प्रयोज्यता का विस्तार किया है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता को विश्लेषण कर एक अध्ययन टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन/छूट/अधिभार के प्रभाव को सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण में रबी तथा गैर–रबी मौसमों के परिदृश्यों को भी पृथक से तथा ऐसे परिदृश्य भी जहां विद्युत–दर में कोई प्रोत्साहन छूट प्रदान नहीं किया जा रहा है, सम्मिलित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त अध्ययन को आगामी याचिका दाखिल करते समय प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

7.3 : विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत को सुनिश्चित करने हेतु विद्युत वितरण तन्त्र का तकनीकी अध्ययन (Technical studies of the Distribution network to ascertain voltage-wise cost of supply)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग द्वारा यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा चयनित नमूना आकार (sample size) तथा नमूना राज्य अथवा संबद्ध विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रतिनिधि नमूना नहीं है। अतएव, आयोग निर्देश देता है कि एक बृहद प्रतिनिधि नमूने के साथ एक विस्तृत अध्ययन किसी स्वतंत्र बाह्य स्त्रोत अभिकरण के माध्यम से कराया जाए जिसके अन्तर्गत समस्त उपभोक्ता श्रेणियों, जलवायु परिक्षेत्र (climate zone), जलस्तर अवस्थिति (water level status), फसल पद्धतिं पहलुओं को सम्मिलित किया जाए ताकि एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को टैरिफ आदेश जारी होने के छः माह के भीतर साझा किया जाए।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण हेतु 'CYMDIST Software' के माध्यम से तकनीकी अध्ययन निष्पादित कराया गया तथा आयोग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत पूर्व क्षेत्र नेटवर्क हेतु औसत तकनीकी हानियों की गणना 18.7% के रूप में की गई है जिसे आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु टैरिफ आदेश में संज्ञान में लिया जा चुका है। आयोग ने विस्तृत नमनूा आंकड़ों (wide sample data) के साथ अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किये हैं।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी हानि अध्ययन कार्य प्रगति पर है तथा अध्ययन प्रतिवेदन शीघ्र आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि वांछित अध्ययन का क्रियान्वयन बढ़े हुए नमूना आकार तथा अन्य विभिन्न कारकों, यथा जलवायु परिक्षेत्र, जल स्तर की वस्तुस्थिति, फसल पद्धति पहलुओं आदि को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को आयोग द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के अनुसार आयोग के साथ साझा किया जाएगा।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि परामर्श एजेंसी PWC को तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण के बारे में विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत सुनिश्चित करने हेतु एक अध्ययन संचालित करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। प्रतिवेदन आयोग को शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति / दिशा–निर्देश :

आयोग ने याचिकाकर्ताओं को निरन्तर अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये जा रहे हैं। तथापि, प्रतिवर्ष याचिका में याचिकाकर्ता एक ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते चले आ रहे हैं कि इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का निरूत्साहित करने वाला दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है तथा इसे दिशा–निर्देशों का अपालन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम 2021 के विनियम 26.7 में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है :

"26.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण हेतु वोल्टेजवार हानियां भी प्रस्तावित की जाएंगी। इस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को तकनीकी हानि (अर्थात लाइनों, उपकेन्द्रों तथा उपकरण में ओहमिक/कोर हानियां) तथा वाणिज्यिक हानि {अर्थात्, मापन त्रुटियों/अपर्याप्तताओं के कारण अलेखांकित (अनअकाऊन्टेड) ऊर्जा विद्युत चोरी के रूप में} पृथक्करण हेतु प्रतिनिधि नमूना आधार पर ऊर्जा अंकेक्षण संचालित करना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी (गण) इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण बाबत प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा/करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वोल्टेजवार वितरण हानियों के संबंध में इन्हें तकनीकी हानि तथा वाणिज्यिक हानि के रूप में पृथक्करण करते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।"

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आयोग याचिकाकर्ताओं को अपनी अगली याचिका के साथ उपरोक्त विनियम के अनुसार विस्तृत अध्ययन (Comprehensive Study) प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। प्रतिवेदन की अप्रस्तुति को आयोग के दिशा–निर्देशों का अपालन माना जाएगा तथा आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही कर सकेगा।

7.4 : पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि को निधि का अन्तरण (Transfer of funds to pension and Terminal Benefit Trust Fund)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग ने याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में लिया है। इस संबंध में एक पृथक कार्यवाही प्रगति पर है। प्रकरण का संव्यवहार समुचित रूप से याचिका के माध्यम से किया जाएगा। तथापि आयोग याचिकाकर्ताओं को इस टैरिफ आदेश के माध्यम से दिये गये आदेशानुसार आवंटित राशि मासिक आधार पर सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (Terminal Benefit Trust Fund) के खाते में राशि जमा करने का निर्देश देता है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राशि को मासिक आधार पर सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (TBT) में जमा कराया जा रहा है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता का कथन है कि मध्यप्रदेश मध्य परिक्षेत्र (MPCZ) द्वारा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (TBT) में निम्न अंशदान अन्तरित कराये जा चुके हैं :

वर्ष	मप्र मध्य परिक्षेत्र (MPCZ)द्वारा सेवान्त प्रसुविधा में किया गया अंशदान
2019–20	रू. 5 करोड़
2020–21	रू. 20 करोड़
2021–22	रू. 76 करोड़
माह अगस्त 2021 तक	**कुल रू. 101 करोड़**

हाल ही में मासिक आधार पर माह जून 2021 से मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा सेवान्त प्रसुविधा निधि (TBT) के लिये रू. 22 करोड़ की राशि प्रदान कर दी गई है तथा इसे मप्र मध्य क्षेत्र विविकंलि द्वारा तात्कालिक आधार पर सेवान्त प्रसुविधा न्यास में अन्तरित किया जा चुका है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

कम्पनी निधि का अन्तरण पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (Pension & Terminal Benefits Trust Fund) में नियमित आधार पर कर रही है। जब कभी भी कम्पनी द्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी से निधि की प्राप्ति पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि कम्पनी की नगद प्रवाह प्रबन्धन (Cash Flow Management) के अनुसार की जाती है, तो इस राशि को जमा कर दिया जाएगा। कम्पनी ने दिनांक 12.7.2019 से 24.6.2021 तक रूपये 57 करोड़ की राशि पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि में जमा की जा चुकी है। भविष्य में भी जब कभी एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी से निधि की प्राप्ति की जाएगी, राशि को यथासमय इसे जमा करा दिया जाएगा। वे तिथियां जब राशि को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा निधि में जमा किया गया, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

सरल क्रमांक	राशि अन्तरण की तिथि	अन्तरित राशि (करोड़ रूपये)
1.	12/07/2019	5.00
2.	24/12/2020	5.00
3.	20/01/2021	5.00
4.	06/02/2021	5.00
5.	06/03/2021	5.00
6.	26/03/2021	5.00
7.	11/05/2021	5.00
8.	24/06/2021	22.00
योग		**57.00**

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश :

आयोग ने याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति को संज्ञान में लिया है तथा याचिकाकर्ताओं को आयोग के आदेश दिनांक 11 मई, 2021 के अनुसार मासिक आधार पर इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत सेवान्त प्रसुविधा न्यास विधि के विरूद्ध आवंटित राशि जमा करने के निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को उक्त राशियां भी जमा करने के निर्देश दिये जाते हैं जिन्हें पूर्व आदेशों में इस हेतु अनुज्ञेय किया गया है।

7.5 रूके हुए तथा त्रुटिपूर्ण मापयंत्रों को बदलना (Replacement of Stopped and Defective Meters)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों को संज्ञान में लिया गया है। यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता आयोग को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत रहे हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने रूके हुए तथा बन्द मापयंत्रों के प्रतिस्थापन हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत नहीं की है। तद्नुसार विद्युत वितरण कम्पनियों की उच्च वितरण हानियों के प्रकाश में, आयोग याचिकाकर्ताओं को विस्तृत प्रतिस्थापन योजना (Comprehensive Replacement Plan) दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

आयोग में दिनांक 29.09.2021 को आयोजित बैठक में याचिकाकर्ता द्वारा रूके हुए त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों के बदलने तथा अवशेष उपभोक्ताओं के मीटरीकरण के बारे में अपनी प्रस्तुति दी जा चुकी है।

मप्र पूर्व क्षेत्र विविकंलि, जबलपुर की शतप्रतिशत मीटरीकरण योजना

कुल रूके हुए त्रुटिपूर्ण अमीटरीकृत संयोजन	मीटरीकरण की योजना (निधि की उपलब्धता के अध्यधीन)					
	वित्तीय वर्ष 2021—22		वित्तीय वर्ष 2022—23			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1025895	100000	100000	200000	100000	300000	225895

- 9.71 लाख स्मार्ट मापयन्त्रों (मीटरों)हेतु निविदा (टेंडर) कार्य प्रगति पर है, इस योजना का निधीयन KFW द्वारा किया जा रहा है।
- RDSS स्कीम फेज—2 के अधीन शेष शहरी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मापयन्त्रों (मीटरों) द्वारा मीटरीकृत किया जाएगा।
- 15000 स्मार्ट मापयन्त्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, निम्न दाब उच्च मूल्य उपभोक्ताओं (LT high value consumers) हेतु 3200 की संख्या में मापयन्त्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- वाणिज्यिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मापयन्त्र स्थापना व्यावहारिक नहीं है, इस संबंध में चर्चा की आवश्यकता है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता का कथन है कि रूके हुए/दोषपूर्ण मापयंत्रों को बदलना एक निरन्तर प्रक्रिया है। त्रुटिपूर्ण मापयंत्रों की अद्यतन स्थिति अनुलग्नक—तीन में दर्शायी गई है।

RRRDS स्कीम में स्मार्ट मापयन्त्रों की स्थापना चरणबद्ध विधि द्वारा निम्नानुसार की जाएगी :

- KFW द्वारा वित्त पोषित योजना में 918429 मीटरों की स्थापना माह दिसम्बर, 2023 तक
- शेष 912756 शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता—माह दिसम्बर, 2024 तक
- 2096028 ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता—माह दिसम्बर, 2025 तक

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण/रूके हुए मापयन्त्रों की विस्तृत प्रतिस्थापना योजनाएं (Comprehensive replacement plans) प्रस्तुत की जा चुकी हैं। पश्चिम क्षेत्र विविकंलि क्षेत्र में रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों की प्रतिस्थापना योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष 2020—21 में त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों की अद्यतन स्थिति		प्रतिस्थापना योजना (Replacement Plan)					
वर्ष के अन्त में उपभोक्ताओं की संख्या	वर्ष के अन्त में त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों से युक्त उपभोक्ताओं की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021—22	वित्तीय वर्ष 2022—23	वित्तीय वर्ष 2023—24	वित्तीय वर्ष 2024—25	वित्तीय वर्ष 2025—26	वित्तीय वर्ष 2026—27
5644160	1902495	211450	442636	416136	416136	416136	0

इसके अतिरिक्त, रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रों को बदलने के बारे में विस्तृत व्यापक योजना आयोग को बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) वित्तीय वर्ष 2022–23 प्ररूप P-2 में निर्दिष्ट अनुसार पृथक से प्रस्तुत की जा चुकी है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश

आयोग ने याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति को संज्ञान में लिया है तथा उन्हें आयोग को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देता है।

7.6 : नवीन टैरिफ संरचना के अनुसार आर–15 को कठोरतापूर्वक टैरिफ अनुसूची की श्रेणियों, उपश्रेणियों तथा खण्डों के साथ संरेखित करना (Alignment of R-15 strictly with the categories, subcategories and slabs of the Tariff Schedule as per the new Tariff Structure)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग बारम्बार याचिकाकर्ताओं को अनुमोदित टैरिफ अनुसूची के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित R–15 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता चला आ रहा है जो विक्रय को प्रक्षेपित करने हेतु अत्यावश्यक है। याचिकाकर्ता का इस मामले में दृष्टिकोण चिन्ता का विषय है तथा आयोग के दिशा–निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है। आयोग याचिकाकर्ता को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ अनुसूची से संरेखित R–15 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा प्रकरण में आयोग के दिशा–निर्देशों के अपालन पर विचार करते हुए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि टैरिफवार R–15 विद्युत वितरण कम्पनी के R–15 पोर्टल/वेबसाईट पर उपलब्ध है। पारम्परिक R–15 के साथ मिलान की प्रक्रिया (reconciliation) मय प्रतिवेदनों की सकर्मक क्रिया (fine tuning) का कार्य प्रगति पर है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि पूर्व क्षेत्र विविकं तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से R–15 विवरण पत्र में संशोधन हेतु समन्वयन कम्पनी (नोडल कम्पनी) के रूप में कार्य कर रही है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि माह सितम्बर, 2021 से आगे R–15 विवरण पत्र की प्रतिलिपि टैरिफ आदेश से संरेखित (aligned) की गई है। यह सितम्बर, 2021 हेतु R-15 की प्रतिलिपि पृथक से आयोग को सॉफ्ट प्रतिलिपि में प्रस्तुत की जा चुकी है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश

आयोग ने याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति को संज्ञान में लिया है। आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि वे त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक आधार पर दर–अनुसूची (rate schedule) से संरेखित R–15 विवरण पत्र की प्रस्तुति जारी रखें। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा विक्रय के

मिलान, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा R–15 विवरण–पत्र के अनुसार पुराने और नये उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7.7 पूंजीकरण व्यय तथा पूंजीकरण विवरण (Capital Expenditure and Capitalization Details)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग इस विषय पर उसके द्वारा विद्युत कम्पनियों को दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाये जाने हेतु अपनी अप्रसन्नता प्रकट करता है। याचिकाकर्ताओं की निन्दा के प्रयोजन से आयोग यथासंशोधित मप्रविनिआ बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2015 द्वारा निर्देशित दरों को अवमूल्यन (depreciation) हेतु अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है जिसका निराकरण वित्तीय वर्ष 2021–22 की सत्यापन याचिका की प्रस्तुति के समय स्थाई परिसम्पत्ति पंजियों (Fixed Asset Registers) के प्रस्तुतिकरण के अध्ययधीन लंबित रखा गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2022–23 की टैरिफ याचिका के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की परिसंम्पत्ति पंजी आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करने का निर्देश देता है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि कम्पनी की ERP प्रणाली से जनित परिसम्पत्ति पंजी (Assets Register) जिसमें परिसम्पत्ति श्रेणीवार पूर्ण विवरण सम्मिलित हैं, यथाविधि अंकेक्षित लेखे से मिलान किये गये अनुसार आयोग को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा सत्यापन याचिकाओं के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है। आयोग ने ई–मेल दिनांक 9.11.2021 द्वारा परिसम्पत्ति पंजी हेतु निर्दिष्ट प्ररूप प्रेषित किया है। आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार आंकड़े तैयार करने हेतु प्ररूप का विश्लेषण किया जा रहा है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि आयोग द्वारा ई–मेल दिनांक 9.11.2021 द्वारा प्ररूपों के अनुसार प्रेषित स्थाई परिसम्पत्ति पंजी का कार्य प्रगति पर है तथा इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि विनिर्दिष्ट प्ररूप का विश्लेषण किया जा रहा है तथा इसका संकलन करने में कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि कम्पनी द्वारा ERP प्रणाली के माध्यम से परिसम्पत्ति पंजी का सृजन किया जा रहा है जो परिसम्पत्ति श्रेणीवार परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण भी प्रदर्शित कर रहा है जिसका मिलान कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 तक स्थाई परिसम्पत्ति पंजी मय वित्तीय वर्ष 2022–23 की सम्पूर्ण आवश्यकता (ARR)-टैरिफ याचिका के साथ प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। कम्पनी वर्तमान में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार परिसम्पत्ति पंजी तैयार करने की प्रक्रिया में है तथा आयोग के दिशा–निर्देशों का अनुसरण करने का प्रयास कर रही है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश :

आयोग द्वारा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने स्थाई परिसम्पत्ति पंजियां वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के लिये ही प्रस्तुत की हैं। यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने स्थाई परिसम्पत्ति पंजियां प्रस्तुत की है, तथापि प्रस्तुति पूर्णतया आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार नहीं है तथा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता वैयक्तिक परिसम्पत्ति विवरण को स्थाई परिसम्पत्ति पंजियों में इसे

वित्तीय वर्ष 2020–21 से पूर्व वर्षों की लागत के साथ संबद्ध नहीं कर पाये हैं। याचिकाकर्ताओं ने परिसम्पत्तियों के विरूद्ध मात्रा को परिसम्पत्तियों के विरूद्ध संचयी रीति से पृथक से प्रस्तुत किया है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी वैधीकरण सत्र (Technical Validation Session) के दौरान, याचिकाकर्ताओं द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के पश्चात् वे वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के अभिलेख पृथक से रख रहे हैं तथा तद्नुसार याचिकाकर्ता आगामी टैरिफ तथा सत्यापन याचिकाओं में स्थाई परिसम्पत्ति पंजी को वांछित प्ररूप में प्रस्तुत करेंगे। आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कथन को संज्ञान में ले लिया है। आयोग याचिकाकर्ताओं को आगामी टैरिफ याचिका में स्थाई परिसम्पत्ति पंजी को निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

7.8 सिंचाई पम्पों की विद्युत खपत को अभिनिश्चित करने हेतु प्रतिवेदन की प्रस्तुति (Submission of report to ascertain the consumption of irrigational pumps)

आयोग के दिशा–निर्देश :

यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नमूना कृषि संभरकों की विद्युत खपत के विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशानुसार विस्तृत प्रतिवेदन जिसके अन्तर्गत नमूना संभरक, चयनित संभरकों के ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन, आदि की विस्तृत क्रियाविधि चाही गई थी, प्रस्तुत नहीं की है। अतएव आयोग याचिकाकर्ताओं को पुनः तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के कृषि–बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन पर आधारित सिंचाई पम्पों की विद्युत खपत मय नमूना ऊर्जा अंकेक्षण के अभिनिश्चित करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देता है जो आगामी विद्युत–दर टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करने/सत्यापन बाबत उनके दावे का औचित्य, आयोग की तुष्टि हेतु प्रस्तुत कर सके।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता का कथन है कि मेसर्स RECPDCL को पूर्व क्षेत्र विविकं के नरसिंहपुर वृत के कृषि विश्लेषण का कार्य आवंटित किया गया है। मेसर्स RECPDCL द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को कम्पनी के पत्र क्रमांक EC/CGM/Comml/1716 दिनांक 12.11.2021 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि होशंगाबाद वृत के 4 संभरकों (फीडर्स) का अध्ययन किया जा चुका है जहां 3 फसलों की खेती की जाती है। प्रतिवेदन निम्न तालिका में प्रस्तुत है जिसके अनुसार यह देखा जा सकता है कि आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये अनुसार विक्रित यूनिटों की संख्या की तुलना में आहरित यूनिटों (input units) की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

सिंचाई पम्पों की खपत सुनिश्चित करने संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन					
मध्यप्रदेश मध्य क्षेविविकंलि, संचालन तथा संधारण वृत, होशंगाबाद					
माह–मार्च 20 से जून 20 तक					
11 केवी संभरक का नाम	आहरित ऊर्जा (LU)	पम्प संयोजनों की संख्या	अश्वशक्ति (HP)में भार	प्रति माह प्रति पम्प	प्रति माह प्रति अश्वशक्ति
11 केवी बुधनी (उत्तर बुधनी)	11.17	255	1275	1095.29	219.06
11 केवी दांगीवाड़ा (नसीराबाद)	12.09	221	1552	1367.72	194.76

सिंचाई पम्पों की खपत सुनिश्चित करने संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन					
मध्यप्रदेश मध्य क्षेविविकंलि, संचालन तथा संधारण वृत, होशंगाबाद					
बनवारी	9.11	180	908	1265.78	250.93
धोन्दे	7.85	203	1015	967.03	193.41
पछुआ	7.8	340	764	573.53	255.24
माह–जुलाई 20 से सितम्बर 20 तक					
11 केवी संभरक का नाम	आहरित ऊर्जा (LU)	पम्प संयोजनों की संख्या	अश्वशक्ति (HP)में भार	प्रति माह प्रति पम्प	प्रति माह प्रति अश्वशक्ति
11 केवी बुधनी (उत्तर बुधनी)	9.02	248	1254	1212.37	239.77
11 केवी दांगीवाड़ा (नसीराबाद)	8.32	218	1537	1272.17	180.44
बनवारी	6.59	172	884	1277.13	248.49
धोन्दे	5.64	195	995	964.1	188.94
पछुआ	5.02	312	666	536.32	251.25
माह–अक्टूबर 20 से फरवरी 21 तक					
11 केवी संभरक का नाम	आहरित ऊर्जा (LU)	पम्प संयोजनों की संख्या	अश्वशक्ति (HP)में भार	प्रति माह प्रति पम्प	प्रति माह प्रति अश्वशक्ति
11 केवी बुधनी (उत्तर बुधनी)	13.34	251	1263	1062.95	211.24
11 केवी दांगीवाड़ा (नसीराबाद)	14.61	220	1547	1328.18	188.88
बनवारी	10.64	177	899	1202.26	236.71
धोन्दे	10.07	199	1005	1012.06	200.4
पछुआ	9.7	328	722	591.46	268.7

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि आयोग द्वारा वांछित अनुसार मेसर्स पीडब्लूसी को बढ़े हुए नमूने के साथ सिंचाई पम्प संयोजनों की खपत को सुनिश्चित करने के लिये अध्ययन संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश :

यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नमूना कृषि संभरकों की विद्युत खपत के विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशानुसार विस्तृत प्रतिवेदन जिसके अन्तर्गत नमूना संभरक, चयनित संभरकों के ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन, आदि की विस्तृत क्रियाविधि चाही गई थी, प्रस्तुत नहीं की है। अतएव आयोग याचिकाकर्ताओं को पुनः तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन पर आधारित सिंचाई पम्पों की विद्युत खपत मय नमूना ऊर्जा अंकेक्षण के अभिनिश्चित करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देता है जो आगामी विद्युत–दर टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करने/सत्यापन बाबत उनके दावे का औचित्य, आयोग की तुष्टि हेतु प्रस्तुत कर सके।

7.9 तन्तुपथ हानि कम करने हेतु कार्य योजना (Action Plan for Line Loss Reduction)

आयोग के दिशा–निर्देश

आयोग पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करता है तथापि यह पाया गया है कि अन्य दो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वितरण हानियां आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये हानि स्तरों से कहीं अधिक हैं। पूर्व और मध्य क्षेत्रों की प्रगति अपेक्षित स्तर की

नहीं है। लक्ष्यबद्ध हानियों (targeted losses) तथा वास्तविक हानियों (actual losses) में भारी अन्तर पाया गया है। ये विद्युत वितरण कम्पनियां ऐसी हानियों के कारण अत्यधिक घाटा वहन कर रही हैं क्योंकि आयोग केवल मानदण्डीय हानियों की ही अनुमति प्रदान करता चला आ रहा है तथा इस घाटे को उपभोक्ताओं को अन्तरित नहीं किया जा रहा है। आयोग का मत है कि विद्युत वितरण कम्पनियों के उपानुकूलतम (suboptimal) निष्पादन के विवरणों के कारणों को संज्ञान में लेना अत्यावश्यक तथा अत्यधिक जरूरी भी है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश देता है कि वे एक स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से वृत्तवार ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर हानियां कम करने हेतु आयोग को एक कार्य योजना प्रस्तुत करें। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों का इस मामले में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

मप्र पूर्व क्षेत्र विविकंलि द्वारा एक मान्यता प्राप्त अंकेक्षक मेसर्स A-Z एनर्जी इंजीनियर्स, नई दिल्ली को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम "Bureau of Energy Efficiency (manner and intervals of time for conduct of Energy Audit) Regulation 2010" के अनुसार लक्ष्य वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु PAT योजना, अर्थात् 'Perform, Achieve & Trade' के अन्तर्गत 'PAT Monitoring & Verification (M&V) Audit क्रियान्वित किये जाने का कार्य आवंटित किया गया है।

तन्तुपथ हानि में कमी लाये जाने हेतु निम्नांकित ऊर्जा संरक्षण उपाय (Energy Conservation Measures-ECMs) अपनाए जा रहे हैं :

1. स्मार्ट मापयन्त्रों (मीटरों) की स्थापना।
2. स्वचालित ऊर्जा कारक नियन्त्रक (कैपेसिटर बैंक) {Automatic Power Factor Controller (capacitor Banks) की स्थापना ।
3. प्रणाली में सुधार तथा स्वचालन (ऑटोमेशन)।
4. मापन प्रणाली (Metering System) में सुधार ।
5. पारम्परिक/गैर–स्टार ट्रांसफार्मरों को ऊर्जा दक्ष (energy efficient)/स्टार निर्धारित (Star Rated) ट्रांसफार्मरों से बदला जाना।
6. समस्त पारम्परिक यान्त्रिक ऊर्जा मापयन्त्रों (Conventional mechanical energy meters) को स्थैतिक डिजिटल मापयन्त्रों (static digital electronic meters) से बदला जाना जिनमें विद्युत खपत कम तथा अधिक शुद्धता (accuracy) सन्निहित होती है।
7. चोरी उन्मुख क्षेत्र (theft prone area) में जहां हानि उच्च स्तर पर हैं,AB केवल बिछाना।
8. निम्न दाब तन्तुपथ हानियों (low tension line losses) को कम करने हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVD System) की स्थापना करना।
9. टूट–फूट (worn out) से युक्त/सामान्य से छोटे (undersized) आकार के चालकों को बदलना।
10. उच्च दाब/निम्न दाब अनुपात (HT/LT Ratio) में वृद्धि करना ।
11. तन्तुपथ (लाइन) तथा ट्रांसफार्मर का निवारक (preventive) तथा नियतकालिक (periodic) अनुरक्षण करना।
12. वितरण ट्रांसफार्मरों का भार सन्तुलन (Load Balancing) करना।
13. यूनिटवार व्यावसायिक मापदण्डों (unit wise business parameters) का प्रबन्ध सूचना प्रणाली (MIS) आधारित नियतकालिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
14. सौर विद्युत–उत्पादन संयन्त्रों तथा सौर पम्पों की स्थापना करना।
15. ऊर्जा लेखांकन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण–शत प्रतिशत उपभोक्ता मापन।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

याचिकाकर्ता का कथन है कि पूर्व वर्ष की तुलना में तन्तुपथ हानि में कमी परिलक्षित हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2021—22 के अन्त तक इसे 23% तक कम करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान तन्तुपथ हानि निम्न दर्शायेनुसार दर्ज की गई :

वित्तीय वर्ष	तन्तुपथ लाइन हानि (%)
वित्तीय वर्ष 2016—17	36.15
वित्तीय वर्ष 2017—18	37.51
वित्तीय वर्ष 2018—19	36.67
वित्तीय वर्ष 2019—20	27.59
वित्तीय वर्ष 2020—21	28.69
वित्तीय वर्ष 20—21 (माह अगस्त 20 तक)	29.99
वित्तीय वर्ष 21—22(माह अगस्त 21 तक)	27.24

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वृत्तवार ऊर्जा अंकेक्षण किया जा रहा है।

हानियां कम करने हेतु कार्ययोजना Annexure-V संलग्न है।

विवरण	इकाई	पुराने वर्ष	पूर्व वर्ष (PY-21)	चालू वर्ष (CY)	बहुवर्षीय टैरिफ 2022—23 से 2026—27				
		वित्तीय वर्ष—20	वित्तीय वर्ष—21	वित्तीय वर्ष—22	वित्तीय वर्ष—23	वित्तीय वर्ष—24	वित्तीय वर्ष—25	वित्तीय वर्ष—26	वित्तीय वर्ष—27
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समस्त वोल्टेज स्तरों पर प्राप्त किया गया ऊर्जा आहरण	मिलियन यूनिट	24008	26876	28220	28344	29386	30825	32875	33155
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु विक्रित ऊर्जा	मिलियन यूनिट	17384	19165	20405	21308	23286	24863	27544	27932
वास्तविक वितरण हानियां प्रतिशत में	%	27.59	28.69	27.69	24.82	20.76	19.34	16.22	15.75

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

निवेदन किया गया कि पश्चिम क्षेविविकं ने वित्तीय वर्ष 2020—21 में टैरिफ विनियम में विनिर्दिष्ट 15.00% मानदण्डीय वितरण हानि के विरूद्ध 12.71% का वितरण हानि स्तर प्राप्त किया गया। विद्युत वितरण कम्पनी हानियां कम करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा—निर्देश :

आयोग पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करता है तथापि यह पाया गया है कि अन्य दो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वितरण हानियां आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये हानि स्तरों से कहीं अधिक हैं। पूर्व और मध्य क्षेत्रों की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं है। लक्ष्यबद्ध हानियों (targeted losses) तथा वास्तविक हानियों (actual losses) में भारी अन्तर पाया गया है। ये विद्युत वितरण कम्पनियां ऐसी हानियों के कारण अत्यधिक घाटा वहन कर रही हैं क्योंकि आयोग केवल मानदण्डीय हानियों को ही अनुमति प्रदान करता चला आ रहा है तथा इस घाटे को उपभोक्ताओं को अन्तरित नहीं किया जा रहा है। आयोग का मत है कि विद्युत वितरण कम्पनियों के उपानुकूलतम (suboptimal) निष्पादन के विवरणों के कारणों को संज्ञान में लेना अत्यावश्यक तथा अत्यधिक जरूरी भी है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा यह पाया गया है कि

याचिकाकर्ताओं द्वारा विस्तृत कार्य योजना क्रियाविधि का विवरण प्रदान करते हुए जो याचिकाकर्ताओं द्वारा हानियों को कम करने हेतु अपनाई जाएगी, प्रस्तुत नहीं की गई है। अतएव आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को हानियां कम करने हेतु विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान करता है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को इस मामले में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा यह संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि मप्रविनिआ बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियां विनियमों में विनिर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त किये जाने पर या फिर 3% तक वास्तविक हानियां कम किये जाने पर 0.50% अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्यय हेतु पात्रता रखते हैं। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियमों के अनुसार अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों का प्रलाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

7.10 अमीटरीकृत कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं का मीटरीकरण (Meterization of unmetered agricultural and domestic consumers)

आयोग के दिशा–निर्देश :

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में लिया है। यह पाया गया है कि पश्चिम क्षेविविकं ने घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया है परन्तु वितरण ट्रांसफार्मर मापन हेतु ऐसा नहीं किया गया है। पूर्व तथा मध्य क्षेविवि कम्पनियों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। विद्युत वितरण कम्पनियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 के भीतर कार्य पूर्ण करने तथा 31 जुलाई, 2021 तक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के शहरी क्षेत्रों के समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों पर मापयन्त्र प्रदान किये जा चुके हैं।
- सिंचाई शहरी पम्पों के मीटरीकरण हेतु पूर्व क्षेत्र विविकं ने कार्य योजना अपने पत्र क्रमांक CGM/Comml/EZ/TRAC/Jbp/794दिनांक 14.06.2021 द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

मध्य क्षेत्र विविकं के अन्तर्गत माह जून 21 को समाप्त होने वाले त्रैमास हेतु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की मीटरीगरण की प्रगति															
विद्युत वितरण क्ंपनी का नाम	कुल घरेलू संयोजनों की संख्या (पूर्व त्रैमासके अंत तक)		पूर्व त्रैमास के अंत तक अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या		त्रैमास के दौरान बिना मापयंत्र के सेवाकृत नवीन संयोजनों कीसंख्या		अमीटरीकृत संयोजनों की कुलसंख्या (त्रैमास के दौरान सेवाकृत अमीटरीकृत संयोजनों को सम्मिलित करते हुए)		अमीटरीकृत संयोजनों को प्रदत्त कुल मापयंत्रों की संख्या		त्रैमास के अंत तकअवशेष अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या		प्रतिशत अमीटरीकृत संयोजन	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (=9-5)**	**8 (=10-6)**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13 (=9-11)**	**14 (=10-12)**	**15 (=13/3 x 100)**	**16 (=14/(4+6) x 100)**
भोपाल	886030	1025586	0	103423	0	0	0	103423	**0**	**1312**	0	102111	**0.00**	**9.96**
ग्वालियर	608482	1030894	0	219201	0	2071	0	221272	0	**7905**	0	213367	**0.00**	**20.70**
मध्य क्षेविविकं	**1494512**	**2056480**	**0**	**322624**	**0**	**2071**	**0**	**324695**	**0**	**9217**	**0**	**315478**	**0.00**	**15.34**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया :

घरेलू संयोजनों के बारे में निवेदन किया गया कि पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में कुल 2298654 ग्रामीण घरेलू संयोजनों में से 2261764 की संख्या में उपभोक्ताओं हेतु मापयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा 36890 की संख्या अमीटरीकृत है। 36890 ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु मीटरीकरण योजना निम्नानुसार है :

माह अगस्त 21 तक मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति			शतप्रतिशत मीटरीकरण हेतु कार्य योजना						
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या	ग्रामीण घरेलू मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	ग्रामीण अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	सितम्बर 21	अक्टूबर 21	नवम्बर 21	दिसम्बर 21	जनवरी 22	फरवरी 22	मार्च 22
2298654	2261764	36890	5270	5270	5270	5270	5270	5270	5270

जहां तक कृषि उपभोक्ताओं का संबंध है सूचित किया गया किकृषि उपभोक्ताओं के बारे में चिन्हांकन तथा मीटरीकरण हेतु मैदानी कार्यालयों को शहरी एक समान दर (urban flat rate) लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। आयोग से समय सीमा आगामी टैरिफ अवधि तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश :

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में लिया है। यह पाया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा घरेलू शहरी उपभोक्ताओं के मीटरीकरण का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया गया है परन्तु ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं तथा कृषि वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के बारे में ऐसा नहीं किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों का टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से छः माह के भीतर कथित कार्य पूर्ण करने के दिशा–निर्देश दिये जाते हैं तथा निर्धारित समय सीमा के एक माह पश्चात् अनुपालन के बारे में वस्तुस्थिति प्रतिवेदित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

7.11 घंटेवार विद्युत खपत प्रतिदर्शों का उपभोक्ता श्रेणीवार अध्ययन (Consumer Categorywise Study of hourly Consumption Pattern)

आयोग के दिशा–निर्देश :

याचिकाकर्ताओं को उपलब्धता आधारित विद्युत–दर मापयंत्र आंकड़ों (ABT Metering Data) के आधार पर यह पहचान करने हेतु कि कौन सी श्रेणी व्यस्ततम विद्युत खपत (peak consumption) अवधि के दौरान अपना अंशदान प्रदान कर रही है, कौन सी श्रेणी द्वारा अपनी विद्युत खपत को अव्यस्ततम घंटों (off-peak hours) में परिवर्तित किया जा सकता है, व्यस्ततम तथा अव्यस्ततम खपत स्तरों की मौसमी घटत–बढ़त हेतु विस्तृत अध्ययन का कार्य हाथ में लिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। इस अध्ययन के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा समयानुपाती विद्युत–दर प्रबन्धन (ToD tariff dispensation) में संशोधन/उन्नयन करने हेतु आगामी टैरिफ याचिका के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को इस आदेश के परिशिष्ट–2 में संलग्न प्ररूपों में विद्यमान समयानुपाती दर प्रबन्धन (ToD Tariff dispensation) के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता का कथन है कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2018—19, वित्तीय वर्ष 2019—20 तथा वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु उपलब्धताआधारित विद्युत—दर (ABT) मापन आंकड़ों के माध्यम से समयानुपाती (ToD) आधारित उपभोक्ताओं का खपत प्रतिमान (consumption pattern) अध्ययन करने हेतु निर्देश दिये हैं। चूंकि लगभग 90—95% उपभोक्ता समयानुपाती छूट (ToD rebak) के अन्तर्गत आते हैं, ऐसे में पुरानी अवधि के आंकड़ों हेतु भार प्रतिमान का अध्ययन एक क्लांतिकर (tedious) कार्य है। तथापि, पूर्व क्षेविविकं द्वारा माह अक्टूबर, 2020 से मापयन्त्र आंकड़ा प्रबन्धन प्रणाली (Meter Data Management-MDM) से समस्त मापयन्त्र आंकड़े जो मापयन्त्र, बिलिंग तथा संग्रहण प्रणालियों {Meter, Billing & Collection (MBC) System} तथा अन्य स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) प्रणालियों तथा स्मार्ट मापयन्त्र प्रणालियों द्वारा संग्रहीत किये जा रहे हैं, विकसित किये गये हैं।

टैरिफ श्रेणी एचवी—2, एचवी—3.1, एचवी—3.3, एचवी—3.4, एचवी—4 तथा एचवी—5 हेतु औसत घंटावार मांग (KVA) संबंधी जानकारी परिशिष्ट—2 में संलग्न की गई है। वित्तीय वर्ष 2018—19 तथा 2019—20 की अवधि हेतु समयानुपाती (ToD) उपभोक्ताओं के खपत प्रतिमान आंकड़े परिशिष्ट—3 पर संलग्न हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि दो संभरकों का खपत प्रतिमान (consumption pattern) परिशिष्ट छः पर संलग्न है। खपत का विश्लेषण निम्नानुसार है :

संभरक का नाम	नाम	उपभोक्ता संख्या
घरेलू भार संभरक (DL Feeder)	भोपाल (टाऊन)	4306
गैर—घरेलू भार संभरक (NDL Feeder)	ज्योति काम्पलेक्स	901
अवधि	प्रति माह प्रति उपभोक्ता खपत	
	घरेलू भार (DL)	गैर—घरेलू भार (NDL)
प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक	37.39	35.46
प्रातः 11 बजे से सांय 5बजे तक	58.18	171.47
सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक	37.86	107.13
रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक	53.67	51.96

संभरक	माह	समय पर उच्चतम अभिलेखित	समय पर न्यूनतम अभिलेखित
घरेलू भार संभरक (DL Feeder)	जुलाई 21	12 AM से 1 AM	5 PM से 6 PM
	अगस्त 21	3 PM से 4 PM	5 AM से 6 AM
गैर—घरेलू भार संभरक (NDL Feeder)	जुलाई 21	4 PM से 5 PM	3 AM से 4 AM
	अगस्त 21	4 PM से 5 PM	3 AM से 4 AM

पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी की प्रतिक्रिया

निवेदन किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु वांछित जानकारी तालिका—A तथा तालिका—B में उपलब्ध है। साफ्ट प्रति पृथक से आयोग को प्रस्तुत की जा रही है।

आयोग की अभ्युक्तियां/दिशा–निर्देश :

आयोग द्वारा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने आयोग के दिशा–निर्देशानुसार समयानुपाती विद्युत–दर (ToD Tariff) में सुधार/उन्नयन हेतु कोई अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव याचिकाकर्ताओं को उपलब्धता आधारित विद्युत–दर मापयंत्र आंकड़ों (ABT Metering Data) के आधार पर यह पहचान करने हेतु कि कौन सी श्रेणी व्यस्ततम विद्युत खपत (peak consumption) अवधि के दौरान अपना अंशदान प्रदान कर रही है, कौन सी श्रेणी द्वारा अपनी विद्युत खपत को अव्यस्ततम घंटों (off-peak hours) में परिवर्तित किया जा सकता है, व्यस्ततम तथा अव्यस्ततम खपत स्तरों की मौसमी घटत–बढ़त हेतु विस्तृत अध्ययन का कार्य हाथ में लिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। इस अध्ययन के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा समयानुपाती विद्युत–दर प्रबन्धन (ToD tariff dispensation) में संशोधन/उन्नयन करने हेतु आगामी टैरिफ याचिका के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने आंकड़े आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप (format) के अनुसार प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतएव, आयोग पुनः याचिकाकर्ताओं को वांछित आंकड़े आगामी टैरिफ याचिका में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है।

7.12 डूबन्त ऋणों को चिन्हांकित करने हेतु नीति तथा प्रतिक्रिया तथा इन्हें बट्टे खाते में डालना (Policy and procedure For identification of bad debts and writing off the same)

आयोग के दिशा–निर्देश :

मप्रविनिआ बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 37 में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है :

“**डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण** :

इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से तीन माह के भीतर अनुज्ञप्तिधारी डूबन्त ऋणों के चिन्हांकन हेतु तथा इन्हें बट्टे–खाते में डालने हेतु प्रारूप नीति तथा प्रक्रिया आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।”

तद्नुसार याचिकाकर्ताओं से इस टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से तीन मास के भीतर डूबन्त ऋण के चिन्हांकन तथा इसे बट्टे–खाते में डालने हेतु प्रारूप नीति तथा प्रक्रिया आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

7.13 विद्युत देयक का प्ररूप (Format for Elelctricity Bill)

आयोग के दिशा–निर्देश

आयोग द्वारा यह पाया गया है कि अनेक हितधारकों ने विद्युत देयक प्ररूप का अत्यधिक जटिल होने तथा उन्होंने विद्युत देयकों कोसमझने में हो रही कठिनाई संबंधी मुद्दा उठाया है। आयोग का यह मत है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं हेतु जारी किये जा रहे देयक समझने में सरल होने चाहिए। अतएव, आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत देयक तैयार करने हेतु सरल प्ररूप में तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश देता है तथा इसे टैरिफ ओदश जारी होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

7.14 न्यूनतम प्रभार (Minimum Charges)

आयोग के दिशा–निर्देश

वर्तमान विद्युत–दर संरचना में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्थाई लागत की वसूली हेतु किये गये व्यय आंशिक रूप से स्थाई प्रभारों तथा बकाया राशि की वसूली ऊर्जा प्रभारों के माध्यम से की जाती है। उपभोक्ताओं के लिये, उपभोक्ता द्वारा शून्य अथवा न्यूनतम खपत होने की दशा में ऐसी संभावना है कि ऐसे उपभोक्ता को केवल स्थाई प्रभारों का ही भुगतान करना आवश्यक होगा जो कि प्रणाली में स्थाई लागत के लगभग 20% अंश की ही पूर्ति करेगा। यह निश्चित रूप से वांछनीय परिस्थिति नहीं है। ऐसे में इस प्रकार के परिदृश्य से बचने के लिये, न्यूनतम प्रभारों की अवधारणा (concept) प्रवर्तित की गई जो स्थाई लागत के भाग की पूर्ति की प्रकृति के रूप में थी। चालू परिदृश्य के बावजूद, आयोग का मत है कि विद्युत–दर संरचना (tariff structure) कोआगे और भी अधिक सरल बनाये जाने की आवश्यकता है, अतएव, न्यूनतम प्रभार जो स्थाई प्रभारों की प्रकृति में हैं, को बाद में किसी प्रक्रम के दौरान इनका परस्पर विलयन (subsumed) किया जाए। तथापि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है इस प्रकार के उपाय के तात्पर्य को समझा जाए ताकि उपभोक्ता की किसी विशिष्ट श्रेणी हेतु टैरिफ प्रघात (Tarrif Shock) सन्निहित न हो। अतएव वितरण अनुज्ञप्तिधारी/याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि वे निम्नांकित विस्तृत जानकारी मय वित्तीय संभावनाओं (implications) के प्रस्तुत करें ताकि इस संबंध में सुनिश्चित अभिमत स्थापित किया जा सके :

i. श्रेणी/उपश्रेणीवार प्रयोज्य न्यूनतम प्रभार, न्यूनतम प्रभारों के विरूद्ध वसूली तथा उपभोक्ताओं की संख्या जिनकी पिछले वर्षों के दौरान न्यूनतम बिलिंग की गई है।

ii. श्रेणी/उपश्रेणीवार वास्तविक खपत जिस हेतु बिलिंग पिछले पांच वर्षों हेतु न्यूनतम प्रभारों के अनुसार की गई है।

iii. पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों से श्रेणीवार/उपश्रेणीवार बिल की गई राजस्व राशि।

ए 8 : सार्वजनिक सुझाव तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां
(Public Suggestions and Comments on Licensees' Petitions)

8.1 मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड तथा तीन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर प्रस्तावों को सुनवाई के लिये स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां/आपत्तियां/ सुझावों की प्राप्ति हेतु राज्य के प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गईं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई टैरिफ याचिका को मय उसकी संक्षेपिका के आयोग के साथ–साथ याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। आयोग ने सार्वजनिक सुनवाइयों की अंतिम तिथि तक प्राप्त किये गये समस्त सुझावों/ टिप्पणियों/आपत्तियों पर विचार किया है। हितधारकों के नामों की सूची जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–23से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु टैरिफ प्रस्तावों पर सुझाव/टिप्पणियां/ आपत्तियां दाखिल की थीं, **परिशिष्ट–1** में संलग्न की गई हैं।

8.2 सार्वजनिक सूचना जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा विद्युत–दर प्रस्ताव (Tariff proposal) की संक्षेपिका सम्मिलित थी, को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2022 को निम्न हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया गया था जिसके माध्यम से हितधारकों को अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां/सुझाव अन्तिम तिथि 04 मार्च, 2022 तक दाखिल किये जाने का अनुरोध किया गया था।

तालिका 144 : समाचार–पत्रों की सूची : याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाशित की गई सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में

समाचार–पत्र	भाषा
फ्री प्रेस, इंदौर	अंग्रेजी
नई दुनिया, इंदौर	हिन्दी
द् हितवाद, जबलपुर	अंग्रेजी
दैनिक भास्कर, जबलपुर	हिन्दी
दैनिक भास्कर,सागर	हिन्दी
जबलपुर एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा	हिन्दी
देश बन्धु, सतना	हिन्दी
प्रदेश, रीवा	हिन्दी
नव भारत, भोपाल	हिन्दी
सेन्ट्रल क्रानिकल, भोपाल	अग्रेजी
पीपुल्स समाचार, ग्वालियर	हिन्दी

8.3 आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिनांक 8 मार्च, 2022 को पूर्व क्षेत्र विविकं, 9 मार्च, 2022 को पश्चिम क्षेविविकं. तथा 10 मार्च 2022 को मध्य क्षेविविकं हेतु आयोजित की गई तथा उसके द्वारा हितधारकों की आपत्तियों/ टिप्पणियों/सुझावों की सुनवाई की गई।

8.4 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)/विद्युत–दर प्रस्तावों (Tariff Proposals) पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 145 : प्राप्त की गई आपत्तियों/सुझावों/टिप्पणियों की संख्या

सरल क्रमांक	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	प्राप्त किये गये सुझावों की संख्या
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि., इंदौर	17
2	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल	37
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर	19
	योग	**73**

8.5 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया के एक भाग के अन्तर्गत, राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) की बैठक आयोग द्वारा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से याचिका पर उनके विचार जानने तथा सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई। राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों तथा उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर आयोग द्वारा इस आदेश के अंतर्गत समुचित तौर पर विचार कर लिया गया है।

8.6 आयोग ने विभिन्न हितधारकों से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ याचिका से संबंधित प्राप्त किये गये सुझावों/आपत्तियों/टिप्पणियों पर यथोचित विचार किया है। तथापि, आपत्तियों का समूहीकरण सुझावों/टिप्पणियों/आपत्तियों की प्रकृति के अनुसार किया गया है तथा इन्हें इस अध्याय में निम्न परिच्छेदों के अंतर्गत संक्षेप में दिया जा रहा है। हितधारकों द्वारा उठाये गये कतिपय मुद्दे जो विद्युत–दर (टैरिफ) तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से संबद्ध नहीं हैं, के बारे में आयोग द्वारा इस अध्याय में चर्चा नहीं की गई है।

विद्युत–दर रूपांकन (Tariff Design)

विषय क्रमांक 1 : विद्युत–दर न्यूनतम प्रभार (Tariff Minimum Charges)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्‌दा

समस्त उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्युत–दर न्यूनतम प्रभार (TMM) को हटा दिया जाना चाहिए तथा वास्तविक खपत पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि 90% उद्योगों में विद्युत की वास्तविक खपत अत्यधिक तथा विद्युत–दर न्यूनतम प्रभार (TMM) से अधिक है। विद्युत न्यूनतम प्रभार को हटाना लघु उद्योगों/गैर–औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये उपयोगी होगा तथा इन उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग अपनाए जाने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

बहुवर्षीय विद्युत–दर (MYT) विनियम, 2021 में विद्युत–दर न्यूनतम (Tariff Mimnimum) काउल्लेख कहीं नहीं किया गया है। बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2015 में विद्युत–दर न्यूनतम संबंधी प्रावधानको पुनरीक्षित विनियमों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45(3)(क) द्वारा बदला जा चुका है। अतएव विद्युत–दर न्यूनतम प्रभार (TMM) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्थाई प्रभारों की वसूली पृथक से की जा रही है, अतएव उनके द्वारा न्यूनतम प्रभारों को वसूल किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे यह भी कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 टैरिफ–न्यूनतम प्रभारों (tariff minimum charges) को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं।

संविदा मांग पर आधारित न्यूनतम प्रभार कण्डिका (clause) को स्थाई प्रभारों (fixed charge) के रूप में जोड़ा जाना चाहिए तथा न्यूनतम प्रभार प्रति माह देय होने चाहिए, भले ही ऊर्जा की खपत की जाए या न भी की जाए।

आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों की स्थाई लागत की पूर्ति हेतु स्थाई प्रभारों में शनैः–शनैः वृद्धि पर विचार किया जाए तथा विद्युत–दर अनुसूची (Tariff Schedule) से विद्युत–दर न्यूनतम प्रभारों (Tariff Minimum Charges)/प्रत्याभूत वार्षिक खपत (guaranteed annual consumption) की समस्त श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

द्वि–भाग विद्युत–दर (two-part tariff) के सिद्धान्तों के अनुसार स्थाई प्रभारों (fixed charges) का तात्पर्य स्थाई लागत की वसूली तथा ऊर्जा प्रभारों (energy charges) का तात्पर्य परिवर्तनीय लागत (variable cost) की वसूली से है। वर्तमान में स्थाई प्रभार अनुज्ञप्तिधारी की स्थाई लागत की वसूली हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतएव, जब तक स्थाई प्रभारों में वृद्धि ऐसे स्तर तक न कर दी जाए जब तक कि वह विद्युत आपूर्ति की स्थाई लागत की वसूली हेतु पर्याप्त न हो जाए, स्थाई न्यूनतम प्रभारों (TMM) में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

आगे, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 41 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्युत–दर (टैरिफ) आय में न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित किया जाएगा जैसा कि इसे भिन्न श्रेणी उपभोक्ता हेतु आयोग द्वारा अवधारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(छ) में विशेष रूप से अधिदेशित किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई विद्युत–दर (टैरिफ) द्वारा उत्तरोत्तर विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए तथा यह भी कि प्रतिराज्यानुदान (cross-subsidies) कम कर दिये जाएं। अतएव, यदि प्रत्याभूत न्यूनतम खपत प्रभारों को छोड़ भी दिया जाता है तो स्थाई प्रभारों में वृद्धि उस सीमा तक किया जाना आवश्यक हो जाता है जिसके अनुसार वह विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित करे अन्यथा वह विद्युत अधिनियाम, 2003 की धारा 61(छ) के प्रयोजन को ही विफल कर देगा।

इसके अतिरिक्त, न्यूनतम प्रभारों को केवल उसी दशा में अधिरोपित किया जाता है जब किसी उपभोक्ता की खपत किसी माह हेतु प्रत्याभूत न्यूनतम खपत से कम हो जाती है। अतएव, याचिकाकर्ताओं का दावा न तो विद्युत अधिनियम का उल्लंघन करता है तथा न ही बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 का।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा कतिपय हितधारकों द्वारा उठाये गये उपरोक्त मुद्दे का परीक्षण किया गया। यह पाया गया है कि देश में विद्युत क्षेत्र (power sector) विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 45, धारा 43 के अधीन उसके वैश्विक आपूर्ति आबन्ध (universal supply obligation) के अनुसरण में विद्युत आपूर्ति के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रभारों की वसूली हेतु शक्ति प्रदान करने हेतु संव्यवहार करती है। यह विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी का वैश्विक सेवा आबन्ध (universal service obligation) है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किये जाने पर एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विद्युत संयोजन (electric connection)

प्रदान करे। धारा 45 की उपधारा 2(क) में प्रावधान किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों का निर्धारण संबद्ध राज्य आयोग द्वारा निर्धारित विधियों तथा सिद्धान्तों के अनुसार किया जाए। धारा 45 की उपधारा 3(क) में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों में वास्तविक रूप से प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों के अतिरिक्त स्थाई प्रभारों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 181(2)(यघ) राज्य आयोग को धारा 61 के अधीन विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है जो बहुवर्षीय विनियम, 2021 के माध्यम से विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किये जाने बाबत मार्गदर्शक कारकों/सिद्धान्तों को सविस्तार प्रतिपादित करती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(घ) के अनुसार बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 को विनिर्दिष्ट करते समय आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा तत्समय युक्तिसंगत ढंग से विद्युत लागत की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 को विद्युत अधिनियम की धारा 61 के अनुसार अधिसूचित किया गया है तथा बहुवर्षीय विनियम 2021 का विनियम 41 ''न्यूनतम प्रभारों (Minimum Charges)'' को विद्युत–दर आय (Tariff Income) के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अतएव, यह सटीक तौर पर विधिसम्मत है कि विद्युत प्रदाय की लागत की आंशिक वसूली न्यूनतम प्रभारों के माध्यम से की जाए।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के विद्युत–दर आदेश (Tariff order) केअनुसार रू 41080 करोड़ की कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) में लगभग रू. 24,785 करोड़ की स्थाई लागत (fixed cost) तथा रू 16,290 की परिवर्तनीय लागत (variable cost) सम्मिलित है। स्थायी लागत घटक कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत है जिसमें विद्युत उत्पादकों, पारेषण सेवा प्रदायकों तथा संचालन तथा संधारण व्यय, अवमूल्यन, ब्याज तथा वित्त प्रभार तथा पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु देय स्थाई लागत सम्मिलित है। यह एक भली–भांति स्वीकृत आर्थिक सिद्धान्त है कि जनोपयोगी सेवा इकाई (यूटिलिटी) की स्थाई लागतों की वसूली एक निश्चित सीमा तक राजस्व स्थायित्व को सुनिश्चित करने हेतु स्थाई प्रभारों के माध्यम से की जानी चाहिए। भले ही स्थाई लागत घटक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके विद्युत आपूर्ति तथा वितरण व्यवसाय में किये गये व्यय का लगभग 60 प्रतिशत अंश होता है, तथापि वास्तविक रूप से (historically) अनुसरण की गई विद्युत–दर संरचना (Tariff structure) के कारण उपभोक्ता को स्थाई प्रभारों के माध्यम से स्थाई लागत की वसूली मात्र 20 प्रतिशत ही होती है। स्थाई लागत के शेष भाग की वसूली उपभोक्ताओं द्वारा खपत किये गये यूनिटों में से ऊर्जा प्रभारों के माध्यम से की जाती है। अतएव, उपभोक्ता द्वारा शून्य अथवा न्यूनतम खपत होने की दशा में यह संभव है कि उपभोक्ता को ऐसे स्थाई लागतों का भुगतान करना होगा जो प्रणाली में स्थाई लागत की मात्र लगभग 20 प्रतिशत की ही पूर्ति करेगा। तद्नुसार, शेष स्थाई लागत के भार की पूर्ति हेतु जो लगभग 80 प्रतिशत है, को अन्य उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करना होगा जिससे उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों को अपरिहार्य (unavoidable) कष्टों का सामना करना होगा। यह निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है। अतएव, ऐसे परिदृश्य से बचने के लिए न्यूनतम प्रभारों की अवधारणा प्रतिपादित की गई जो कि स्थाई लागत के एक अंश की पूर्ति की प्रकृति के रूप में थी जिसे प्रवर्तित करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों के मध्य स्थाई लागत के भार को परस्पर वितरित करना था। किसी भी स्थिति में, उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक सीमित होगी जिन्हें न्यूनतम प्रभारों का भुगतान करना होगा क्योंकि अधिकांश उपभोक्ताओं की खपत संविदा मांग या स्वीकृत भार के अनुसार होगी। उपरोक्त कथन के बावजूद, आयोग का यह दृष्टिकोण है कि विद्युत–दर संरचना (Tariff structure) को और अधिक सरल बनाये जाने की आवश्यकता है, अतएव, न्यूनतम प्रभार जो स्थाई प्रभारों की प्रकृति के हैं, का बाद के प्रक्रम में स्थाई प्रभारों की श्रेणी में विलयन कर दिया जाएगा। तथापि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस विलयन के तात्पर्य को समझना आवश्यक है ताकि किसी भी विद्युत–दर श्रेणी हेतु किसी भी प्रक्रम पर विद्युत–दर प्रघात (tariff shock) की स्थिति निर्मित न हो पाये। अतएव, हितधारकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के प्रकाश में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों का आयोग द्वारा अध्ययन किया गया है तथा यह महसूस किया जाता है कि

प्रदत्त जानकारी का समुच्चय विचाराधीन विषय के बारे में निर्णय लेने हेतु पर्याप्त नहीं है। अतएव वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/याचिकाकर्ताओं को विस्तृत रूप से वांछित जानकारी मय वित्तीय भार के, प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ताकि इस विषय में सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

विषय क्रमांक 2 : छूट/प्रोत्साहन/अधिभार (Rebate/Incentive/Surcharge)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये ऊर्जा अधिशेष (energy surplus) का परिदृश्य तथा कोविड–19 महामारी के कारण उद्योगों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति प्रक्षेपित की है, नवीन तथा विद्यमान उपभोक्ताओं (HV-3 श्रेणी) के लिये आधार वर्ष को परिवर्तित किये बगैर धनात्मक छूट (incremental Rebate) का विस्तार सम्पूर्ण नियन्त्रण अवधि हेतु कर दिया जाए।

आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उपभोक्ताओं के लिये ऊर्जा प्रभारों पर रू 2 प्रति यूनिट की धनात्मक छूट, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस सुविधा के विकास हेतु भारी पूंजी निवेश किया गया है, इसका विस्तार एक वर्ष के स्थान पर 5 से 10 वर्ष के लिए कर दिया जाए।

HV-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उपभोक्ताओं के लिये धनात्मक खपत पर छूट में वृद्धि रू 2 प्रति यूनिट के स्थान पर रू 3 प्रति यूनिट कर दी जाए।

कोविड–19 के प्रभाव पर विचार करते हुए HV-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये हरित क्षेत्र (green field)/नवीन संयोजन (Newconnection) छूट का विस्तार अतिरिक्त 3 वर्षों के लिये कर दिया जाए।

पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु आयोग से पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी करने का अनुरोध है तथा यदि पृथक विद्युत–दर जारी करना संभव न हो तो निम्नलिखित विकल्प अपनाए जा सकते हैं जिससे विद्युत खपत तथा विद्युत की उपयोगिता में वृद्धि होगी :

- गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries) विद्युत के थोक उपभोक्ता हैं। उनकी प्रति KVA खपत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं से काफी अधिक है। महाराष्ट्र राज्य की ही भांति यहां भी 4 से 5 प्रतिशत की दर से थोक उपभोक्ता प्रोत्साहन (Bulk Consumer Incentive) लागू किया जा सकता है।
- गहन विद्युत उद्योगों का भार कारक (Load Factor) 76% से 90% के मध्य है। ऐसे में 70% से अधिक भार कारक धारित करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भार कारक प्रोत्साहन हेतु योजना लागू की जानी चाहिए।
- भार कारक प्रोत्साहन जो वर्तमान में 7% है, में वृद्धि कर इसे 9% किया जा सकता है।

रात्रिकालीन घंटों के दौरान 20% की समयानुपाती (ToD) छूट में वृद्धि करते हुए इसे 25–30% तक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, माह अप्रैल से माह अक्टूबर की अवधि के दौरान 20% की छूट को अव्यस्ततम घंटों (off peak hours) हेतु पुनर्स्थापित किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा अकुशल मजदूरों (unskiled labour), परिवहन (Transportation) आदि जैसी समस्याओं का सामना किया जा रहा है। अतएव, ग्रामीण–बहुल क्षेत्र में संभरकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पर छूट को यथावत जारी रखा जाए।

उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु प्रावधान से संरेखित निम्न ऊर्जा कारक (low power factor) के कारण अधिकतम ऊर्जा कारक अधिभारों (power factor surcharges) में 10% से अधिक की वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

जैसा कि सुझाव दिया गया है याचिका के अन्तर्गत प्रस्तावित छूटों तथा प्रोत्साहन की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। आयोग को छूट का विस्तार इसे तर्कसंगत बनाते हुए किया जाना चाहिए जो विद्युत प्रदाय की औसत लागत की वसूली के अध्यधीन हो।

विलम्बित भुगतान हेतु अधिभार 1.25% प्रति माह (अर्थात्, 15% प्रति वर्ष) की दर से प्रस्तावित किया गया है, जबकि विद्युत वितरण कम्पनियां उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप (consumer Security Deposit) पर ब्याज का भुगतान केवल बैंक दर पर ही करती हैं। अतएव, विलम्बित भुगतान अधिभार को वर्तमान बैंक दर से संरेखित किया जाना चाहिए।

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु लागू सामान्य निबन्धन तथा शर्तों की कण्डिका 1.10 में अग्रिम भुगतान पर एक प्रतिशत प्रति माह की छूट का प्रावधान किया गया है। इस बारे में हितधारकों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यदि ऐसे उपभोक्ता जो एक वर्ष की अवधि के लिये अग्रिम राशि जमा करने के इच्छुक हों तथा बिलिंग माह की अन्तिम तिथि को शेष राशि पर मासिक आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें किस प्रकार लाभान्वित किया जाएगा। अग्रिम भुगतान पर छूट में वृद्धि एक प्रतिशत से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।

उच्च दाब उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाईन देयक भुगतान पर छूट (rebate) को वापस ले लिया जाए क्योंकि अधिकांश उपभोक्तागण पूर्व ही से ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। अतएव यह छूट किसी भी प्रकार से तर्कसंगत या न्यायसंगत नहीं है तथा अन्य उपभोक्ताओं पर यह रू 80 लाख के वित्तीय बोझ का सृजन करेगी।

भार कारक (Load Factor) की गणना वित्तीय वर्ष 2010–11 की खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार की जानी चाहिए क्योंकि यदि ऊर्जा कारक (PF) में सुधार किया जाता है तो प्रस्तावित भार कारक (LF) सूत्र भार कारक प्रतिशत को कम कर देता है। अतएव, आयोग को सूत्र में परिवर्तन करने बाबत अनुरोध किया गया।

आयोग से अनुरोध किया गया कि राज्य में उपलब्ध अधिशेष (surplus) ऊर्जा को दृष्टिगत रखते हुए अधिक ऊर्जा के उपयोग हेतु 50% से अधिक भार कारक प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर धनात्मक खपत (incremental consumption) हेतु 75% से अधिक प्रत्येक एक प्रतिशत की भार कारक वृद्धि हेतु 0.10 प्रतिशत की दर से भार कारक छूट (Load Factor rebate) प्रदान की जानी चाहिए।

कुल विद्युत खपत पर ऊर्जा कारक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें विद्युत वितरण कम्पनी निर्बाध (खुली) पहुंच तथा खुली पहुंच के अधीन आबद्ध केप्टिव विद्युत संयन्त्रों (CPP) के माध्यम से विद्युत की खपत सम्मिलित है।

आदेश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या 10 किलोवाट तक का भार धारित करने वाले उपभोक्ता भी ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (Power Factor Incentive) की पात्रता रखते हैं।

विद्युत लाइनों में संधारण की कमी के कारण 0.9 से अधिक का ऊर्जा कारक (power factor) संधारित किया जाना कठिन है। अतएव आयोग से ऊर्जा कारक अर्थ दण्ड (PF Penalty) हेतु ऊर्जा कारक की सीमा को 0.9 से घटा कर के 0.8 कर दिये जाने का अनुरोध किया गया।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

पूर्व विद्युत–दर से संरेखित, नवीन उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट को वर्तमान याचिका में एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। आयोग से इस बारे में उचित दृष्टिकोण अपनाये जाने का अनुरोध है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा कोविड–19 के प्रभाव पर विचार करते हुए औद्योगिक संघों से (इस्पात उद्योगों को सम्मिलित करते हुए) या उद्योगों से आने वाले वर्षों के लिये छूट जारी रखे जाने संबंधी उनके अनुरोध प्राप्त किये गये हैं। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं ने छूट को आगे एक वर्ष के लिये अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2022–23 तक जारी रखे जाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, छूटें न केवल नये संयोजनों के लिये वरन् विद्यमान संयोजनों के लिये भी प्रस्तावित की जा रही हैं। अतएव, इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने नवीन उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्यमान उपभोक्ताओं के हितों का संवर्धन किया जाना भी प्रस्तावित किया है।

निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (Open Access Consumers)/आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उपभोक्ताओं हेतु छूट का विस्तार पूर्व विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश से संरेखित एक वर्ष के लिये प्रस्तावित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकार्ताओं ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि छूट (रिबेट) को लागू किये जाने पर उद्योगों में विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है जिसका परिणाम विद्युत वितरण कम्पनियों का भार वक्र (load curve) चपटा (flatten) होने के रूप में सामने आया है। इसके अतिरिक्त छूट प्रदान करने से राज्य में नवीन पूंजी निवेश के प्रति आकर्षण में वृद्धि हो रही हैजिसका परिणाम राज्य में विभिन्न रोजगार अवसरों के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने छूट को एक अतिरिक्त वर्ष के लिये जारी रखा जाना प्रस्तावित किया है।

याचिकाकार्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपभोक्ताओं को, जिसमें रेलवे भी सम्मिलित है, विद्युत की खपत में वृद्धि हेतु विभिन्न छूटेंप्रदान की जा रही हैं। यह अव्यस्ततम विद्युत छूट (off-peak power rebate) मात्र एक विशेष रात्रि विद्युत–दर (special night tariff) है। वर्तमान में समयानुपाती (ToD) छूट उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये इस आधार पर लागू की गई है कि ऐसे उद्योगों में विद्युत खपत चौबीसों घंटे जारी रहती है जबकि दूसरी ओर निम्न दाब उद्योग छोटे उद्योग होते हैं तथा सामान्यतः दिन के समय ही संचालित किये जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) के अनुसार आयोग किसी विशिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की खपत हेतु विभेदक विद्युत–दर (differential tariff) प्रभारित करने हेतु पूर्णतया शक्तिसम्पन्न है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित किया गया है कि व्यस्ततम घंटों (peak hours) केदौरान खपत हेतु किसी प्रकार के अधिभार (surcharge) को आरोपित नही किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये विभिन्न अन्य छूटों/प्रोत्साहनों का प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है तथा उपभोक्ताओं द्वारा इनका लाभ भी प्राप्त किया जा रहा है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु समयानुपाती छूट प्रोत्साहन (ToD rebate incentive) को अपने स्वयं के सामर्थ्य (purview) में परिवर्तित किया है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने व्यस्ततम अवधि के दौरान विद्युत खपत पर कोई अधिभार आरोपित किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है। अतएव, हितधारकों का समयानुपाती छूट (ToD Rebate) में और अधिक वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन अपने आप में स्वयं के व्यवसाय के संवर्धन हेतु तथा

उपभोक्ता तथा आमजन के संग परस्पर सद्भाव के सृजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार है तथा इसे साधिकार (matter of right) के रूप में नहींसमझा जाना चाहिए।

जहां तक ग्रामीण–बहुल क्षेत्र में संभरकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति में छूट का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की आपूर्ति औद्योगिक संभरकों के माध्यम से चौबीसों घंटे प्राप्त की जा रही है। अतएव, ग्रामीण–बहुल क्षेत्र में इन संभरकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति पर छूट समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु उपभोक्ताओं को अन्य छूटें प्रदान की जा रही हैं।

उच्च दाब उद्योगों हेतु ऊर्जा कारक (PF) अधिभार को कम करने बाबत याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा कारक की उच्चतम सीमा में कमी करने का परिणाम अन्य उपभोक्ताओं पर जो उनके विद्युत कारक को कायम कर रहे हैं, बोझमें वृद्धि के रूप में सामने आयेगा। इसके अतिरिक्त, उच्च दाब उद्योगों द्वारा उपयोग किये जा रहे भार की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इनकी निम्न दाब उपभोक्ता से तुलना की जाना उचित नहीं है।

उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब का परिणाम विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उधारियों (borrowings) या फिर उसके प्रदायकों को विलम्बित भुगतान के रूप में सामने आता है। अतएव, हितधारक का विलम्बित भुगतान हेतु अधिभार का उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप से ब्याज की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये दोनों मदें भिन्न–भिन्न विनियमों द्वारा संचालित की जाती हैं।

आदर्श स्थिति में उपभोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इकाई विद्युत कारक (Unity Power Factor) संधारित करेंगे। अतएव ऊर्जा कारक (PP) हेतु आगे किसी वृद्धि में सुयोग्यता का अभाव (lacks merit) है।

अग्रिम भुगतान हेतु छूट के मामले में टैरिफ आदेश का प्रावधान स्पष्ट है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु टैरिफ आदेश में भार कारक संगणना सूत्र (L.F. calculation formula) ऐसे उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान कर रहा था जिनकी अधिकतम अभिलेखित मांग संविदाकृत मांग से कम होती है। ऐसे उपभोक्ता दुगुना प्रलाभ प्राप्त करते हैं, अर्थात् ऊर्जा कारक के प्रोत्साहन के बतौर तथा 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक से तत्संबंधी ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभारों में कमी के बतौर भी। इस विसंगति का सुधार वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ग्रिड अनुशासन (grid discipline) के अन्तर्गत अपनी परिसम्पत्ति का उपयोग अनुकूलतम स्तर पर करे। अतएव संविदाकृत मांग तथा ऊर्जा कारक पर आधारित भार कारक (load factor) की गणना हेतु विद्यमान सूत्र युक्तिसंगत तथा न्यायोचित है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि विद्युत–दर का रूपांकन इस प्रकार किया गया है कि उपभोक्ता के भार कारक (LF) में वृद्धि किये जाने पर विद्युत–दर में कमीआयेगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन पूर्णतया युक्तिसंगत तथा न्यायोचित है।

टैरिफ आदेश के प्रावधान अनुसार ऊर्जा कारक (power factor) का भुगतान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों (energy charges) पर देय है।ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी की ओर से केवल ऊर्जा की खपत (energy consumption) हेतु की जा रही है। अतएव, हितधारक का यह कथन कि प्रोत्साहन विद्युत वितरण कम्पनी, निर्बाध (खुली) पहुंच तथा निर्बाध (खुली) पहुंच के आधीन आबद्ध

(केप्टिव) विद्युत संयन्त्र के माध्यम से विद्युत की खपत को सम्मिलित करते हुए कुल खपत पर प्रदान किया जाएगा, में सुयोग्यता का अभाव (lack merit) है।

यह उपभोक्ता की बाध्यता (obligation) है कि वह मप्र विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अनुसार उपयुक्त क्षमता के संधारित्र(Capacitor) की स्थापना द्वारा ऊर्जा कारक को कायम रखने की दृष्टि से 3 BHP या इससे अधिक का प्रेरक भार (inductive load) धारित करे। तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं का यह मत है कि केवल वह उपभोक्ता जो 3 BHP या इससे अधिक का प्रेरक भार धारित करता है, को ही विद्युत कारक प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि ऊर्जा कारक (power factor) में सुधार द्वारा उपभोक्ताओं को स्वयमेव प्रलाभ प्राप्त होते हैं। ऊर्जा कारक (PF) का संबंध उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जा रहे उपकरणों से है जिनके कारण प्रतिक्रियाशील (reactive) ऊर्जा विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत तन्तुपथों (लाइनों) में प्रवाहित होती है तथा यह लाइनों की क्षमता को कम कर देती है जिसका परिणाम विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि के रूप में प्रकट होता है। अतएव उपभोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिक्रियाशील ऊर्जा को क्षतिपूर्ति हेतु शंट कैपेसिटर बैक की स्थापना द्वारा 0.95 का ऊर्जा कारक संधारित करें।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा यचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस आदेश के माध्यम से विभिन्न छूटों को जारी रखा है जिनका विस्तृत विवरण इस आदेश के टैरिफ अनुसूची (Tariff Schedule) अध्याय में दिया गया है।

समयानुपाती (ToD) विद्युत–दर के संबंध में यहां यह संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि समयानुपाती विद्युत दर का प्रयोजन भार वक्र (load curve) को चपटा आकार (flatten) प्रदान करना है ताकि उपभोक्तागण अपना भार व्यस्ततम अवधि (peak period) से अव्यस्ततम अवधि (peak period) की ओर स्थानांतरित करने हेतु प्रोत्साहित हों। अतएव, आयोग ने अपने अन्तिम टैरिफ आदेश में मौसमी समयानुपाती विद्युत–दर (seasonal ToD tariff) को लागू किया था जिसे पूर्व वर्षों में पाये गये भार प्रतिमान (load pattern) से संरेखित किया गया। आयोग ने इस आदेश में एक दिशा–निर्देश को सम्मिलित किया है जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं से उनके द्वारा दाखिल की जाने वाली अगली याचिका के दौरान वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वास्तविक मांग आंकड़े (actual demand data) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा के पश्चात् आयोग अनुवर्ती विद्युत–दर (टैरिफ) में दाखिल करने पर उस पर उचित दृष्टिकोण अपनाएगा।

अग्रिम भुगतान पर छूट के बारे में आयोग यह स्पष्ट करता है कि अग्रिम भुगतान पर छूट की प्राप्ति हेतु उपभोक्ताएक माह से अधिक की अवधि के लिये अपने देयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

विषय क्रमांक 3 : हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

राज्य में हरित विद्युत–दर प्रावधान को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों के अनुरूप लागू किया जाए ताकि उपभोक्ताओं के पास विद्युत वितरण कम्पनियों से हरित ऊर्जा क्रय करने का विकल्प मौजूद हो।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने पूर्व ही से अपनी हरित ऊर्जा विद्युत–दर से संबंधित एक प्रस्ताव आयोग के विचारार्थ प्रेषित किया जा चुका है।

आयोग का दृष्टिकोण

हितधारकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff) का प्रावधान किया है जिसकाविवरण इस आदेश के अध्याय ए 4 में दिया गया हैं।

विषय क्रमांक 4 : एचवी–3 श्रेणी हेतु विद्युत–दर : औद्योगिक, गैर–औद्योगिक एवं शापिंग मॉल उपभोक्ता (HV 3- : Industrial, Non-Industrial & Shopping Malls, Consumers)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

याचिकाकर्ता ने काल्पनिक (fictitious) आंकड़ों के आधार पर स्वतंत्र तथा न्यायसंगत ऊर्जा अंकेक्षण अभिकरण के माध्यम से विद्युत प्रदाय की वास्तविक वोल्टेजवार लागत का अवधारण कराये बिना श्रेणी एचवी–3.4 हेतु विद्युत–दर में वृद्धि प्रस्तावित की है।

याचिकाकर्ताओं तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) (विशेष आर्थिक क्षेत्र–एसईजेड) की औसत विद्युत अधिप्राप्ति लागत (Average Power Procurement Cost-APPC) क्रमशः रू 4.05 प्रति यूनिट तथा रू 3.74 प्रति यूनिट {एमपीआईडीसी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) की कण्डिका 2.85 के अनुसार} है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा अभ्युक्ति की गई है कि मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी (MPPMCL) नें 55 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) के साथ थोक विद्युत आपूर्ति अनुबन्ध (Bulk Power Supply Agreement) निष्पादित किया है।

तथापि, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) की स्वयमेव सामान्य उद्योग हेतु 33 केवी उच्च दाब विद्युत–दर रू 228 प्रति KVA (स्थाई प्रभार) तथा रू 3.79 प्रति यूनिट {उनके यहां गहन विद्युत–दर (power intensive tariff) लागू नहीं होती} है जबकि याचिकाकर्ता की गहन विद्युत–दर रू 580 प्रति केवीए तथा रू 5.40 प्रति यूनिट है तथा अब इसे रू 605 प्रति केवीए तथा रू 6.00 प्रति यूनिट की दर से बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः आयोग से अनुरोध है कि 33 केवी गहन विद्युत इकाईयों हेतु विद्युत–दर को घटा कर रू 274 प्रति केवीए (स्थाई प्रभार) तथा रू 4.55 प्रति यूनिट (ऊर्जा प्रभार) कर दिया जाए।

आयोग से आगे यह अनुरोध भी है कि एचवी–3.4 श्रेणी हेतु 132 केवी विद्युत–दर में वृद्धि न की जाए क्योंकि विद्यमान विद्युत–दर पूर्व ही से काफी अधिक है।
याचिकाकर्ताओं ने एचवी–3.4 श्रेणी हेतु विद्युत–दर प्रभारों में 13.38% की दर से भारी–भरकम वृद्धि प्रस्तावित की है जो कि विद्युत–प्रस्तावों के इतिहास में समस्त उच्च दाब श्रेणियों में, अब तक की उच्चतम प्रस्तावित वृद्धि है।

132 केवी हेतु विद्युत प्रभार, स्थाई प्रभार (fixed charge) के रूप में 740 तथा ऊर्जा प्रभार (energy charge) रू 5.95 प्रति यूनिट प्रस्तावित किये गये हैं जबकि 33 केवी श्रेणी हेतु प्रस्तावित स्थाई प्रभार रू 605 तथा ऊर्जा प्रभार रू 6.00 प्रति यूनिट प्रस्तावित किये गये हैं जो इन दो श्रेणियों के मध्य मुख्य अन्तर का सृजन करते हैं तथा 132केवी को लगभग अव्यावहारिक (unviable) श्रेणी में स्थापित करते हैं और भावी उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करने वाले हैं। अतएव आयोग से अनुरोध किया गया कि इसे अनुमति प्रदान न की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने एचवी–3.4 श्रेणी की तुलना में एचवी–3.1 (50% भार कारक से अधिक हेतु) श्रेणी हेतु निम्न ऊर्जा प्रभार प्रस्तावित किये हैं।

एचवी–3.1 श्रेणी हेतु विद्युत–दर में वृद्धि1.55% की दर से नहीं होगी जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने कोविड–19 महामारी के कारण उद्योग तथा बाजार की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए दावा किया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु, खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में एचवी–3.1 श्रेणी हेतु अवधारित विशेष विद्युत–दर (special tariff) को इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में भी जारी रखा जाए।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि आयोग द्वारा पूर्व ही में हितधारकों द्वारा उठाये गये मुद्दों का निराकरण किया जा चुका है जिसके अनुसार एचवी–3.4 श्रेणी हेतु पृथक सस्ती विद्युत–दर का प्रावधान मिनी इस्पात संयन्त्रों (MSP), मिनी इस्पात संयन्त्र मय रोलिंग मिल्स/स्पंज आयरन संयन्त्रों को जो एक ही परिसर में स्थित हैं, विद्युत–रासायनिक/विद्युत ताप उद्योग, फैरो अलॉय उद्योग का प्रावधान किया गया है जिसका तात्पर्य है कि इसमें फैक्टरी हेतु उपभोग की गई ऊर्जा तथा उद्योगों के कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी, भवन, भण्डार, केन्टीन, आवासीय कॉलोनियों, परिसर आदि में प्रकाश व्यवस्था सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, किसी विशिष्ट ग्राहक की बिलिंग से संबंधित समस्या/विवाद वर्तमान याचिका की विषयवस्तु नहीं है। अतएव उपभोक्ता अपनी शिकायत को विद्युत अधिनियम सहपठित आयोग द्वारा जारी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा टैरिफ याचिका बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में निर्धारित विद्युत–दर सिद्धान्तों के अनुसार दाखिल किये हैं जैसा कि इस बारे में प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 तथा 62 में किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दर विद्युत प्रदाय की लागत के सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तावित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार एचवी–3.4 श्रेणी हेतु औसत बिलिंग दर (Average Billing Rate-ABR) रू 6.60 प्रति किलोवाट की समग्र औसत बिलिंग दर के विरूद्ध रू 5.58 प्रति किलोवाट ऑवर है। तदनुसार, वर्तमान में गहन विद्युत उपभोक्ता (power intensive consumers) की बिलिंग औसत बिलिंग के 85 प्रतिशत की सीमा तक है। दूसरे शब्दों में गहन विद्युत उपभोक्ता विद्युत प्रदाय की औसत लागत हेतु भी अपना अंशदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तथा अन्य उपभोक्ताओं से प्रतिराज्यानुदान (क्रॉस सब्सिडी) प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम सहपठित टैरिफ नीति के अनुसार विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की औसत लागत पर विचार किया जाना आवश्यक होता है न कि वोल्टेजवार विद्युत–प्रदाय की लागत पर। अतएव प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि पूर्ण रूप से याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायोचित ठहराई गई है।

एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी हेतु प्रस्तावित की गई समग्र वृद्धि मात्र 0.81% है जो कि नाम मात्र (negligible) है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारक के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया को संज्ञान में लिया है। आयोग ने उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण विक्रय मिश्र (sales mix),राजस्व के अंशदान तथा तत्संबंधी श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु प्रतिराज्यानुदान के वर्तमान स्तर पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं की अनुमोदित राजस्व आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया है जो विनियमों के अधीन निर्धारित सिद्धान्तों तथा अपने टैरिफ आदेशों में आयोग द्वारा अनुसरण किये जा रहे युक्तिसंगत संव्यवहारों के कारण है।

विषय क्रमांक 5 : एचवी–4 श्रेणी हेतु विद्युत–दर : मौसमी उपभोक्ता ***(Tariff for HV-4 : Seasonal Consumers)***

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

180 दिवस संबंधी शर्त को छः बिलिंग माह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार शब्दो चालू वित्तीय वर्ष (Current Financial Year) को विलोपित कर दिया जाए।

यहां तक कि शासकीय नीति में परिवर्तन के कारण भी ओटाई (गिनिंग) तथा प्रेसिंग उद्योग टीएमएम यूनिटों की खपत तक नहीं कर पा रहे हैं। अतएव अनुरोध किया गया कि मौसमी उपभोक्ता हेतु मौसम–बाह्य (off season) अवधि को 6 माह के स्थान पर न्यूनतम 4 माह की अवधि के लिये रखा जाए।

मौसम बाह्य अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों के 120 प्रतिशत की दर से की जाती है जैसा कि इसे मौसम हेतु सामान्य यूनिटों के साथ–साथ टीएमएम यूनिटों के लिये भी विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि, टीएमएम यूनिटों हेतु आकलन (क्रेडिट) प्रदान करते समय इसे सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर प्रदान किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत की हानि होती है। अतएव निवेदन किया गया कि यह स्पष्ट किया जाए कि टीएमएम आकलन (क्रेडिट) प्रदान करते समय उसी दर पर विचार किया जाए जिस पर उसे बिल किया गया था।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव पर हितधारकों के समर्थन की सराहना की गई। आयोग से इस संबंध में उचित दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध है।

जहां तक मौसमी उपभोक्ताओं का संबंध है जिसके अनुसार मौसम बाह्य की अवधि अत्यधिक कम है तो ऐसे प्रकरण में मौसमी उपभोक्ता हेतु पृथक से सस्ती विद्युत–दर की कोई आवश्यकता नहीं है।

टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम खपत की बिलिंग यूनिटों के रूप में की जा रही है तथा किसी अनुवर्ती अवधि हेतु इसका आकलन (क्रेडिट) केवल यूनिटों के रूप में किया जा रहा है। जहां तक न्यूनतम खपत की बिलिंग का संबंध है बिलिंग दर का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में हितधारकों के प्रस्ताव में सुयोग्यता का अभाव (lacks merit) है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है तथा तद्नुसार एचवी–4 मौसमी श्रेणी हेतु दर–अनुसूची (rate schedule) में परिवर्तन किये हैं।

विषय क्रमांक 6 : विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तें ***(General Terms and Conditions of Tariff)***

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्‌दा</u>

यदि उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार आधिक्य मांग पर अर्थदण्ड प्रभारों का भुगतान कर रहा हो तो याचिकाकर्ताओं का प्रस्ताव जिसके अनुसार बिलिंग विद्युत–दर न्यूनतम प्रभारों के डेढ़ गुना की दर से किया जाना प्रस्तावित किया गया है, को अनुज्ञेय न किया जाए।

निम्न दाब से उच्च दाब में संयोजन के परिवर्तन हेतु यह दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के लिये अनिवार्य है कि उच्च दाब पर विद्युत आपूर्ति की प्राप्ति से पूर्व उच्च दाब अनुबन्ध को निष्पादित करा दिया जाए। हितधारक द्वारा संशोधन निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है :

''निम्न दाब के उच्च दाब में परिवर्तन के प्रकरण में यह दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के लिये अनिवार्य है कि उच्च दाब पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने से पूर्व उच्च दाब अनुबन्ध निष्पादित करा दिया जाए। अनुबन्ध अवधि भले जो भी हो निम्न दाब अनुबन्ध की समापन अवधि पर रोक लगा दी जाएगी।''

एलवी–4 श्रेणी के अन्तर्गत, ऊर्जा प्रभारों पर 30% की छूट संविदा मांग हेतु विस्तार 25 अश्वशक्ति कर दिया जाए जो वर्तमान में 20 अश्वशक्ति तक है।

निम्न दाब हेतु अस्थाई आपूर्ति की अतिरिक्त निबन्धन तथा शर्तों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

''स्वीकृत भार/संयोजित भार (स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर हेतु) या संविदा मांग (मांग–आधारित विद्युत–दरहेतु), यथास्थिति, 112 किलोवाट। 150 अश्वशक्ति (HP) से अधिक न होगा।''

याचिकाकर्ताओं के 1.3 गुना की दर से संविदा मांग के 120 प्रतिशत के परे आधिक्य संयोजित भार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों वाबत तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु 1.15 गुना सामान्य ऊर्जा प्रभारों संबंधी प्रस्ताव पर विचार न किया जाए क्योंकि राज्य के पास वर्तमान में अधिशेष ऊर्जा उपलब्ध है तथा 1% से भी कम उपभोक्ता ही 120% से अधिक उनकी संविदा मांग का अतिलंघन (overshoot) करते हैं।

स्थाई संयोजन हेतु प्रयोज्य समान विद्युत–दर पर उच्च दाब उपभोक्ता परिसर से अस्थाई प्रयोजन हेतु विद्यमान उच्च दाब संयोजन से 10% स्वीकृत भार के विस्तार/नवीनीकरण/सुधार अथवा संशोधन हेतु अनुज्ञेय किया जाए।
अपेक्षाकृत वृहद् निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर को पूर्व ही से एक विकल्प के रूप में लागू किया जा चुका है। तथापि, पारिभाषिक शब्दावली ''संयोजित भार (connected load)" को निम्न दाब हेतु पूर्णतया विलोपित (omit) नहीं किया जा सकता है जब तक समस्त उपभोक्ताओं को उनकी स्थापनाओं की अधिकतम मांग को अभिलेखित करने हेतु मापयन्त्र प्रदान न कर दिये जाएं।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि आदर्श स्थिति में उपभोक्ता द्वारा अपना विद्युत आहरण संविदा मांग के भीतर सीमित रखा जाना चाहिए तथा टैरिफ आदेश में प्रदत्त अतिरिक्त बिलिंग का

प्रावधान उपभोक्ता को ऐसे आधिक्य आहरण को विनियमित करने की बाध्यता से मुक्त नहीं करता है।

जहां तक निम्न दाब पर अस्थाई विद्युत आपूर्ति हेतु शर्त को संशोधित करने का संबंध है, हितधारक ने विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन किया है। आयोग से इस विषय पर उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध है।

जहां तक हितधारक द्वारा निम्न दाब से उच्च दाब हेतु परिवर्तन पर बिलिंग हेतु उठाये गये मुद्दे का संबंध है, आयोग से इस बारे में उचित दिशा–निर्देश/स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता जो परिवर्धन और/या परिवर्तन के प्रयोजन से अस्थाई विद्युत आपूर्ति के इच्छुक हैं, को संविदा मांग तक विद्यमान स्थाई संशोधन से ऐसी विद्युत का लाभ उठाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाए। अतिरिक्त मांग, यदि कोई हो, को आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभारों के प्रावधान के अनुसार बिल किया जाना चाहिए।

एलवी–4 श्रेणी हेतु, आयोग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को जिनकी संविदा मांग 20 अश्वशक्ति से कम है प्रदत्त विशेष राहत लघु उपभोक्ता के हितों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं तथा इसमें आगे कोई वृद्धि की जाना वांछनीय नहीं है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत खपत को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है जो यथास्थिति उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार या संविदा मांग के आधिक्य भार या आधिक्य मांग से तत्संबंधी है तथा इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत उत्पादकों से मंहगी विद्युत की अधिप्राप्ति करनी होती है, अतएव ऐसे भार के कुछ भाग को ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा साझा करना होता है जिनकी भार या मांग में यथास्थिति स्वीकृत भार या संविदा मांग से 120% अधिक वृद्धि होती है। अतएव याचिकाकर्ता ने याचिका में अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार प्रस्तावित किये हैं जैसा कि इसका उल्लेख याचिका में किया गया है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा संचयी विद्युत उत्पादन तथा वर्ष हेतु मांग के आधार पर अधिशेष विद्युत परिदृश्य (Surplus Power Scenario) की अपेक्षा की गई है। यद्यपि राज्य में अधिशेष विद्युत (surplus) की स्थिति व्याप्त है, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब विशेष रूप से रबी के मौसम में तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शीर्ष मांग मौसमों के दौरान भी जब बंधित क्षमता (tied up capacity) उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं होती तथा अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत उत्पादकों या फिर एक्सचेंज के माध्यम से मंहगी विद्युत की अधिप्राप्ति करना अनिवार्य हो जाता है। अतएव, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों हेतु प्रस्तावित किया है जैसा कि इसका उल्लेख याचिका में किया गया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। उपरोक्त के आधार पर आयोग ने टैरिफ अनुसूची में उपयुक्त परिवर्तन किये हैं।

विषय क्रमांक 7 : अन्य राज्यों में निम्न विद्युत–दर (Lower Tariff in other States)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

मध्यप्रदेश राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में स्थाई प्रभार अत्यधिक है जैसे कि महाराष्ट्र राज्य में ये मात्र रू 112 हैं, कर्नाटक राज्य में ये प्रथम किलोवाट संयोजन पर मात्र रू 85 तथा रू 95 प्रति

किलोवाट, प्रत्येक किलोवाट भार वृद्धि के पश्चात्, आदि हैं। जबकि मध्यप्रदेश राज्य में ये रू 25 प्रति 15 यूनिट खपत पर हैं जो लगभग रू 0.65 प्रति यूनिट के समकक्ष है, तथा वह भी 15 यूनिटों पर या उनके किसी अंश पर तथा यह मायने नहीं रखता कि उपभोक्ता ने इतनी मात्रा में यूनिटों की खपत की भी है या नहीं।

एक अन्य हितधारक का कथन है कि घरेलू उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभारों (fixed charges) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु घरेलू उपस्करों (household appliances) का उपयोग मात्र 25% ही है तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार कम कर दिये जाने चाहिए।

ऐसे उद्योग जो स्वयं के व्यय पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, को स्थाई प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान की जानी चाहिए।

राज्य में ग्रामीण तथा शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिये विद्युत खपत हेतु चालू विद्युत–दर (टैरिफ) क्रमशः रू. 8.61 तथा रू 8.73 है। ये दरें देश में महाराष्ट्र राज्य के बाद द्वितीय उच्चतम हैं तथा दमन एवं दीव केन्द्रीय शासित प्रदेशों में प्रचलित विद्युत–दर का आठ गुना हैं। अतएव आयोग से अनुरोध है कि वह यान्त्रिकी विधि द्वारा आमजन की आपत्तियों पर विचार किये बगैर विद्युत–दर टैरिफ में वृद्धि न करे तथा केवल विधि के प्रावधान के अनुसार ही इसे अनुमति प्रदान करे।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ताओं का कथन है कि किसी विशिष्ट राज्य की विद्युत–दर की तुलना प्रति यूनिट औसत विद्युत आपूर्ति के साथ की जानी चाहिए न कि मात्र स्थाई प्रभारों के साथ। अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य की प्रति यूनिटऔसत विद्युत आपूर्ति दर काफी कम है (देखें निम्न तालिका) :

सरल क्रमांक	राज्य	प्रति यूनिट विद्युत प्रदाय दर (रूपये प्रति यूनिट)
1	राजस्थान	7.66
2	दिल्ली	7.64
3	बिहार	7.38
4	महाराष्ट्र	7.34
5	मध्यप्रदेश	6.60

स्थाई प्रभार की बिलिंग उपभोक्ताओं द्वारा संयोजित भार की मांग के अनुसार की जानी चाहिए परन्तु प्रत्येक गृह (household) के निरीक्षण के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा से बचाने के लिये, आयोग द्वारा बिलिंग हेतु ऐसा प्रावधान किया गया है।

विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु विद्यत–दर के अवधारण के बारे में यहां यह विशेष रूप से उल्लेख करना उचित होगा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्ध के अनुसार प्रत्येक राज्य में विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का दायित्व स्वतंत्र वैधानिक निकाय अर्थात्, विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। तद्नुसार मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत–दर का अवधारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत–दर का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग–सात में किये गये प्रावधान के अनुसार विद्युत प्रदाय की लागत के सिद्धान्त के आधार पर करता है। अतएव, किसी विशिष्ट राज्य में विद्युत प्रदाय की प्रचलित लागत के अनुरूप भिन्न–भिन्न राज्यों में विद्युत प्रभार/विद्युत–दर अलग–अलग हो सकते हैं। ऐसे में

हितधारकों के अन्य राज्यों या देशों में प्रचलित विद्युत–दर पर निर्भर करते हुए उनसे तुलना करने से भ्रान्ति ही उत्पन्न हो सकती है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों की प्रस्तुति तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003, टैरिफ नीति 2016 तथा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के उपबन्धों के अनुसार किया है।

विषय क्रमांक 8 : निम्न वोल्टेज श्रेणी हेतु टैरिफ संरचना (Tariff Structure for LV Category)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

निम्न दाब एलवी–1.1 श्रेणी के उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाए। ऐसे उपभोक्ताओं को अन्य उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिराज्यानुदानित (cross subsidized) न किया जाए क्योंकि ऐसा करना टैरिफ नीति के प्रावधान के विपरीत है।

एलवी–1.2 श्रेणी हेतु स्थाई प्रभार रूपये प्रति संयोजन में निर्दिष्ट किये जाएं ।

एलवी–2 श्रेणी में खण्ड (स्लैब) 'किलोवाट' के स्थान पर 'केवीए' में निर्दिष्ट किये जाएं, उपभोक्ता का संयोजित भार का उल्लेख सुसंगत नहीं है।

आयोग से अनुरोध किया गया कि विद्युत–दरों में वृद्धि करने के बजाये इन्हें युक्तिसंगत सीमा तक घटाया जाए।

निवेदन किया गया कि 150 अश्वशक्ति तक उद्योगों की खपत को समान श्रेणियों में रखा जाए ताकि 20 अश्वशक्ति (HP) तथा 20 अश्वशक्ति से अधिक के मध्य अन्तर को समाप्त किया जा सके। 20 अश्वशक्ति से कम खपत वाले उद्योगों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अनुरूप एक पृथक श्रेणी निर्मित की जाए ताकि ऐसे उद्योगों को कम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराई जा सके।

हितधारकों का कथन है कि एलवी–5.1 तथा एलवी–5.2 श्रेणियों हेतु विद्यमान तथा प्रस्तावित दर एक समान है। ऐसे में पृथक श्रेणियां रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतएव इनका विलयन कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

उपभोक्ताओं की एलवी–1.1 श्रेणी हेतु 30 यूनिट प्रति माह से अनाधिक खपत हेतु विद्युत–दर रू45 प्रति माह प्रस्तावित की गयी है जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप है। यह दर विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 50% से भी कम है।

उपभोक्ताओं की एलवी–1.2 श्रेणी हेतु घरेलू उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा हेतु आयोग द्वारा भार की गणना हेतु प्रति माह 15 यूनिट विद्युत खपत या उसके किसी अंश को 0.1 किलोवाट के बराबर माना गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु जिनकी विद्युत खपत कम है, स्लैबवार स्थाई प्रभार भी निर्दिष्ट किये गये हैं।

उपभोक्ताओं की एलवी–2 श्रेणी हेतु 10 किलोवाट तक के संयोजित भार हेतु संयोजित भार–आधारित विद्युत–दर हेतु विकल्प लघु उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया है। 10 किलोवाट से अधिक हेतु मांग आधारित विद्युत–दर अनिवार्य है। मांग आधारित विद्युत–दर हेतु आयोग द्वारा प्रभार दोनों किलोवाट तथा केवीए के रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा एलवी–5.2 श्रेणी में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के सुझावों, याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर तथा अन्य वाणिज्यिक पहलुओं को संज्ञान में लिया है तथा विद्यमान प्रावधान जारी रखने का निर्णय लिया है।

विषय क्रमांक 9 : दूरसंचार टावरों का वर्गीकरण (Classification of Telecom Towers)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

चूंकि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार, दूरसंचार को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम माना गया है, ऐसे में यह आवश्यक है कि गैर–घरेलू श्रेणी हेतु प्रदत्त इन संयोजनों को उद्योगों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाए। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पूर्व ही में मान्य किया जा चुका है।

आयोग से अनुरोध है कि वह बैंकों, सामान्य प्रयोजन की दुकानों, जलप्रदाय व्यवस्था, मलजल (सीवेज) पम्प व्यवस्था, पुलिस स्टेशनों आदि के बारे में प्रयोज्यता को स्पष्ट करे ताकि प्रचलित विद्युत–दर आदेश की व्याख्या स्पष्ट हो सके।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

चूंकि दूरसंचार टॉवरों में किसी प्रकार की विनिर्माण गतिविधि (manufacturing activity) सन्निहित नहीं होती, अतएव इसका वर्तमान गैर–घरेलू श्रेणी संबंधी वर्गीकरण उचित है तथा इसे जारी रखा जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने दूरसंचार टॉवरों को एचवी–3 श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

याचिकाकर्ताओं ने हितधारकों के सुझावों, याचिकर्ताओं के प्रत्युत्तर तथा अन्य वाणिज्यिक पहलुओं को संज्ञान में लिया है तथा विद्यमान प्रावधानों को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं दूरसंचार टॉवरों को ही औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा जिनकी स्थापना औद्योगिक परिसर के भीतर की गई हो तथा जिनके द्वारा विशेष रूप से औद्योगिक टाउनशिप में सहायक इकाई (ancillary) के रूप में सेवाएं प्रदान की जा रही हों।

विषय क्रमांक 10 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA charges)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

ऊर्जा प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि विद्युत लागत की समीक्षा प्रति त्रैमास ईंधन लागत समायोजन प्रभारों के रूप में की जाती है चूंकि विद्युत क्रय लागत कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के 80 प्रतिशत से भी अधिक होती है।

चूंकि ईंधन लागत समायोजन एक प्रकार का समायोजन (adjustment) है तथा वास्तविक ईंधन मूल्यों पर निर्भर यह धनात्मक (positive) भी हो सकता है तथा ऋणात्मक (negative) भी तथा यह उपभोक्ताओं की प्रभावी विद्युत–दर को प्रभावित करता है जो विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत की अधिप्राप्ति करते हैं। जैसा कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में प्रावधान किया गया है, ईंधन लागत समायोजन का प्रभाव (वृद्धि अथवा कमी के रूप में) उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है जो विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत की अधिप्राप्ति करते हैं। ऐसे में ईधन लागत समायोजन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका खुली पहुंच उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है क्योंकि खुली पहुंच उपभोक्ता विद्युत वितरण कम्पनियों के विद्युत क्रय में घटी हुई ईधन लागत का लाभ प्राप्त नहीं करते।

हितधारक का कथन है कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 विद्युत क्रय में धनात्मक लागत तथा ईंधन लागत समायोजन (FCA) में उपयोग किये जा रहे सूत्र में परिवर्तन का प्रावधान नही करते हैं। अतएव याचिकाकर्ता का 'PPCA' सूत्र का प्रस्ताव आयोग द्वारा विमर्श किये जाने की पात्रता नहीं रखता है।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि ईंधन लागत समायोजन को अधिनियम की धारा 42(4) के अनुसार अधिरोपित किया जा रहा है तथा विद्युत क्रय लागत पर विचार विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

यचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि ईंधन तथा विद्युत क्रय लागत संयोजन को अनुज्ञेय किये जाने का नितान्त प्रयोजन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वर्ष के दौरान विद्युत क्रय लागतों में वृद्धि की क्षतिपूर्ति करना है ताकि उनकी वित्तीय चलनिधि (liquidity) को अक्षुण्ण (intact) रखा जा सके। ईंधन के मूल्य सामान्यतः अनियन्त्रणीय प्रकृति के होते हैं जो विभिन्न कारकों, जैसे कि नीति में परिवर्तन, करों, अभिकर (cess) ,बाजार की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, आदि में परिवर्तन के कारण बारम्बार परिवर्तित होते रहते हैं। विद्युत उत्पादक जो ईंधन की अधिप्राप्ति करते हैं, को ईंधन के मूल्यों में वृद्धि हेतु क्षतिपूर्ति करना आवश्यक होता है अन्यथा विद्युत उत्पादक विद्युत की मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में ईंधन की अधिप्राप्ति की स्थिति में नहीं रहेगा। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियां जो विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अधिप्राप्ति करती हैं, उन्हें उत्पादकों को बढ़ी हुई लागतों हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व होता है। यदि उन्हें विचाराधीन अवधि के दौरान बढ़ी हुई लागत हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनकी चलनिधि (liquidity) प्रभावित होगी।

अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियों को पूर्ण वैध विद्युत क्रय लागत की वसूली हेतु जिसमेंस्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार भी सम्मिलित हैं शीघ्रातिशीघ्र तथा यथासंभव व्यावहारिक ढंग से अनुज्ञेय किया जाना चाहिए। तथापि, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में ईंधन लागत समायोजन की गणना हेतु विद्यमान सूत्र कुल विद्युत क्रय लागत का अभिग्रहण (Capture) नहीं करता है। यह कुल विद्युत क्रय लागतों के केवल परिवर्तनीय प्रभार घटक को ही सम्मिलित करता है। ऐसे में विद्युत वितरण कम्पनियों को प्रति त्रैमास ईंधन लागत समायोजन के अधिरोपण के माध्यम से कुल विद्युत क्रय लागत में परिवर्तन की वसूली के अवसर से वंचित किया जा रहा है तथा इस प्रकार निरन्तर विद्युत क्रय लागतों के कारणपरिवर्तनीय राशियों में तत्संबंधी वर्ष के अन्त तक वृद्धि होती रहती है जब तक लेखे अन्तिम, अंकेक्षित तथा प्रमाणित नहीं कर दिये जाते जो विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय बोझ का कारण भी बनता है।

जहां तक ईंधन लागत समायोजन में वृद्धि का संबंध है आयोग द्वारा इस संबंध में उपयुक्त रूप से निराकरण प्रदान किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग द्वारा यह संज्ञान में लिया गया है कि याचिकाकर्ता ने याचिका में निवेदन किया है कि वह एक पृथक याचिका के माध्यम से आयोग को ईंधन लागत समायोजन सूत्र में संशोधन के बारे में सम्पर्क करेगा जैसा कि इस बारे में बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में प्रावधान किया गया है। अतएव, आयोग द्वारा इस आदेश में विद्यमान प्रावधान को जारी रखा गया है जो बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्रावधान के अनुरूप है। सूत्र में किसी भी परिवर्तन पर आयोग द्वारा विचार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पृथक याचिका के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन की युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के पश्चात् किया जाएगा।

विषय क्रमांक 11 : कपड़ा तथा वस्त्र (टेक्सटाइल) और प्लास्टिक उद्योग को एचवी–3.4 गहन विद्युत श्रेणी में सम्मिलित करना (Inclusion of Textile & Plastic Industry in HV-3.4 Power Intensive Category)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

याचिकाकर्ताओं का कथन है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (Energy Conservation Act) के प्रावधानों के अनुसार कपड़ा तथा वस्त्र (टेक्सटाइल) उद्योग एक गहन विद्युत उद्योग (power intensive industry) है। अतएव, आयोग से अनुरोध कि कपड़ा तथा वस्त्र उद्योग हेतु एक पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) का प्रावधान किया जाए।

प्लास्टिक उद्योगों हेतु विद्युत की लागत कुल उत्पादन लागत का 45% से 50% होता है, इसके बावजूद इसे गहन विद्युत उद्योग (power intensive industry) के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतएव, आयोग से प्लास्टिक उद्योग को गहन विद्युत उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया कि वर्तमान विद्युत–दर वर्गीकरण पर्याप्त है तथा इसमें आगे किसी प्रकार का वर्गीकरण केवल जटिलता ही उत्पन्न करेगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के सुझावों, याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर तथा अन्य वाणिज्यिक पहलुओं को संज्ञान में लिया है तथा विद्यमान प्रावधान जारी रखने का निर्णय लिया है।

विषय क्रमांक 12 : विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत (Voltage Wise Cost of Supply)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

आयोग ने अपने पूर्व टैरिफ आदेश में याचिकाकर्ता को विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत अवधारण करने हेतु निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता का कथन है कि जब तक शतप्रतिशत मीटरीकरण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक 11 केवी तथा निम्न दाब प्रणाली की हानियों की पृथक संगणना एक दुष्कर कार्य है। तथापि,

विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण हेतु एप्टेल द्वारा अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 तथा आईए क्रमांक 137 तथा 138, वर्ष 2010 में पारित निर्णय का अवलोकन किया जा सकता है।

आयोग ने विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के बारे में दिशा–निर्देश जारी किया है। ''विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण हेतु एप्टेल द्वारा अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 तथा आईए क्रमांक 137 तथा 138, वर्ष 2010 में पारित निर्णय का अवलोकन किया जा सकता है।''

विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के बारे मेंप्रकरण में प्रतिवादी (Respondent) द्वारा चुनौती मा. उच्चतम न्यायालय में दी गई थी। याचिकाकर्ता का कथन है कि आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार APTEL द्वारा प्रदत्त क्रियाविधि के अनुसार विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना की जा चुकी है। आगे निवेदन किया गया कि मा. उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को प्रकरण में स्थगन आदेश जारी नहीं किया है, अतएव मा. एप्टेल के आदेश का अनुपालन करना होगा।

हितधारक का कथन है कि 33 केवी श्रेणी में 3.98% की हानिसम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में प्रस्तावित हानि की तुलना में काफी कम है। यह विशेष क्षेत्र परिक्षेत्र (SEZ) 33 केवी प्रणाली हानियों के समान 1.45% होनी चाहिए तथा यह भी की 11 केवी तथा निम्न दाब श्रेणी के अधीन प्रस्तावित वितरण हानियां 8.92 प्रतिशत से काफी अधिक हैं। अतएव, आयोग से आंकड़ों का सत्यापन स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध है।

निवेदन किया गया कि 132 केवी तथा 33 केवी पर स्थापित किये गये स्मार्ट मापयन्त्रों के साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक हानियों का होना असंभव है तथा यह भी कि याचिकाकर्ताओं ने इस बारे में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं कि उनके द्वारा धारा 126 तथा धारा 135 के अधीन 132 केवी तथा 33 केवी श्रेणी के विरूद्ध कितने प्रकरण दायर किये गये हैं।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना मा. APTEL के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 तथा IA 137 एवं 138, वर्ष 2010 के अन्तर्गत की गई है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि APTEL का निष्कर्ष यह है कि टैरिफ नीति के अधिदेश (mandate) के अनुसार श्रेणीवार खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु समग्र विद्युत प्रदाय की लागत के (+/-) 20% के भीतर प्रतिराज्यानुदानों को सीमाबद्ध करने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर यह उल्लेख करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है कि अधिनियम सहपठित टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार विद्युत–दर का अवधारण विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के स्थान पर विद्युत प्रदाय की औसत लागत के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके प्रस्तुतिकरणों के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणों के अनुसार मा. APTEL द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के आधार पर की है। विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार गणना हेतु अपनाया गया दृष्टिकोण तथा क्रियाविधि (approach & methodology) इस आदेश के टैरिफ रूपांकन संबंधी अध्याय में दिये गये हैं।

विषय क्रमांक 13 : एचवी–3.1 श्रेणी में 33 केवी उपभोक्ता हेतु न्यूनतम मांग को 100 केवीए से घटाकर 50 केवीए करना ***(Reduction in Minimum Demand Charges from 100 KVA to 50 KVA For 33 KVA Consumer in HV 3.1 Category)***

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

हितधारक का कथन है कि इस श्रेणी में अधिकांश उपभोक्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमी (MSME) हैं जो ऐसे कार्यकलापों में सन्निहित हैं जहां वे तथा उनकी प्रक्रियाओं (processes) को अबाधित विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है {जैसे कि : प्लास्टिक प्रोसेसिंग (processing) उद्योग} मय आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नियन्त्रण प्रणाली में उत्तम तथा स्थायित्व से युक्त वोल्टेज के जो 11 केवी संभरकों में उपलब्ध नहीं होता विद्युत की गुणवत्ता तथा सुसंगति (consistancy) निम्न दाब उपभोक्ता के समान होती है तथा उन्हें उपकेन्द्र की लागत वहन करने के पश्चात् अतिरिक्त रूप में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती तथा उनकी आवश्यकता 100 केवीए भी नहीं होती।

ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं जहां उच्च दाब (HT) विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अन्तर्गत तकनीकी कारणों से आयोग ने अनेक उपभोक्ताओं को 11 केवी तथा 33 केवी प्रदाय वोल्टेज में निम्न न्यूनतम संविदा मांग हेतु अनुमति प्रदान की है। ऐसे में विद्युत वितरण कम्पनियों को प्रभावित किये बगैर उपभोक्ता को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।

चूंकिविद्युत वितरण कम्पनियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होता तथा यह भी कि उपकेन्द्र की लागत उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन की जाती है अतएव आयोग से उच्च दाब (औद्योगिक उपभोक्ता) की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उच्च दाब उपभोक्ता एचवी–3.1 हेतु 100 केवीए से 50 केवीए हेतु न्यूनतम संविदा मांग पर आवश्यकता कम करने हेतु अनुरोध किया गया है।

हितधारक का कथन है कि चूंकि 300 केवीए विद्युत संयोजन 11 केवी उच्च दाब लाइन के माध्यम से प्रदान किया जाता है, अतएव आयोग से अनुरोध किया गया कि इस सीमा को बढ़ाकर 450 केवीए कर दिया जाए क्योंकि जबसंयोजन 33 केवी लाइन से प्राप्त किया जाता है तो उपभोक्ताओं के व्ययों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि मप्रविनिआ विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 34 के अनुसार यह संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि 33 केवी वोल्टेज आपूर्ति हेतु न्यूनतम संविदा मांग 100 केवीए तथा अधिकतम 1000 केवीए है। आपत्तिकर्ता का कथन है कि 11 केवी वोल्टेज प्रदाय पर अबाधित तथा गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय उपलब्ध नहीं हो पाता है। याचिकाकर्ता एचवी–3 श्रेणी में 33 केवी वोल्टेज प्रदाय पर 50 केवी तक न्यूनतम भार कम करने संबंधी सुझाव से सहमत नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर वित्तीय बोझ में वृद्धि ही होगी।

आयोग का दृष्टिकोण

हितधारक द्वारा उठाया गया मामला मप्रविनिआ विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान के अन्तर्गत आता है तथा इसका संव्यवहार कथित विनियमों के प्रावधान के अनुसार किया जाए।

*विद्युत क्रय की मात्रा तथा लागत **(Power Purchase Quantum and Cost)***

*विषय क्रमांक 14 : विक्रय प्राक्कलन **(Sales Estimates)***

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

याचिकाकर्ताओं ने विद्युत प्रदाय की वास्तविक लागत को छुपाने के लिये विक्रय पूर्वानुमान को बढ़ा–चढ़ा कर (inflated) प्रस्तुत किया है चूंकि पूर्वानुमान तथा वास्तविक खपत के विभेदक (differential) को अनियन्त्रणीय मापदण्ड (uncontrollable parameter) के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा इसके कारण उठने वाले वित्तीय प्रभाव का दावा सत्यापन के माध्यम से किया जाता है। अतएव आयोग से चालू अंकेक्षित तुलन–पत्र (balance sheet) का विश्लेषण किये जाने का अनुरोध है जो प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावित तथा वास्तविक विक्रय में अन्तर को प्रकट करेगा। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम पांच वर्ष के तुलनात्मक चार्ट तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में प्रस्तावित आंकड़ों को विद्युत–दर में पुनरीक्षण को व्युत्पादित (derive) करने हेतु अनिवार्य का दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किये गये (inflated) विक्रय प्रक्षेपण का परिणाम अतिरिक्त बन्धित क्षमता (Tieup capacity) के रूप में सामने आया है जिसका परिणाम अन्ततः उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ के रूप में प्रकट हुआ है। आगे विद्युत–दर संरचना (tariff structure) को पूर्व वर्षों की सत्यापन लागत को समायोजित करने हेतु विकृत (distort) किया गया है।

औद्योगिक / वाणिज्यिक इकाईयों हेतु प्रक्षेपण उच्च्य मूल्य के हैं जबकि कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं में ये निम्न मूल्य के हैं क्योंकि 10 लाख से भी अधिक अमीटरीकृत उपभोक्ता तथा दोषपूर्ण (defective) मापयन्त्र पूर्व क्षे.वि.वि. कम्पनी क्षेत्र में अवस्थित हैं।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक श्रेणी उप–श्रेणी, हेतु विक्रय को पूर्व के चार वर्षों की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के विश्लेषण के आधार पर प्राक्कलित किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु प्रत्येक श्रेणी तथा इनकी उप–श्रेणियों हेतु तीन वर्षों की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर, दो वर्षों तथा वर्ष–दर–वर्ष की वृद्धि दर की पृथक–पृथक गणना की है। आंकड़ों के विश्लेषण पश्चात् याचिकाकर्ताओं द्वारा भविष्यगामी वर्षों के पूर्वानुमान हेतु उपयुक्त युक्तिसंगत वृद्धि दरों की अवधारणा की गई है।

तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23, वित्तीय वर्ष 2023–24, वित्तीय वर्ष 2024–25, वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विक्रय का प्रक्षेपण पिछले चार वर्षों की खपत के बारे में उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या के आकड़ों, संयोजित भार तथा खपत के बारे में तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर किया गया है।

तत्पश्चात्, विक्रय के प्रक्षेपणों को यथोचित विस्तृत आधार पर याचिका में प्रस्तुत किया गया है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में याचिका के अध्याय ए 3 का अवलोकन करें।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर का युक्तियुक्त ढंग से परीक्षण किया है तथा विक्रय के पूर्व पांच वर्षों के वास्तविक आंकड़ो के आधार पर विक्रय की गणना को स्वीकार कर लिया गया है।

विक्रय के प्रक्षेपणों हेतु अपनाई गई विस्तृत क्रियाविधि इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अध्याय में दी गई है।

विषय क्रमांक 15 :पारेषण तथा वितरण हानियां (T&D Losses)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु प्रतिवेदित वितरण हानियां आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डीय वितरण हानि स्तरों की तुलना में उच्च स्तरीय हैं। ऐसे में पूर्व तथा मध्य क्षे. वि.वि. कम्पनियों की अदक्षताओं को उपभोक्ताओं को अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को अमीटरीकृत उपभोक्ताओं तथा विद्युत की चोरी से हो रही हानियों के बारे में पृथक विवरण प्रदान किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के बारे में पृथक आंकड़े उपलब्ध कराये जाने चाहिए क्योंकि मापयन्त्रों से विहीन या दोषपूर्ण मापयन्त्रों से युक्त उपभोक्ताओं की बिलिंग औसत बिलिंग के आधार पर की जाती है जिसकी परिणति अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्न स्तरीय संग्रहण के रूप में होती है।

पारेषण तथा वितरण हानियों पर विचार करते हुए विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के बारे में समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पृथक से संगणना की जानी चाहिए।

निम्न समस्तरीय (levelized) लागत के बावजूद, सार्वजनिक उपभोक्ताओं हेतु विद्युत—दर प्रभारों की लागत अत्यधिक रहती है। इसका मुख्य कारण है विद्युत वितरण कम्पनियों की अदक्षता जिसके कारण उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत का चौगुना भुगतान करना पड़ता है।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

विद्युत क्रय की मात्रा (quantum) की गणना बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में अनुमोदित मानदण्डीयवितरण हानि को मानते हुए की गई है। इसके अतिरिक्त, मानदण्डीय हानियों के कारण अस्वीकृत की गई विद्युत क्रय लागत केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा ही वहन की जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त हानियों का बोझ नहीं डाला जा रहा है।

आयोग द्वारा पूर्व ही से याचिकाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2021—22 के विद्युत—दर आदेश में '' विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत को सुनिश्चित करने हेतु वितरण तन्त्र (नेटवर्क) का तकनीकी अध्ययन'' करने बाबत निर्देशित किया गया है। आयोग के दिशा—निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वांछित अध्ययन को बढ़े हुए नमूना आकार के साथ किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न अन्य कारकों, जैसे कि मौसम परिक्षेत्र (Climate Zone), जल स्तर की वस्तुस्थिति, फसल के प्रतिमानों (crop patterns) आदि पर विचार किया जाएगा। कथित अध्ययन के निष्कर्ष को आयोग द्वारा प्रदत्त समय सीमा के अनुसार आयोग के साथ साझा किया जाएगा।

याचिकाकर्ता हानियों को कम करने हेतु कड़े प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा विभिन्न हानियों को कम करने संबंधी योजनाओं में भी सहभागिता की जा रही है। तथापि, हानियों को कम करना एक क्रमिक प्रक्रिया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु विद्युत क्रय लागत को मानदण्डीय हानियों पर विचार करते

हुए मान्य किया है तथा तद्नुसार विद्युत वितरण कम्पनियों की किसी प्रकार की अदक्षता को राज्य के उपभोक्ता को इसके अन्तरण की अनुमति प्रदान नहीं की है। आगे, जहां तक तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के बारे में पृथक्करण तथा विद्युत प्रदाय की लागत के अवधारण का संबंध है, आयोग ने इस बारे में दिशा–निर्देश जारी किये हैं जिसे इस आदेश के दिशा–निर्देशों के अनुपालन संबंधी अध्याय में निर्दिष्ट किया गया है।

विषय क्रमांक 16 : विद्युत क्रय लागत ***(Power Purchase Cost)***

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

आयोग ने विद्युत क्रय की लागत पर ईंधन लागत समायोजन के माध्यम से विचार किया है। ऐसे में विद्युत क्रय लागत की वसूली पूर्व ही से की जा चुकी है तथा विद्युत क्रय लागत के प्रति कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यह कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) का लगभग 80% अंश होता है।

विद्युत क्रय लागत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू 2.60 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू 4.69 होकर लगभग दुगुनी हो चुकी है तथा विद्युत क्रय लागत में किसी प्रकार की वृद्धि उपभोक्ता की विद्युत–दर में प्रतिबिंबित होती है। अतएव, आयोग से विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत की समीक्षा किये जाने का अनुरोध है।

आयोग से अनुरोध है कि वह विद्युत उत्पादन तथा विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के क्षेत्र से किसी तृतीय पक्ष विशेषज्ञ की सेवाएं विद्युत क्रय लागतों के अनुश्रवण (मानिटर) तथा मूल्यांकन (evaluate) करने बाबत प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के लघु–अवधि विद्युत क्रय की भी समीक्षा करने की भी आवश्यकता है।

आयोग से आगे विद्युत क्रय लागत के बारे में निम्नांकित बिन्दुओं की भी समीक्षा किये जाने का अनुरोध है :

- विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त सृजित की गई क्षमता के बावजूद विद्युत की आवश्यकता के विरूद्ध विद्युत की उपलब्धता काफी अधिक है।
- 22,386 मिलियन यूनिटों का कुल समर्पण (back down)का उचित प्रकार से सूक्ष्म परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। क्या इस प्रकार का समर्पण राज्य के हित में है या फिर इस प्रकार की अधिशेष विद्युत का उपयोग किसी अन्य राज्य में बिना किसी वित्तीय हानियों के किया जा सकता है ?
- उपभोक्ताओं द्वारा कुछ पावर कम्पनियों को स्थाई प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है जबकि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अनुबन्ध के अनुसार एक भी यूनिट का क्रय नहीं किया जाता है। अतएव, ऐसे अनुबन्ध का उचित प्रकार से परीक्षण किया जाकर उसका समापन किया जाना चाहिए।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत क्रय आवश्यकता की गणना बिना किसी अध्ययन तथा आधार के की गई है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विद्युत को समर्पित (back down) करने की स्थिति में है जबकि उसके पास 33.03 मिलियन यूनिट अधिशेष विद्युत विद्यमान है जिसकी मात्रा में सत्यापन के समय वृद्धि भी हो सकती है।

अन्य सस्ती विद्युत के क्रय को प्राथमिकता न देते हुए स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन (IPP) से विद्युत क्रय को प्राथमिकता दी जा रही है तथा कई बार तो अतिरिक्त विद्युत का भी क्रय ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्रों से किया जा रहा है जिनकी दरें सर्वाधिक हैं।

आयोग केविविआ के भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) विनियम, 2016 के चतुर्थ संशोधन के अनुसार तकनीकी न्यूनतम आवश्यकता की देयता के कारण याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जा रही राशि को अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है जिसके कारण याचिकाकर्ता को विद्युत की प्राप्ति तकनीकी स्तर पर करनी पड़ती है, भले ही वह सुयोग्यता क्रम प्रेषण तालिका (Merit Order Despatch Table) में उच्च स्तर पर क्यों न हो। अतएव आयोग से अनुरोध है कि वह इसे विनियामक प्रावधान मानते हुए अनुज्ञेय करे।

याचिकाकर्ताओं ने विद्युत क्रय हेतु नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्रों से रू 450 करोड़ का व्यय होना दर्शाया है जिनकी अभी तक स्थापना भी नहीं की गई है तथा न ही निकट भविष्य में एनटीपीसी तथा एनएचपीसी से परामर्श किये बगैर ऐसी कोई संभावना है।

सौर तथा गैर–सौर विद्युत की अतिरिक्त अधिप्राप्ति को प्रतिस्पर्धात्मक बोली (competitive bidding) प्रक्रिया में प्राप्त की गई अन्तिम दर के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड लागत (MPPMCL Cost) हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया। ऐसे में सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में रू 273.6 करोड़ के याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने विद्युत क्रय लागत, पारेषण तथा अधिकोषण (बैंकिंग) आदि की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की है, अतएव इस मद से संबंधित लागत को अनुमति प्रदान न की जाए।

अधिशेष विद्युत (surplus power) को अप्रयुक्त लागत (stranded cost) के प्रति रू 3000 करोड़ लागत की अनुमति प्रदान न की जाए।

याचिकाकताओं ने याचिका में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार लैंको अमरकंटक से विद्युत क्रय के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। तथापि, रू 11 करोड़ की राशि पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन को ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में प्रदान की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि दामोदर वैली कार्पोरेशन के साथ 400 मेगावाट (एमटीपीएस तथा सीटीपीएस) हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPAs) एमपीपीएमसीएल द्वारा क्रमशः दिनांक एक जनवरी, 2018 तथा 15 मई, 2017 से प्रभावशील समाप्त (foreclose) किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु विद्युत क्रय की लागत की गणना करते समय ऐसे संयन्त्रों की लागतों पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, एमपीपीएमसीएल का कथन है कि यदि दामोदर वैली कार्पोरेशन के साथ विद्युत क्रय अनुबन्धों के प्रकरण वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक प्रभावशील रहते हैं तो एमपीपीएमसीएल इन केन्द्रों हेतु स्थाई प्रभारों का भुगतान करने हेतु वचनबद्ध रहेगी। अतएव, याचिकाकर्ताओं का यह अनुबन्धीय विवाद (contracting contention) है जो अन्ततः उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकता है। अतएव आयोग से मामले की समीक्षा किये जाने का अनुरोध किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने मा. एप्टेल के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध बीएलए यूनिट 1 तथा 2 एस्सार तथा टोरेंट केन्द्रों हेतु उपलब्धता की अस्वीकृति के बारे में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में कोई पुनरीक्षण (review) याचिका या अपील दाखिल नहीं की है। अतएव आयोग से अनुरोध किया गया कि इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के लिये भी अनुमति प्रदान न की जाए।

जेपी निगरी के विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) की कण्डिका 4.3.3 तथा 4.3.4 में यह अधिदेशित किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPP) से विद्युत को अनुसूचीबद्ध (schedule) करने में विफल रहता हो तो वह स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPP) विद्युत का विक्रय किसी तृतीय पक्ष

को कर सकेगा तथा ऐसी परिस्थिति में प्राप्त की गई विद्युत शुल्क (duty) पर आधिक्य राशि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPP) तथा याचिकाकर्ता के मध्य 50 : 50 आधार पर विभाजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में (माह दिसम्बर तक) जेपी निगरी विद्युत संयन्त्र द्वारा 1600 मिलियन यूनिटों का विक्रय किया गया जबकि याचिकाकर्ता द्वारा केवल 700 मिलियन यूनिट विद्युत की मात्रा अनुसूचीबद्ध की गई थी। तथापि जेपी निगरी विद्युत संयन्त्र द्वारा राजस्व प्रक्षेपण के अन्तर्गत अर्जित राजस्व के बारे में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि एक उल्लेखनीय राशि है जिसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के विरूद्ध समायोजित किये जाने की आवश्यकता है। अतएव, आयोग से अनुरोध किया गया कि विद्यमान परिदृश्य का सत्यापन किया जाए तथा उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2019 तक लैंको अमरकंटक से विद्युत की अधिप्राप्ति के बारे में विद्युत–दर के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की थी जिसे आयोग द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया। अतएव, लैंकों अमरकंटक से उपलब्धता तथा लागत को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में भी अनुज्ञेय न किया जाए।

याचिकाकर्ताओं को केंविनिआ आदेश के आधार पर केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (CGS) के स्थाई प्रभारों की संगणना हेतु निर्देशित किया जाए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के विद्युत उत्पादन केन्द्रों के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) निष्पादित किया है जिसके कारण अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप विद्युत क्रय की लागत में वृद्धि होगी।

आयोग ने यथासंशोधित विद्युत क्रय तथा अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम, 2006 (Power Purchase and Procurement Regulations, 2006) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है तथा साधारण तौर पर याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये विद्युत क्रय अनुबन्ध को पृष्ठांकित किया गया है जिसके फलस्वरूप लगभग 27,000 मेगावाट के विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये गये हैं जबकि राज्य में रबी के मौसम के लिये अधिकतम मांग केवल 15,000 मेगावाट ही अभिलेखित की गई है। अतएव उपभोक्ताओं पर ऐसी लागत का बोझ डाल दिया गया है जिससे बचा जा सकता था यदि विनियमों के प्रावधानों को लागू कर दिया गया होता। इसके अतिरिक्त, आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आधिक्य विद्युत क्रय अनुबन्धों के आवंटन हेतु याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध विनियमों के उल्लंघन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है।

आयोग से अनुरोध है कि वह दीर्घ–अवधि अधिप्राप्ति संबंधी समस्त विद्युत क्रय अनुबन्धों का परीक्षण करे तथा दक्षता, विनियमों के अनुपालन के आधार पर किसी विद्युत क्रय अनुबन्ध में नियम संबंधी कोई उल्लंघन पाये जाने पर इन विद्युत क्रय अनुबन्धों को निरस्त करने हेतु उचित कार्यवाही करे।

इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र (NR) तथा पूर्वी क्षेत्र (ER) के केन्द्रों से अधिप्राप्त की गई समस्त विद्युत पर अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का भुगतान किया जाना सन्निहित होता है। ऐसे में अतिरिक्त विद्युत क्रय लागत व्यय किया जाना अपेक्षित होता है। अतएव इन विद्युत क्रय अनुबन्धों के समापन हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

विद्युत–दर संरचना (tariff structure) में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक विद्युत की खपत हेतु समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके जिससे एक ओर तो विद्युत की अधिशेष उपलब्धता में कमी की जा सकेगी तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं पर स्थाई प्रभारों के बोझ को भी कम किया जा सकेगा।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

उपलब्धता का आकलन पूर्व वर्षों के निष्पादन तथा समस्त विद्युत उत्पादकों जिनके साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया हो, हेतु सुसंबद्ध विनियम के मानकों के आधार पर किया गया है। नये संयन्त्रों से विद्युत की उपलब्धता का प्राक्कलन अनुसूचीबद्ध वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Scheduled Commercial Operation Date-SCOD) के आधार पर मेसर्स एनटीपीसी लारा, डीबी पावर तथा एनएचपीसी सुबनसिरी हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचीबद्ध वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) के आधार पर संयन्त्र से प्राक्कलित उपलब्धता के अनुसार इसकी लागत हेतु मांग याचिका में प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा चाहे गये अतिरिक्त विवरण उसे उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा आयोग सुयोग्यता क्रम के अनुसार मांग को प्रस्तावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस संयन्त्र से क्रय की मात्रा वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) से कम है तथा भुगातन तद्नुसार किया जा चुका है जो आयोग द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है।

ऊर्जा विभाग की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21 मार्च, 2016 के अनुसार राज्य की समस्त विद्युत क्षमता एमपीपीएमसीएल को आवंटित की जा चुकी है तथा एमपीपीएमसीएल के व्ययों के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके ऊर्जा आहरण अनुपात में बिलिंग किया जाना आदेशित किया जा चुका है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को चौबीसों घंटे (24x7) वैश्विक सेवा प्रतिबद्धता (universal service obligation) के अधीन उपभोक्ताओं की विद्युत मांग की पूर्ति करनी होती है। इसके अतिरिक्त, एमपीपीएमसीएल विद्युत उत्पादकों से विद्युत का क्रय सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धान्त (MoD principle) के अनुसार करती है। तद्नुसार, जब व्यस्ततम मौसम (peak season) में विद्युत की मांग अधिक होती है तो अपेक्षाकृत मंहगी विद्युत को अनुसूचीबद्ध (scheduled) किया जाता है तथा राज्य की दिन–प्रतिदिन की मांग की पूर्ति हेतु इसकी अधिप्राप्ति वास्तविक समय (real time) में की जाती है।

याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) हेतु अनुमति प्राप्त करने तथा विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय हेतु टैरिफ याचिका दाखिल करते हैं। तत्पश्चात्, एमपीपीएमसीएल विद्युत उत्पादकों से, जिनके साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका हो तथा जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, विद्युत का क्रय करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा (RE) की कुल बन्धित क्षमता लगभग 3,981 मेगावाट है जो एमपीपीएमसीएल के विद्युत मिश्र (power mix) में महत्वपूर्ण अंशदाता (contributor) है। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा की प्रकृति आवर्तक (intermittent) प्रकार की होती है तथा इसका दर्जा अनिवार्य चालन स्तर (Must Run Status) का होता है। तद्नुसार, आधिक्य विद्युत उपलब्धता के प्रकरण में जहां तक इसकी तुलना मांग से की जाए, एमपीपीएमसीएल को ताप विद्युत संयन्त्रों से प्राप्त विद्युत को समर्पित (back down) करना होता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को उनकी अनिवार्य चालन स्थिति के कारण चालू रखा जाता है। भले ही ताप विद्युत उत्पादक से प्राप्त की गई विद्युत सस्ती होती है, इसके बावजूद इन संयन्त्रों को समर्पित स्थिति में रखना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार, एक ओर तो एमपीपीएमसीएल द्वारा ताप विद्युत संयन्त्र को निम्न भार कारक (low load factor) पर या फिर पवन तथा सौर उत्पादकों के प्रवर्तन (advent) के साथ तकनीकी न्यूनतम स्तर (technical minimum level) पर अनुसूचीबद्ध करना होता है जबकि दूसरी ओर उसे इसे संचालित करने के लिये निष्क्रिय स्थाई लागत का बोझ भी वहन करना होता है जो विद्युत वितरण कम्पनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध लक्ष्य (RPO target) को भी प्राप्त करना होता है। ऐसे में विद्युत क्रय आबन्ध लक्ष्य की प्राप्ति के लिये

कमी की पूर्ति हेतु और अधिक सौर तथा पवन विद्युत उत्पादन विद्युत क्रय अनुबन्धों (PPAs) के निष्पादन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ''अनिवार्य चालन (must-run)'' सौर तथा पवन विद्युत उत्पादकों से और अधिक विद्युत अधिप्राप्ति करना आवश्यक हो जाता है। इसके फलस्वरूप, ताप विद्युत उत्पादकों को आगे और अधिक समर्पण (back down) करना होता है तथा निष्क्रिय स्थाई प्रभारों (idle fixed charges) के भुगतान के बोझ को भी वहन करना होता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में एमपीपीएमसीएल के पास और कोई विकल्प मौजूद नहीं होता सिवाय इसके कि वह ताप विद्युत संयन्त्रों को निष्क्रिय स्थाई प्रभारों का भुगतान करे, जब तक कि इन संयन्त्रों से मध्यप्रदेश राज्य के अंशदान को किसी अन्य लाभार्थी को पुनर्आवंटित न कर दिया जाए। मध्यप्रदेश शासन तथा एमपीपीएमसीएल निरन्तर विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार के स्तर पर ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि मंहगे एनटीपीसी संयन्त्रों से मप्र शासन के अंशदान को पुनः आवंटित (deallocate) कर दिया जाए ताकि एनटीपीसी को किये जा रहे निष्क्रिय स्थाई प्रभार के भुगतान को न्यूनतम किया जा सके।

अधिकोषण (बैंकिंग) एक ऐसी क्रियाविधि (mechanism) हैजिसके माध्यम से याचिकाकर्ता मौसमी परिवर्तनों के कारण अधिशेष (surplus)/घाटे (deficit) की स्थिति का प्रबन्धन करता है। आगे याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधिकोषण एक नगदविहीन (cashless) संव्यवहार है जिसके अन्तर्गत प्राप्त की गई या प्रदाय की गई विद्युत हेतु किसी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करना सन्निहित नहीं होता।

आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 78/2012 में मेसर्स लैंको पीटीसी तथा एमपीपीएमसीएल के मध्य व्यवस्थापन अनुबन्धों (Settlement Agreements) को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निर्देशात्मक वार्षिक स्थाई प्रभार (indicative annual fixed charge) तथा सामान्य ऊर्जा प्रभार (nominal energy charge) का निर्धारण केविविआ के बहुवर्षीय विनियम के अनुसार किया गया है तथा विनियम विद्युत की अधिकतम दर की सीमा को निर्धारित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अधीन विद्युत–दर की उच्चतम सीमा (capping) हेतु कोई प्रावधान नहीं है। आगे, आयोग ने याचिका क्रमांक 78/2012 के आदेश के पैरा–11 में उच्चतम सीमा (capping) को हटाने हेतु प्रावधान किया है। अतएव वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु मेसर्स लैंको अमरकंटक से क्रय की गई विद्युत केविविआ के वर्ष 2014 से वर्ष 2019 हेतु लागू किये गये बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के अनुसार दिनांक 16.10.2012 को मेसर्स लैंको अमरकंटक, पीटीसी तथा एमपीपीएमसीएल के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध में सम्मिलित किये गये प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, प्रावधिक रूप से किये गये भुगतान का समायोजन आदेश के अनुसार किया जाएगा तथा पीटीसी को ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान संविदा के अनुसार किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु एस्सार पावर संबंधी सत्यापन याचिका को दाखिल करते समय वास्तविक ऊर्जा की अधिप्राप्ति तथा विद्युत क्रय लागत के माध्यम से उचित प्रकार से संव्यवहार किया जाएगा।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में टोरेंट विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु उपलब्धता तथा लागत पर विचार इस आधार पर नहीं किया है कि इसे वर्ष के दौरान सूचीबद्ध नहीं किया गया था तथा यह कहा गया कि स्थाई लागत संबंधी विषय (यदि कोई हो) का संव्यवहार उचित प्रकार से सत्यापन के समय किया जाएगा। तद्नुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के सत्यापन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपने वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी सत्यापन आदेश में विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु लागत को अस्वीकार कर दिया है ; अर्थात् विद्युत क्रय उपलब्धता तथा लागत पर विचार उस समय किया जाएगा जब याचिकाकर्ता द्वारा सूचना को आयोग की तुष्टि अनुसार दाखिल किया जाएगा।

याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान में मा. एप्टेल के समक्ष टोरेंट पावर स्टेशन से लागत का दावा करने हेतु अपील दायर करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। तद्नुसार, उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टोरेंट पावर स्टेशन से विद्युत क्रय लागत के संबंध में संव्यवहार उचित प्रकार से किया जाएगा। जहां तक विद्युत क्रय की मात्रा तथा बीएलए पावर स्टेशन से इसकी लागत का संबंध है, याचिकाकर्ता का कथन है कि स्थाई प्रभारों तथा परिवर्तनीय प्रभारों का भुगतान एप्टेल/मा. उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है जैसा कि इन्हें दिनांक 11 जनवरी, 2019 को प्रकरण क्रमांक 1659/2019 में दायर की गई सिविल अपील क्रमांक 5733/2019 में जारी आदेश में पारित किया गया है।

आगे याचिकाकर्ताओं का कथन है कि बीएलए पावर स्टेशनों से संबंधित अस्वीकार की गई विद्युत क्रय लागत हेतु मा. एप्टेल के समक्ष अपील दायर करने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चूंकि बीएलए हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) प्रभावशील है, अतएव याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2023 हेतु टैरिफ याचिका के अन्तर्गत बीएलए पावर स्टेशन से विद्युत की अधिप्राप्ति का किया जाना प्रस्तावित किया है।

जहां तक जेपी निगरी विद्युत उत्पादन केन्द्र का संबंध है हितधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तुत किया गया सुझाव अप्रासंगिक है जिसका वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय भार (implicaions) सन्निहित नहीं है।

आयोग ने याचिका क्रमांक 35, वर्ष 2016 के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 23.8.2017 के अन्तर्गत नियंत्रण अवधि वर्ष 2014–19 हेतु विद्युत–दर का अवधारण किया जाना अस्वीकार कर दिया है जिसके अन्तर्गत यह तर्क दिया है कि ऐसा करना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। उपरोक्त आदेश को चुनौती प्रदान करने संबंधी एक अपील मा. एप्टेल के समक्ष लम्बित है तथा विद्युत की अधिप्राप्ति लैंको अमरकंटक पावर स्टेशन के साथ विद्यमान विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुसार की जा रही है। अतएव, याचिकाकर्ताओं ने स्थाई प्रभारों के भुगतान का दावा प्रस्तुत किया है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने स्थाई प्रभारों का दावा पिछले 12 माह के देयकों (माह सितम्बर, 20 से माह अगस्त 21 तक के लिये) के भारित औसत के आधार पर तथा ऊर्जा प्रभारों का दावा पिछले 12 माह के देयकों (माह सितम्बर 20 से माह अगस्त 21 तक के लिये) के आधार पर किया है। इसके अलावा, इस प्रकार की वैध विद्युत क्रय लागत की अस्वीकृति का परिणाम सत्यापन आदेशों के राजस्व अन्तर (revenue gap) के रूप में सामने आएगा। इसके अलावा भी एमपीपीएमसीएल को प्रस्तुत किये गये विद्युत क्रय देयक केविविआ तथा राज्यीय आयोगों द्वारा जारी प्रयोज्य आदेशों के आधार पर हैं तथा मासिक देयक मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित विद्युत क्रय पर आधारित एमपीपीएमसीएल द्वारा वहन की जाने वाली लागत को निरूपित करते हैं जबकि केविविआ के आदेश केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों की विद्युत क्रय लागत को निरूपित करते हैं जिसकी वसूली अन्य कई राज्यों से उनके आवंटन अनुपातों (allocation ratios) के आधार पर की जाती है।

विद्युत क्रय अनुबन्धों तथा लागत और दक्षता से संबंधित अन्य जानकारी आयोग की पूर्व अनुमति हेतु यथासंशोधित मप्रविनिआ विद्युत क्रय तथा अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जा चुकी है। आयोग के अनुमोदन उपरान्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत क्रय की कार्यवाही की जाएगी तथा याचिकार्ताओं द्वारा इसका दावा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा टैरिफ/सत्यापन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आयोग विद्युत उत्पादन केन्द्रों (stations) से विद्युत क्रय का अनुमोदन विद्युत क्रय देयकों तथा अन्य सूचना की आवश्यकताओं के आधार पर यथोचित कर्मनिष्ठतापूर्वक (due

deligence) करता है। अतएव हितधारक द्वारा इस बारे में किसी प्रकार की शंका प्रकट नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक उत्तरी क्षेत्र (NR) तथा पूर्वी क्षेत्र (ER) के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत क्रय का संबंध है विद्युत की अधिप्राप्ति उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (NRPC) तथा पूर्व क्षेत्रीय विद्युत समिति (ERPC) द्वारा जारी आवंटन अनुपातों (Allocation Ratios) तथा विद्यमान विद्युत क्रय अनुबन्धों (PPAs) के आधार पर की जाती है। अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार केविविआ के अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार तथा हानि के संविभाजन से संबंधित विनियम ''CERC Sharing of Inter-State Tranmission charges and Losses Regulations, 2020" के आधार पर प्रयोज्य हैं। विद्युत वितरण कम्पनियां इन विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ताओं की मांग का प्रबन्धन करती हैं।

जहां तक विनियमों के अनुपालन का संबंध है याचिकाकताओं का कथन है कि वित्तीय वर्ष 2023 से वित्तीय वर्ष 2027 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2023 हेतु टैरिफ याचिका बहुवर्षीय विद्युत–दर (टैरिफ) विनियम, 2021 के आधार पर तैयार की गई है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों की प्रस्तुति तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। विद्युत क्रय लागत के अनुमोदन के बारे में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) से संबंधित अध्याय में दिया गया है।

विषय क्रमांक 17 : अधिशेष विद्युत का प्रबन्धन(Management of Surplus Power)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्‌दा

इण्डियन इनर्जी एक्सचेंज (IEX) के माध्यम से विद्युत के विक्रय के स्थान पर राज्य के भीतर आधिक्य विद्युत की खपत हेतु अन्य विकल्पों की खोजबीन की जाने की आवश्यकता है। आगे, निम्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है :

क) उच्च दाब/अति उच्च दाब उद्योगों द्वारा आधिक्य विद्युत के उपयोग हेतु रात्रिकालीन छूट (night rebate) में सम्पूर्ण वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।

ख) घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विद्युत की खपत हेतु विपरीत दूरबीनीय विद्युत–दर (Reverse Telescopic Tariff) पर विचार किया जाना चाहिए।

ग) आधिक्य मांग हेतु समस्त अर्थदण्डों तथा अतिरिक्त प्रभारों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जिसके अनुसार उपभोक्ताओं को अधिक विद्युत की खपत की स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। इससे अधिशेष उपलब्धता कम हो जाएगी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

घ) रेलवे को अधिशेष विद्युत काविक्रय आकर्षक दरों पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

ङ) निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु समयानुपाती विद्युत–दर (ToD Tariff) लागू की जानी चाहिए ताकि निम्न दाब उपभोक्ताओ को रात्रिकालीन घंटों के अन्तर्गत स्थानांतरित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, पूर्व में निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्धों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कुछ विद्युत क्रय अनुबन्धों को जिन्हें पूर्व में हस्ताक्षरित किया जा चुका है, निरस्त किये जाने की संभावनाओं की खोजबीन की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता के हितों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसी भी नवीन विद्युत क्रय अनुबन्ध को निष्पादित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

माह सितम्बर से माह अक्टूबर हेतु अव्यस्ततम भार अवधि (off-peak load hours) (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक) के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 10 प्रतिशत की दर से समयानुपाती (ToD) छूट लागू होती है तथा माह नवम्बर से मार्च हेतु अव्यस्ततम भार अवधि (off-peak load) (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक) के लिये ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की दर से समयानुपाती (off-peak load) (ToD) छूट लागू होती है। याचिकाकर्ताओं का मत है कि उद्योगों के लिये विद्यमान छूट–दरें पर्याप्त हैं।

रात्रिकालीन विद्युत–दर प्रस्तावित करने के बारे में समयानुपाती छूट की प्रयोज्यता केवल रात्रिकालीन घंटों के लिये ही प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, रात्रिकालीन विद्युत–दर का प्रस्ताव विद्यमान विद्युत–दर संरचना (tariff structure) को जटिल बना सकता है। ऐसे में इस प्रस्ताव को पूर्णतया निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

जहां तक विपरीत दूरबीनीय दरों (reverse telescpic rates) के प्रस्ताव का संबंध है, आयोग से वर्तमान दूरबीनीय विद्युत–दर (टैरिफ) को जारी रखे जाने का अनुरोध है।

जहां तक आधिक्य मांग के बारे में अर्थदण्डों तथा अतिरिक्त प्रभारों को वापस लेने का संबंध है, निवेदन किया गया कि अर्थदण्ड तथा अतिरिक्त प्रभार नेटवर्क परिचालन (network Operations) की आवश्यकता सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिये होती है। यदि अर्थदण्डों तथा अतिरिक्त प्रभारों को वापस ले लिया जाता है तो यह कार्रवाई ग्रिड के अनुशासन को प्रभावित कर सकती है जिससे नेटवर्क के असफल होने की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं।

रबी मौसम के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत मांग सामान्यतः गैर–रबी मौसम की तुलना में काफी अधिक होती हैं, अतएव, वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं है कि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान अधिशेष ऊर्जा की स्थिति एक–समान बनी रहेगी।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंबद्ध प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति की बाध्यता के अधीन समस्त उपभोक्ताओं की विद्युत मांग की पूर्ति करनी होती है। रबी मौसम के दौरान ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब याचिकाकर्ताओं को विद्युत का क्रय खुले बाजार से, अर्थात् इनर्जी एक्सचेंज (ऊर्जा विनिमय केन्द्र) से करना पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्याशित अधिशेष परिदृश्य (Surplus Scenario) वर्ष के दौरान तथा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार वास्तविक परिचालन पर आधारित सत्यापन अभ्यास के अध्यधीन होता है।

जहां तक रेलवे को विद्युत क्रय का संबंध है अनुज्ञप्तिधारियों से विद्युत प्राप्त करने हेतु टैरिफ आदेश में उन्हें विभिन्न छूटें प्रदान की जाएं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने अधिशेष ऊर्जा के प्रबन्धन हेतु विस्तृत दृष्टिकोण को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अध्याय में प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने उद्योगों को धनात्मक खपत के संवर्धन के लिये विभिन्न छूटें जारी रखी हैं।

विषय क्रमांक 18 : नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध **(Renewable Purchase Obligation)**

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

हितधारक का कथन है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी न्यूनतम क्रय आबन्ध की पूर्ति करते हों तथा इसके बावजूद भी नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों से ऊर्जा हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हों जिनमें नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन भी सम्मिलित है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पूंजी निवेशक/विकासक को नवीकरणीय ऊर्जा के अनुमोदन हेतु आयोग से सम्पर्क करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

चूंकि सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा की अधिप्राप्ति विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी, अतएव, आयोग से अनुरोध है कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से न्यूनतम क्रय को अनुमति प्रदान की जाए।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के पास अब यह विकल्प है कि वे अपने विद्यमान नवीकरणीय विद्युत–क्रय आबंध तथा भविष्यगामी आबन्ध लक्ष्यों की पूर्ति 'GREEN-DAM' तथा 'GREEN TAM' उत्पादों के माध्यम से करें जो उनके गैर–सौर नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध में उनकी कमी की पूर्ति हेतु आईईएक्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विद्युत क्रय अनुबन्धों (PPAs) के अन्तर्गत नवीकरणीय विद्युत–क्रय आबन्ध के लक्ष्यों के अनुपालन हेतु टैरिफ नीति, 2016 तथा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था की है। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024–25 तक सौर–ऊर्जा से उपलब्धता की स्थिति अधिशेष (surplus) में रहेगी तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की नियन्त्रण अवधि के दौरान गैर–सौर स्त्रोतों से उपलब्धता की स्थिति घाटे (deficit) में रहेगी, ऐसे में सौर ऊर्जा नवीकरणीय विद्युत–क्रय आबन्ध लक्ष्यों के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 मेंघाटे की स्थिति निर्मित होगी।

इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय विद्युत–क्रय आबन्ध के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त विद्युत की अधिप्राप्ति विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा के संयन्त्रों से करनी होती है जिस हेतु दरें पूर्व ही से निर्धारित की जा चुकी थीं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक दर पर विचार किया है जिसके अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा का वर्तमान क्रय किया जाता है तथा जो उदीयमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रभाव में एक कारक (factor) भी है। इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा सुविचारित दरें घटते रूझान में हैं।

याचिकाकर्ताओं ने GDAM तथा GTAM से नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध की पूर्ति हेतु हितधारकों के सुझावों को सकारात्मक मनोवृत्ति से संज्ञान में लिया है तथा याचिकाकर्ता सदैव विद्युत क्रय लागत को अनुकूलित करने में उपभोक्ताओं के समग्र हित में ध्यान सकेन्द्रित करने का प्रयास करते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध हेतु लागत के अनुमोदन के बारे में दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अध्याय में दिया गया है।

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्य घटक (Other Components of ARR)

विषय क्रमांक 19 : पूंजीगत निवेश योजना तथा अतिरिक्त परिचालन व्यय लागत (Capital Investment Plan and Additional Expenditure Cost)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

याचिकाकर्ताओं ने परिचालन व्ययों (OPEX Expenses) के अन्तर्गत रू. 109.76 करोड़ के अतिरिक्त, संचालन तथा संधारण व्ययों का दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि यचिकाकर्ता संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme-RDSS) में भाग ले रहे हैं। आगे यह भी कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतएव आयोग से अनुरोध है कि इसके लिये अनुमति प्रदान न की जाए।

आगे यह कि याचिकाकर्ता मप्रविनिआ {वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर)} की अनुज्ञप्ति शर्तें, 2004 के विनियम 10.3 की शर्तं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसे में परिचालन लागत (OPEX Cost) तथा पूंजीगत निवेश योजना (Capital Investment Plan) को संचालन तथा संधारण (O&M) व्ययों तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता का वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू 1586.39 करोड़ का योजनावार पूंजीकरण दावा मिथ्याचार (misconceived) है क्योंकि समस्त योजनाएं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान, आदि के माध्यम से निधिबद्ध (funded) की गई हैं। ऐसे में आयोग से अनुरोध कि इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में सम्मिलित न किया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू 378.58 करोड़ के मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्ययों का दावा यह उल्लेख किये बगैर किया है कि उनके द्वारा निष्पादन के मानकों के सुधार तथा वितरण हानियों में कमी किये जाने के बारे में किस प्रकार का सुधार किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, इसे अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी याचिका में पूर्व ही में 'RDSS' अर्थात् 'संशोधित वितरण वितरण क्षेत्र योजना' की व्याख्या की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, यदि योजना का क्रियान्वयन 'TOTEX' पद्धति (mode) में किया जाता है जिसमें दोनों पूंजीगत (capital) तथा परिचालन (operational) व्यय सम्मिलित हैं तो याचिकाकर्ताओं को वित्तीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने पूंजीगत व्यय से संबद्ध भाग को 'CAPEX' भाग के अन्तर्गत माना है। अतएव योजना के अन्य भाग को जो परिचालन प्रकृति का है, पर विचार संचालन तथा संधारण (O&M) भाग में किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार संचालन तथा संधारण व्ययों की गणना मानदण्डीय आधार पर पिछले तीन वर्षों के वास्तविक अंकेक्षित संचालन तथा संधारण व्यय के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। चूंकि पूर्व वर्षों के संचालन तथा संधारण व्ययों में ऐसे

किसी व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है, अतएव इसका दावा मानदण्डीय से आधिक्य हेतु किया गया है।

विद्युत वितरण कम्पनियां वर्तमान में गंभीर वित्तीय परिस्थितियों से गुजर रही हैं, ऐसे में इनकी संशोधित योजना (Revamped Scheme) में सहभागिता हानियों (losses) पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों को यह समझना चाहिए कि किसी भी विनियम में सरकार द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली पूंजीगत व्यय योजना (CAPEX Scheme) का उल्लेख नहीं किया गया है, दूसरी ओर बहुवर्षीय टैरिफ विनियम 2021 का उद्देश्य विद्युत दर के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तों के साथ–साथ सिद्धान्तों को प्रतिपादित करना भी है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पूर्णतया यह समझता है कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 सहपठित मप्रविनिआ {वितरण अनज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर)} की अनुज्ञप्ति शर्तें, 2004 के विनियम 10.3 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है तथा विस्तृत पूंजी निवेश योजना भी प्रस्तुत करनी होती है। तथापि, चूंकि विद्युत वितरण कम्पनी की संशोधित योजना (Revamped Scheme) के प्रस्ताव का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा था, ऐसे में टैरिफ याचिका दाखिल करने की कड़ी समयबद्धता पर विचार करते हुए शासन का अनुमोदन प्रक्रियाधीन था, ऐसे में आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा इस बारे में आयोग को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है तथा स्पष्टीकरण (date gap) के बतौरआयोग को अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जा चुकी है।

बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 51, 52 तथा 53 आयोग को विशेष परिस्थितियों के संव्यवहार हेतु शक्ति भी प्रदान करते हैं, जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए।

याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि जैसे ही योजना को अन्तिम किया जाता है तथा शासन द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है, उनके द्वारा योजना की कार्योत्तर स्वीकृति (post facto approval) प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त चूंकि आने वाले वर्षों में इस प्रकार के व्ययों का किया जाना अवश्यंभावी है, जिसका वित्तीय वर्ष 2022–23 के टैरिफ अवधारण अभ्यास के दौरान विचार न किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 के सत्यापन के दौरान अवसूल किये गये राजस्व अन्तर (unrecovered revenue gap) के रूप में निरूपित किया जाएगा। इस प्रकार के राजस्व अन्तर मय रखरखाव लागत (Carrying Cost) से उद्भूत यह राशि बहुवर्षीय विनियम, 2021 के विनियम 8. 3 के अनुसार अनावश्यक रूप में विद्युत–दर में वृद्धि का कारण बनेगी तथा आने वाले वर्षों में उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ में वृद्धि भी करेगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी की वैध लागत की वसूली में अनावश्यक विलंब अवसूल राशि पर अतिरिक्त रखरखाव लागत के रूप में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है।

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के अन्तर्गत अधिकांश योजनाएं जिनके दावे प्रस्तुत किये जाते हैं, का आंशिक निधीयन शासन द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त की गई कोई अनुदान राशि या जिसकी प्राप्ति शासकीय निधीबद्ध योजना के अन्तर्गत प्रत्याशित हो, की राशि को सकल पूंजीकरण राशि में से घटा दिये जाने पर विचार कर लिया गया है। तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं ने अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में केवल शुद्ध पूंजीकरण पर ही विचार किया है जिसे या तो पूंजी (equity) द्वारा या फिर ऋणके माध्यम से निधीबद्ध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों (R&M Expenses) का दावा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 36.4 के अनुसार किया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग द्वारा पूंजीकरण की स्वीकृति तथा तत्संबंधी निधि के अनुमोदन के बारे में अपनाए गए दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अध्याय में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संचालन तथा संधारण (O&M) व्ययों (जिनकी गणना विनियमों के प्रावधान के अनुसार की गई है) के अनुमोदन के बारे में आयोग के दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अध्याय ही में दिया गया है।

विषय क्रमांक 20 : वित्तीय प्रभारों पर ब्याज की गणना ***(Interest an finance charges)***

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 32 में ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना के बारे में प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना की क्रियाविधि आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ/सत्यापन आदेशों से संरेखित अपनाई गई है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं द्वारा इस शीर्ष के अधीन दावा की गई राशि को आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय न किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में आगामी वर्षों हेतु परियोजना ऋण ब्याज की गणना की क्रियाविधि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2015 में प्रतिपादित किये गये ही के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, याचिका में इस बात का उल्लेख करना कि ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना आयोग द्वारा अपने पूर्व टैरिफ/सत्यापन आदेशों में अनाई गई क्रियाविधि से संरेखित है, का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने ब्याज तथा वित्त प्रभार के बारे में दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अध्याय में किया है।

विषय क्रमांक 21 : पूर्व वर्षों की सत्यापन लागत को खुदरा विद्युत–दर के अन्तर्गत विचार न करना ***(True-up cost of previous years not to be considered in Retail Tariff)***

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

2,031 करोड़ रूपये की सत्यापन लागत का दावा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये है। इसे अनुज्ञेय न किया जाए क्योंकि इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुवर्ती वर्षों के टैरिफ आदेश में सम्मिलित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने सत्यापन याचिका निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं की है तथा आयोग ने भी इस बारे में 'SMP' प्राप्त नहीं किया है जैसा कि मा. एप्टेल ने अपने

आदेश दिनांक 11 नवम्बर, 2011 में OP क्रमांक 1, वर्ष 2011 (आदेश के पैरा क्रमांक 65) में निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त, सत्यापन राजस्व अन्तर (revenue gap) को वित्तीय वर्ष 2021–22 के टैरिफ आदेश में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 सहपठित टैरिफ नीति की कण्डिका 8.1(7) के अनुसार सम्मिलित किया जाना चाहिए था। अतएव विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के अनुसार सत्यापन लागत को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कालातीत (time barred) हो चुका है। अतएव आयोग से अनुरोध है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत सत्यापन राजस्व अन्तर को अनुमति प्रदान न की जाए।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2015 के विनियम 8.4 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) तथा सत्यापन याचिकाएं प्रति वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक दाखिल कर दी जानी चाहिए। चूंकि एमपीपीएमसीएल विद्युत वितरण कम्पनियों की धारक कम्पनी (holding company) है, उसे समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (retail supply tariff) के अवधारण हेतु याचिकाएं दाखिल करने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सत्यापन याचिका 7 दिसम्बर, 2021 को दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 सहपठित आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार आयोग किसी विलम्ब को माफी प्रदान करने की शक्तिधारित करता है। तद्नुसार, आयोग के न्यायिक प्राधिकारी (judicial authority) होने के कारण उसके स्वयं द्वारा तुष्टि हो जाने के पश्चात् ही विलम्ब को माफी प्रदान की गई है। अतएव हितधारकों का यह तर्क कि आयोग को 'SMP' कार्यवाही की पहल की जानी चाहिए थी, में सुयोग्यता (merit) का अभाव है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सत्यापन आदेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को जारी किया। जब तक वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सत्यापन आदेश जारी किया गया वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तुत टैरिफ आदेश प्रभावशील हो चुका था। अतएव, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू 2031 करोड़ के प्रभाव के बारे में दावा प्रस्तुत किया जाना संभव न था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के टैरिफ आदेश में, कथित राशि के अनुमोदन पश्चात् यह भी निर्देशित किया है कि रू 2030.92 करोड़ के राजस्व अन्तर पर आयोग द्वारा अनुवर्ती वर्षों के दौरान जारी की जाने वाली खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) में विचार किया जाएगा। चूंकि वित्तीय वर्ष 2022–23 एक अनुवर्ती वर्ष है जिस हेतु खुदरा विद्युत–दर अवधारित किया जाना अपेक्षित है, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में इसका दावा प्रस्तुत किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, यदि रू 2030.92 करोड़ के अनुमोदित राजस्व अन्तर को वित्तीय वर्ष 2022–23 के विद्युत–दर अवधारण में विचार नहीं किया जाता है तो यह वसूली विहीन (unrecovered) रह जाएगा जिससे विनियामक परिसम्पत्तियों का सृजन होगा जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार अवांछनीय है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों की भी उल्लेखनीय वित्तीय हानि होगी। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग प्रकरण में जिसे AIR 2004 Bombay 294 में प्रतिवेदित किया गया है अपने निर्णय में न्यायालय द्वारा इंगित किया गया है कि विद्युत–दर के पुनरीक्षण की मनाही (denial) विद्युत वितरण कम्पनियों के राजस्वों में राजस्व अन्तर को छोड़ देती है, अतएव विद्युत–दर इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कोई टैरिफ अन्तर (tariff gap) न रहने पाये। अतएव यह आवश्यक है कि अनुवर्ती वर्ष को विद्युत–दर अवधारण में अनुमोदित राजस्व अन्तर पर विचार किया जाए।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपण अनेक नियन्त्रणीय तथा अनियन्त्रणीय मानदण्डों पर निर्भर

करते हैं जिनसे वास्तविक आंकड़ों में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। अतएव आयोग सत्यापन के समय राजस्व अन्तर की स्वीकृति बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के प्रावधान के अनुसार युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के पश्चात् करता है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सत्यापन में राजस्व अन्तर की स्वीकृति सूक्ष्म युक्तियुक्त परीक्षण के बाद स्वीकार की है। पूर्व वर्षों के सत्यापन में स्वीकृत राजस्व अन्तर पर विचार अनुवर्ती वर्ष की विद्युत–दर के अवधारण के समय करना होता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2019–20 का सत्यापन आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। ऐसे में आयोग ने इस पर विचार वित्तीय वर्ष 2022–23 की विद्युत–दर का अवधारण करते समय किया जाना उचित माना है।

विषय क्रमांक 22 : अन्य/गैर–टैरिफ आय (Other/Non-Tariff Income)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

याचिकाकर्ता ने विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अन्य/गैर–टैरिफ आय संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

याचिकाकर्ताओं ने विलम्बित (deferred) आय, अर्थात् अन्य आय संबंधी उनके दावे के अधीन उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों हेतु अवमूल्यन के प्रति बुक की गई आय पर विचार किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड पर अवमूल्यन का दावा प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि से संरेखित अपने वित्तीय वर्ष 2019–20 के सत्यापन आदेश में याचिकाकर्ताओं ने एमपपीटीसीएल द्वारा माफ की गई राशि को विद्युत वितरण कम्पनी के चक्रण प्रभारों की देयता के प्रति अन्य आय के रूप में नहीं माना है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग से अनुरोध किया गया कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 42 के अनुसार गैर–टैरिफ आय के विवरणों को टैरिफ आय के रूप में माना जाए।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ता ने आय तथा व्यय को बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार प्रस्तावित किया है तथा उसके द्वारा किसी भी आय को छुपाया नहीं गया है। आय तथा व्यय के विवरण संलग्न प्रपत्र में दिये गये हैं। अतएव हितधारक के सुझाव असत्य तथा भ्रामक हैं। इसके अतिरिक्त, याचिका को आयोग के समक्ष पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरण पत्र के अनुसार दाखिल किया गया है।

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान के प्रपत्र AS : 12 में परिसम्पत्ति के पहचानयोग्य अनुदान के संव्यवहार हेतु दो विधियां प्रदान की गई हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा द्वितीय विधि को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत तत्संबंधी वर्ष में याचिकाकर्ता के लाभ हानि लेखे में अनुदान से संबंधित विशिष्ट परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन के बराबर राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आशय का दावा गैर–टैरिफ आय के भाग के रूप में किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि यद्यपि अवमूल्यन के प्रयोजन से अनुदान का संव्यवहार दोनों विकल्पों में अलग–अलग है परन्तु अवमूल्यन के कारण विद्युत–दर पर शुद्ध प्रभाव एक समान है। प्रथम विकल्प के अन्तर्गत सकल खण्ड (ग्रॉस ब्लाक) को अनुदान की राशि के बराबर ही कम किया जाता है तथा अवमूल्यन घटे हुए सकल खण्ड पर प्रदान किया जाता है। द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत, अवमूल्यन कुल सकल खण्ड पर प्रदान किया जाता है परन्तु अनुदान से संबंधित विशिष्ट परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन के बराबर राशि को तत्संबंधी वर्ष में लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसे विद्युत–दर (टैरिफ) में से घटाया जाता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने नियन्त्रण अवधि हेतु अन्य/गैर–टैरिफ आय को पिछले तीन वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के औसत के आधार पर स्वीकार किया है जिसका विस्तृत विवरण इस आदेश के सुसंबद्ध अनुच्छेद में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अंकेक्षित लेखे में बुक की गई विलम्बित आय पर विचार के बारे में, चूंकि आयोग ने इस आदेश में उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन को अनुज्ञेय नहीं किया है अतः विलम्बित आय को अन्य आय का भाग नहीं माना है।

विषय क्रमांक 23 : डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण ***(Bad and Doubtful debts)***

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में प्रावधान सत्यापन याचिका के समय तथा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त अनुज्ञेय किये जाने चाहिए। इसके अतिरक्त, किसी योजना से प्राप्त प्रलाभ को डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं किया जाना चाहिए।

बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार डूबन्त ऋणों को चिन्हांकित करने के बारे में याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रारूप नीति तथा प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं की है।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में प्रावधान का दावा बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के अनुसार किया है जिसके अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि इसे अधिकतम वार्षिक राजस्व का एक प्रतिशत मानकर अनुज्ञेय किया जाए जो विनियम में निर्दिष्ट उपरोक्त सीमा के पर्याप्त रूप से भीतर है।

आगे, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि डूबन्त ऋण सामान्यतः प्राप्तियोग्य लेखों (या व्यापार लेखों की प्राप्तियों) को निरूपित करते हैं जिनका संग्रहण नहीं किया जाता है। डूबन्त ऋण विद्युत वितरण व्यापार की अविभाज्य घटनाएं (inseparable incidences) हैं। डूबन्त ऋणों के बारे में अविचार का परिणाम शतप्रतिशत संग्रहण दक्षता को निरूपित करता है जो विद्युत वितरण व्यावसाय में व्यावहारिक नहीं है। राजस्व राशि का उल्लेखनीय भाग कृषि, ग्रामीण, सार्वजनिक जलप्रदाय व्यवस्था, पथ प्रकाश श्रेणियों से संबंध रखता है जिनमें सुस्पष्ट कारणों से संग्रहण की संभावना निम्न स्तरीय होती है। इन श्रेणियों के उपभोक्ता मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं तथा उनकी भुगतान क्षमता अत्यधिक निम्नस्तरीय है। अतएव इन श्रेणियों को डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों की श्रेणियों में लाये जाने की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों की तुलना में निम्न संग्रहण का वास्तविक परिदृश्य प्रतिबिंबित करते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस आदेश में किसी डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण पर विचार नहीं किया है। तथापि, आयोग द्वारा इस पर बहुवर्षीय विनियम, 2021 के प्रावधान के अनुसार सत्यापन के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विचार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, डूबन्त ऋणों के, चिन्हांकन के बारे में प्रारूप नीति तथा प्रक्रिया की प्रस्तुति को दिशा–निर्देशों का अनुपालन संबंधी अध्याय में सम्मिलित कर लिया गया है।

विषय क्रमांक 24 : अवमूल्यन (Depreciation)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

उपभोक्ताओं तथा विकासक द्वारा हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन को अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा अवमूल्यन राशि से संबंधित निधि का सृजन उपकरणों, आदि के क्रय हेतु किया जाना चाहिए।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के खुदरा टैरिफ आदेश में याचिकाकर्ता को उपयुक्त परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे जिसका अनुपालन याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया गया। अतएव आयोग से अनुरोध किया गया कि उसके द्वारा अवमूल्यन राशि के 50% भाग को शुद्ध स्थाई परिसम्पत्ति के अन्तर्गत स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने उपभोक्ता अंशदान तथा अनुदानों के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन पर अपना दावा प्रस्तुत किया है।

याचिकाकर्ताओं ने अवमूल्यन की गणना बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 33 के अनुसार की है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने परिसम्पत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की है जहां कि परिसम्पत्तियों की लागत के अवमूल्यन की 70% तथा 90% राशि की वसूली अब तक की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, नवीन वितरण/पावर ट्रांसफार्मर जो विफल ट्रांसफार्मरों के स्थान पर प्रतिस्थापित किये गये हैं, की लागत नहीं बताई गई है तथा सेवारत स्थाई परिसम्पत्तियों में तत्संबंधी लागत के कमी के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

रू 1300 करोड़ का अवमूल्यन तुलन–पत्र (balance sheet) का एक भाग है जिसने रोकड़ प्रवाह में कोई अन्तर नहीं डाला है। अतएव आयोग से अनुरोध किया गया कि वह इस पर कमी (shortfall) के रूप में विचार न करे।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने अवमूल्यन का दावा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 33 के अनुसार किया है तथा अवमूल्यन की दर पर विचार आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दर के अनुसार किया है।

विद्यमान योजनाओं/स्कीमों के प्रकरण में, याचिकाकर्ताओं ने यह सत्यापित किया है कि क्या संचित अवमूल्यन (accumulated depreciation) 70% तक पहुंच चुका है। विद्यमान योजनाओं/स्कीमों के प्रकरण में जहां संचित अवमूल्यन परिसम्पत्ति मूल्य के 70% तक पहुंच चुका है, वहां शेष अवमूल्यन मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल की अवधि में विस्तारित कर दिया गया है जिसके अनुसार उच्चतम अवमूल्यन में वृद्धि 90% से अधिक नहीं हो पाती है।
याचिकाकर्ताओं ने अपने बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्ररूप में अवमूल्यन के बारे में विस्तृत गणना प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त, परिसम्पत्ति पंजी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी आयोग को सूक्ष्म परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। अवमूल्यन के अनुमोदन बाबत आयोग के दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) अध्याय में दिया गया है।

विषय क्रमांक 25 : पूंजी पर प्रतिलाभ ***(Return on Equity)***

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु रू 794 करोड़ की राशि का दावा प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, यह इन कम्पनियों के शेयरधारकों का उत्तरदायित्व है कि लाभांश की प्राप्ति हेतु कम्पनियों के पुस्तक–मूल्य (book-value) को उपभोक्ताओं से किसी पूंजी पर प्रतिलाभ के दावे हेतु, उसके समकक्ष या उससे अधिक मूल्य पर रखें।

इसके अतिरिक्त, पूंजी पर प्रतिलाभ को अनुज्ञेय किये जाने बाबत आयोग द्वारा संरचित कोई भी विनियम इन घाटा उठाने वाली कम्पनियों (loss making companies) को लाभांश का भुगतान करने बाबत कोई भी कार्यवाही कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का उल्लंघन होगी। इन कम्पनियों द्वारा संग्रहीत पूंजी पर प्रतिलाभ को लाभ तथा हानि के विरूद्ध धारित/समायोजित नहीं किया जा सकता है। माननीय एप्टेल ने अपील क्रमांक 196 वर्ष, 2014 तथा 326, वर्ष 2013 दिनांक 18 सितम्बर 2015 में यह पुष्टि की है कि पूंजी पर प्रतिलाभ का संग्रहण शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिये किया जाता है तथा इसे धारित (retained) नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उपभोक्ताओं से पूंजी पर प्रतिलाभ के भुगतान हेतु संग्रहीत की जा रही राशि (जिसका वास्तव में भुगतान नहीं किया जा रहा है), अवैध है तथा इसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग ने उनके अनेक विद्युत उत्पादकों को पूंजी पर प्रतिलाभ का भुगतान किये जाने की अनुमति भी प्रदान की है जबकि इन विद्युत उत्पादकों का पुस्तक–मूल्य (book-value) ऋणात्मक (negative) है तथा वे अपने शेयरधारकों को लाभांश तथा संग्रहीत पूंजी पर प्रतिलाभ पर आयकर का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं जिससे याचिकाकर्ताओं की विद्युत क्रय लागत में वृद्धि होती है।

आयोग से अनुरोध है कि वह कोविड–19 महामारी के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष के दौरान पूंजी पर प्रतिलाभ के भुगतान की अनुमति प्रदान न करे।

इसके अतिरिक्त, आयोग से अनुरोध है कि वह पूंजी पर प्रतिलाभ हेतु 14% आधार दर की अनुमति प्रदान करे।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 की धारा 31 के अनुसार किया गया है जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्ताओं को तत्संबंधी वर्ष हेतु शेयर पूंजी (equity capital) संबंधी आधार पूंजी के प्रतिलाभ (base ROE) पर 14% का दावा किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा विनियमों की अधिसूचना यथोचित सार्वजनिक/शेयर धारक परामर्शी प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात् विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45 तथा 61 सहपठित धारा 181(2)(जेडडी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में जारी की गई। ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करता है।

आगे, पूंजी पर प्रतिलाभ का उपयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के स्वेच्छाधिकार के अन्तर्गत किया जाता है। विद्युत वितरण कम्पनियां पूंजी पर प्रतिलाभ की राशि का निवेश परिसम्पत्ति के सृजन में या किसी अन्य उद्देश्य हेतु या फिर कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंबद्ध प्रावधानों के अनुरूप लाभांशों की घोषणा भी कर सकती है यदि ऐसा किया जाना लाभांश की घोषणा के मानदण्ड की पूर्ति करता हो। इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 याचिकाकर्ताको अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ पर पूंजी निवेश से प्राप्त की गई उपार्जनों (earnings) की राशि को रखने हेतु

भी अनुज्ञेय करता है। अतएव याचिकाकर्ता द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ संबंधी दावा विधिक रूप से वैध है।

जहां तक उपरोक्त कथित एप्टेल निर्णय का संबंध है याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि इसका संबंध हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग बहुवर्षीय विनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग (अर्थात् हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग) द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ पर प्रतिबन्ध से है। कथित निर्णय में एप्टेल द्वारा राज्य आयोग के उस निर्णय पर रोक लगाई गई है जिसके अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ पर अपीलकर्ता के 14% दावे के विरूद्ध इसे 10% तक ही सीमित कर दिया गया था क्योंकि विनियमों में पूंजी पर प्रतिलाभ की उच्चतम सीमा 14% निर्धारित की गई थी। अतएव विनियमों द्वारा राज्य आयोग को पूंजी पर प्रतिलाभ को अनुज्ञेय किये जाने हेतु 14% की उच्चतम सीमा तक का स्वेच्छाधिकार प्रदान किया गया है। तथापि, यह बात मप्र राज्य को लागू नहीं होती क्योंकि मप्र राज्य हेतु बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्रावधान हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों से हटकर हैं। इसके अतिरिक्त कथित निर्णय में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ लाभांश के भुगतान हेतु है तथा इसे धारित नहीं किया जा सकता जैसा कि हितधारक द्वारा तर्क दिया गया है। ऐसे में हितधारक का इस बारे में कथन पूर्णतया अनुचित है तथा तर्कसंगत नहीं है।

इसे अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने आयोग से पूंजी पर प्रतिलाभ पर आधार दर को 14% से बढ़ाकर इसे 16% करने का अनुरोध किया है, अतएव आयोग से प्रस्तावित 16% आधार दर से 2% अधिक प्रतिलाभ की वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने पूंजी पर प्रतिलाभ को बहुवर्षीय टैरिफ अधिनियम, 2021 में किये गये प्रावधान के अनुसार 14% की आधार दर पर अनुज्ञेय किया है। इस प्रक्रम के अन्तर्गत दो प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी पर प्रतिलाभ के दावे पर विचार नहीं किया गया है। इसे सत्यापन के समय निष्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जा सकेगा। पूंजी पर प्रतिलाभ के अनुमोदन बाबत अपनाई गई क्रियाविधि का विस्तृत वर्णन इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी अध्याय में दिया गया है।

विषय क्रमांक 26 : पेंशन सेवान्त प्रसुविधा निधि (Pension Terminal Benefit Fund)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सेवान्त प्रसुविधा देयताओं (Terminal Benefit Liabilties) हेतु किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया है तथा आयोग और राज्य शासन के दिशा–निर्देश के बावजूद प्रावधान न किये जाने पर कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने निलम्ब खाता (escrow account) खोलने बाबत भी कोई कार्यवाही नहीं की है। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आयोग के दिशा–निर्देश का परिपालन न किये जाने के कारण उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किये जाने का अनुरोध है।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अनुमोदित राशि रू 750 करोड़ (रू 120+210+210+210 =रू 750 करोड) के विरूद्ध याचिकाकर्ताओं ने सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (TBT Fund) के लिये अद्यतन रू 730.50 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। निधि की बकाया राशि को भी शीघ्र टीबीटी निधि में जमा कराया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टीबीटी निधि से रू 210 करोड़ की राशि के अंशदान के बारे में एमपीपीएमसीएल द्वारा समस्त यचिकाकर्ताओं की ओर से पत्र क्रमांक 854 दिनांक 3–3–2022 द्वारा आयोग से निवेदन किया गया है कि रू 210 करोड़ की राशि को माह अप्रैल 2022 से माह जून 2022 हेतु तीन माह के लिए, रू 70 करोड़ रूपये प्रति माह की दर से, अंशदान जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, ट्रांसमिशन कम्पनी ने हाल ही में मेसर्स के.ए. पण्डित–कन्सलटेंट्स एण्ड एक्च्यूरीज, मुम्बई को जारी आदेश क्रमांक 2324 दिनांक 13.8.2021 द्वारा बीमांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी कर्मचारियों की सेवान्त प्रसुविधा तथा तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की समस्त छः उत्तराधिकारी कम्पनियों के पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनधारियों (family pensioners) की देयता के आकलन हेतु नियुक्त किया है। यह कार्यवाही वर्तमान में प्रगति पर है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु सेवान्त प्रसुविधा न्यास निधि (TBT Fund) हेतु देय अंशदान के लिये व्यय की अनुमति प्रदान की है जिसका विस्तृत विवरण इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) अध्याय में दिया गया है।

विविध (Miscellaneous)

विषय क्रमांक 27 : उच्च दाब उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र (Billing Cycle of HT Consumers)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान कार्य पद्धति के अनुसार उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र प्रत्येक माह की तेइसवीं तिथि को प्रारंभ होता है। उचित होगा यदि इसे प्रत्येक माह की प्रथम तिथि रखा जाए। इससे उपभोक्ताओं को लेखांकन कार्य में भी सुविधा होगी।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता ने आपत्तिकर्ता के सुझाव को संज्ञान में ले लिया है। आयोग इस संबंध में उचित निराकरण प्रदान करे।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत वितरण कम्पनियां बिलिंग माह को कलेण्डर माह से संरेखित किये जाने बाबत हितधारकों की समस्या के निराकरण हेतु उचित समाधानों की खोजबीन कर सकती हैं।

विषय क्रमांक 28 : आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र पर महामारी का प्रभाव (Impact of Pendemic on CPP)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र उपभोक्ता जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में अपने आबद्ध विद्युत उत्पादन को समर्पित किया जा चुका है, उनके लिये आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 है। परन्तु

महामारी (Pendemic) के प्रकोप के कारण समस्त उद्योग माह अप्रैल तथा मई में बन्द कर दिये गये थे चूंकि इस अवधि के दौरान विद्युत की खपत शून्य थी। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु माह अप्रैल तथा मई के लिए विद्युत खपत की औसत की गणना हेतु क्रियाविधि विकसित किये जाने का अनुरोध है।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ता ने आपत्तिकर्ता के सुझाव को संज्ञान में ले लिया है। आयोग इस संबंध में उचित निराकरण प्रदान करे।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारक के प्रस्तुतिकररण तथा याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया को संज्ञान में लिया है। आयोग ने विद्यमान प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं को अनुज्ञेय किये गये स्थाई प्रभार उनकी स्थाई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं हैं, आयोग ने इस विषय पर विद्यमान प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया है।

विषय क्रमांक 29 : शासकीय अनुदान (Government Subsidy)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 तथा आयोग के विनियमों में अधिदेशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को अनुदान राशि (subsidy amount) का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा। तथापि, राज्य सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान राशि न तो अग्रिम रूप से प्रदान की है तथा न ही नियमित आधार पर। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रू. 22,000 करोड़ की अनुदान (सब्सिडी) राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा नहीं किया गया है जो विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के डगमगाने का कारण बन गया है। ऐसे में आयोग से अनुरोध है कि वह राज्य शासन को तत्काल अनुदान की अवशेष राशि के भुगतान हेतु निर्देशित करे तथा भविष्य में भी अनुदान राशि का भुगतान अग्रिम रूप से करे।

श्री महेश गर्ग द्वारा इस विषय पर निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन की जा रही हानियां लाभ में कमी के कारण नहीं हैं वरन् विभिन्न अनुदान योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण या फिर उपभोक्ताओं के कतिपय वर्ग को देयकों में प्रदान की जा रही छूट के कारण हैं। तथापि, जब राज्य सरकार अनुदानित राशि की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करती है तो कम्पनियां कारण को उनके तुलन–पत्र में हानि प्रदर्शित करते हुए, उपभोक्ताओं से विद्युत की लागत की वसूली हेतु विद्युत–दर में वृद्धि (tariff hike) की मांग करने लगती हैं।
इसका परिणाम घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु विद्युत की लागत में वृद्धि के रूप में सामने आता है {जबकि एक ओर विद्युत एक अत्यावश्यक उपयोगी वस्तु (essential Commodity) है} जो बदले में उत्पादन की लागत में वृद्धि करती है, जिससे अन्ततः अन्य उपयोगी वस्तुओं की लागत में भी वृद्धि होती है।

उनके द्वारा आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि शासन द्वारा निरन्तर अनुदान राशि का भुगतान न करने के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वहन किया जा रहा हानियों का बोझ उपभोक्ताओं को विद्युत–दर में वृद्धि (tariff hike) के रूप में अन्तरित कर दिया जाता है।

विद्युत–दर में वृद्धि के कारण उनके द्वारा इस बारे में आयोग को पूर्व में अनेक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें आयोग द्वारा संज्ञान में भी लिया गया और विषयान्तर्गत प्रतिवादी क्रमांक 4 से उत्तर भी चाहा गया, परन्तु आयोग ने इस विषय में कोई भी कार्यवाही नहीं की। यह और कि

याचिकाकर्ता का उसके विचारों को आयोग के समक्ष रिट याचिका दाखिल करने संबंधी विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करने संबंधी प्रयास भी विफल रहा क्योंकि आयोग द्वारा विशिष्ट कारण दिये बगैर प्रकरण में सुनवाई नहीं की गई।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

जब विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) से प्राप्त की गई राजस्व की राशि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) की वसूली हेतु पर्याप्त नहीं होती है तो विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय की लागत की वसूली हेतु विद्युत–दर में वृद्धि प्रस्तावित की जाती है। विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि विधि के प्रावधान के अनुसार है तथा इस संबंध में किसी विपरीत प्रस्तुतिकरण (contrary submission) को नकारा जाता है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि टैरिफ आदेश जारी करते समय आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत प्रदाय की लागत पर बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार केवल मानदण्डीय आधार पर ही विचार किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोग द्वारा अवधारित विद्युत–दर में से उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जा सकता है। जहां तक अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 61 के अधीन विद्युत–दर का संबंध है आयोग द्वारा इसका अवधारण विद्युत प्रदाय की लागत के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है।

आगे यह और कि एमपीपीएमसीएल राज्य सरकार से बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार अनुदान की प्राप्ति हेतु अग्रिम भुगतान जारी करने बाबत निरन्तर पत्र व्यवहार कर रहा है।

आयोग का दृष्टिकोण

जहां तक अनुदान (सब्सिडी) का संबंध है, आयोग राज्य स्तर पर पृथक याचिका के माध्यम से इस मामले को उठा रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य विद्युत नियामक आयोग एक सांविधिक संस्था है जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। आयोग विद्युत–दर का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान, समय–समय पर जारी टैरिफ नीति तथा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार करता है।

विषय क्रमांक 30 : प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार (Cross Subsidy Surcharge and Additional Surcharge)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

याचिकाकर्ता का प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy) तथा अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge) में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये अत्यधिक हैं तथा खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत के क्रय को अव्यवहारिक बना देंगे। इसके अतिरिक्त, लघु–अवधि खुली पहुंच (STOA) तथा राज्य पारेषण इकाई (STU) प्रभारों में भी वृद्धि रू 0.05 से रू 0.52 प्रति किलोवाट ऑवर की गई जो निर्बाध (खुली) पहुंच को आगे और भी अधिक अव्यवहारिक बना देगा। अतएव विद्युत अधिनियम की धारा 39(2घ) के अनुसार आयोग से प्रतिराज्यानुदान अधिभार (CSS) को कम करने या समाप्त करने हेतु तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार की गणना सुसंबद्ध श्रेणी हेतु टैरिफ नीति, 2016 के अन्तर्गत निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया गया।

आयोग से तृतीय पक्ष के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने पर पृथक से प्रतिराज्यानुदान अधिभार (CSS) तथा अतिरिक्त अधिभार की गणना करने हेतु अनुरोध है क्योंकि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने हेतु प्रति राज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार की गणना में कोई अन्तर नहीं है।

याचिकाकर्ता को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका (ARR Petition) में चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार की गणना दर्शाये जाने बाबत निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त परामर्श दिया जा सके।

आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(2) की उपधारा 4 के प्रावधानों को लागू करने तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त प्रभार समाप्त करने हेतु कार्यवाही करे।

आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्रों तथा नवीकरणीय विद्युत संयन्त्रों हेतु कोई अतिरिक्त अधिभार अधिरोपित न किये जाएं।

एक अन्य हितधारक का कथन है कि अधिनियम की धारा 42(4) के अधीन अतिरिक्त अधिभार वितरण अनुज्ञप्तिधारी की स्थाई लागत की पूर्ति हेतु विद्युत आपूर्ति की बाध्यता से अभिप्रेरित है। यह स्थाई लागत खुली पहुंच उपभोक्ताओं के कारण अनुज्ञप्तिधारियों की अनुपयोगी (stranded) विद्युत क्रय प्रतिबद्धताएं हैं। चूंकि अधिभार क्षतिपूर्ति प्रकृति का होता है, यह केवल उसी दशा में प्रयोज्य होता है जब खुली पहुंच उपभोक्ताओं के कारण अनुपयोगी विद्युत क्रय तथा अन्य किसी कारण से कदापि नहीं, सन्निहित होता है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 हेतु उसके द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि के अनुरूप नहीं है जहां आयोग द्वारा प्राप्त की गई औसत मासिक स्थाई दर पर विचार विद्युत उत्पादन केन्द्रों की दैनिक न्यूनतम स्थाई दर पर जिनकी खुली पहुंच उपभोक्ताओं के कारण ऊर्जा समर्पित की गई थी, किया गया था। अतएव अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त अधिभार का अवधारण करते समय प्रस्तावित दैनिक भारित स्थाई दर के स्थान पर विद्युत उत्पादन केन्द्र की दैनिक न्यूनतम स्थाई दर पर विचार किया जाना चाहिए।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

आयोग पिछले अनेक वर्षों से संज्ञानपूर्वक समस्त उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य प्रतिराज्यानुदान स्तरों को कम करने का निरन्तर प्रयास करता चला आ रहा है। तथापि, ऐसा करते समय आयोग को किसी उपभोक्ता श्रेणी को विद्युत–दर प्रघात (Tariff Shock) के प्रभाव पर भी विचार करना होता है। ऐसे में आयोग द्वारा जारी विद्युत–दर आदेश राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा विद्युत अधिनियम 2003 का पूर्ण रूप में अनुपालन करते हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) तथा अतिरिक्त अधिभार (additional charge) के बारे में प्रस्तावित है कि इस पर विचार आयोग द्वारा जारी विनियमों सहपठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार किया जाए। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो प्रतिराज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार को विलोपित (eliminate) किये जाने बावत् अधिदेशित करता हो।

जहां तक टैरिफ नीति के अनुसार प्रतिराज्यानुदान अधिभार की गणना का संबंध है, आयोग इस बारे में उचित निराकरण प्रदान करे।

जहां तक सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में चक्रण प्रभार (Wheeling Charge) तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार (CSS) की गणना को दर्शाने का संबंध है, याचिकाकर्ता हितधारक के इस सुझाव का

स्वागत करते हैं तथा वे आगामी विद्युत–दर कार्रवाईयों (tariff proceedings) से इसे सम्मिलित किये जाने का प्रयास करेंगे।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि खुली पहुंच हेतु प्रयोज्य प्रभार समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ निर्बाध (खुली) पहुंच विनियमों के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा अवधारित अतिरिक्त अधिभार माह सितम्बर, 2020 से माह अगस्त 2021 के दौरान समर्पित ऊर्जा के विरूद्ध खुली पहुंच ऊर्जा खपत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आयोग इस बारे में उचित दृष्टिकोण अपनाए।

याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त अधिभार की गणना भारित औसत मासिक स्थाई दर पर विचार करते हुए की है जो विद्युत उत्पादन केन्द्रों की दैनिक स्थाई दर पर आधारित है जिनके द्वारा खुली पहुंच ऊर्जा के कारण विद्युत को समर्पित किया गया। वास्तविक समय में, खुली पहुंच के कारण ऊर्जा का समर्पण विद्युत उत्पादन केन्द्रों के न्यूनतम स्थाई प्रभारों पर निर्भर नहीं है वरन् समर्पण के राज्य भार प्रेषण केन्द्र आदेशों पर आधारित होने के कारण, है, स्थाई प्रभार भले जो भी हों। ऐसे में आयोग के अतिरिक्त अधिभार के अवधारण के बारे में दृष्टिकोण औसत मासिक स्थाई दर है जिसकी गणना विद्युत उत्पादन केन्द्रों की दैनिक न्यूनतम स्थाई दर के आधार पर की जाती है जो केन्द्रों की दैनिक वास्तविक भारित औसत दर पर ध्यान नहीं देती। अतएव, याचिकाकर्ताओं द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि वह वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु टैरिफ याचिका में अपनाई गई क्रियाविधि तथा दृष्टिकोण पर विचार करे।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने अतिरिक्त अधिभार की गणना हेतु क्रियाविधि में संशोधन किया है जिसका विस्तृत विवरण इस आदेश के सुसंबद्ध अनुच्छेद में दिया गया है।

जहां तक प्रतिराज्यानुदान अधिभार (cross subsidy surchage) का संबंध है, आयोग ने इसकी गणना टैरिफ नीति, 2016 में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार की है जिसका विस्तृत विवरण इस आदेश के टैरिफ रूपांकन अध्याय में दिया गया है।

विषय क्रमांक 31 : मापन (Metering)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने वितरण ट्रांसफार्मर मापन संयोजनोंपर कार्य नहीं किया है तथा राज्य में दस लाख से भी अधिक अमीटरीकृत तथा रूके हुए/दोषपूर्ण मापयन्त्रों को बदले जाने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में ऊर्जा की आवश्यकता की गणना करते समय वितरण हानि की गणना भ्रामक हो जाती है।

घरेलू उपभोक्ताओं का मापयन्त्र वाचन कड़ाईपूर्वक एक माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्पन्न कर लिया जाना चाहिए क्योंकि उपभोक्ताओं को यूनिटवार स्लैब के अनुसार उन्हें प्रदान की जा रही छूट से वंचित किया जा रहा है। अतएव, आयोग से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उपभोक्ता को दिये जा रहे देयक केवल एक माह की अवधि तक ही सीमित रखे जाएं।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों तथा अमीटरीकृत कृषि संयोजनों से ऊर्जा के विक्रय का प्रक्षेपण टैरिफ आदेश में श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार किया गया है।

इसके अतिरिक्त मानदण्डीय वितरण हानि (प्रतिशत में) के बारे में प्रक्षेपण हेतु विचार बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 से संरेखित किया गया है।

आगे याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तावित किया है कि यदि उपभोक्ता का मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) 30 दिवस के पश्चात् किया जाता है तथा कथित माह हेतु विद्युत की खपत सन्निहित हो तो मापयन्त्र वाचन आनुपातिक रूप से किया जाता है। वर्तमान में यह प्रावधान केवल घरेलू श्रेणी LV-I हेतु ही लागू होता है तथा इसे समाप्त नहीं किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस विषय पर वर्तमान प्रावधान को जारी रखा है।

विषय क्रमांक 32: वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ आदेश के परिदृश्य 4 के अनुसार खुली पहुंच प्रभारों की प्रयोज्यता (Applicability of Open Access Charges as per Scenario 4 as per Tariff Order for FY 2021-22)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

हितधारकों का कथन है कि खुली पहुंच उत्पादकों के अवस्थिति संबंधी विभिन्न परिदृश्यों में चक्रण तथा पारेषण प्रभारों की प्रयोज्यता तथा पारेषण एवं चक्रण प्रभारों की अनुवर्ती प्रयोज्यता को आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश (Retail Supply Tariff Order) के पैरा 3.13 में अनुमोदित किया जा चुका है।

निर्बाध (खुली) पहुंच परिदृश्य 4:

''दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता 33 केवी पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी भी वितरण प्रणाली से संयोजित हैं ''।

निर्बाध (खुली) पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रणाली के भीतर उत्पादित विद्युत की खपत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में एक समान खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) शर्तों के अन्तर्गत की जाएगी, अतएव यह खुली पहुंच उपभोक्ता की मांग की पूर्ति हेतु अपना अंशदान प्रस्तुत करेगी। अतएव, इस संव्यवहार में पारेषण नेटवर्क का अतिरिक्त उपयोग सन्निहित नहीं है। अतएव इन संव्यवहारों में केवल चक्रण प्रभार ही सन्निहित होंगे।

परिदृश्य 1, 2 तथा 3 में पारेषण प्रभार लागू होते हैं जबकि परिदृश्य –4 में केवल चक्रण प्रभार ही लागू होते हैं।

निवेदन किया गया कि ऐसे प्रकरण में जहां खुली पहुंच विनियम, 2021 पारेषण प्रभारों की प्रयोज्यता का प्रावधान करते हैं तथा जहां राज्य में विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के क्षेत्रों में अन्तःक्षेपण (Injection)तथा आहरण 33 केवी स्तर (वितरण प्रणाली) पर परिदृश्य–4 से संरेखित नहीं है जैसा कि इसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में किया गया है, के बारे में निम्नानुसार सुझावों के साथ आयोग को अनुरोध किया गया कि :

- याचिका क्रमांक 04/2022 के अन्तर्गत परिदृश्य–4 में जैसा कि इसका उल्लेख ऊपर किया गया है, को खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में मय पारेषण/चक्रण प्रभारों की प्रयोज्यता के सम्मिलित कर लिया जाए जहां उपभोक्ता वितरण प्रणाली से (33 केवी स्तर पर) संयोजित है तथा अन्तःक्षेपण/आहरण राज्य में दिनांक 17 दिसम्बर 2021 को अधिसूचित खुली पहुंच विनियमों से सुसंगत विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

- पारेषण/चक्रण प्रभारों की उपरोक्त कथित प्रयोज्यता दीर्घ–अवधि/मध्यम–अवधि/लघु–अवधि खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु लागू हो जो यथास्थिति एमपीपीटीसीएल/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से निर्बाध (खुली) पहुंच के इच्छुक हैं।
- आयोग से अनुरोध किया गया कि आयोग द्वारा दीर्घ–अवधि/मध्यम–अवधि खुली पहुंच उपभोक्ताओं के बारे में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19.05.2021 के अनुसार एमपीपीटीसीएल द्वारा पारेषण प्रभारों की बिलिंग प्रारंभ करने हेतु सक्षमता प्रदान के लिये खुली पहुंच विनियम, 2021 के अनुसार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु लघु–अवधि खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु खुली पहुंच विनियम, 2021 सहपठित बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19.05.2021में किये गये प्रावधानों के अनुसार प्रयोज्यता हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जाएं।
- अन्य कोई राहत जैसा कि आयोग द्वारा वितरण प्रणाली (33 केवी स्तर पर) से संयोजित खुली पहुंच उपभोक्ताओं के बारे में पारेषण प्रभारों की प्रयोज्यता के बारे में, जहां विद्युत का अन्तःक्षेपण तथा आहरण एक ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्राधिकार में अवस्थित हो, उचित समझा जाए क्योंकि इस प्रकरण में भी पारेषण प्रणाली का उपयोग सन्निहित है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारक के सुझाव को संज्ञान में लिया है तथा इस विषय पर औचित्यपूर्ण ढंग से संव्यवहार इस आदेश के अध्याय ए 3 में किया गया है।

विषय क्रमांक 33: जन सुनवाई (Public Hearing)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रत्युत्तर जनसुनवाई से पूर्व प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ताकि हितधारक इन पर आयोग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें।

हितधारकों के प्रस्तुतिकरणों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस बारे में प्रस्तुत प्रत्युत्तर जो आयोग को हितधारकों के प्रस्तुतिकरण के बारे में हों, आयोग उन पर विचार करते हुए अन्तिम न्यायोचित आदेश पारित करता था।

एक अन्य हितधारक का कथन है कि टैरिफ याचिका 61/2021 के बारे से सूचना राज्य स्तर के समाचार–पत्र/दैनिक भास्कर में जिला निवाड़ी तथा टीकमगढ़ हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण दिनांक 08 फरवरी, 2022 को जन सुनवाई संभव नहीं हो पाई । पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी ने सूचना दैनिक भास्कर के जबलपुर संस्करण में प्रकाशित की जबकि दैनिक भास्कर छतरपुर तथा सागर संस्करणों को निवाड़ी तथा टीकमगढ़ जिले में प्रसारित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत दरों में 8.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्रस्तावित की है जो अधिक नहीं है क्योंकि मुद्रास्फीति दर विद्युत–दरों की औसत वृद्धि से कही अधिक है। अतएव, आयोग से अनुरोध किया गया कि जनसुनवाई संचालित करने के बाद स्वांग (Spectacle) किये बगैर जन सुनवाई उपरान्त आयोग द्वारा याचिकाकर्ता की मांग अनुमोदित कर दी जानी चाहिए ताकि समय तथा मुद्रा की बचत हो सके।

अंत में यह अनुरोध किया गया कि जन सुनवाई को निरस्त कर दिया जाए तथा विडियो कान्फ्रेंसिंग नियमों के अभाव में याचिका को स्वीकार कर लिया जाए।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस संबंध में मामले का उपयुक्त निराकरण किया जाए। जहां तक टैरिफ याचिका क्रमांक 61/2021 के अंतर्गत सूचना का संबंध है, यह निवेदन किया गया कि आयोग के विनियमों के अनुसार सार्वजनिक सूचना स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। याचिका क्रमांक 61/2021 के संबंध में सार्वजनिक सूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को दैनिक भास्कर के सागर संस्करण में प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सूचना उसी दिवस को जबलपुर से प्रकाशित होने वाले ''हितवाद'' अंग्रेजी समाचार पत्र में भी प्रसारित की गई जिसका प्रसारण पूर्वक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अन्य जिलों में भी किया गया।

यह निवेदन भी किया गया कि सार्वजनिक सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में ले लिया गया है।

विषय क्रमांक 34 : तन्तुपथ तथा ट्रांसफार्मरों की स्थापना (Installation of line and transformers)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

हितधारकों का कथन है कि अनेक स्थानों में विद्युत वितरण कम्पनियां उपभोक्ता से स्वयं की लागत पर तन्तुपथ (लाइन) तथा ट्रांसफार्मर स्थापना करने की मांग करती हैं (ऐसा आपके द्वारा निर्धारित किये गये प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रभारों के भुगतान के बावजूद किया जाता है) तथा यह तन्तुपथ तथा ट्रांसफार्मर विद्युत वितरण कम्पनी की सम्पत्ति बन जाता है जो पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। इस कारण बैंक भी इन व्ययों का वित्त प्रबन्ध (finance) नहीं करते।

अतएव, आयोग से अनुरोध किया गया कि उपभोक्ता द्वारा किये गये पूंजी निवेश का प्रत्यर्पण 12 माह के ऊर्जा देयको से किस्तों में किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि किन्ही परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्राप्त किये गये अंशदान को अनुज्ञप्तिधारी की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में से घटा दिया जाता है। विद्युत वितरण कम्पनियां उपभोक्ता अंशदान या सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता या फिर विद्युत–दर के माध्यम से किसी प्रकार के व्ययों या फिर सृजित की गई इस प्रकार की परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ का दावा नहीं करतीं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने हितधारकों के प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग ने किसी प्रकार के पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE), अवमूल्यन, उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से सृजित परिसम्पत्तियों पर याचिकाकर्ताओं को प्रदत्त ऋण पर ब्याज को अनुज्ञेय नही किया है जिसका विस्तृत वितरण इस आदेश के संपूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी अध्याय में दिया गया है।

विषय क्रमांक 35: भुगतान में विलम्ब करने पर संयोजन विच्छेद (Disconnection on delay in payment)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

यदि किसी बिलिंग विवाद के कारण भुगतान में विलम्ब के कारण देयक की देय तिथि समाप्त हो जाती है तो विद्युत वितरण कम्पनियां तत्काल विद्युत प्रदाय के संयोजन को विच्छेदित कर देती हैं जबकि विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार उनके द्वारा संयोजन विच्छेद के लिये 15 दिवस की सूचना (नोटिस) दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास उपभोक्ता की 45 दिवस के देयक के बराबर राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहती है। इस कारण क्षेत्र में संचार (communication) प्रभावित हो जाता है। यदि बिलिंग विवाद विद्युत वितरण कम्पनियों के कारण हो तथा देयक में सुधार कर दिया जाता है तो भुगतान की देय तिथि की गणना देयक की सुधार तिथि से की जानी चाहिए।

एक अन्य हितधारक का कथन है कि यदि औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा किसी कारणवश विद्युत देयक का भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर न किया गया हो तो ऐसे में विलम्ब शुल्क के अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा निधि की भी मांग की जाती है। इस संव्यवहार को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह आचरण औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा पूंजी निवेशकों को हतोत्साहित करता है।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

जहां तक 15 दिवस की सूचना (नोटिस) का संबंध है, इसका संबंध वर्तमान याचिका से नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि सुरक्षा निधि की बिलिंग आयोग द्वारा जारी मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम 2009 के विनियम 1.19 के अनुसार की जाती है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारकों के सुझावों तथा याचिकाकर्ताओं के प्रत्युत्तर को संज्ञान में लिया है। आयोग याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट यथोचित प्रक्रिया को अपनाये जाने संबंधी निर्देश देता है।

विषय क्रमांक 36: विद्युत स्वविच्छेदन (Electricity Tripping)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

हितधारक का कथन है कि वर्तमान में विद्युत वितरण कम्पनियां तथा विशेष तौर पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अपने उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत प्रदाय नहीं कर रही है जिसके कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं को हानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव आयोग से अनुरोध है कि यदि निरन्तर स्वविच्छेदन (ट्रिपिंग) किया जाता है तो विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा स्वविच्छेदनों की संख्या के अनुसार उपभोक्ताओं को रिआयत (concession) प्रदान की जानी चाहिए।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

आपत्ति का वर्तमान याचिका से कोई संबंध नहीं है, परन्तु यदि हितधारक की कोई विशेष शिकायत हो तो इसे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता या कम्पनी कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ वितरण निष्पादन मानक विनियम, 2012 विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें पात्रता रखने वाले प्रभावित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

विषय क्रमांक 37: विद्युत अधिनियम, 2003 का अनुपालन (Complianceof Electricity Act, 2003)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार आयोग के पास विद्युत–दर के अवधारण हेतु विद्युत के बारे में समस्त विवरण उपलब्ध होने चाहिए तथा कोई भी विद्युत–दर या उसके किसी भी भाग को बारम्बार संशोधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक ऐसा केवल ईधन अधिभार सूत्र जैसा कि इसे विनिर्दिष्ट किया गया है, की शर्तों के अनुसार अनुज्ञेय न किया जाए। अतएव, वर्तमान में विद्युत–दर का अवधारण केवल लागतों तथा ईधन अधिभारों के आधार पर ही किया जाना चाहिए न कि प्रतिवेदक के घाटे के आधार पर। तथापि, राज्य तथा इनके माध्यमों (Instrumentalities) द्वारा प्रतिवेदक की हानियों के कारण बारम्बार विद्युत–दर में वृद्धि की जा रही है।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

जब विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) से प्राप्त की गई राजस्व की राशि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) की वसूली हेतु पर्याप्त नहीं होती है तो विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय की लागत की वसूली हेतु विद्युत–दर में वृद्धि प्रस्तावित की जाती है। विद्युत–दर में प्रस्तावित के वृद्धि विधि के प्रावधान के अनुसार है तथा इस संबंध में किसी विपरीत प्रस्तुतिकरण (contrary submission) को नकारा जाता है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि टैरिफ आदेश जारी करते समय आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत प्रदाय की लागत पर बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के अनुसार केवल मानदण्डीय आधार पर ही विचार किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोग द्वारा अवधारित विद्युत–दर में से उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जा सकता है। जहां तक अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 61 के अधीन विद्युत–दर का संबंध है आयोग द्वारा इसका अवधारण विद्युत प्रदाय की लागत के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 से वित्तीय वर्ष 2026–2027 तक की नियन्त्रण अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर (Tariff)का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45 तथा धारा 61 सहपठित धारा 181 (2)(जेडडी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए किया है।

विषय क्रमांक 38: चक्रण प्रभार–चक्रण तथा खुदरा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का पृथक्करण (Wheeling Charge-Segregation of Wheeling and Retail ARR)

हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में संचालन तथा संधारण व्यय, ब्याज तथा वित्त प्रभार, पूंजी पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन आदि जैसे घटक सम्मिलित होते हैं, ये व्यय घटक खुदरा खण्ड (retail

segment) के भाग का गठन भी करते हैं। अतएव, यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को चक्रण तथा खुदरा व्ययों में द्विभाजित किया जाए।

आयोग से अनुरोध है कि वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण तथा खुदरा प्रणाली के मध्य वास्तविक युक्तियुक्त व्ययों से संरेखित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आवंटन आव्यूह (Allocation Matrix) को परिभाषित करे। इस प्रकार परिभाषित की गई क्रियाविधि (Methodology) लघु–अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किये जाने वाले चक्रण प्रभार को सुनिश्चितता प्रदान करेगी।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के विनियम 8.12 के अधीन पूर्व ही से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के चक्रण तथा आपूर्ति व्यवसाय के मध्य सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन से आवंटन आव्यूह परिभाषित किया गया है। आयोग द्वारा इस बारे में यथोचित कार्यवाही की जाए।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

विद्युत आपूर्ति तथा चक्रण व्यवसाय हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)के पृथक्करण हेतु आवंटन आव्यूह को बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट किया गया है। आवंटन आव्यूह पर आधारित आयोग ने इस टैरिफ आदेश में चक्रण तथा विद्युत आपूर्ति व्यवसाय सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को अवधारित किया गया है जिसे इस आदेश के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अध्याय में दर्शाया गया है।

विषय क्रमांक 39: जन सुनवाई में सहभागिता (Participation in Public Hearing)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

आवेदक श्री महेश गर्ग ने अपने अभ्यावेदन के माध्यम से आयोग द्वारा कोई अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व मामले में उनकी व्यक्तिगत सुनवाई के लिये अनुरोध किया गया ताकि म.प्र. राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत–दर में वृद्धि के माध्यम से बोझ डालने से पूर्व विद्युत–दर में वृद्धि प्रस्तावित न करने हेतु अपने आधार (पक्ष) को प्रस्तुत किया जा सके।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

वर्तमान हितधारक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिका के बारे में अपनी टिप्पणियां (परिशिष्ट–पी/8 के अनुसार) प्रस्तुत की हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के हितधारक की इसी विषय पर टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया यथोचित रूप से आयोग के समक्ष पत्र क्रमांक 4015 इन्दौर दिनांक 11.03.20 (परिशिष्ट–पी/9) द्वारा प्रस्तुत की गईं। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आयोग द्वारा विद्युत–दर आदेश 17.12.2020 को जारी किया जा चुका है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु आयोजित की गई जन सुनवाई के दौरान हितधारक की सुनवाई दिनांक 9 मार्च, 2022 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

विषय क्रमांक 40: कोविड–19 के दौरान प्रदत्त छूटें(Exemptions during Covid-19)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को विभिन्न छूटें प्रदान की गईं हैं। अतएव इन छूटों के लिये केवल शासन द्वारा ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए न कि उपभोक्ताओं द्वारा।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अनुसार राज्य सरकार को सार्वजनिक हित में दिशा–निर्देश जारी करने की शक्तियां हैं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा याचिका की विषयवस्तु से संबद्ध नहीं है।

विषय क्रमांक 41: त्रुटिपूर्ण मापयन्त्र तथा वाचन (Defective metres and readings)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय किये गये दोषपूर्ण मापयन्त्र भ्रामक वाचन प्रदान करते हैं जिससे औसत मापयन्त्र वाचनों में विषमताएँ परिलक्षित होती हैं तथा ये उपभोक्ता के विद्युत देयकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने हितधारक के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस मामले में समुचित दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

विषय क्रमांक 42: विद्युत आपूर्ति द्वारा राजस्व की उत्पत्ति (Revenue Generation by Electricity Supply)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

विद्युत को आधारभूत सुख–सुविधा तथा जनसेवा माना जाना चाहिए। अतएव यह राज्य शासन का कर्तव्य है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग तथा विद्युत वितरण कम्पनियां विद्युत की आपूर्ति इससे बिना लाभ अर्जित किये युक्तिसंगत कीमत पर उपलब्ध करायें।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया है।

विषय क्रमांक 43 : मापन प्रभार (Metering Charges)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

प्रतिवेदकगण (Respondent) मापन प्रभारों (metering charges) की वसूली प्रत्येक देयक में करते हैं भले ही ऐसे प्रभार संयोजन को प्रारंभ करते समय ही वसूल कर लिये जाते हैं जब मापयन्त्र की स्थापना की जाती है। ऐसे में उनके द्वारा एक ही सेवा के लिये दुगुना लाभ अर्जित किया जाता है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु किसी मापन प्रभार के अधिरोपण का अनुमोदन नहीं किया है।

विषय क्रमांक 44 : मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबद्धता का परिपालन न किया जाना (Non Fulfilment of Commitment by M.P. Government)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

अधिसूचित किया जाता है कि राज्य शासन ने माह जून 2020 में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि विद्युत देयक को घटा कर आधा कर दिया जाएगा, बदले में शासन ने माह दिसम्बर, 2020 में विद्युत प्रभारों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी तथा इस विद्युत–दर प्रस्ताव के साथ ही विद्युत प्रभारों में 04 माह की अवधि के भीतर ही 06 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार, राज्य शासन उपभोक्ता की किसी श्रेणी को आयोग द्वारा अवधारित विद्युत–दर से राज्यानुदान (सब्सिडी) प्रदान कर सकता है। जहां तक अधिनियम की धारा 61 सहपठित धारा 62 के अन्तर्गत विद्युत–दर अवधारण का संबन्ध है, आयोग द्वारा इसका अवधारण विद्युत प्रदाय की लागत के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु विद्युत–दर का अवधारण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया है। राज्य सरकार विद्युत अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ता श्रेणी को राज्यानुदान (सब्सिडी) प्रदान कर सकता है।

विषय क्रमांक 45 : कृषि उपभोक्ताओं पर उच्च विद्युत–दर का प्रभाव (High Tariff Impact on Agricultural Consumers)

<u>हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

लघु तथा सीमान्त कृषक जो विद्युत पम्पों जैसी मशीनरी का संचालन करते हैं विद्युत–दरों में वृद्धि के कारण सर्वाधिक कष्ट भोगते हैं। कोविड लॉकडाउन के कारण वे अपनी फसलों की कटाई करने तथा जीवन यापन हेतु इनका विक्रय करने मे असमर्थ थे। हाल ही में छतरपुर जिले के एक 35 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह विद्युत–देयक का भुगतान करने में असमर्थ था। प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र में उसके द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया था कि उसे विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा देयकों का भुगतान न करने के कारण प्रताड़ित किया गया। यह घटना इस बात की पर्याप्त रूप से साक्षी है कि निम्न आय वर्ग विद्युत–दरों में प्रस्तावित वृद्धि का भुगतान करने में समर्थ नहीं है।

<u>याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया</u>

जहां तक कृषि तथा सिंचाई पम्प उपभोक्ताओं की विद्युत–दर (टैरिफ) का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2021–2022 की विद्युत–दर के अनुसार एलवी–5 कृषि तथा कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु औसत बिलिंग दर रू 6.66 प्रति यूनिट की औसत बिलिंग दर के विरूद्ध रू 5.73 प्रति यूनिट है। इसके

अतिरिक्त कृषि उपभोक्ता राज्य शासन द्वारा प्रदाय किये जा रहे राज्यानुदानों (सब्सिडी) के लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु विद्युत–दर का अवधारण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया है। शासन द्वारा किसी भी उपभोक्ता को या उपभोक्ता श्रेणी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के प्रावधान के अनुसार राज्यानुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जा सकता है।

परिशिष्ट–1 हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) की सूची

हितधारकों की सूची–पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

सरल क्रमांक	नाम तथा पदनाम	पता
1	श्री अखिल मिश्रा	मेसर्स लार्डगंज व्यापारी संघ, 26, एस.पी. मार्केट, लार्डगंज, जबलपुर
2	श्री डी.आर. जेसवानी	मेसर्स महाकौशल उद्योग संघ, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर
3	श्री मनिन्दर ओबेराय	मेसर्स सतना जिला उद्योग संघ, उद्योग भवन, औद्योगिक क्षेत्र, सतना
4	श्री शंकर नागदेव	मेसर्स महाकौशल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर भवन, सिविल सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर–482002
5	श्री विनय कुमार सिंह परिहार, महासचिव	मध्यप्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, शेड क्रं.13, विद्युत नगर, पोस्ट रामपुर, जबलपुर–482008
6	–	मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन कं.लि. शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर
7	श्री अरूण जैन	म.प्र. स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, आर्गनाईजेशन
8	श्री पी.जी. नाजपाण्डेय श्री विवेक तन्खा	राज कृष्ण समिति, 842, नार्थ सिविल लाईन्स, जबलपुर
9	श्री जबीर खान	मेसर्स, प्रिज्म जॉनसन लि. ग्राम मनकहरी, पोस्ट बठिया, जिला सतना 485111
10	श्री डी. खण्डेलवाल, एडवोकेट	960, नेपियर टाउन, जबलपुर
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद मोर	प्रबुद्धपुरी, गली नं. 4, आदर्श कॉलोनी, कटनी
12	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1995/ए, ज्ञान विहार कॉलोनी, नर्मदा रोड, जबलपुर 408068
13	श्री निर्मल लोहिया, एडवोकेट	तालदरवाजा, टीकमगढ़
14	श्री ए.पी. त्रिवेदी संस	मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी संस, मेन रोड, बालाघाट–481001
15	श्री के.के. अग्रवाल	भारतीय कृषक समाज
16	श्री रवि गुप्ता	मप्रविनिआ राज्य सलाहकार समिति के सदस्य
17	श्री हिमांशु खरे	जबलपुर

हितधारकों की सूची–पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

सरल क्रमांक	नाम तथा पदनाम	पता
1	श्री हिमांशु शाह विशाल जैन	मेसर्स एमपी स्माल स्केल ड्रग मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, 104, श्रीनाथ निकेतन, स्नेहलता गंज इंदौर 452007
2	श्री एम.सी. रावत	म.प्र. टेक्साटाइल मिल्स एसोसिएशन, जन सभागृह, 56/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर 452001
3	श्री राजेश कुमार बजाज	मेसर्स टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन, टीपीए भवन, औद्योगिक क्षेत्र, गुरूद्वारा के पास, बुरहानपुर
4	श्री गौतम कोठारी	मेसर्स पीथमपुर औद्योगिक संगठन, 231 साकेत नगर, इंदौर 452018
5	श्री एस.एम. जैन, अध्यक्ष एम.पी. चैप्टर	मेसर्स ऑल इण्डिया इंडक्शन फरनेस एसोसिएशन,एम.पी. चैप्टर, द्वारा वीनस एलॉयस प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र, मन्दसौर 458001
6	श्री एस.एम. जैन, अध्यक्ष एम.पी. चैप्टर	मेसर्स वीनस एलॉयस प्रा.लि. इकाई–2, खसरा नं. 612/1/1, ग्राम फतेहगंज, तहसील दलौदा, जिला मन्दसौर 67 औद्योगिक क्षेत्र मन्दसौर 458001
7	श्री अश्विनी पाण्डेय	मेसर्स विद्युत मण्डल पेंशनर्स एसोसिएशन 301–ए, गोयल विहार, गणेश मंदिर के पास खजराना, इंदौर
8	श्री महेश गर्ग	16, संवाद नगर, नवलखा के पास इंदौर
9	श्री आरसी सोमानी	विद्युत मण्डल पेंशनर्स एसोसिएशन, ऊर्जा परिसर, पोलोग्राउन्ड, इंदौर 452003
10	श्री आरसी सोमानी	एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देवास 1/बी/1, 1बी/2ए, आई.एस. गजरा औद्योगिक क्षेत्र, 1, एबी रोड देवास 455001
11	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स मध्यान्चल कॉटन गिनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा हरमन कोटेक्स, डेजला देवड़ा कालोनी के सामने, बिस्तान रोड, खरगोन
12	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स मण्डी व्यापारी संघ, द्वारा हरमन कॉटेक्स, व्यापारी विश्रान्ति भवन, कृषि उपज मण्डी परिसर, बिस्तान रोड, खरगोन, जिला खरगोन 451001
13	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स एस.एम.ओ. इंडस्ट्रीज, इंदौर रोड, कसरावद तहसील कसरावद जिला खरगोन 451228
14	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स डिवील कॉटन इंडस्ट्रीज, खेतिया पानसेमल रोड, जिला बड़वानी
15	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स सत्यम इंडस्ट्रीज, गिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री, पाटी बोकराटा रोड, खेतिया 451881
16	श्री आर.एस. गोयल	श्री राज राजेश्वर कॉटन प्रा.लि. वारला रोड, सेंधवा, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी 451228
17	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स वेंकटेश इंडस्ट्रीज, निवाली रोड, सेंधवा, जिला

		बड़वानी
18	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स गोमतेश गिनिंग एंड प्रेसिंग बाकानेर, तहसील मनवार, जिला धार
19	श्री आर.एस. गोयल	मेसर्स मनजीत ग्लोबल प्रा.लि. ग्राम सतराती आगरा मुम्बई रोड, तहसील कसरावद, जिला खरगोन 451660
20	श्री अजय पोरवाल	मेसर्स पोरवाल आटो कॉम्पोनेन्ट्स लि. (सोलर डिवीजन), प्लाट नं. 209, सेक्टर–1, पीथमपुर, जिला धार
21	श्री अजय पोरवाल	मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., (केमिकल डिवीजन), नागदा उज्जैन 456331
22	श्री इन्दिरा इंडस्ट्रीज माहेश्वरी जी	मेसर्स इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
23	श्री कृष्णकान्त मंडलिया श्री रविन्द्र तिवारी	मेसर्स इंडस टॉवर्स लि. एच–चौथी मंजिल मेट्रो टॉवर, स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड, इंदौर 452010
24	—	मेसर्स एमडी इंटरप्राइजेज पीथमपुर, प्लॉट नं. 560, सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर
25	—	मेसर्स श्री महालक्ष्मी कॉटन प्रेसिंग फैक्ट्री, कारवाड़ रोड, बामनिया, जिला झाबुआ 457770
26	श्री पंकज एम. कटारिया	मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्रा.लि. 304, झाबुआ टॉवर ब्लॉक नं. 170, आर.एन. टैगोर मार्ग इंदौर
27	श्री पवन सिंघानिया	मेसर्स राठी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लि. 103, लक्ष्मी टॉवर, 576 एम.जी. रोड, इंदौर 452001
28	श्री शुभम जैन	मेसर्स जयदीप इस्पात एंड अलॉयज प्रा.लि. 103, लक्ष्मी टॉवर, 576 एम.जी. रोड, इंदौर 452001
29	श्री राजेन्द्र ऋषभ	श्री राजेन्द्र ऋषभ गिनिंग एंड प्रेसिंग कॉटन गिनर्स मर्चेन्ट, 1–3ए दिलीप नगर, मेन रोड, रतलाम 457001
30	श्री राजेश भटेवारा	मेसर्स मल्टी इंजीनियरिंग सर्विस, 22, शास्त्री नगर, कामधेनु अपार्टमेंट के पास, रतलाम
31	श्री समर्पण महाजन	मेसर्स कालिन्दी फायबर्स
32	श्री सतीश सूद, डायरेक्टर	मेसर्स ओएसीस डिस्टलरीज लिमिटेड, हाऊस नं. 102, बी–2, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर
33	श्री सुहास खाण्डेकर	फ्लैट नं. 201, वसन्त कुंज, 270, लोकमान्य नगर, इंदौर 452009
34	श्री सुनील के. जैन	548, कस्तूरबा नगर, रोड नं. 7, रतलाम
35	—	मेसर्स विन्ध्या पेपर्स, 80, एफ, औद्योगिक क्षेत्र, नरवाल ग्राम सांवेर रोड, इंदौर
36	श्री संजय अग्रवाल	उपभोक्ता हित प्रहरी, महू
37	श्री मुकेश कौल	मेसर्स अखिल भारतीय ग्राहक मंच, इंदौर

हितधारकों की सूची–मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

सरल क्रमांक	नाम तथा पदनाम	पता
1	श्री योगेश गोयल	मेसर्स गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोसिएशन काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा, भोपाल 462023
2	श्री आर.एस. गोस्वामी श्री योगेश गोयल	मेसर्स फेडरेशन ऑफ एम.पी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग भवन, 129–ए, मालवीय नगर, भोपाल 462903
3	श्री विपिन कुमार जैन	मेसर्स एम.पी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर्गनाईजेशन, ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016
4	श्री महेन्द्र पी. खांटे	मेसर्स वर्द्धमान फैब्रिक्स (यूनिट वर्द्धमान टेक्सटाइल्स लि.), ग्राम पीलीकरार–तालपुर, रेहटी रोड, तहसील बुधनी, जिला सीहोर
5	श्री एम.सी. बंसल	मेसर्स जस्टिस फॉर पब्लिक कॉज फाउन्डेशन ट्रस्ट, फ्लैट नं. 402, सैफायर ब्लॉक, निखिल नेसले, आसिमा मॉल के पास, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल 462026
6	श्री सी.बी. मालपानी	मेसर्स ऐसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मंडीदीप, प्लॉट नं. एएम–19, सेक्टर–बी, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप, जिला रायसेन
7	श्री अमृत प्लास्टिक	मेसर्स अमृत प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लाट नं. 148 न्यू औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2 मंडीदीप जिला रायसेन
8	श्री ए.के. सक्सेना	श्री गगा इंटरनेशनल, प्लाट नं. 28–बी, सेक्टर–ए, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप, जिला रायसेन
9	–	मेसर्स बदरी इको फायबर्स लि. 201–के, सी–21 कार्पोरेट जोन–1, कैपिटल मॉल, हौशंगाबाद रोड, भोपाल 462026
10	–	मेसर्स मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस, नं.3, सेक्टर–एफ, औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा, भोपाल 462023
11	श्री आशुतोष बंसल	मेसर्स ओम स्मेलटर्स एंड रोलर्स प्रा.लि. ग्राम भरथरी, तहसील चिन्नौर, झांसी ग्वालियररोड, जिला ग्वालियर
12	–	श्री पालोद इंडस्ट्रीज प्रा.लि. 29–बी, सेक्टर–डी, मंडीदीप
13	–	मेसर्स पार्क बेंज लेबोरेट्री, प्लाट नं. 92, न्यू औद्योगिक क्षेत्र, 2, मंडीदीप जिला रायसेन म.प्र.
14	–	मेसर्स सतरंग स्टील्स एंड अलॉयज प्रा.लि. प्लाट नं.

		7, न्यू औद्योगिक क्षेत्र, 2, मंडीदीप जिला रायसेन म.प्र.
15	श्री देवमणि तिवारी श्री राजेन्द्र मालवीय	मेसर्स सोनिक बायोकेम, एक्ट्रेक्शन्स खसरा नं. 3 एवं 4, ग्राम मंढेरी, मंडीदीप रेलवे स्टेशन रोड, के पास तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन
16	—	मेसर्स विद्या सिलिंडर्स प्रा.लि. प्लाट नं. 112—ए, सेक्टर—ए, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप रायसेन 462046
17	—	मेसर्स विन एक्सल्स प्रा.लि. प्लाट नं. एफ—10, औद्योगिक क्षेत्र, फेस—2, मंडीदीप
18	श्री प्रदीप खण्डेलवाल	आम आदमी पार्टी, एस—2 / 122, चित्रगुप्त नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल 462003
19	श्री जोगेन्द्र बेहरा	मेसर्स इंडियन इंनर्जी एक्सचेंज, प्लाट नं. सी—001 / ए / 1, 9वीं मंजिल मैक्स टॉवर, सेक्टर 16बी नोयडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301

विद्युत–दर अनुसूचियां
(TARIFF SCHEDULES)
(वित्तीय वर्ष 2022–23)

परिशिष्ट –2 {निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां}
वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर अनुसूची एलवी–1 (LV-1) 304

विद्युत–दर अनुसूची एलवी–2 (LV-2) 307

विद्युत–दर अनुसूची एलवी–3 (LV-3) 310

विद्युत–दर अनुसूची एलवी–4 (LV-4) 312

विद्युत–दर अनुसूची एलवी–5 (LV-5) 315

विद्युत–दर अनुसूची एलवी–6 (LV-6) 319

निम्न विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तें 320

——————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू (Domestic) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, गौशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों हेतु दिवा–देखभाल केन्द्र (डे केयर सेंटर्स), सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये किफायती किराया आवास संकुल (अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्पलेक्स), मध्यप्रदेश राज्य सरकार की निम्नांकित योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत होमस्टे : (क) मध्यप्रदेश होमस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना, 2010, यथासंशोधित वर्ष 2018, (ख) मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीकरण तथा नियमन) योजना 2019, (ग) मध्यप्रदेश फार्मस्टे स्थापना (पंजीकरण तथा नियमन) योजना, 2019, (घ) मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन), योजना 2019, पूजा–स्थल तथा धार्मिक संस्थाएं भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1[100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अनाधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी प्रति माह विद्युत खपत 30 यूनिट से अधिक नहीं है]

(क) **ऊर्जा प्रभार : (Energy Charge) तथा स्थाई प्रभार (Fixed charge)**–मीटरीकृत संयोजन (metered connection) हेतु

मासिक खपत (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरीक्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
30 यूनिट तक	334	शून्य

(ख) **न्यूनतम प्रभार (minimum charges)**–इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 45 प्रति संयोजन प्रति माह की दर लागू होगी।

एलवी 1.2

(i) **ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार**–मीटरीकृत संयोजन हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs) (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार मय दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) प्रसुविधा के (पैसे प्रति यूनिट) शहरी / ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	421	69 प्रति संयोजन	55 प्रति संयोजन
51 से 150 यूनिट तक	517	121 प्रति संयोजन	98 प्रति संयोजन
151 से 300 यूनिट तक	655	प्रति 0.1 किलोवाट भार पर रूपये 26 की दर से	प्रति 0.1 किलोवाट भार पर रूपये 23 की दर से
300 यूनिट से अधिक	674	प्रति 0.1 किलोवाट भार पर रूपये 27 की दर से	प्रति 0.1 किलोवाट भार पर रूपये 26 की दर से

न्यूनतम प्रभार : (Minimum Charges) उपरोक्त श्रेणियों हेतु <u>रू. 70 प्रति संयोजन प्रति माह</u> के न्यूनतम प्रभार ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगे।

टीप : 1) स्थाई प्रभारों का अधिरोपण प्रति माह प्रत्येक 15 यूनिट की विद्युत खपत पर या उसके किसी अंश पर 0.1 किलोवाट भार के बराबर विचार करते हुए किया जाएगा। **उदाहरणः** यदि किसी माह के दौरान विद्युत की खपत 155 यूनिट हो तो स्थाई प्रभारों की वसूली 1.1 किलोवाट हेतु की जाएगी। यदि किसी माह की विद्युत खपत 350 यूनिट हो तो स्थाई प्रभारों की वसूली 2.4 किलोवाट हेतु की जाएगी।

2) ऐसे प्रकरणों में जहां मापयन्त्र वाचनों (meter readings) का अभिलेखन माह के तत्संबंधी दिवसों से पृथक अवधि के लिये किया जाए वहां विद्युत खपत को उक्त माह के लिये आनुपातिक किया जाएगा ताकि किसी विशिष्ट बिलिंग माह में भिन्न खण्डों (स्लैबों) हेतु उपयुक्त आनुपातिक यूनिटों की प्राप्ति की जा सके। तद्नुसार स्थाई एवं ऊर्जा प्रभारों की गणना की जाएगी।

उदाहरणः
पूर्व माह की वाचन तिथि : 4 अप्रैल, 2022
अगले माह की वाचन तिथि : 10 मई, 2022
खपत अवधि : 36 दिवस
विद्युत की खपत : 450 यूनिट

बिलिंग के प्रयोजन हेतु खण्ड (स्लैब) वार विचारणीय विद्युत की खपत :

खण्ड (स्लैब)	**आनुपातिक आधार पर विद्युत खपत की गणना**	**बिलिंग हेतु विचारणीय यूनिट संख्या** (kWh)
0–50	50 यूनिट / 30 दिवस* 36 दिवस	60
51–150	100 यूनिट / 30 दिवस* 36 दिवस	120
151–300	150 यूनिट / 30 दिवस* 36 दिवस	180
300 से अधिक	शेष यूनिट	90
योग		**450**

(ii) अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा तथा स्थाई प्रभार

अस्थाई संयोजन	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र**	**मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)**	
		शहरी क्षेत्र	**ग्रामीण क्षेत्र**
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु)	अनुसूची एलवी 1.2 (i) के अनुसार प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) का 1. 25 गुना		
सामाजिक / वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	845	प्रत्येक एक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 75	प्रत्येक एक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 60

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु, ऊर्जा प्रभारों के लिये रूपये 1000/– प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे।

(iii) 500 वाट तक के संयोजित भार से युक्त ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार (Energy Charge and Fixed charge for un-metered domestic connections having connected load upto 500 वाट) :

विवरण	**अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)**	**मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)**
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 500 वाट तक सीमित हैं	75 यूनिट हेतु, 524 पैसे प्रति यूनिट की दर से	109 प्रति संयोजन

टीप : न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे।

एलवी–1 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

क) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हों, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

ख) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में मूलभूत ऊर्जा (basic energy) पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जाएगी। उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो, उसे प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (security deposit) जमा करना आवश्यक न होगा।

ग) आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग (execess load)हेतु अतिरिक्त प्रभार : आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार (excess connected load)के कारण ऊर्जा/स्थाई प्रभारों पर कोई भी अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

(घ) परिसर के नवीनीकरण (renovation)/उन्नयन (upgrade)हेतु अस्थाई आवश्यकता के प्रकरण में विद्यमान मीटरीकृत संयोजन हेतु अतिरिक्त भार के उपयोग की अनुमति उक्त प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर प्रदान की जाएगी जैसी कि वह स्थाई संयोजन को लागू होती है। परन्तु उक्त उपयोग के अन्तर्गत परिसर के भीतर उपयोग किया जा रहा भार, एक निर्धारित समयावधि के दौरान, उक्त समय पर उक्त संयोजन के लिये स्वीकृत भार के 130% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ङ) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू (Non-Domestic):

एलवी 2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) शालाओं/शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यताप्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) (केवल 10 किलोवाट तक के संयोजित भार के लिये)	650	156 प्रति किलोवाट	125 प्रति किलोवाट
10 किलोवाट से अधिक **अनिवार्य (Mandatory)**मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)हेतु	650	275 प्रति किलोवाट अथवा रू. 220 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	235 प्रति किलोवाट अथवा रू. 188 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर

एलवी 2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे {रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) तथा रेलवे कालोनी/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर}, दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पार्लर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों, तथा चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, औषधालयों (क्लीनिकों), नर्सिंग होम (जो शासन या सार्वजनिक या निजी संस्थाओं से संबंद्ध हैं), सार्वजनिक भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यताप्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) **{**यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट), परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के**},** बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम), स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब), मोबाईल संचार हेतु दूरसंचार टॉवर तथा अन्य कोई स्थापनाजो अन्य 'एलवी' श्रेणियों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे / यूनिट)शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर (केवल 10 किलोवाट तक के संयोजित भार के लिये) समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक विद्युत खपत **50 यूनिट तक** हो	630	82 प्रति किलोवाट	67 प्रति किलोवाट
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर (केवल 10 किलोवाट तक के संयोजित भार के लिये) समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक विद्युत खपत की मात्रा **50 यूनिटसे अधिक** हो	780	138 प्रति किलोवाट	117 प्रति किलोवाट
10 किलोवाट से अधिक संयोजित भार हेतु **अनिवार्य (Mandatory)**मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)	690	296 प्रति किलोवाट अथवा रू. 237 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	214 प्रति किलोवाट अथवा रू. 171 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, **मेला स्थलों हेतु*** निम्न दाब पर बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन को सम्मिलित करते हए	870	224 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	195 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे / यूनिट) शहरी / ग्रामीणक्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2. 2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	870 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि रू. 500 / – के अध्यधीन होगी)	87 प्रत्येक किलोवाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	67 प्रत्येक किलोवाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

* केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जब मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एलवी–2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

क) **न्यूनतम खपत :** उपभोक्ता को स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में) हेतु शहरी क्षेत्रों में 240 यूनिट प्रति किलोवाट पर आधारित अथवा उसके किसी अंश के न्यूनतम वार्षिक प्रभारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश के न्यूनतम वार्षिक प्रभारोंका भुगतान करना होगा। तथापि, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, क्ष–किरण इकाई के भार को सम्मिलित नहीं

किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

ख) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :** इस मद की बिलिंग निम्न–दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में निर्दिष्टानुसार की जाएगी।

ग) श्रेणी एलवी–2.1 तथा एलवी–2.2 हेतु : 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग धारित करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर अनिवार्य है। उपभोक्ता जो 10 किलोवाट तथा इससे कम संयोजित भार धारित करते हैं, मांग आधारित विद्युत–दर के लिये विकल्प दे सकेंगे।

घ) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में, मूलभूत ऊर्जा (basic energy) पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जानी चाहिए। एक उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो उसे कोई प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (Security Deposit) जमा करना आवश्यक न होगा।

ङ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश (Public Water Works and Street Lights) :

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–3** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिन्हें शासन द्वारा जलप्रदाय/ जलप्रदाय संयंत्रों/मलजल संयंत्रों का उत्तरदायित्व जनोपयोगी जलप्रदाय योजनाओं, मलजल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मलजल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/ सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/मलजल संस्थापनों के अनुरक्षण हेतु दायित्व सौंपा गया हो, यातायात संकेतों (ट्रैफिक सिग्नल), सार्वजनिक मार्गों अथवा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवनों (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थाओं, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा तथा यही दर नगरीय निकायों/न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorium) को भी लागू होगी।

टीप : निजी जलप्रदाय योजनाएँ, संस्थाओं आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/ कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु संचालित की जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे उक्त संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या दो से अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत की बिलिंग उक्त प्रयोजन हेतु की जाएगी, जिस हेतु विद्युत–दर उच्चतर है।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट)	न्यूनतम प्रभार (रू)
एलवी 3			
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड/नगरपालिका/नगर परिषद	568	352	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहोंगे**
ग्राम पंचायत	540	164	
अस्थाई विद्युत आपूर्ति	प्रयोज्य विद्युत–दर से 1.25 गुना दर पर		

एलवी–3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(क) मांग–परक प्रबन्धन (Demand Side Management) अपनाए जाने पर प्रोत्साहनः
ऊर्जा बचत उपकरणों (जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित) की स्थापना तथा उपयोग किये जाने पर उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के 5% के बराबर दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका अनुपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना

होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हों। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(ख) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब औद्योगिक (LT Industrial):

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक स्थापनाओं तथा कर्मशालाओं {जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर सम्पन्न किया जा रहा हो}के लिए बत्ती, पंखा या उपकरणों के परिचालन हेतु पावर के लिये लागू होगी। ये विद्युत–दरें (टैरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) तैयार करने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघों (पावरलूम), दालमिलों, बेसन मिलों तथा बर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बॉटलिंग संयत्रों को छोड़कर) खाद्य वस्तुओं का उत्पादन/प्रसंस्करण अथवा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, उनके संरक्षण/उनके शेल्फ उपयोगी जीवनकाल (shelf life) में अभिवृद्धि हेतु तथा डेरी इकाईयों [जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण प्रक्रिया आदि को छोड़कर किया जाता है जिससे अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
4.1	**गैर–मौसमी उपभोक्ता (Non Seasonal Consumers)**			
4.1 क	मांग–आधारित विद्युत–दर* (Demand based tariff) (150 अश्वशक्ति/112 किलोवाट तक संविदा मांग हेतु)	320 प्रति किलोवाट अथवा 256 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	205 प्रति किलोवाट अथवा 164 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	660
4.1 ख	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.25 गुना		

***ऐसे उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिनकी संविदा मांग 20 अश्वशक्ति (HP)/15 किलोवाट (kW) तक हो, वहां ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों की बिलिंग उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी 4.1 क हेतु प्रभारों से 30 प्रतिशत कम दर पर की जाएगी।**

परन्तु यह कि उपभोक्ता जिनकी अभिलिखित मांग 20 अश्वशक्ति (HP)/15 किलोवाट (kW)से अधिक है, तो विशिष्ट माह के लिये 30 प्रतिशत की छूट लागू न होगी।

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
4.2	**मौसमी उपभोक्ता (यह विद्युत–दर इस अनुसूची के अन्तर्गत परिभाषित ऐसे मौसमी उद्योगों/उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी)**			
4.2 क	**मौसम (Season) के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 ख	**मौसम–बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
		के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(क) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(ख) समस्त निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) की प्रयोज्यता अनिवार्य है।

(ग) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 120 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग का भुगतान किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो या फिर न भी की गई हो।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग का भुगतान किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो या फिर न भी की गई है।

iii. ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो,वहां उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 10 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।

iv. न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

(घ) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इस मद हेतु बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शायेनुसार की जाएगी।

(ङ) **मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :**

i. मौसम से अभिप्रेत 6 माह की निरन्तर अवधि, मय 185 दिवस की उच्चतम अवधि होगा।

ii. घोषित मौसम से अन्य अवधि को मौसम बाह्य (Off Season) अवधि माना जाएगा।

iii. उपभोक्ता को चालू वित्तीय वर्ष हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी होने के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। इस प्रकरण में वर्ष 12 माह की अवधि होगी जो यथाप्रयोज्य मौसम/मौसम बाह्य (Off Season) प्रारंभ

होने पर चालू होगी। यदि उपभोक्ता द्वारा इस टैरिफ आदेश के जारी होने से पूर्व चालू वित्तीय वर्ष के लिये मौसम तथा मौसम–बाह्य महीनों की अवधि अनुज्ञप्तिधारी को सूचित की जा चुकी हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

iv. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

v. यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य दो विद्युत–दर अवधियों में आच्छादित हो तो विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।

vi. यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी के भार विद्यमान हैं।

vii. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। यदि इस सीमा का किसी मौसम–बाह्य माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

viii. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य अवधि के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग संविदा सीमा के 36% (संविदा मांग के 30% का 120%) से अधिक पाई जाती है तो उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी (जैसा कि विकल्प प्रदान किया गया है)।

(च) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है)।

————————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–5

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities):

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines), बीजारोपण मशीनों (Seeding machines), उद्वहन सिंचाई (Lift Irrigation) योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्वहन जल के संयोजनों तथा गौशालाओं से संयोजित चारा कृषि (फौडर फार्मिंग) संबंधी प्रयोजन हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.2** रोपणियों (नर्सरी), फूल/पौधे/पौध (सैपलिंग)/फल, कुकुरमुत्ता (mushroom) उगाने वाले कृषि क्षेत्रों (farms) तथा चरागाहों (grasslands) हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.3** मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर (aquaculture), रेशम उद्योग (sericulture), अण्डा सेने के स्थलों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों (poultry farms), पशु–प्रजनन केन्द्रों (cattle breeding farms) तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुक्रमांक **एलवी–5.4** कृषि संबंधी स्थाई पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines), बीजारोपण मशीनों (seeding machines) तथा उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु गौशालाओं से संयोजित चारा कृषि हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगी जिन्हें एक–समान (flat rate) विद्युत–दर लागू होती है।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति अश्वशक्ति में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)
एलवी–5.1			
क)(i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	58	479
(ii)	माह के अन्तर्गत 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	74	582
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	81	610
ख)	अस्थाई संयोजन	81	610
ग)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत समूह उपभोक्ताओं हेतु	शून्यं	459
एलवी–5.2			
क) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रति माह	58	479
(ii)	माह के अंतर्गत, 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	74	582
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	81	610
ख)	अस्थाई संयोजन	81	610
एलवी–5.3			
क)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	118 प्रति अश्वशक्ति	535
ख)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	88 प्रति अश्वशक्ति	518
ग)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर) (25 अश्वशक्ति से अधिक हेतु अनिवार्य)	272 प्रति किलोवाट अथवा 217/केवीए बिलिंग मांग पर	610

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)
घ)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर) (25 अश्वशक्ति से अधिक हेतु अनिवार्य)	145 प्रति किलोवाट अथवा 116 / केवीए बिलिंग मांग पर	610
एलवी–5.4		**देखें निबन्धन एवं शर्तों का पैरा 1.2**	

टीप : शहरी क्षेत्रों में पृथक कृषि संभरक (फीडर) से अन्य संभरक संयोजित कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग मापयंत्र में अभिलिखित की गई विद्युत खपत के अनुसार की जाएगी। जब तक इनके लिये मापयंत्रों की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक विद्यमान अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग एक–समान दर पर की जा सकती है। विद्युत वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे समस्त संयोजनो पर मापयंत्रों की स्थापना चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण कर ली जाए।

निबन्धन तथा शर्तें

1.1 **विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची 5.1 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV 5.1)** : विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची एलवी 5.1 के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर मापयन्त्र (मीटर) में अभिलिखित खपत के आधार पर की जाएगी। इस अनुसूची के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थाई संयोजन की बिलिंग खपत के आकलन के आधार पर इसी अनुसूची की शर्त क्रमांक 1.3 (iii) के अंतर्गत की जाएगी।

1.2 **विद्युत–दरअनुसूची 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV 5.4)** : विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी 5.4 के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये उपभोक्ता हेतु देयककी गणना टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 के अधीन निर्दिष्ट दरों पर इस अनुसूची के अन्तर्गत शर्त 1.3 के अनुसार प्रति अश्वशक्ति यूनिटों के आकलन हेतु मापदण्डों के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर राज्यानुदान (सब्सिडी) के प्रकरण में, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अधीन अधिदेशित कार्यवाही को समस्त संबंधितों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा तद्नुसार ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जाएगी।

1.3 **श्रेणियों एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 हेतु ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन का आधार :**

i) ऊर्जा के अंकेक्षण तथा लेखांकन के प्रयोजन से, विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 के अन्तर्गत आच्छादित मीटरीकृत उपभोक्ताओं की वास्तविक बिल की गई खपत को ही मान्य किया जाएगा।

ii) श्रेणी एलवी 5.4 के अन्तर्गत अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत की खपत का आकलन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

विवरण	स्वीकृत भार प्रति माह पर आधारित प्रति अश्वशक्ति यूनिट संख्या	
मोटर पम्प का प्रकार	शहरी / ग्रामीण क्षेत्र	
तीन फेज	95	170
एकल फेज	95	180

iii) श्रेणी एलवी–5.1 के अन्तर्गत अमीटरीकृत अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत की खपत का आकलन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

विवरण	स्वीकृत भार प्रति माह पर आधारित प्रति अश्वशक्ति यूनिट संख्या	
मोटर पम्प का प्रकार	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
तीन फेज	220	195
एकल फेज	230	205

1.4 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं,यह प्रावधान बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

1.5 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	छूट (रिबेट) की दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. सितारा चिन्हित (star-labeled) मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. सितारा चिन्हित मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षणरहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. सितारा चिन्हित मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षणरहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व का उपयोग किये जाने पर मय उपयुक्त क्षमता (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना किये जाने पर	45 पैसे प्रति यूनिट

*मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर {पूर्ण विद्युत–दर (टैरिफ) में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो} उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा जब पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के भीतर कर दिया जाए जिसका अनुपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। वितरण अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वेबसाइट (website) पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

1.6 न्यूनतम खपत :

(i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1 तथा एल.वी–5.2) : इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को माह अप्रैल से माह सितम्बर तक संयोजित भार की 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश का प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से माह मार्च तक संयोजित भार की 90 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश का प्रतिमाह न्यूनतम भुगतान करना होगा भले ही उपभोक्ता द्वारा माह के दौरान ऊर्जा की खपत की जाए या फिर न भी की जाए।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.3):

क) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा मांग के 180 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में संविदा मांग के 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) का भुगतान करना होगा भले ही उसके द्वारा वर्ष के दौरान ऊर्जा की खपत की जाए या फिर न भी की जाए।

ख) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) से कम है तो उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।

ग) **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में दर्शाये अनुसार की जाएगी।

1.7 **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाये अनुसार की जाएगी।

1.8 **विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)** : श्रेणी एलवी–5.4 के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के प्रकरण में विलम्बित भुगतान अधिभार प्रति खण्ड (ब्लाक) अथवा उसके किसी अंश के लिये रू. 100/– की बकाया राशि पर रू. 1/– प्रति माह की एकमुश्त विद्युत–दर (टैरिफ) पर अधिरोपित किया जाएगा। इस विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची की अन्य उपश्रेणियों हेतु विलम्बित भुगतान अधिभार की बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी।

1.9 **विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्ते :**

क) विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर (DTR)से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (क) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

1.10 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 20 वॉट का सीएफएल/एलईडी लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

1.11 जब विद्युत प्रदाय एकल फेज पर उपलब्ध हो तो किसी बाह्य उपकरण की स्थापना के माध्यम से तीन–फेज कृषि पंप के उपयोगको ऐसी अवधि के दौरान विद्युत का अवैध निष्कर्षण (extraction) माना जाएगा तथा ऐसा किये जाने पर चूककर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

1.12 अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

——

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–6

विद्युत–वाहन/विद्युत–रिक्शा प्रभारण (चार्जिंग) केन्द्र (E-Vehicle/E-Rickshaws Charging Stations):

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर पूर्णतया विद्युत वाहन (electrical Vehicle)/विद्युत–रिक्शा (electrical Rickshaws) और प्रभारण तथा बैटरी विनिमय केन्द्रों (Battery swapping stations) को लागू होगी। तथापि, अन्य उपभोक्ता जो अपने स्वयं के वाहन/रिक्शा के प्रभारण (चार्जिंग) हेतु विद्युत का उपयोग करते हैं, की विद्युत–दर (टैरिफ) वही होगी जैसा कि वह मीटरीकृत संयोजन जहां से वाहन/रिक्शा का प्रभारण किया जाता है, की सुसंबद्ध श्रेणी को लागू होती है।

प्रयोज्य विद्युत–दर (Applicable Tariff)

श्रेणी	**मासिक स्थाई प्रभार**	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)**
विद्युत वाहन/रिक्शा प्रभारण स्थापनाएं	रू. 100 प्रति केवीए अथवा रू. 125 प्रति किलोवाट की बिलिंग मांग पर	600

क) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाये अनुसार की जाएगी।

ख) इस श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (demand based tariff) अनिवार्य है।

ग) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तें (General Terms and Conditions of Low Tension Tariff)

1. **ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas)** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गये समस्त क्षेत्र जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाए। **शहरी क्षेत्रों (Urban Areas)** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (Billing demand)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (Fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (Ignored) माना जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing)**–जब तक विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट न किया जाए, स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या इससे अधिक की भिन्न को उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न की उपेक्षा की जाएगी। तथापि, एक किलोवाट/अश्वशक्ति से कम के भारों को एक किलोवाट/अश्वशक्ति ही माना जाएगा।

5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (Method of Billing of Minimum Consumption)**–

   क. मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग उद्यानिकी (Horticulture) हेतु श्रेणी एलवी 5.1 तथा 5.2 : न्यूनतम प्रभारों की वसूली हेतु उपभोक्ता की बिलिंग न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट ऑवर में) हेतु जो उस श्रेणी हेतु उक्त माह के लिये निर्दिष्ट की गई है, जिसके अन्तर्गत उसकी वास्तविक खपत विनिर्दिष्ट न्यूनतम खपत से कम हो, के अनुसार की जाएगी।

   ख. अन्य उपभोक्ताओं हेतु, जहां यह प्रयोज्य है :

      क. यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम होतो उसकी बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी।

      ख. उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है,वहां वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

ग. विद्युत–दर (टैरिफ) न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, आनुपातिक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती है तथा यदि वास्तविक संचयी खपत उक्त माह में पूर्णतया समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWh) वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) हो :

माह	**वास्तविक संचयी खपत (kWh)**	**संचयी न्यूनतम खपत (kWh)**	**2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)**	**वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)**	**यूनिटों की संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाएगी (4–5) (kWh)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. **आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess connected load or Excess Demand) :** इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

क) मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु (For demand based tariff) मांग आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 120 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 120 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 120 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

i. **आधिक्य भार हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Load)** : आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर कोई अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

ii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 130% of the contract demand)**:—संविदा मांग से 120 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों को स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 130% of the contract demand)** :— उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 130 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

ख) संयोजित भार आधारित विद्युत—दर हेतु (For connected load based Tariff) :
संयोजित भार आधारित विद्युत—दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक संयोजित मांग, स्वीकृत भार (sanctioned load) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक संयोजित मांग, स्वीकृत मांग से 120 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत—दर स्वीकृत मांग के 120 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को स्वीकृत मांग से 120 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य भार कहा गया है) पाये गये संयोजित भार हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :—

i. **आधिक्य भार हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess load)** : आधिक्य मांग अथवा आधिक्य संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर कोई अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

ii. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Load)**: इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी : उक्त अवधि के लिये जब आधिक्य भार को उपरोक्त शर्त (i) के अन्तर्गत अवधारित किया जाता हो :

1. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार जब संयोजित भार, स्वीकृत भार का 130 प्रतिशत तक पाया जाए (Fixed Charges for Excess Load when the connected load is found up to 130% of the sanctioned load)** :—स्वीकृत भार से 120% प्रतिशत से अधिक हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार जब संयोजित भार, स्वीकृत भार के 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Load when the**

connected load exceeds 130% of the sanctioned load) :—उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, स्वीकृत भार के 130 प्रतिशत से अधिक पाये गये संयोजित भार हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

ग) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा अनुरोध किये जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी विधि के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।

घ) प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (Maximum Demand)की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा के चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. प्रोत्साहन / छूट (Incentives/Rebates):—

(क) **अग्रिम भुगतान हेतु छूट (Rebate on Advance Payment)** : खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि {प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) राशि को छोड़कर} पर, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती हो, उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उसके खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

(ख) **त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन (Prompt Payment Incentive) :** जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. दस हजार या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि{बकाया राशि (Arrears), प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit), तथा शासकीय उद्ग्रहण (Government levies), अर्थात् विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर (cess) को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.50% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

(ग) **ऑनलाईन देयक भुगतान हेतु छूट (Rebate for online bill Payment) :**देयक का ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा भुगतान किये जाने पर कुल देयक राशि पर 0.5 प्रतिशत की छूट अधिकतम राशि रूपये 20 तथा न्यूनतम राशि रूपये 5 के अध्यधीन लागू होगी :

परन्तु यह कि एलवी—1:घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये उपभोक्ताओं को 0.50% छूट की पात्रता अधिकतम छूट राशि हेतु बिना किसी उच्चतम सीमा (Celling) के लागू होगी।

(घ) **भार कारक प्रोत्साहन (Load Factor Incentive) :** मांग आधारित टैरिफ (demand based tariff) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के निम्न खण्ड (स्लैब) अनुज्ञेय होंगे :

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत (कन्सेशन)
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत (कन्सेशन) देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत (कन्सेशन) देय होगी
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत (कन्सेशन) देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग (किलोवाट)}}$$

i. माह के दौरान मासिक खपत, उपभोग की गई यूनिटों (kWh) के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिटों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ii. बिलिंग माह के अन्तर्गत निर्धारित घंटों की संख्या में विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल न होगी।

iii. मांग, अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर)(%) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमिक (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में विचाराधीन हो।

(ङ) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन : यदि उपभोक्ता का (एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता श्रेणी को छोड़कर) औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतानयोग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0

89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवाट ऑवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है :

परन्तु यह कि इस प्रोत्साहन की बिलिंग माह के दौरान वास्तविक रूप से उपभोग/खपत की गई ऊर्जा के आधार पर की जाएगी।

समस्त छूटों/प्रोत्साहनो की गणना शासकीय सहायतानुदान (Government subsidy)**को छोड़कर यदि कोई हो, की जाएगी।**

8. अन्य निबन्धन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

(क) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 112 किलोवाट/150 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय जहां इस हेतु उच्चतम सीमा निर्दिष्ट की गई हो या फिर उक्त श्रेणी में संयोजित भार की कोई उच्चतम सीमा निर्दिष्ट से छूट प्रदान की गई हो। यदि उपभोक्ता उसके संयोजित भार अथवा संविदा मांग की यथास्थिति इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत निरन्तर दो बिलिंग माह में करता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(ख) इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में मापयंत्र प्रभारों (metering charges) को अधिरोपित करने संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

(ग) ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अस्वीकृत/अनादृत (dishonour) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि वह सुसंगत विधि के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 200 रूपये प्रति चेक की दर से प्रयोज्य वस्तु एवं सेवा कर (GST), विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित करने संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

(घ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है तथा जैसा कि इन्हें यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(ङ) वर्तमान निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता (एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब संधारित्र (कैपेसिटर) की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 का अवलोकन/मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) अधिभार का भुगतान करना होगाः परन्तु यह कि ऐसे अधिभार की बिलिंग माह के दौरान वास्तविक रूप से उपभोग की गई विद्युत के आधार पर की जाएगी। ऊर्जा कारक अधिभार की बिलिंग निम्न ङ(1) तथा ङ(2) में दर्शायी गई दरों पर की जाएगी :

1. **ऐसे उपभोक्ता के लिये, जिसका मापयंत्र (मीटर) औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) के अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत अधिभार
80 प्रतिशत से कम तथा 79 प्रतिशत तक	1%
79 प्रतिशत से कम तथा 78 प्रतिशत तक	2%
78 प्रतिशत से कम तथा 77 प्रतिशत तक	3%
77 प्रतिशत से कम तथा 76 प्रतिशत तक	4%
76 प्रतिशत से कम तथा 75 प्रतिशत तक	5%
75 प्रतिशत से कम तथा 74 प्रतिशत तक	6.25%
74 प्रतिशत से कम तथा 73 प्रतिशत तक	7.50%
73 प्रतिशत से कम तथा 72 प्रतिशत तक	8.75%
72 प्रतिशत से कम तथा 71 प्रतिशत तक	10.00%
71 प्रतिशत से कम	10.00%

बिलिंग के प्रकरण में या न्यनूतम खपत के आकलन (क्रेडिट) हेतु ऐसे अधिभार की बिलिंग माह के दौरान वास्तविक रूप से खपत की गई ऊर्जा के संबंध में की जाएगी।

2. **ऐसे उपभोक्ता के लिये जिसका मापयन्त्र (मीटर)औसत ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) के अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता (एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्नदाब संधारित्र (कैपेसिटर) स्थापित करने की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में संचालित रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता,

2021 का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का अनुपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक निरन्तर जारी रखा जाएगा जब तक उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की प्राप्ति नहीं कर लेता।

बिलिंग के प्रकरण में या न्यनूतम खपत के आकलन (क्रेडिट) हेतु ऐसे अधिभार की बिलिंग माह के दौरान वास्तविक रूप से खपत की गई ऊर्जा के संबंध में की जाएगी।

(च) यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट संधारित्रों (कैपेसिटरों) की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते हैं तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की स्थापना के संयोजन के वियोजन (विच्छेदन) (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अध्यधीन होंगे।

(छ) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(ज) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (Tax), उपकर (Cess) अथवा अभिकर (duty), आदि सम्मिलित नहीं होते जो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार किसी भी समय देय हो सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता को इनका भुगतान विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(झ) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर 1.25% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा जो कुल बकाया देयक की राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/–प्रति माह तथा देयक की राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/–प्रति माह के अध्यधीन होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान ऐसी श्रेणी के लिये लागू न होगा जहां विलंबित भुगतान अधिभार अधिरोपित किये जाने का प्रावधान पृथक से निर्दिष्ट किया गया है।

(ञ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (mandatory) होगा।

(ट) एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग : जब तक किसी विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत–दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।

(ठ) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग व्यवस्था लागू होगी।

(ड) विद्युत–दर (टैरिफ) तथा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(ढ) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही अनुबन्ध में कोई ऐसे उपबंध विद्यमान हों जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक क्यों न हों।

(ण) यदि इस आदेश के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसे कार्य करने या उनका दायित्व वहन करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जैसा कि वे आयोग के मतानुसार कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से अत्यावश्यक या फिर समीचीन हों।

9. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें(Additional conditions for Temporary Supply at LT) :

किसी भावी/विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत आपूर्ति हेतु मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु मांग हेतु यथोचित सूचना (नोटिस) दिये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी किये गये विविध प्रभारों की अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(क) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.25 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न भी की गई हो।

(ख) अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अग्रिम रूप से भुगतानयोग्य होगा जो समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) के अध्यधीन होगा तथा संयोजन विच्छेद के उपरान्त इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(ग) स्वीकृत भार/संयोजित भार {स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु} या संविदा मांग (मांग आधारित विद्युत–दर हेतु) यथास्थिति 112 किलोवाट/150 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

(घ) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से माह से अभिप्रेत है संयोजन की तिथि से तीस दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ङ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभारों तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(च) अस्थाई संयोजन की खपत पर भार–कारक रियायत (लोड–फैक्टर कन्सेशन) को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(छ) ऊर्जा–कारक प्रोत्साहन(पावर फेक्टर इन्सेंटिव)/अर्थदण्ड (पेनाल्टी) स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

10. हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff), रू 1.13 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से, जो इस विद्युत–दर आदेश के अनुसार सामान्य विद्युत–दर (normal tariff) के अतिरिक्त है, ऐसे उपभोक्ताओं पर अधिरोपित की जाएगी जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से शत–प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

11. जहां कहीं भी सामान्य निबन्धन एवं शर्तों तथा किसी विशेष श्रेणी की विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तों में विरोधाभास हो वहां उक्त श्रेणी हेतु विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तें अभिभावी होंगी।

———————

परिशिष्ट–3 {उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां} वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–1 (HV-1) 331

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–2 (HV-2).. 334

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–3 (HV-3).. 335

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–4 (HV-4).. 342

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–5 (HV-5).. 344

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–6 (HV-6).. 346

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–7 (HV-7).. 347

विद्युत–दर अनुसूची एचवी–8 (HV-8).. 348

उच्च दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तें 349

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (Railway Traction):

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (Traction) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	310	590

टीप : ऊर्जा प्रभार में रू 2 प्रति यूनिट की छूट (रिबेट) प्रयोज्य है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2022–23 तक जारी रहेगी।

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(क) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 15 प्रतिशत की छूट वित्तीय वर्ष 2022–23 तक प्रदान की जाएगी। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई छूट उक्त विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(ख) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (Dedicated Feeder Maintenance Charges) लागू नहीं होंगे।

(ग) वार्षिक न्यूनतम प्रभार (Annual Minimum Charges) संविदा मांग का 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए पर आधारित होंगे। न्यूनतम खपत के संबंध में बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये अनुसार होगी।

(घ) उपभोक्ताको सदैव अपनी समस्त वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के भीतर सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में जहां किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग में संविदा मांग से 120 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है, वहां विभिन्न अनुसूचियों में दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) केवल संविदा मांग की 120 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा जिसकी गणना स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 120 प्रतिशत के अन्तर के रूप मेंकी जाएगी तथा ऐसा करते समय विद्युत–दर (टैरिफ) की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों,तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी।

(ङ) **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy charges for excess demand)** : आधिक्य मांग अथवा अधिक संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

(च) उपरोक्तानुसार किसी माह की गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :

(क) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130% तक हो–115% से अधिक संविदा मांग पर–रू 341 प्रति केवीए की दर से

(ख) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130% से अधिक हो जाती है :– उपरोक्त दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 30% अधिक अभिलिखित मांग पर रू 465 प्रति केवीए की दर से

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्य उपबन्ध {जैसे कि विद्युत–दर (tariff) न्यूनतम प्रभार आदि) भी उपरोक्त कथित आधिक्य मांग पर लागू होंगे।

(छ) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग ओनली लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखित होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार (energy charge)'' के अन्तर्गत प्रत्येक एक प्रतिशत गिरावट के साथ कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार प्रत्येक एक प्रतिशत गिरावट के साथ औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित ''कुल किलोवाट ऑवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी माह में 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त के संबंध में इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत स्तर तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह में) कम से कम 90% से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें (अर्थदण्ड प्रभारों) आगामी मासिक देयकों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ता जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो, को एक से अधिक बार उपलब्ध न होगी। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90% प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ज) आपात पोषण विस्तार (Emergency Feed Extension) : यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि कर्षण उपकेन्द्र (traction sub station) या फिर भार प्रदायक पारेषण तन्तुपथ या उसके किसी भाग में किसी आपात स्थिति के फलस्वरूप बाजू के कर्षण उपकेन्द्र पर अन्तरित कर दिया जाता है तो माह हेतु उक्त बाजू के उपकेन्द्र हेतु उच्चतम मांग (M.D.) पिछले तीन माह की औसत उच्चतम मांग (MD) के बराबर होगी जिसके अन्तर्गत कोई आपात स्थिति घटित न हुई हो।

(झ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें (Coal mines) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	690	736	650
2	33 केवी प्रदाय		728	629
3	132 केवी प्रदाय		708	608
4	220 केवी प्रदाय		686	586

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

क. खपत पर आधारितत न्यूनतम प्रभार निम्न पर आधारित होंगे :

प्रदाय वोल्टेज	वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिटों में (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

ख. समयानुपाती (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार लागू होगा।

ग. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल (Industrial, Non Industrial and Shopping Malls)

प्रयोज्यता :

विद्युत–दर (टैरिफ) क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगी जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था (कम्पाऊंड लाईटिंग), औद्योगिक इकाईयों में स्थित सामान्य तथा सहायक (अनुषंगी) सुविधाएं, जैसे कि दूरसंचार टॉवर, बैंक, सामान्य प्रयोजन की दुकानें, जलप्रदाय, मलजल उद्वहन व्यवस्था (पम्प), पुलिस थाने, आदि तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। यह विद्युत–दर शीतागारों (कोल्ड स्टोरेज) को भी लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, अस्पतालों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी स्थापनाओं को लागू होगी जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था (कम्पाऊंड लाईटिंग) हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा को किसी भी प्रकार से अन्य किसी व्यक्ति को न तो पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर प्रदान करेगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की स्थापनाओं को लागू होगी जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची के अंतर्गत (झ) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला क्रय–विक्रय व्यापार केन्द्र (multi-storeyed shopping centre)है जो केवल पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होता है जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होते हैं तथा जिसका किसी प्रबन्धन संस्था/विकासक (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह, सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा अनुरक्षण किया जाता है।

विद्युत–दर (टैरिफ) क्रमांक एचवी–3.4 [गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज)] श्रेणी लघु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल्स, स्पोंज आयरन संयन्त्र के, जो एक ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत–रासायनिक (इलेक्ट्रो–केमिकल)/विद्युत–ताप उद्योग (इलेक्ट्रो–थर्मल इण्डस्ट्रीज), फैरो–अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य फैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों केंटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों) में प्रकाश व्यवस्था, परिसर में प्रकाश व्यवस्था (कम्पाऊन्ड लाईटिंग) आदि को सम्मिलित किये जाने से होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता की उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक (Industrial)**			
	11 केवी प्रदाय	372	720	620
	33 केवी प्रदाय	597	716	611
	132 केवी प्रदाय	682	675	576
	220/400 केवी प्रदाय	682	630	530
3.2	**गैर–औद्योगिक (Non-Industrial)**			
	11 केवी प्रदाय	337	755	665
	33 केवी प्रदाय	485	738	640
	132 केवी प्रदाय	575	690	580
3.3	**शॉपिंग मॉल (Shopping Malls)**			
	11 केवी प्रदाय	345	735	660
	33 केवी प्रदाय	400	725	620
	132 केवी प्रदाय	530	675	600
3.4	**गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)**			
	33 केवी प्रदाय	608	550	550
	132 केवी प्रदाय	742	526	526
	220 केवी प्रदाय	742	520	520

विशिष्ट निबन्धन तथा शर्तें

(क) उपरोक्त समस्त श्रेणियों हेतुखपत पर आधारित न्यूनतम प्रभार निम्न आधार पर होंगे:

प्रदाय वोल्टेज	उप–श्रेणी	वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति केवीए, संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिल्स	1200
	शैक्षणिक संस्थाएं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाएं	600
	100 केवीए तक की संविदा मांग	600
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) समयानुपाती (Time of Day TOD) अधिभार/छूट : यह अधिभार (surcharge)/ छूट (rebate) उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(ग) ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभरकों (फीडरों) के माध्यम से छूट : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभरकों

(फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज स्तरों हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 5%की छूट तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कमी की पात्रता होगी।

(घ) **विद्यमान उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट (Rebate for existing HT connections)** : वित्तीय वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी माह के संबंध में धनात्मक मासिक खपत (incremental monthly Consumption)हेतु ऊर्जा प्रभार (energy charge)में रू 1/– प्रति यूनिट की छूट प्रयोज्य है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान तथा तत्पश्चात् हरित मैदानी संयोजन (green field connection) से अतिरिक्त किसी नये उपभोक्ता हेतु धनात्मक मासिक खपत की गणना के लिये आधार माह (base months)संयोजन प्राप्त करने के बाद प्रथम बारह माह होंगे। किसी माह हेतु धनात्मक खपत की गणना तत्संबंधी आधार माह की खपत को मानकर की जाएगी।

उपभोक्ता जो इस छूट का लाभ प्राप्त करता हो, उसे निम्न कण्डिका (ङ) के अधीन नवीन उच्च दाब संयोजन/हरित मैदानी संयोजन संबंधी छूट (रिबेट) की पात्रता नही होगी।

(ङ) **नवीन उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट (Rebate for new HT connections)** : नवीन संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट रू. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी कम हो, अभिलिखित खपत पर लागू होगी। यह छूट ऐसी नवीन परियोजनाओं हेतु विद्युत संयोजन की तिथि से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक अनुज्ञेय की जाएगी जिनके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी से अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान या तत्पश्चात् निष्पादित किये जाते हैं :

परन्तु विद्यमान संयोजन में स्वामित्व परिवर्तन अथवा पुनर्संयोजन द्वारा प्राप्त किये गये संयोजनों हेतु प्रयोज्य कोई भी छूट लागू न होगी :

परन्तु यह और कि स्थाई रूप से विच्छेदित किये गये संयोजनों हेतु केवल नवीन संयोजन के लिये ही ऐसी छूट की पात्रता होगी यदि ऐसे परिसर में नवीन सेवा संयोजन हेतु आवेदन स्थाई संयोजन की तिथि से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्राप्त नही हो जाती है।

उपभोक्ता जो इस छूट का लाभ प्राप्त करता है, को उपरोक्त कण्डिका (घ) के अन्तर्गत धनात्मक खपत (incremental consumption) की छूट की पात्रता नही होगी।

(च) **आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र उपभोक्ताओं हेतु छूट (Rebate for Captive Plant Consumers) :**

प्रयोज्यता (Applicability) : यह छूट ऐसे उपभोक्ताओं को लागू होगी–

i. जो वित्तीय वर्ष 2016–17 और/या वित्तीय वर्ष 2017–18 और/या वित्तीय वर्ष 2018–19 और/या वित्तीय वर्ष 2019–20 और/या वित्तीय वर्ष 2020–21 और/या वित्तीय वर्ष 2021–22 से अपनी विद्युत मांग की पूर्ति पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से मध्यप्रदेश स्थित आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्रों (Captive Power Plants) से करते चले आ रहे हैं।

ii. यह छूट उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान तथा तत्पश्चात् प्रस्तुत किये गये निवेदन की तिथि से वित्तीय वर्ष

2022–23 तक लागू होगी। उपभोक्ता द्वारा छूट प्राप्त करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि वह उसके विद्यमान आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र (Captive Power Plant) से परिवर्तन के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति का लाभ उठाने का इच्छुक है।

iii. उक्त व्यवस्था हेतु **आधार वर्ष (base year)** उपभोक्ता द्वारा आबद्ध विद्युत संयंत्र से अनुज्ञप्तिधारी के प्रति विद्युत खपत में परिवर्तन हेतु उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई उपभोक्ता आबद्ध विद्युत संयंत्र से अनुज्ञप्तिधारी के प्रति उसकी विद्युत खपत में परिवर्तन हेतु आवेदन माह अगस्त 2018 में प्रस्तुत करता हो तो धनात्मक खपत (incremental consumption) की गणना हेतु उसका आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 होगा।

iv. जिन उपभोक्ताओं द्वारा धनात्मक खपत (incremental consumption)को अभिलेखित किया गया है, अर्थात् **आधार वर्ष** के किसी माह की तुलना में चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) के उक्त माह के दौरान अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई विद्युत से खपत की यूनिट संख्या में वृद्धि।

v. उपभोक्ता की धनात्मक यूनिट संख्या पर रू 2 प्रति यूनिट की छूट, आबद्ध विद्युत उत्पादन (Captive Generation)में कमी की जाने के अध्यधीन निम्न क्रियाविधि के अनुसार लागू होगीः

	आधार वर्ष		**चालू वित्तीय वर्ष**		**विद्युत वितरण कम्पनी से प्राप्त की गई धनात्मक खपत**	**आबद्ध विद्युत उत्पादन में कमी**	**विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तों की कंडिका (घ) के अनुसार ऊर्जा में रू एक प्रति यूनिट छूट हेतु अर्हकारी यूनिटों की संख्या**	**धनात्मक यूनिटों पर दो रू प्रति यूनिट की दर से पात्रता रखने वाली यूनिट संख्या**
	विद्युत वितरण कंपनियों से खपत का आंकड़ा (यूनिट संख्या)	**आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन (यूनिट संख्या)**	**विद्युत वितरण कंपनियों से खपत का आंकड़ा (यूनिट संख्या)**	**आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन (यूनिट संख्या)**	**यूनिट संख्या**	**यूनिट संख्या**	**यूनिट संख्या**	**यूनिट संख्या**
	(A1)	**(B1)**	**(A2)**	**(B2)**	**X= A2-A1**	**Y = B1-B2**		
परिदृश्य–1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य–2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य–3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य–4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य–5	100	90	120	80	20	10	10	10

टीप : (1) उपरोक्त उल्लेखित आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र "आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक संयंत्र (Captive Generating Plant)" होगा जैसा कि इसे विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में परिभाषित किया गया है।

(2) इस विद्युत–दर अवधि (Tariff Period) के दौरान जोड़े गये नवीन उपभोक्ता जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने आबद्ध विद्युत संयंत्रों से अपनी मांग की पूर्ति कर रहे थे, के संबंध में आधार वर्ष हेतु विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत खपत को शून्य माना जाएगा।

X = आबद्ध उपभोक्ता (Captive Consumer) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी माह में आधार वर्ष के उक्त माह की तुलना में धनात्मक विद्युत की खपत।

y = आबद्ध संयंत्र (केप्टिव प्लांट) (स्व खपत) से उपभोग किये गये यूनिटों में कमी की मात्रा जिसे आबद्ध उपभोक्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के किसी माह के दौरान, आधार वर्ष के उक्त माह की तुलना में प्राप्त किया गया है।

धनात्मक खपत (incremental Consumption) के अन्य समस्त प्रकरणों हेतु, अर्थात् जब x>y (अर्थात् 'x' की मात्रा 'y' से अधिक हो), 'x-y' यूनिटों पर ऊर्जा प्रभारों में रू एक प्रति यूनिट की विद्यमान छूट लागू होगी (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 1 : आबद्ध विद्युत उत्पादन (Captive Generation) में कोई कमी न हुई हो, परन्तु विद्युत वितरण कम्पनी (discom) से केवल धनात्मक वृद्धि हुई हो, ऐसे में विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत पर ऊर्जा प्रभारों पर रू एक प्रति यूनिट की छूट लागू होगी (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 2 : विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत यूनिटों की बराबर मात्रा द्वारा आबद्ध खपत (Captive Consumption) में कमी के कारण है, ऐसे में धनात्मक यूनिटों पर दो रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।

परिदृश्य 3 : विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत की तुलना में आबद्ध विद्युत उत्पादन में उच्चतर कमी दर्ज की गई हो, ऐसे में धनात्मक यूनिट संख्या जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, द्वारा रूपये 2 प्रति यूनिट की छूट की अर्हता रखी जाएगी।

परिदृश्य 4 : भले ही आबद्ध विद्युत उत्पादन (केप्टिव जनरेशन) में कमी दर्ज की गई हो, धनात्मक खपत के अभाव में, कोई छूट देय न होगी।

परिदृश्य 5 : यह परिदृश्य आबद्ध विद्युत उत्पादन (केप्टिव जनरेशन) में कमी 'y' की तुलना में विद्युत वितरण कम्पनी (Discom)से उच्चतर धनात्मक खपत 'x' प्रदर्शित करता है, ऐसे में 'x-y' से तत्संबंधी यूनिट ऊर्जा प्रभारों हेतु रू एक प्रति यूनिट छूट की अर्हता रखेंगे (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार), जब कि यूनिट 'y' रू 2 प्रति यूनिट छूट की अर्हता रखेंगे।

(छ) निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु छूट (Rebate for Open Access Consumers)

प्रयोज्यता : यह छूट निम्न उपभोक्ताओं को लागू होगी :

i. जो पूर्व वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22) के दौरान निर्बाध (खुली) पहुंच (Open access)की सुविधा प्राप्त कर रहे थे।

ii. जिनके द्वारा धनात्मक खपत (incremental consumption), अर्थात् पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021–22) में किसी माह की तुलना में चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) के उक्त माह में अनुज्ञप्तिधारियों से खपत की गई यूनिटों में वृद्धि दर्ज की गई है।

iii. यह छूट वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किये गये अनुरोध की तिथि से लागू होगी।

iv. उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष छूट प्राप्त करने हेतु यह प्रकट करते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्बाध पहुंच (open access)से अपनी विद्युत खपत को बदल कर अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का इच्छुक है।

v. उपभोक्ता की धनात्मक यूनिट संख्या पर रू 1 प्रति यूनिट की छूट, आबद्ध विद्युत उत्पादन (Captive Generation)में कमी की जाने के अध्यधीन निम्न क्रियाविधि के अनुसार लागू होगी :

	वित्तीय वर्ष 2021–22		वित्तीय वर्ष 2022–23		विद्युत वितरण कंपनी से धनात्मक खपतx=A2-A1	आबद्ध पहुंच (OA)में कमी Y=B1-B2	विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तों की कंडिका (घ) के अनुसार प्रयोज्य यूनिटों की संख्या	निर्बाध (खुली) पहुंच के धनात्मक यूनिटों पर रू एक प्रति यूनिट की छूट
	विद्युत वितरण कंपनी से खपत (A1)	चक्रित यूनिटों की संख्या (B1)	विद्युत वितरण कंपनी से खपत (A2)	चक्रित यूनिटों की संख्या (B2)				
परिदृश्य–1	100	90	110	90	10	0	10	0
परिदृश्य–2	100	90	110	80	10	10	0	10
परिदृश्य–3	100	90	110	70	10	20	0	10
परिदृश्य–4	100	90	100	80	0	10	0	0
परिदृश्य–5	100	90	120	80	20	10	10	10

X = निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के किसी माह में अभिलेखित की गई धनात्मक खपत जैसा कि इसकी तुलना आधार वर्ष के उक्त माह से की गई है।

और

y = चालू वित्तीय वर्ष के किसी माह के दौरान, उपभोक्ता द्वारा निर्बाध पहुंच से उपभोग किये गये यूनिटों में कमी की मात्रा जैसा कि इसकी तुलना आधार वर्ष के उक्त माह से की गई है।

धनात्मक खपत (incremental consumption) के अन्य समस्त प्रकरणों हेतु, अर्थात् जब x>y (अर्थात् 'x' की मात्रा 'y' से अधिक हो) 'x-y' यूनिटों पर ऊर्जा प्रभारों में रू एक प्रति यूनिट की विद्यमान छूट लागू होगी (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 1 : निर्बाध पहुंच खपत (Open access Consumption) में कोई कमी नहीं हुई हो, परन्तु विद्युत वितरण कम्पनी (discom) से केवल धनात्मक वृद्धि हई हो, ऐसे में विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत पर ऊर्जा प्रभारों पर रू एक प्रति यूनिट की छूट लागू होगी (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार)।

परिदृश्य 2 : विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत यूनिटों की बराबर मात्रा द्वारा निर्बाध पहुंच खपत (Open access Consumption) में कमी के कारण हो, ऐसे में धनात्मक यूनिटों पर एक रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी।

परिदृश्य 3 : विद्युत वितरण कम्पनी से धनात्मक खपत की तुलना में निर्बाध पहुंच खपत (Open access Consumption) में उच्चतर कमी दर्ज की गई हो, ऐसे में धनात्मक यूनिट संख्या की खपत जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, द्वारा रूपये एक प्रति यूनिट की छूट की अर्हता रखी जाएगी।

परिदृश्य 4 : भले ही निर्बाध खपत पहुंच (Open access Consumption) में कमी दर्ज की गई हो, धनात्मक खपत के अभाव में कोई छूट देय न होगी।

परिदृश्य 5 : यह परिदृश्य निर्बाध पहुंच खपत (Open access Consumption) में कमी 'y'की तुलना में विद्युत वितरण कम्पनी (Discom)से उच्चतर धनात्मक खपत 'x' प्रदर्शित करता है, ऐसे में 'x-y' से तत्संबंधी यूनिट ऊर्जा प्रभारों हेतु रू एक प्रति यूनिट छूट की अर्हता रखेंगे (एचवी–3 हेतु विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की कंडिका ''घ'' के अन्तर्गत धनात्मक खपत हेतु छूट के अनुसार), जब कि 'y' यूनिट रू एक प्रति यूनिट छूट की अर्हता रखेंगे।

(ज) विद्यमान निम्न दाब औद्योगिक/गैर–घरेलू संयोजन को तत्संबंधी उच्च दाब संयोजन में परिवर्तन करना (Conversion of Existing LT Industrial/Non domestic connection to corresponding HT connection)

ऐसे विद्यमान निम्न दाब उपभोक्ता जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अपने संयोजनों को एचवी–3 श्रेणी में परिवर्तित करते हों, उन्हें उच्च दाब विद्युत–दर (HT Tariff) के अंतर्गत ऊर्जा प्रभारों में एक रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बिल किये गये यूनिटों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान केवल उच्च दाब अनुबन्धों के निष्पादन उपरान्त ही प्रयोज्य होगी।

(झ) शॉपिंग मॉल हेत अतिरिक्त निबन्धन तथा शर्तें (Additional Specific terms and Conditions for Shopping mall)

वैयक्तिक उपभोक्ताओं को (Individual end users) ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर (उपश्रेणी एलवी 2.2) तथा उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया गया हो।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (Seasonal) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें उत्पादन के प्रयोजनों से इस अनुसूची में परिभाषित किये गये अनुसार विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) की अनुमति केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही प्रदान करेगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (Season) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	392	708	602
33 केवी प्रदाय	434	688	583
मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 392	850 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभार का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 434	826 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभार का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(क) मौसम (Season) से अभिप्रेत 6 माह तक की निरन्तर अवधि से होगा जिसकी उच्चतम सीमा (ceiling) 185 दिवस तथा न्यनूतम अवधि 3 माह होगी।

(ख) घोषित मौसम (declared season) से अन्य अवधि को मौसम बाह्य (off-season) अवधि माना जाएगा।

(ग) उपभोक्ता को चालू वित्तीय वर्ष हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी होने के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। इस प्रकरण में वर्ष 12 माह की अवधि होगी जो यथाप्रयोज्य मौसम/मौसम बाह्य के प्रारंभ होने से चालू होगी। यदि उपभोक्ता द्वारा इस आदेश के जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को चालू वित्तीय वर्ष के लिये उसके मौसमी/मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा

कर दी गई हो तो इसे इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(घ) उपभोक्ता द्वाराएक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) यदि घोषित मौसम (season) या मौसम बाह्य (off- season) का विस्तार दो विद्युत–दर अवधियों के अन्तर्गत हो, तो विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु प्रयोज्य होंगी।

(च) यह विद्युत–दर अनुसूची (Tariff schedule) उन सम्मिश्रित इकाईयों (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(छ) **वार्षिक न्यूनतम प्रभार संविदा मांग के 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए खपत पर आधारित होंगे।** न्यनूतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबंधन तथा शर्तों के अनुसार होगी।

(ज) **समयानुपाती (Time of Day-ToD) अधिभार / छूट** : यह अधिभार / छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधन शर्तों में विनिर्दिष्टानुसार होगा।

(झ) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण टैरिफ वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक विद्युत–दर अनुसूची के अनुसार की जाएगी (जैसा कि विकल्प प्रदान किया गया हो)।

(ञ) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग संविदा मांग के 36.0% (संविदा मांग के 30% का 120%) से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी (जैसा कि विकल्प प्रदान किया गया हो)।

(ट) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

यह टैरिफ श्रेणीउद्‌वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, मलजल उपचार सयंत्रों/मलजल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु लागू होगी।

यह टैरिफ श्रेणी शासन द्वारा या उसके अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा क्रियान्वित नदी लिंक परियोजनाओं का भी लागू होगी बशर्ते विद्युत की आपूर्ति इस श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये प्रयोजनों हेतु उपयोग की जाए।

टीप : निजी जलप्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु संचालित की जा रही जलप्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित विद्युत–दर (टैरिफ) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे उक्त संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

यह टैरिफ श्रेणीकृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों, कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्रों (केटल ब्रीडिंग फार्म), चरागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण आदि किया जाता है] को भी लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
11 केवी प्रदाय	372	610
33 केवी प्रदाय		596
132 केवी प्रदाय		556

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(क) **वार्षिक न्यूनतम प्रभार संविदा मांग के 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए की विद्युत खपत पर आधारित होगा।** न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) **समयानुपाती (Time of Day-TOD) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्टानुसार होगा।

(ग) **मांग–परक प्रबन्धन (Demand Side Management) अपनाए जाने पर प्रोत्साहनः** ऊर्जा बचत उपकरणों [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध

चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] की स्थापना तथा उपयोग किये जाने पर उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के 5% के बराबर दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका अनुपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का **प्रोत्साहन**, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हों। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(घ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय उपभोक्ता (Bulk Residential Users)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा किसी अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया, विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा मलजल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून, 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ताओं, शासन/धर्मस्व–न्यास द्वारा संचालित किये जा रहे वृद्धावस्था आवास गृहों (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों हेतु दिवा–देखभाल केन्द्रों (डे कैयर सेंटर्स), संरक्षण गृहों एवं अनाथालयों को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्तें समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50%भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	352	637	572
	33 केवी प्रदाय		622	552
	132 केवी प्रदाय		600	530
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	230	637	572
	33 केवी प्रदाय		622	552
	132 केवी प्रदाय		555	515

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(क) **वार्षिक न्यूनतम प्रभार संविदा मांग के 780 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए खपत पर आधारित होंगे।** न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(ख) वैयक्तिक उपभोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(ग) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–7

ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों हेतु समकालन का प्रावधान (Synchronization of Power for generators connected to the Grid)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे विद्युत उत्पादकों को लागू होगी जो पूर्व से ही ग्रिड से संयोजित हैं तथा ग्रिड से समकालन हेतु विद्युत प्राप्त करने के इच्छुक हैं। यह टैरिफ श्रेणी नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राधिकृत ऐसे विद्युत उत्पादकों/सह–उत्पादन संयंत्रों को भी लागू होगी जो विद्युत का आहरण पूर्णतया राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उनके स्वयं के उपयोग हेतु संयंत्र के ग्रिड से समकालन हेतु अथवा उनके संयंत्र की अवरूद्ध अवधि (शटडाउन) के दौरान या अन्य आकस्मिकताओं के दौरान (निर्माण कार्य हेतु कदापि नहीं) या सहायक क्रियाओं (auxiliaries) या अनिवार्य अवरोध (forced outage) हेतु करते हैं।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
उच्च वोल्टेज (HV) श्रेणी के समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु	978

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(क) ग्रिड से समकालन हेतु विद्युत प्रदाय संयंत्रकी क्षमता के 15%से अधिक न होगा। किसी भी अवसर पर क्षमता से 15% अधिक विद्युत का आहरण किये जाने पर, बिलिंग माह के दौरान आहरित की गई आधिक्य ऊर्जा की बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों से दुगुनी दर पर की जाएगी।

(ख) विद्युत उत्पादकों हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, न्यूनतम खपत की शर्त लागू न होगी। बिलिंग माह के दौरान विद्युत खपत की बिलिंग विद्युत प्राप्ति के प्रत्येक अवसर पर ऊर्जा के अभिलेखन हेतु की जाएगी।

(ग) आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत आपूर्ति की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत अनुसमर्थक सहायता (stand-by support) प्राप्त कर सकता है।

(घ) केवल संयंत्र के क्रियाशील होने (कमिशनिंग) के उपरान्त ही ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) उपलब्ध कराया जाएगा।

(ङ) विद्युत उत्पादक, आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बाबत विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–8

विद्युत–वाहन/विद्युत–रिक्शा प्रभारण (चार्जिंग) केन्द्र (E-Vehicle/E-Rickshaws Charging Stations)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर पूर्णतया विद्युत वाहन (electrical Vehicle)/विद्युत–रिक्शा (electrical Rickshaws) तथा बैटरी विनिमय केन्द्रों (Swapping Stations) को लागू होगी। तथापि, अन्य उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर जो विद्युत का उपयोग अपने वाहनों/रिक्शों के प्रभारण हेतु करते हैं, संयोजन की सुसंबद्ध श्रेणी अनुरूप होगी जहां से वाहनों/रिक्शों को ऐसे परिसरों में प्रभारित किया जा रहा हो।

प्रयोज्य विद्युत–दर (Applicable Tariff)

श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)
उच्च दाब आपूर्ति	रू. 100 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	590

(क) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग उच्च दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाये अनुसार की जाएगी।

(ख) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

उच्चदाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तें (General Terms and Conditions of High Tension Tariff)

<u>निम्न निबंधन तथा शर्ते समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :</u>

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा।

1.2 **सेवा का स्वरूप (Character of Service) :** सेवा का स्वरूप समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार होगा।

1.3 **आपूर्ति बिन्दु (Point of Supply)**:–

(क) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत की आपूर्ति सामान्यतः एकल बिन्दु पर प्रदान की जाएगी।

(ख) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत आपूर्ति पृथक से मीटरीकृत तथा प्रभारित की जाएगी।

(ग) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत आपूर्ति सामान्यतः एकल बिन्दु पर की जाएगी। तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत की आपूर्ति, उसकी तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर भी की जा सकेगी परन्तु ऐसे प्रकरण में मापन तथा बिलिंग व्यवस्था आपूर्ति के प्रत्येक बिन्दु के लिये पृथक–पृथक की जाएगी।

1.4 **मांग का अवधारण (Determination of Demand) :** प्रत्येक माह में विद्युत आपूर्ति की **अधिकतम मांग (maximum demand)** माह के दौरान 15 मिनट की किसी निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के 'सलाईडिंग विंडो सिद्धांत' के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर ऑवर्स (kVAh) का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (Billing Demand)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। ऐसे प्रकरण में जहां विद्युत की प्राप्ति निर्बाध पहुंच (खुली पहुंच) (ओपन एक्सेस) से प्राप्त की जाए, वहां माह हेतु बिलिंग मांग माह के दौरान वास्तविक अधिकतम केवीए मांग होगी, जिसमें उक्त अवधि हेतु निर्बाध पहुंच के माध्यम से प्राप्त की गई मांग शामिल न होगी जिस हेतु निर्बाध पहुंच प्राप्त की जाती हो, अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, मप्र विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 3.4 के अध्यधीन होगी।

आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार इन शर्तों की कण्डिका 1.15 के अनुसार प्रयोज्य होंगे।

टीप : बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु बिलिंग वार्षिक न्यूनतम प्रभारों हेतु (किलोवाट ऑवर्स में) विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए की खपत के आधार पर इस तथ्य से असंबद्ध की जाएगी कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई न्यूनतम खपत से कम होतो उसकी बिलिंग वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी।

3) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

4) विद्युत–दर (टैरिफ) न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, आनुपातिक वार्षिक न्यूनतम खपत से अधिक होती हो तथा यदि वास्तविक संचयी खपत पूर्णतया उक्त माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जहां 1200 किलोवाट ऑवर (kWh) वार्षिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) हो :

माह	**वास्तविक संचयी खपत (kWh)**	**संचयी न्यूनतम खपत (kWh)**	**2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)**	**वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)**	**यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (kWh)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 पूर्णांक करना (Rounding off) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की जाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

<u>प्रोत्साहन / छूट / अर्थदण्ड</u> (Incentive/Rebate/Penalties) :

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (Power Factor Incentive)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	वास्तविक खपत की गई ऊर्जा के आधार पर बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रोत्साहन प्रतिशत
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	5.0 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	7.0 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दर से

1.9 भार कारक की गणना (Load Factor Calculation)

1) **भार–कारक (Load Factor)** की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

भार कारक (Load Factor) (प्रतिशत में) = मसिक खपत x 100 / बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या x मांग (केवीए) x ऊर्जा कारक (PF)

i. माह केदौरान मासिक खपत, उपभोग की गई यूनिटों (kWh) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिटों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल न होगी।

iii. मांग, अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो अधिक हो, होगी।

iv. ऊर्जा कारक 0.9 अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत) को निकटतम निम्न एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा निर्बाध पहुंच (ओपन एक्सेस) के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमिक (Consecutive) तिथियों के बीच दिवस संख्या के रुप में अवधि को बिलिंग माह माना जाएगा।

1.10 अग्रिम भुगतान हेतु प्रोत्साहन (incentive for Advance Payment) : खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि {प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि)

राशि को छोड़कर} पर, जो अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती हो, उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उसके खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **ऑनलाईन देयक भुगतान पर छूट (Rebate for onlline bill Payment)**: देयक का ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा भुगतान किये जाने पर कुल देयक राशि पर 0.5% की छूट अधिकतम राशि रूपये 1000 के अध्यधीन लागू होगी।

1.12 **त्वरित भुगतान हेतु प्रोत्साहन(Prompt Payment Incentive)** :जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि{बकाया राशि (Arrears), प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit), मापयंत्र भाड़ा (meter rent) तथा शासकीय उद्ग्रहण (Government levies), अर्थात् विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर (cess)को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

1.13 **समयानुपाती (Time of Day -TOD) अधिभार/छूट**: यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां समयानुपात (ToD)/छूट (रिबेट) की प्रयोज्यता का टैरिफ आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात् सामान्य अवधि (normal period), व्यस्ततम अवधि–भार (पीक लोड) तथा व्यस्ततम–बाह्य अवधि भार (ऑफ पीक लोड) हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	व्यस्ततम/अव्यस्ततम–अवधि (peak/off-peak period)	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
माह	**अप्रैल से अक्टूबर**	
1	सामान्य घंटे (अर्थात् घंटे, अव्यस्ततम घंटों छोड़कर)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर के अनुसार
2	अव्यस्ततम–भार अवधि(रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 10% छूट (रिबेट) के रूप में
माह	**नवम्बर से मार्च**	
1	सामान्य घंटे (अर्थात् घंटे, अव्यस्ततम घंटों छोड़कर)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर के अनुसार
2	अव्यस्ततम–भार अवधि(रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 20% छूट (रिबेट) के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, स्थाई प्रभारों पर दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट प्रयोज्य न होंगे।

1.14 **ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)**

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे शीर्ष "ऊर्जा प्रभारों" के अन्तर्गत प्रत्येक 1%(एक प्रतिशत) गिरावट हेतु, जिससे औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है हेतु

अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे शीर्ष''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल बिल राशि पर 5% (पांच प्रतिशत) (+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, प्रत्येक 1%(एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की स्थापना के संयोजन को विच्छेदित करने का सुरक्षित अधिकार होगा जब तक अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें अपेक्षित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि उपभोक्ता के संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद—भाव के निम्न दाब कारक हेतु उस पर दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवाट आवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, तद्नुसार, 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

ऊर्जा कारक अर्थदण्ड की बिलिंग माह के दौरान वास्तविक रूप से उपभोग की गई ऊर्जा के आधार पर की जाएगी।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी क्यों न कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी माह में 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपभोक्ता इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

क) यह 6 माह की अवधि उक्त माह से आगामी माह मान्य की जाएगी जिसके अन्तर्गत औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

ख) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल मिलाकर चार माह) कम से कम 90% औसत ऊर्जा कारक संधारित करता हो तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों की कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक देयकों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

ग) नवीन उपभोक्ता जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान किसी भी एक माह में 90 प्रतिशत से कम न पाया गया हो, को

उपरोक्त उल्लेखित सुविधाएक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि निम्न औसत ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपभोक्ता को ऐसे प्रभारों का भुगतान किसी भी अन्य उपभोक्ता की भांति करना होगा।

1.15 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charges for Excess Demand):

i. उपभोक्ताको सदैव अपनी समस्त वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के भीतर सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग में संविदा मांग से 120 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाती है वहां विभिन्न अनुसूचियों में दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) केवल संविदा मांग की 120 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा जिसकी गणना स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 120 प्रतिशत के अन्तर के रूप मेंकी जाएगी तथा ऐसा करते समय विद्युत–दर (टैरिफ) की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगाः–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy charges for excess demand)** : आधिक्य मांग अथवा अधिक संयोजित भार के कारण ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभार लागू न होंगे।

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगीः

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 130 प्रतिशत तक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 130% of the contract demand)**:– संविदा मांग से 120 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 130 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 130% of contract demand)** :–उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 130 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर की 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

क) 120 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर

ख) 120 केवीए से अधिक तथा 130 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की 1.3 गुना दर पर

ग) 130 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर

iv. किसी माह में अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

v. उपभोक्ता को आधिक्य मांग पर सामान्य विद्युत–दर से अधिक विद्युत–दर (टैरिफ) पर बिलिंग की जाना, समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

1.16 विलंबित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge) : देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को बकाया (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को जोड़कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.17 समस्त छूटों/प्रोत्साहनों की गणना ऐसी राशि पर की जाएगी जिसमें शासकीय सहायतानुदान को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

1.18 अनादरित धनादेशों पर सेवा प्रभार(Service charge for Dishonoured Cheques): ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश(ों)[cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत विधि के अन्तर्गत, उसके द्वारा कार्रवाई किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.19 उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय (Temporary Supply at HT) : अस्थाई विद्युत प्रदाय का स्वरूप समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में परिभाषित किये गये के अनुरूप होगा। यदि कोई उपभोक्ता अस्थाई विद्युत प्रदाय का इच्छुक हो तो इसे पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगाः

(क) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.25 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभारों की वसूली माह के दौरान संयोजन से प्राप्त की गई दिवस संख्या सेवाओं के आधार पर मासिक स्थाई प्रभारों की आनुपातिक दर पर की जाएगी। माह में दिवस संख्या को उक्त कलेण्डर माह में कुल दिवस संख्या का होना माना जाएगा।

(ख) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) सुनिश्चित करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

अस्थाई अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु न्यूनतम खपत	स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत x अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या =———————————————————— वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या

(ग) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	**अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)**	**बिलिंग मांग (केवीए में)**
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(घ) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो उसके द्वारा समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ङ) उपभोक्ता को संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों (connection and disconnection charges) का भुगतान भी करना होगा।

(च) ऐसे प्रकरण में जहां उच्च दाब उपभोक्ता विद्यमान उच्च दाब संयोजन के परिसर में परिवर्धन (addition) और/या परिवर्तन (alteration) के प्रयोजन हेतु अस्थाई विद्युत आपूर्ति का इच्छुक हो वहां उपभोक्ता को विद्यमान स्थाई संयोजन से उसकी संविदा मांग की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे उपभोक्ता की बिलिंग स्थाई संयोजन हेतु लागू विद्युत–दर (टैरिफ) पर की जाएगी। आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को उपरोक्त कण्डिका 1.15 के प्रावधानों के अन्तर्गत माना जाएगा।

(छ) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा समयानुपाती (Time of day) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दर पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.20 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिल की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा। 3 प्रतिशत की दर से यह अतिरिक्त प्रभार स्थाई प्रभारों हेतु अभिलेखित बढ़ी हुई मांग पर तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु अभिलेखित बढ़ी हुई मांग के अनुपात में धनात्मक यूनिटों पर लागू होगा।

1.21 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10,000 केवीए से अधिक हो तथा जो 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिल की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा। 2 प्रतिशत की दर से यह अतिरिक्त प्रभार स्थाई प्रभारों हेतु अभिलेखित बढ़ी हुई मांग पर तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु अभिलेखित बढ़ी हुई मांग के अनुपात में धनात्मक यूनिटों पर लागू होगा।

1.22 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50,000 केवीए से अधिक हो तथा जो 132 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिल की गई राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा। 1 प्रतिशत की दर से यह अतिरिक्त प्रभार स्थाई प्रभारों हेतु अभिलेखित बढ़ी हुई मांग पर तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु अभिलेखित बढ़ी हुई मांग के अनुपात में धनात्मक यूनिटों पर लागू होगा।

1.23 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में मापयंत्र प्रभारों को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

1.24 हरित ऊर्जा विद्युत–दर (Green Energy Tariff), रू 1.13 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से, जो इस विद्युत–दर आदेश के अनुसार सामान्य विद्युत–दर (normal tariff) के अतिरिक्त है, ऐसे उपभोक्ताओं पर अधिरोपित की जाएगी जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से शत–प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

1.25 विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स) अथवा अभिकर (ड्यूटी) सम्मिलित नहीं होते जो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार किसी भी समय देय हो सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों, तो उपभोक्ता को इनका भुगतान विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.26 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति किये गये किसी आदेश को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.27 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.28 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये स्थाई प्रभार प्रयोज्य हैं, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा न भी की गई हो।

1.29 यदि इस आदेश के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसे कार्य करने या उनका दायित्व वहन करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जैसा कि वे आयोग के मतानुसार कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से अत्यावश्यक या फिर समीचीन हों।

1.30 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत क्यों न हों।

1.31 जहां कहीं भी सामान्य निबन्धन एवं शर्तों तथा किसी विशेष श्रेणी की विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तों में विरोधाभास हो वहां उक्त श्रेणी हेतु विशिष्ट निबन्धन एवं शर्तें अभिभावी होंगी।

1.32 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में किसी विवाद होने की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

———————